राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] ग्यारहवीं विधान सभा के सप्तम सत्र का चौदहवां दिवस [संख्या : 5

मंगलवार;

20 नवम्बर, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्रीमती शांति पहाड़िया।

तहसील वैर (भरतपुर) में विद्युत आपूर्ति हेतु निर्धारित समय

137. **श्रीमती शांति पहाड़िया** (वैर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभिन्न क्षेत्रों के लिये विद्युत आपूर्ति का कोई समय तय किया हुआ है? यदि हां, तो किस इलाके में कितने घंटे विद्युत आपूर्ति प्रतिदिन की जाएगी? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला भरतपुर की तहसील वैर के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) जी, हां। राज्य में कार्यरत जयपुर, अजमेर व जोधपुर विद्युत वितरण निगमों के अन्तर्गत क्रमशः 12, 10 व 10 जिले आते हैं। इन जिलों में शहरी क्षेत्रों में निरन्तर व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों हेतु 6 से 7 घंटे ब्लाक में और घरेलू उपभोक्ताओं को सायंकाल 6 से रात्रि 10 बजे तक सिंगल फेस सप्लाई देने का समय तय किया हुआ है। इसके अतिरिक्त 5,000 की आबादी वाले ग्राम तथा पंचायत समिति/तहसील मुख्यालयों को भी निरन्तर विद्युत आपूर्ति के आदेश जारी किये हुए हैं। निगमवार, जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) भरतपुर की तहसील वैर में भी जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा निर्धारित समय के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्रीमती शांति पहाड़िया : भरतपुर जिले को कितनी-कितनी बिजली निर्धारित की गयी है? उसमें से वैर तहसील का भी पूछना चाहती हूं कि इसके लिए फिर कितनी दी है?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जिला भरतपुर की वैर तहसील की विद्युत सप्लाई 220 के.वी., जी.एस.एस. भरतपुर से, 132

(डा. चन्द्रभान)

के.वी., जी.एस.एस. वैर द्वारा की जाती है। माह अक्टूबर व नवम्बर 2000-2001 में औसत प्रतिदिन सप्लाई निम्नानुसार दी गयी है। इस वर्ष सन् 2001 सितम्बर में 1.67 लाख यूनिट, अक्टूबर में 2.46 लाख यूनिट और नवम्बर में एवरेज जो आ रहा है वह 2.83 लाख यूनिट का आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने माननीय सदस्या को मेरे जवाब में भी बताया, एग्रीकल्चर के लिए 6 से 7 घंटे के बीच में, इसीलिये मैं कह रहा हूं कि 7-7 घंटे के ब्लाक्स बने हुए हैं लेकिन सिस्टम में कमजोरी होने के कारण कई बार ट्रिपिंग आ जाती है, ओवरलोड होने के कारण दिक्कत आती है। तो 6 से 6.30 घंटे आन एंड एवरेज एग्रीकल्चर में विद्युत की सप्लाई इस समय इनके क्षेत्र में की जा रही है और शाम के वक्त 6 से 10 के बीच में सिंगल फेस की सप्लाई की जा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्रीमती शांति पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए जोधपुर तक कितनी बिजली सबको निर्धारित की जाती है? जिलेवार मेरे को इसका विवरण दें।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर मेगावाट के फार्म में आन एंड एवरेज 2800 से 3400 मेगावाट की रेंज में प्रतिदिन राज्य में विद्युत की सप्लाई की जाती है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, तीनों विद्युत वितरण निगमों में ब्लाक्स बने हुए हैं। माननीय सदस्या ने यह जानना चाहा था कि कोई समय तय किया हुआ है क्या और कितने घंटे दी जाती है। जो ब्लाक्स बने हुए हैं वे अलग-अलग निगमों में अलग-अलग बने हुए हैं। यदि माननीय सदस्या जानना चाहें तो जयपुर विद्युत वितरण निगम में सायं 9 से सुबह 4 बजे तक पहला ब्लाक, दूसरा ब्लाक सुबह 4 से 11 बजे तक और तीसरा ब्लाक 11 से 18 बजे, मीन्स 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। एक घंटे के लिए ओवर लेपिंग होती है रात के ब्लाक में लेकिन रात को फ्रीक्वेंसी अच्छी रहती है, अवेलेबिलिटी भी अच्छी रहती है तो कुल मिलाकर रात के वक्त में सप्लाई में दिक्कत किसी तरह की नहीं आती है, कोई व्यवधान भी होते हैं तो कम से कम होते हैं।

जहां तक पूरे प्रदेश में विद्युत की सप्लाई का सवाल है, आन एंड एवरेज गत वर्ष सन् 2000 में अक्टूबर में 641 लाख यूनिट विद्युत सप्लाई की गयी और इस वर्ष अक्टूबर के महीने में 672 लाख यूनिट विद्युत सप्लाई की गयी। नवम्बर में गत वर्ष 712 लाख यूनिट विद्युत की सप्लाई की गयी, जिसमें कि पहले 15 दिन का एवरेज थोड़ा कम था और अबकी बार नवम्बर के पहले पखवाड़े में ही 15

(डा चन्द्रभान)

नवम्बर तक एवरेज 723 लाख यूनिट प्रतिदिन का रहा है।

श्रीमती शांति पहाड़िया : यह मेरे पूछे गये सवाल का जवाब नहीं हुआ।

मोहम्मद माहिर आजाद : है ही नहीं। इनके पास जवाब ही नहीं है।

श्रीमती शांति पहाड़िया : मैं इसका पूरा जवाब चाहती हूं। दूसरा मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि क्या इस साल में ये रात के बजाय दिन में बिजली दें और कारखानों को रात में दे दें जो कि सर्दी के टाइम में काम करें और जो हमारे किसान भाई हैं वे दिन में काम कर लें और बीमार न हों?

इसके साथ ही मैं एक और पूछना चाहती हूं कि नये कनेक्शन जितने भी हैं वे इस साल दिये जाये तो बहुत ही अच्छा होगा, आपकी कृपा होगी क्योंकि अबकी बार पानी बरसा नहीं है। पानी नहीं बरसा तो अब तक खेत भी बिना बुवाई, जुताई के पड़े हैं। हमारा भरतपुर जिला और गंगानगर जिला रिच कहलाया जाता था, यह दो तो ऐसे जिले थे। मेरे जिले में मैं देखकर आयी हूं, अभी पूरे इलाके का मैंने ट्यूर किया है, कहीं भी खेतों में बुवाई नहीं हुई है। इन दिनों में हमारे यहां पानी की सिंचाई हो जाती थी लेकिन अब जगह जगह बांध बनने से हमारा पानी रुक गया। उसकी वजह से हमारे यहां अब बिजली से ही काम चलेगा। अगर सही समय पर बिजली दी जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जो डिटेल जानकारी चाहती हैं निगमवार, जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है और इनकी जानकारी के लिए भी है।

जहां तक दिन में विद्युत की सप्लाई का प्रश्न है, कृषि कार्यों के लिए, मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्या को भी जानकारी दी है, पूरे सदन को दी है, कि हमने तीन ब्लाक्स बना रखे हैं जिसमें रात का ब्लाक थोड़ा हैवी रहता है। 50 परसेंट को दिन के वक्त में और फिर काश्तकारों को रात के समय बिजली आन एंड के वक्त में और फिर रोटेशन से ब्लाक्स बदलते रहते हैं। दिन में सब किसानों को बिजली देना सम्भव नहीं होगा क्योंकि दिन में फ्रीक्वेंसी भी लो रहती है ग्रिड में पावर अवेलेबल भी नहीं रहती है। हमारा खुद का उत्पादन इतना ज्यादा नहीं है अन्य राज्यों विशेषकर दिल्ली विद्युत बोर्ड से जो पावर हमने परचेज की है वह भी रात के वक्त मिलती है रात के वक्त भी बिजली मिले और दिन के वक्त भी बिजली मिले, यह किसानों की मांग रहती है। चूंकि रात्रि को वोल्टेज भी ठीक रहते हैं और घरेलू और अन्य कार्यों के लिए रात्रि को विद्युत का उपयोग कम होता है इसलिए तीन ब्लाक्स में देते हैं। रात्रि को भी देते हैं

(डा. चन्द्रभान)

और दिन में भी देते हैं। जहां तक कनेक्शंस का सवाल है, आठ हजार से ज्यादा कनेक्शंस दिये गये हैं और करीब चार से पांच हजार कनेक्शंस नवम्बर और दिसम्बर महीने में और जारी कर दिए जाएंगे, प्रक्रिया जारी है।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, आपने कहा कि आपने तीन ब्लाक्स बना रखे हैं, ये ब्लाक कौन बनाता है। क्या इनमें समय समय पर कुछ परिवर्तन भी होता है या एक बार जो बन गया वही चलता है?

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि रात्रि के टाइम जो बिजली दी जाती है उसमें रुकावट कम होती है और काश्तकारों की मांग होती है कि रात को बिजली दी जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको रात के समय जो बिजली मिलती है वह दिन में मिलने वाली बिजली की बनिस्पत कुछ सस्ती मिलती है? यदि हां, तो फिर आप काश्तकारों को जो रात को बिजली देते हैं वह दिन की बिजली की बजाय सस्ती क्यों नहीं देते रात में बिजली जब आपको सस्ती मिल रही है तो काश्तकारों को भी सस्ती दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा सवाल मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि नगर, वैर, नदबई, पूरे भरतपुर जिले में सिंगल फेज लाइट देने का आपने क्या प्रावधान कर रखा है? डोमेस्टिक लाइट कितने घंटे लोगों को कम से कम मिलती है? थ्री फेस तो चलिये आपके पास लोड रहता है, समझ में आता है कि नहीं मिलती है लेकिन सिंगल फेस लाइट कितनी देर दी जाती है? नगर, पहाड़ी दोनों की डिटेल बताएं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, ब्लाक्स तीनों निगमों में अलग-अलग बनाये जाते हैं और इन ब्लाक्स के संचालन का काम हर वृत्त करता है। वहां के अधीक्षण अभियंता उपलब्धता और मांग के अनुसार इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते है, अन्यथा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीनों निगमों में ही सात-सात घंटे के ब्लाक हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम में पहले 6 घंटे के ब्लाक्स थे, कुछ जिलों में उसमें अब रात्रि का ब्लाक तो 7 घंटे का कर दिया है और दिन के ब्लाक 6-6 घंटे के हैं क्योंकि इसमें ट्रिपिंग्स आने से दिक्कत रहती है।

जहां तक रात्रि को विद्युत उपलब्ध कराने का सवाल है, हमारा जो स्वयं का उत्पादन है उसमें तो चाहे रात्रि के वक्त उत्पादन करें या दिन में करें, हमारे तो पावर प्लांट 24 घंटे ही चलते हैं, उसमें तो जनरेशन कास्ट पर इसका असर नहीं पड़ता

(डा. चन्द्रभान)

है। अन्य राज्यों से जो हम बिजली खरीदते हैं, एन.टी.पी.सी. की रेट्स भी एक समान रहती हैं। लेकिन दिल्ली जैसे राज्यों से हम रबी की फसल में या पंजाब से समझौते करते हैं, निश्चित रूप से उसमें रात्रि को जब फ्रीक्वेंसी ठीक रहती हैं उसमें बिजली लेते हैं वह थोड़ी सस्ती मिलती है। जब फ्रीक्वेंसी अच्छी रहती है, रात्रि के वक्त उसमें हम ओवर ड्रा करते हैं तो उसमें भी थोड़ी किफायत है। लेकिन वह कोई बहुत बडा अंतर नहीं है। जहां तक किसानों को सस्ती बिजली देने का सवाल है 3 रुपये 85 पैसे कुल मिलाकर लागत प्रति यूनिट पड़ती है राज्य में पहले ही हम किसानों को 94 पैसे पर यूनिट बिजली उपलब्ध कराकर सस्ती बिजली दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि गत वर्ष के मुकाबले....

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो फर्क पूछ रहे हैं कि.... (व्यवधान) रात में जिनको देते हो दिन के बनिस्पत...(व्यवधान) यह बताएं आप तो।

डा. चन्द्रभान : अबकी बार विद्युत सप्लाई संतोषजनक है।

मोहम्मद माहिर आजाद : रात में जब आप सस्ती ले रहे हो, चाहे दिल्ली से ले रहे हो, चाहे पंजाब से ले रहे हो, मेरा सवाल तो यह है कि रात में जो बिजली आप सस्ती ले रहे हैं वह तो उनको आप सस्ती देंगे, क्या?

श्री अध्यक्ष : आप इनको इंटरवीन मत कीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : उनको दिन में दे रहे हैं, उनको रात में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह जो उत्तर दे रहे हैं उसमें आप व्यवधान डालते हैं, आप बैठिए।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जो पावर परचेज कर रहे हैं, वह दिल्ली विद्युत बोर्ड से परचेज कर रहे हैं, वह 2 रुपये 13 पैसे पर यूनिट के हिसाब से परचेज कर रहे हैं और उसमें टी एण्ड डी लासेज को काउंट करें, ट्रांसमिशन लासेज को तो वह कुल मिलाकर 3 रुपये यूनिट पड़ती है मैंने यहां आपसे निवेदन किया, ओवर ड्रा करते हैं वह भी ढाई से 3 रुपये यूनिट पड़ती है। अढ़ाई रुपये, तीन रुपये यूनिट की ही बिजली मान लीं जाए तो भी हम किसान को 94 पैसे में दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्थान में तीन वितरण डिस्काम हैं जिसमें अजमेर के साथ जोधपुर और जयपुर में सात-सात घंटे के ब्लाक का आपने उत्तर दिया है। अजमेर डिस्काम के दसों जिलों में 6 घंटे के ब्लाक बनाए हुए हैं। अभी कह रहे हैं कि रात का ब्लाक बदल दिया। लेकिन आपका उत्तर देखिये, अध्यक्ष महोदय, अजमेर वितरण निगम के दसों जिलों के साथ राजस्थान की सरकार जो भेदभाव कर रही है, क्या उनसे बदला लेने का इरादा राजस्थान सरकार का

(श्री अमराराम)

है? दोनों डिस्कामों में सात-सात घंटे के ब्लाक हैं और अजमेर वितरण निगम में दसों जिले जो नागौर से लेकर उदयपुर तक हैं, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, उदयपुर दसों के दसों में 6 घंटे के ब्लाक हैं। आपने खुद ने उत्तर में माना है कि 6 घंटों का ब्लाक होगा तो 5 घंटे बिजली मिलेगी। तो इन दसों जिलों में उन उपभोक्ताओं के साथ बिजली की सप्लाई में जो भेदभाव किया जा रहा है, क्या मंत्री महोदय और सरकार इन जिलों के साथ बदला लेना चाहती है?

दूसरा, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गांव में केवल 6 से 10 तक बिजली देने का आदेश दे रखा है जबकि शहर में 24 घंटे मिलेगी। गांव में 4 घंटे के आदेश 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है, केवल कैपीसीटर का बहाना बनाकर छह गुणे उपभोक्ता हैं, आम उपभोक्ता, ग्रामीण उपभोक्ता बिजली का उपयोग नहीं कर पाता है रात को 11 बजे से आपका ब्लाक आता है तो गांव के साथ और इन दस जिलों के साथ आपने जो कर रखा है, यह भेदभाव कब तक....

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिये।

श्री अमराराम (धोद) : स्पेसिफिक दो ही हैं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछने में दो मिनट ले रहे हैं, आपको पाइंटेड क्वेश्चन पूछना चाहिए।

श्री अमराराम (धोद) : मेरे दो ही प्रश्न हैं। एक तो अजमेर डिस्काम के एग्रीकल्चर उपभोक्ताओं के साथ जो भेदभाव आप कर रहे हैं यह किस कारण से कर रहे है और कब तक यह मिटा देंगे? दूसरा जो गांव और शहरों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव आप कर रहे हैं यह आप कब तक मिटा देंगे?

श्री अध्यक्ष : ये दोनों ही मुकद्मे आप उठा चुके हैं। मंत्रीजी।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, अजमेर विद्युत वितरण निगम में कृषि क्षेत्र में विद्युत की मांग इन दोनों निगमों के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा है और माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि पहले कमजोर सिस्टम के कारण और ज्यादा मांग के कारण अजमेर विद्युत वितरण निगम में 6 घंटों के ब्लाक बनाये गये थे। लेकिन दीपावली के त्यौहार के बाद में वहां भी ब्लाक्स, जैसा कि मैंने अभी आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को जानकारी दी कि रात्रि का ब्लाक तो वहां 7 घंटे का कर दिया गया है जिससे 50 प्रतिशत कृषक तो उससे लाभान्वित हो जाएंगे और बाकी जिन जिलों में ट्रिपिंग नहीं आएगी वहां भी 7-7 घंटे कर देंगे। जहां सिस्टम कमजोर है वहां थोड़ी फ्रीक्वेंसी यदि ठीक रहेगी और पावर की अवेलेबिलिटी ओर बढ़ जाएगी और डामेस्टिक डिमाण्ड अब घटेगी सर्दी बढ़ने के कारण तो वहां भी 7-7 घंटे के करने के प्रयास करेंगे। यह मैंने शुरू में ही आपके माध्यम से निवेदन कर दिया था कि ब्लाक हर निगम अपने अलग

बनाते हैं और उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। सभी माननीय सदस्य चूंकि अभी दीपावली के त्यौहार पर अपने क्षेत्र में गये होंगे, आंन एंड एवरेज गत वर्ष के मुकाबले में अब कृषि क्षेत्र में सप्लाई में सुधार हुआ है और 6 से 7 घंटे बिजली मिल रही है। यहां तक सिंगल फेसिंग का सवाल है, जहां बात सही है कि सिंगल फेसिंग शाम को 6 से 10 में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यशवन्त सिंह (रामू), आप बैठिये। (व्यवधान) आपका बाद में।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, सिंगल फेसिंग का जहां तक सवाल है, यह 7-8 जिलों में जहां एग्रीकल्चर में डिमाण्ड थोड़ी ज्यादा रहती है, उन जिलों में थोड़ी दिक्कत ज्यादा है। बाकी पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। 37 हजार गांव हैं, मैंने पूरी जानकारी इस सम्बन्ध में की है 37 हजार गांवों में आन एंड एवरेज 50 प्रतिशत गांवों में तो दिक्कत नहीं रहती, वहां 50 प्रतिशत गांवों में दिक्कत रहती हैं। वहां चार घंटे के बजाय कहीं 3 घंटे सप्लाई होती है, कहीं 2 घंटे भी होती है झुंझुनूं, सीकर, नागौर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, बाड़मेर, जालौर में थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि वहां शाम को सिंगल फेसिंग सप्लाई होती नहीं है यह भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इन जिलों में दिक्कत.... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : दौसा में तो बिजली नहीं होती....(व्यवधान) बिजली नहीं होती।

श्री अमराराम (धोद) : आपने पूरे राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र को आदेश ही 6 से 10 दे रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, 24 घंटों में से 4 घंटों के तो आदेश दे रखे हैं। वह 4 घंटे भी देते नहीं है। और फिर राजस्थान की कहां बात कर रहे हैं? शहर में 24 घंटे मिलेगी, गांव में 4 घंटे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले में....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह बात ठीक है, माननीय सदस्य। पांच हजार की आबादी वाले पंचायत समिति और तहसील मुख्यालयों पर, कुल मिलाकर इन जगहों पर निरन्तर सप्लाई राउण्ड द क्लॉक 24 घंटे, यदि घंटे दो-दो घंटे का पावर कट भी कहीं पर हो जाता होगा, जब कहीं अवेलेबिलिटी कम होती है, अन्यथा 20 से 22 घंटे बिजली आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप सही कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आधा घंटे भी बिजली नहीं आती।

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये।

श्री अमराराम (धोद) : क्या गांवों में लोग नहीं रहते?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : ग्रामीण क्षेत्रों में सही बात है, चार घंटे भी बिजली नहीं आती। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : गांव वालों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो, गांवों में भी आठ घंटे तो कम से कम डोमेस्टिक बिजली मिलनी चाहिए गांव में पैदा हुए तो....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री अमराराम (धोद) : चार घंटे बिजली के लिए आपने आदेश दिया है।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल यह है कि यह फैसला आपकी सरकार का है या निगम कम्पनियों का है कि गांव में बिजली नहीं दी जाए।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में यह कहना सही नहीं है ....

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : गांवों के साथ भेदभाव हो रहा है। आप जनसंख्या घटाने की बात करते हैं, जहां जनसंख्या कम है वहां तो कम बिजली और जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां ज्यादा बिजली आपको तो देनी चाहिए कि गांव की जनसंख्या कम है तो आपको वहां पर पूरी बिजली देनी चाहिये, नहीं तो लोग वहां बच्चे पैदा ज्यादा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : दायमाजी श्री यशवन्त सिंह(रामू)।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि भरतपुर जिले को इन्होंने कितने मेगावाट फिक्स किया हुआ है नम्बर एक बात? नम्बर दो बात क्या राजस्थान में भरतपुर जिला ऐसा है जिसमें सिर्फ यूनिट सिस्टम इन्होंने किया हुआ है? नम्बर तीन बात....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : आप यू.पी. में हो या राजस्थान में हो?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : हम तो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से तो कहीं भी नहीं हैं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के जो एम.एल.ए. चुनकर आते हैं उनके आंख में पता नहीं पानी है या नहीं है, ये अपने जिलों की तरफ बोलते नहीं हैं। अकाल के नाम पर पश्चिमी राजस्थान में पैसा ले जाते हैं और यूं टुकुर-टुकुर देखते रहते हैं बात आ रही है बिजली की, सिर्फ भरतपुर जिला ऐसा है जिसमें यूनिट के हिसाब से बिजली देते हैं एक कस्बे को सिर्फ 80 हजार यूनिट बिजली देते हैं जिसमें से 45 हजार यूनिट मात्र एक सस्ता खाता है और 35 हजार यूनिट 165 गांवों को दी जाती है। आप बताइये क्या बात यह सही है कि ये आठ घंटे और छह घंटे की घोषणा करते हैं उसमें 35 हजार यूनिट में ये छह घंटे बिजली दे सकते हैं क्या अगर ये दो घंटे से ज्यादा 35 हजार यूनिट बिजली दे दें तो मैं इस विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को आगाह करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : आपके सप्लीमेंट्री प्रश्न का उत्तर देंगे वे पहले।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अगर इस सीजन में बिजली नहीं दी गई तो माननीय विधायिका ने जो क्वेश्चन उठाया कि वैर को कितनी बिजली दी जाती है, कुम्हेर को कितनी दी जाती है....

श्री अध्यक्ष : यशवन्त सिंहजी, आप बैठिये, आपने पूछ लिया है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सारी बिजली भरतपुर से नदबई आती है और नदबई के बाद सप्लाई होकर आती है....

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मैं इस सदन के माध्यम से आग्रह करता हूं आपसे कि या तो आठ घंटे बिजली दी जाए अदरवाइज दोनों तहसीलों को एक घंटे भी लाइट नहीं दूंगा।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न जो माननीय सदस्या ने किया है वह यह किया कि क्या विभिन्न क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति का कोई समय तय किया हुआ है। यदि हां, तो किस इलाके को कितनी बिजली दी जाती है। विवरण सदन की मेज पर रखें। किस क्षेत्र में कितने मेगावाट बिजली, किस घंटे कितने मेगावाट बिजली, यह तो बहुत बड़ा सवाल है....

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है....

डा. चन्द्रभान : इसका जवाब मैं अलग से दे सकता हूं। इस सवाल में यह कहीं उल्लेख नहीं है। आप जानते हैं कि मेगावाट तो हर घंटे बदलता है, कितना किस जिले में और किस क्षेत्र में कितने मेगावाट, यह अलग से सवाल है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आपने कोई मीटर नहीं लगा रखा है आपको पता ही नहीं चलता....(व्यवधान) इस यूनिट सिस्टम को कब तक समाप्त कर देंगे?

श्री अमराराम (धोद) : अजमेर डिस्काम के साथ जो भेदभाव हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कब तक वह मिटा दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष : माननीय अमरारामजी, बीच में व्यवधान नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह तो बताइये....(व्यवधान) अजमेर डिस्काम के 10 जिलों के साथ 6 घंटे और बाकी में 7-8 घंटे, राजस्थान में अजमेर डिस्काम में जो 10 जिले आते हैं, सीकर-झुंझुनूं, क्या यहां के नागरिक दो नम्बर के नागरिक हैं? उनके किसानों को 6 घंटे का ब्लाक और बाकी में 7 घंटे का ब्लाक, यह भेदभाव कब तक मिटा देंगे? मंत्री महोदय, वह तारीख बता दें, या राजस्थान के ये 10 जिले यूं ही सफर करते रहेंगे?

डा. चन्द्रभान : यह भेदभाव इसी महीने मिटा दिया जायेगा जब सूरतगढ़ की तीसरी इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा। 26 नवम्बर के बाद भेदभाव समाप्त हो जाएगा। पूरे राजस्थान में 7 घंटे का ब्लाक....(व्यवधान).... अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना गलत है कि गांवों में केवल तीन-चार घंटे बिजली दी जाती है।

श्री अमराराम (धोद) : सही बात है।

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, दीपावली के दिन आधा घंटे भी बिजली नहीं आई। (व्यवधान) सीकर के गांवों में आधा घंटे से ज्यादा बिजली दीपावली के दिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं आई। (व्यवधान)।

श्री सांवरलाल : मंत्री महोदय, मेरा यह सवाल है कि अजमेर जिले के गांवों के अन्दर....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : धोद से आने वाले माननीय सदस्य के सवाल का जवाब तो दे दूं। माननीय सदस्य, तीन-चार घंटे तो शाम के वक्त सिंगल फेस के माध्यम से लाइट के लिए सप्लाई की जाती है, इसके अलावा छह से सात घंटे ब्लाक में बिजली मिलती है, वह हर गांव में मिलती है। एक दिन में कुल मिलाकर राज्य के हर गांव में नौ से दस घंटे बिजली मिलती है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : मंत्री महोदय, आप पूर्वी राजस्थान को कितनी बिजली दे रहे हैं और पश्चिमी राजस्थान को कितनी बिजली दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : मंत्री महोदय, यह असत्य है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : शाम को आठ बजे लाइट चली जाती है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पांच घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान को आप कितनी बिजली दे रहे हैं और पश्चिमी राजस्थान को कितनी बिजली दे रहे हैं? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : बिजली पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के हिसाब से नहीं वितरित की जाती। (व्यवधान) 220 के.वी. और 132 के.वी., जी.एस.एस. के माध्यम से सप्लाई की जाती है और मांग के अनुरूप बिजली सप्लाई की जाती है। (व्यवधान) 220 के.वी. और 132 के.वी. जी.एस.एस. के माध्यम से सप्लाई की जाती है और मांग के अनुरूप बिजली सप्लाई की जाती है। (व्यवधान) कोई भेदभाव नहीं है, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के बीच कोई भेदभाव नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : मंत्री महोदय, आपके अधिकारी आपके कंट्रोल में नहीं हैं ये तीनों वितरण निगम और कम्पनियों के। (व्यवधान)। मंत्री महोदय, कांग्रेस के एम.एल.ए. यह कह दें कि दो घंटे से ज्यादा बिजली दी जाती है....(व्यवधान) आपके कंट्रोल में निगम नहीं है, आज की तारीख में दो घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती।

श्री सांवर लाल : 94 पैसे प्रति यूनिट किसानों को दे रहे हैं, एक दिसम्बर, 1998 को कितनी रेट थी, यह बताएं? (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : यह सरासर गलत है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद ने स्वीकार किया है....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल सिर्फ यह है कि 1 दिसम्बर, 1998 को किस रेट पर किसानों को बिजली मिलती थी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। यह किसान विरोधी सरकार है। किसानों के लिए बिजली नहीं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। मैंने दूसरा क्वेश्चन काल कर लिया है।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : × × ×

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय के अलावा अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : × × ×

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री जुगल काबरा : × × ×

श्री रतनाराम चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : × × ×

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : × × ×

श्री अध्यक्ष : यशवन्त सिंह (रामू)। यह हर वक्त वाक आउट करने से....(व्यवधान) आप जाइए। (व्यवधान) आप अव्यवस्था फैला रहे हैं। श्री धर्मपाल।

(श्री यशवन्त सिंह (रामू), सदस्य का बहिर्गमन)

श्रीमती शांति पहाड़िया : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

राजस्थान राज्य पर्यटन निगम द्वारा बीयर पर बन्द सरचार्ज की वसूली

138. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पर्यटन निगम की बीयर की दुकानों से सरकार द्वारा लगाया गया सरचार्ज समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से और उक्त राशि कितनी बनती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पर्यटन निगम की दुकानों से विक्रय हो रही बीयर पर सरचार्ज राशि समाप्त करने के पश्चात् भी पर्यटन निगम द्वारा उक्त राशि उपभोक्ताओं से वसूली जा रही है? यदि हां, तो क्यों तथा क्या उक्त मद में कितनी राशि पर्यटन निगम को प्राप्त हुई? क्या निगम उक्त राशि सरकार को लौटाएगा? यदि हां, तो कब तक?

(3) पर्यटन निगम द्वारा वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 तक कितनी राशि की बीयर बेची गई तथा उक्त में निगम को कितना लाभ हुआ?

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती बीना काक) : जी, नहीं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बीयर की दुकानों पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया सरचार्ज समाप्त नहीं किया गया है।

(2) राजस्थान सरकार द्वारा बीयर सरचार्ज समाप्त नही किया गया है।

(3) विवरण निम्नप्रकार है :—

(राशि लाख रु.)

वर्ष	बिक्री राशि	लाभ
1999-2000	1960.77	457.88
2000-2001	1560.77	224.11

श्री जगत सिंह दायमा : यह शराब की बातों पर वक्त जाया मत करो। यहां शराब की बातें होंगी, यह कोई बात हुई?

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, आप आराम से बैठ जाओ। कौनसी बात होगी और कौनसी नहीं होगी, + + + दूसरे घणे ही काम करने वाले हो, आप आराम से बैठिए और सुनिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आपने शराब का क्वेश्चन पूछा, कोई और क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्या? कोई किसान का क्वेश्चन पूछो कोई शिक्षा का पूछो, कोई और पूछो, यह शराब ही मिली क्या कवेश्चन पूछने के लिए?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : एक सम्मानीय सदस्य को माननीय सदस्य ने....(व्यवधान) आरोप लगाया है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपको बिजली पर खड़ा होना चाहिए था। (व्यवधान) आपको डीजल की कीमत बढ़ी, इस पर खड़े होना चाहिए; बिजली पर खड़े होना चाहिए। रोज शराब के ऊपर खड़े हो जाते हो।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, मुझे कहां खड़ा होना चाहिए और कहां नहीं खड़ा होना चाहिए, यह मैं आपसे नहीं पूछता। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : किसान के बेटे बताते हो अपने आपको। न तो डीजल के बारे में आप खड़े हुए, न बिजली के बारे में, आप तो शराब के बारे में खड़े हुए हो। शराब की चिन्ता है, किसान की चिन्ता नहीं है आपको।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : साकरवाड़ा में दीवार बना ली। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कुछ भी बना लिया, मैंने शराब तो नहीं बनायी। आप तो शराब बनाते हो। (व्यवधान) न जाने कितने लोगों की जिन्दगी खराब कर रखी है आपने। शराब पिला-पिला कर सारा भट्टा बैठा दिया। इन्सान को हैवान बना दिया आपने शराब बनाकर। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है आप जैसे बेईमान करके ....(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : आप जैसे शराब बनाकर इन्सान को हैवान बना दिया।

श्री सांवर लाल : कौनसी शराबबंदी है राजस्थान में?

श्री रामस्वरूप : राज्य में शराब के कारखाने लगवा रहे हो और कोई चिन्ता ही नहीं आपको इसके अलावा।

श्री सांवर लाल : आपके मुख्य मंत्रीजी से बात करो कि शराब बंद कर दो यहां पर। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ये शराब के ठेके सारे ही आपने ले लिये क्या?

श्री सांवर लाल : आबकारी मंत्रीजी को इस्तीफा दिलवा दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए।

श्री रामस्वरूप : हाउस में शराब के अलावा कोई बात ही नहीं करते ये। (व्यवधान) हमेशा शराब की बात उठाते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है माननीय विधायक ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल।

श्री धर्मपाल चौधरी : जो आप बोल रहे हो....

श्री अध्यक्ष : उधर नहीं, इधर पूछिए सवाल। आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय मंत्री महोदय, आपने पहले प्रश्न में कहा, 'जी, नहीं'। वर्ष 1998-99 में बीयर पर सरचार्ज समाप्त हुआ। 1.4.1999 से आपने कहा कि सरचार्ज लग गया। तो अध्यक्ष महोदय, आपने माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 1.4.1999 से और 31.3.2001 तक कितना सरचार्ज आपने जमा करवाया?

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा जैसा कि मैंने पहले कहा है, सरचार्ज समाप्त नहीं किया गया है। यह भेदभावपूर्ण रवैया निगम और प्राइवेट ठेकेदारों के साथ सराकर द्वारा किया जा रहा था—निगम से तो सरचार्ज लिया जा रहा था, लेकिन प्राइवेट ठेकेदारों से सरचार्ज नहीं लिया जा रहा, जिसके कारण निगम को ज्यादा दरों में बीयर बेचनी पड़ रही थी। तो एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था और इस सरचार्ज को विड्रा कर लिया गया था। लेकिन 1998 में इसके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया और 1999 से लेकर आज तक यह सरचार्ज लागू हुआ है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने इस असंवैधानिक निर्णय, जो आरटीडीसी. के साथ हुआ था, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया है।

श्री जगत सिंह दायमा : यह तो छोड़ो। आप तो यह बताओ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जो आर.टी.डी.सी. की बीयर की दुकानों में रियायत देने की घोषणा की थी, उसका क्या हुआ? (व्यवधान) आपने आखिरी बार यह कहा था कि सरचार्ज तो आप खतम करेंगे, लेकिन यह सरचार्ज खतम नहीं किया। (व्यवधान) आपने पिछली बार यह कहा था कि आर.टी.डी.सी. के होटल और मिडवे में माननीय सांसद और विधायकों को छूट दी जाएगी, उसका क्या हुआ? वह कब से लागू कर रहे हो, उस पर बताओ आप। उसका क्या हुआ, वह बताइए आप?

श्री जगत सिंह दायमा : सरचार्ज घटा दिया, कोई मतलब नहीं।

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) प्रश्नकर्ता। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप तो यह बताओ, एम.एल.एज. को आर.टी.डी.सी. में सस्ती दर पर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दायमाजी, बैठिए। प्रश्नकर्ता।

श्री रामस्वरूप : सांसद और विधायकों को मत जोड़ो इस शराब से। सांसद, विधायकों को मत जोड़ों मत जोड़ों इस शराब के व्यसन से। (व्यवधान) हमको मत जोड़ों। (व्यवधान) सांसद और विधायकों को मत ज़ोड़ो।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने यहां कहा था। अध्यक्ष महोदय, आपका नाम लेकर कहा था कि हम अध्यक्षजी से बात करके यह फैसला कर लेंगे कि माननीय सांसदों और विधायकों को कितनी छूट दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपसे बात की या नहीं की, यह तो हमें पता नहीं, लेकिन यह छूट देंगे या नहीं देंगे, यह बता दो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। (व्यवधान) प्रश्नकर्ता को पूछने दो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सांसद-विधायक छूट नहीं चाहते शराब से, सांसद विधायकों को कोई लेना-देना नहीं है शराब से। हमको नहीं चाहिए शराब से छूट बिलकुल ही, हम सांसद-विधायकों को कोई लेना-देना नहीं शराब से।

श्री जीतमल खांट : पूरे प्रदेश का सत्यानाश कर दिया।

श्री रामस्वरूप : सांसद-विधायकों की कोई मांग नहीं है शराब में छूट की, हम नहीं चाहते शराब से छूट।

श्री जीतमल खांट : दक्षिणी राजस्थान का सत्यानाश कर दिया।

श्री जगत सिंह दायमा : शराब में खूब पैसा बढ़ाएं, सरचार्ज बढ़ाएं।

श्री जीतमल खांट : शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : क्या करें? परन्तु हमारे विधायकों को नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप : हमको कोई सुविधा नहीं चाहिए।

श्री जगत सिंह दायमा : यह सुविधा चाहिए।

श्री रामस्वरूप : सांसद-विधायकों को शराब नहीं चाहिए। मैं विरोध में हूं इस बात के, मेरा सख्त विरोध है। (व्यवधान) आप कैसे बैठा सकते हो? कोई शराब नहीं पीता सांसद-विधायक, न उनको कोई सुविधा चाहिए किसी प्रकार की। बेकार की बातें करते हो आप, विधायक और सांसद के लिए नहीं चाहिए। (व्यवधान) आप कौन होते हो बैठाने वाले? आप होते कौन हो बैठाने वाले? मै नहीं पीता शराब, आपने शराब की बात क्यों की? (व्यवधान) प्रश्न उठा था शराब का और सांसद-विधायक आ गये इसमें। शराब का क्वेश्चन और आप विधायक-सांसद ले आये इसके अन्दर। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हर मामले में हर बार खड़े हो जाते हैं, मुख्य मंत्रीजी को मालूम है....(व्यवधान) आबकारी से एक हजार करोड़ रुपये की आमदनी होती है, + + + कर रहे हैं। खड़े हो जाते हैं, मरजी आवे जो कहते हैं। बन्द कर दो अगर हिम्मत है राजस्थान के मुख्य मंत्री में।

श्री धर्मपाल चौधरी : सत्ता पक्ष वालों को अगर इतनी चिन्ता है शराब के बारे में तो पूरे सदन को आज निर्णय कर लेना चाहिए कि राजस्थान में शराबबन्दी लागू कर दी जानी चाहिए।

श्री सांवर लाल : बन्द कर दो।

श्री जगत सिंह दायमा : लेकिन आर.टी.डी.सी. एम.एल.एज. को सस्ती दर के ऊपर ठहराने के लिए प्रबंध कर रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री दायमाजी।

श्री जगत सिंह दायमा : 5-5, 6-6 सौ रुपये में हम बहरोड में जाएं, बहरोड में पी.डब्ल्यू.डी. के गैस्ट हाउस नहीं होते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + इसलिए शराबबन्दी नहीं हो रही है।

श्री रामस्वरूप : + + + (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + + (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलेखित किये गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुख्य मंत्री कर दें शराबबन्दी, मैं कह रहा हूं शराबबन्दी करो। (व्यवधान) + + +

श्री रामस्वरूप : + + + (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान) इनको कार्टन मिल रहे थे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हम गांधीजी के सिद्धान्तों के आदमी हैं, + + +

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + पर प्रतिबन्ध लगाओ, मुख्य मंत्रीजी प्रतिबन्ध लगाएं शराब पर अगर हिम्मत हो तो मुख्य मंत्री में। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : शराब के सारे ठेकेदार आपके। शराब के ठेकेदारों, आपके ठेके हैं सारे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री रामस्वरूप : इसे रिकार्ड में से निकलवाया जाए, + + + भारतीय जनता पार्टी के ठेके हैं सारे। शराब के जितने भी ठेके हैं, वे उनके हैं।

डा. महेश जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री आहूजाजी ने जो आरोप लगाये हैं, मैं समझता हूं कि इस तरीके की बातें सदन में नहीं होनी चाहिए और इसे आप कार्यवाही से निकलवाएं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : और आपके माननीय सदस्य कुछ भी कहते रहें? (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि + + + मेरा आपसे आग्रह है कि इस तरह की बातें सदन में नहीं आए और जो आयी हैं उनको निकाला जाए।

श्री रामस्वरूप : उनको निकाला जाए। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही से निकाला जाए इन शब्दों को। (व्यवधान) + + + यह बिलकुल असत्य बात है। इस तरह के लांछन लगाये, यह गलत है।

श्री धर्मपाल चौधरी : इस पर मतदान करा लो, साहब।

श्री जुगल काबरा : अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, जनता के सेवकों के साथ इस तरह का व्यवहार इस सदन में किया जाये, इनको दण्डित किया जाये इस बात के लिए, अगर यह माननीय सदस्यों को + + + बता रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : मतदान करा लो इसके ऊपर, साहब, आप।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री रामस्वरूप : कांग्रेस एक पवित्र संस्था है, कांग्रेस ने देश को आजादी दिलायी है और कांग्रेस की बुराई करते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : + + + इसके ऊपर मतदान करा लो आप इस हाउस में।

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री धर्मपाल चौधरी : मतदान करा लो इसके ऊपर।

श्री रामस्वरूप : हमको + + + कैसे कहा आप लोगों ने?

श्री धर्मपाल चौधरी : मतदान करा लो।

श्री रामस्वरूप : करा लो। हम डरते हैं क्या, करा लो? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अभी पता चल जाएगा कि + + +

श्री अध्यक्ष : रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है उसको मैं एक्सपंज करता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, माननीय आहूजाजी का तो यह एक अधिकार है कि यह आरोप लगाते रहते हैं। तो उनको रोकने के लिए कोई प्रबंध कर दो आगे से। पूरी तरह से हर चीज को लेकर आरोप लगाकर खड़े हो जाते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : बैठ जाओ, अभी एक मिनट।

श्री जगत सिंह दायमा : ज्ञानदेव आहूजाजी के लिए कह रहा हूं मैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : बैठ जाओ, दो मिनट।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिए इनके ऊपर लगाम लगायी जानी चाहिए। यह कुछ न कुछ नेताओं के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ ऐसी असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे सदन का वातावरण खराब होता है, इसलिए माननीय सदस्य को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें, हमारा आपसे अनुरोध है।

श्री रामस्वरूप : सारे सदन को शराबमय बना दिया इन लोगों ने, ऐसे लोगों को दण्डित किया जाये।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर आप विचार करें। मेरी बात पर सारा सदन यह चाहता है कि रोज-रोज सदन का समय खराब होता है और रोज-रोज यह आरोप लगाते हैं, आहूजाजी रोज आरोप लगाते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : बैठ जाओ, आहूजाजी बन रहे हो आप भी हमारी जान को।

श्री जगत सिंह दायमा : रामस्वरूप तो थोड़ा-सा भोला है वह तो कोई बात नहीं।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री जगत सिंह दायमा)

रामस्वरूप तो भोला है उसकी तो कोई बात नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आपने कहा है कि सरचार्ज समाप्त नहीं किया, सरचार्ज समाप्त नहीं किया तो कितना सरचार्ज आपने जमा कराया, यह बताएं।

सीधा सवाल है आपसे, आप घुमा फिराकर इसकी तस्वीर पैदा मत करो।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह कहना चाहती हूं कि आर.टी.डी.सी. पर सरचार्ज आबकारी विभाग द्वारा लगाया गया है, प्राइवेट सैक्टर में नहीं लगाया गया है। निजी ठेकेदारों.... (व्यवधान) एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लें।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप बात को घुमा रही हैं सीधी बात यह है....

श्रीमती बीना काक : घुमा नहीं रही हूं, बिलकुल सीधी बात कह रही हूं, निजी ठेकेदारों पर नहीं लागया गया है। निजी ठेकेदारों पर यह सरचार्ज नहीं लगाया गया है, सुन तो लें। या तो ठेकेदारों पर भी लगाया जाए या आर.टी.डी.सी. से भी हटाया जाये।

श्री जगत सिंह दायमा : ये कह रहे हैं डिपार्टमेंट ने 5 करोड़ रुपये इसमें हजम कर लिये।

श्रीमती बीना काक : आप सुन तो लें न पूरी बात, फिर किसने हजम किया, क्या हजम हुआ, मैं बताऊंगी। तो आर.टी.डी.सी. ने माननीय न्यायालय में यह अपील की, पिटीशन की कि यह सरचार्ज लगाना असंवैधानिक है, भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह ठेकेदारों से नहीं लिया जा रहा है। माननीय न्यायालय ने विभाग को पाबन्द किया, माननीनय अध्यक्ष महोदय, 30.7.1999 को कि वे निगम को सरचार्ज जमा कराने हेतु विवश नहीं करें। जब जमा कराया ही नहीं। हाई कोर्ट का स्टे तो फिर जमा कह रहे हैं न कराया ही नहीं।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, नहीं। आप उत्तर में तो यह कह रही हैं कि सरचार्ज समाप्त नहीं किया और हम जब आपने पूरी जनता से....

श्रीमती बीना काक : फिर आप पूछ रहे हैं कि जमा कितना कराया, लेकिन अगर स्टे है तो जमा कैसे कराऊंगी? स्टे आया हुआ है। (व्यवधान) माननीय न्यायालय में विचाराधीन है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मेरा एक पाइंटेड सवाल है। आपने फरमाया कि राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आपने प्राप्त कर लिया कि सरचार्ज निगम से जमा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं हो। स्थगन प्राप्त करने के बाद क्या आपने जो बीयर बच्चे, उन ग्राहकों से सरचार्ज लिया या नहीं, नम्बर एक बात? अगर लिया जिसकी राशि 5 करोड़ 65 लाख रुपये है, 5 करोड़ 65 लाख रुपये, अध्यक्ष महोदय, सरचार्ज के नाम पर राजस्थान के पर्यटकों से वसूल किये और वह पैसा जमा होना चाहिए था राजस्थान सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट में, वह पैसा मंत्री महोदय ने जमा नहीं कराया। आपने जो अभी अपना प्रतिवेदन जारी किया है उसमें आपने कहा है कि आपने रिकार्ड मुनाफा कमाया। दो सालों में आपका मुनाफा हुआ है 6.82 करोड़ रुपये और इस अकेले बीयर ट्रेड से 5.89 करोड़ रुपये आपने कमाया है। अगर यह सरचार्ज का पैसा आप सरकार में जमा करा दें तो क्या आपकी आर.टी.डी.सी. तनख्वाह चुकाने की हैसियत में भी है या नहीं है, यह बता दें? पहली बात, स्थगन के बाद सरचार्ज लोगों से लिया या नहीं लिया और लिया तो कितना लिया? जो मैंने फीगर बताये, वे सही हैं या नहीं है अगर यह सरचार्ज के नाम पर वसूली की है तो एक्साइज डिपार्टमेंट में आप जमा कराएंगे या नहीं कराएंगे, यह बता दें? (व्यवधान) तो फिर लोगों से वसूल कैसे किया?

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि माननीय चन्दनमलजी बैद साहब जब मंत्री थे....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मैंने साफ पूछा है।

श्री धर्मपाल चौधरी : उसको घुमाओ मत, 5 करोड़ 65 लाख रुपये आपने आबकारी विभाग को देने हैं, आबकारी विभाग ने आपको नोटिस दिया हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्थगन के बाद में आपने ट्यूरिस्ट्स से सरचार्ज के नाम पर पैसा लिया या नहीं लिया, मुझे यह बता दें? और लिया है तो वह कितनी राशि है? वह जो आपने सरचार्ज जमा कराने के नाम पर लिया, एक्साइज डिपार्टमेंट में जमा कराने के नाम पर लिया, आपने किस नियम के अन्तर्गत निगम में रोक रखा है?

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ताओं से यह राशि नियमानुसार ली जा रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नियमानुसार कैसे ली जा रही है जब स्थगन कर दिया? हाई कोर्ट ने स्थगन कर दिया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय की अवमानना की है मंत्री महोदया ने। (व्यवधान) स्थगन आ गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी का जवाब आने दीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री सांवर लाल : कौन नहीं है सुनने को ? (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : यह पैसा जमा कराने के ऊपर स्थगन है, कलैक्ट करने के ऊपर स्थगन नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने आबकारी विभाग को जमा कराने के लिए स्थगन आदेश दिया है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ....आप बैठ जाओ, अभी आप मंत्री नहीं बने हो। वहां बैठो जब बोलना यह। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ये पांच करोड़ रुपये आप अलवर, भरतपुर में लगा दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, हां, लगा दो। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : यह जो राशि है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमें स्थगन प्राप्त हुआ है वह राशि जमा कराने के ऊपर हुआ है कि No cohensive action shall be taken against the petitioner, इसलिए यह राशि अभी जमा नहीं की गयी है। परन्तु मैं सदस्यों को बताना चाहूंगी कि 1999 में जब चन्दनमलजी बैद मंत्री थे तो हमने उनसे मीटिंग की थी।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय मंत्री महोदय, आप फिर घुमा रही हैं। चन्दनमलजी नहीं....(व्यवधान) 1.8.2001 से....

श्रीमती बीना काक : सुनो तो सही। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महादेय, इनकी सरकार थी तो इन्होंने सरचार्ज विदड्रा कर लिया। सरचार्ज विदड्रा करने का मतलब यह होता है कि ये शराबबन्दी को बढ़ावा दें। शराब की कीमत कम होगी तो ज्यादा शराब बिकेगी और हमारी सरकार ने आते ही सरचार्ज लागू कर दिया तो आपकी सरकार ने तो इसके बढ़ावे का काम किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदया, आप यह बता दो कि क्या आपने इसी अगस्त माह में सरचार्ज वापस जमा कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ की या नहीं की ? अध्यक्ष महोदय, एक तरफ उच्च न्यायालय की बात और दूसरी तरफ इन्होंने इसी अगस्त के अन्दर वापस एक्साइज डिपार्टमेंट में सरचार्ज जमा कराना प्रारम्भ कर दिया है। यह दोहरी बात क्यों ?

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1999 में चन्दनमलजी बैद के साथ एक मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि जो भी करोड़-डेढ़ करोड़ सरचार्ज बनता है उसे जमा करवा देंगे और मोड आफ पेमेंट क्या होगा यह तय कर दिया जाएगा। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हालात बदले, समय बदला, वर्किंग कंडीशंस भी बदली तो यह प्रकरण कहां अटक गया, पुनः क्यों नहीं यह सरचार्ज जमा करवाया गया....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : वह पैसा इस वक्त कहां है ? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : इसको प्रोफिट में नहीं जोड़ा गया है। मेरी बात तो पूरी सुन लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान नहीं। माननीय दायमाजी, बीच में व्यवधान नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हालात क्या बदले हैं, वह भी बता दो। हालात क्या बदले? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरचार्ज लगाने से निगम को नुकसान हुआ है इसमें आंकड़े भी कह रहे हैं। 1999-2000 में साढ़े चार करोड़ रुपये का लाभ बीयर से उठाया और 2000-2001 में यह ढाई करोड़ ही रह गया, तो यह सरचार्ज लगने से बीयर की जो आवक थी उसमें करीब ढाई करोड़ का घाटा हुआ है। ज्यादा जो मुनाफा होता है यह या तो पैलेस आन व्हील्स होता है या बीयर से होता है। जैसा कि मैं कह रही थी, हमने उनसे यह गुजारिश की थी कि हम इसको आपके पेटे में जमा कर देंगे....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पैलेस आन व्हील्स की चर्चा मत करो नहीं तो कई बातें आ जाएंगी। बहुत दिनों तक यात्रा करवाई है आपने। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक क्वेश्चन की मुझे भी इजाजत दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ....सरचार्ज देने के बाद आर.टी.डी.सी. में तनख्वाह देने के भी पैसे हैं क्या? (व्यवधान) करोड़ रुपये इससे कमाये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दी है। मुझे इजाजत दी है।(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार बेनीवाल (भादरा) : मेरा नाम पुकार लिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि उनका पब्लिक अंडरटेकिंग दूसरे पब्लिक अंडरटेकिंग के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट करें, इसका मतलब यह है कि आपके मंत्रिमण्डल में कोआर्डिनेशन नहीं है। कृपया मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब दें कि यह सही है क्या?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्नकाल है। आप सम्बन्धित मंत्री से ही पूछ सकते हैं, मुख्य मंत्रीजी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। (व्यवधान) श्री संजीव बेनीवाल।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोआर्डिनेशन की बात तो मुख्य मंत्रीजी से ही पूछूंगी।

श्री सांवर लाल : ....इसका मुख्य मंत्री महोदय को ही करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री संजीव बेनीवाल।

विधान सभा क्षेत्र भादरा में फसल खराबी से प्रभावित किसानों को मुआवजा

139. श्री संजीव कुमार बेनीवाल (भादरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में इस वर्ष की खरीफ की फसल में नरमा व कपास की कितनी बिजाई की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नरमा-कपास की फसल में अमरीकन सुण्डी एवं हरीलट के भयंकर प्रकोप (बीमारी) की वजह से जबरदस्त नुकसान हुआ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कितना खराब हुआ? सुण्डी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त फसलों में हुए खराबे का किसानों को मुआवजा देने का विचार रहती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री तैय्यब हुसैन) : (1) जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के अनुसार भादरा क्षेत्र में नरमा की 7,078 हैक्टेयर क्षेत्र में एवं देशी कपास की 9,197 हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई।

(2) जी, हां। जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त क्षेत्र में देशी कपास में 91 प्रतिशत नुकसान तथा अमरीकन कपास (नरमा) में 92 प्रतिशत नुकसान हुआ है। कृषि विभाग ने आई.पी.एम. प्रदर्शन लगाकर कीट नियंत्रण कार्य की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों के माध्यम से एवं कृषि गोष्ठियां आयोजित कर तथा प्रचार-प्रसार के अन्य तरीकों से कृषकों को सुण्डी नियंत्रण हेतु विभागीय सिफारिश अनुसार कीटनाशक रसायनों का छिड़काव करने की तकनीकी जानकारी दी गई। कृषि निदेशालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय एवं भारत सरकार के वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों द्वारा भी समय-समय पर प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर जानकारी उपलब्ध करवाई गई।

(3) राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये हैं :—

1. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर के नरमा-कपास बिजाई क्षेत्र में खरीफ, 2001 का पूर्ण सिंचाई शुल्क माफ कर दिया गया है।
2. प्रभावित कृषकों के खरीफ अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित करने हेतु भारत सरकार एवं नाबार्ड को लिख दिया गया है।
3. किसानों को नष्ट हुई फसल का उचित मुआवजा दिये जाने हेतु भारत सरकार से केन्द्रीय आपदा कोष के अन्तर्गत राज्य सरकार को पर्याप्त राशि देने हेतु ज्ञापन प्रेषित कर दिया गया है।

श्री संजीव कुमार बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिले के खरीफ, 2001 की नरमा और कपास की फसल पूरी तरह से नष्ट हुई है। अमरीकन सुण्डी और हरी सुण्डी के प्रकोप से। सबसे पहले तो मैं सरकार ने जो निर्णय लिया कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के नरमा-कपास बिजाई क्षेत्र में खरीफ, 2001 की फसल का नहरी शुल्क पूर्ण रूप से माफ कर दिया गया है, उसके लिए क्षेत्र के किसानों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा। आज तक के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने इस तरह से नहरी शुल्क माफ किया है। इसके लिए मैं तहेदिल से आभार प्रकट करता हूं मुख्य मंत्रीजी का। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरमा और कपास बिजाई क्षेत्र में किसान....(व्यवधान) आप लोग तो डीजल के भाव लगातार बढ़ा रहे हो तो काहे की बात कर रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : किसानों के कर्जे माफ कर दिये। (व्यवधान) यह हमारी सरकार ने किया है। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार बेनीवाल : आप लोगों ने डीजल के दाम बढ़ाये! आप किसकी बात कर रहे हो, आपने तो डीजल के दाम बढ़ाये हैं लगातार? (व्यवधान) आप किस मुंह से बात कर रहे हो किसानों की? (व्यवधान) डीजल के भाव बढ़ाये हैं लगातार। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके पहली बार हुई है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) प्रश्नकर्ता।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : राजस्थान पूरे में किसानों का नुकसान हुआ है, अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) पूरे राजस्थान में नुकसान हुआ है, केवल तीन जिलों में देने से क्या किसानों का फायदा हो जाएगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। (व्यवधान) प्रश्नकर्ता।

श्री संजीव कुमार बेनीवाल : आपने पूरे देश के किसानों को बरबाद कर दिया। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : राजस्थान में दवाइयां भी नकली दी गई। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हर जगह नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आहूजा। (व्यवधान) आप हर प्रश्न के बीच में व्यवधान मत डालिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर जिले में भी नुकसान हुआ है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री आहूजा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने किसानों को बरबाद कर दिया। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, नरमा और कपास के किसानों ने बीज के साथ खाद लगातार 10-10, 15-15 स्प्रे किये, डीजल और बिजली का खर्चा हुआ। 5-6 हजार रुपये एक बीघा का। माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि नरमा और कपास में करीब 91-92 प्रतिशत का खराबा यानि फसलें पूरी तरह से चौपट हुई हैं। तो मैं पुरजोर मांग करता हूं कि नरमा और कपास का किसान मर रहा है, किसान की हालत बहुत खराब हो रही है। लगातार

(12.00 बजे)

तीन साल से अकाल की स्थिति और उसके बाद बड़ा भारी भरकम खर्चा किसानों को लगा है तो किसानों को निश्चित रूप से मुआवजा दिलाया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने जैसा कि फरमाया है उत्तर में कि भारत सरकार को उन्होंने लिखा है केन्द्रीय आपदा कोष से मुआवजा दिलाने के लिए तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने कब केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा और कितना रुपया प्रति बीघा का मुआवजा दिलाये जाने की आपने मांग की है, कृपया बताने की कृपा करें?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर में भी नरमा और कपास को नुकसान हुआ है। माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें, अलवर में भी नरमा और कपास को भी नुकसान हुआ है....(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, अलवर जिले में भी नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं.... (व्यवधान) 355 करोड़ रुपये का मुआवजा भारत सरकार से मांगा है....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मंत्री महोदय, अलवर जिले में भी नुकसान हुआ है, अलवर जिले में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : 1997 में जब इसी प्रकार का प्रकोप हुआ था, उस समय आबियाना तक माफ नहीं किया था। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माफ करेंगे, माननीय मंत्री महोदय, अलवर जिले में रामगढ़ क्षेत्र में, तिजारा में कपास को नुकसान हुआ है, इसकी पूर्ति करेंगे क्या आप?

श्री तैय्यब हुसैन : ....भारत सरकार को ही लिखा था, तीन करोड़ रुपये मांगे थे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, अलवर जिले में भी नुकसान हुआ है, इसकी पूर्ति करेंगे क्या?

श्री संजीव कुमार बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ....और कोई सुनने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री रामप्रताप : ....यह बहुत गम्भीर मामला है, इसमें थोड़ा-सा समय तो दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री संजीव कुमार बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय तो दें इसमें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मंत्री महोदय, अलवर जिले में रामगढ़, कासगंज, तिजारा में कपास को नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार बेनीवाल : ....समय-समय पर कृषि विभाग ने कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव की जानकारी दी, यदि जानकारी दी तो कौनसी दवाइयों का छिड़काव किया गया और क्या उनके बाद में असर हुआ? यदि असर हुआ है तो....(व्यवधान) इसके बारे में कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, उत्तर देने की कृपा करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, अवलर जिले में भी भारी नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। प्रश्नकाल समाप्त।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : × × ×

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : × × ×

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री यशवन्त सिंह रामू, नीचे बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : × × ×

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : × × ×

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। प्रश्नकाल समाप्त। बैठ जाइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : × × ×

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : × × ×

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला जयपुर में रीको द्वारा अवाप्त भूमि के बदले भू-आवंटन

266. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि रीको ने वर्ष 1995 से 2000 की अवधि में खातेदारों को अवार्ड में अवाप्त भूमि के बदले अन्य भूमि जिला जयपुर में दी है जबकि अवार्ड

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शिवनाथ सिंह)

में भूमि के बदले भूमि नहीं दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख था? यदि हां, तो जिला जयपुर में किस-किस स्थान पर किस-किस को कितनी भूमि दी गई तथा भूमि देने का क्या आधार अपनाया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला, जयपुर में रीको ने भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत या अन्य किसी प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार से अभिशंसा कर खातेदारों की भूमि को अवाप्ति से मुक्त करवाया है? यदि हां, तो किस-किस की भूमि को मुक्त करवाया तथा मुक्त करवाने की अभिशंसा का क्या आधार था?

(3) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों को भूमि के बदले भूमि दी गई उनसे विकास शुल्क भी लिया गया है? यदि हां, तो किस-किस से कितनी-कितनी राशि?

(4) अवाप्ति से पूर्व भूमि का क्या स्वरूप था तथा विनिमय के बाद किस स्वरूप में भूमि उपलब्ध करवाई गई?

उत्तर

(1) ऐसे किसी भी खातेदार जिसको अवार्ड में भूमि के बदले भूमि नहीं दिये जाने का उल्लेख था, को अवाप्त भूमि के बदले अन्य भूमि जिला जयपुर में नहीं दी गई है।

(2) जयपुर जिले में वर्ष 1995 से 2000 की अवधि में भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत राज्य सरकार से अभिशंसा कर खातेदारी की भूमि को अवाप्ति से मुक्त कराया गया है का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) हां, जिन काश्तकारों (खातेदारों) को भूमि के बदले भूमि दी गयी, उसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) संलग्न परिशिष्ट "ब" पर अंकित विवरण पर कृषि भूमि अवाप्त कर उन्हें औद्योगिक एवं 'स' व 'द' में कृषि भूमि अवाप्त कर आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध करायी गयी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला कलक्टर, नागौर विचाराधीन भू-रूपान्तरण प्रकरण

267. श्री हरीश चन्द कुमावत (नावां) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नावां, जाबदीनगर, गढ़ा, गोविन्दी, राजास, मोहनपुरा, खाखड़की व कुचामनसिटी लवण उद्योग क्षेत्र में सरकार माल लदान हेतु सड़क निर्माण कराने जा रही है? यदि हां, तो उक्त योजना में कौन-कौन सी सड़कें कितनी-कितनी राशि की बनाने का प्रस्ताव हैं?

(2) तहसील नावां क्षेत्र में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयां नमक उत्पादन की हैं? क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीश चन्द कुमावत)

(3) उक्त में कितनी इकाइयां राज्य सरकार ने आबंटित की है एवं कितनी इकाइयों का कृषि क्षेत्र की भूमि से लवण क्षेत्र की भूमि में रूपान्तरण हुआ है? वर्तमान में इनमें कितनी इकाइयां चालू हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला कलक्टर कार्यालय में नावां नमक क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण की पत्रावलियां कब से लम्बित हैं? उक्त का लम्बे समय तक लम्बित रखने का क्या कारण है?

(5) अब उक्त पत्रावलियों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) तहसील नावां में कुल 800 इकाइयों को नमक उत्पादन हेतु भूमि आबंटित है। क्षेत्रवार विवरण तालिका "ए" संलग्न है।

(3) नावां क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा 104 इकाइयों को भूमि आबंटित है एवं 696 खातेदारों ने अपनी कृषि भूमि का लवण भूमि में राजस्व विभाग के माध्यम से कृषि भूमि रूपान्तरण नियम 1961 एवं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि सपरिवर्तन नियम 1992 के तहत रूपान्तरण करवाया है एवं 613 इकाइयां चालू है। सूची तालिका "बी" संलग्न है।

(4) जिला कलक्टर नागौर के कार्यालय में भूमि रूपान्तरण के 15 लम्बित प्रकरणों का विवरण तालिका "सी" संलग्न है। प्रकरण वांछित सूचनाओं के अभाव में लम्बित है।

(5) सूची "सी" में अंकित विवरणानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर निस्तारण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(सूची व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

राजस्थानी फाउंडेशन कार्यालय की स्थापना पर व्यय

268. श्री अमराराम (धोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अन्तरराष्ट्रीय राजस्थान सम्मेलन के आयोजन के बाद राज्य सरकार ने योजना भवन में राजस्थान फाउंडेशन कार्यालय खोलने का फैसला किया था? यदि हां, तो उक्त पर होने वाले व्यय का निवेश का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। योजना विभाग, जो राजस्थान फाउंडेशन का प्रशासनिक विभाग है, के अनुसार, अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन के आयोजन के बाद राज्य सरकार ने योजना भवन में राजस्थान फाउंडेशन का कार्यालय खोलने का फैसला किया है। प्रस्तावित कार्यालय तैयार करने हेतु रुपये 24.90 लाख का तखमीना तैयार किया गया है। अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, झोटवाड़ा (जयपुर) में फव्वारा सैटों के अनुदान में अनियमितताएं

269. श्री कृष्णमुरारी गंगावत (थानागाजी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों को फव्वारा सैट पर अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, झोटवाड़ा (जयपुर) के अधीन कार्यरत पूर्व सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र हरमाड़ा में जनवरी, 1994 से मई, 2000 तक किन-किन किसानों को कितना-कितना अनुदान दिया गया है? कृषक के नाम, पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में पूर्व सहायक कृषि अधिकारी, हरमाड़ा (जयपुर) द्वारा फव्वारा पत्रावलियों में विक्रेताओं के फर्जी बिल लगाने व अन्य अनियमितताएं करने की कोई शिकायत विभाग के उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शिकायती पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शिकायती पत्रों पर उक्त पूर्व सहायक कृषि अधिकारी, हरमाड़ा के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या उक्त प्रकरण की जांच को पूर्व संयुक्त निदेशक श्री राधामोहन वर्मा ने रफा-दफा करा दी है? क्या उक्त प्रकरण में श्री वर्मा भी लिप्त थे? उक्त सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की विवरण मय जांच रिपोर्ट की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अवधि के उक्त पूर्व सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र के फव्वारा सैट अनुदान की पत्रावलियों एवं पूर्व में विभाग को प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच करवा कर उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? क्या उक्त फव्वारा सैट आई.एस.आई. मार्क थे? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) सरकार अब कब तक उक्त जांच के आदेश जारी कर देगी?

उत्तर

(1) जी, हां। सहायक निदेशक, कृषि (वि.) झोटवाड़ा, जयपुर के अधीन सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र हरमाड़ा में जनवरी, 1994 में मई, 2000 तक जिन-जिन कृषकों को अनुदान दिया गया उन कृषकों के नाम की सूची, पता वर्षवार दिये गये अनुदान का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(कृषि मंत्री)

(4) शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण पूर्व सहायक कृषि अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही/जांच अपेक्षित नहीं है। विभागीय दिशा-निर्देश अनुसार कृषकों को फर्मों द्वारा आईएसआई. मार्का फव्वारा सैट उपलब्ध करवाये जाते हैं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों में रिक्त पद

270. श्री अमीन खान (शिव) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों व एएनएम. के कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों एवं एएनएम. के रिक्त पद निम्नांकित हैं :—

क्र.सं.	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	चिकित्सक	214
2.	कम्पाउण्डर	1057
3.	एएनएम.	567

जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

नकली दवाइयों पर रोक हेतु नीति

271. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में दवाइयों के मूल्यों के लिए कोई कारगर नीति नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं से मनमानी कीमत वसूल की जा रही है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की और सरकार क्या कार्यवाही कर सकती है?

(2) क्या यह भी सही है राज्य में नकली दवाइयों की भयंकर रूप से बिक्री हो रही है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही किस प्रकार से कर रही है जिसका क्या परिणाम रहा?

(3) उक्त सम्बन्ध में राज्य सरकार को क्या-क्या कार्यवाही करने का अधिकार है जिसका उपयोग सरकार किस सीमा तक किस प्रकार से कर रही है?

(4) क्या सरकार उक्त मामलों में कारगर कार्यवाही करने के लिए कोई कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राज्य द्वारा केन्द्रीय आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सृजित औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 1995 लागू किया गया है। सभी औषधि निरीक्षक इस आदेश के तहत नोटिफाइड है।

(2) जी, नहीं। औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा नकली औषधियों की रोकथाम हेतु एक्शन प्लान तैयार किया गया है। वर्ष 2001-2002 में अब तक 15 नकली औषधियां पकड़ी गई है।

(3) उक्त सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास केन्द्रीय अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार है, जिसका उपयोग अधिनियम के प्रावधानों में वर्णित सीमा व अधिकारों के अनुसार किया जा रहा है।

(4) जी, नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा इस बाबत् कानून बनाया हुआ है। जिसकी पालना राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

जिला पाली के चिकित्सालयों में सफाईकर्मियों की नियुक्ति

272. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की सिविल रिट पिटीशन संख्या-532 सन् 1997 के निर्णय दिनांक 16.11.2000 की पालना में पाली जिले के विभिन्न चिकित्सालयों में वार्ड ब्वाय के पद पर कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को सेवाओं पर लेने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो 6 कर्मचारियों में से दो हरिजन कर्मचारी श्री मदन लाल पुत्र श्री बंशीलाल हरिजन, श्री कानुजा व श्रीमती उसराव हरिजन, रायपुर को शैक्षणिक योग्यता पांचवीं पास नहीं होने से सेवाओं पर नहीं लिये जबकि उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में इनको नियुक्ति दी जानी चाहिए?

(2) जिला चिकित्सा अधिकारी, पाली में राज्य सरकार से क्या मार्गदर्शन चाहा था?

(3) क्या सफाई कर्मचारी की योग्यता पांचवीं पास होना आवश्यक है? यदि हां, तो कार्मिक विभाग के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त दोनों हरिजन कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में कब तक सेवाओं पर लेने के निर्देश जारी किये जा रहे हैं?

(5) उक्त विषय में माननीय स्वास्थ्य मंत्री को दिये गये ज्ञापन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जोधपुर द्वारा दिये गये निर्णय के संदर्भ में 6 याचिओं में से 4 याचिओं के नियुक्ति आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के आदेश क्रमांक : 338 दिनांक 15.5.2001 के द्वारा नियुक्ति दे दी गई, परन्तु 2 याचिओं की शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास नहीं होने के कारण गठित स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा नियुक्ति नहीं दी गई।

(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के द्वारा 2 याचिओं की नियुक्ति बाबत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शन चाहा था।

(3) जी, हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(4) माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय की अनुपालना में उक्त दोनों याचिओं को नियमित नियुक्ति देय नहीं है।

(5) माननीय स्वास्थ्य मंत्री को दिये गये ज्ञापन पर कार्यवाही करते हुए 6 याचिओं में से 4 याचिओं को नियमित नियुक्ति दे दी गई। शेष 2 याचिओं को निर्धारित शैक्षणिक योग्यतापूर्ण नहीं होने के कारण नियमित नियुक्ति दिया जाना सम्भव नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

राजकीय चिकित्सालय, फागी के चिकित्सक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

273. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय, फागी, जिला जयपुर के चिकित्सक के विरुद्ध शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? क्या उक्त शिकायतों के आधार पर सरकार ने जांच करवाई है? यदि हां, तो कब-कब? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। उक्त शिकायतों के आधार पर सरकार ने जांच करवाई है। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्राम सिरीयारी के उप केन्द्र में प्रथम श्रेणी कम्पाउण्डर की नियुक्ति

274. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में ऐसे कितने उप केन्द्र हैं जिसकी आबादी पांच हजार से अधिक हो गई है फिर भी वहां पर ए.एन.एम. ही कार्यरत हैं? क्या उक्त पर प्रथम श्रेणी कम्पाउण्डर होना आवश्यक है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(2) क्या ग्राम सिरीयारी की आबादी पांच हजार से ऊपर है? यदि हां, तो क्या सरकार वहां उप केन्द्र स्वास्थ्य खोलने अथवा प्रथम श्रेणी कम्पाउण्डर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर विधान सभा क्षेत्र खारची के सभी स्वीकृत उप केन्द्रों की जनसंख्या पांच हजार से अधिक नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) जी, नहीं। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ग्राम सिरीधारी की आबादी 3766 है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रश्न संख्या-275

(स्थगित)

राजकीय चिकित्सालय, हनुमानगढ़ में परिवार नियोजन के आपरेशन

276. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में प्रति माह कैम्प लगाकर परिवार नियोजन के आपरेशन करने के लिए क्या कोई तारीख निश्चित की हुई है? यदि हां, तो माह में कैम्प में निश्चित दिनों में 1 जनवरी, 1999 से 20 अक्टूबर, 2001 तक कितने-कितने आपरेशन किये गये? कैम्पवार व दिनवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में प्रति माह कैम्प लगाकर परिवार नियोजन के आपरेशन करने के लिये प्रत्येक माह की 20 तारीख निश्चित की हुई है। प्रत्येक माह में कैम्प के निश्चित दिनों में 1 जनवरी, 1999 से 20 अक्टूबर, 2001 तक कुल 1125 आपरेशन किये गये।

कैम्पवार संख्या सूची परिशिष्ट "क" व दिनवार संख्या सूची परशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

दवाइयों की गुणवत्ता जांच करने वाले अधिकारी

277. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दवाइयों में गुणवत्ता निर्धारण हेतु कितने व किस-किस श्रेणी के अधिकारी कार्यरत हैं तथा इनके कार्य के क्या मानदण्ड हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गत तीन वर्षों में उक्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के मुताबिक कार्य किया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना?

(श्री घासीलाल मेघवाल)

(3) क्या मानदण्ड से कम कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1. राज्य में दवाइयों की गुणवत्ता निर्धारण हेतु तीन राजकीय विश्लेषक एवं चवालीस औषधि निरीक्षक हैं जो सभी राजपत्रित श्रेणी के अधिकारी हैं।

2. केन्द्रीय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं उसके तहत सृजित नियमावली में राजकीय विश्लेषक के मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं।

3. विभाग द्वारा औषधि निरीक्षकों के कार्य के मानदण्ड गत तीन वर्षों में निम्नप्रकार निर्धारित रहे :--

(अ) वर्ष 1998-99 1) निरीक्षण-240 प्रतिवर्ष
2) नमूने-36 प्रतिवर्ष

(ब) वर्ष 1999-2000 1) निरीक्षण 240 प्रतिवर्ष
2) नमूने 32 प्रतिवर्ष

(स) वर्ष 2000-2001 1) निरीक्षण 240 प्रतिवर्ष
2) नमूने 24 प्रतिवर्ष

(2) गत तीन वर्षों में विभाग के औषधि निरीक्षकों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के मुकावले किये गये कार्य का विवरण निम्नप्रकार है :--

(अ) वर्ष 1998-99 1) निरीक्षण लक्ष्य का 104 प्रतिशत
2) नमूने लक्ष्य का 84.7 प्रतिशत

(ब) वर्ष 1999-2000
1) निरीक्षण लक्ष्य का 107.2 प्रतिशत
2) नमूने लक्ष्य का 91.4 प्रतिशत

(स) वर्ष 2000-2001
1) निरीक्षण लक्ष्य का 123.6 प्रतिशत
2) नमूने लक्ष्य का 99.3 प्रतिशत

(3) मानदण्ड से कम कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है एवं आठ अधिकारियों को चेतावनी जारी कर भविष्य में लक्ष्यानुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है।

पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर के चिकित्सक की जांच रिपोर्ट

278. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर की चिकित्सक डा. सरला भाटी के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 307/316 के तहत सदर थाना बीकानेर में अभियोग पंजीबद्ध है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में पी.बी.एम. अस्पताल के प्राचार्य द्वारा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गठित बोर्ड में अतिरिक्त कलक्टर बीकानेर द्वारा चिकित्सक को दोषी पाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि सम्भागीय आयुक्त की जांच में भी चिकित्सक को दोषी पाया गया तथा सम्भागीय आयुक्त द्वारा प्रेषित जांच सरकार के पास विचाराधीन है ?

(4) क्या सरकार उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डा. सरला भाटी नाम से न तो कोई चिकित्सक पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर में कार्यरत है और न ही कोई अभियोग स्थानीय पुलिस थाना में पंजीबद्ध है।

(2) प्रश्न ही पैदा नही होता।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

विधान सभा क्षेत्र डग के चिकित्सालयों में रिक्त पद

279. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र डग के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो किस-किस चिकित्सालय में कौन-कौन सी श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उक्त पद कब से रिक्त हैं और अब इन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र डग के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डग में कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) का एक पद रिक्त था जिस पर डा. नरेन्द्र कुमार गोयल का पदस्थापन कर दिया गया परन्तु अभी तक कार्यग्रहण नहीं किया एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पचपहाड़ में चिकित्सा अधिकारी का एक पद रिक्त है।

(2) जी, हां। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव होगा।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पचपहाड़ में चिकित्सा अधिकारी का पद दिनांक 23.1.2001 से रिक्त है। रिक्त पद को प्रश्न के भाग 2 के उत्तर के अनुसार कार्यवाही कर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के चिकित्सालयों का निरीक्षण

280. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कितने परिवारों का चयन बी.पी.एल. कार्ड हेतु किया गया है? वर्ष 1999 से सितम्बर, 2001 में कितने बी.पी.एल. कार्डधारियों को कितनी राशि की दवाइयां आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सा केन्द्रों को कितनी-कितनी राशि वर्ष 1999 से सितम्बर, 2001 तक आबंटित की गई? उक्त में से कितनी व्यय हुई तथा उक्त क्षेत्र के चिकित्सा केन्द्रों पर वर्ष 1999 से सितम्बर, 2001 तक कितने आउटडोर/इनडोर मरीज आये?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं का किन-किन चिकित्सा अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया? मय नाम, पद, दिनांक के सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त निरीक्षण में पाई गई कमियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सा केन्द्रों के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें, किस-किस प्रकार की वर्ष 1999 से सितम्बर, 2001 में सरकार को प्राप्त हुई? उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 11443 परिवारों का चयन मेडीकेयर रिलीफ कार्ड (बी.पी.एल. कार्ड) हेतु किया गया।

वर्ष 1999 से सितम्बर, 2001 तक 1221 बी.पी.एल. कार्ड धारियों को 47554 रुपये मूल्य की दवा मुफ्त वितरित की गई।

(2) बस्सी विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सा केन्द्रों को अप्रैल 1999 से सितम्बर 2001 तक का आबंटित बजट एवं व्यय विवरण निम्न प्रकार है :—

(रु. लाखों में)

वित्तीय वर्ष	बजट आबंटन	व्यय
1999-2000	216.31	214.05
2000-2001	248.30	238.90
2001-2002	179.58	124.30

आउटडोर, इनडोर मरीजों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) बस्सी विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में जिन-जिन चिकित्सा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया उनके नाम पद एवं दिनांक परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। उक्त निरीक्षण में संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

सेवाएं, जोन-जयपुर ने समय की पाबन्दी हेतु मौके पर निर्देशित किया।

(4) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं हेतु प्राप्त हुई शिकायतों का विवरण एवं की गई कार्यवाही परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में दवाइयों की आपूर्ति

281. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में वर्तमान में कितने पद वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ तथा चिकित्सा अधिकारी के रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालय में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए दवाइयां वितरण हेतु क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अप्रैल, 2000 से अगस्त, 2001 तक उक्त जिला चिकित्सालय में कितनी दवाइयां व अन्य सामग्री आई? उक्त में से कितनी वितरित की गई तथा स्टाक में कितनी दवाइयां उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में रिक्त पदों का विवरण निम्नप्रकार है :—

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	6
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	3
3.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
4.	चिकित्सा अधिकारी	2

(2) जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर मे दवा उपलब्ध कराने हेतु जो बजट रखा जाता है, उन दवाओं में से पहले बी.पी.एल. कार्डधारियों को दवा दी जाती है। इसके अलावा मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की आय का 25 प्रतिशत भाग भी उक्त मरीजों की दवाइयों पर व्यय किया जाता है।

(3) सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़ी उप खण्ड (धौलपुर) में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

282. श्री जसवंत सिंह (बाड़ी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेडिकल रिलीफ सोसायटी धौलपुर के नाम पर आर्म्स लाइसेंस धारियों से लाइसेंस प्राप्त

(श्री जसवंत सिंह)

करने पर राशि वसूल की गई है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कुल कितनी राशि उक्त माध्यम से प्राप्त हुई है?

(2) सरकार जिला धौलपुर में वर्तमान सत्र में किन-किन स्थानों पर नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल रही है और उक्त जिले में किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए किन-किन स्थानों पर नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले के बाड़ी उप-खण्ड के डांग क्षेत्र में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) वित्तीय वर्ष 2001-2002 में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु एवं नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण जिला धौलपुर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना एवं नये प्राथमिक केन्द्रों का भवन निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

(3) विभाग की वर्ष 2001-2002 की राज्य योजनान्तर्गत नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण धौलपुर जिले के बाड़ी उप-खण्ड में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना सम्भव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

तहसील लाडनूं (नागौर) की निर्माणाधीन सड़कें

283. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील लाडनूं जिला नागौर ग्राम खिंवज से खिंवज की प्याउ तक चालू वर्ष में सड़क बनाई जा रही है? यदि हां, तो कितनी लागत से कितनी लम्बाई की?

(2) क्या उक्त सड़क निर्माण का ठेका दिया गया है? यदि हां, तो किस ठेकेदार को कब तथा ठेकेदार को कब तक कार्य पूर्ण करना था और देरी के लिए क्या कोई शास्ति भी है? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या उक्त ठेकेदार द्वारा उक्त के अलावा इस वर्ष और भी सड़कें बनाई जा रही है? यदि हां, तो कौन-कौनसी कितनी-कितनी लागत की तथा कब-कब बनानी शुरू की गई और कब तक बनाई गई या बनाई जानी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त ठेकेदार द्वारा इस वर्ष बनाई गई या बनाई जा रही सड़कों के कार्य समय पर शुरू नहीं करने व समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण शास्ति लगाई गई हैं? यदि हां, तो किस-किस सड़क कार्य पर कितनी-कितनी राशि की कब-कब

(श्री हरजीराम बुरड़क)

किस-किस अधिकारी द्वारा? विवरण सड़क वार सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त ठेकेदार द्वारा गत वर्ष भी राज्य में सड़क निर्माण का कार्य किया? यदि हां, तो प्रश्न के भाग तीन और चार में चाही गई सूचना गत वर्ष की भी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। इस सड़क की कुल स्वीकृत लागत 16.76 लाख रुपये एवं लम्बाई 2 किमी. है।

(2) जी, हां। मैसर्स चन्द्रा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, तिलक नगर, बीकानेर को 22.5.2001 का दिया गया है व कार्य को 30.11.2001 तक पूर्ण करना है।

देरी के लिए कोई शास्ति नहीं है। निर्धारित समयावधि में वित्तीय लक्ष्य पूर्ति नहीं करने पर क्षतिपूर्ति आरोपित करने का प्रावधान है जो कि पूर्ण समय में पूर्ण कार्य करने पर वापस हो सकती है।

(3) जी, हां। उक्त फर्म द्वारा इस वर्ष बनाई जा रही? सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(4) जी, हां। कार्य की धीमी प्रगति के कारण अनुबंध के अनुसार सड़कवार अन्तरिम आरोपित क्षतिपूर्ति राशि क विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(5) जी, हां। उक्त ठेकेदार द्वारा गत वर्ष भी राज्य में सड़क निर्माण का कार्य किया गया। चाही गई सूचना परिशिष्ट "स" व "द" में संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नागौर जिले की प्रस्तावित सड़कें

284. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कें बनाई जा रही हैं? यदि हां, तो नागौर जिले में इस वर्ष कौन-कौन सी सड़क कितनी-कितनी लम्बाई की कितनी-कितनी राशि से बनाई जा रही है? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में अगले वर्ष में बनाई जाने वाली सड़कों की कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में इस वर्ष उक्त योजना में बनाई जाने वाली सड़कें कब तक बनानी चालू होंगी और कब तक पूर्ण होंगी तथा भारत सरकार ने इसके लिए कितनी राशि कब आबंटित की थी?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(4) अब तक इस वर्ष बनने वाली सड़कों के लिए क्या-क्या प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और क्या-क्या की जानी शेष है जो कब तक की जा सकेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। नागौर जिले में इस वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में स्वीकृत सड़कों का पंचायत समितिवार स्वीकृत सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) जिले में इस वर्ष इस योजना में 2000-2001 में स्वीकृत सभी सड़कों पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है और मार्च, 2002 तक इनका कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है तथा जिले में 2001-2002 में स्वीकृत सड़कों का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ होना प्रस्तावित है और यह कार्य अगले वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है। भारत सरकार ने अभी तक 2000-2001 में रुपये 424 लाख नागौर जिले के लिए आबंटित किये थे। वर्ष 2001-2002 में अब तक कोई राशि आबंटित नहीं की गई है।

(4) वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत सड़कों के लिए सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा सभी कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2001-2002 में स्वीकृत सड़कों के लिए निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है तथा माह दिसम्बर, 2001 तक कार्यादेश देकर कार्य प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यग्रहण

285. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण नीति निर्धारित है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आने वाले सभी कनिष्ठ अभियंताओं का स्थानान्तरण किया गया है? यदि नहीं, तो शेष रहे कनिष्ठ अभियंताओं का स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा स्थानान्तरण नीति के तहत अब तक कितने स्थानान्तरण किये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सभी स्थानान्तरित कनिष्ठ अभियंताओं ने अपना कार्यनिष्ठ स्थान ग्रहण कर लिया है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक अपनी उपस्थिति स्थानान्तरित जगह पर देंगें?

उत्तर

(1) जी, हां। निर्धारित नीति की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। स्थानान्तरण नीति के अनुरूप अभी तक सभी कनिष्ठ अभियंताओं के स्थानान्तरण नही किये गये हैं एवं इनका स्थानान्तरण अगले चरण में किया जायेगा। सूची परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा स्थानान्तरण नीति के तहत 496 कनिष्ठ अभियंताओं के स्थानान्तरण आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(4) जी, नहीं। सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा स्थानान्तरण आदेश पर स्थगन दिये जाने के कारण पद पर उपस्थिति नहीं दी है। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही कार्यभार सम्भालेंगे।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

तहसील सरवाड़ (अजमेर) के ग्रामों की सड़कों का डामरीकरण

286. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील सरवाड़ में शेरगढ़ से गोयला, सरवाड़ से लल्लाई एवं गोठियाना से जोरावरपुरा (अराई) सड़क डामरीकृत हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों को डामर की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। उक्त तीनों सड़क राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकता के कारण डामरीकृत नहीं किया जा सका है।

(2) उक्त सड़कों का डामरीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

हनुमानगढ़ जिले के सरकारी भवनों पर व्यय

287. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला हनुमानगढ़ में कुल कितने सरकारी मकान हैं जिनकी देख-रेख सरकार द्वारा की जाती है?

(2) उक्त सरकारी मकानों पर मार्च, 1999 से सितम्बर, 2001 तक कुल कितनी राशि व्यय की गई? उक्त पर किस-किस कार्य के लिए व्यय किया गया? विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ में कुल 210 सरकारी मकान हैं जिनका रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) सरकारी मकानों पर मार्च, 1999 से सितम्बर, 2001 तक व्यय राशि व किये गए कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" में वर्षवार संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बामनवास (सवाईमाधोपुर) की प्रस्तावित सड़कें

288. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सड़क संधारण परियोजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बामनवास में क्षेत्रीय विधायक से प्राथमिकतानुसार अनुशंसा मांगी थी? यदि हां, तो प्राथमिकतानुसार की गई अनुशंसा का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्राथमिकताओं को अधिशासी अभियंता गंगापुर द्वारा बदल दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियंता गंगापुर द्वारा संधारण हेतु प्रस्तावित सड़क बामनवास-मोरासागर एवं बामनवास-लिवाली रोड के स्थान पर खेड़ली बिछोच रोड एवं बौली निवाई रोड़ से पीपलवाड़ा हेतु दिनांक 5.10.2001 को मुख्य अभियंता सड़क को पत्र लिखा गया था? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि गंगापुर से सवाईमाधोपुर के किलोमीटर 13/0 से 26/0 को क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रस्तावित किया था? यदि हां, तो उसे कब तक किस योजना में स्वीकृत किया जायेगा?

(5) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर क्षेत्र में पड़ने वाली एस.एच. 24 के किलोमीटर 0/0 से 0/13 को स्वीकृत कर दिया गया है जबकि बामनवास क्षेत्र में पड़ने वाली उक्त सड़क को स्वीकृत नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) सड़क उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत क्षेत्रीय विधायक से प्राथमिकता के अनुसार अनुशंसा पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी, नहीं। केवल 7.0 किमी. खराब सड़क भाग को अधिशासी अभियंता के प्रस्तावों के तहत सम्मिलित किया गया है।

(3) जी, हां। विधायक महोदय का पत्र दिनांक 3.10.2001 मुख्य अभियंता को प्राप्त हुआ था। परन्तु उक्त पत्र में प्रस्तावित सड़कों को सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) जी, हां। उक्त प्रस्ताव को सड़क उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के द्वितीय चरण के प्रस्ताव वर्ष 2002-2003 के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया जायेगा।

(5) जी, हां। बामनवास विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के 60 किमी. लम्बाई व लगभग 150.00 लाख रुपये की राशि की सीमा से अधिक होने के कारण उक्त सड़क को स्वीकृत नहीं किया गया।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

माध्यमिक विद्यालय, मोनावास (जयपुर) के नव निर्मित भवन का डीड प्रकरण

289. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) क्या यह सही है कि दानदाता द्वारा नवनिर्मित माध्यमिक विद्यालय, मोनावास भवन (तहसील कोटपूतली जिला-जयपुर) में नियमित कक्षाएं चल रही हैं? यदि हां, तो क्या भवन राज्य सरकार को "गिफ्ट डीड" करने हेतु कलकत्ता से बार-बार बुलवाकर दानदाताओं को अनावश्यक परेशान करना उचित है? यदि नहीं, तो छह माह से बराबर चक्कर कटाने के उपरान्त भी विभाग द्वारा भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र तथा वेल्यूएशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? उक्त हेतु सक्षम अधिकारी कौन है?

(2) क्या सार्वजनिक विकास कार्यों पर लाखों रुपये खर्च करने वाले दानदाताओं को दानपात्र निष्पादन कार्य में बार-बार व्यवधान डालकर मानसिक रूप से परेशान करना उचित है? यदि नहीं, तो उक्त कब तक निपटा दिया जायेगा।

उत्तर

(1) जी, हां। भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र व वेल्यूएशन सर्टिफिकेट जारी करने हेतु विभाग में शिक्षा विभाग द्वारा या दानदाता द्वारा कोई पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त दोनों प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग सक्षम है।

(2) जी, नहीं। शिक्षा विभाग के माध्यम से पत्र प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही कर भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र तथा वेल्यूएशन सर्टिफिकेट शीघ्र उपलध करा दिये जायेगें।

विधान सभा क्षेत्र भादरा के सड़क विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालय

290. श्री संजीव कुमार बेनीवाल (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा के ऐसे कौन-कौन से ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जिनको अब तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री संजीव कुमार बेनीवाल)

(2) उक्त गांवों को सड़क से नहीं जोड़े जाने के क्या कारण हैं?

(3) अब उक्त पंचायत मुख्यालयों को सड़क से कब तक जोड़ दिया जायेगा।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में तीन पंचायत मुख्यालय अलायला, मेहराना व मुदरिया बड़ा वर्तमान में डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं।

(2) राज्य में सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के कारण उक्त गांवों को सड़क से अब तक नहीं जोड़ा जा सका।

(3) पंचायत मुख्यालय अलायला व मेहराना सम्पर्क सड़क वर्ष 2000-2001 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनाएं अन्तर्गत स्वीकृत की गई हैं। वर्ष 2001-2002 में यह पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। मुदरिया बड़ा (अनुमानित जनसंख्या 1161/2001) ग्राम पंचायत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनाएं नीति के अनुसार राशि उपलब्ध होने पर 2003 तक जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न संख्या-291

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के विद्यालयों का क्रमोन्नत

292. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र घाटोल के दस उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर एवं पांच माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार वर्ष 2002-2003 के बजट में उक्त समस्या के निदान हेतु राशि रखे जाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2001-2002 में विद्यालय क्रमोन्नति के लिए बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतः प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) वित्तीय वर्ष 2002-2003 के बजट में विद्यालय क्रमोन्नति के लिए प्रस्ताव प्रस्तावित किये जायेंगे।

तहसील कोटपूतली (जयपुर) में दानदाताओं द्वारा निर्मित विद्यालय भवन

293. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

(1) तहसील कोटपूतली (जयपुर) में दानदाता द्वारा निर्मित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का राज्य सरकार के पक्ष में "डीड एग्रीमेंट" कराने में कहां-कहां के मामले विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार ने दानपात्र निष्पादन हेतु क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये हैं? नवनिर्मित भवन की सुरक्षा प्रमाण-पत्र व मूल्यांकन प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु कौन अधिकारी सक्षम है तथा कितना शुल्क लेकर कितने समय में प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी दानदाता को जनहित के विकास कार्यों हेतु चक्कर कटाने, अनावश्यक परेशान करने को उचित समझती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार दानदाता के दानपात्र निष्पादन कार्य को सुगम सरल बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत तहसील कोटपूतली (जयपुर) के दानदाताओं के द्वारा निर्मित विद्यालय भवनों का राज्य सरकार के पक्ष में "गिफ्ट डीड एग्रीमेंट" के निम्न मामले विचाराधीन हैं :—

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुदुरपर डाडा

2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मोनावास

(2) दानपात्र निष्पादन हेतु मानदण्ड निम्नप्रकार से निर्धारित हैं :—

1. सरकार के पक्ष में दानपात्र।
2. भवन की अनुमानित लागत का सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
3. भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र (समक्ष अधिकारी से)।
4. भवन का ब्लू प्रिंट मानचित्र।
5. भवन का रजिस्ट्री सरकार के पक्ष में।
6. दानदाताओं की सहमति।
7. संस्था प्रधान की अभिशंसा।

नवनिर्मित भवन का सुरक्षा प्रमाण-पत्र व मूल्यांकन प्रमाण-पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। प्रमाण-पत्र जारी करने की सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की हुई है जिसके लिए उन्हें निर्देशित किया जा चुका है।

(3) जी, नहीं। विभाग द्वारा दानदाता के दानपात्र के निष्पादन कार्य हेतु सरल प्रक्रिया बनाई हुई है। विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होते ही दानदाता द्वारा निर्मित भवन की विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कर राज्याधीन ले लिया जाता है।

कोटा सम्भाग में कर्मियों के पक्ष में माननीय न्यायालय के निर्णय

294. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा सम्भाग में विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के मार्च, 1998 से कितने मामले विभिन्न माननीय न्यायालयों के निर्णयों की पालना नहीं करने में अवमानना के वाद विचाराधीन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निर्णयों/अवमाननावादों में किसी कर्मी ने स्टे प्राप्त किया है? यदि हां, तो किस-किस ने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा माननीय न्यायालयों के निर्णय की पालना करने हेतु अधिकारियों को परिपत्र जारी किये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त निर्णयों/अवमानना वादों की पालना कर दी गई है?

(4) क्या सरकार वर्ष 1998 से लगातार चल रहे निर्णयों/अवमानना वादों का निस्तारण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस की तथा शेष की पालना कब तक सुनिश्चित कर दी जावेगी?

(5) क्या सरकार न्यायालयों के निर्णय की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त प्रकरणों में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं उनके विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कोटा संभाग में विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन अवमानना वाद निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	अव.वा.सं./ वर्ष	उनवान	न्यायालय
1.	189/ 1999	हबीबुर्रहमान बनाम बी.एल.आर्य।	उच्च न्यायालय
2.	171/ 1999	प्रहलाद कुमार गुप्ता बनाम परमेश चन्द एवं अन्य।	अपील अधिकरण

(2) जी, नहीं। उक्त अवमानना वादों में किसी कर्मी ने वर्तमान में स्थगन प्राप्त नहीं किया है।

(3) जी, हां। प्रश्न के भाग संख्या-1 में उल्लेखित क्रम संख्या-1 की पालना कर श्री हबीबुर्रहमान को दिनांक 16.11.1988 से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत प्रदत्त की जा चुकी है। परिणामिक लाभ के रूप में भुगतान हेतु विभागाध्यक्ष को पाबन्द किया गया है। प्रश्न के भाग संख्या-1 में उल्लेखित क्रम संख्या-2 की पालना की जा चुकी है। ब्याज के भुगतान के लिए भी विभागाध्यक्ष को पाबन्द किया गया है।

(4) जी, हां। पालना के लिए प्रश्न के भाग संख्या-3 के अनुसार पालना हेतु निर्देश जारी कर दिये हैं।

(5) जी, हां। माननीय न्यायालय के निर्णयों की पालना निर्धारित प्रक्रियानुसार

(शिक्षा मंत्री)

समय पर नहीं किये जाने हेतु दोषी पाये जाने पर दायित्व निर्धारित कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। उक्त प्रकरण में जांच उपरान्त कोई दोषी पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शीघ्र अमल में लाई जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र भादरा के विद्यालयों में रिक्त पद

295. **श्री संजीव कुमार बेनीवाल** (भादरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में कई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के कई पद काफी समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से विद्यालयों में और कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों/अध्यापकों/कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को आदेश दिनांक : 31.10.2001 के द्वारा तदर्थ पदोन्नति से भर दिया गया है। व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा साथ ही रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु गैस्ट फैक्ल्टी योजना के तहत व्याख्याताओं को मानदेय पर लगाने की व्यवस्था की जा चुकी है। वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है। अंतिम निर्णयानुसार ही कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। शेष पदों को लगा हुआ प्रतिबंध हटाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव होगा।

(विवरण के लिए कृपया परशिष्ट-12 देखें)

उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), जयपुर के विरुद्ध कार्यवाही

296. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तत्कालीन उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), जयपुर ने वर्ष 1998 में सम्बन्धित लिपिक एवं प्रति नियुक्ति लिपिक से मिलकर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्ति में आरक्षित वर्ग के आशार्थियों को आरक्षण के नियमानुसार नियुक्तियां नही दी हैं। क्या

(श्री रमेश खींची)

उक्त अनियमितता की जाचं वर्ष 1999 से की जा रही है? क्या तत्कालीन उप निदेशक का पदस्थापन निदेशालय बीकानेर में होने के कारण वे अपने प्रभाव का उपयोग कर उक्त जांच में देरी कर रहे हैं। क्या सरकार, दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या मूक बधिर संस्थान, जयपुर के पूर्व लिपिक श्री आत्माराम ने वर्ष 1996 में सरकारी रेकार्ड में हेराफेरी कर राजकीय राशि का दुरुपयोग किया है? यदि हां, तो क्या उक्त सम्बन्ध में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है? यदि दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या विभाग में तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए सैकण्डरी कक्षा में अंग्रेजी एवं गणित विषय का होना आवयश्क है? यदि हां, तो भरतपुर जिले में श्रीमती मिथलेश कुमारी को उक्त विषय नहीं होने के बाद भी अध्यापक पद पर नियुक्ति किन नियमों के तहत दी गई है? क्या निदेशालय द्वारा उक्त नियुक्ति को निरस्त करने के निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में निदेशालय बीकानेर द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रकरण की जांच विचाराधीन है। तत्कालीन उप निदेशक का पदस्थापन निदेशालय, बीकानेर में होने के कारण वे अपने प्रभाव का उपयोग उक्त जांच में देरी करने में नही कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जानी सम्भव हो सकेगी।

(2) जी नहीं, मूक बधिर संस्थान जयपुर के पूर्व लिपिक श्री आत्माराम ने वर्ष 1996 में सरकारी रेकार्ड में हेराफेरी कर राजकीय, राजकीय राशि का दुरुपयोग नहीं किया।

(3) तृतीय वेतन श्रृंखला के पद पर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 में उल्लेखित योग्यता एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। श्रीमती मिथलेश कुमारी को निदेशालय के पत्र क्रमांक : शिविरा/संस्था/एफ-6/12719/94, दिनांक : 4.7.96 के आदेशों की पालना में नियुक्ति प्रदान की गई। श्रीमती मिथलेश कुमारी को दी गई नियुक्ति जांच निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर के द्वारा उप निदेशक (प्रा.शिक्षा) जयपुर से करवाई जा रही है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर तथा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा नियुक्ति निरस्त करने का कोई आदेश नही दिया गया है।

तकनीकी पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन

297. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में तकनीकी विभाग में अभियंताओं, तकनीकी पदों एवं प्री इंजीनियरिंग टेस्ट ट्रेनिंग के चयन में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू है? यदि हां, तो कब एवं कितने-कितने प्रतिशत?

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण होने के प्रावधान से वर्षवार चयनित व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, जाति, स्थाई पता, पद नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निदेशालय प्रावैधिक शिक्षा तथा स्वायत्तशासी (राज्य सरकार से अनुदानित) इंजीनियरिंग महाविद्यालय आते हैं।

निदेशालय प्रावैधिक शिक्षा राजस्थान के अन्तर्गत संचालित पालीटेक्नीक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्तियों हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28.9.1993 से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था लागू है।

स्वायत्तशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तथा विश्वविद्यालयों के संकाय के रूप में संचालित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में नियुक्तियों हेतु आरक्षण व्यवस्था उनकी शासी परिषद्/सीनेट में लिये गये निर्णयों के अनुरूप निम्नानुसार लागू की गई है :—

1. मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जयपुर (केन्द्र एवं राज्य सरकार से अनुदानित) में दिनांक 24.9.1997 से केवल अशैक्षणिक संवर्ग के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग के लिए लागू किया गया है।
2. कालेज आफ टेक्नोलाजी एण्ड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उदयपुर (महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय का संकाय) में वर्ष 1995 से अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है।
3. एम.बी.एम. इंजीनियरिंग काल्ेज, जोधपुर (जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का संकाय) में दिनांक 25.11.1997 से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है।
4. अभियांत्रिकी महाविद्यालय कोटा में दिनांक 28.9.1993 से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण लागू है।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

5. अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में स्थापना वर्ष 1997 तथा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर में स्थापना वर्ष 2000 से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण लागू है।

6. एम.एल.वी. टैक्सटाइल इंस्टीट्यूट, भीलवाड़ा में दिनांक 28.9.1993 से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण लागू है।

अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा (राजस्थान प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट) के माध्यम से प्रवेश दिये जाते हैं। प्रवेश हेतु भी वर्ष 1999-2000 से अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण लागू है। पालीटैक्नीक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी वर्ष 1999-2000 से अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण लागू है।

(2) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर के अन्तर्गत नियुक्तियों की सूचना परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध हैं। अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अन्य पिछड़े वर्ग की नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट "ख" पर संलग्न की जा रही है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला नागौर के उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज शिकायतों का निराकरण

298. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं और कृषि उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी की शिकायतें करने की सुविधा है? यदि हां, तो वे अपनी शिकायतें कहां पर कर सकते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसी अनेक शिकायतें जिला नागौर के ग्रामीण और कृषि उपभोक्ताओं द्वारा कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता के कार्यालयों मे दर्ज करवाई गई है? यदि हां, तो जनवरी, 2001 से अगस्त, 2001 तक ऐसी कितनी शिकायतें विभिन्न कार्यालयों में दर्ज करवाई गई? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं और कृषि उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी की शिकायत करने की सुविधा प्रत्येक सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता व 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों पर उपलब्ध है। उपभोक्ता अधिशासी अभियंता व वृत कार्यालय में भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह की 10 तारीख को सहायक अभियंता कार्यालय व 20

(ऊर्जा मंत्री)

तारीख को वृत कार्यालय में समस्या समाधान शिविर लगाये जाते हैं। इसमें भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

(2) जी, हां। नागौर जिले में जनवरी, 2001 से अगस्त 2001 तक कुल 5111 शिकायतें विभिन्न उप खण्डों में दर्ज हुई, जिनका उप खण्डवार विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

इटावा (कोटा) के लम्बित कृषि कनैक्शन

299. श्री रामगोपाल बेरवा (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सब डिवीजन इटावा जिला कोटा में विभिन्न वर्गों के कृषि कनेक्शन के आवेदन लम्बे समय से लम्बित चल रहे हैं? यदि हां, तो कब-कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लम्बित आवेदन पत्रों को मद्दे नजर रखते हुए विशेष कृषि कनेक्शन योजना को शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला कोटा में जयपुर विद्युत वितरण निगम से उप खण्ड इटावा में कृषि कनेक्शन हेतु वर्ष 1995-96 से वर्ष 2000-2001 तक कुल 180 आवेदन पत्र लम्बित हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	सामान्य	अनु.ज. जाति	अनु. जाति	योग
1995-96	—	1	—	1
1996-97	2	2	—	4
1997-98	1	3	—	4
1998-99	19	33	—	52
1999-00	28	23	18	69
2000-01	16	31	3	50
योग	**66**	**93**	**21**	**180**

(2) जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा विशेष कृषि कनेक्शन योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तहसील रायपुर (पाली) में बाबा रामदेव मेला कमेटी द्वारा दर्ज प्रकरण

300. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के गठन होने के बाद पाली जिले के किस-किस राजस्व गांव के काश्तकारों, उपभोक्ताओं, उद्योगों में बिजली के अनधिकृत उपयोग (चोरी) के मामले पकड़े तथा उनसे कितनी-कितनी राशि दण्डनीय वसूल की गई है? सूची सहित मय

(श्री हीरासिंह चौहान)

उपभोक्ताओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निगम के गठन के पूर्व में उक्त अवधि में इस प्रकार के पकड़े गये मामलों की राशि कितने गुणा अधिक है? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पुलिस स्टेशन रायपुर में विद्युत विभाग द्वारा साजिश कर दिनांक 28.8.2001 से 30.8.2001 तक रायपुर तहसील के प्रसिद्ध बाबा रामदेव बाबा के मेले के आयोजन पर विद्युत विभाग के सब-स्टेशन बर के कनिष्ठ अभियंता द्वारा अनधिकृत बिजली मन्दिर में लेने का 1 लाख 27 हजार का गलत नोटिस भेजने पर मेला कमेटी द्वारा मुकदमा दायर किया गया है? यदि हां, तो ऐसे कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध निगम क्या कार्यवाही कर रहा है?

(4) क्या विद्युत वितरण निगम जोधपुर के अध्यक्ष व पाली जिला के अधिकारीगण ने इस गम्भीर विषय की जांच की है?

उत्तर

(1) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के गठन के बाद पाली वृत के अधीन जिला पाली में विभिन्न राजस्व गांवों में श्रेणीवार अनधिकृत उपयोग (चोरी) के पकड़े गये मामले तथा उनसे वसूल की गई, दण्डनीय राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त निगम के गठन के पूर्व दिनांक 19.07.1999 से 18.07.2000 की अविध में 488 मामले-पकड़े गये थे उनके विरुद्ध 18.23 लाख का राजस्व निर्धारण कर 17.94 लाख रुपये की राशि वसूली गई थी। निगम के गठन के पश्चात् दिनांक 19.07.2000 से 18.07.2001 की अवधि में 643 मामले पकड़े गये हैं तथा उनके विरुद्ध 29.17 लाख रुपये का राजस्व निर्धारण किया गया जिसमें से 26.91 लाख रुपये की राशि वसूली गई है। निगम गठन के पश्चात् पूर्व की तुलना में उपभोक्ताओं में 31 प्रतिशत एवं राजस्व निर्धारण में 52 प्रतिशत तथा वसूल की गई राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो उपरोक्त परिशिष्ट 'अ' में दर्शा दी गई है।

(3) रायपुर तहसील में दिनांक 28.08.2001 से 30.08.2001 तक आयोजित रामदेव जी के मेले में विद्युत चोरी का मामला कनिष्ठ अभियंता, बर द्वारा पकड़ा गया था तथा बिजली चोरी करने के कारण 1.27 लाख रुपये जुर्माना राशि तय की गयी थी। मेला कमेटी द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करवाने पर मेला कमेटी व ठेकेदार के विरुद्ध पुलिस स्टेशन, रायपुर मे एफ.आई.आर. नं. 180/2001 दिनांक 19.10.2001 दर्ज करवाई गई है। मेला कमेटी ने उपरोक्त मामले को विद्युत विभाग की साजिश मानते हुए एक मुकदमा संख्या-174 दिनांक 10.10.2001 को दायर किया। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

(ऊर्जा मंत्री)

कनिष्ठ अभियन्ता, बर ने अपना कर्तव्य पालन करते हुए चोरी पकड़ी है, अतः कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) उपरोक्त मामले में नियमानुसार कार्यवाही की गई है अतः प्रथम दृष्टया मामले की जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जिला जैसलमेर में निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन

301. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में दस मेगावाट से अधिक वायु से विद्युत उत्पादन की ईकाइयां कार्यरत हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदूषण रहित ये ईकाइयां प्रकृति की देन है?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी?

(4) क्या निजी क्षेत्र में "विंड मिल" लगाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं?

(5) क्या सरकार निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु अन्तरराष्ट्रीय बैंकों से "विंड मिल" प्रोत्साहन हेतु ऋण दिये जाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्तमान में निम्नलिखित पवन ऊर्जा ईकाइयां जैसलमेर में कार्यरत हैं :—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1.	2 मेगावाट प्रदर्शन परियोजना	2.00
2.	मैसर्स कालानी इंड. लिमिटेड	2.76
3.	मैसर्स आरएसएमएमएल	4.90
4.	मैसर्स सुजलोन एनर्जी लिमिटेड	2.10
	कुल मेगावाट	**11.76**

(2) जी, हां।

(3) जी, हां।

(4) जी, हां। इनमें मुख्य हैं :—

अ. मैसर्स मुनोथ एनर्जी विंड फार्म, जयपुर —25 मेगावाट

ब. मैसर्स कालानी इंड. लि., इंदौर —25 मेगावाट

स. मैसर्स एनरकोन इंडिया लि., मुम्बई —25 मेगावाट

द. मैसर्स सुजलोन एनर्जी लि. अहमदाबाद —25 मेगाावट

य. मैसर्स वेस्टास आर. आर.बी. चैन्नई —25 मेगावाट

(5) जी, नहीं। अन्तरराष्ट्रीय बैंक देश की मात्र एक ही संस्था को इस प्रकार के ऋणों के लिए अधिकृत मानती है और वह

(ऊर्जा मंत्री)

संस्था भारत सरकार के गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अन्तर्गत इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी है। अन्तरराष्ट्रीय बैंक इसी के माध्यम से देश में विंड मिल परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विंड फार्म विकास कोष अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के अभाव में नहीं बन सका जिसके द्वारा यह ऋण उपलब्ध कराया जाना था। इसलिए राज्य सरकार विंड मिल प्रोत्साहन के लिए ऋण उपलब्ध कराने में असमर्थ है।

अजमेर विद्युत वितरण निगम का आय/व्यय

302. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सितम्बर, 2001 के अन्त तक कितना लाभ/घाटा रहा ?

(2) क्या यह सही है कि निगम को घाटा रहा है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण रहे तथा सुधार हेतु क्या कार्यक्रम हाथ में लिया गया ?

उत्तर

(1) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का गठन 19 जुलाई, 2000 को हुआ था। प्रारम्भिक सम्पत्तियां व दायित्व अभी राज्य सरकार से मिलना बाकी है जिसके बाद ही लेखे तैयार होंगे और वास्तविक घाटा ज्ञात हो सकेगा। दिनांक 19.7.2000 से 31.3.2001 तक का सम्भावित घाटा 296.62 करोड़ रुपये है।

(2) जी, हां। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को घाटा होने के मुख्य कारण बिजली की छीजत, किसानों को वास्तविक व्यय से बहुत कम कीमत पर बिजली देने, बंद/खराब मीटर तथा फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं द्वारा टैरिफ दर से अधिक बिजली का उपयोग आदि है। इसके सुधार हेतु अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में इस वर्ष 55 नयी 33/11 के.वी. उप चौकियां बनाना प्रस्तावित है, जिसमें से 17 नयी उप चौकियां माह सितम्बर, 2001 तक बनायी जा चुकी है तथा 2 उप चौकियों में क्षमता वृद्धि की गई है। कृषि फ्लैट रेट उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाये जा रहे हैं जो नियामक आयोग के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र में माह मार्च 2002 तक तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में तीन साल से लगाने के हिसाब से कार्यवाही जारी है। बिजली चोरी को रोकने हेतु सतर्कता विंग को मजबूत किया जा रहा है। बंद व खराब पड़े मीटरों को बदलने की कार्यवाही की जा रही है।

जिला झुंझुनूं में रिक्त पदों पर नियुक्ति

303. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुंझुनूं के विभिन्न सहायक अभियंता क्षेत्रों/सर्किलों में कितने-कितने

(श्री शिवनाथ सिंह)

अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं तथा विभिन्न श्रेणी में कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध में अधिकारी/कर्मचारी कम होने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि कमी के कारण उपभोक्ताओं को उचित तरीके से विद्युत सप्लाई करने/लाइनों के उचित रख-रखाव/ट्रांसफारमर आदि जलने या खराब होने की स्थति में अविलम्ब राहत पहुंचाने के कार्य में बाधा आ रही है? यदि हां, तो उक्त कमी को दूर करने की दिशा में क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला झुंझुंनूं अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियन्ता (प.व.स.) के क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों एवं स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1980 से कनिष्ठ अभियंता/एस.बी.ए. आदि के पदों के अलावा अन्य मंत्रालयिक, तकनीकी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती पर रोक लगी हुई है। अतः वर्ष 1980 के बाद सेवा निवृत कर्मचारियों एवं स्वैच्छिक सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों के रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के कारण कार्यरत कर्मचारी कम हुये है। कनिष्ठ अभियंताओं की पदोन्नति होने से भी कनिष्ठ अभियंताओं की कमी हुई हे।

(3) जी, नहीं। जिला झुंझुंनूं क्षेत्र में जो पद स्वीकृत है वह वर्ष 1969 में तत्कालीन विद्युत मण्डल द्वारा स्वीकृत किये गये थे। वर्तमान में यह पद व्यवहारिक नहीं रह गये हैं। उस समय सभी कार्य विभागीय कर्मचारियों द्वारा किये जाते थे परन्तु अब कई कार्य जैसे बिल वितरण, बिल संग्रहण, लाइनों का रख-रखाव व नई लाईनों का कार्य ठेके पर करवाया जा रहा है। बिल बनाने का कार्य भी कम्प्यूटर से निजी फर्मों द्वारा किया जा रहा है। अब पदों की समीक्षा की जा रही है और निगम व उपभोक्ताओं के हित में आवश्यक होंगे, उन पदों को निर्धारित किये जाने के प्रयास किये जावेंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

विद्युत मण्डल के विघटन का प्रभाव

304. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत मण्डल के विभाजन से ऊर्जा क्षेत्र में क्या सुधार हुए हैं?

(2) मण्डल के एकीकृत पारेषण एवं वितरण हानि कितनी प्रतिशत थी व अब विभिन्न कम्पनियों की कितनी है?

(3) मण्डल का प्रशासनिक खर्च कितना था एवं अब पांच कम्पनियों का कितना है व उक्त वृद्धि के क्या कारण रहे हैं?

(4) मण्डल के विभाजन के समय लघु, मध्यम व वृहद् उद्योगों, कृषि, अघरेलू व

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

घरेलू उपभोक्ताओं की कितनी बकाया थी व अब कितनी है और वृद्धि के क्या कारण हैं?

(5) राज्य में नगरपालिकाओं व परिषदों, निगमों के विरुद्ध बकाया की क्या स्थिति है एवं जहां कनेक्शन कटे हैं उनके बार में सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) विद्युत सुधार कार्यक्रम का उद्धेश्य सुदृढ़ व्यवसायिक सिद्धान्तों के आधार पर विद्युत क्षेत्र की कार्यशीलता को नियमित करने एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए नियामक आयोग का गठन करने, विद्युत का उत्पादन, पारेषण, वितरण और प्रदाय का सुव्यवस्थीकरण द्वारा विद्युत उद्योग की पुनर्संरचना तथा मितव्ययतापूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक रीति से विकास और प्रवन्ध करना है।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का गठन जनवरी, 2000 में हो गया है तथा आयोग द्वारा प्रसारण निगम को विद्युत प्रसारण एवं थोक विद्युत प्रदाय के लिए तथा वितरण कम्पनियों का वितरण विद्युत प्रदाय के लिए लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं। साथ ही उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए तथा पारदर्शिता को अपनाते हुए विद्युत दरों का निर्धारण मार्च, 2001 में कर दिया है।

विद्युत मण्डल का नई कम्पनियों में पुनर्गठन हो जाने के उपरान्त पांचों कम्पनियां सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं तथा गुणवत्ता में सुधार एवं छीजत में कमी करने का प्रयास कर रही है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहयोग जारी है और कई क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है। विश्व बैंक से 180 मिलियन डालर की ऋण सहायता स्वीकृत हो गई है। तंत्र सुधार के कार्यों में गति आई है। जिसका विवरण निम्नप्रकार है :—

1. पारेषण व वितरण हानियों में कमी लाई गई है।
2. बकाया राशि वसूली अभियान चला कर बाकया राशियों में कमी लाई गई है।
3. सतर्कता दल को मजबूत कर अधिक चोरी के मामले पकड़े जा रहे हैं एवं राजस्व में वृद्धि की जा रही है।
4. उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए एक 'एक कम्प्लेन्ट हैन्डलिंग प्रोसीजर' बनाया गया है। जिसमें प्रत्येक स्तर पर शिकायत निवारण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।
5. कम्पनी बनने के पश्चात् मीटरिंग व्यवस्था में तेजी से सुधार किये गये हैं। उपभोक्ताओं के खराब एवं बन्द पड़े मीटरों को बदला जा रहा है तथा कोई भी कनेक्शन बिना मीटर के जारी नहीं किया जा रहा हए। इनके अतिरिक्त 11 के.वी. फीडरों पर

(ऊर्जा मंत्री)

मीटरिंग व्यवस्था की जा रही है जिससे कि ऊर्जा का अंकेक्षण किया जा सके।

6. सघन रख-रखाव (क्रैश मेंटीनेंस) कार्यक्रम चलाकर ढीले तारों की खिंचाई, रोड़, क्रासिंग पर गार्डिंग कार्य, स्टे सैट लगाना, नीचे रखे ट्रांसफार्मरों को 2.4 मीटर की ऊंचाई पर रखकर उपभोक्ता सेवा व दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास किये गये हैं।

7. अन्य उपलब्धियां :— वर्ष 2000-2001 में कुल 4562 करोड़ रुपये की आय हुई जो पिछले वर्ष के मुकाबले में 619 करोड़ रुपये अधिक है। जिसके फलस्वरूप घाटे में कमी आई है जो कि पहले निरन्तर बढ़ता जा रहा था। वर्ष 2000-2001 में प्रसारण एवं वितरण तंत्र में विद्युत छीजत में लगभग 2.23 प्रतिशत की कमी आई है जिसे मार्च, 2002 तक 5.4 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

(2) मण्डल के एकीकृत समय में फ्लैट रेट उपभोक्ताओं के उपयोग का अनुमान बिलों में प्राप्त राजस्व के अनुसार करने से हानियां 38.55 प्रतिशत गणना की गई। प्रसारण कम्पनी की पारेषण हानि विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा 5.88 प्रतिशत मानी गई है तथा वर्ष 2000-2001 में अजमेर, जोधपुर व जयपुर वितरण कम्पनियों में छीजत क्रमशः 34.74, 37.26 तथा 38.79 प्रतिशत है।

(3) वर्ष 1999-2000 में तथा 1.4.2000 से 19.7.2000 तक विद्युत मण्डल का सकल प्रशासनिक खर्च क्रमशः 680.75 करोड़ तथा 209.77 करोड़ रुपये था। 20.7.2000 से 31.3.2001 तक उत्पादन निगम, प्रसारण निगम, जयपुर विद्युत वितरण निगम, अजमेर विद्युत वितरण निगम तथा जोधपुर, विद्युत वितरण निगम का खर्च क्रमशः 42.75, 134.72, 149.75, 156.23 तथा 82.82 करोड़ रुपये है। व्यय में वृद्धि महंगाई व अन्य भत्तों में बढ़ोतरी के कारण हुई है।

(4) विद्युत मण्डल के विभाजन के पूर्व एवं गठन के पश्चात् मार्च, 2001 में बकाया राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। अधिकांश श्रेणियों में बकाया राशि में कमी आई है। कृषि क्षेत्र में अकाल के कारण कुछ वृद्धि हुई है।

(5) सभी विद्युत निगमों के क्षेत्रों में नगरपालिकाओं, नगर परिषदों में राशि बकाया चल रही है। जिनको वसूल करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। बकाया राशि का निगमवार विवरण निम्नप्रकार है :—

(ऊर्जा मंत्री)

1. अजमेर निगम – 790.55 लाख रुपये
2. जोधपुर निगम – 1996.13 लाख रुपये
3. जयपुर निगम निगम– 3523.14 लाख रुपये

कटे हुए कनेक्शनों को पूरी बकाया राशि या आंशिक तथा भविष्य में जमा करवाने की व्यवस्था होने पर जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

तहसील बस्सी (जयपुर) के लम्बित विद्युत कनेक्शन

305. **श्री सुरेन्द्र जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर की बस्सी तहसील में कृषि एवं घरेलू कनेक्शनों सम्बन्धी लाईन शिफ्टिंग के कितने प्रकरण कब से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बांसखोह-भूड़ला फीडर के अन्तर्गत श्री मूलचन्द पुत्र श्री जयनारायण रोजवाड़ी के कुएं पर से खेंची गई 11 के.वी. लाईन की शिफ्टिंग राशि जमा है? यदि हां, तो लाइन अव तक क्यों नहीं हटाई गई?

(3) उक्त तहसील के किस-किस ग्राम के किसानों ने कृषि कनेक्शन हेतु कब से मांग-पत्र की राशि जमा करा रखी है और उन्हें कनेक्शन नहीं दिया है तथा ऐसे कितने प्रकरण है जिन्हें कनेक्शन तो दे दिया लेकिन अब तक लाइन नहीं खींची गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जयपुर की बस्सी तहसील में कृषि श्रेणी में 32 शिफ्टिंग के एवं घरेलू श्रेणी के 11 मामले लम्बित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। बांसखों-भूड़ला फीडर के अन्तर्गत श्री मूलचन्द पुत्र श्री जय नारायण ग्राम रोजवाड़ी के कुएं पर जा रही 11 के.वी. लाइन के शिफ्टिंग हेतु 3195/- रुपये की राशि दिनांक 31.3.2001 को जमा करवाई थी। उक्त लाईन दिनांक 31.10.2001 को शिफ्ट की जा चुकी है।

(3) बस्सी तहसील के विभिन्न ग्रामों में 128 आवेदकों की कृषि कनेक्शन हेतु मांग-पत्र की राशि जमा है, परन्तु अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। उक्त में से 50 कनेक्शन डीम्ड प्रणाली द्वारा दिये गये हैं परन्तु लाइन का कार्य किया जाना शेष है। उपरोक्त में से 52 प्रकरण ऐसे हैं, जिनकी लाइन का कार्य विवाद के कारण पूर्ण नहीं हो सका है। आवेदकवार विवरण परिशिष्ट 'ब' में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

उपभोक्ताओं के मकानों के बाहर लगाये जा रहे मीटरों की सुरक्षा

306. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जो नये विद्युत मीटर लगाये जा रहे हैं वे आम उपभोक्ताओं के घरों के बाहर लगाये जा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त की सुरक्षा के क्या इन्तजाम किये जा रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि जो नये मीटर लगाये व बदले जा रहे हैं, उनकी वजह से ज्यादा बिल आ रहे हैं? यदि हां, तो पुराने मीटर ठीक थे या नये मीटर ठीक हैं?

(3) उक्त नये मीटर लगाने की क्यों आवश्यकता महसूस की गई तथा किस कम्पनी से मीटर लिये जा रहे हैं और अब तक किस कम्पनी के कितने मीटर लगाये जा चुके हैं?

उत्तर

(1) जी, नहीं। मीटर घरों के बिलकुल बाहर नहीं लगाये जा रहे हैं, नियमों के अनुसार मीटर पठन में निगम के कर्मचारियों तथा ग्राहक दोनों को असुविधा न हो इस प्रकार लगाये जाते हैं। मीटर यथासम्भव घरेलू उपभोक्ताओं के अहाते में लगाये जाते हैं, कृषि उपभोक्ताओं के कुएं पर जो भी स्थिति होती है उसके अनुरूप तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं के मुख्य द्वार के निकट लगाया जाता है। मीटर की सुरक्षा के लिए मीटर बाक्स आवश्यक रूप से लगाया जाता है।

(2) जी, नहीं। विद्युत खपत के अनुसार ही मीटर रीडिंग देता है और उसके अनुसार ही बिल बनाये जाते हैं। पुराने मीटर के मुकाबले नये मीटर ज्यादा संवेदनशील हैं व नये मीटरों में घिसने वाले पूर्जे नहीं हैं, अतः खराब होने की सम्भावना कम है।

(3) पुराने मीटर इलैक्ट्रोमैकेनिक पद्धति पर कार्य करते थे और उसमें कुछ पुर्जे अक्सर जल्दी-जल्दी खराब हो जाते थे जिससे मीटर द्वारा दी जाने वाली रीडिंग कम या ज्यादा हो सकती थी। अतः नई प्रौद्योगिकी के स्टेटिक मीटर लगाने की आवश्यकता महसूस की गई। अजमेर, जोधपुर एवं जयपुर विद्युत वितरण निगमों द्वारा जिन फर्मों से मीटर खरीदे जा रहे हैं उनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर सदन के पटल पर रख दी गई है। इन फर्मों से प्राप्त होने वाले मीटरों को ही लगाया जा रहा है। निगमवार लगाये गये मीटरों का विवरण निम्नप्रकार है :—

1. जयपुर डिस्काम — 143294
2. जोधपुर डिस्काम — 107633
3. अजमेर डिस्काम — 166250

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

जिला सिरोही के प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

307. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सिरोही के अरण्वाड़ा में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है और अब इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

(2) सिरोही में 400 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है और अब इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जोयगा ?

(3) क्या यह सही है कि कालन्द्री में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना के प्रस्ताव का परीक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला सिरोही के अरण्वाड़ा (पोसालिया) में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) सिरोही में 400 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) कालन्द्री में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बौंली (सवाईमाधोपुर) में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

308. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कार्यालय ऊर्जा, उद्योग, राजकीय उपक्रम एवं सैनिक कल्याण मंत्री के पत्रांक 1229 दिनांक 11.6.2001 द्वारा अधीक्षण अभियंता (प.व.स.) जयपुर विद्युत वितरण निगम सवाई माधोपुर को पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बौंली में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाने का विचार रखती है जो कि तकनीकी रूप से उपयुक्त एवं अपेक्षित है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। ऊर्जा, उद्योग, राजकीय उपक्रम एवं सैनिक कल्याण कार्यालय से पत्र संख्या-1229 दिनांक 11.06.2001 पत्र अधीक्षण अभियंता (प.व.स.) सवाईमाधोपुर को प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर सदन के पटल पर रख दी गई है। इस पत्र में ग्राम नागरहेड़ा में 33 के.वी. सब स्टेशन की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई थी। ग्राम नागरहेड़ा में 33 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति दिनांक 01.02.2000 को जारी की गई थी तथा इसको वर्ष 2001-2002 के फेज प्रोग्राम में

(ऊर्जा मंत्री)

निर्माण हेतु सम्मिलित किया गया है। सहायक अभियंता गंगापुरसिटी ने अपने पत्र क्रमांक 5927 दिनांक 19.02.2001 एवं 475 दिनांक 18.05.2001 के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत खेड़ली को पिपलाई मंडावरी रोड पर भूमि आबंटन हेतु लिखा है परन्तु अभी तक भूमि का आबंटन नहीं हुआ है। भूमि उपलब्ध होने पर कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

(2) बौंली में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) में विद्युतीकरण

309. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डग के मजरे, ढाणी एवं वीरान राजस्व गांवों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, हां। विधान सभा क्षेत्र डग के विद्युतीकृत ग्रामों के मजरे, ढाणियों में कनेक्शन की मांग होने पर नियमानुसार विद्युत तंत्र का विस्तार कर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान पूर्व में ही किया हुआ है। इसी प्रकार विद्युतीकृत घोषित वीरान राजस्व ग्रामों में कनेक्शनों की मांग होने पर नियमानुसार विद्युत तंत्र का विस्तार कर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान भी किया हुआ है।

विद्युत वितरण निगमों मे कार्यरत कर्मियों के पद नाम एवं वेतन

310. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्तमान में विद्युत वितरण कम्पनियों में कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने का कोई मानदण्ड है? यदि हां, तो इसके अनुसार किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद होने चाहिये तथा उनके विरुद्ध कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और रिक्त पदों को भरने की क्या योजना है?

(2) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल के समय से ही कई कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार मीटर रीडर/ वाहन चालक/विधि/कार्मिक शाखाओं में नियोजित किया गया? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारी कब से नियोजित हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रश्न संख्या दो में वर्णित कर्मचारियों को अभी तक सही पदनाम तथा वेतन श्रृंखला नही दी गई है? क्या सरकार उन्हें मूल पद पर वापस लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो उन्हें सही पदनाम तथा वेतन श्रृंखला क्यों नहीं दी गई?

उत्तर

(1) जी, नहीं। विद्युत वितरण निगमों में कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने का अभी अपना कोई मानदण्ड नहीं है। उल्लेखनीय है कि पूर्व विद्युत मण्डल में वर्ष 1969 में कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने सम्बन्धी मानदण्ड बनाये गये थे, जिन्हें व्यवहारिक न होने के कारण लागू नहीं किया गया और केवल कार्य की आवश्यकतानुसार ही पदों का सृजन किया गया।

(2) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि विद्युत मण्डल के समय से ही कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार मीटर रीडर/वाहन चालक/विधि/कार्मिक शाखा मे नियोजित किया गया, परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्व विद्युत मण्डल के पूर्णकालिक सदस्यों की दिनांक 21/22.04.1997 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि चतुर्थ श्रेणी/सहायक संवर्ग के सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी इच्छुक कर्मचारियों को चयनोपरान्त 50 रुपये प्रतिमाह के विशेष भत्ते पर मीटर-पठन के कार्य पर आवश्यकतानुसार लगाया जा सकता है। इसी प्रकार दिनांक 24.12.1996 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चतुर्थ श्रेणी/सहायक संवर्ग के ऐसे कर्मचारी जिनके पास वाहन चालक का लाइसेंस कार्य हेतु इच्छुक हो, को चयनोपरांत नियमित वाहन चालक की अनुपस्थिति में वाहन चालक के कार्य पर लगाया जा सकता है साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे कर्मचारियों को वाहन चालन के कार्य के लिए उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत अथवा रुपये 250 (जो भी कम हो) विशेष भत्ते के रूप में प्रतिमाह देय होगा।

इसी प्रकार मण्डल के पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा वर्ष 1995 में यह निर्णय लिया गया कि विधि स्नात्तक योग्यता तथा श्रम कानूनों में उपाधिधारी कर्मचारियों को उनकी रुचि के अनुसार विधि तथा कार्मिक शाखा/क्षेत्र में कार्य करने हेतु पदस्थापित किया जा सकता है, जिसके लिये उन्हें मूल वेतन का 10 प्रतिशत अथवा रुपये 250 (जो भी कम हो) प्रतिमाह विशेष भत्ते के रूप में देय होगा।

(3) जी, नहीं। उपरोक्त प्रश्न संख्या-2 के उत्तर में वर्णित कर्मचारियों को उनकी रुचि के अनुसार ही मीटर पठन, वाहन चालन, विधि व कार्मिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु बिना उनका मूल पदनाम बदले लगाया गया है एवं इस प्रकार कार्य करने हेतु, उन्हें निर्धारित दर पर विशेष भत्ता दिया जा रहा है। अत: उन्हें अन्यथा कोई वेतन श्रृंखला दिये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर, उन्हें सम्बन्धित कार्य से हटाकर उनके मूल पद पर पदस्थापित किया जा सकता है और सम्बन्धित कर्मचारी स्वेच्छा से भी, अपने मूल पद पर पदस्थापन करवा सकता है।

गुरु जम्बेश्वर नगर (जयपुर) कालोनी की विद्युत लाइनें

311. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर की विभिन्न आवासीय कालोनियों में घरेलू विद्युत लाइनें एवं खम्भे आड़े-तिरछे लगे हुए हैं? यदि हां, तो उन्हे हटाने की क्या प्रक्रिया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विद्युत लाइन एवं आड़े तिरछे खम्भे लग जाने की समय-समय पर जनता द्वारा शिकायतें की गई हैं? यदि हां, तो कब-कब, कहां-कहां? उक्त प्रकार की प्राप्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सहायक अभियंता, वैशाली नगर के अन्तर्गत आने वाली कालोनी गुरु जम्बेश्वर नगर ए, क्वींश रोड, गांधी पथ में विद्युत लाइनें एवं खम्भे आड़े-तिरछे लगे हुए हैं? यदि हां, तो कब से? क्या लाइन शिफ्टिंग हेतु कोई शुल्क जमा कराया गया है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार आड़ी-तिरछी लाइनों/खम्भों को ठीक करके सही तरीके से लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जयपुर नगर की आवासीय कालोनियों में खम्बे आडे-तिरछे खड़े नहीं किये गये हैं। पूर्व में लाइनें नियमानुसार सही प्रकार से खड़ी की गई थी परन्तु बाद में विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा भू-खण्ड काटने व उन पर लाइनों के नीचे मकानों का निर्माण हो जाने से लाइनें आड़ी-तिरछी प्रतीत होने लगी है। उपरोक्त संदर्भ में शिकायत प्राप्त होने पर एस्टीमेट तैयार किया जाता है व शिकायतकर्ता को मांग-पत्र भेजा जाता है। मांग-पत्र की राशि जमा होने पर लाइनें हटायी या स्थानान्तरित की जाती है।

(2) जी, हां। इस सम्बन्ध में गत दो वर्षों में 43 शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनको दूर करने की कार्यवाही की गई है। प्राप्त शिकायत व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) सहायक अभियंता वैशाली नगर के अन्तर्गत आने वाली कालोनी गुरु जम्बेश्वर नगर-ए, क्वींस रोड, गांधी पथ जिस भूमि पर बसी है वहां पहले कृषि क्षेत्र था तथा उस समय कृषि कनेक्शन हेतु लाइनें खींची गई थी। बाद में लाइनों के नीचे मकान बना लिये गये, जिससे लाइनें आड़ी-तिरछी नजर आने लगी है। उक्त कालोनी में ढीले तारों के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका निवारण किया जा चुका है। वर्तमान में खम्बे व लाइन हटाने

(ऊर्जा मंत्री)

के लिए कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और इस मद में कोई राशि भी जमा नहीं है।

(4) लाइनों को हटाने के लिए बनाये गये एस्टीमेट की राशि जमा करवाने पर लाईन हटाने का पहले से प्रावधान किया हुआ है। अतः लाइनें हटाने का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त प्रक्रिया के द्वारा लाइन हटाने की कार्यवाही की जाती है।

विद्युत वितरण निगम कर्मियों के विरुद्ध लम्बित जांचें

312. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) सरकार के पास पहले बिजली बोर्ड की ओर अब विद्युत वितरण निगम एवं कम्पनियों में कुल कितनी जांच लम्बित हैं?

(2) उक्त में से कितने अधिकारियों के विरुद्ध जांच लम्बित है?

(3) क्या सरकार उक्त जांच कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण करा कर दोषी अधिकारियों को सजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 19.07.2000 से पूर्व तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के विनियम 7 एवं 6 में 1314 एवं वर्तमान विद्युत निगमों एवं विद्युत वितरण कम्पनियों के 1543 कुल 2857 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जांच लम्बित हैं।

(2) उक्त में से तत्कालीन विद्युत मण्डल के 763 एवं वर्तमान विद्युत निगमों एवं विद्युत वितरण निगमों के 616 अधिकारियों के विरुद्ध जांच लम्बित हैं।

(3) जी, हां। जांच प्रक्रिया पूर्ण कर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने के हमेशा प्रयास किये जाते हैं। जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जा सकेगा। समयावधि बता पाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

इम्मानुअल अनाथालय, कोटा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

313. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा शहर में कार्यरत इम्मानुअल अनाथालय या इम्मानुअल बाइबिल इंस्टीट्यूट या इम्मानुअल मिशन सोसायटी के विरुद्ध 1 जनवरी, 1999 से सितम्बर, 2001 तक कार्यवाही करने सम्बन्धी दिये गये ज्ञापन, प्रार्थना-पत्र किस-किस ने जिला प्रशासन राजस्थान सरकार या महामहिम राज्यपाल महोदय को दिये हैं? उक्त प्रार्थना-पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन दिलावर)

(2) उक्त प्रार्थना पत्रों/ज्ञापनों पर अब तक किस-किस अधिकारी ने क्या-क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा शहर में कार्यरत इम्मानुअल अनाथालय या इम्मानुअल बाइबिल इंस्टीट्यूट के विरुद्ध दिनांक 1.1.1999 से सितम्बर, 2001 तक (1) श्री प्रताप सिंह तोमर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कोटा (2) विश्व हिन्दू परिषद्, चित्तौड़गढ़, (3) श्री बजरंग लाल विजय, अध्यक्ष, श्री राम प्रबन्ध समिति, कोटा (4) श्री दिनेश सोनी, बजरंग दल, कोटा (5) आचार्य, बद्रीनारायण शास्त्री द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन/शिकायत भेजी गई। साथ ही ह्यूमन रिलीफ सोसायटी, कोटा द्वारा राज्यपाल महोदय को शिकायत भेजी गई एवं श्री मदन दिलावर, सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा मुख्य मंत्री महोदय को शिकायत भेजी गई। पत्रों/ज्ञापन की छाया प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) संस्था के विरुद्ध प्राप्त ज्ञापन/शिकायती पत्रों की जिला कलक्टर, कोटा द्वारा जांच करवाई गई एवं जांच प्रतिवेदन जिला कलक्टर, कोटा द्वारा गृह विभाग को भिजवाया जा चुका है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला धौलपुर में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रकरण

314. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत फर्जी रूप से पेंशन स्वीकृति की जा रही है? यदि नहीं, तो क्या प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच हेतु जांच समिति बनाई गई है? क्या बिना जांच पड़ताल किये पेंशन स्वीकृत कराने का प्रावधान है?

(2) क्या यह भी सही है कि अनेक वृद्ध लोग अपने अकेले का सरपंच से फर्जी कार्ड बनवाकर पेंशन स्वीकृत करवा रहे हैं। जबकि उनके एक या एक से अधिक कमाऊ सन्तान मौजूद हैं? क्या सरकार उक्त के लिये दण्ड का प्रावधान रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फर्जी पेंशन स्वीकृत कराने में कर्मचारी/अधिकारी का सहयोग है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध जांच करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति हेतु पटवारी हल्का की जायदाद/सम्पत्ति सम्बन्धी रिपोर्ट दी जाती

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

है? यदि हां, तो फर्जी रिपोर्ट देने के लिये क्या दण्ड रखा गया है, क्या सरकार उक्त की जांच हेतु कोई गोपनीय समिति बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं तो, क्यों और हां तो, कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत फर्जी रूप से पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच हेतु जांच समिति बनी हुई है। बिना जांच पड़ताल किये, पेंशन स्वीकृत कराने का प्रावधान नहीं है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, हां। वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का से जायदाद/सम्पत्ति का विवरण किया जाता है।

फर्जी रिपोर्ट के मामले में (यदि कोई हो तों) राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

जी, नहीं। राज्य सरकार इस हेतु कोई गोपनीय समिति बनाने का विचार नहीं रखती है क्योंकि वर्तमान में इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। पूर्व में सभी जिला कलक्टर्स को पूर्ण जांच-पड़ताल के बाद ही पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के लिये निर्देश दिये जा चुके हैं।

परियोजना प्रबन्धक श्रीगंगानगर द्वारा अनियमितताएं

315. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) परियोजना प्रबन्धक अनुसूचित जाति/जनजाति, श्रीगंगानगर द्वारा विभिन्न योजनाओं में जनवरी, 2000 से सितम्बर, 2001 तक किस-किस व्यक्ति को किस-किस योजना के अन्तर्गत कितनी मात्रा में ऋण दिया गया? नाम सहित जिले की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नीचे स्तर के कर्मचारी अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों से सांठ-गांठ कर, ऋण वितरण करवा देते हैं तथा रोजगार जो लिखा जाता है वह चलाया नहीं जाता? अब तक के ऋण जिस-जिस व्यक्ति को दिया गया है उनका कारोबार कहां चल रहा है? जगह का नाम तथा व्यक्ति का नाम दर्शाते हुए जिले की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ऋण स्वीकृत होने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के जिला कार्यालय परियोजना प्रबन्धक श्रीगंगानगर द्वारा जनवरी, 2000 से सितम्बर, 2001 तक राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में दिये गये ऋण की सूचना लाभार्थीवार व तहसीलवार परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। सामान्यतया लाभार्थी द्वारा जिस रोजगार का चयन किया जाता वह चलाया जाता है। जिस लाभार्थी को ऋण दिया जाता है उसका नाम मय तहसील तथा कारोबार कहां चल रहा है की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) ऋण स्वीकृत होने के मानदण्ड/पात्रता परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जाखेड़ा (नागौर) का नवीन भवन

316. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जाखेड़ा (नागौर) वर्तमान में गांव की धर्मशाला में कार्यरत है? यदि हां, तो कब से? वितरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय हेतु पर्याप्त भवन का निर्माण कार्य हो चुका है? यदि हां, तो उक्त प्राथमिक पाठशाला को नवनिर्मित पाठशाला भवन में क्यों नहीं स्थानान्तरित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। अपितु जाखेड़ा (नागौर) निवासी मालू परिवार से विभाग को दान में प्राप्त भवन में विद्यालय संचालित है।

(2) जी, हां। नवनिर्मित भवन गांव से दूर तथा पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इस कारण छोटे-छोटे बच्चों के आने जाने व पानी की समस्या के कारण विद्यालय को नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा किये गये स्थानान्तरण

317. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वष 2001-2002 (10 सितम्बर, 2001 तक) में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किस-किस अध्यापक के स्थानान्तरण किस-किस जिले से किस-किस जिले में किस-किस आधार पर किये गये? स्थानान्तरित अध्यापक के नाम, कहां से कहां स्थानान्तरण किया गया, सेवा अवधि (जिस स्थान से स्थानान्तरण किया गया है)

(श्री हेमन्त कुमार)

कुल सेवा अवधि स्थानान्तरण के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितने-कितने अध्यापकों ने किस-किस जिले से किस-किस जिले हेतु स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया एवं कितने-कितने अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया एवं किस-किस का स्थानान्तरण किस कारण से नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय सत्र 2001-2002 (10 सितम्बर, 2001 तक) में किये गये स्थानान्तरणों का ब्यौरा परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण, किये गये स्थानान्तरण एवं नहीं करने के कारणों का विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(ब्यौरा एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ब्लाक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, उमरेण द्वारा की गई अनियमितताएं

318. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ब्लाक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, उमरेण के अनियमित कार्यों की शिकायत राजस्थान शिक्षक संघ ने माह जून, जुलाई एवं अगस्त, 2001 में की थी? यदि हां, तो उक्त की जांच कब एवं किसने की थी?

(2) जांच में क्या-क्या अनियमितता होना पाया गया? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर ली गई? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) जी, हां। शिकायत की जांच जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) अलवर द्वारा दिनांक 7.11.2001 को की गई।

(2) जांच रिपोर्ट के अनुसार कोई अनियमितता नहीं पाई गई। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

पंचायत समिति, मावली (उदयपुर) में समानीकरण योजना के तहत पदस्थापन

319. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, मावली (उदयपुर) में कितने उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं? सूची मय छात्र

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

संख्या एवं अध्यापक स्वीकृत पदानुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समिति में समानीकरण के तहत किस-किस विद्यालय से अध्यापकों के पद कम किये गये एवं कितने विद्यालयों में पद बढ़ाये गये? विवरण स्थानान्तरण आदेश सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पंचायत समिति मावली के कुल 144 प्राथमिक विद्यालयों में से 40 सड़क के किनारे वाले विद्यालयों में लगभग 250 अध्यापक लगा रखें हैं तथा शेष 104 विद्यालयों में मात्र 150 अध्यापक कार्यरत हैं? यदि हां, तो इसका आधार क्या है और नहीं, तो कितने अध्यापक हैं?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, मावली (उदयपुर) में संचालित उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय मय छात्र संख्या एवं स्वीकृत अध्यापक पदों का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) उक्त पंचायत समिति में समानीकरण के तहत विद्यालयों में कम किये गये तथा बढ़ाये गये अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट "ख" तथा स्थानान्तरण आदेश परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(3) जी, नहीं। अपितु सड़क के किनारे वाली 40 विद्यालयों में 137 तथा शेष 101 विद्यालयों में 255 अध्यापक कार्यरत हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नांगल सिरस (जयपुर) के विरुद्ध कार्यवाही

320. श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नांगल सिरस पंचायत समिति आमेर जिला जयपुर में भूतपूर्व सरपंच श्रीमती मीरा देवी के कार्यकाल में अनियमित कार्य कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया था? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई?

(2) क्या विकास अधिकारी, पंचायत समिति आमेर उक्त प्रकरणों में लिप्त थे? क्या उक्त अधिकारी से जांच कराने के कारण उसने गलत जवाब देकर मामले को दबाने का प्रयत्न किया है?

(3) क्या सरकार उक्त सरपंच के कार्यक्रम के प्रकरणों की किसी निष्पक्ष अन्य अधिकारी से जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त सरपंच श्रीमती मीरा देवी के विरुद्ध भू-खण्ड आबंटन,

(पंचायती राज मंत्री)

वित्तीय अनियमितताएं एवं पद के दुरुपयोग से संबंधित आरोप प्रकरण में करायी गयी प्राथमिक जांच से प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर उक्त सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज़ अधिनियम की धारा-38 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रकरण में आरोप पत्र जारी किया गया।

उक्त आरोप का सम्बन्धित सरपंच द्वारा खण्डन किये जाने पर विस्तृत जांच हेतु अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(2) विकास अधिकारी के विरुद्ध उक्त आरोप सही नहीं पाये गये हैं।

(3) जी, हां। उक्त सरपंच के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की विस्तृत जांच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर से करायी जा रही है। जांच प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही कर ली जावेगी।

प्रश्न संख्या-321

(स्थगित)

पंचायती राज संस्था के जन प्रतिनिधियों को मानदेय

322. श्री जौहरी लाल (राजगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् के सदस्यों को मानदेय देने का विचार रखती है?

(2) पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद् सदस्य के कार्य व अधिकार क्या है?

(3) क्या यह सही है कि सरपंच के पास निर्माण कार्य के अधिकार है और मानदेय भी मिलता है परन्तु पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद् सदस्य का विकास कार्य में कोई अधिकार नहीं है और इनको मानदेय मिलता है?

(4) क्या सरकार उक्त को अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्यों को इन संस्थाओं में गठित स्थाई समितियों के माध्यम से कार्य व अधिकार दिये गये हैं।

(3) जी, नहीं। सरपंच को निर्माण कार्य का अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि ग्राम पंचायत द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यों की देख-रेख सरपंच द्वारा की जाती है तथा संस्था का अध्यक्ष होने के नाते इन्हें मानदेय दिया जाता है, जबकि पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् सदस्यों को विकास कार्यों के सम्बन्ध में अधिकार स्थाई समितियों के माध्यम से दिये गये है। पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य को मानदेय नहीं मिलता।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) यह एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके तहत समय-समय पर पुनरावलोकन कर अधिकारों में वृद्धि की जाती है।

राजीव गांधी पाठशालाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति

323. **श्री जौहरी लाल (राजगढ़)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राजीव गांधी पाठशालाओं में ट्रेण्ड एस.टी.सी. या बी.एड. अध्यापकों को लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में जो राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गई हैं उनमें अनट्रेंड अध्यापक लगाये गये है? यदि हां, तो उक्त के बारे में सरकार का क्या विचार है?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। अनट्रेंड अध्यापकों का प्रकरण राज्य सरकार के प्रक्रियाधीन है।

जिला बांसवाड़ा के सेवानिवृत्त अध्यापक का पेंशन प्रकरण

324. **श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिला सेवा संघ परतापुर द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय में श्री राजेन्द्र सिंह अध्यापक ने कब से कब तक अपनी सेवाएं दी है?

(2) उक्त अध्यापक की सेवानिवृत्ति कब हुई?

(3) क्या उक्त अध्यापक को पेंशन मिल रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त अध्यापक को सरकार उसकी पेंशन शीघ्र दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) उक्त प्रकरण में विलम्ब करने के लिये कौन-कौन कर्मी दोषी हैं? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) अब उक्त प्रकरण का कब तक निस्तारण कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय में श्री राजेन्द्र सिंह अध्यापक ने दिनांक 6.4.1954 से 31.1.1971 तक अपनी सेवाएं दी है।

(2) अध्यापक की सेवानिवृति दिनांक 30.4.1992 को हुई।

(3) जी, हां।

(4) अध्यापक को पेंशन मिल रही है।

(पंचायती राज मंत्री)

(5) प्रश्न के भाग संख्या-4 के अनुसार।

(6) प्रश्न के भाग संख्या-4 के अनुसार।

जिला बांसवाड़ा के भवन विहीन विद्यालय

325. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण पर कितनी राशि व्यय करना प्रस्तावित है ?

(2) जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति गढ़ी में कितने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन रहित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों के लिए भवन बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ग्यारहवें वित्त आयेग के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में 1400.07 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान है।

(2) जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति गढ़ी में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कोई विद्यालय भवन विहीन नहीं है।

(3) प्रश्न के भाग संख्या-2 के अनुसार।

पंचायत समिति चाकसू (जयपुर) द्वारा जारी अवैध पट्टे

326. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत अधिनियम 1996 के तहत रियायती दर पर अनुसूचित जाति/जनजाति, चयनित परिवार एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को रिहायशी भू-खण्ड ग्राम पंचायत द्वारा देने का प्रावधान है? यदि हां, तो किन-किन शर्तों व खानापूर्ति के आधार पर ?

(2) क्या जिला जयपुर की पंचायत समिति चाकसू की ग्राम पंचायत काठावाला द्वारा दिनांक 3.2.1999 की ग्राम पंचायत की बैठक (सामान्य) के प्रस्ताव संख्या 2 जिसकी कार्यवाही रजिस्टर में पृष्ठ 81 पर अंकित है की अनुपालना में भू-खण्डों के पट्टे जारी किये हैं? यदि हां, तो कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण निवासियों को पट्टे नहीं देकर पंचायत समिति चाकसू के कर्मचारियों, उनके परिजनों, राजनैतिक प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों तथा सरपंच के रिश्तेदारों को

(मोहम्मद माहिर आजाद)

पंचायत चुनाव के केवल डेढ़ माह पूर्व दिनांक 3.12.1999 को गलत पट्टे जारी किये गये?

(4) क्या अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर ने उक्त सम्बन्ध में तत्कालीन सरपंच के यहां से रिकार्ड जब्त कर कोई जांच की है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या ग्रामीणों के अलावा निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन कर जारी किये गये 105 पट्टों को निरस्त कर तत्कालीन सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 158 में कमजोर वर्गों को भूमियों के आबंटन किये जाने का प्रावधान है जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। ग्राम पंचायत काठावाला, पंचायत समिति, चाकसू की सामान्य बैठक दिनांक 3.2.1999 के प्रस्ताव संख्या की अनुपालना के कुल 12 पट्टे जारी किये गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) ग्राम पंचायत काठावाला पंचायत समिति, चाकसू द्वारा दिनांक 3.12.1999 को जिन 7 व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये हैं की जांच विकास अधिकारी, चाकसू से कराई जा रही है। नियम के विरुद्ध आबंटन पाये जाने की स्थिति में आबंटियों के पट्टे निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(4) अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) की इजलास में बाबूलाल बनाम ग्राम पंचायत काठावाला से सम्बन्धित निगरानी 17/2000 विचाराधीन है, जिस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। पट्टों से सम्बन्धित रिकार्ड अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) के यहां जमा किया हुआ है।

(5) ग्राम पंचायत, काठावाला द्वारा जारी किये गये उक्त पट्टों की विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चाकसू से जांच करवाई जा रही है। जांच उपरान्त नियम विरुद्ध आबंटन का निरस्त किये जाने की कार्यवाही करते हुए दोषी सरपंच एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला करौली में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अध्यापक

327. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला करौली में अध्यापकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या उक्त जिले के विद्यालयों में सभी पदों पर अध्यापक कार्यरत हैं?

(श्री जनार्दन गहलोत)

(3) क्या सरकार ने उक्त जिले के कार्यालयों में अध्यापकों से कार्य लेने पर प्रतिबंध लगा रखा है?

(4) क्या यह सही है कि कार्यालयों में अध्यापक कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन व कब-कब से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) कौन-कौन अध्यापक सन् 1995 से जिला परिषद्/पंचायत समिति एवं विभाग के कार्यालय में कब-कब से कार्यरत रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त कार्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को वापस विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(7) क्या सरकार उक्त अध्यापकों को कार्यालय में कार्य करवाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि, हां, तो कब व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला करौली में द्वितीय श्रेणी के 12 तथा तृतीय श्रेणी के 141 अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां।

(4) वर्तमान में कोई भी अध्यापक कार्यालयों में कार्यरत नहीं है।

(5) वर्ष 1995 से जिला परिषद्/पंचायत समिति एवं विभाग के कार्यालयों में प्रतिनियुक्त अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(6) प्रश्न के भाग संख्या 04 के अनुसार।

(7) सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-23 देखें)

जैसलमेर दुर्ग की फ्लड लाइटों का संधारण

328. श्री गोवर्द्धन [redacted] कल्ला (जैसलमेर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर का दुर्ग एक ऐतिहासिक 850 वर्ष पुराना आकर्षक पर्यटन केन्द्र है?

(2) क्या यह भी सही है कि पर्यटन विकास विभाग से चालीस लाख राशि व्यय फ्लड लाइटें लगाकर रात्रि में इसे आकर्षित बनाया है?

(3) क्या यह सही है कि विद्युत बिलों के चुकारे न होने से लाइटें बन्द करा दी गई हैं तथा क्षतिग्रस्त हो रही हैं?

(4) क्या राज्य सरकार केन्द्र से अनुदान प्राप्त कर उक्त फ्लड लाइटों को

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

चालू रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जैसलमेर दुर्ग की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी, वर्तमान में पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केन्द्र है।

(2) जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा रुपये 41.17 लाख व्यय कर वर्ष 1997 में दुर्ग के चारों तरफ फ्लड लाइट लगाकर इसे आकर्षित बनाया गया है। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में जैसलमेर फोर्ट में फ्लड लाइटे लगाने के लिए 52.35 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गयी, जिसमें 33.24 लाख रुपये केन्द्रीय हिस्सा एवं 19.11 लाख रुपये राज्य हिस्सा है। भारत सरकार द्वारा 24.71 लाख रुपये एवं राज्य सरकार द्वारा 19.11 लाख रुपये कुल 43.82 लाख की राशि स्वीकृत की जाकर कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान पर्यटन विकास निगम को दी जा चुकी है तथा कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(3) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा बजट में कम किये जाने तथा राशि आबंटित नहीं किये जाने के कारण विद्युत बिलों के भुगतान नहीं होने से माह मई-2000 से फ्लड लाइटें बन्द रही। पूर्व में रख-रखाव हेतु बजट आबंटन के अभाव में कुछ लाइटों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका है।

(4) राज्य योजना अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में इस मद हेतु राशि रुपये 1.50 लाख का प्रावधान जैसलमेर किले पर रोशनी हेतु किया गया है।

तहसील रामगढ़ (अलवर) के पर्यटक स्थलों का विकास

329. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पर्यटन के विकास हेतु सरकार जिला अलवर में क्या करने जा रही है?

(2) क्या उक्त जिले का पर्यटन दृष्टि से सर्वे हो चुका है?

(3) क्या उक्त जिले की तहसील रामगढ़ के पर्यटन केन्द्रों का भी विकास करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

(4) क्या यह सही है कि रामगढ़ में बहुत सारे ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन विकास हेतु अलवर जिले में निम्न विकास कार्य करवाये जा रहे हैं :—

1. पर्यटन विश्राम गृह, सरिस्का का क्रमोन्नयन।
2. लेक पैलेस होटल सिलीसेढ का क्रमोन्नयन।
3. मिडवे बहरोड का क्रमोन्नयन।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

4. मूसी रानी की छतरी एवं सागर का संरक्षण एवं विकास कार्य।

5. तिजारा में मिडवे का निर्माण।

(2) वर्तमान में सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, अलवर द्वारा अलवर जिले का पर्यटन की दृष्टि से सर्वे किया जा रहा है।

(3) जी, नहीं।

(4) तहसील रामगढ़, जिला अलवर में कोई संरक्षित स्मारक घोषित नहीं है। रामगढ़ में निम्न ऐतिहासिक/पौराणिक स्थल है :—

1. रामगढ़ का किला, रामगढ़।

2. रामगढ़ की बावड़ी, रामगढ़।

3. बाबा लालदास जी महाराज का मन्दिर, बाघोली।

4. बाबा लालदासजी महाराज का मन्दिर, शेरपुर।

5. बाबा लालदास जी महाराज की बैठक पहाड़ के ऊपर, ग्राम टोहली (पारसपुर)।

घाटोल (बांसवाड़ा) के आंगनबाड़ी केन्द्र

330. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र घाटोल में कई आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित हैं? यदि हां, तो कितने एवं किस-किस स्थान पर?

(2) क्या सरकार उक्त भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जा रहे हैं? यदि हां, तो कितने और कौन-कौन से स्थान पर और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। घाटोल परियोजना अन्तर्गत 42 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं परियोजना पीपलखूंट के अन्तर्गत 14 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित संचालित हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र घाटोल अन्तर्गत, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांसवाड़ा द्वारा परियोजना घाटोल के 15 व परियोजना पीपलखूंट के 8 आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माणाधीन है। शेष पर फिलहाल वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण भवन निर्माण सम्भव नहीं है।

(3) जी, नहीं। नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-24 देखें)

जनजाति शोध संस्थान उदयपुर का संचालन

331. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जन जातियों के विकास हेतु वर्तमान में क्या-क्या योजना चालू है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है उदयपुर में जनजाति शोध संस्थान में जनजातीय छात्रों (प्रतिभावन) के प्रशिक्षण/तैयारी हेतु चल रहा छात्रावास बंद कर रखा है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो रह रहे छात्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त छात्रों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में जन जातियों के विकास हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्तमान में चालू योजनाओं की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। संस्थान के छात्रावास में केवल संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षणों एवं पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को आवास की सुविधा दी जाती है। वर्तमान में छात्रावास में पीएचडी. की उपाधि हेतु शोध करने वाले शोधार्थी आवास कर रहे हैं जिन्हें इस संस्थान द्वारा शोधवृत्ति दी जा रही है। इन छात्रों की सूची निम्नानुसार है :—

1. श्री वजहींग मइडा
2. श्री देवीलाल रावत
3. श्री गणेश लाल नीनामा
4. श्री कल्याण मल सिंघाड़ा
5. श्री भीमराज बडेरा

(3) छात्रावास में आवास करने वाले व्यक्तियों को केवल निःशुल्क आवास की ही सुविधा प्रदान की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-25 देखें)

जिला जयपुर की जनजाति उप योजना क्षेत्र की आबादी के उत्थान की योजना

332. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जनजाति उप योजना क्षेत्र समिति किन-किन क्षेत्रों में कितनी-कितनी आबादी जनजाति की है? जिलेवार नवीनतम संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त आर्थिक स्थिति, शिक्षा एवं रोजगार के बारे में कोई जानकारी करने का प्रयास किया गया है? यदि हां, तो वर्तमान वस्तु स्थिति क्या है?

(3) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति की स्थिति उप योजना क्षेत्र की जनजाति से निम्न स्तर की है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार

(श्री कन्हैया लाल)

इनके उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाने का विचार रखती है?

(4) जिला जयपुर की विधान सभा क्षेत्रवार नवीनतम जनजाति आबादी, उनकी शिक्षा, रोजगार का स्तर सहित संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति उप योजना क्षेत्र में सम्मिलित पंचायत समितियों की सूची इनकी कुल जनसंख्या एवं जनजाति की जनसंख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा उक्त क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति व रोजगार के सम्बन्ध में पांच वर्षों में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(3) विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सर्वे अथवा अध्ययन नहीं करवाया गया है।

(4) जयपुर जिले की तहसीलवार जनजाति की जनसंख्या एवं साक्षरता दर (जनगणना 1991) निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	तहसील	जनजाति की जनसंख्या	जनजाति की साक्षरता दर
1	2	3	4
1.	कोटपूतली	10215	29.73
2.	विराट नगर	9734	31.65
3.	शाहपुरा	6717	31.98
4.	दूदू	6733	30.22
5.	सांगानेर	20419	32.29
6.	आमेर	29342	29.02
7.	जमुवारामगढ़	56631	26.43
8.	बस्सी	52653	27.90
9.	गोविन्दगढ़	11512	36.21
10.	साम्भर	6614	33.12
11.	फागी	5343	21.73
12.	झोटवाड़ा	5460	37.34
13.	चाकसू	28363	20.38

वर्ष 2001 की तहसीलवार जनसंख्या एवं साक्षरता के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। रोजगार के स्तर के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं कराया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-26 देखें)

पंचायत समिति भिनाय (अजमेर) के विकास कार्यों का बकाया भुगतान

333. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति भिनाय/अराई में गत दो वर्षों में सम्पादित कार्यों का भुगतान बकाया है? यदि हां, तो किस-किस कार्य का कितना-कितना व किस कारण से भुगतान कब से बकाया है?

(श्री सांवर लाल)

(2) क्या सरकार उक्त कार्यों का भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समिति, भिनाय के 32 एवं अराई के 6 निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में बकाया भुगतान की राशि, बकाया भुगतान के कारण तथा बकाया भुगतान की अवधि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क" पर सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(2) जी, हां। समस्त कार्यों की बकाया राशि का भुगतान 15.12.2001 तक कर दिया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-27 देखें)

जन प्रतिनिधियों की विकास योजनाओं में भागीदारी

334. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधायकों, सांसद कोटे व विभाग द्वारा अन्य योजनाओं में स्वीकृत कार्यों में विधायकगण की राय नहीं ली जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि अन्य योजनाओं में स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति विधायकगण के ध्यान में लाये बिना निकाल दी जाती है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त के संशोधन हेतु कोई विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम एवं सांसद स्थानीय विकास कार्यक्रम के तहत कार्य विधायकों एवं सांसदों की अभिशंसा के अनुरूप मार्गदर्शिकानुरूप स्वीकृत/सम्पादित करवाये जाते हैं। विभाग द्वारा क्रियान्वित अन्य योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों का शासकीय परिषद् की बैठक में अनुमोदन करवाया जाता है। शासकीय परिषद् में सांसदों एवं विधायकों का प्रतिनिधित्व/भागीदारी प्रावधित है।

(2) जी, नहीं। अन्य योजनाओं में भी स्वीकृत कार्यों का अनुमोदन शासकीय परिषद् की बैठक में करवाया जाता है। जिसके विधायकगण भी सदस्य होते हैं तदनुसार इस संदर्भ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

तहसील फुलेरा (जयपुर) में कूप गहरा करवाने हेतु देय राशि का बकाया भुगतान

335. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत कूप गहरा करवाने के लिए किन-किन शर्तों/प्रक्रिया के अधीन स्वीकृति

(श्री रमेश खींची)

दी जाती है? शर्तों/प्रक्रिया की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में भी उक्त योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो किस-किस तहसील में कितने व्यक्तियों को?

(3) क्या यह भी सही है कि तहसील फुलेरा के ग्राम डूंगरीकला (बड़ी सादड़ी) जयपुर में भी उक्त योजना के तहत कुओं को गहरा करवाने की स्वीकृति दी गई थी? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को कब एवं कितनी राशि की? स्वीकृति की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्तियों को स्वीकृत राशि रुपये 25,000/- में से राशि रुपये 12,500/- ही दिये हैं और कार्य अपूर्ण हैं?

(5) क्या सरकार अब शेष बची राशि का भुगतान पूरा करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) (i) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत कूप गहरे कराये जाने के क्रम में स्वीकृति जारी करने में अपनायी जाने वाली शर्तें एवं प्रक्रिया परिशिष्ट-"अ" पर अवलोकनीय है।

(ii) राजीव गांधी पेयजल मिशन कार्यक्रम (पारम्परिक जल स्रोत जीर्णोद्धार कार्यक्रम) के अन्तर्गत पारम्परिक सार्वजनिक कुएं एवं बावड़ियों को गहरा कराने की स्वीकृतियां दी जाती हैं, जिनकी शर्तें एवं प्रक्रिया की प्रति परिशिष्ट "अ"(1) पर अवलोकनीय है।

(2) जी, नहीं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत कूप गहरा कराने की स्वीकृति जारी नहीं की गई, परन्तु राजीव गांधी पेयजल मिशन योजनान्तर्गत जिले में कुल 1059 सार्वजनिक कुओं को गहरा कराने/मरम्मत कराने की स्वीकृति जारी की गई है, जिनका पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर अवलोकनीय है।

(3) राजीव गांधी पेयजल कार्यक्रम के तहत प्रति कुआं रुपये 25,000/- के हिसाब से कुल रुपये 75,000/- की ग्राम डूंगरीकलां में 3 सार्वजनिक कुओं को गहरा कराने की स्वीकृति जारी की गई है, जो परिशिष्ट "स" पर अवलोकनीय है।

(4) जी, हां। राजीव गांधी पेयजल मिशन द्वारा संचालित उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत सार्वजनिक कुओं को गहरा कराने बाबत प्रति कुआं स्वीकृत राशि रुपये 25,000/- के विरुद्ध प्रथम किस्त राशि रुपये 12,500/- ग्राम पंचायत को भुगतान किया गया है। वर्तमान में तीनों कार्य अपूर्ण है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(5) उक्त कार्यक्रम हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जिला परिषद् जयपुर को 90.50 लाख की राशि, प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त हुई थी जिसे विभिन्न पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया गया। उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण), डिजाइन सर्कल, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक : 3159 दिनांक 28.6.2001 के तहत राशि रुपये 69.50 लाख हस्तान्तरित करने के आदेश प्रदान किये थे किन्तु उक्त राशि अभी तक प्राप्त होना अपेक्षित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान विश्वविद्यालय में आरक्षित पदों पर कार्यरत कर्मी

336. डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने शिक्षक/कर्मचारी कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्गों के शिक्षक/अधिकारियों का कुल कार्यरत लोगों में प्रतिशत कितना है?

(3) क्या आरक्षित वर्गों को भरने की सरकार की कोई योजना है?

(4) क्या उक्त विश्वविद्यालय में प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कुछ व्यक्ति चयनित किये गये हैं?

(5) उक्त चयन पदोन्नति योजना में है या सीधी भर्ती योजना में है?

(6) उक्त योजनाओं में आरक्षण सम्बन्धी क्या प्रावधान है?

(7) क्या आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान नहीं है? यदि हां, तो आरक्षित वर्गों के सांवैधानिक प्रावधानों को कैसे पूरा किया जायेगा?

उत्तर

(1) विश्वविद्यालय में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षक/कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट-2 में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी, हां। सरकार सदैव आरक्षण प्रावधानों के अनुसार आरक्षित पदों को भरने की पक्षधर है।

(4) जी, हां।

(5) उक्त चयन यू.जी.सी. की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत है।

(6) उक्त योजना कार्यरत शिक्षकों के लिये उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर व्यक्तिगत पदोन्नति हेतु है।

(7) इसका उत्तर बिन्दु सं. 6 के उत्तर में निहित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-28 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से पीपल्दा के ग्राम जलोदा खातियान के एक व्यक्ति को अन्न से मोहताज करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामप्रताप, एवं एक अन्य सदस्य की ओर से पीपल्दा के ग्राम गेंता में सरकारी तलाई की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से पुलिस थाना खैरवाड़ा में पुलिस हिरासत में एक युवक की मृत्यु के सम्बन्ध में।

(4) डा. किरोड़ी लाल एवं 10 अन्य सदस्य की ओर से बिजली विभाग दौसा के अधिकारियों द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से जिला अजमेर के किसानों को चारा अनुदान राशि का भुगतान न होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री ज्ञानचन्द पारख, एवं 5 अन्य सदस्य की ओर से पाली शहर में रंगाई-छपाई फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मेरे वाले पर तो पहले चर्चा हो चुकी है और सरकार ने कमिट किया था कि हम भुगतान करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : आपने आज ही दिया है, आपने आज ही दिया है।

श्री सांवर लाल : अजमेर जिले के किसान दो साल से बरबाद हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, इसके ऊपर फैसला ले लेना चाहिए कि सरकार भुगतान करना चाहती है या नहीं करना चाहती। दो साल से चारा अनुदान की राशि बकाया है, मुख्य मंत्रीजी उन गरीब आदमियों को आप कम से कम यह तो बता दो कि आप उनका भुगतान करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। लोग मर रहे हैं, गहने गिरवी पड़े हुए हैं.... (व्यवधान) यहां पर सदन में मंत्री

(12.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

महोदय ने आश्वासन दिया था, आपके मंत्रीजी वहां पर जाकर जन सभाओं के अन्दर आश्वासन देकर आये हैं, उसके बावजूद माननीय मुख्य मंत्री महोदय, दो साल से अजमेर जिले के किसान इस चारा अनुदान के लिए पीड़ित

(श्री सांवर लाल)

हैं। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि इसके ऊपर मानवीय दृष्टकोण अपनाकर, जो भी आप फैसला करना चाहे, आपको फैसला तत्काल करना चाहिए जिससे उन किसानों को राहत मिल सकें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर यह है, साहब कि जब अध्यक्ष खड़े होते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता को परमिशन है कि वे अन्दर आ सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों का ऐसे ही चलता रहता है, कोई खास बात नहीं है।

(1) श्री गुलाब चन्द कटारिया, एवं छह अन्य सदस्य की ओर से राज्य में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का अनुदान बंद कर देने की कथित घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से उद्योगों हेतु ऋण लेने के उपरान्त भी सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम को अनुदान का भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं छह अन्य सदस्य की ओर से शाही रेलगाड़ी में फेम ट्यूर की आड़ में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा 67 व्यक्तियों को मुफ्त रेल यात्रा कराने से हुई हानि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से जिला अजमेर में अभावग्रस्त गरीबों के हिस्से का गेहूं शहरी सम्पन्न लोगों को बांटे जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोवर्द्धन कल्ला, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर के रामगढ़ गैस आधारित पावर स्टेशन के बंद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य की ओर से जिला बारां की तहसील किशनगंज के ग्राम रेलावान के चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य क्रीड़ा

(श्री उपाध्यक्ष)

परिषद् द्वारा आयोजित ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में।

(5) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से चूरू के डेडराज भरतिया चिकित्सालय में फैली अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(6) श्री हेमन्त कुमार, सदस्य की ओर से जिला कोटा की तहसील दीगोद की नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में।

(7) डा. के. सी. चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति के सम्बन्ध में

(8) श्री मोहन लाल बारूपाल, सदस्य की ओर से जिला नागौर की तहसील जायल में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं होने के सम्बन्ध में।

(9) श्री मोहन लाल मोदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के गांवों में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

(10) श्री गोपाराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के किसानों को मार्च, 1992 तक का लक्ष्य मानते हुए कृषि कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री जसवन्त सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से जिला धौलपुर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के सम्बन्ध में।

(12) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य की ओर से जिला झुंझुंनू में राजीव गांधी मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत हैण्ड पम्पों को नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमारा भी दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएगा, कल आ जाएगा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अजमेर में अभावग्रस्त ग्रामिणों के हिस्से के गेहूं का शहरी सम्पन्न लोगों में वितरण

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्रीजी, भारत सरकार की घोषणा पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी से नीचे तथा गरीबो से ऊपर जीवन यापन करने वाले अभावग्रस्त

(श्री मदन दिलावर)

परिवारों को दो वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए....

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रस्ताव था।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएगा, कल आ जाएगा।

श्री रामस्वरूप : उसके बारे में निवेदन है कि मंत्री महोदय जवाब दें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ....अभावग्रस्त परिवारों को दो वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए....

श्री रामस्वरूप : माननीय सी.एम. साहब के आदेश चले गये, सी.एम. साहब के आदेश हैं मेरे पास, उसकी पालना आज तक नहीं हुई। सी.एस.टी. के घरों पर कब्जे करवा दिये, अवैध दुकानें बनवा दी, बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

श्री मदन दिलावर : ....प्रति परिवार बीस किलो गेहूं मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना अजमेर जिले में सरकारी कारिंदों की उदासीनता के चलते फलीभूत नहीं हो पा रही है। उदासीनता का आलम यह है कि उक्त योजना के तहत आबंटित गेहूं अभावग्रस्त ग्रामीण परिवारों को आबंटित करने के बजाय शहरी क्षेत्र के सम्पन्न परिवारों में बांट दिया गया।

रसद विभाग ने अजमेर जिले की अजमेर, पीसांगन, नसीराबाद, ब्यावर, मसूदा, केकड़ी, भिनाय, सरवाड़ तथा किशनगढ़ तहसीलों को सरकारी घोषणा के अनुसार अभावग्रस्त इलाकों के परिवारों के लिए जून, जुलाई एवं अगस्त, 2001 माह का गेहूं आबंटित किया लेकिन सरकार व सम्बन्धित एजेन्सियों की उदासीनता, अकर्मण्यता के चलते जहां गेहूं का उठाव पूरा नहीं हुआ, वहीं केकड़ी व ब्यावर तहसील में उठाया गया गेहूं अभावग्रस्त ग्रामीण इलाकों के बजाय शहरी क्षेत्रों में बांट दिया गया। केकड़ी तहसील में अभी कुछ दिनों पहले यह गेहूं केकड़ी शहर की पन्द्रह उचित मूल्य की दुकानों के जरिये निर्धारित दर 4 रुपये 60 पैसे प्रति किलो की दर से शहरी सम्पन्न लोगों में बांट दिया गया। केकड़ी तहसील की क्रय-विक्रय सरकारी समिति ने उप खण्ड अधिकारी के निर्देश पर अगस्त माह में गेहूं की 30 ट्रालियों में से 2-2 ट्राली शहर की उचित मूल्य की दुकानें को आबंटित कर दीं। यही नहीं इन दुकानदारों ने भी अपने उपभोक्ताओं को 4 रुपये 60 पैसे प्रति किलो के हिसाब से प्रति परिवार बीस किलो गेहूं वितरित कर दिया। यही स्थिति ब्यावर तहसील की रही यहां भी अभावग्रस्त इलाके का गेहूं शहरी इलाकों में बांट दिया गया।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जिन इलाकों में गेहूं वितरण की दर 6 रुपये 60 पैसे प्रति किलो निर्धारित की हुई है उन इलाकों में योजना के उद्देश्य से

(श्री मदन दिलावर)

हटकर भी गेहूं का वितरण कम कीमत पर 4 रुपये 60 पैसे प्रति किलो की दर से किये जाने से सरकार को गेहूं और धन दोनों की चपत लगी। होना तो यह चाहिए था कि शहरी इलाके में केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को ही 4 रुपये 60 पैसे प्रति किलो की दर से निर्धारित सरकारी मापदण्ड अनुसार गेहूं का आबंटन किया जाता, लेकिन इस सरकार के नुमाइन्दों ने योजना के दिशा-निर्देशों को ताक में रखकर नियम विरुद्ध कार्य किया है। गरीब लोगों को रोटी के लिए मोहताज कर दिया। भारत सरकार द्वारा गरीबों को दो वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए सभी राज्य सरकारों से इस योजना की सफल रूप से क्रियान्विति की आशा की गई थी लेकिन राजस्थान सरकार अपनी कसौटी पर खरी नहीं उतरी। एक ओर तो यह सरकार, भारत सरकार पर विकास को अवरुद्ध करने एवं गरीब विरोधी होने का आरोप लगाती है, दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा गरीबों हेतु चलाई जा रही अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं की क्रियान्विति भी सही रूप से नहीं कर पा रही है। चूंकि उक्त योजना सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई थी इसलिए इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे तथा ऊपर जीवनयापन करने वाले दोनों वर्गों को बी.पी.एल. की दर से गेहूं का आबंटन का निर्णय सरकारी स्तर पर लिया गया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि रसद विभाग ने अपनी काली करतूतों से सबक लेकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय मामले को दबाने के प्रयास शुरू कर दिये। यही नहीं, शहरी इलाके में वितरित किये गये उपरोक्त गेहूं को अब गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को आबंटित करना दर्शाया जाकर मामले को रफा-दफा करने की योजना बनाई जाकर प्रयास भी शुरू कर दिये गये हैं। ऐसा घिनौना कृत्य आज तक देखने को नहीं मिला, लेकिन इस सरकार के बरदहस्त व प्रभावशाली व्यक्तियों के संरक्षण में अनियमितताओं पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है।

यही नहीं, रसद विभाग ने इस योजना के तहत अब तक जून, जुलाई व अगस्त माह के लिए जितना गेहूं का आबंटन किया है, उतना उठाव नहीं होने कारण अन्य तहसीलों में इस गेहूं का वितरण अभावग्रस्त इलाकों के परिवारों को नहीं हो पा रहा है। विभाग की गम्भीर उदासीनता के कारण गेहूं के उठाव वास्ते समय रहते कोई प्रयास नहीं किये गये। उठाव की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर भी कर दी गई जबकि अब तो सितम्बर एवं अक्टूबर माह के गेहूं का वितरण किया जाना है। अजमेर व पीसांगन तहसील को क्रमशः 640 व 360 मैट्रिक टन गेहूं का आबंटन प्रति माह किया गया था यानि तीन महीने में 3000 मैट्रिक टन गेहूं का उठाव

(श्री मदन दिलावर)

सुनिश्चित कर आबंटन किया जाना था परन्तु 22 अक्टूबर, 2001 तक अजमेर व पीसांगन ने संयुक्त रूप से अब तक केवल 1600 मैट्रिक टन गेहूं उठाया है। इसी प्रकार नसीराबाद तहसील ने 1230 मैट्रिक टन के बजाय 1220 मैट्रिक टन, ब्यावर तहसील ने 1830 के बजाय 1935 मैट्रिक टन, मसूदा तहसील ने 1650 मैट्रिक टन के बजाय 1140 मैट्रिक टन, किशनगढ़ तहसील ने 2400 मैट्रिक टन के बजाय मात्र 700 मैट्रिक टन, तथा केकड़ी भिनाय व सरवाड़ तहसील ने संयुक्त रूप से 4210 मैट्रिक टन गेहूं उठाने के बजाय मात्र 2055 मैट्रिक टन गेहूं उठाया है। उठाये गये गेहूं में से भी कई शहरी क्षेत्रों में इस गेहूं का वितरण कर दिया गया अर्थात जिस व्यक्ति को इस गेहूं की आवश्यकता है उस व्यक्ति को तो यह गेहूं मिल ही नहीं पा रहा है और सम्पन्न लोगों को जिनको आवश्यकता नहीं है या व स्वयं सक्षम है ऐसे लोगों को यह सरकार गेहूं वितरित कर गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। वास्तव में सरकार की नीयत साफ नहीं है। यह गरीबों की नहीं, अमीरों की सरकार है। यह सरकार गलत काम करने वालों को प्रोत्साहन करती है और उन्हें पूरा संरक्षण देती है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और सही काम करने वालों को हतोत्साहित ही नहीं, उसको दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। यह काफी लोक महत्व का मामला है अतः मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से खाद्य मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : गोवर्द्धन कल्ला।

रामगढ़ जैसलमेर में गैस आधारित पावर हाउस प्लांट बंद होने से उत्पन्न स्थिति

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जैसलमेर जिले के रामगढ़ गैस आधारित प्लांट के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जैसलमेर जिले के रामगढ़ में गैस आधारित पावर हाउस से प्रतिदिन 30-35 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा था। संचालकों की लापरवाही से बाहरी वस्तु के टरबाइन में पड़ जाने से प्लांट गत पखवाड़े से बंद पड़ा है जिससे प्रतिदिन लाखों रुपये की हानि हो रही है। प्लांट संचालन में की गई लापरवाही की जांच करवाकर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। प्लांट के उत्पादन बंद होने से जैसलमेर जिले के काश्तकारों को विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो गया है। पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलने से काश्तकारों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ रही है। सुरक्षा हेतु सीमा पर लगी फ्लड लाइटें भी प्रभावित हुई हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि प्लांट चालू करने में महीनों लग सकते हैं। इस प्लांट की दूसरी 35 मेगावाट की इकाई स्थापित हो रही है तथा तीसरी

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

इकाई का कार्य भी स्वीकृत है। तीन मेगावाट का प्लांट जो प्रारम्भ में स्थापित किया था वह भी बंद पड़ा है। राजस्थान विद्युत उत्पादन कम्पनी को सीमा सुरक्षा की दृष्टि से अविलम्ब प्लांट को पुनः प्रारम्भ करना वांछित है, साथ में काश्तकारों की बुवाई की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्य स्रोतों से पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करके वोल्टेज की समस्या का निदान करना अति आवश्यक है। मान्यवर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी ओर ध्यान दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल सहरिया।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्लांट का रोटेटर खराब हो गया है, उसको हैदराबाद रिपेयर के लिए भेजा गया है। एक महीने में वह रिपेयर होकर आ जाएगा, तब इस प्लांट को दुबारा चालू कर देंगे एग्रीकल्चर सैक्टर में सप्लाई अभी सात घंटे है, उसको हम मेंनटेन रखेंगे।

बारां जिले की किशनगंज तहसील के रेलाबन ग्राम में सब सेंटर का डिस्पेन्सरी में क्रमोन्नयन

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अनुसार ग्राम रेलाबन में डिस्पेंसरी खोलने के क्रम में अनुरोध है कि ग्राम रेलाबन पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां के आस-पास लगभग 25 गांव आते हैं। रेलाबन एक बड़ा कस्बा है तथा चिकित्सा सुविधा के नाम पर केवल मात्र एक नर्स बैठती है जहां पर दवाइयां नाम मात्र की रहती हैं जिससे दूर-दराज के मरीजों को अपना इलाज करवाने के लिए बारां 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कभी-कभी तो मरीज को अकाल मौत का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ग्राम रेलाबन तहसील किशनगंज जिला बारां के सब सेंटर को क्रमोन्नत कर डाक्टर डिस्पेंसरी में करने का श्रम करावें। नमस्ते।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी।

राज्य स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में अनिमितताएं

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय 10, 11, 12 नवम्बर को तीन दिवसीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में की गई अनियमितताओं तथा सरकारी धन के दुरुपयोग के विषय में विशेष उल्लेख प्रस्ताव है।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा दस से बारह नवम्बर तक तीन दिवसीय राज्य स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, उसमें सरकार की

(श्री केसाराम चौधरी)

भावना के अनुसार 16 वर्ष आयु के ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों की जो प्रतिभाएं हैं उनको उभारने का मन्तव्य होता है। किन्तु सवाई मानसिंह स्टेडियम के अन्दर 10 से 12 नवम्बर तक जिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया उसमें इन दोनों बातों की खुले आम धज्जियां उड़ाई गई जिसको मैंने स्वयं ने देखा कि 11 नबम्बर को होने वाला हाकी मैच प्रातः अजमेर का श्रीगंगानगर के साथ हुआ। उसमें भी श्रीगंगानगर विजयी रहा और सेमी फाइनल में पहुंचा। शाम को ही अलवर का सेमी फाइनल मैच भी श्रीगंगानगर के साथ शुरू होने से पूर्व दोनों टीमें फील्ड में खड़ी थी उसमें से सुबह जो खेले थे, उन खिलाड़ियों को 16 वर्ष की उम्र से बड़े होने के कारण बाहर किया गया। यदि यही प्रक्रिया 10 नवम्बर को शुरू होते ही हुई होती तो निश्चित ही अजमेर टीम जीत सकती थी। दोनों टीमों से 16 वर्ष की उम्र से अधिक एवं शहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों को 11 तारीख को बाहर किया वह प्रक्रिया 10 नवम्बर को करनी चाहिए थी।

इसी तरह बालीबाल का सेमी फाइनल भीलवाड़ा व श्रीगंगानगर के बीच 11 नवम्बर को शुरू हुआ। एक मैच खेल बाद में उन दोनों टीमों के अन्दर से उम्र में 16 वर्ष से ऊपर एवं म्यूनिसिपल क्षेत्र के खिलाड़ियों को बाहर किया गया और वापस मैच करवाया गया। यदि इस प्रक्रिया को 10 तारीख से ही शुरू किया जाता तो ही सही खेल हो सकते थे।

ऐसी हालत में कई ग्रामीण प्रतिभाएं टीम चयन जिला स्तर पर ही होने से वंचित रह गई तथा राज्य स्तर पर सरकार द्वारा जो उद्देश्य लेकर टूर्नामेंट करवाये गये थे सरकार का वह मन्तव्य भी पूरा नहीं हुआ जिससे सरकार द्वारा टूर्नामेंट पर किये गये धन का भी सदुपयोग न होकर दुरुपयोग ही शुरू हुआ है। अतः सरकार द्वारा खेल अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा सरकार द्वारा किये गये खर्च को भी उनसे वसूलने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

चूरू के डेडराज भरतीया चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्था

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत चिकित्सा मंत्री का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र चूरू के डेडराज भरतीया चिकित्सालय में फैली अव्यवस्था व लम्बे समय से विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पद होने के कारण उत्पन्न विकट स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

चूरू जिला मुख्यालय स्थित डेडराज भरतीया चिकित्सालय विगत 2 वर्षों से अव्यवस्था व भ्रष्टाचार का अड्डा बना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हुआ है। दर्जनों बार विभिन्न स्तरों पर अव्यवस्था की ओर ध्यान दिलाने हेतु लिखे पत्रों के पश्चात् भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं करना अत्यन्त चिन्तनीय है। चिकित्सालय में चिकित्सक आउटडोर में बैठते नहीं तथा बिना पैसे दिये भरतीया चिकित्सालय में कोई भी ईलाज कराया जाना सम्भव नहीं है, बिना पैसे दिये कोई भी आपरेशन नहीं किया जाता है। चिकित्सालय में गंदगी का ढेर लगा है भरतीया चिकित्सालय में वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक के 5 पद स्वीकृत हैं, इन पदों में 3 पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन का पद, दिनांक 4.1.2000 से, स्त्रीरोग विशेषज्ञ का 4.10.2000 से, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ का पद 10.2.2000 से रिक्त पड़ा है। इसके अलावा चिकित्सालय में कनिष्ठ विशेषज्ञ के स्वीकृत 8 पदों में से 4 पद कनिष्ठ विशेषज्ञ काफी समय से रिक्त चले आ रहे हैं। डेडराज भरतीया अस्पताल में पैथोलोजी, इ.एन.टी. रेडियोलोजी के कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद पिछले डेढ़ वर्ष से लेकर 6 माह से रिक्त पड़े है। चिकित्सालय में नर्स ग्रेड प्रथम के स्वीकृत 15 पदों में से 12 पद रिक्त चल रहे हैं। इसके अलावा उप नियंत्रक व वरिष्ठ चिकित्सालय अधिकारी के पद भी रिक्त हैं।

चिकित्सालय में लम्बे समय से रिक्त पदों के कारण चिकित्सालय में अव्यवस्था चल रही है जिसके कारण रोगियों को भयंकर समस्या हो रही है। रोगियों को समय पर देखा नहीं जा रहा है एवं न ही उनको समय पर दवाई दी जा रही है। एक जिला मुख्यालय पर इस तरह की चिकित्सालय की हालत होना लोक महत्व का प्रश्न होने के कारण सदन में चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमार।

दीगोद तहसील की नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत तहसील दीगोद जिला कोटा में नहरों का पानी अन्तिम छोर तक नहीं पहुंचने की स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन है कि कोटा जिले की तहसील दीगोद का अधिकांश भाग चम्बल नहर द्वारा सिंचित किया जाता है। किसान नहरों द्वारा सिंचाई कर ही फसल पैदा करते हैं। इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण गांधी सागर बांध में जल की आवक कम रही है, जिसके कारण जल पूर्ण भराव क्षमता से बहुत कम रहा है।

सिंचाई विभाग द्वारा जल वितरण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण नहरों के अन्तिम भाग तक पानी नहीं पहुंच पाता है। अक्टूबर माह में सोयाबीन की फसल बचाने हेतु एक माह के लिये पानी छोड़ा

(श्री हेमन्त कुमार)

गया था लेकिन वह पानी भी अन्तिम छोर के किसानों को खेत सिंचित करने हेतु उपलब्ध नहीं हुआ। जबकि केवल सोयाबीन की फसल को ही पानी देना था।

सोयाबीन की फसल कट कर खेत खाली हो चुके हैं तथा बिना फसल के बोये खेत भी पहले से ही सिंचाई हेतु खाली हैं। किसान अपनी पूरी भूमि को नहर के पानी से पलेवा कर खेत तैयार करना चाहते हैं ताकि एक फसल तो पैदा की जा सके। सोयाबीन की फसल तो नष्ट हो ही गई।

ऐसी स्थिति में नहर का पानी नहर के अन्तिम छोर तक सरकार की समुचित व व्यवस्थित व्यवस्था के बिना नहीं पहुंच सकता। नहर के प्रारम्भ में डीजल पम्प लगा कर व नगरों को काट कर अवैधानिक तरीकों से पानी लिया जा रहा है। खरीफ की फसल में भी पानी नहीं देने से कोई पैदावार नहीं हो पाई। रबी की फसल में भी यदि पलेवा करने हेतु पानी नहीं मिला तो किसानों को अकाल का सामना करना पड़ेगा।

आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि समय रहते नहरों का पानी अन्तिम छोर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करे जिससे किसान अकाल के चपेट में आने से बच सके तथा जिन गांवों में पानी नहीं पहुंच पाया उन्हें अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कर राहत प्रदान करने की व्यवस्था करें।

नहर काट कर ड्रेन द्वारा डीजल पम्प से सिंचाई करने, नहर में डीजल इंजन द्वारा बना धोरे के अवैधानिक तरीके से सिंचाई करने पर रोक लगा कर आवश्यक कार्यवाही कर अन्तिम छोर के किसानों की फसल बचाने की व्यवस्था करें वरना अन्तिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पायेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. के. सी. चौधरी।

ब्यावर में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति हेतु व्यवस्था

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत जलदाय मंत्रीजी का ध्यान ब्यावर शहर व ग्रामीण इलाके में हो रही पेयजल की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, ब्यावर शहर में करीबन 40 प्रतिशत आबादी को बीसलपुर योजना से पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध होने के पश्चात् भी आठ नयी विकसित कालोनियों जिनमें अधिकांश गरीब तबके के लोग रहते हैं, में मात्र 20 लाख रुपये लागत की योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन नहीं बिछाने के कारण पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। फलस्वरूप माननीय जलदाय मंत्रीजी के आश्वासन के पश्चात् भी इन कालोनियों, जिनका नाम कुमावत, अक्षय नगर, श्री रामनगर, सूरज, जनकपुरी, गजानन्द, मास्टर, मूलचन्द नगर हैं, में रहने

(डा. के. सी. चौधरी)

वालों को पेयजल की भारी किल्लत हो रही है। इसी प्रकार माननीय जलदाय मंत्री जी की घोषणा के पश्चात् भी ब्यावर शहर में अतिरिक्त जल भण्डारण हेतु एक रिजर्व टंकी का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आपातकाल के समय ब्यावर शहर में पेयजल की आपूर्ति पूरी तरह लड़खड़ा जाती है।

साथ ही में कोटड़ा, कालिंजर व वागमाल ग्रामीण क्षेत्रों में पम्प एवं टेंक योजना जो कि लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है, को आपके माध्यम से शीघ्र स्वीकृत दिलाने के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। ब्यावर शहर में पाइप लाइनों की व्यवस्था, अतिरिक्त जल भण्डारण हेतु टंकी का निर्माण व ग्रामीण पेयजल योजना की स्वीकृति हेतु माननीय जलदाय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं, ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवासियों को पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल बारूपाल। एक मिनट, बारूपालजी, बिराजिये, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर के अन्दर 15 से 20 कालोनियां हैं जहां जब तक ये सहभागिता योजना के अन्तर्गत कुछ सहयोग नहीं करेंगे तब तक यह काम होना सम्भव नहीं है, नम्बर-1, नम्बर-2, जलाशय का जहां तक सवाल है वह हमारी प्रक्रिया में है 15 से 20 दिन या महीने भर के अन्दर स्वीकृत हो जाएगी।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी सदन में यह बात तय हुई थी कि सहभागिता योजना के अन्तर्गत विधायक कोष से 25 प्रतिशत आप दें और 75 प्रतिशत सरकार लगा देगी। 25 प्रतिशत विधायक कोष का पैसा दे दिया गया है, पाइप लाइन के लिए 5 लाख रुपये एम.एल.ए. फण्ड से दिया गया। 15 लाख रुपये के लिए विभाग बार-बार वहां डी.आर.डी.ए. में लिख रहा है कि यह योजना सहभागिता में पूरी कर सकते हैं कि नहीं। यह प्रक्रिया पिछले एक-डेढ़ साल से चल रही है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसका कहीं न कहीं जाकर फाइनल डिसीजन आप करवा दें।

जायल तहसील, जिला नागौर में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति

श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 295 के तहत विद्युत मंत्रीजी का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं, विद्युत मंत्रीजी को नागौर जिले की तहसील जायल की बिजली के बारे में मैं बताना चाहता हूं, मंत्रीजी कहते हैं, किसानों को आठ घंटा

(श्री मोहन लाल बारूपाल)

बिजली मिलेगी मगर बिजली नागौर जिले में तीन-चार घंटा ही नहीं मिल रही है। इसलिये आपसे निवेदन करना है कि बिजली कम से कम 5 से 6 घंटा मिलनी चाहिये। आपके जो बिजली के कर्मचारी हैं वे मनमानी कर रहे हैं। जो बिजली का बिल आता है वो ए.ईएन.-जे.ईएन. दो-तीन महीने-महीने में तीन-चार हजार रुपये का बिल बना देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। आपने जी.एस.एस. तीन सालों में नागौर जिले में चार पांच बना दिये हैं तो अच्छा है, मगर बिजली पहले से कम क्यों मिल रही है। इसका क्या कारण है। जो आप बात मुंह से कहते हो वह गलत नहीं होनी चाहिए। आप हमें गलत आश्वासन देते हो तो फिर सही कौन करेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी।

नीमकाथाना के गांवों में पेयजल समस्या

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये जलदाय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। निम्नलिखित गांवों की पेयजल योजना राज्य सरकार के पास भेजी गई थी, अभी तक कोई आदेश नहीं हुए हैं :—

1. रायपुर पाटन सार्स से काचरड़ा सिर्फ 1000 मीटर की दूरी में पाइप लाइन डाल दी जाए तो काचरड़ा के निवासियों को लाभ मिल सके।
2. ग्राम कैरवाली में पानी खारा है वहां ट्यूब वैल व टंकी बनाकर गांव वालों को पेयजल की सुविधा दी जाए।
3. ग्राम पंचायत रायपुरा वेगाका-नांजल रेवेन्यू विलेज-2 हैं लेकिन प्रेक्टिकल में रेवेन्यू विलेज एक ही है आबादी 3000 के करीब है अत: इसकी स्कीम मंजूर कर ग्रामवासियों को राहत दिलाई जाए।

नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी है। पीने के पानी की बहुत कमी है, इसके लिये सिर्फ हैण्ड पम्प योजना ही लाभान्वित है। हाल में राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि 1-6 किलोमीटर की दूरी में दूसरा हैण्ड पम्प नहीं लगाया जाए जबकि पहले से 100-100 मीटर की दूरी में हैण्ड पम्प लगे हुए हैं। इनमें जल स्तर नीचे चले जाने से गांवों में पेयजल की स्थिति गम्भीर हो रही है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में 300 हैण्ड पम्प ढाई इंच के लगे हुए हैं जो खराब हो रहे हैं, इन हैण्ड पम्पों को सवा इंच में बदला जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाराम मेघवाल। विराजिए, कर दिया आपने निवेदन।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सही है। सीकर में भी जब कभी कलक्टर के यहां मीटिंग में बात होती है कि ढाई इंच वाले हैण्ड पम्प लगे हुए हैं इनका पूरा पैसा इनमें लगा हुआ है, उनको यदि सवा इंच में कनवर्ट कर दिया जाए तो गांव वालों के पीने के पानी की व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। सीई. तक यह बात बराबर पहुंचाई गई लेकिन आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। खास तौर से नीमकाथाना, धोद कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां खारे पानी की समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया आपने, मंत्रीजी ने नोट कर लिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर माननीय सदस्य को आप व्यक्तिशः सुनें, यह बड़ी भारी समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी सुन रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : और नियम बना दिया कि डेढ़ किलोमीटर पर हैण्ड पम्प नहीं लगाये जाएं। डेढ़ किलोमीटर से कोई आदमी पानी कैसे लाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है, राजपुरा में हरिजनों को पानी नहीं भरने दिया जाता है। वहां एक अध्यापक है उसी गांव का, उन लोगों ने कनेक्शन ले रखे है और उस अध्यापक के कारण उनको पानी नहीं मिल रहा है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो रही है इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसकी विशेष व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपारामजी।

सिवाना में कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु लक्ष्य का गलत निर्धारण

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सिवाना विधान सभा क्षेत्र में किसानों के कृषि कनेक्शन में इस वर्ष सामान्य श्रेणी का जो लक्ष्य 1991 तक दिया गया, उसे मार्च, 1992 तक बढ़ाने के क्रम में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सिवाना विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन का विद्युत वितरण निगम जोधपुर द्वारा जो लक्ष्य दिया गया है वह मार्च, 1991 का दिया गया है जबकि गत वर्ष भी सामान्य श्रेणी के बिजली कनेक्शनों का लक्ष्य मार्च, 1991 तक ही था। मार्च, 1991 तक का लक्ष्य तो गत वर्ष ही इस दायरे में सामान्य श्रेणी के लोगों को लाभान्वित कर अर्जित कर लिया गया था।

इस वर्ष भी उसी सन् 1991 को दोहरा कर गरीब व असहाय किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अतः आपके

(श्री गोपाराम मेघवाल)

माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि विद्युत वितरण निगम जोधपुर द्वारा इस वर्ष किसानों के कृषि (सामान्य) कनेक्शन हेतु 1992 का लक्ष्य दें जिससे गरीब एवं कमजोर वर्ग के किसानों को न्याय व लाभ मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जसवन्त सिंहजी गुर्जर।

बाड़ी, धौलपुर के कंचनपुरा थानाधिकारी द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की पिटाई

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिले में विगत दो वर्षो से गुण्डों व डकैतों की समानान्तर सरकार, सरकार में बैठे नेताओं की शह पर चल रही है। विगत एक वर्ष में धौलपुर जिले में लगभग 50 हत्याएं, 30 बलात्कार के मुकदमे दर्ज हुए हैं जिनमें से अधिकांश में पुलिस की लापरवाही के कारण मुलजिम पकड़ से बाहर रहे हैं। हाल ही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र बाड़ी के थाना कंचनपुरा के अंतर्गत गांव चौकपुरा के पंजाब सिंह जो विकलांग है की पुलिस थाना अधिकारी कंचनपुरा द्वारा अकारण ही दिनांक 30.10.2001 को बर्बर पिटाई की गई तथा पंजाब सिंह की गुदा में पैट्रोल डालने जैसे अमानवीय कृत्य किया गया। जबकि पंजाब सिंह पर आज तक किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

पुलिस थाना अधिकारी कंचनपुरा द्वारा दिनांक 30.10.2001 रात्रि के समय 6 बजे पंजाब सिंह को तफतीश के बहाने थाने में बुलाकर बिना किसी अपराधी के थाने में चार दिन बंद रखा गया एवं पिटाई की गई पंजाब सिंह के परिवार वालों द्वारा थानाधिकारी को 10,000 रुपये रिश्वत के रूप में दिये जाने के पश्चात् पंजाब सिंह को रिहा किया गया। रिहा होने के पश्चात् पंजाब सिंह की हालत भयंकर खराब हो जाने पर उसे राजकीय चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां पर मेडिकल मुआयना किया गया जिसमें डाक्टरों द्वारा बताया गया कि पंजाब सिंह के 14 चोटें आई हैं एवं इनके गुदा में पैट्रोल डाले जाने के कारण आन्तरिक अत्यन्त भयंकर कटांव हो गये हैं एवं आन्तरिक भाग जल चुके हैं।

महोदय, कंचनपुर थानेदार द्वारा यह पहली घटना नहीं है। गांव चौकपुरा के निर्दोष व्यक्ति को अकारण बन्द कर पिटाई की गई तथा रिश्वत देने पर उसे रिहा किया गया। इस प्रकार जिले में दिन-प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही हैं उससे वास्तविक अपराधी पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जा रहे हैं एवं जो निर्दोष लोग अपना जीवनयापन कर रहे हैं उनको थाने पर बुलाकर पीट-पीट कर रुपये प्राप्त करने का धंधा बना लिया गया है। पुलिस जिसका कार्य रक्षा करना है, रक्षक न रहकर

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

भक्षक बन गई है। जिले में कानून-व्यवस्था पर लोगों का विश्वास उठ गया है। यहां आम चर्चा यह है कि पुलिस बेकार होकर डाकुओं की तरह व्यवहार करना राजनीति में बैठे लोगों के कारण किया जा रहा है।

काफी लोक महत्व का मामला है अतः मैं विशेष उल्लेख के माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

झुंझुनूं में राजीव गांधी मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत हैण्ड पम्पों की स्थापना में उत्पन्न अवरोधों का निवारण

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं नीचे लिखे महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

झुंझुनूं जिले में कई सौ हैण्ड पम्प राजीव गांधी मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत होने के बाद भी लगाये नहीं जा रहे हैं। 1.6 किलोमीटर के बहाने को लगाकर प्यासी जनता को पीने के पानी की सुविधा से वंचित किया जा रहा है। जिस समय हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये थे सभी पहलुओं की तरफ ध्यान किया जाकर इनकी स्वीकृत जारी की गई थी 1.6 किलोमीटर का फासला सिर्फ एक बिन्दु है, इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति-जनजाति की बस्तियां, नयी ढाणी, मजरों की स्थिति, जनसंख्या की स्थिति तथा पीने के पानी की अन्य व्यवस्थाएं भी हैण्ड पम्पों की स्वीकृत हेतु ध्यान देने योग्य बिन्दू हैं, लेकिन इन सबकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिले की खेतड़ी तथा उदयपुरवाटी तहसील पहाड़ी क्षेत्र है दूर-दूर ढाणियां बसी हुई है जिनको पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भिन्न-भिन्न बहाने बनाकर स्वीकृत हैण्ड पम्पों के लगाये जाने के कार्य को रोक रखा है। जब सब पहलुओं पर गम्भीरता से विचार करने के बाद ये स्वीकृतियां जारी की गई थीं तो फिर अब किसी उच्च अधिकारी की व्हिम्स पर इस कार्यक्रम को निष्फल किया जाना कतई उचित नही माना जा सकता है।

अतः मैं राज्य सरकार का इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्वीकृत हैण्ड पम्पों को लगाने की अविलम्ब व्यवस्था करवाने हेतु आग्रह करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंहजी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों की सहायतार्थ एकत्रित राशि का उपयोग

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, जनता की भावनाओं को राजस्थान की सरकार ने भड़का कर गुजरात में जब भूकम्प आया जब पैसा इकट्ठा किया उड़ीसा

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

में जब चक्रवात आया जब पैसा इकट्ठा किया और कारगिल में जब विजय आपरेशन चला उस समय पैसा इकट्ठा किया, लेकिन इकट्ठा करने के बाद वह पैसा नियत जगह पर पहुंचाया नहीं। गुजरात में नहीं पहुंचाया, उड़ीसा में नहीं दिया और वह पैसा अपने पास रखा। कुल मिलाकर कारगिल विजय आपरेशन में पैसा इकट्ठा हुआ जन सहयोग से, सरकारी कर्मचारियों के वेतन की कटौती से और लोगों के स्वयं के देने से 21,54,87,011 रुपये सरकार के स्वयं के जवाब के अनुसार पैसा खर्च हुआ 2,91,25,000/- रुपये। सरकार का जवाब है श्री केसाराम चौधरी के तारांकित प्रश्न के जवाब में। मैं सरकार के आंकड़ों से ही बता रही हूं। बाकी पैसा सरकार के पास जमा है। सरकार ने केवल 2 करोड़ 91 लाख, 25 हजार रुपये खर्च किये और बाकी रुपयों के लिए लिख दिया कि यह राशि सैनिकों के कल्याण हेतु उपलब्ध है राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि पैकेज के अनुसार भुगतान के बाद शेष राशि के ब्याज से दिनांक 1.4.99 से पूर्व शहीद हुए सैनिकों के परिवारों, वीरता पदकों से सम्मानित सैनिकों को सहायता दी जाए एवं सैनिक कल्याण के अन्य कार्य कराए जायें : यह लिख दिया।

उसी प्रकार से 21 करोड़ 28 लाख रुपये जब गुजरात में भयंकर भूकम्प आया था उस समय भी इकट्ठा किये गये थे। यह जो पैसा इकट्ठा हुआ, अपनी सम्वेदना के हिसाब से जनता ने सरकारी कर्मचारियों ने और विधायकों ने अपने वेतन से दिया था। इस पैसे में से सरकार ने कितना खर्च किया? आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि प्राप्त राशि में से 58.46 लाख रुपये की सामग्री भेजी गई। गुजरात भूकम्प में राजस्थान के प्रवासियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 13 लाख 78 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत की गई और 3 करोड़ रुपये गुजरात भूकम्प पीड़ितों के तीन गांवों के पुनर्निर्माण के लिए आवास विकास लिमिटेड, जयपुर को दिये गये। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो 21 करोड़ 28 लाख रुपये इकट्ठा किया गया था उसमें से 3 करोड़ 72 लाख 24 हजार रुपये खर्च किया गया।

इसी प्रकार से उड़ीसा में भी भयंकर चक्रवात आया, तूफान आया और उस तूफान के अन्दर राज्य सरकार ने 2 करोड़ 29 लाख 56 हजार रुपये इकट्ठे किये। उस पैसे में से एक करोड़ रुपये उड़ीसा सरकार को नकद भेज दिये और बाकी 70 लाख 85 हजार रुपये राहत सामग्री क्रय करने में और भेजने में व्यय कर दिये। कुल मिलाकर 45 करोड़ 12 लाख 43 हजार रुपये इकट्ठे हुए और सरकार ने खर्च किये 5 करोड़ 34 लाख रुपये। 40 करोड़ सरकार के पास जमा है। मैं सरकार पर चार्ज नहीं लगाती हूं। (व्यवधान) काम में ले लिया। सरकार ने जरूर काम में लिया होगा, क्योंकि सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है। अवश्य काम में लिया होगा। लेकिन यह निवेदन करना चाहती हूं कि जिस काम के लिए पैसा लिया जाए, उस काम में यदि खर्च नहीं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

होता हैं तो यह क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट हैं, और इसके लिए सरकार दोषी है। (व्यवधान) मिस एप्रोप्रिएशन है। सरकार दोषी है। सरकार गरीब हो सकती है, पर गरीब होने का मतलब यह नहीं होता कि जनता की भावनाओं को भड़का कर, जनता की भावनाओं को उभार कर, जनता की सम्वेदनाओं का इस तरह से आप उपयोग करो। पैसा इकट्‌ठा कर लो और इकट्‌ठा करके उनको नहीं भेजो। जिस काम के लिए आपने लोगों से पैसा लिया, वहां पर नहीं भेजा और उसे किसी और काम में ले लो। यह क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट है। मैं आपको इस बारे में पढ़कर सुनाना चाहूंगी कि क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट कैसे कहलाता है।

"Whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or dispossesses that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract, express or implied which he has made touching the discharging of such trust or wilfully suffers any other preson so to do, commits criminal breach of trust."

इसका पनिशमैंट 409 है वह भी मैं पढ़कर सुना देती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे अधिक ताज्जुब इस बात पर होता है कि यह पारदर्शी, जवाबदेह और सम्वेदनशील सरकार जिसने लोगों की सम्वेदनाओं को उभार कर पैसा इकट्ठा किया, वह ब्रीच आफ ट्रस्ट पर जाए। यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन इसकी सजा भी है और यह सजा सरकार को मिलनी चाहिए क्योंकि सरकार ने ब्रीच आफ ट्रस्ट किया है। गुजरात भूकम्प पीड़ितों को जो पैसा भेजा जाना चाहिए था, उस पैसे का जो उपयोग किया जाना चाहिए था वह सरकार ने नहीं किया। पीड़तों के साथ में धोखा किया, मानवता के साथ धोखा किया और जनता के साथ भी धोखा किया। पीड़ित मानवता के प्रति भी हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम उन्हें अपनी सहायता दें। इसलिए हम सब लोगों ने उसमें वेतन कटौती कराई है, हम सब लोगों ने उसमें दिया है। सरकार ने उस बात को बिलकुल ध्यान में नहीं रखा कि कैसे हमने जनता की गाढ़े पसीने की कमाई को इकट्ठा किया है इकट्ठा करके उसे हम किसी और काम में ले रहे हैं, यह जनता के साथ विश्वासघात है और इसके लिए सरकार को सजा मिलनी चाहिए। मैं यह भी पढ़कर सुना देती हूं कि ऐसा क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट करने वालों की सजा क्या होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन पैसों के बारे में काफी कुछ कहा गया, इससे सबसे बड़ी परेशानी यह है कि राजस्थान सरकार ने गुजरात के कुछ

(श्री राजेन्द्र पारीक)

गांवों को एडाप्ट कर रखा है जिन गांवों को एडाप्ट कर रखा है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, यह आपका प्रसंग नहीं हैं, विराजिए। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह बता दिया कि तीन करोड़ ....(व्यवधान) मैंने कह दिया तीन करोड़, आप क्या बात कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इस तरह की चर्चा करने से और तो कुछ होगा कि नहीं होगा, पर यह जरूर होगा कि भविष्य में जब कभी भी इस तरह की आपदाएं आएंगी, कोई भी आदमी आपको पैसा नहीं देगा। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप ऐसा करेंगे तो नहीं आएंगी। (व्यवधान) मंत्री महोदय आपने धोखा किया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : राजेन्द्र पारीकजी पहले मंत्री बनो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ख्वाहमख्वाह आप अविश्वास का वातावरण बनाओ तो इससे क्या होने वाला है सरकार ने गुजरात के कितने ही गांवों को एडाप्ट कर रखा है, उनमें जो खर्चा हुआ वह एक दिन में नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : गांवों को एडाप्ट कर रखा है उनमें एक दिन में तो खर्चा....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह जनता की गाढ़ी कमाई है, जनता के साथ में धोखा है, आप जवाब देने में सक्षम नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जनता की गाढ़ी कमाई का कौनसा खा गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पारीक साहब, विराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इस तरह की भ्रामक धारणा नहीं फैलानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह अच्छी परम्परा नहीं है। राजस्थान सरकार ने गुजरत के कितने गांवों को एडाप्ट कर रखा है, उनको गोद ले रखा है। (व्यवधान) उन गांवों के विकास के लिए पुनर्निर्माण के लिए जितना पैसा खर्च हो राजस्थान सरकार खर्च करेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : परम्परा क्या है, यह मैं आपसे ज्यादा जानती हूं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बताइये कारगिल शहीदों का पैसा कहां गया? भूकम्प पीड़ितों का पैसा कहां गया? (व्यवधान) सारा का सारा यह सरकार... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी पारीक, अपनी सीमाओं को समझिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुख्य मंत्रीजी इनको मंत्री नहीं बना रहे हैं इसलिए अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिए। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आपने गोद लिया है, उनको भूखे मार रहे हो, उनको रोटी दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे पूरा करने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : इनको पूरा करने दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो किसी हार्श भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहती थी, लेकिन सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे मजबूर कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप मजबूर मत होइए, आप तो जो भाषा है वही रखिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं कहना नहीं चाह रही थी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मत कहिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सदन में सबको बोलने का अधिकार है मैंने यहां पर कोई असंसदीय भाषा नहीं कही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अधिकार है तो स्वीकृति मिलने के बाद है।

श्री राजेन्द्र पारीक : राजस्थान सरकार ने गुजरात के गांवों को गोद ले रखा है, मैंने यह कहा। राजस्थान सरकार ने जो पैसा अपनी कस्टडी में ले रखा है वह पैसा वहां पर खर्च होगा, इसमें ऐसा क्या कह दिया। (व्यवधान) आप षड्यंत्रपूर्वक इस तरह की भ्रामक धारणा पैदा कर रहे हैं यह आपके लिए निन्दनीय है (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, आप पहले मेरी पूरी बात कहने दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजेन्द्र पारीक जी, आप तो पहले मुख्य मंत्री के गोद चले जाओ। मंत्री बनो, दो-दो, तीन-तीन बार जीते हो। आपको मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए अपनी भड़ास निकालते रहते हो, अपनी भड़ास मत निकालो। आपको मंत्री नहीं बना रहे इसलिए आप भड़ास निकालते रहते हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इतनी ही सच्चाई है तो इस इश्यू को नियमों के तहत आना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय ज्ञानदेवजी, आप तो गोद नहीं जाना चाहते इनको...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : भूकम्प पीड़ितों का पैसा कहां गया। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप पहले मुख्य मंत्रीजी के गोद चले जाइए। आप गोद क्या लेंगे, आप पहले मुख्य मंत्रीजी के गोद चले जाओ। आपको मंत्री नहीं बनाया इसलिए आप भड़ास निकालते रहते हो। आए दिन भड़ास निकालते रहते हो, मंत्री नहीं बना रहे। सुमित्राजी को बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने का अधिकार सबको है लेकिन आसन की इजाजत से है। (व्यवधान) और दूसरी बात यह कि जब माननीय सदस्या बोल रही हैं, उसके बाद सरकार बैठी है, कोई बात होगी तो जवाब दे देगी। (व्यवधान)

आपने बीच में कहां से कह दिया कि यह है। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य जो जिक्र कर रहे हैं कि गांवों को गोद ले रखा है, उन गांवों को गोद लेने के लिये शायद उन्होंने सुना नहीं 3 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो कह चुकी हूं कि 3 करोड़ और कुछ लाख रुपया खर्च किया गया है। मैंने पहले निवेदन कर दिया है।

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि प्राकृतिक आपदाओं में हमारा सबका कर्तव्य है किसी एक स्टेट पर यदि इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो मानवता के नाते सबका कर्त्तव्य है दूसरी स्टेट्स का भी कर्त्तव्य है कि वे ऐसे मौके पर दिल खोल कर मदद करें और इन तीनों ही मौकों कारगिल के विजय आपरेशन, गुजरात के भयंकर भूकम्प के पीड़ित लोगों की राहत के लिये और उड़ीसा के चक्रवात के समय यहां के लोगों ने दिल खोलकर पैसा दिया। यदि इसी तरीके से राजस्थान सरकार क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट करती रही तो पैसा जनता से लेगी उस पैसे को किसी और काम में खर्च कर देगी और वहां नहीं भेजेगी तो, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है सरकार से कि यह न केवल राजस्थान की जनता के साथ धोखा है बल्कि गुजरात के साथ भी धोखा है, उड़ीसा के साथ भी धोखा है और उन शुरवीरों के साथ धोखा है जो लेह लद्दाख और कश्मीर की बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं, बाड़मेर में, जेठ के तवे से तपती रेत के ऊपर अपने शरीर से पसीना बहाते हैं और मातृभूमि के लिये अपने आपको न्यौछावर कर जाते हैं। यह उनके साथ भी धोखा है। यह उनके साथ धोखा है, उड़ीसा के साथ धोखा है, राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। हम सबके साथ धोखा है जिनके पैसे आपने लिये और पैसे लेकर उचित जगह पर उन्हें नहीं पहुंचाया और अन्य कामों में खर्च किया। वह अमानत में खयानत तो है ही क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट का मतलब क्या है। अमानत में खयानत तो की है, लेकिन सजा भी है उसके लिये, मैं आपको बताती हूं। राजस्थान की जनता और 10 सजा नहीं देगी, राजस्थान की जनता आपको यह सजा देगी कि यहां बैठायेगी अगली बार वहां बैठाएगी आपको। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं....

एक माननीय सदस्य : आप कहां बैठेंगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं तो कहीं भी बैठूं, उससे क्या मतलब है। लेकिन बैठूंगी इस सदन में, यह मैं आपसे कह सकती

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हूं। यह कह सकती हूं आपसे कि बैठूंगी इस सदन के अन्दर बैठूं कहीं भी वह एक अलग बात है। तो मैं यह निवेदन कर रही थी....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारी यह इच्छा है कि आप इधर विराजें।

श्री जगत सिंह दायमा : आप यहां बैठेंगे, मैं वहां बैठूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : हम सबकी शुभकामनाएं हैं, आप इधर बिराजें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो मैं यह निवेदन कर रही थी आइन्दा...(व्यवधान) नहीं, मैं आपकी इच्छा से तो चलते वाली हूं नहीं।

एक माननीय सदस्य : शीशरामजी ओला साहब से पूछ लीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वह जनता ही बताएगी, जनता ही जवाब देगी। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। न इनसे पूछने की जरूरत है, न उनसे।

मैं यह निवेदन कर रही थी कि इसके अन्दर सजा का प्रावधान है और वह सजा मैं पढ़कर भी सुना देती हूं कि आपको क्या होनी चाहिए।

"Criminal breach of trust by public servant or by Banker Merchant or Agent or by Government. —Whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property in his capacity of a public merchant, Servent or in the way of his basiness as Banker, Facter, Broker, Attorney or Agent, commits criminal breach of trust in respect of the property shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be libale to fine."

यह सजा है। जिस काम के लिये आपने पैसा इक्ट्ठा किया उस काम में आपने पैसा खर्च नहीं किया और आपने उस पैसे का दुरुपयोग कर लिया, उसका मिसयूज कर लिया। इसलिये मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ कि सरकार ने भयंकर धोखा किया है जनता के साथ, मैं इसकी निन्दा करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : एक मिनट का मैं समय चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न आ खड़ा किया है उसकी समुचित जानकारी इस सरकार की तरफ से नहीं दी गयी तो इससे बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न होगा। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात का उत्तर दे।

श्री उपाध्यक्ष : बोल रहे हैं वे। खड़े हो गये बोलने के लिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोल रहा हूं आपको आपत्ति है तो बैठ जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, आपको कैसे बैठा सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आपके हुक्म को मानना ही पड़ेगा।

सरकार से मैं जानकारी करना चाहूंगा कि फण्ड जिस समय एकत्रित किया गया कारगिल के नाम पर, उड़ीसा के नाम पर इकट्ठा किया गया, गुजरात के नाम पर जिस समय इकट्ठा किया गया आपने जनता को यह कहा था कि हम वह फण्ड कारगिल के नाम से जमा रखेंगे या उड़ीसा के नाम से जमा करेंगे या गुजरात के नाम जमा रखेंगे और जो चाहेंगे तब खर्च करेंगे जैसी योजना होगी उसी प्रकार से खर्चा किया जाएगा। आपने उस समय लोगों को कहा, कारगिल में युद्ध हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, हमें इसके लिये पैसा दो। यही गुजरात में भूकम्प के सम्बन्ध में आपने कहा। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस पैसे को राज्य सरकार अपने पास रखे, इसका अधिकार आपने कब प्राप्त किया, किस कानून के जरिये प्राप्त किया और किस घोषणा से और विश्वास के आधार पर प्राप्त किया। यह जानकारी दें कि कितना पैसा आपके पास है, वह पैसा कहां जमा हो रहा है उस पैसे का इंटरेस्ट कहा जाता है क्या जो आपने अपना राहत कोष बना रखा है उस राहत कोष में वह पैसा जमा हो रहा है या वह पैसा कंसोलिडेट फण्ड में जमा होता है उसका इंटरेस्ट किस हिसाब से लिया जाता है, उस इंटरेस्ट की भी जानकारी दें। इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा लिया जाए, किस बैंक से कितना इंटरेस्ट आप ले सकते हैं क्या इस सम्बन्ध में आपने कोई जानकारी की है। इसका स्पष्टीकरण अभी नहीं दे सके तो कल दें। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि मामला इतना गम्भीर है कि भविष्य में यदि कोई सरकार की तरफ से अपील निकली और लोगों में इस प्रकार का भ्रम पैदा हो गया की सही ढंग से खर्च नहीं हो रहा है या यही ढंग से पैसे का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो इसके कारण से लोगों एक जबरदस्त भ्रम की स्थिति पैदा होगी और भविष्य में लोग आगे नहीं आएंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या ने....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पिलानी से नहीं, झुंझुनूं से आती हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : झुंझुनूं सारी। पहले पिलानी आती थी, अब झुंझुनूं हो गया।

झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने गुजरात भूकम्प पीड़ितों के लिए एकत्रित धनराशि के दुरुपयोग की बात कही है या अन्य कामों में खर्च करने की बात कहीं है। मैं समझता हूं कि जानकारी के अभाव में उन्होंने ऐसी बात कहीं है। यह नितान्त सही नहीं हैं। मुझे मालूम है जहां गुजरात भूकम्प पीड़ितों का सवाल है राजस्थान पहला राज्य था जिसने इसमें पहल की है। डाक्टर्स की टीम भेजी है, मेडिसिन्स भेजी है। (व्यवधान) एक मिनट, आप सुने तो

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

सही मेरी बात को। आप इतने आतुर क्यों हो रहे हैं। आपको अच्छी बात पसन्द नहीं आती है। (व्यवधान) आप सुनने की क्षमता रखिये। आपकी बात को धैर्यपूर्वक हम सुन रहे थे। आप शहीदों की राजनीति करना चाहते हैं या भूकम्प पीड़ितों की राजनीति करना चाहते हैं। किसकी राजनीति करना चाहते हैं, यह बता दीजिए मेरे को।

मुझे जहां तक याद है, मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूं कि गुजरात के भूकम्प पीड़ितों के सम्बन्ध में राजस्थान की सरकार ने और राजस्थान की जनता ने बड़ा योगदान दिया है कई चीजें सीधे गुजरात को उन्होंने भेजी हैं। खाने-पीने की सामग्री भेजी है दूसरी चीजें भेजी हैं सरकार ने दवाइयों के साथ-साथ लोगों के पहनने के कपड़े, कम्बल तथा और चीजें भेजी हैं साथ-साथ गुजरात सरकार ने हमसे मांगी थी एक्सकेबेटर मशीनें, उन सारी सुविधाओं को हमने दिया था। जो रुपया गुजरात पीड़ितों के लिये इकट्ठा हुआ है, उससे राजस्थान सरकार ने 3 गांवों को गोद लिया हैं उनके मकान नक्शे के आधार पर बनाकर उनको सौंपे जाएंगे। पूरा मकान बन जाने पर जो खर्चा होगा, उसको मैं आपको बता सकूंगा कि उस राशि का उपयोग गुजरात पीड़ितों की सहायतार्थ ही किया जा रहा है।

श्री मदन दिलावर : तखमीना कितने का है मकान बनाने का तखमीना कितने का है?

श्री उपाध्यक्ष : बैठे, बैठे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने जवाब दिया है।

श्री मदन दिलावर : इन गांवों के लिये कितना पैसा खर्च होगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं स्वयं वहां गया था हमारे मुख्य मंत्रीजी उन गांवों में गये थे, तीनों गांवों का काम वहां प्रारम्भ कर दिया गया है। मकान बनने शुरू हो गये थे। वर्तमान परिस्थिति में वहां पहुंच गये, इसकी जानकारी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उसके लिये 3 करोड़ का प्रावधान है, 3 करोड़ का आपने दिया है जवाब, यह आपका ही जवाब है। गवर्नमेंट का जवाब है। तीन करोड़ रुपयों का प्रावधान है उसके लिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह जवाब किस तारीख का है आपके पास।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तारीख है अभी 5/11 का।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसमें यह बताया गया है कि अब तक हमने यह पैसा खर्च किया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, यही। हां, यह उसमें ही बताया।

(13.00 बजे)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, आप सुनिये, सुनिये। उसमें यह बताया गया है कि अब तक हमने इतना पैसा खर्च किया

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

है। लेकिन यह कंटीन्युअस प्रोसेस है, उसमें जो मकान पूरे होंगे, भुगतान करना पड़ेगा। पाइप लाइन भी डालनी पड़ेगी और सब करना पड़ेगा, उसके लिए खर्च किया गया है।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को गलत जानकारी दे रहें माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वास्तविकता यह है कि इन गांवों में निर्माण करने के लिए तीन करोड़ रुपये का है, शेष करोड़ों रुपये की राशि कहा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। आप इनको सुनना चाहते हैं या नहीं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 18 करोड़ रुपये बता रहे हैं, वे कहां हैं 18 करोड़? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके कहने से नहीं होगा, उनको सुनिए आप।

श्री मदन दिलावर : सारे सदन को गुमराह कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 18 करोड़, वैसे तो 40 करोड़ है, यह पैसा सरकार के पास पड़ा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपा करके इनको सुनिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह सारा पैसा माननीय विपक्ष के नेता जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फण्ड में जमा होता है, लेकिन गुजरात के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फण्ड के अलावा अलग हैड बनाकर इस पैसे को जमा किया गया है। एक-एक पैसा उस काम पर खर्च किया जाएगा क्योंकि काम चालू है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्रीजी, एक मिनट। आपने अभी काम शुरू कर दिये, मैं यह जानना चाहता हूं कि गुजरात फण्ड में जितना पैसा इक्ट्ठा हुआ, रिलीफ वर्क इमीजिएटली आप चालू कर देते और जो आपको पैसा जमा हुआ है उसके आधार पर काम शुरू कर देते तो काम पूरे हो जाते। पैसा भी खर्च हो जाता और हम हिन्दुस्तान में यह कह सकते थे कि राजस्थान ने गुजरात में इस प्रकार की सहायता की है। पैसा किस लिये है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने कह दिया कि गांवों को ले लिया, यह तो वे खुद भी कर सकते हैं। अब क्या करोगे आप उन गांवों में? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सर, मेरी जानकारी के आधार पर दो महीने पहले हमने मकानों के निर्माण का काम शुरू कर दिया था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक साल हो गया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसी बात नहीं है कि शुरू नहीं किया। उनकी और आवश्यक सुविधाएं कामन फैसिलिटीज, सुविधाएं, पाइप-लाइने वगैरह के सारे काम शुरू कर दिये हैं। उनकी प्रोग्रेस कितनी है, वह चाहे तो मैं सदन को बता सकूंगा, अभी तत्काल मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस पैसे का उपयोग जिस काम के लिए जनता ने हमको दिया था, उसी काम के लिए हम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पैसे की बचत कितनी हुई है? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, नहीं, आप सदन को संतुष्ट नहीं कर पाये हैं। अभी संतुष्ट नहीं हुआ है।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : मैं करूंगा आपको संतुष्ट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, आप तो अपने विभाग में से दिये, वह भी बहुत है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, कारगिल के शहीदों के सम्बन्ध में माननीय सदस्या ने भावनाएं ज्यादा भड़काई हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : शांत कर दो आप।

डा. चन्द्रभान : भावुक होकर तथ्यों के विपरीत यहां पर सदन में गलत जानकारियां दी गई हैं, उनकी तरफ से मुझे बहुत अफसोस है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, प्लीज।

डा. चन्द्रभान : मुझे बहुत अफसोस है कि कारगिल की लड़ाई के समय पूरे देश में एक राष्ट्रीय भावना पैदा हुई आम जन ने उसमें सहयोग किया और केवल मुख्य मंत्री सहायता कोष में ही नहीं किया, हमारे राज्य के लोगों ने प्रधानमंत्री सहायता कोष में भी मदद की। करनी भी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय कारगिल की लड़ाई चल रही थी और लड़ाई समाप्त हो गई, एक तरह से उसमें शहीदों की संख्या 72 थी और उस लड़ाई के बाद आज उनकी संख्या बढ़कर 200 हो गई है। आज भी राजस्थान में कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं निकलता है, एक शहीद की लाश आती है और उनके लिए राज्य सरकार ने एक पैकेज दे रखा है। पैकेज की सराहना कोई हम और आप नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे देशभर में हो रही है। उसमें यहां तक व्यवस्था है कि....(व्यवधान) उस पैकेज को आप यदि देखेंगे तो उसमें मकान भी ले सकते हैं, उसमें कैश रुपये भी आप ले सकते हैं, चार लाख तक और उसके मां-बाप के लिए एक लाख रुपये की मदद है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उनके लिए तो जनता है। नहीं होती लेकिन जो प्रदेश में शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के लिए पैसा दिया था उनको वहीं खर्च करना चाहिए था, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप सुनिए, आप बीच में क्यों खड़े होते हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस पैसे में से कारगिल शहीद के जो परिजन हैं उनकी मदद की जाती है। एक अमाउंट उसमें से खर्च हो चुका है और बाकी उसी के ऊपर खर्च किया जा रहा है। मुख्य मंत्री सहायता कोष में बाकायदा इसका अलग से हैड है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री सहायता कोष में जो सैनिकों की सहायतार्थ अलग से हैड खुला हुआ है, केवल शहीद सैनिकों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए और उनके परिजनों के लिए ही उस पैसे का उपयोग होगा। मैं माननीय सदस्या से कहना चाहूंगा कि आप इस तरह से शहीदों के नाम पर राजनीति न करें, उस पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ है और कोई दुरुपयोग नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, दुरुपयोग हो रहा है न। एक मिनट, आपने कारगिल.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। हो गया बहुत, यह कोई बहस का इश्यू नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह प्रश्न का जवाब दिया है और प्रश्न के जवाब में यह है कि अब तक केवल....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : कारगिल की लड़ाई का जितना पैसा है वह पैसा मुख्य मंत्री सहायता कोष में आज भी जमा है। उसका इंटरेस्ट है वह भी पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के ऊपर ही खर्च होगा। उसको इंटरेस्ट भी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिराजिए। मंत्रीजी विराजिये। श्री मदन दिलावर। माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : (व्यवधान) कितने परसेंट पैसा खर्च हुआ है अब तक?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कारगिल के विजय आपरेशन के शहीदों पर यह.... (व्यवधान)....

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने कहा कि यह एक कंटीन्युअस प्रोसेस है। एक शहीद आप मान लीजिए....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप।

डा. चन्द्रभान : आज आता है, एक लाख रुपये उसके मां-बाप के लिए, चार लाख रुपये उसकी पत्नी के लिए, दूसरे भी उसके ऊपर व्यय होते हैं, यह तो कंटीन्युअस प्रोसेस है। कोई बार-बार मुख्य मंत्री सहायता कोष में कारगिल में नाम पर थोड़ा ही इकट्ठा हो रहा है? यह पैसा उसी मद में से खर्च होगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पहले तो बोले कि दिल खोलकर देने वाले हैं पर जनता.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सुरेन्द्रजी, यह बहस का विषय नहीं है प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बहस नहीं कर रहे हैं, आपने पैसा इकट्ठा किया है कारगिल के नाम से। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदन दिलावरजी। यह अंकित नहीं हो। माननीय मदन दिलावर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

डा. चन्द्रभान : आप सुनिए, आप शहीदों को बांटने का प्रयास मत करो। आप शहीदों को बांटने का प्रयास मत करो, आज भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। आज भी पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जम्मू-कश्मीर में आज भी शहीदों के लिए दे रहे हैं, शहीदों के लिए हम देने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्रीमती सुमित्रा सिंह : XXX

डा. चन्द्रभान : और आप जो कह रहे हो, यह जो मदद दे रहे हो यह कोई....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

डा. चन्द्रभान : एक आपरेशन पर्टीकुलर उसकी कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते, यह एक कंटीनुअस प्रोसेस है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्रीमती सुमित्रा सिंह : XXX

डा. चन्द्रभान : मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह कारगिल के नाम पर नहीं है, मुख्य मंत्री सहायता कोष सैनिकों के कल्याणार्थ....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री मदन दिलावर : कारगिल के नाम पर लिया है।

डा. चन्द्रभान : कोई घटना होती है, एक वक्त होता है....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सैनिकों के लिए तो....(व्यवधान)....

डा. चन्द्रभान : मैं आपको कहना चाहूंगा कि.... (व्यवधान) आज आपने कह दिया रिहैबिलिटेशन, आज चाहे भूकम्प पीड़ित हो, चाहे उड़ीसा के तूफान पीड़ित हों, वहां उनके लिए काम चल रहे हैं और रिहैबिलिटेशन का काम एक दिन में नहीं हो सकता। आपको समझना चाहिए कि 200 लोग शहीद हुए हैं आज। (व्यवधान)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

डा. चन्द्रभान : आप कुछ भी कहें, मैं कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बी.एस.एफ. और सी.आर.पी. के लोगों को भी हमने शहीदों की गिनती में माना है, क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे? आज वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या हम उनको शहीद नहीं मानेंगे? क्या हम उनको शहीद नहीं मानेंगे? (व्यवधान) यह ठीक है, ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री सांवरलाल : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

डा. चन्द्रभान : शहीद शहीद है, चाहे वह कारगिल की लड़ाई में लड़े या आज वह जम्मू कश्मीर में लड़ाई लड़कर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। शहीद, शहीद है।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। बिराजिए आप।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी। मदन दिलावरजी। बिराजिए आप।

दवाई की शीशी में अन्य सामग्री का पाया जाना

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस माता का बेटा बीमार हो जाता है और उसकी स्थिति बहुत खराब रहती है, आप विचार करिए, उस मां के ऊपर क्या बीतती है। वह अपने जेवर, मंगल सूत्र बेचकर अपने बेटे का इलाज कराने के लिए तैयार रहती है उसका बाप भी चाहे दस साल तक लगातार बंधक मजदूर रहने को तैयार हो जाता है परन्तु किसी भी कीमत पर वह अपने बेटे का इलाज करना चाहता है। वह बड़े से बड़े डाक्टर से पास जाता है जहां-जहां उसको सम्भावनाएं बनती हैं कि अपने बेटे का इलाज वह कराये। यानि सब कुछ खोकर भी वे अपने बेटे को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। परन्तु दुर्भाग्य है हमारी सरकार का, यह मैं एक सिफोसेल नाम का 200 एम.जी. का इंजेक्शन लाया हूं, यह इंजेक्शन.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनके 200 से कम में काम नहीं चलता।

श्री मदन दिलावर : यह इंजेक्शन, श्रीमान्, जब बच्चों को निमोनिया हो जाता है, गम्भीर बीमारी हो जाती है, उसमें काम आता है। (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : राठौड़ साहब की तरफ क्यों देख रहे हो?

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, यह एक गम्भीर मामला है, यह जो इंजेक्शन है, इसको मैं इस माइक पर हिला रहा हूं, यदि आपको आवाज आई तो....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आई, आई।

श्री मदन दिलावर : इसमें कांच के टुकड़े या अन्य ऐसी दूषित सामग्रियां भरी पड़ी हैं....(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : दुबारा बजाना।

श्री मदन दिलावर : इसके बच्चों को बीमारी के समय इंजेक्शन....(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : इंजेक्शन है।

श्री मदन दिलावर : इंजेक्शन है, गम्भीर बीमारी के समय जब बच्चे को अपनी मां ठीक करना चाहती है, तब यदि इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाएगा तो बच्चा ठीक होगा या बच्चा भगवान को प्यारा हो जाएगा? यदि बचता होगा तब भी बच्चे के लिए यह मौत का कारण बन सकता है, श्रीमान्। ऐसी दवाइयां हमारा चिकित्सा विभाग बेरोकटोक बिकवा रहा है। आपके माध्यम से सदन को बता रहा हूं, 35 रुपये इंजेक्शन की कीमत है और 35 रुपये में इस इंजेक्शन वायल में क्या भरकर दे रहे हैं। कांच के टुकड़े और अन्य गंदी सामग्रियां। यह तो मैंने एक उदाहरण पकड़ लिया। श्रीमान्, ऐसी कितनी दवाइयां है जो लोगों की जीवन रक्षा के बजाय उनका भक्षण कर रही है। श्रीमान् यह सिफासैल है, इसका ट्रेड नेम है और साल्ट इसमें सेफट्राइक्सोन, एंटीबायटिक है। बच्चों को गम्भीर बीमारी में यह काम आती है। इस कम्पनी का नाम है ओरासैल हैल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, 602, अवधनेश हाउस तालटेज अहमदाबाद। गुजरात की कम्पनी है, श्रीमान्। मैन्यूफैक्चरर है प्रमुख इण्डस्ट्रियल स्टेट रकनपुर, गांधीनगर। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह गुजरात की कम्पनी है, वहां तो बी.जे.पी. का राज है। वहां की बनी हुई दवाई है क्या आप यह नकली दवाई, जो यह पेश कर रहे हैं? आप पकड़वाओ।

श्री मदन दिलावर : यह मार्च, 2000 में बनी है और इसकी एक्सपायरी डेट है मार्च, 2003 इसका लाइसेंस नम्बर है मैन्यूफैक्चरिंग का जी/2873। श्रीमान् ऐसी कम्पनियों की दवाइयां जहां धड़ल्ले से बिकती हों, जहां हम सब उत्तम स्वास्थ्य की कामना की बात करते हों और फिर उन रोगियों को ठीक करने के बजाय हम उनको मरणासन्न स्थिति में ही नहीं, बल्कि मृत्यु के मुंह में धकेल रहे हों जान-बूझकर तो ऐसी सरकार के बारे में क्या कहा जा सकता है? इन्सान की जिन्दगी से जुड़ा हुआ यह मामला है, यह बहुत सम्वेदनशील मामला है। इसलिए हम सब लोगों को सोचना चाहिये था, इस पर ध्यान देना चाहिये था। ऐसी दवाइयों पर रोग लगानी

(श्री मदन दिलावर)

चाहिए थी। ऐसी कम्पनियों के लाइसेंस रद्द करवाने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये थी। ऐसी दवाइयों को रोकना चाहिये था। परन्तु यह सरकार बिलकुल + + + और इस राजस्थान की दुश्मन बनकर इस प्रकार की दवाइयों का सेवन करने के लिये स्वतंत्र रूप से ऐसी कम्पनियों को छोड़ रही है। मुझे बहुत सन्देह है। इस दवाई के बिकने में भी सन्देह इसलिए है कि यह इतनी फर्जी दवा, नकली दवा, दवा में कांच के टुकड़े, ऐसी दवा बिकने के लिये जितने भी राजस्थान में स्वीकृति दी हुई है, निश्चित रूप से करोड़ों रुपये का गोलमाल इन लोगों ने किया है। चाहे सरकार में मुखिया हैं, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे वह चिकित्सा मंत्री हो, चाहे मुख्य मंत्री हो, उन लोगों ने लोगों की जिन्दगी से ज्यादा अपना धन समझा है और अपना पैसा समझा है और लोगों को मारने के लिये ऐसी दवाइयों को देकर करोड़ों रुपये कमाकर इसके मंत्री, इसके अधिकारी अपना घर भर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरी मांग है, श्रीमान्....(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : यह बहुत गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इस कम्पनी की दवा रोकनी चाहिये अन्यथा अंधेर हो जाएगा। कितने ही लोग मर जाएंगे। श्रीमान्, यह बात कोई सामान्य बात नहीं है। यह सामान्य बात नहीं है। चिकित्सा मंत्रीजी को इस बात पर हमको अवगत कराना चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये अब।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, यह सामान्य मामला नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत गम्भीर मामला है।

श्री मदन दिलावर : इतना आसान नहीं है। आप इन्सान की जिन्दगी से खेल रहे हैं। यह इन्सान की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है, श्रीमान्, आप क्या दवाइयां देते हैं? दवा में कांच के टुकड़े बेचे जा रहे हैं। (व्यवधान) यह आपको देखना पड़ेगा। मैं इसको टेबल करूंगा, श्रीमान्। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्रीमान। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी आज्ञा से कर रहे हैं टेबल, आपकी आज्ञा से।

एक माननीय सदस्य : एंथ्रेक्स तो नहीं है। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : रख दो न, रख दो। श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान) दिलावरजी कोई साधारण मामला रखते हैं? हमेशा ही गम्भीर रखते हैं वह तो।

श्री रामप्रताप : हां, गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान) माननीय आजाद साहब, प्लीज।

राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु एकत्र धनराशि

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सार्वजनीकरण का + + + रचने वाली सरकार और सरकार के बिना साक्षात्कार लिये प्रोफेसर बने माननीय मंत्री महोदय ने शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला बना दिया।

श्री जगत सिंह दायमा : इलैक्शन में चन्दा नहीं दिया तो यहां बोल गये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह मामला तो निपट चुका। बार-बार.... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह दूसरा घोटाला है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, रिकार्ड बजाते रहो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, दूसरा घोटाला आ रहा है। घोटाले की दूसरी सीरिज आ रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय शिक्षा मंत्रीजी के मन-मस्तिष्क में एक ही + + + रहती है कि कोई न कोई इस तरह की योजना लागू करें....

श्री उपाध्यक्ष : आप कम्प्यूटर पर बोल रहे हैं न? आप कम्प्यूटर वाले पर बोल रहे हैं न? कम्प्यूटर वाला आ चुका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, मैं कम्प्यूटर पर बोल रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : रिपीट क्या करोगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, रिपीट नहीं करूंगा मैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपके इधर से ही आया है पहले। यह जवाब दे चुके इसका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसका जवाब?

श्री उपाध्यक्ष : इस कम्प्यूटर मामले का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कोई जवाब नहीं आया। मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी के मन-मस्तिष्क में एक ही बात कि कोई भी योजना चाहे व्यावहारिक हो या नहीं हो, चाहे उस योजना को लागू करने के लिये संसाधन हों या नहीं हों, चाहे उस योजना को लागू करने के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर हो या नहीं हो, इनको हरेक

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महीने एक योजना लागू करनी है और लागू करके अपनी फोटो किसी न किसी सरकारी धन से अखबारों में छपवानी है कभी "शिक्षा दर्पण" की बात करते हैं, कभी "शिक्षा आपके द्वार" की बात करते हैं, कभी "शिक्षा मंत्री" की बात करते हैं, कभी बी.एड. डिग्रीधारियों को ट्यूशन का लाइसेंस देने की बात करते हैं, कभी "विद्यार्थी-अध्यापक योजना" की बात करते हैं, कभी "अतिथि व्याख्याता" की बात करते हैं और कभी "शिक्षा नियामक आयोग" की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं माननीय मंत्रीजी ने एक नई योजना चालू की, समाचार पत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापन जारी कराये—"राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा एक पहल" नई सदी का नया अभियान, हर विद्यार्थी को हो कम्प्यूटर ज्ञान। उपाध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा के साथ इन्होंने घोषणा कर दी कि राज्य के 624 सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी विद्यालय जो सरकार के माध्यम से संचालित हैं, उनमें पढ़ने वाले 3,65,876 विद्यार्थियों पर यह योजना लागू होगी। नई तकनीक का ज्ञान कराना, नई आधुनिकता का ज्ञान कराना। कम्प्यूटर शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को जोड़ना है। लम्बी-लम्बी बात कर दी और यह कह दिया कि यह योजना वित्त पोषित है। इन्होंने तय कर दिया कि एक विद्यार्थी से 50 रुपये प्रति महीना ये लेंगे। एक विद्यार्थी से 600 रुपया प्रति साल का वसूल करेंगे कम्प्यूटर शिक्षा देने के नाम पर। उपाध्यक्ष महोदय, 3,65,876 विद्यार्थी 600 रुपये साल का दें, इन सारी राशियों को अगर आप जोड़ें तो राजस्थान के विद्यार्थियों से लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपया सालाना कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर वसूल करने का काम शिक्षा मंत्रीजी ने कर दिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी राशि तो ले ली, पर इसके लिये बाद में इन्होंने क्या कुछ किया। उपाध्यक्ष महोदय, विद्वान शिक्षा मंत्रीजी हैं, बड़ी विद्वता से काम करते हैं। मोटे तौर पर आवरण से पता नहीं लगता कि अन्दर क्या कुछ पक रहा है। अब इन्होंने कम्प्यूटर शिक्षा के लिए कोई प्राइवेट कम्पनी से टेण्डर फ्लोट किये 7.8.2000 को शिक्षा मंत्रीजी ने निविदाएं आमंत्रित कीं, 24.8.2000 को इनकी टैक्निकल बिड खोली गयी और 7.9.2000 को कामर्शियल बिड इनकी की गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 7.8.2000 को जो निविदा फार्म निविदा के साथ जारी किया गया, उसमें कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया। जो टेण्डर की शर्तें हैं उसके शिड्यूल-4 की ओर, मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसमें टर्म्स, कंडीशंस,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एलिजिबिलिटी और एग्रीमेंट कैसे होगा, इसका उल्लेख किया गया है। आपने टेण्डर की शर्तों में लिख दिया कि 642 सरकारी सीनियर सैकण्डरी स्कूल, उसमें बोर्ड सैकण्डरी एजुकेशन के सिलेबस के अनुसार कम्प्यूटर की शिक्षा देनी होगी। 100 विद्यार्थियों पर दो कम्प्यूटर, एक प्रिन्टर, इसी तरह 200 से 300 विद्यार्थियों पर चार कम्प्यूटर एक प्रिन्टर, इस तरह आपने कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, निविदा की शर्त संख्या-29 में इस बात का उल्लेख किया गया कि जो कम्पनी के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा का काम प्रारम्भ करेगी, उसको क्वालिफाइड ट्रेण्ड टीचर रखने पड़ेंगे और उनकी क्वालिफिकेशन इस टेण्डर फार्म में लिख दी गयी। उसमें होने चाहिये। One year PGDCA from a recognised University or Bachelor Degree with one of the subject of Computer Science/ Computer Engineering/Computer Appliance या Three year Degree/ Diploma in government polytechnique college with computer engineering.

उपाध्यक्ष महोदय, अब होता है घपला प्रारम्भ। निविदा के साथ इन्होंने यह लिख दिया कि जो कम्पनी निविदा में भाग लेगी उसको एक वर्ष का तो अनुभव होना चाहिए और तीन वर्ष में उसका टर्न ओवर पांच करोड़ रुपये होना चाहिएं। उपाध्यक्ष महोदय, निविदा फार्म मैं लेकर आया हूं, इसमें कभी नहीं लिखा कि जो कम्प्यूटर के अन्दर निविदा में भाग लेगी वह आगे सबलैट कर पाएगी, फ्रैंचाइज दे पाएगी। कहीं कोई उल्लेख नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, और मंत्री महोदय, आप से भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के जनरल अकाउंट्स और फाइनेंस रूल्स हैं उसके अन्दर साफ लिखा है कि सरकार किसी भी कार्य के लिए कोई भी ठेका देगी, निविदा के माध्यम से कोई भी ठेका देगी उसको ठेकेदार सबलैट नहीं कर पाएगा, उप ठेकेदार नहीं बना पाएगा। आपने टेण्डर के साथ एक शर्त और लगा दी कि पूरी टेण्डर राशि का पांच परसेंट अर्नेस्ट मनी भी होगी। अब, उपाध्यक्ष महोदय, टेण्डर के अनुसार 26.12.2000 को लैटर आफ इन्टैंट जारी किया जाता है सैकण्डरी बोर्ड एजुकेशन के द्वारा। उसमें शर्त संख्या तीन है, मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उसमें आप लिखते हैं कि फ्रैंचाइज, सबलैटिंग मान्य नहीं होगी तथा इसके लिए अलग से शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानि अगर कोई फ्रैंचाइज या सबलैटिंग करता है तो उसको अलग से शपथ पत्र देकर यह कहना पड़ेगा कि मैं फ्रैंचाइज नहीं करूंगा, सबलैट नहीं करूंगा। अब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस एल.ओ.आई. के आधार पर दिनांक 27.12.2000 को 100 रुपये के स्टाम्प पर कम्प्यूकाम सोफ्टवेयर लिमिटेड, जिसके लिए मंत्री महोदय अभी कहेंगे कि यह निविदा के अन्दर सबसे टैक्निकली साउंड थी और उसके सबसे कम रेट थे, उसके मिस्टर सुराना, जो आजकल मंत्रीजी के काफी नजदीक के मित्र भी हैं, खैर। मित्रता किसी कारण से हो सकती है....

मोहम्मद माहिर आजाद : मित्रता तो आप से भी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनके और बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन के सचिव के बीच में 27.12.2000 को एक करार लिखित होता है उसकी शर्त नम्बर दो में साफ लिखा होता है कि संलग्न लैटर आफ इन्टैंट जो 26.12.2000 को जारी किया गया है, वह एग्रीमेंट का मुख्य आधार होगा।

अब उपाध्यक्ष महोदय, पांच महीने के पश्चात् मंत्रीजी सचिवालय में एक मीटिंग बुलाते हैं, शासन सचिव, शिक्षा स्पष्ट टिप्पणी करते हैं कि हमने एल.ओ.आई. के अन्दर कहा कि सबलैटिंग और फ्रैंचाइज मन्जूर नहीं है इसलिए सबलैटिंग और फ्रैंचाइज नहीं दे सकते। उच्च अधिकार प्राप्त तकनीकी समिति यह बात कहती है, परन्तु मंत्री महोदय शक्तिशाली हैं। मंत्री महोदय, पांच महीने बाद 18.05.2001 को जो एल.ओ.आई. हुआ है और लिखित में एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद में एक सप्लीमैंट्री एग्रीमेंट करते हैं और सप्लीमैंट्री एग्रीमेंट कर कम्प्यूकाम साफ्टवेयर इण्डस्ट्रीज को यह अलाउ कर देते हैं कि आप फ्रैंचाइज करो, आप सबलैटिंग करो। उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय मैं इसलिए उठा रहा हूं कि इस विषय के साथ राजस्थान का 3 लाख 65 हजार विद्यार्थी जुड़ा हुआ है और 3 लाख 65 हजार विद्यार्थी से हम एक साल के अन्दर डेढ़ सौ करोड़ रुपये वसूल करेंगे। फ्रैंचाइज के नाम पर कम्प्यूकाम साफ्टवेयर इण्डस्ट्रीज ने जब सबलैटिंग करना चालू कर दिया तो जिले के अन्दर इन्होंने अपने उप ठेकेदार बना दिये।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को ठेकेदार बनाया है, अभी मैं गया एक विद्यालय के अन्दर तो वहां के विद्यार्थियों ने मुझे कहा कि विधायकजी, हमारे यहां नये कम्प्यूटर के टीचर आये हैं। मैंने कहा कौन हैं, तो कहा कि पिछली बार टैन प्लस टू के अन्दर जो दो बार फेल हो गये, आजकल टाई लगा कर कम्प्यूटर की शिक्षा देने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। मतलब, जिस एलिजिबिलिटी का जिक्र इन्होंने टेण्डर में किया, जिस एलीजिबिलिटी का जिक्र इन्होंने लैटर आफ इन्टैंट में किया उसका टीचर नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी, आपके खुद के उदयपुर सम्भाग में 94 कम्प्यूटर लगने थे, निश्चित तिथि तय की गयी थी निश्चित तिथि को कम्प्यूटर नहीं लगेंगे, प्रिन्टर नहीं लगेंगे तो पैनल्टी इम्पोज करने की बात कही गयी थी टेण्डर के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अन्दर। उदयपुर के अन्दर जहां से मंत्री महोदय आते हैं, 94 कम्प्यूटर लगने थे, 20 अक्टूबर तक 40 कम्प्यूटर लगे हैं। यह एक इस तरह का काम हो गया, एक आदमी ने ठेका ले लिया। ठेके की शर्तों के अनुसार अगर पहले यह कह देते कि सबलैट कर सकते हैं, फ्रैंचाइज दे सकते हैं तो न जाने कितने लोग देखते। इन्फ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, वे इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेते। परन्तु पिछले दरवाजे से जो काम हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान के गरीब छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार के शक की सूइयां, राजस्थान के सचिवालय में बैठने वाले, मंत्री महोदय, आपकी तरफ घूमती हैं। आप शिक्षा जगत में जुड़े हुए हो, इस तरह का घिनौना मजाक आपको राजस्थान के लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। (व्यवधान) ये सारी चीजें यह सिद्ध करती है कि आपका दामन साफ नहीं है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस मामले के अन्दर अगर सरकार यह कहती है कि उसका दामन साफ है, उसने अगर टेण्डर की शर्तों के अनुसार टेण्डर किये हैं, उसने टेण्डर की शर्तों में कोई तरमीम नहीं की है, उसने जी.एफ.ए.एण्ड ए.आर. रूल्स कि सबलैटिंग नहीं कर सकते, उनको तोड़ा-मरोड़ा नहीं है तो जांच करवाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है....

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या पर्ची पर सब पर जवाब दिया जाएगा ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय विधायक महोदय, यह स्कूल के बच्चों का सवाल है इसलिए इसको क्लियर होना बहुत जरूरी है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : नहीं, आगे हमारा क्वेश्चन है, उस पर भी जवाब दिलवाएंगे क्या गर्वनमेंट से इधर से सुमित्राजी का इन्होंने दे दिया।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं, मनोविज्ञान में किसी आदमी की मानसिकता को यदि जांच करना होता है तो उसके कई टैस्ट होते हैं। एक टैस्ट होता है प्रोजेक्टिव टैक्निक। उपाध्यक्ष महोदय, प्रोजेक्टिव टैक्निक का मतलब यह होता है कि किसी आदमी को दस-पन्द्रह दिन तक भूखा रख दें हम और उसके बाद उसको हम एक तस्वीर बताएं और उसको कहें कि, भई, इस तस्वीर के बारे में कहानी लिख। तो वह आदमी जो सात-आठ दिन से भूखा रहता है, वह हर

(श्री सी. पी. जोशी)

तस्वीर में वह बात देखता है जो भूख से सम्बन्धित होती है। जिसमें लिखता कि भाई खाने की व्यवस्था है, रोटी की व्यवस्था है, यह व्यवधान है। वह कहानी इसी तरह की लिखता है। यह स्टैंडर्ड टैस्ट है जो हर जगह किया जाता है.... (व्यवधान) आप सुनिये न अब, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आपने इसमें कौनसी तकनीकं इस्तेमाल की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सीधा-सीधा जवाब दो न कि आपने सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया या नहीं। आप काहे की मनोविज्ञान की बात कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : या तो आप सीधा-सीधा जवाब दो।

श्री सी. पी. जोशी : मैं तो बिना साक्षात्कार का प्रोफेसर हूं, सुने तो मुझे आप। मेरा आपने बहुत विशेषण किया है तो मुझे आप सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिना साक्षात्कार के ....(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : हां, जी। तभी बोल रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब आपकी बात इतनी देर सुनी है, जरूरी नहीं कि जवाब दें, फिर भी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, यह कोई बात हुई क्या।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य ने सीधा चार्ज लगाया है, उसके बाद मंत्री महोदय कुछ नहीं बोले?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सच है यह चार्ज, आप जांच करा लो।

श्री रामनारायण चौधरी : काहे का सच है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह चार्ज सही है और इसमें किस प्रकार का बच्चों का शोषण हुआ है, आप चाहो तो एक दिन की आप डिबेट करा लो। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप बोलने दें न ....(व्यवधान) यह क्या तरीका है.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक-एक कागज आपका खोल कर बता देंगे.... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप इस पर एक दिन की चर्चा करा लो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह पर्ची के जरिये क्यों आये हो आप। (व्यवधान) कोई चार्ज नहीं है। आप पर्ची के जरिये क्यों आये हो, आप लाओ मोशन। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : चाहे जैसे, जिस के ऊपर चाहे जो इल्जाम लगा देते हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप एक दिन कृपा करें, इस विषय पर चर्चा करा लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कौन गुनहगार है, कौन गुनहगार नहीं है। हम चाहते हैं कि चर्चा हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब, एक मिनट विराजिये।

श्री सी. पी. जोशी : सुनिये आप। आपको सुनना तो चाहिए। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप सुन नहीं सकते। आप अपनी बात कहिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारियाजी, आपको इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) प्लीज, विराजिये आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, हम एक शब्द भी नहीं बोले।

मोहम्मद माहिर आजाद : किसी पर चार्ज लगाना है तो आप प्रोपर वे में आइये। हर किसी पर इस तरह की बात करें और किसी का चरित्र हनन करना चाहते हैं, यह गलत है। यह सदन का मिसयूज है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, आप विराजिये। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम तो चाहते हैं इस पर चर्चा रख लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : पूरे भाषण के अन्दर ठेकेदारों की वकालत की है....(व्यवधान) एक चिट के आधार पर आपने उनको एक घण्टे का मौका दे दिया और सरकार के ऊपर आरोप लगा दिये। अगर आपके पास आरोप है तो नोटिस देकर बाकायदा बहस करिये। आपको क्या अधिकार है कि आप ठेकेदारों की वकालत करें सदन के अन्दर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने सीनियर मैम्बर हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता आपको। (व्यवधान) विराजिये प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : इस सदन में आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया, यहां पर शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। आप मंत्रीजी का जवाब नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान) सुनिये न।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : उन्होंने आपकी अनर्गल बातें सब सुनीं। (व्यवधान) आपने ठेकेदारों की वकालत की। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सच्चाई है, सच्चाई नहीं सुनना चाहते आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम यह चाहते हैं कि इसमें सच्चाई सामने आ जाए। (व्यवधान) गरीब बच्चों को लूटकर केवल अपनी जेब भरना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हर बात पर आप खड़े हो जाते हो, यह कोई बात हुई क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए प्लीज। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बात आप कहो वह सब सच्ची हो। इन्होंने एक बात कह दी, जितने चार्जेज लगाने हैं इन्होंने लगा दिये। अब वह जवाब दे रहे हैं उसके बीच में आप उत्तेजित होकर इतना बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं उनके बीच में नहीं बोला, उपाध्यक्ष महोदय। जब आपके माननीय सदस्य ने कहा कि सीधा आरोप लगा दिया तब मैंने कहा कि इस विषय की सच्चाई का पता लगाने के लिए आप सदन में इसको चर्चा में डाल दीजिए, हम इसको तथ्य से प्रमाणित करेंगे कि यह बेइमानी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर क्यों बोले उन्होंने क्या कहा? (व्यवधान) चर्चा अलग बात है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम इतनी बात चाहते हैं कि....(व्यवधान) चर्चा का सवाल तो है नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : नियमों के अनुसार करिये। उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। पाइंट आफ आर्डर यह है कि तात्कालिक परिस्थितियों के अन्दर अत्यन्त अर्जेन्ट रीसेन्ट ऐसी घटना घटी जिसे माननीय सदस्य सदन के जनता के सामने लाना चाहते हैं।

डा. किरोड़ी लाल : कोई घटना तो है।

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसे मामलों में चिट के ऊपर उसकी कोई कैफियत नहीं। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने सारा डिस्कशन, शिक्षा विभाग की सारी पालिसी का डिस्कशन, कम्प्यूटर की खरीद, टेण्डर, नोटिस, कौनसे ठेकेदार से बात करके आये हो आप, जो आप यहां वकालत कर रहे थे। ठेकेदारों की वकालत करने के लिए नहीं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह काम्प्लीकेटेड है। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं इस विषय की गम्भीरता को। आप कितना चाहते हैं हम भी जानते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप नहीं बोल रहे हैं, एक ठेकेदार बोल रहा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम तो यह चाहते हैं कि इसकी सच्चाई सामने आए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप अपने जिले की कह दो किसी बच्चे ने कम्प्यूटर पर अंगुली

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चलायी है क्या? कितने प्रतिशत बच्चों ने....(व्यवधान) बच्चों के पास न रूल है, कुछ नहीं है उनके पास। बच्चों से 600 रुपये लूटने का धंधा चलेगा क्या? बात कर रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजो। अब आप क्या चाहते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बच्चों का शोषण नहीं किया जा सकता। क्या है कम्प्यूटर? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री सांवरलाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब, विराजिए। मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पांइट आफ आर्डर उठाया है वह बिलकुल सही है। ये पर्ची के माध्यम से जो बात कहते हैं जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जवाब दे, लेकिन जिस बात को इन्होंने उठाया उसका मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। पन्द्रह मिनट तक ये बोले उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, इनके बोलते ही आप सब उत्तेजित हो रहे हैं। जवाब सुनना चाहते हैं या नहीं। That is not my concern. विराजिए। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। अगर आप अनइन्टरेप्टेड जवाब सुनना चाहते हैं तो मैं इनका जवाब दिलवाता हूं। अबकी बार इन्टरेप्शन हो गया तो मैं बन्द कर दूंगा। दूसरा काल अपोन कर दूंगा। (व्यवधान) आप सुनिए न। आपने चार्ज लगा दिये, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप किस पर बोल रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री सी. पी. जोशी : बैठिये आप, मैं हाउस में बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों खड़े हुए हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप नोटिस दीजिए न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री सी. पी. जोशी : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री सी. पी. जोशी : आप सुनो तो सही। आपका अधिकार है बोलने का, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : अनइन्टरेप्टेड सुनिए आप कृपा करके। Let his say, और कोई बात होगी तो आपसे पूछ लेंगे। आप सुनिए तो सही मेहरबानी करके।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य का सम्मान करता हूं। मेरी बात सुन लें, फिर कोई बात हो तो मुझे कहें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंनें इस प्रश्न को यहां उठाया। इस प्रश्न के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति सामने नहीं आएगी तो जैसा कि बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य के मन में है कि बहुत बड़ा घपला हो गया, मैं चाहता हूं कि जो मैं कह दूं उसके बाद आप जो क्वैरी करें, जिसकी भी जांच करवाना चाहें, मैं आपको अधिकार देता हूं, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मैंने आपसे निवेदन किया कि मनोविज्ञान में प्रोजेक्टिव टैक्निक्स के आधार पर आदमी की मनोवृत्ति की जांच की जाती है। उसमें एक टैस्ट होता है प्रोजेक्टिव टैक्निक्स और प्रोजेक्टिव टैक्निक्स में टेस्ट यह होता है कि....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनना क्यों नहीं चाहते हैं आप विराजें।

श्री सी. पी. जोशी : आपको क्या तकलीफ है। आपने जो बोला है वह मैंने सुना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई साक्षात्कार करके नहीं आया हूं प्रोफेसर हूं, सब सुन लिया मैंने, अब मेरी बात भी सुन लो आप। मैं कह रहा हूं कि वह गलत है, अनपढ़ आदमी है, अनसाइन्टिफिक हो तो आप रिजेक्ट कर देना। (व्यवधान) तथ्य पर आ रहा हूं। जब तक मैं तथ्यों में नहीं आ पाउंगा तब तक मनोवृत्ति को नहीं बता पाउंगा। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम आदमी की मनोवृत्ति को नहीं समझेंगे तब तक हम हर प्रश्न के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे कि इसमें शक की सुई है, मंत्री बेइमान है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले जो शार्ट टर्म टेण्डर निकला है मैं उसको कोट करना चाहता हूं, उससे सब चीजें स्पष्ट हो जाएगी। (व्यवधान) पेज बोल रहा हूं शिड्यूल 4 टर्म एण्ड कंडीशन, इसकी 6 है। मैं इसको पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य भी इसको गम्भीरता से पढ़े इसमे लिखा है :

6. For the academic year 2000-2001 the Computer Literacy Course will be compulsory in class IXth and Computer Science subject for XI class will be as a 3rd optional subject or 4th additional subject for the students of Arts and Commerce. For other faculty students it will be available as a 4th optional subject. (व्यवधान) आप सुनिए पहले प्लीज। यह कोई तरीका है क्या? (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : बैठो आप।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सी. पी. जोशी : The students in class XI can also opt for computer literacy course for the session 2000-2001. Computer course will be compulsory for classes IX, X and XIth from Academic year 2001-2002. यह क्लाज मैंने इसलिए कोट किया कि इस क्लाज के अनुसार तीन लाख तिरेसठ हजार जो विद्यार्थी हैं, उनको कम्प्यूटर एजुकेशन के नैट पर लेने के लिए टैण्डर निकला। उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पेज 9 पर अदर कंडीशन में लिख रखा है 7 में कि "A State level committee will do the monitoring assessment of the schemes." फिर मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पेज 28 की तरफ, इसमें एलिजिबिलिटी लिख रखी है। "One year PGDA from a recognised University or, Bachelor Degree with one of the subject of Computer Science/ Computer Engineering/ Computer Applications from a recognised University or Post Polytechnic Diploma in computer Application/ Three year Diploma from Govt. Polytechnic College in Computer Science/Engineering/Applications or "A" Level/ "O" Level (with Graduation Degree)/Certification from DOEACC or any other higher qualfication in the field of I.T. or Graduation in any discipline with one year computer education and should have passed faculty acreditation test to be conducted by BSER". फिर मैं आपका ध्यान पेज 37 और 38 की तरफ दिलाना चाहता हूं, इसी एलिजिबिलिटी का 37 और 38 है। 37 पर लिख रखा है "If any dispute arrises out of the contract with regard to the interpretation, meaning and breach of the terms of the contract and any decision of Secretary, BSER as per conditon No. 36 above the matter shall be referred by the parties to the sole arbitrator that will be State Level Commitee, whose decision shall be final".

Now I am quoting 39.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पेज कितना है ?

श्री सी. पी. जोशी : इंग्लिश वाले वक्तव्य में 20 पेज है, 39 कंडीशन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय "Any such facts or conditions which may not have been mentioned in terms and conditions and may arise during the contract period shall

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सी. पी. जोशी)

be decided as per the State Government policy rules. In case rules do not provide any such situation, the issue would be decided by Secretary, Board of Secondery Education Rajasthan, Ajmer.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी टेण्डर के अन्दर जो शिड्यूल पांच दे रखा है उस शिड्यूल पांच का पेज हम देख लें 22, पहले वाले कालम में सीरियल नम्बर सैकण्ड वाले में डिस्ट्रिक्ट, थर्ड वाले में प्लेस और नेम, फोर्थ वाले कालम में फोन नम्बर और आगे वाले कालम में इयर आफ स्टार्टिंग आफ आपरेशन आफ सेंटर फ्रैंचाइज से सब चीजें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेण्डर की निकालीं, जिसमें 101 आदमियों ने टेण्डर फार्म भरा। जैसा कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, तीन लाख पैंसठ हजार आदमियों का था। मैंने आपको बताया कि जो छठी धारा है उसको हम पूरा कवर करते तो तीन लाख पैंसठ हजार बच्चों को कम्प्यूटर एजुकेशन में कम्पल्सरी करना और हमें इस बात की जानकारी थी, हमने ऊपर लिखा, इसी में ऊपर वन में देखें — To install the computer hardware. इसमें लिखा है हमने कि केवल मात्र डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर, पंचायत हैडक्वार्टर पर आप काम करेंगे। हमारे मन में यदि किसी को फेवर करने का होता तो तीन लाख पैंसठ हजार व्यक्तियों के लिए हमने टेण्डर इंवाइट किया और उसी के अन्दर फ्रैंचाइज के अन्दर की लिस्ट भी मांगी हुई थी। यह मैं आपको कोट कर रहा हूं यह आप पेज देखें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह आपने स्पष्ट लिखा है शर्त में कि फ्रैंचाइज सबलैटिंग मान्य नहीं होगा तथा इसके लिए अलग से शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह टेण्डर की शर्त है।

श्री सी. पी. जोशी : मैं यही कह रहा हूं, मैं भी वहीं कोट कर रहा हूं। एक मिनट आप सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 26.12.2002 को यह टेण्डर आपने सात-आठ.... (व्यवधान) एक सैकण्ड में निवेदन कर दूं, 26.12.2002 को आपने लिखा... (व्यवधान) जो एल.ओ.आई. जारी की, उसमें कहा और इसके बाद 27 को आपने एग्रीमेंट किया उसमें आपने एण्डोर्स किया यह एल.ओ.आई. ही एग्रीमेंट का बेस है।

श्री सी. पी. जोशी : आपसे यही बात कह रहा हूं मैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो टेण्डर निकला है ओरीजनल टेण्डर, उस टेण्डर में धारा छह कोट की, उसके अन्दर तीन लाख पैंसठ हजार बच्चों के लिए निकाला। इसी धारा के अन्दर इन्होंने बताया कि फ्रैंचाइज का कालम लिख रखा है। मैं बता रहा हूं इसमें और जो आप कोट कर रहे हैं कि लैटर आप इन्टैंट में लिखा है, इस पर मैं

(श्री सी. पी. जोशी)

डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि कम्प्यूटर एजुकेशन स्टार्ट करने का जो मन में था वह यह था कि राजस्थान में बच्चों को कम्प्यूटर एजुकेशन मिले। यह मन में रखकर हमने यह प्रारम्भ किया। यदि हमारे मन में किसी एक आदमी को एडवांटेज देने की बात होती, किसी एक कम्पनी को देने की बात होती तो 101 आदमियों ने इस टेण्डर के फार्म लिये और फार्म ले जाकर टेण्डर के अन्दर कुल 19 आदमियों ने निविदाएं दीं, 19 आदमियों की निविदा देते समय भी उन सभी 101 आदमियों को भी फ्रैंचाइज की लिस्ट का एक कालम दिया हुआ था। हर एक ने फ्रैंचाइज लिखकर दी है। कोई चीज नहीं है जो हमने छिपाई है। यह पहला ओरीजनल डाकूमैंट है यह सही है, जो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। आपने यह बात लिखी है, हमने लैटर आफ इन्टैंट में यह बात लिखी है। गुड इंटेंशन हमारा। हमने फ्रैंचाइज की लिस्ट भी ली, पर हमने कहा कि कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए फ्रैंचाइज का सबलेट नहीं होना चाहिए। यदि फ्रैंचाइज का सबलेट होगा तो क्वालिटी से कम्प्रोमाइज होगा। यह सोचकर जो लैटर आफ इन्टैंट दिया गया उसमें यह बात लिखी गयी। पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा मैंने आपको कोट किया उसको स्टेट लेवल की कमेटी डिस्क्रिपेंसीज कोई हो तो उसमें रिव्यू करने का अधिकार, इसमें हमने राइट फ्राम बिगनिंग, पहले से ही लिख रखा था....(व्यवधान) आप मेरी पूरी बात सुन लें, फिर आप अपनी बात बोलें। मुझे क्या तकलीफ है? तो पहले तो यह कहना कि तीन लाख पैंसठ हजार बच्चों से 150 करोड़ रुपये इकट्ठे किये, मैं समझता हूं यह तथ्यों से परे है। (व्यवधान) फिर आप जो कोट कर रहे हैं, मैं करूंगा। मैं, माननीय कटारिया साहब, जो राजेन्द्रजी राठौड़ ने कोट किया वह बता रहा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने 600 रुपये एक विद्यार्थी से.... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप खुद के फिगर बोलें जो असेम्बली में आपने बोले हैं। आपने बोला है तीन लाख पैंसठ हजार विद्यार्थी, पचास रुपये पर मंथ, छह सौ रुपये पर ईयर और आपने फिगर दिया है एक सौ पचास करोड़ रुपये, यह तथ्यों से परे है। सत्यता के नजदीक ही नहीं है क्योंकि हमने अस्सी हजार लड़कों को कम्प्यूटर एजूकेशन दी है और आप फिगर दे रहे हैं तीन लाख पैंसठ हजार का। आपको तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं, स्थिति के बारे में जानकारी नहीं, तीन लाख पैंसठ हजार ....(व्यवधान) करोड़ों रुपये की चोरी कर दी....(व्यवधान) मतलब कोई बात हम कहें सदन के अन्दर....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस परव्यू में जो इन्होंने लिया....

श्री सी. पी. जोशी : आपने रिकार्ड में कहा है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वे लड़के भी तो ले सकते हैं ऐच्छिक। जिन्होंने ले रखा है वे भी तो ले सकते हैं...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैंने कहा ना इसलिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपका कागज है, इसमें जिलेवाइज छात्रों की संख्या दे रखी है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : यह कागज तो मेरे पास रखा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तीन लाख पैंसठ हजार यह आपका कागज है मेरा कागज नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने कहा ना, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रोजेक्टिव टैक्निक की जो मानसिकता है उसको बताने का मौका दिया जाए कि यह मानसिकता क्या है। जब तक मानसिकता को नहीं समझेंगे तब तक यह बात समझ में नहीं आएगी। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कटारिया साहब, मैं आपको अधिकार देता हूं, आप दो चीजों को प्रूव कर लें। एक, स्टेट गवर्नमेंट काम्पीटैंट थी। टर्म्स एण्ड कंडीशन को रिव्यू करने के लिए। हमने टर्म्स एण्ड कंडीशन रिव्यू की, तीन लाख पैंसठ हजार को कवर नहीं किया है। हमने कवर किया है केवल मात्र अस्सी हजार बच्चों को यह जानते हुए साइंस और कामर्स में, यदि हमारा इंटेंशन एक साथ फैलाव करने का होता, बेइमानी करने का होता, किसी को ओब्लाइज करने का होता तो हम तीन लाख पैंसठ हजार बच्चों को कवर करते और....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपसे इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि यह विषय बहुत गहन है और इसमें कई पेचीदगियां हैं....

श्री उपाध्यक्ष : तो अब बंद कर दें ना इसको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, एक बार कम से कम आप सदन में अपनी तरफ से इसका वक्तव्य दे दीजिए और हमको डिस्कशन करने का मौका दे दीजिए।

श्री सी. पी. जोशी : वही कर रहा हूं मैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम उस सच्चाई तक आपको ले जाएंगे जिस सच्चाई तक आपको जाना पड़ेगा। राजस्थान के बच्चे ले जाएंगे आपको। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं वो ही चाहता हूं। (व्यवधान) इसमें चर्चा नहीं हो पाएगी.... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : किसी को प्रोक्सी के आधार पर ....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप आजू बाजू घूम रहे हो, सच्चाई को जहां जाना है वहां नहीं जा रहे हो।

श्री सी. पी. जोशी : आप सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी अब नहीं सुनेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : आप सुनिये, मैं सदन में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब यह सुनना ही नहीं चाहते आपकी।

श्री सी. पी. जोशी : कोई गलत बात कहूं तो मेरे खिलाफ आरोप लगा सकते हैं, आपको अधिकार है। मैं आपको इतना मौका दे रहा हूं, मैं जो बात कहूं सदन में आप मेरे खिलाफ ला सकते हैं। आप सुनें तो दो मिनट। आप अपनी बात कह देना, क्या तकलीफ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने आपको कहा है, यह टर्म्स एण्ड कंडीशन निकाली जिसके अन्दर हमें तीन लाख पैंसठ हजार बच्चों को कवर करना था। हमें यह जानकारी थी कि ये सब चीजें राजस्थान में करने के लिए प्रयत्न करने में समय लग सकता है। रिसोर्सेज की कमी है हमारे इंटेंशन और हमारी नीयत में कहीं खोट नहीं थी। उस नीयती को आगे बढ़ाने के लिए हमने फर्स्ट जो इंटैन्ट निकाला उसमें फ्रैंचाइज की लिस्ट मांगी हैं। हरेक के पास, यह डाकूमैंट 101 आदमियों के पास गया, उन सब में फ्रैंचाइज की लिस्ट है। यदि फ्रैंचाइज की लिस्ट किसी एक फायदा करने का होता तो 101 आदमियों को फ्रैंचाइज लिस्ट करने का मानता तो एक तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फ्रैंचाइज की लिस्ट टर्म्स एण्ड कंडीशन का पार्ट नहीं है, लेकिन फ्रैंचाइज की लिस्ट हरेक से ली गयी है फ्रैंचाइज की लिस्ट को मेनिपुलेट करने का इरादा होता तो हम डाकूमैंट के साथ, फ्रैंचाइज के साथ इसको नहीं जोड़ते। हमें किसी को ओब्लाइज करने का होता तो हम तीन लाख पैंसठ हजार से केवल मात्र अस्सी हजार विद्यार्थियों पर नहीं आते। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कटारिया साहब ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है उसमें भी मैंने आप से कहा है कि कुछ 552 जो स्कूलें हैं उसमें भी 30 स्कूलों में कम्प्यूटर नहीं पहुंचा है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूसरा हमने जो उसमें एलिजिबिलिटी रखा है कि आज के दिन भी 552 का 60 परसेंट, 30 परसेंट पी.जी.डी.सी.ए. एब है, क्वालिफाइड आदमी हैं। 30 परसेंट आदमी हैं और लेवल के जो कम्प्यूटर एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 30 परसेंट है उसके बाद वे हैं ग्रेजुएट विथ फर्स्ट ईयर कम्प्यूटर कोर्स, और केवल मात्र 10 परसेंट हैं ग्रेजुएट। वह कभी कह दें सदन में कि एक दसवीं फेल लड़का आया, टाइप करने के लिए आ गया। मेरे विद्यार्थियों ने कहा, यह कहानी के रूप में अच्छा लगता है लेकिन जो सत्यता है उससे बहुत परे है उपाध्यक्ष महोदय, जो दस परसेंट ग्रेजुएट हैं उसमें भी कंडीशन रखी हुई है कि इनको एक्रेडिशन कोर्स लेना पड़ेगा। पर मैं कहना

(श्री सी. पी. जोशी)

चाहता हूं कि यह सच नहीं है कि केवल मात्र 51 स्कूलें ऐसी हैं जिन स्कूलों में केवल तीन सौ बच्चे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पचास स्कूलें ऐसी हैं जहां पर बच्चे 168 हैं। जो सारी व्यवस्था की गयी है वह व्यवस्था करने में जिस बात पर आरोप लगाया जाना चाहिए, हमने 552 स्कूलों को कवर किया है, साइंस एण्ड कामर्स को जो लैटिट्यूड नहीं देता है पूरे स्कूलों को कवर करने के लिए, पूरे स्टूडेण्ट को कवर करने के लिए इसका मतलब हमने जो टेण्डर निकाला है उस टेण्डर के बाद हमें नयी स्कूलें कवर करनी हैं, नये बच्चे कवर करने हैं जिनकी संख्या तीन लाख के आसपास है, तो यह किसी स्टैण्डर्ड के आधार पर नहीं होगा। उसके लिए जी.एफ.एण्डए. आर. के रूल्स है उसके आधार पर या तो कंडीशन में नहीं आयेगा या नये टेण्डर नहीं निकाले जाएंगे। इसलिए यह जो एप्रीहेंशन है कि हमने इनको यह करके पूरे राजस्थान का सौदा कर दिया, वह भी बिलकुल सत्यता के नजदीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको पता नहीं है क्या.... जी.एफ.एण्डए.आर में सबलैटिंग अलाउ है?

श्री सी. पी. जोशी : आपने बार-बार नहीं पढ़ा हमने स्टेट लेवल की कमेटी काम्पीटेंट की है आपको पता नहीं है क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चेयरमैन कौन है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : काहे के काम्पीटेंट है, अगर बुलाते तो.... (व्यवधान) अगर आपका, था तो आप टेण्डर में शामिल करते। (व्यवधान) आपने कम्प्यूकाम को सलेक्ट करने के बाद इसमें परिवर्तन किया। सबके लिए आप वह जारी करके उसके साथ होता तब तो.... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं, माननीय कटारिया साहब, फिर आपको कह रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो सबसे लोएस्ट रेट कम्प्यूटर में थी उसको आपने चयन किया और चयन करने के बाद.... (व्यवधान) फायदा देने के लिए यह फ्रैंचाइज उसके बाद किया।

श्री सी. पी. जोशी : आपको गलत सूचना है। (व्यवधान) आपको गलत सूचना है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इसलिए कहता हूं कि यह विषय.... (व्यवधान) न तो हम अपनी बात को ठीक तरह से कह पाएंगे। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप सुन ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ना ये हमको समझा पाएंगे.... (व्यवधान) राजस्थान के बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा है।

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं चाहता हूं कि यहां चर्चा हो। अगर आपका पाक दामन हो तो चर्चा करा लीजिए.... आप सही होंगे तो समझ जाएंगे, हम सही होंगे तो हम समझा देंगे। मैं चाह रहा हूं....

श्री सी. पी. जोशी : आपने कहां कहा, सदन में मैं सदन में ही बोल रहा हूं। मैं और कहां बोल रहा हूं। मैं सदन में ही बोल रहा हूं। आपके सामने सदन में ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। मंत्री महोदय....

श्री सी. पी. जोशी : मैं सदन में बोल रहा हूं। सदन में कोई गलत बात तो नहीं, आपको अधिकार है गलत बात को कहने का, कहने के लिए....। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, 15 करोड़ रुपये हमारे... (व्यवधान) एक मिनट रुकिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आप जवाब दे रहे हो.... (व्यवधान) मैं एक मिनट निवेदन कर रहा हूं। मैं उस सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट जो आपने बाद में किया 18-5-2000 को उसके पेरा 9 (बी) को पढ़कर सुनाना चाहता हूं....। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : उससे क्या अब रहा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसमें यह है कि आपने यह कहा है फ्रैंचाइज अलाउ है.... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : हमने यह भी कहा कि अब रिव्यू करने का अधिकार है हमको। सुन नहीं रहे क्या आप। रिव्यू करने का अधिकार है (व्यवधान) आप इस तरह छोटी बात नहीं करें। (व्यवधान) वापस सुन लें. (व्यवधान) ऐसी बात न करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह 18-5 को आपने कहा है और 18-5 से पहले (व्यवधान) करेक्ट कर दिया था। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं निवेदन करना चाहता हूं मैं कटारिया साहब की बात से सहमत हूं। यदि इसमें गड़बड़ है, यदि इसमें बेइमानी है तो मैं आपको ये अधिकार देता हूं सिंगल मैंन, सिंगल मैंने कटारिया साहब, आपको अधिकार देता हूं, आप पूरे कागजात की जांच कर लें और आपको लगता है कि हमने बेइमानी की है, फिर मैं कहना चाहता हूं, सदन छोड़ दूंगा मैं। लेकिन भगवान के लिये इन बच्चों को शिक्षा के नाम पर यदि हमने कम्प्यूटर एजुकेशन नहीं करवाया तो हम बहुत बड़ा अन्याय कर देंगे। प्रधानमंत्रीजी ने.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस फाइल को आप सदन की टेबल पर रखवा दीजिये। जो आपके डाकूमैंट हैं सदन की टेबल पर रखवा दीजिये। उस सारे डाकूमैंट को यहां रखवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : हां, हां, बिल्कुल मंजूर है। उस पर लिख दिया ना, त्याग पत्र दूंगा मैं। वह बात....(व्यवधान) लिखकर दी है, लेकिन आरोप लगाने का अधिकार नहीं दूंगा मैं। आरोप का

(श्री सी. पी. जोशी)

अधिकार नहीं दूंगा। रोज आरोप लगाने का अधिकार नहीं दूंगा मैं। हां, तैयार हूं मैं....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उस डाकूमेंट के आधार पर यह काम होगा वह रख दें।

श्री सी. पी. जोशी : आप लिखिये पार्टी की तरफ से कि आज के बाद पार्टी का कोई भी आदमी कांग्रेस के मिनिस्टर पर आरोप नहीं लगाएगा, मैं रखने के लिये तैयार हूं। आप आरोप भी लगाओ और हमको यह भी कहो। आप लिख कर दे दीजिये कि कोई आरोप लगाएगा तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। हम तैयार हैं इसलिए आप बोलना क्या चाहते हैं? कभी यह मंत्री चोर है कभी वह मंत्री चोर है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप जोर से बोल करके अनियमितता को रेगुलराईज नहीं करा सकते। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपको ज्यादा घमण्ड है। (व्यवधान) आपकी राय की आवश्यकता नहीं है मुझे। कहां मना कर रहा हूं इस बात के लिये सुनना नहीं चाहते आप। सुनना ही नहीं किसी बात के लिये....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अनियमितता पर पर्दा नहीं डाल सकते। हम चाहते हैं कि आप सच्चाई पर है तो इस फाइल को यहां रख दीजिये। इस फाइल को रखने के बाद एक दिन चर्चा करा लें, कौन सही है, कौर गलत है, यह हाउस निर्णय करेगा। आप अपनी फाइल को यहां रख दीजिये (व्यवधान) क्या बात करते हैं....(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : तो रखने में हम कह रहे है, क्या तकलीफ है आपको। (व्यवधान) आपने सोच समझकर.... (व्यवधान) यह कोई बात है नहीं.... (व्यवधान) 15 करोड़ रुपये.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फाइल रख दीजिये यहां....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फिर आप कह दोगे कि बहुमत से फैसला करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : स्कूल खोलने के लिये, कटारिया जी, आपने 5 लाख रुपये लिये....(व्यवधान) आप बोलते हो, आपकी पार्टी तो बोल नहीं सकती। शिक्षा के अन्दर जो सुधार हुआ है वह हिन्दुस्तान में इतिहास है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह आप जनता के सामने सच्चाई क्या है... (व्यवधान) बच्चों के प्रति आपके मन में भी दर्द है, हमारे मन में भी दर्द है कि बच्चों को....(व्यवधान) हम भी चाहते हैं। यह फाइल रख दीजिये, फिर एक दिन चर्चा करा लीजिये, तैयार हैं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सामने आये और सच्चाई सामने आये ताकि सारे...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : इससे ज्यादा सच्चाई नहीं हो सकती। इससे ज्यादा सच्चाई दुनिया में नहीं हो सकती। मंत्रीजी ने जो बात रखी....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री सी. पी. जोशी : हम भी नहीं सुनेंगे। हम भी नहीं सुनेंगे। आप आरोप लगाते हो....(व्यवधान) हमारी भी जनता के प्रति रेस्पोंसिबिलिटी है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××.

श्री सी. पी. जोशी : किसी की जांच कराऊं? मेडिकल हैल्थ की जांच कराऊं क्या पहले वाले की? किसकी जांच कराऊं मैं? पहले वाले हैल्थ मिनिस्टर की जांच कराऊं क्या मैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) अंकित मत करिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी। आर्डर प्लीज। रामस्वरूपजी, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बिराजिये प्लीज। माननीय कटारिया साहब, आपको माननीय मंत्रीजी ने ओपन आफर दे दिया कि आप इसमें जो कागज.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बिराजिये। आप बिराजिये ना। आपको ओपन आफर दे दिया कि जो कागज आप देखना चाहें वह आपको दिखाएंगे। आप संतुष्ट हो जाइये, इसके बाद आपको कोई शंका हो तो आप तब किसी और माध्यम से यहां आ जाइये, बहस करा लेंगे। What is the problem? ओपन आफर दे दिया आपको....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।
××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सी. पी. जोशी : बात कह दी ना। माननीय उपाध्यक्ष की बात मानने में क्या तकलीफ है? (व्यवधान) मान रहे हैं इस बात को। फाइल भी रख देंगे। आपको.... (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती ममताजी, बोलिये।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती ममताजी, बोलिये। राधेश्यामजी बिराजिये। आप बिराजो, आप बिराजिये प्लीज। श्रीमती ममता। बोलिये-बोलिये। (व्यवधान) काहे को बिठा दो जांच? बैठें। ममताजी बोलिये- बोलिये....(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

चम्बल की नहरों में पानी छोड़ने का रोटेशन प्रोग्राम

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाड़ौती अंचल की नहरों के बारे में, माननीय मंत्रीजी यहां नहीं हैं, लेकिन उनसे यह प्रार्थना करना चाहती हूं आपके माध्यम से कि हाड़ौती अंचल में जो कमाण्ड एरिया है आर.एम.सी., एल.एम.सी., वहां आर.एम.सी. और एल.एम.सी. और एल.एम.सी. में पानी की भारी समस्या आयी हुई है 1957 में जो कमाण्ड एरिया बना उसकी जीर्ण-शीर्ण हालत हो चुकी थी, किसी ने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, किन्तु अभी जब कांग्रेस की सरकार आयी तो उन नहरों की थोड़ी-सी मरम्मत हुई और उनमें उगे हुए कांटे, बबूल हटाये गये। इसके बाद 15 वर्ष में पहली बार अंतिम छोर पर पानी पहुंचा। अंथरा, बथवाड़ा की टेल पर पानी पहुंचना हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। किन्तु इन दिनों जो पानी नहीं पहुंच रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रोटेशन प्रोग्राम कर दिया गया। पहले जब नहर छोड़ी जाती थी तो 40 दिन लगातार नहर छूटती थी और अंतिम छोर तक पानी पहुंचता था। खास तौर से तवज्जोह देने की बात यह है कि रोटेशन प्रोग्राम से इस अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उसका खास कारण यह है कि दस दिन पानी देकर पानी रोक दिया जाता है। और फिर दस दिन दूसरे माइनर में दिया जाता है, फिर दस दिन रोक कर तीसरे माइनर में दिया जाता है। उससे हमारे किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं।

(14.00 बजे)

जब 10 दिन बाद पानी छोड़ते हैं तो पानी उसी जगह पर वापस रुक जाता है मिड में

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती ममता शर्मा)

और टेल में पानी पूरा नहीं पहुंच पा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, किसान की सोयाबीन की जब फसल थी तब भी यही हालत हुई, सारी फसलें उनकी सूख गयीं। हम पूरी तरह से बिजली नहीं दे पा रहे हैं और अगर पानी भी नहीं देंगे तो किसान की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। आज हालत यह है कि किसान रो-रोकर अपनी बात कहने लगा है। इन हालात में हमें यह सोचना चाहिए कि उनकी सुविधा 40 दिन लगातार पानी देने में है। यह रोटेशन प्रोग्राम बनाया गया है, जल प्रबन्धन समितियां बनायी गयी हैं, इनकी बात ना सुनकर। हमारे अधिकारियों को और जो टैक्निकल इंजीनियर्स हैं, एसई. हैं उनको यह सोचना चाहिए कि हम लगातार पानी दें ताकि अंतिम छोर तक पानी पहुंचे और हर माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरी पानी ले सके।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले जब पानी छोड़ा जाता था तो पुलिस की मदद ली जाती थी, क्योंकि जो हैड पर बड़े किसान बैठे हुए है वे ओड़े लगाकर पीछे तक पानी नहीं पहुंचने देते थे। लेकिन आज तो हालत यह हो गयी है कि तीन बार अगर नहर छूटेगी 10-10 दिन के गैप में तो तीनों बार हैड वाला ही किसान पानी लेगा, मिड टेल और टेल वाला किसान पानी नहीं ले पाएगा। हमारी पुरजोर आवाज है इसके लिए, सारे जितने भी हम हाड़ौती अंचल के विधायकगण हैं, सबकी आवाज है कि पानी 40 दिन छोड़ा जाये। अधिकारियों से बात की जाये की उन्हें जब पानी गैप में अगर 40 दिन देना है तो एक साथ पानी 40 दिन क्यों नहीं दे सकतें हैं? अगर टेल पर पानी नहीं पहुंचता है और किसान नाराज है तो उसकी जिम्मेदारी हम खुद उठाएंगे, ना कि अधिकारी उठाएं। हम नहीं चाहते कि सरकारी अधिकारी इस बात की जिम्मेदारी ले। लोग इस बात से बेहद नाराज हो चुके हैं। रेलना नहीं हुआ, गेहूं की फसल बोने के लिए किसान इस वक्त तरस रहा है। सोयाबीन सूख गया, चावल की पूरी फसल नहीं ले पाया है। आज किसान की यह डिमाण्ड है कि किसी भी तरह से 40 दिन पानी छोड़ें। उनकी जो मांग है उसको पूरा किया जाये। धरने और आंदोलन होने की नौबत आ रही है। तीन-चार दिन में अगर पानी पूरी तरह से नहीं छोड़ा गया तो यही हालत होगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यही कहूंगी की पानी को 40 दिन छोड़ें, वरना हमें भी कुछ न कुछ करने पर उतारू होना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, हाड़ौती के किसान में इतना गुस्सा है इस समय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री छोगाराम बाकोलिया।

श्री मदन दिलावर : हाड़ौती के किसान में इस समय इतना गुस्सा है....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें।

श्री मदन दिलावर : उसके बच्चों का पेट कैसे भरेगा, यह विचार वह कर रहा

(श्री मदन दिलावर)

है। पहले 40 दिन लगातार पानी दिया जाता था, इस सरकार ने उसे 8-8 दिन का करके ऐसा कर दिया है कि केवल हैड वाले पानी ले पायेंगे, टेल वाले पानी नहीं ले पाएंगे। टेल वाले पानी नहीं ले पाने के कारण से कई किसानों के बच्चे बिलखते रह जायेंगे, भूख के कारण मर जायेंगे.... (व्यवधान) इसलिए बड़ा गम्भीर मामला है। सरकार को इसमें सोचना चाहिए और हाड़ौती के किसानों को 40 दिन पानी मिलना चाहिए।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2001

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2001 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री छोगाराम बाकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : गुलाब चन्दजी कटारिया।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति के 18 प्रतिवेदन (क्रं. 90 से 107)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (सभापति, जन लेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2001-2002 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :—

(1) जन लेखा समिति, 1991-92 के 32वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों के परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) समिति का 90 वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1992-93 में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित पैरा संख्या 3.4 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 91 वां प्रतिवेदन

(3) जन लेखा समिति, 1997-98 के 104वां प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट यातायात विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति का 92 वां प्रतिवेदन।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(4) वर्ष 1996-97 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट यातायात विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 93 वां प्रतिवेदन।

(5) वर्ष 1997-98 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन।

(रा.प्रा.) समाविष्ट राजस्थान राज्य लाटरी (वित्त) विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 94 वां प्रतिवेदन।

(6) वर्ष 1991-92 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 95वां प्रतिवेदन।

(7) वर्ष 1991-92 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 96वां प्रतिवेदन।

(8) वर्ष 1993-94 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 97वां प्रतिवेदन।

(9) वर्ष 1994-95 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 98वां प्रतिवेदन।

(10) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1992-93 में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित पैरा संख्या 3.5 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 99वां प्रतिवेदन।

(11) जन लेखा समिति, 1990-91 के 17 वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) समिति का 100वां प्रतिवेदन।

(12) वर्ष 1995-96 के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा. प्रा.) में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 101वां प्रतिवेदन।

(13) वर्ष 1997-98 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में (रा.प्रा.) समाविष्ट यातायात विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 102वां प्रतिवेदन।

(14) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1996-97 में समाविष्ट शहरी विकास और आवासन विभाग से सम्बन्धित पैरा संख्या 6.10 से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सम्बन्धित मामलों पर समिति का 103 वां प्रतिवेदन।

(15) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1997-98 में समाविष्ट कृषि (राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर) विभाग से सम्बन्धित पैरा संख्या 6.2 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 104 वां प्रतिवेदन।

(16) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1994-95 में समाविष्ट कृषि (जल ग्रहण क्षेत्र विकास) विभाग से सम्बन्धित पैरा संख्या 3.1 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 105वां प्रतिवेदन।

(17) वर्ष 1996-97 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 106वां प्रतिवेदन।

(18) वर्ष 1997-98 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 107वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव।

याचिका का उपस्थापन

बहरोड के ग्राम जखराणा, बड़ोद व काठूवास में पुलिस चौकी की स्थापना

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :—

1. पुलिस स्टेशन बहरोड के अंतर्गत ग्राम जखराणा व बड़ोद में तथा थाना मांढण के अंतर्गत ग्राम काठूवास में पुलिस चौकी खोलने बाबत, 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

बहरोड के ग्राम मुण्डिया खेड़ा में माजरीकलां में 33/11 के.वी. सब स्टेशन की स्थापना

2. बहरोड विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मुण्डिया खेड़ा व ग्राम मजरीकलां में 33/11 के.वी. के सब स्टेशन स्थापित करने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

बहरोड के राजकीय महाविद्यालय का क्रमोन्नयन

3. राजकीय महाविद्यालय बहरोड में विज्ञान संकाय खोलने व इस महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने बाबत, 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

बहरोड के राज्य मार्ग-14 की मरम्मत व कुण्ड रोड़ से बालिका विद्यालय तक सड़क निर्माण

4. बहरोड के राज्य मार्ग-14 की मरम्मत एवं कुण्ड रोड से बालिका उच्च माध्यमिक विघालय तक सड़क निर्माण बाबत, 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2001

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधयेक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। श्री सी.पी. जोशी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी। क्या हुआ ? नहीं बोलेंगे तो बैठ जायें।

श्री नारायण सिंह : संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम जी। (अनुपस्थित), श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001 को मैं एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक जिन परिस्थितियों में लाया गया है, विगत तीन वर्षों में राजस्थान के शैक्षणिक जगत के वातावरण में उत्तरोतर सुधार हुआ और राजस्थान का शैक्षणिक जगत नयी उपलब्धियों से सम्पन्न हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, पूरा प्रदेश जानता है कि विगत तीन वर्षों में शैक्षणिक जगत में

(14.07 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

उत्तरोत्तर बेहतर कार्य के लिये और शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं। सभापति महोदय, जिस मकसद से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि जितने भी प्रकरण इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद आये हैं उनकी संख्या अपने आप में इस बात का द्योतक है कि इस संशोधन विधेयक की धारा 2 में जो प्रावधान किया गया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, 1992 में यह अधिनियम अस्तित्व में आया उसके बाद स्कूली शिक्षा के अन्दर जो नकल के प्रकरण हुए उनमें विगत तीन वर्षों में लगातार कमी आयी है। 1999 में 837 प्रकरण हुए, 2000 में 628 प्रकरण हुए और अब 2001 में मात्र 459 प्रकरण हुए हैं। जब लगातार यह ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है तो वे कौनसी परिस्थितियां हैं। जिन्होंने शिक्षा मंत्री को इस बात के लिए विवश किया है कि उन्होंने इस संशोधन विधेयक में धारा 2 का प्रावधान प्रस्तुत किया है?

सभापति महोदय, जयपुर का जो सबसे बड़ा कालेज है, लड़कियों का महारानी कालेज जिसमें 7 हजार विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, उन 7 हजार विद्यार्थियों को अगर पर्चा बांटना है तो सुपरिंटेंडेंट को निश्चित रूप से पर्चा एक घंटे पहले खोलना पड़ेगा और उसके बाद में अलग-अलग कमरों में पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। अगर यह सैक्शन 6 (2) का नया प्रावधान लागू कर दिया गया तो कितने ही लोग इस प्रावधान की तह में आ जाएंगे और निश्चित रूप से वातावरण खराब होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि पूर्व से ही जो कानून काम कर रहा है, हर दृष्टि से पर्याप्त साबित हुआ है। हर शासन का और हर कानून का काम यह है कि जो भी गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं, अनुचित गतिविधियां हो रही हैं, उसमें कमी लाई जाये।

उन पर रोक लगाई जाये। जब पहले से ही यह लक्ष्य प्राप्त हो रहा है तो इस नये प्रावधान को लाने का कोई औचित्य नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में शैक्षिक जगत से जुड़े हुए लोगों से भी जब चर्चा की तो उन्होंने भी इस पर हैरत जाहिर की। सभापति महोदय, अगर यह प्रावधान अस्तित्व में आ गया तो बहुत-से शिक्षक इस तरह के परीक्षा सम्बन्धी कार्यों में भाग लेने में या अपनी ड्यूटी लगवाने में हिचकिचायेंगे और इससे दूर ही रहने की चेष्टा करेंगे। इसलिए, सभापति महोदय, यह प्रावधान किसी भी दृष्टि से जन हित में नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रावधान को इस अधिनियम में नहीं रखा जाए और इसलिए इस अधिनियम को जनमत जानने के लिए परिचारित किया जाए।

सभापति महोदय, पहले से ही सैक्शन छह में प्रावधान है, धारा तीन, धारा चार और धारा पांच में पहले से ही तीन साल की सजा या दो हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सभापति महोदय, यह दण्ड पर्याप्त है और इसमें किसी भी तरह से बढ़ोतरी की आवश्यकता नहीं है। इस प्रावधान के माध्यम से ही शासन को अपने लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में

(श्री संयम लोढ़ा)

उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। मैं राज्य सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में इस तरह के प्रकरणों में लगातार कमी आई है यह इस बात का द्योतक है कि विद्यार्थियों और इससे जुड़े दूसरे लोगों में इस बात का वातावरण बना है कि वे अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करें।

लेकिन, सभापति महोदय, मैं, इसके साथ ही धारा 6-क का प्रावधान जो माननीय मंत्री महोदय ने इस अधिनियम में किया है, इस प्रावधान का स्वागत करता हूं क्योंकि प्रश्न पत्रों की लूट की जो घटनाएं होती हैं, पूरे प्रदेश के शैक्षणिक जगत में एक अराजकता का वातावरण बन जाता है, बच्चों का भविष्य खराब होता है। इस सदन में ही पिछले सत्र के दौरान जब यह चर्चा हो रही थी तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय ने सदन को आश्वस्त किया था कि इस तरीके की गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर प्रावधान करेंगे। उसी के अनुरूप यह प्रावधान किया गया है।

मैं इसकी सराहना करता हूं एवं स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें राज्य के शैक्षिक जगत के लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचारित किया जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2001 को जनमत जानने हेतु परिचारित किया जाए, यह मेरा प्रस्ताव है। सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले काफी वर्षों से परीक्षाओं की गरिमा नष्ट हो रही है, परीक्षाओं की सैंक्टिटी समाप्त हो रही है. 1992 में तत्कालीन सरकार जब यह विधेयक लायी, उसके पीछे मंशा एक ही थी कि कतिपय लोगों द्वारा प्रश्न पत्रों की लूट, चोरी और सामुहिक नकल, इन सब पर अंकुश लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और अब कानून के माध्यम से ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए।

सभापति महोदय, 1992 में विधेयक की धारा 6 के अन्दर एक नई उप धारा 6-क के माध्यम से मंत्री महोदय ने प्रश्न पत्रों की चोरी, लूट और कब्जा करने और परीक्षा की गरिमा नष्ट करने में पूर्व के अधिनियम के तहत अपराध के लिये जो दण्ड था उसको कठोर बनाने का प्रावधान किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, इसके साथ-साथ आपको एक बात पर विचार करना चाहिए कि आज समाज में परीक्षा प्रणाली जिस तरह की है, उस परीक्षा प्रणाली से विश्वास उठता जा रहा है। आज विद्यार्थियों को जिस तरह की शिक्षा हम देना चाहते हैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और जिस तरह के पाठ्यक्रम बनाये जाते हैं, उन पाठ्यक्रमों के पीछे एक ही मंशा रही है कि विद्यार्थी चाहे वह उच्च शिक्षा का हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा का हो, उसमें ऐसे संस्कार आये कि देश के भावी कर्णधारों और भावी नागरिकों के रूप में देश प्रेम की भावना उनमें जाग्रत हो, व्यावहारिक ज्ञान का वे अनुभव करें। सभापति महोदय, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर 60 के दशक में एक विचार आया और तत्कालीन सरकार ने पाठ्यपुस्तक मण्डल का राष्ट्रीयकरण किया। सरकार एक समान शिक्षा, एक समान पाठ्यक्रम की अवधारणा लेकर आई। सभापति महोदय, कक्षा एक से आठ के बीच में पाठ्यपुस्तक मण्डल के पाठ्यक्रमों के अनुसार मण्डल पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन करवाता है और नौ से बारह के बीच में बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन का काम है। परन्तु हो क्या रहा है, सभापति महोदय?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं उसी पाइंट पर आ रहा हूं। मैं उस पाइंट पर आ रहा हूं।

श्री सभापति : जो आप फरमा रहे हैं, उसका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं रोक नहीं रहा हूं आपको लेकिन इस बिल से उसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं, सभापति महोदय, क्योंकि इसमें तो मात्र छोटा-सा अमेंडमेंट है। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परीक्षा प्रणाली में मूल रूप से जो खामी आ गई है, सरकार ने 9.10.2000 को परीक्षा परिणाम सुधार योजना के नाम जो प्रश्न बैंक प्रारम्भ कर दिया, आज उसका नतीजा यह हो गया कि विद्यार्थियों के मन में यह भावना आ गई कि मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रश्न पत्रों में 80 परसेंट प्रश्न, प्रश्न बैंक से आएं, यह अनिवार्य हो गया है। आज पूरे पाठ्यक्रम को विद्यार्थी पढ़ता नहीं है। छोटी-छोटी कुंजियां, छोटी-छोटी पास बुक्स, जो अधिकृत विक्रेता हैं, जिसको एक तरह से बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन लाइसेंस देता है या पाठ्यपुस्तक मण्डल लाइसेंस देता है, धड़ल्ले से विक्रय कर रहे हैं और इसी कारण से विद्यार्थी अपनी मूल पाठ्यपुस्तकों से अलग हो जाता है और इन छोटी-छोटी पुस्तकों पर आता है, सभापति महोदय, लिखा होता है, विमल प्रश्न बैंक, दस दिन में परीक्षा में सर्वोत्तम अंकों से उत्तीर्ण होने की गारंटी, जब इस तरह की बात आती है। विद्यार्थी सोचता है कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पढ़ने की आवश्यकता नहीं, दस दिन पहले जब वह सारी चीज सम्भालता है, तब उसके मन में आता है कि अब समय कम रह गया और तब वह नकल की प्रवृत्ति की ओर बढ़ता है। अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पिछले तीन वर्षों में इस कानून की परिधि में जो लोग आये और जिन्होंने कानून को तोड़ा, उनकी संख्या में गिरावट की बात कही। मंत्री महोदय कानून को और कठोर बना दे, इस पर विचार करना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहिए कि इस कानून की परिधि में जो लोग आये उनमें से कितने लोगों को हम सजा दिला पाये? अगर एक

को भी सजा होती तो समाज के अन्दर एक मैसेज जाता कि इस तरह से परीक्षा की गरिमा को नष्ट करने के लिए जो भी कोई काम करेगा, उसको दण्ड भी मिलेगा। मैंने ध्यान आकर्षित किया है, आप मेरे से नाराज भी हो जाते हैं। मैं कह दूंगा कि जब से आप शिक्षा मंत्री बने तो आपे फिर नाराज हो जायेंगे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुंजी और पास बुक्स का जो व्यापार चल रहा है कुंजी और पास बुक्स के आपके अधिकृत विक्रेता जो हैं, उन विक्रेताओं को एक शर्त के आधार पर आप लाइसेंस देते हैं। आप कहो तो मैं आपके आदेश को उद्धृत कर दूं जो शिविरा में छपा, जिसके अन्दर आपने प्रश्न प्रत्र प्रश्न बैंक निर्माण करने की बात कही। आप कहो तो मैं उस लाइसेंस का जिक्र कर दूं जो आप अधिकृत पुस्तक विक्रेताओं को जारी करते हैं, उसमें उनसे ऐफिडेविट लेते हो कि वह कुंजी और पास बुक्स नहीं बेचेगा। ये धड़ल्ले से बिक रही हैं और इसी कारण से नकल की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि आज तक किसी को सजा हुई नहीं। आप जो भी कानून लायें हैं, वह स्वागत योग्य है। निश्चित तौर पर परीक्षाओं की गरिमा भी रहनी चाहिए, नकल और प्रश्न पत्रों की लूट की घटनाएं, इन पर इससे अंकुश लगेगा पर, सभापति महोदय, यह कानून आप बड़ी जल्दबाजी में लाये हैं। जिस तरह से आपने आज सदन में कहा, सदन में आप कह तो गये कि मैं जांच के लिए तैयार हूं, कटारियाजी को अधिकृत भी कर दिया पर जब आपको कहा कि टेबल करो सारे पत्र तो आपने टेबल नहीं किये।

श्री सभापति : माननीय, आप विषय से अलग नहीं हों।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बड़े मन के आदमी हो, उदारमन हो, आप शिक्षाविद् भी हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि एक बार इसको जनमत जानने के लिए परिचारित कर दें, लोगों से सलाह करें सलाह करने के बाद वास्तव में परीक्षा की गरिमा हम किसी तरह से बचा सकें, किसी तरह से हम सारी घटनाएं जो बार-बार होती हैं उन्हें रोक सकें और इन घटनाओं के कारक बने लोगों को किसी तरह हम सजा दिला सकेंगे, इस तरह की कार्यवाही हो तो मैं समझता हूं कि उचित होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र व्यास। (अनुपस्थित)। श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, परीक्षाओं में नकल नहीं हो, उसकी विश्वसनीयता बनी रहे उसके लिए कानून आलरेडी प्रभावी है, लेकिन लगता है सरकार को भी ऐसा लगा होगा कि जो कानून वर्तमान में प्रचलित है उसके आधार पर कानून बनाने की जो मंशा थी वह आज पूरी नहीं हो पा रही

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हैं। जैसे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि धीरे-धीरे इस प्रकार के अपराधों में कमी आयी है, लोग कानूनों से भयभीत हुए हैं और अपराध करने की प्रवृत्ति उनकी कम हुई है, ऐसी परिस्थिति में इस कानून को इतना गम्भीर सख्त बताने की आवश्यकता क्या थी, यह अभी समझ में नहीं आया। न कोई आपने रीजन्स में इस बात को लिखा है कि ऐसा क्या कर रहे हैं आप। जो कानून अब आप बना रहे हैं, जो अपराध दण्डनीय है उनके प्रावधान इस कानून में हैं सैक्शन 3, 4, और 5 में जो अपराध की परिभाषा की है उसका दण्ड आज की तारीख में अगर कोई अपराधी साबित होता है तो तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार तक जुर्माना हो सकता है। अब आपने यह कर दिया कि नहीं, 4 और 5 में पांच साल की कम से कम सजा होगी। वह तो होगी ही होगी, इससे कम नहीं होगी। अपराध वही है, अपराध में कोई परिवर्तन नहीं किया आपने। अपराध की परिभाषा वही है 4 और 5 की जो परिभाषा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, केवल सजा का क्वांटम है उसको आपने जरा डिटरेंट बनाया है कि कम से कम पांच साल उसको सजा होगी और सात साल हो सकती है फिर आपने एक नया सैक्शन इसमें जोड़ा है लास्ट में। प्रश्न पत्रों की यदि कोई चोरी करेगा, लूटेगा, उसका आपने अलग प्रोविजन कर दिया 6(ए) है—

"Whoever commits theft, extortion or robbery of question papers of any public exmination, at any time before the examination in such question paper is over, shall, notwithstanding anything to the contrary contained in the Indian penal Code.... be punishable with imprisenment for a term which shall not be less than five years but which may extend to 7 years and fine..." So five years is compulsory.

प्रश्न पत्र की कोई चोरी करेगा, एक्सटोर्शन करेगा, रोबरी करेगा उसके लिए आपने कानून बना दिया कि उसको कम से कम पांच साल और अधिक से अधिक सात साल की सजा होगी। तो आपने चार और पांच में जो प्रोविजन हैं, जो अपराध की परिभाषा है उसको एक साथ जोड़ दिया। चोरी, डकैती, एक्सटोर्शन, सारी सजा को बराबर कर दिया। वे अपराध इतने बड़े नहीं और वे अपराध यदि इतने बड़े हैं तो यह लाने की जरूरत नहीं थी आपको। लेकिन आपने यह माना है कि वे अपराध इतने गम्भीर नहीं है इसलिए प्रश्न पत्रों की चोरी, डकैती आदि पर अलग से कानून लेकर उसमें भी सजा वही रखी है जो उनमें है। यदि आपको लगता है कि अपराध आपसे रुक नहीं रहे है तो प्रशासन को ठीक करिये, प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त करिये, कानून आलरेडी आपके पास है। तीन साल की सजा कम नहीं है और जब तीन साल की सजा का प्रावधान

(श्री भंवरलाल शर्मा)

किया गया था तो सोच-समझ कर लिया गया था। उन धाराओं में चार और पांच के जो अपराध हैं। वह आप सजा के मामले में इक्वल कर रहे है 6(ए) से, चोरी डकैती, लूट-पाट है प्रश्न पत्र की, उस बात से जोड़ रहे हैं। तो इन दोनों में क्यों ऐसा करना चाहते हैं, मुझे बताइये आप, दोनों अपराध एक जैसे हैं? अगर पेपर आउट एक घंटे पहले हो गया तो वह कम से कम पांच साल की सजा भोगेगा या सात साल के लिए जाएगा। और जो डकैती करेगा, लूट करेगा वे भी पांच साल की सजा भोगेगा । इन दोनों को आपने इतना समतुल्य कैसे किया, इसका कोई कारण समझ में नहीं आता।

एक ऐसा विषय है जो सबकी चिन्ता का विषय है। हमारी परीक्षाओं की ईमानदारी, उनके बारे में विश्वसनीयता, उसकी गोपनीयता आदि-आदि जो इसके पवित्र उद्देश्य हैं वे रहने चाहिए, उनकी पालना होनी चाहिए। पूरा प्रदेश इसके बारे में चिन्तित है। मेरा सुझाव है कि कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा इन सजाओं को अधिक करने से। जिसको अपराध करना है वह सजा से डरता नहीं है। समाज में इस पर चर्चा हो, इस परीक्षा के मामले में कोई ऐसे कदम उठाये जाएं जिससें पवित्रता बनी रहे। बाकी यह भी जानकारी में है कि यह कानून बन जाने के बाद भी कई जगह तो अभी खूब जोर से नकल होती है, आपका स्टूडेंट जाता है, एक इशारा होता है। घंटी बजा देते हैं, भाई, आ गये हैं, अब जरा सावधान हो जाओ, स्क्वाड आ गया है। ऐसी बातों को रोकने की कोशिश करिये आप। जो आलरेडी आपका कानून है, यह जो 6(ए) आप नया ला रहे हो, कोई प्रश्न पत्र चोर कर ले जाए, कोई डाका डाल दे, छीन ले उसको भी सजा आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आई.पी.सी. में भी यह अपराध है, उससे भी अधिक बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी आपको? चार और पांच में जो प्रोविजन हैं, जो दण्डनीय कार्य हैं उनके मुकाबले में इनको आप बराबर करके ठीक काम नहीं कर रहे हैं। यह कानूनी रूप से भी ठीक नहीं है, व्यावहारिक भी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको आप जनमत जानने के लिए भेज दीजिये और जो शिक्षाविद् हैं, जो अलग-अलग परीक्षाएं लेते हैं उनसे बैठकर चर्चा कर लीजिये, जनता के सुझाव भी आ जाएंगे। सारी बुद्धि हममें ही है, ऐसा तो मानकर चलने से कोई लाभ नहीं होगा। जो लोग समझदार हैं उनकी सलाह लेकर इसको पास करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मेरा इतना ही आपसे निवेदन है। मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाये।

श्री सभापति : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : (नगर) माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001 जो माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, कायदे-कानून बना दें, संविधान संशोधन कर दें इससे कुछ होने वाला नहीं है, जब तक प्रभावी तरीके से उस पर क्रियान्विति न हो, उसको लागू नहीं कराया जाए। माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने एक उच्च स्तरीय समिति बनायी थी जिसमें इस सदन के भी चार-पांच माननीय सदस्य थे, राजस्थान के कुलपति, शासन सचिव (शिक्षा), निदेशक-प्राथमिक शिक्षा और दूसरे निदेशक थे। उनका सबका इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में एक दिन का पूरा सम्मेलन हुआ और उसमें शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सारी चीजों पर दिन भर चर्चा हुई थी। उस वक्त भी यह तय हुआ था कि बहुत अच्छा कदम है, हम जिन लोगों के लिए और जिस क्षेत्र के लिए कोई काम करना चाहते हैं उन लोगों को विश्वास में लेकर उन लोगों के अनुभवों का लाभ लेकर इस तरीके का काम करें। सबने एप्रिशिएट किया था और यह तय किया था कि तीन माह में एक बार इस तरीके की बैठक होगी। मेरा इस संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में निवेदन यह है कि कानून तो हमेशा से बने हुए हैं, कोई भी परीक्षा में नकल करेगा, अनुचित साधनों का प्रयोग करेगा तो उसको सजा दी जायेगी। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा कि बड़ी तादाद में स्कूलों में पर्चे आउट हुए, पूरे के पूरे बण्डल आउट हो गये।

पिछले सदन में काफी इस पर चर्चा हुई, कई प्रशासनिक अधिकारी और यहां तक कि विधान सभा के सदस्य भी नकल करते हुए पकड़े गये। माननीय सभापति महोदय, व स्थिति यह रही कि पी.जी. तक की मेडिकल परीक्षा, जो लोगों के जीवन-मरण का सवाल है, उसकी परीक्षा की सैंक्टिटी भी नहीं रही, यह स्थति भी हमारे सामने आयी। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि एक साल की सजा तो तीन साल कर दें, तीन साल की सजा को पांच साल कर दें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक जो कानून आपके पास बना हुआ है उसका आप प्रभावी नियंत्रण नहीं करेंगे जब तक उसको सख्ती से आप लागू नहीं करवायेंगे तब तक कुछ नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश में एक कानून इस सम्बन्ध में बनाया, लोगों में बड़ा बावेला मचा। अनुचित साधनों का प्रयोग रुके, परीक्षाओं के प्रति लोगों की सैंक्टिटी रहे, लोगों का

(मोहम्मद माहिर आजाद)

विश्वास रहे, भरोसा रहे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने साल से यह कानून लागू हो रहा है तो महीने-दो महीने में कुछ नहीं हो जाएगा। जो शिक्षाविद् हैं, जो दूसरी शिक्षा संस्थाएं हैं, जो शिक्षा जगत के लोग हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के लोग हैं, छात्र प्रतिनिधि हैं सबको मिलाकर आप इसमें अगर कोई कंक्रीट, ठोस नतीजे लाएं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई पहले से ज्यादा प्रभावी चीज आप लायेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बात निश्चित तौर पर कह सकता हूं, प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि कई शिक्षण संस्थाओं में, जैसा अभी हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री और हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह हकीकत है कि परीक्षा केन्द्रों पर जो लोकल/इनविजिलेटर होता है वह तो नकल करने से विद्यार्थी को रोकता ही नही है।

वह तो चाहता है कि उसका रिजल्ट हंडरेड परसेंट रहे। आपने ये शर्तें लगा रखी हैं कि शिक्षा के केन्द्र को क्रमोन्नत करने में जिसके तीन साल के परीक्षा परिणाम अच्छे होंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी। वह तो चाहता है कि उसका रिजल्ट अच्छा रहे, हंडरेड परसेंट लोग पास हों। उसके छात्र ज्यादा से ज्यादा मैरिट में आयें तो उसको भी पुरस्कार मिले। लेकिन जब फ्लाइंग आती है, चाहे वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आये, चाहे वह विश्वविद्यालय की आये तो वहां पर घंटी लगा दी जाती है, एक तरीके का सिग्नल, सायरन दूसरे विद्यार्थी जिनकी उस रोज परीक्षा नहीं है, वहां गेट पर बैठे रहते हैं और जैसे ही फ्लाइंग आई, पता पड़ा इस तरीके का इंडिकेशन दे देते हैं कि सब के कागज लेकर.... एक परीक्षा केन्द्र में यह हुआ, पानी का खाली घड़ा रखा हुआ था, सब को कहा आप अपने-अपने कागज दे दो और लेकर उस घड़े में रखकर उसके ऊपर ढक्कन रख दिया। कहा कि फ्लाइंग चली जाएगी तो वापस बांट दिये जाएंगे। तो इस तरीके की स्थिति भी शिक्षा केन्द्रों पर होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें तो शिक्षा केन्द्र जहां आपने परीक्षा केन्द्र बना रखे हैं, वे भी अगर इसमें पकड़े जाएं, जो भी लोग पकड़े जायें उन सब के क्या साधन हो सकते हैं, अच्छी से अच्छी सुविधा लाकर इसको प्रभावी तरीके से बनाकर आप लागू करें। राजस्थान में जो पढ़ने वाले लोग हैं, एक तरफ नकल करने वाला और एक तरफ पढ़ने वाला दोनों बराबर हो जाते हैं जब रिजल्ट आता है। उसको प्रभावी बनाने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक माह के लिए कम से कम आप इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने का कष्ट करें।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, राजस्थान का शिक्षा जगत पिछले कुछ वर्षों से ऐसी अनियमितता के कारण से विचार में था कि अनियमित साधनों का प्रयोग करके व्यक्ति पास होना चाहता है या अपनी परसेंटेज बढ़ाना चाहता हैं। उसको किसी प्रकार से रोका जाए और दूसरा यह था कि पेपर की कोई चोरी हो जाए या पेपर खोलने वाला सेंटर उसका कोई दुरुपयोग कर ले, समय से पहले खोल कर उसकी जानकारी विद्यार्थियों को दे दें। कोई न कोई कानून ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि इस प्रवृत्ति को रोका जा सके। मैं सोचंता हूं कि वह सोच उस समय के हालात को देखते हुए आवश्यक भी लगती थी और आज भी आवश्यक है कि इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई न कोई कानून का शिकंजा डालना चाहिए उसी दृष्टि से पहले राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992 आया। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उस विधेयक में ऐसी कौन-सी कमियां थीं जिसके कारण से इसको लाने की आवश्यकता पड़ी उसमें ये सारी व्यवस्थाएं पहले से ही की हुई थीं। थोड़ा-सा उसका इलेबोरेशन जिस प्रकार से चाहिए वह शायद उतना सीमा तक नहीं जा पा रहा था उसको उस रूप में लाने की दृष्टि से अगर आपका कोई विचार है तो मैं एक शिक्षक होने के नाते इसके पक्ष में हूं कि इस प्रकार के अनफेयर मींस कोई भी काम में ले उसे निश्चित रूप से दण्ड मिलना चाहिए दण्ड मिलने से इस प्रवृत्ति पर अगर कंट्रोल किया जा सकता है तो उस बच्चे के साथ में न्याय होगा जो मेहनत करके अपनी परसेंटेज लाने का प्रयास करता है। जब वह पिछड़ता है तो उसके मन में कुंठाएं पैदा होती हैं और उस कारण से कई विचार उसके मन में पैदा होते हैं। तो हम सब लोगों का दृष्टिकोण तो यही होना चाहिए कि इस प्रकार के कुछ अनफेयर मींस का उपयोग करके कोई व्यक्ति पास होना चाहे या परसेंटेज बढ़ाना चाहे तो उसे रोकें।

लेकिन मैं यहां इस बात को नहीं समझा हूं क्योंकि हमारे यहां ये व्यवस्थाएं पहले से ही इस एक्ट में थी। इसकी धारा 3 है—"अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध" कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा। धारा 4 में भी था "प्रश्न पत्र का प्राधिकृत कब्जा या प्रकटन, इसको भी "क" में अपन ने दे रखा है। एज ए प्रश्न पत्र उसका कोई भी भाग या प्रति प्राप्त नहीं करेगा, प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा या कब्जे में नहीं लेगा। या इसी के "ख" में ऐसी सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव नहीं करेगा जिसकी ऐसे प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित होने का वह जानता है या ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण है। इसी तर्ज में धारा 5 में परीक्षा कार्यान्वयन व्यक्ति जो सेंटर पर उसको भी अपन ने इसमें कवर करने की कोशिश की कि सेंटर पर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जो व्यक्ति इन्चार्ज है वहां कोई प्रकार की कमी न रह जाए जिसके कारण से प्रश्न पत्र कहीं आउट हो जाए किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम करे। इन तीनों प्रोविजंस 3, 4 और 5 में अगर कोई अपराध करेगा तो उसको धारा 6 में हमने दण्ड देने की प्रक्रिया भी इसमें की थी। जो कोई भी धारा 3, 4 या 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन करने का दुष्कर्म करता है वह ऐसी अवधि के कारावास जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से ही दण्डित किये जाएंगे। 6 में इन तीनों 3, 4, 5 को एक साथ कवर करते हुए हमने एक तीन साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा रखी।

अब यह जो नया कानून लाये हैं इसमें हमने इस सजा को और दण्ड को कुछ बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं नहीं समझ पाया हूं अब तक हमने पिछले इतने वर्षों के अपने कार्यकाल में जितने लोगों को भी इस अपराध के तहत पकड़ा उनमें से कितने लोगों को यह दण्ड दिया गया? कितने लोगों से यह दण्ड राशि वसूल की गयी। कितने लोगों को हमने तीन वर्ष का कारावास दिया? जब तक यह फिगर आप नहीं रखेंगे तब तक यह पता नहीं लगेगा। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा वाकई हम सबकी आपके साथ इस बारे में सहमति है कि कानून को इतना अधिक पेचीदा बनाकर हम सोचें कि कोई तलवार लटका देने से ही वह सुधर जाएगा, इसकी बजाय जो कुछ हमारे पास प्रावधान हैं उनको हम सख्ती से पालन कराकर उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में अगर विचार करे तो मैं सोचता हूं कि काफी कुछ हो सकता है।

हमारे यहां कई बार पेपर सेंटर पर चोरी होते हैं या और कई घटनाएं होती हैं, उनको रोकने के बाबत इस विधान सभा में जो प्रश्न लगा था उस प्रश्न के उत्तर में पिछले इतने वर्षों में क्या-क्या हुआ, उसका एक पूरा डिटेल चार्ट आया था कि प्रश्न पत्रों के आउट होने के बारे में क्या-क्या घटनाएं कब-कब हुईं। 1992 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदारपुरा, जोधपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा कमरे में ताले और अलमारी तोड़कर प्रश्न पत्र निकाल ले गये। इसमें जो मुल्जिम बने उन मुल्जिमों की क्या स्थिति बनी है, उनको क्या दण्ड मिला, क्या उन पर कार्यवाही हुई, हुई या नहीं हुई? अगर वे छूट गये, जो कुछ कानून हमारे पास था उस कानून का उपयोग करते हुए अगर अपराधी को दण्ड नहीं दिया तो हम कितना ही सख्त कानून बनाते जाएं कानून का कोई असर उन पर होने वाला नहीं है। इसी तरह से 1994 में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पीपला, भरतपुर में हुआ था, असामाजिक तत्वों द्वारा अलमारी तोड़कर प्रश्न पत्र की चोरी की गयी। उसके बाद 1996 में राजकीय उच्य माध्यमिक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विद्यालय बोरून्दा, जोधपुर, में भी केन्द्र पर प्रश्न पत्र का गलत लिफाफा सेंटर का जो इन्जार्ज था उसने लिफाफा कोई दूसरा खोल दिया, इसके कारण पेपर आउट हो गया। इसी तरह से 1998 में बहरोड, अलवर में केन्द्र पर प्रश्न पत्र का गलत लिफाफा खोल देने के कारण से आउट हुआ। उसके बाद राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सिंगराई में भी केन्द्र पर प्रश्न पत्र का कोई गलत लिफाफा खोल देने के कारण से आउट हुआ। मैं यह सूची इस कारण से पढ़ रहा हूं कि इस सूची को पढ़ने से हमको लगेगा कि वास्तव में ये अपराध हुए जिनके बारे में हम सब लोग चिन्तित थे और हमने इस पर कार्यवाही करने की कोशिश की। कम से कम उनकी छानबीन तो करें कि इन व्यक्तियों का हुआ क्या। इन सारे केसेज पर हम यहां बोलकर उनको एक बार निलम्बित तो कर देते हैं या उनको और कुछ कर देते हैं, लेकिन अन्ततोगत्वा उनके खिलाफ हुआ क्या, इसकी जब तक कोई मानिटरिंग करके रिकार्ड नहीं बनायेगा तब तक हमारे कानून की परीक्षा पूरी नहीं होगी।

इसी तरह से 1999 में संत शिरोमणी नारायणदास राजकीय माध्यमिक विद्यालय, धोला, जयपुर, उसमें तो सारे के सारे प्रश्न पत्र ही जिस गाड़ी में भेजे थे उस गाड़ी के अन्दर से गिर गये, ऐसा बताया और उसके कारण से सारी की सारी सैकण्डरी की परीक्षा हमको एक महीने आगे बढ़ाकर करनी पड़ी। जिसकी चर्चा सदन में भी हुई थी और शिक्षा मंत्रीजी का उस पर वक्तव्य भी हुआ। वह 23 तारीख की घटना थी, जब यहां वक्तव्य दे रहे थे, भगवान देवी बाजोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर हमने यहीं पर उसकी खूब चर्चा की और दूसरे दिन जब वापस हाउस में आये तो हमको लगा कि एक स्कूल में चपरासी और बाकी एक गैंग ने मिलकर पेपरों को उसकी सील ठीक नहीं होने के कारण निकाल लिया, अब वह सील ठीक नहीं होना किसकी गलती थी, मैंने सदन में भी कहा था कि बोर्ड के कुछ नियम है सील करने के। उसके दोनों तरफ से सील लगाते हैं, 6 सील उस पर लगती है और एक सील बीच में लगती है ताकि कहीं से भी कोई निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता। उस समय जो भी प्रशासनिक अधिकारी वहां थे, उनकी भूल थी कि उन्होंने इस बात को देखा नहीं कि लिफाफे कैसे सील हो रहे हैं। सात सील की जगह अगर तीन सील का लिफाफा आयेगा तो उस सम्बन्धित पार्टी को हमने हजारों नहीं लाखों रुपये का लाभ पहुंचा दिया। उसकी गलती तो हमने गलती मानी नहीं और बाकी की जो गलतियां थीं उसमें उनको दण्ड दिया। हमें कोई एतराज नहीं, वे उस दण्ड के लायक थे, उनको दण्ड मिलना चाहिए था। लेकिन हमें अपनी व्यवस्था के बारे में भी उस केस के आधार पर निश्चित रूप से उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए थी। पर चूंकि बोर्ड में बैठते हैं और बड़े आदमी हैं इसलिए बड़े आदमी को छूना शायद सब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को बुरा लगता है। सच्चाई तक नहीं पहुंच कर जिस नार्म्स के आधार पर पेपर की पैकिंग होनी चाहिए वह पैकिंग नहीं करने वाले को हमने उस समय में उसको बेगुनाह छोड़ दिया था।

इसी प्रकार राजस्थान उच्च मध्यमिक विद्यालय, बजाज नगर से भी उस समय चित्रकला, अंग्रेजी, भूगोल, संस्कृत, सामाजिक, उर्दू इन सब के पेपर आउट हुए थे। उसके बाद उसी साल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बानूड़ा, सीकर में भी केन्द्राध्यक्ष द्वारा द्वितीय प्रश्न पत्र परीक्षा के दिन तृतीय प्रश्न पत्र का लिफाफा खोल दिये जाने के कारण हुआ। ये घटनाएं अमूमन इसी प्रकार से होती हैं। या तो कोई चोरी होती है या जानबूझकर लिफाफों से या गाड़ी में से कोई उतारता है। उसके आधार पर हमने इसमें दण्ड देने की प्रक्रिया को किया है।

मैं माननीय मंत्रीजी, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमने परिवर्तन किए है, वह किया है धारा 6 में। धारा 6 में संशोधन किया है और उस संशोधन में हमने जो दण्ड देने की प्रक्रिया की है उसको तीन भाग में अलग-अलग डिवाइड कर दिया। तीन में क्या होगी, चार में क्या होगी, धारा पांच में क्या होगी। फिर हमने 6–क एक नई और जोड़कर इस नये कानून में लाने का प्रयास किया है। धारा तीन में सारे में ही था 3, 4 और 5 तीनों में जिस प्रकार का अपराध होता था उसको एक ही दण्ड से अपन ने पिछले कानून में किया हुआ था। उसमें था नये वाले में—"धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा। यह हमने अलग से 6 के अन्दर धारा 3 का (1) लेकर उसमें तीन को कवर किया। 2 में हमने 4 और 5 दोनों को मिलाया है। "उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा"। यह हमने उसकी थोड़ी-सी सजा की मात्रा बढ़ाई या उसके दण्ड की मात्रा बढ़ाई है। उसके बाद हमने धारा 6 एक नयी जोड़ी और वह यह जोड़ी है कि जो प्रश्न पत्रों की चोरी करता है या और किसी तरफ से उसमें चाहे वह संस्था का केन्द्राध्यक्ष हो, चाहे कोई बाहर का व्यक्ति हो, चाहे और किसी ने भी उसमें कमी की हो, उसके लिए है। तो यह जो नई धारा 6 आप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जोड़ रहे हो धारा-6 क" प्रश्न पत्रों की चोरी, उद्दीपन या लूट करने के लिए दण्ड— जो कोई भी किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की, ऐसे प्रश्न पत्र की परीक्षा समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय चोरी, उद्दीपन या लूट करता है। वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो पन्द्रह हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।" यह जो आप लाये हैं यह तब लाया जाए कि वास्तव में जो कुछ पुराना हमारे पास है उससे ईमानदारी से हमने कितने लोगों को इसमें सजा दिलाई और कितना इसमें दण्ड दिलाया। अगर हमने सजा और दण्ड दिलाया और उसके बाद में लगता है कि यह प्रवृत्ति बढ़ रही है तब तो और कठोर कानून लाना कानून के लिए ठीक होगा। हम सब लोग जो इस सदन में बैठते हैं, उनके लिए भी अपनी तरफ से बात कहने का लाजिक होगा। हमने न तो पुराना कोई हिसाब-किताब देखा कि पुराने में जितने लोगों को हमने पकड़ा। मैं अब उन सारी चीजों पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं जो पिछले 1999 में हुआ। संस्था प्रधान की गलती के कारण से, केन्द्राध्यक्ष जो परीक्षा का इन्चार्ज था बाजोरिया स्कूल का, वह उसमें था, चपरासी उसमें था। आर.ए.एस की परीक्षा में एक महेन्द्र सिंह ने उस चपरासी का उपयोग करके, उसको 20 हजार रुपये देकर वहां से पेपर चोरा। यह प्रवृत्ति जिस प्रकार से बढ़ी उस सब के बारे में उन लोगों का हुआ क्या? सिर्फ निलम्बन? क्योंकि हाउस के दबाव में प्रश्न पूछा जा रहा है, वक्तव्य देना है इसलिए किसी न किसी को तो लटकाना आवश्यक होता है। यहां कम से कम वातावरण तो शांत करें। यह जिस प्रकार अपन लाजिकली इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, यह शायद कानून की मंशा को धराशायी कर देता है। ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति जब हमको पता है, उसकी जानकारी है तो निश्चित रूप से उस केस को फालोअप करना चाहिए। दुर्भाग्य क्या है कि अपनी केस एंट्री कराकर हमारा डिपार्टमेंट तो मुक्त हो जाता है, चाहे गवाह बदल जाए तो बदल जाए, टूट जाए तो टूट जाए, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। इतने सालों के मैंने जो केस बताये हैं, मुश्किल से 8 घटनाएं कुल हुईं। अब 8 घटनाएं कुल हुईं उन आठ घटनाओं में भी अगर हमारा विभाग फालोअप नहीं कर सके। उन लोगों के कारण से 6 लाख और 8 लाख बच्चों को संकट का सामना करना पड़ा, उनके पेरेंट्स को करना पड़ा और विभाग को लाखों रुपये का उससे नुकसान हुआ। 1999-2000 में सारे पेपर हमको नये

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

छपाने पड़े, पूरे 50 दिन हमारी परीक्षाएं आगे खिसक गयीं। उसके बाद भी जिन लोगों ने किया, जिसके कारण से किया, जिस डी.ई.ओ. के कारण से किया उसे दो गाड़ियों में पेपर को भेजना था, उसने सोचा कि एक गाड़ी का पैसा बचा लूंगा और एक ही गाड़ी में भर दिया जिसके कारण से गिर गये और गिरने के कारण पूरी की पूरी सैकण्डरी की परीक्षा नहीं हुई। क्या उस डी.ई.ओ. से इसका पैसा वसूल करने का प्रयत्न किया? क्या उस डी.ई.ओ. को यह तीन साल की सजा दिलाने का प्रयास किया जिसकी केवल आर्थिक लाभ कमाने की दृष्टि से इस प्रकार की घटना घटित हो गयी? बाजोरिया स्कूल का संस्था प्रधान, जिसकी गलती के कारण बाहर रैक में डालकर पेपर चला गया, जिसने इस बात की भी चिन्ता नहीं की कि इसको डबल लाक में रखा जाए। जबकि हमने पिछले कई वर्षों की इन सारी घटनाओं के बाद समय-समय पर कई इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि ऐसा करना होगा। नहीं तो थाने में रखिये। थाने में नहीं तो जहां कोई तहसील में डबल लाक हो तो वहां रखो, वहां करो। सारा का सारा इंतजाम करने के बाद भी, और यहां रोज भाषण चल रहे हों, रोज अखबार में वह पढ़ रहे हों, फिर उस संस्था का प्रिंसिपल इस बारे में चिन्तित नहीं हो और 22 तारीख शाम को उसको पेपर, डिलीवर किये तो पेपर लेने के लिए वह मौजूद नहीं हो, फिर जो मौजूद हो उसको डालकर चला जाए। सच बात तो यह है कि इसमें बहुत कुछ गलती हमारे विभाग की होती है, हम लोगों की होती है कि किसी बच्चे को चुराने का मौका दे देते हैं। अब आपने यह तो रख दी कि कोई बच्चा चुरा लेगा, जिन बच्चों ने भरतपुर में चुराया वे छोटे-छोटे बच्चे थे, 14-15-18 साल के बच्चे थे। उनको किसी ने मैनेज किया और चोर लिये। अब आप यह कह रहे हो कि उनको यह सात साल और एक लाख रुपये जुर्माना हो जाएगा। क्या सम्भव है? वास्तव में सम्भव तो यह सजा उन पर ज्यादा होनी चाहिए थी जिनकी जिम्मेदारी है इनको सुरक्षित करने की। वह जब तक हम नहीं बनायेंगे, नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो जो हमारे पास प्रावधान हैं वे पर्याप्त थे। अगर आपको कोई लगता ही है कि धारा 6 क और जोड़कर इसको और ज्यादा ठीक किया जाये तो 6 क को जोड़ लीजिये। लेकिन बाकी तो 3, 4, 5 में ये सारी व्यवस्थाएं थीं और हमें वही दण्ड रखना चाहिए जिसमें तीन साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना है। अगर हम उसको भी वसूल कर लेते हैं तो हम निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ पाएंगे।

इसी तरह से, शिक्षा मंत्रीजी, क्योंकि और कोई माध्यम हमें मिलता नहीं, सत्र बहुत छोटा चलता है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस विभाग की वर्किंग को थोड़ा नजदीक से देखें। क्योंकि आप भी शिक्षक हैं और मैं भी एक शिक्षक हूं और हमारी जिन्दगी की कमाई यही है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमारे पास और कुछ हैं नहीं। लेकिन उसके बाद भी अगर विभाग की व्यवस्था न हो और हमारे अधिकारी इस डिपार्टमेंट को चूना लगाने का ही धंधा करें और इसको बिलकुल रसातल की ओर ले जाएं तो निश्चित रूप से अफसोस होता है। मैंने पिछली विधान सभा में भी सारे विषय उठाये पर मुझे बहुत अफसोस है कि उनमें से किसी एक पर भी आपने मुझे संतोष नहीं दिलाया कि इसमें यह कार्यवाही हुई नहीं हुई, इसमें कमी है नहीं है, पता नहीं। मैंने उन सब बातों को आपके सामने रखने का प्रयास किया।

मैं आज फिर आपके ध्यान में दिलाता हूं कि दोनों जगह आप ठीक करो। यह जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है यह लुटेरों का अड्डा बनता जा रहा है। शब्द बहुत कड़वा होगा लेकिन सच है, यह मेरा मन कहता है। यहां लोगों ने पैसा कमाना अपनी जिन्दगी का उद्देश्य बनाया है। मैंने पिछली बार भी प्रश्न किया, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया लेकिन मेरी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो पेपर इन्होंने जोधपुर की चौपड़ा और दो प्रेसों से प्रिंट करवाये, उसमें बिलकुल आपकी शर्त थी कि आप इसको जो हमारी स्टैण्डर्ड कम्पनी है ओरिएंट पेपर है उसके पेपर पर ही प्रिंट करेंगे। लेकिन उन्होंने घटिया पेपर पर प्रिंट कराकर एक डाक्यूमेंट यह दिया लाकर....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कटारिया जी, थोड़ा तो रहम रखें, उनको लंच में तो जाने दो पांच मिनट के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह नहीं गये तो हम भी थोड़े ही गये हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप भी करो, दोनों पधारो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कभी-कभी इस शिक्षा के ढांचे को सुधारने के लिए भूखे रहकर भी काम करना पड़ेगा। इसका उद्धार हो जाएगा तो आने वाले 10-20 साल में देश का विकास हो जाएगा।

श्री जगत सिंह दायमा : यहां कहीं स्टेशन भी आना चाहिए। आपका इतना फ्लो है कि कहीं स्टेशन, थोड़ा बहुत कोई कोमा, मात्रा, दो मिनट का तो हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने आपको पहले भी कहा, मैं मन से चाहता हूं कि और जगह कुछ गड़बड़ होती है तो हो जाने दो, कोई चिन्ता की बात नहीं। पर कम से कम इस विद्यालय के आधार पर जो कल का भविष्य बनेगा उसके बारे में थोड़ा मन को कठोर करके इस प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियों के लोगों को दण्ड जरूर देना चाहिए। मैंने उस समय भी आपको कहा था कि जो पेपर वहां छपाये गये थे, पत्राचार पाठ्यक्रम के जो सारे पाठ बनते हैं उसमें एक तो चौपड़ा है जोधपुर का और एक माण प्रेस है, इस दोनों प्रेस से जब कागज छपकर आये तो छपकर आने के बाद यह लगा कि इन्होंने हल्के कागज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का प्रयोग किया। लेकिन बिल इन्होंने उस पेपर मिल का दिया जो हमारी शर्तों के अनुसार था। जब हमने इस बिल को और उस कागज को भेजकर वहां जांच कराई तो उन्होंने कहा कि न तो यह कोई हमारा डीलर है जिसका यह बिल है, न यह कागज उस स्तर का है, यह घटिया स्तर का है। यह सारा जांच होकर आ गया, फाइल पर है। पर दुर्भाग्य यह है कि हमारे अधिकारी उन फाइलों को किस तरह से घुमाते हैं। उसमें भी तय हुआ कि सैक्रेटरी का उस पर नोट होना आवश्यक है, सैक्रेटरी को बाई पास किया। वहां पर जो फाइनेंशल मैनेजमेंट करने वाला जो भी आपका अधिकारी है, उसको ओवर-लुक किया और आपके अध्यक्ष महोदय ने अपनी मनमर्जी से उसको चैक का पेमेंट किया। 80 प्रतिशत पेमेंट तो हम पहले ही कर चुकते हैं, उसके बाद में जो बचता है, कम से कम उसमें जब अनियमितता है तो निश्चित रूप से उसे रोकना चाहिए। पर आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उस फाइल को पढ़िये, उसमें 100 रुपये जुर्माना एक जगह लगाया है और एक पर 600 रुपये लगाया है। यह वास्तव में क्या है? अगर ऐसे लोगों को चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, कितना ही बड़ा धुरंधर रहा हो, लेकिन जिसके मन में इस प्रकार की ओछी हरकत हो, वह अगर हमारे हाथ से निकल जाएं, अगर उसको छोड़ दें तो मैं सोचता हूं कि हमारे बोर्ड की जो कुछ भी प्रतिष्ठा आज दिन तक इस देश में है, इस बोर्ड की प्रतिष्ठा है आज भी उस प्रतिष्ठा को आंच आने की स्थिति बनती जा रही है। कम्प्यूकाम आपने कह दिया कि यह बोर्ड का करिश्मा है। बोर्ड का कोई लेना-देना नहीं है इस बारे में। बोर्ड का काम है जो कुछ भी पाठ्यक्रम बनता है वह बनाना, किताब के बारे में सोचना, परीक्षाएं मैनेज करना। कौनसा कोर्स चलेगा, इसकी परमिशन देने का काम है। लेकिन उसको आपने धंधे में डाला तो उसके कारण से उसने ये खोटे काम कर डाले। अगर उसे धंधे में नहीं डालते, क्योंकि जहां पैसा मिलता है, आदमी का मन जो अच्छा होता है, वह बिगड़ने लगता है। जो काम उसे नहीं करना था, जिस बोर्ड की अपनी गरिमा थी, उसको हमने काम देकर बिगाड़ने की कोशिश की है।

यही नहीं, ये जो आपके तीनों-चारों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कभी आप जाकर 1-2 दिन बैठो वहां, लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी, डी.पी.ई.पी.। आपके पास इतना ओवर बर्डन है और कुछ यह विभाग भी ऐसा ही है कि इसमें मरे ही फुर्सत नहीं मिलती है। वास्तव में जिस चीज के लिए हमें काम करना है, करोड़ों रुपये जहां आ रहे हैं बाहर से, केन्द्र सरकार से शिक्षा सार्वजनीकरण के लिए मिल रहे हैं, उसका लोगों ने जैसे कोई चूक खाने का धंधा बना दिया कि करोड़ों रुपये खाएं। मैं आपको केवल बिन्दु रूप में गिनाता हूं, उसका कोई कहीं पर रिकार्ड कुछ नहीं है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि अगर हमारी जानकारी में कोई विषय आता है और उसके बाद भी अगर वह व्यक्ति बच जाता है, हम यहां बोलते हैं उसके बाद भी वह नंगा होकर नाचने लग जाता है तो दुर्भाग्य हो जाएगा। फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, यहां बात करने का, चर्चा करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने हर बार जहां भी मेरे ध्यान में आया, मैंने आपको फोन पर भी बताने की कोशिश की है कि हमारे जो करोड़ों रुपयों के प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट तहस-नहस हो रहे हैं, इसको कोई ठीक प्रकार से देख नहीं पा रहा है। उसके बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। परियोजना में जो भी लोग आपने लगाये हैं, मैंने पिछले भाषण में भी आपको कहा था लेकिन शायद नहीं हुआ। एक एल.डी.सी. है जो जिला शिक्षा अधिकारी की तनख्वाह ले रहा है। मैंने नाम बताया था लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, कोई उस बात को देखने वाला नहीं है। अगर कोई किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आता भी है तो उसका टर्म तय है चार साल। वित्त विभाग उस पर आब्जेक्शन कर रहा है, उसके पेमेंट पर आब्जेक्शन कर रहा है, लेकिन वहां जो निदेशक है, मालिक मेहरबान तो बाकी पहलवान, वही स्थिति हो रही है। उस बात का कोई असर नहीं हुआ है। एक कम्पाउण्डर है, आप देखो, कम्पाउण्डर वहां प्रोजेक्ट आफिसर है। यह जो हमारी डी.पी.ई.पी. है, उसमें वह प्रोजेक्ट आफिसर है। इसी तरह से जिला शिक्षा अधिकारी आज जोइंट डाइरेक्टर बना हुआ है। हमारे यहां एक नियम हमने जरूर बनाया था कि अच्छे लोगों को लाने के लिए कि उनको एक स्टैप आगे दिया जाए ताकि जहां भी राजस्थान में कोई अच्छा टीचर है, वह हमें इस प्रोजेक्ट के लिए मिले और हमारे प्रोजेक्ट को गति मिले। लेकिन इन लोगों ने तो सोचा कि..... इसी तरह से थर्ड श्रेणी का अध्यापक है वह आज रिसर्च आफिसर है। यह विषय मैंने पिछली बार विधान सभा में शिक्षा की डिमाण्ड पर बोलते हुए उठाया था और मैंने उनके नाम भी लिखाये थे। यह जो रीता चतुर्वेदी है यह एल.डी.सी. है और यह एल.डी.सी. आज जिला शिक्षा अधिकारी की तनख्वाह ले रही हैं। मैं नहीं समझ पाता कि क्या है यह? अगर इसी तरह हमारे बच्चों के शिक्षा प्रसार के लिए लाये पैसों को कुछ लोग यह समझे कि हमारी जागीरी हो गई है, हम इसको जितना चाहें खाएं मजा करें, लूटे और यह हमारे शौक का अगर साधन बन जाता है तो दुर्भाग्य होगा। इसी तरह से गणेश नारायण निगम है, यह थर्ड श्रेणी का अध्यापक है, आज की तारीख में प्रिंसिपल की ग्रेड ले रहा है। इसी तरह से भूदेव सारस्वत है, यह द्वितीय श्रेणी का कम्पाउण्डर है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका इतना सुन्दर भाषण हो रहा था, अब इसमें ये जो नाम गिनाते हैं ना, उससे भाषण की गरिमा कम आती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं बहुत जल्दी कर रहा था, इसलिए कि मुझे और कोई अवसर ऐसा मिलता नहीं। साल में मुश्किल से एक दिन तो इस पर चर्चा होती है और उस दिन भी चर्चा में इतनी लम्बी फेहरिस्त होती है, विषय कई होते हैं, रखने का कोई अवसर ही नहीं आता, मौका ही नहीं आता।

श्री सभापति : नहीं, मिलेगा अवसर आपको, लेकिन इससे आपके गरिमामय भाषण में कमी आएगी। मुझे एतराज नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ....या तो चिट्ठी लिखते हैं या टेलीफोन करते हैं। मैं जल्दी कर रहा हूं।

इसी तरह से भूदेव सारस्वत, यह द्वितीय श्रेणी कम्पाउण्डर है और आज यह द्वितीय श्रेणी कम्पाउण्डर प्रोजेक्ट आफिसर है। इसी तरह से श्याम सारस्वत है, यह वाणिज्यिक कर विभाग का व्यक्ति है और आज जिला शिक्षा अधिकारी की तनख्वाह ले रहा है। मतलब इस तरह की अनिमितताएं ध्यान में लाने के बाद भी, मैंने आपको पिछली बार भी यह कहा था कोटा में जो डी.पी.ई.पी. के तरह पैराटीचर का सलैक्शन हुआ, पर कलक्टर की रिकमण्डेशन थी और जो उसका अभिमत था, उसको विभाग ने पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने बिलकुल स्पष्ट डाइरेक्शन दिये थे कि जो हमारे यहां से अधिकारी गया था, उसे इस विभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं, उसे हटा दीजिये। वहां जो अधिकारी लगे हैं, उस रिपोर्ट को भी हमारे डाइरेक्टर साहब दबा कर बैठ गये।

इसी तरह से मैंने कहा था, 10 करोड़ की पुस्तकें खरीदी जा रही हैं। मैं सोचता हूं जहां पर 10 करोड़ की पुस्तकें खरीदनी हों तो ओपन टेण्डर क्यों नहीं इंवाइट करते? सारे हिन्दुस्तान के लोग क्यों नहीं आए? केवल एक फार्मेलिटी करने के लिए कुछ पब्लिशर्स से ढेर मंगाकर एक गोदाम में रख दिया और फिर एक छोटी टीम बना दी कि इसमें से छांट लो। क्या छाटेंगे इसमें से? आपने देखा होगा, हिन्दुस्तान में चिल्ड्रन्स वाले हैं, वे बहुत अच्छी एकेडेमिक पुस्तकें निकालते हैं। इसी तरह से और भी कुछ हैं जिनके पास ऐसी पुस्तकें हैं लेकिन नहीं। हमने बगदा मंगाकर यह सोचा कि यह फोकट का पैसा आया हुआ है डी.पी.ई.पी. का, इसको धर्मादे में डाल दो। 10 करोड़ रुपयों की खरीद के लिए, मैंने पहले कहा था और उस पर भी एक लाइन नीचे मार्क थी कि 30 प्रतिशत कमीशन देना पड़ेगा। हिन्दुस्तान में अलग-अलग प्रकार के पब्लिशर्स हैं, कुछ पब्लिशर्स ऐसे होंगे जो शायद 30 प्रतिशत आपको नहीं दे सकें, पर उनका स्टैण्डर्ड है, उनका नाम है। हिन्दुस्तान में हर जगह उनकी किताबें जाती हैं, लोग ढूंढकर उनकी किताब लाते हैं। लेकिन आपने यह राइडर लगाकर जो 50 प्रतिशत देते हैं, उनको भी 30 प्रतिशत पर संतुष्ट कर दिया। आपके डायरेक्टर सीधे इसमें इन्वाल्व हैं। आप इस फाइल को मंगाकर देखिये, आपको लगेगा कि आपका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निदेशक धार्मिक कामों का जो पैसा हमें बाकी के देशों से मिल रहा है इस सारे प्रोजेक्ट के लिए, उसको किस प्रकार से तहस नहस कर रहा है।

यही नहीं, हमारे पास में कोई भवन नहीं है आज भी डी.पी.ई.पी. के, लेकिन भवन नहीं होते हुए भी, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जब भवन नहीं है तो सामग्री क्यों खरीदी गई? और केन्द्रीकृत सामग्री खरीदने का तो कोई प्रोविजन है नहीं हमारे इस प्रोजेक्ट में। हमारे इस प्रोजेक्ट में है कि जिला केन्द्रों पर जिला कलक्टर उस परचेज कमेटी का चेयरमैन, वह अपनी आवश्यकता की सामग्री वहीं खरीदे। पर वहां खरीदेगा तो इनको कमीशन कहां से मिलेगा? अपने कमीशन के लिए प्रथम चरण में 10 जिलों में कूलर, फर्नीचर और कम्प्यूटर सब लाकर पटक दिये। सैकण्ड फेज के जो नौ जिले थे, वह तो शुरू ही नहीं हुआ, उनका भी सामान मंगाकर पटक दिया, केवल अपने कमीशन के कारण से। अगर इस प्रकार की अव्यवस्था है तो आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए।

इसी तरह से डी.पी.ई.पी. में दो करोड़ की दरी-पट्टियां, एक बार आप अपनी निगाह से जाकर देखिये कि वास्तव में ये दरी-पट्टियां बैठने लायक हैं क्या? हम लोगों का क्या होगा? हम राजनीति में काम करते हैं तो हमारा क्या, हम सब मर चुके हैं क्या? किसी कमजोरी और कमी के बारे मे हम सीरियसली सोचकर उसको सुधारने का काम क्यों नहीं करते हैं? आपने देखा होगा, कई स्कूलों ने दरी पट्टियां लेने से मना कर दिया है कि यह कौनसी दरी-पट्टी लेकर दी है। ऐसी दरी-पट्टी हमारे यहां है ही नहीं, पर केवल कमीशन के लालच में हम इसको कर रहे हैं।

इसी तरह से डी.पी.ई.पी. में प्लान दस्तावेज में यह स्पष्ट अंकित है, आप पढ़ना उसको, जितनी पुस्तकों की छपाई होगी, हमारा पाठ्यपुस्तक मण्डल राजस्थान का है, राज्य सरकार का अपना है और उसका अपना स्तर है, उसमें छपनी चाहिए। लेकिन वहां छपाएं तो कमीशन कौन देगा? इसके कारण से अजय एजेंसी से सारा प्रिंटिंग हुआ। आपको सुनकर आश्चर्य और हैरानियत होगी कि अजय एजेंसी के पास कोई भी प्रेस ही नहीं है। उससे यह सारा खरीदा और यह सारा मामला हुआ है। अगर इस तरह की अव्यवस्थाओं के बारे में भी हम सीरियसली विचार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे और यह प्रवृति बढ़ते-बढ़ते रसातल की ओर ले जाएगी।

बड़ी मुश्किल से राजस्थान को शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। विभिन्न एजेंसीज के सहयोग से किया, केन्द्र सरकार की मदद से किया, जनता के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सहयोग से किया। सबने मिलकर प्रयास किया, उसके कारण से आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। ये तो मैंने कुछ नमूने बताये हैं, मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूं लेकिन सभापतिजी का आग्रह है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001 लाये हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप जवाब दें तो यह जरूर बताएं कि 1992 में हमारे इस कानून के बनने के बाद जो जो अपराध हुए, उन अपराधों में किसको क्या सजा मिली। हमें तो कई बार यह लगता है

(15.00 बजे)

कि नकल करते हुए बड़े-बड़े पकड़े जाते हैं लेकिन वे छूट जाते हैं। जनता में क्या मैसेज जाता है? जनता में यह जाता है कि क्योंकि बड़े आदमी हैं इसलिए इनका केस कैसे भी रफा-दफा। जब कभी भी हाथ में लग जाता है बड़ा ही कोई तो कभी मारकर अगर खूंटी पर लटकाओगे न तो उसको देख कर छोटे अपने आप सबक सीख जाएंगे। बड़ी मुश्किल से ऐसा कोई हाथ लगता है केस, उस केस के ऊपर चिन्ता करके उसके पीछे पड़ने की बजाय केवल उसको रफा-दफा करना चाहें। वह आपकी पार्टी का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, अगर नकल किसी ने भी की है और वह अपराधी है तो उसे दण्ड मिलना चाहिए। मैं आप से कम से कम यह उम्मीद जरूर करूंगा कि शिक्षा के इस पवित्र क्षेत्र में मन को थोड़ा साफ करके इस प्रकार की अनियमित गतिविधियां करने वाले लोगों के साथ तो कठोरता से पेश आए। जो कानून हमारे पास है वह कानून पर्याप्त है, उस कानून के बाद इस कानून की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री मदन दिलावर। यह शिक्षा का मामला है।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह भी इंजीनियर हैं, साहब।

श्री मदन दिलावर : अंग्रेजी में बोलूं?

श्री धर्मपाल चौधरी : हां।

श्री मदन दिलावर : समझोगे नहीं भाई।

श्री सभापति : लोगों के कहने से मत बोलो।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक शिक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001 हम लाये हैं। हम सब को जानकारी है कि पहले से ऐसा कानून हमारे पास है जिसके माध्यम से हम अनुचित साधनों के प्रयोग को आसानी से रोक सकते हैं। परन्तु इन तीन वर्षों में आपने देखा होगा कि प्रश्न पत्रों की लूट, छीनाझपटी, नकल ये सरेआम होते रहे। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने

(श्री मदन दिलावर)

जरूर आंकड़े दिखाये हैं कि कम हुए हैं, लेकिन यह सच है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास सरकार ने नहीं किया। कानून था, रोका जा सकता था, और बड़ी सख्ती से रोका जा सकता था। आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में यह कानून होने के बावजूद किसी सख्ती के साथ वहां पर अनुचित साधनों का प्रयोग कम हुआ। बहुत सारे लोगों को सजा मिली, बहुत सारे लोगों पर जुर्माना हुआ और उस कानून के माध्यम से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज भी अनुचित साधनों के प्रयोग करने वाले भयाक्रांत हैं, आसानी से नहीं कर सकते। परन्तु हमारे यहां कानून होने के बावजूद हमने क्या किया? विधान सभा में बैठने वाले लोग नकल करते पकड़े जाएं और छूट जाएं। बड़े-बड़े अधिकारी नकल करते पकड़े जाएं और छूट जाएं। जो कानून है बना हुआ आलरेडी, आप उसी की पालना नहीं करवा पाये तो फिर आप जो कह रहे हैं कि हम तीन साल की सजा को पांच साल करने जा रहे हैं, पांच हजार के जुर्माने को हम और बढ़ाने जा रहे हैं, क्या गारंटी है कि शिक्षा में जो हम अनुचित साधनों का प्रयोग रोकने की बात करते हैं, जो सख्ती के साथ रोकने की बात करते हैं, क्या हम सख्ती ला पायेंगे? मुझे संदेह है। सरकार केवल वाहवाही लूटने के लिए, केवल रिकार्ड कायम करने के लिए कि हम इतने सारे विधेयक लाये हैं। जो कानून आलरेडी है उसकी भी पालना करा पाने में ये निष्फल रहे हैं। निष्फल ही नहीं, मुझे तो मन में भी बेईमानी लगती है। बेईमानी इसलिए लगती है, कोई सत्ता पक्ष का एम.एल.ए. पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो तो क्या बेईमानी नहीं है? क्या तीन साल की सजा उनको नहीं दी जा सकती थी? क्या जुर्माना उनके ऊपर नहीं किया जा सकता था? कोई अधिकारी पकड़ा जाए उसको सजा नहीं हो? उसको तीन साल की दे देते। जब आप तीन साल की देने में बेईमानी कर रहे हैं तो पांच साल की सजा आप कैसे देंगे? किसी रूप में नहीं दे सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि विधेयक जो लाया जा रहा है, केवल इसलिए लाया ज़ा रहा है कि ये अपना रिकार्ड बना सकें कि हम इतने सारे विधेयक लाये हैं, हमने यह-यह किया।

मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस नये विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है लाने की, पहले वाला जो कानून हमारा बना हुआ है, जो विधेयक पास हुआ है वह पर्याप्त है। 1992 का कानून होने के बावजूद भी इन तीन सालों में जो शिक्षा में परीक्षा की दुर्गति हुई है उससे सब भली-भांति परिचित हैं। कितना मानसिक संताप इस राजस्थान के बालकों को झेलना पड़ा है, छात्रों को झेलना पड़ा है, उसका अनुमान कोई लगा सकता है? लेकिन इतना मानसिक संताप झेलने के बावजूद

(श्री मदन दिलावर)

भी क्या हुआ? किस को सजा हुई? क्या परिणाम निकले उसके? क्या बालकों को इससे लाभ मिला? या कोई छुटकारा मिला? नकल करने वाले आज भी धड़ल्ले से करते हैं और जो ठीक प्रकार से बच्चे अध्ययन करते हैं, मेहनत करते हैं वे पिछड़ जाते हैं। उसका कारण है कि हमारी इच्छाशक्ति नहीं है, सरकार की इच्छाशक्ति नहीं है, सरकार यह नहीं करना चाहती। असामाजिक तत्वों के शिकंजे में जो सरकार फंसी हो वह सरकार कैसे नकलचियों को रोक सकती है, कैसे यह कुछ कर सकती है? केवल दिखाने के लिए रिकार्ड पर कि हमने कानून बना रखा है कठोर, तीन साल से पांच साल कर दिया, इससे काम चलने वाला नहीं है। यदि आपकी इच्छाशक्ति हो, आप अनुचित साधनों का प्रयोग रोकना चाहते हैं तो इस सदन के माननीय सदस्य जो पकड़े गये हैं उनका केस वापस खुलवाइये। दोबारा जांच करवाएं और यदि वह दोषी पाये जाएं तो उनको सजा दीजिये। परन्तु मैंने सुना है कि सत्ता पक्ष का एम.एल.ए. होने के नाते इस प्रकार की परीक्षाओं में बैठ कर सब प्रकार की छूट उनको मिल जाएगी। सरकारी अधिकारी होने के नाते जो कोई सरकार के कहने के अनुसार काम करता रहेगा उलटा-सीधा, वह किसी भी प्रकार की नकल करे, उसको सब प्रकार की छूट मिलेगी। इसलिए यह सरकार बच्चों के साथ बेईमानी कर रही है यह विधेयक लाकर। यह अनुचित साधनों का प्रयोग रोकना नहीं चाहती, इसकी इच्छाशक्ति नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, डी.पी.ई.पी. का एक प्रसंग मुझे ध्यान आता है। यह डी.पी.ई.पी. की जो योजना है यह भारत सरकार की योजना है और इसमें यह है कि अधिक से अधिक बच्चों को हम शिक्षा दें, शिक्षा के दायरे को हम बढ़ाएं। उसमें आपको पता होगा कि उन्होंने कुछ बिन्दु दिये हैं कि किन-किन बिन्दुओं पर भारत सरकार पैसा देगी और राजस्थान सरकार को काम करना है। एक दसवें या ग्यारहवें नम्बर का बिन्दु है, मुझे ध्यान नहीं है, कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वे सामान्य शिक्षा नहीं ले पाते धार्मिक शिक्षा के अलावा, इसलिए उन बच्चों को मदरसों से बाहर लाने के लिए, वहां चाहे धार्मिक शिक्षा प्राप्त करें, सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामान्य विद्यालय खोलकर उनको भी सामान्य शिक्षा दी जाए। इस प्रकार से एक बड़ा अच्छा केन्द्र सरकार का सोच था, पर राजस्थान में हुआ क्या, श्रीमन्? मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बाहर लाकर सामान्य शिक्षा देने के लिए विद्यालय खोलने थे, कोटा जिले में क्या हुआ? हुआ यह कि वहां मदरसे खोल दिये गये। मदरसों में शिक्षा देने की बजाय जहां सामान्य लाना था उनको वहां मदरसे खोल दिये गये। और....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह शिक्षा नीति पर विधेयक नहीं है, सीमित इसका दायरा है। बिल को सामने रखकर कौन-सी धारा में आप क्या चाहते हैं, वह कहें तो अच्छा रहेगा।

श्री मदन दिलावर : मैं केवल साढ़े पांच मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : मैं मिनटों की बात नहीं कर रहा, आप घंटे भर बोलो लेकिन बोलो रेलेवेंट।

श्री मदन दिलावर : हां, वही बोल रहा हूं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि किस प्रकार अनुचित प्रयोग होता है।

श्री सभापति : अनुचित प्रयोग किस बात का? किस बात का?

श्री मदन दिलावर : शिक्षा में क्या शिक्षा देनी चाहिए थी.....

श्री सभापति : शिक्षा पर नहीं है यह। माननीय सदस्य, मैं पहले ही कह रहा हूं कि यह शिक्षा पर नहीं है, यह तो प्रश्न पत्रों के चोरी करने पर, उन पर है। इसलिए, माननीय सदस्य, आप अपने दायरे में रह कर सीमित बात करें।

श्री मदन दिलावर : मैं कम पढ़ा-लिखा आदमी हूं, थोड़ी-सी रियायत कर दें, श्रीमन्। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि सरकार ने किस आधार पर डी.पी.ई.पी. में मदरसे खोले, जहां कोई नहीं पढ़ाने वाला, जहां 20 लोग हैं? उस पर यह सरकार ने पाबंदी लगाई, श्रीमन्....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विषय से बाहर मत जाइये।

श्री मदन दिलावर : कि इसमें अल्पसंख्यक या मुसलमान ही पैराटीचर हो सकता है। कोटा जिले में ऐसे कई मामले हैं जहां हिन्दुओं का चयन हो गया, उनको निरस्त कर दिया गया। जहां हिन्दू लोग पैराटीचर के चयन के लिए गये, उनको निकाल दिया गया। बारां जिले में हुआ, कोटा जिले में हुआ। मैंने अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था, मैंने स्थगन प्रस्ताव लगाया था, मैं प्रश्न के माध्यम से आया था, आज तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला, श्रीमन्। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य भर में इस प्रकार का दूषित वातावरण करने के लिए केन्द्र सरकार के माध्यम से जो पैसा मिल रहा है, उस पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि डी.पी.ई.पी. के माध्यम से आपने गलत तरीके से, गलत ढंग से और गलत नीयत से जो मदरसे खोले हैं, क्या आप उनको बंद करेंगे? आप जानते हैं स्वयं, श्रीमन्....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आज चर्चा का विषय नहीं है।

श्री मदन दिलावर : आप स्वयं जानते हैं, श्रीमन्, ये मदरसे आतंकवाद के अड्डे बन गये हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह चर्चा का विषय नहीं है आज। नहीं, नहीं।

श्री मदन दिलावर : ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के केन्द्र बन गये हैं। केन्द्र सरकार के पैसे का इस प्रकार से दुरुपयोग करके मदरसे खोले, यह बहुत गलत बात है।

श्री सभापति : यह चर्चा का विषय नहीं है, मान्यवर।

श्री मदन दिलावर : इसलिए मेरा निवेदन है कि जो यह विधेयक लाया गया है इस विधेयक से पहले का कानून बहुत प्रभावी है।

श्री सभापति : बढ़िया काम है।

श्री मदन दिलावर : है न? बहुत प्रभावी है।

श्री सभापति : इसलिए समाप्त करो आप।

श्री मदन दिलावर : और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अभी लाया गया है यदि.....

श्री सभापति : इसकी जरूरत नहीं है?

श्री मदन दिलावर : जरूरत तो है पर बहुत बड़े ऐसे नामी-बेनामी लोग जो बदमाशियां करते हैं उनके लिए है। लेकिन क्या सरकार की यह इच्छाशक्ति है, पहले वाले कानून के अन्तर्गत जो लोग पकड़े गये हैं उनको सजा दिलवायेंगे? यदि नहीं दिला पाएं, असमर्थ हैं या उनसे मिल गए हैं तो फिर इस कानून की पालना किसके ऊपर करेंगे? इस कानून का मतलब क्या रह जाएगा? अर्थ क्या रह जाएगा? इसलिए मेरा कहना है कि पहले सरकार मजबूत हो। पहले पकड़े गये नकलचियों को या जिन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग किया है उनको सजा दिलाएं। और सजा दिलाने के बाद इस विधेयक को लेकर आए, इस संशोधन को लेकर आऐ, अन्यथा अब इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर : इसलिए जनमत जानने के लिए एक माह के लिए इसको परिचालित किया जाए, श्रीमान्।

श्री सभापति : माननीय डा. किरोड़ी लाल। माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापतिजी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001 को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए मैं मेरे विचार रख रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, इस विषय पर बहुत लम्बी-चौड़ी चर्चा सदन में हो गयी है, मैं बहुत ही संक्षेप में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा प्रोसीक्यूट किये जाते हैं, लेकिन प्रोसीक्यूशन करने के बाद में किस प्रकार केस की पैरवी करनी चाहिए और पैरवी करके अपराधी लोगों को दण्डित किया जाना चाहिए, इस मामले में जब तक सरकार द्वारा कारगर कदम नहीं उठाये

(श्री हीरासिंह चौहान)

जाएंगे, अपराधी बचते रहेंगे। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है, माननीय सभापतिजी, कि इसका इन्वेस्टिगेशन कम से कम डीवाई.एस.पी., सी.आई. लेवल के अधिकारी से कराया जाए। अगर सी.आई. लेवल के अधिकारी से इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी तो केस में चालान करने में क्या-क्या लैकूना रहता है, सी.आर.पी.सी. की कई धाराओं के साथ-साथ आई.पी.सी. में हो, चाहे आपके इस अनुचित साधनों की रोकथाम के अन्तर्गत चालान हो, जब तक सी.आई. लेवल के अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी से इसकी जांच नहीं कराने की व्यवस्था करेंगे तब तक इसमें कोई कारगर कदम नहीं होगा। एक बार चालान हो गया, चालान होने के बाद, सभापति महोदय, डिपार्टमेंट की ओर से कोई उसकी पैरवी करने वाला नहीं है। केवल सरकारी अधिवक्ता होता है और सरकारी अधिवक्ता के पास केसों का अम्बार लगा होता है। जब तक इन केसों की पैरवी करने के लिए आप माकूल आदमियों को अधिकृत नहीं करेंगे, इस प्रकार के कानून बनाने से भी काम नहीं चलेगा। Hundreds of laws are in India, लेकिन उसके ऊपर प्रभावी कार्यवाही कहां होती है? कोर्ट के क्या नजरिये होते हैं, कोर्ट के सामने केस को एस्टेब्लिश करने के लिए कड़ी से कड़ी मिला करके काम करना चाहिए, उस प्रकार की व्यवस्था जब तक नहीं की जाएगी तब तक आप कानून को कितना ही कठोर बना दें। आपने तीन साल की जगह कम से कम पांच साल की सजा की। सजा बहुत कठोर बनायी है कि कम से कम पांच साल की सजा कोर्ट द्वारा दी जाए। आई.पी.सी. भी हमने देखी, उसमें भी डिस्क्रिशन आफ दी मजिस्ट्रेट और डिस्क्रिशन आफ दी जज लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर तो आपने इतना सख्त कानून बनाया है कि कम से कम पांच साल की सजा। मैं सोचता हूं कि कम से कम पांच साल की सजा दिलाने का यह जो प्रोविजन आपने किया, बहुत हार्ड, बहुत कठोर है। लेकिन कठोर होने के बावजूद भी इस कानून में मूल उद्देश्य में जो आपने आब्जेक्ट दिया है, आब्जेक्ट के अनुसार आपने यह कहा है— Any attempt to disrupt the public examination system by theft or robbery or other un-authorised modes of possession or procurement of question papers of any public exmination must attract deterrent punishment. The proposed amendment in the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992, therefore, seeks to make the punishment for aforesaid offences more severe. बहुत कठोर कानून बनाने के लिए आपने कहा है। लेकिन जब हम कठोर कानून की बात करते हैं तो उसके पीछे हमको जाना पड़ेगा कि वो कौन से कारण हैं जिसके कारण वे लूट-पाट होती

(श्री हीरासिंह चौहान)

है, रोबरी होती है। क्या हमारे रखरखाव में कमजोरी है? क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं वहां भी सीक्रेसी मेंटेन की जाती है कि नहीं की जाती है? जिस प्रेस में क्वेश्चन पेपर्स को छपने के लिए दिया जाता है वहां क्या-क्या है? बहुत सारे पेपर तो वहीं से आउट हो जाते हैं जिससे, पूरे राजस्थान में लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, सारे एग्जामिनेशन सेन्टर पर डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो यह क्वेश्चन बहुत अहम है कि पेपर सैट से लेकर पेपर जहां पर प्रिंट होते हैं और उसके बाद में लाने-ले जाने के मोड क्या हम ठीक ढंग से नहीं रख सकते। क्या इस लापरवाही से ले जाया जाए, जिस प्रकार से अभी कटारिया साहब ने कहा कि एक इंस्पेक्टर ने दो-चार सेन्टरों को एक साथ एक ही ट्रक में बहुत सारा भर दिया जिससे प्रश्न पेपर ट्रक से गिर गये। गिर जाना, यह एक अमूल्य सम्पत्ति होती है जिनसे विद्यार्थी, इंटेलिजेंट विद्यार्थी मार्क और अपनी डिवीजन वगैरह तय करता है सबसे पहले तो जो प्रश्न पेपर बनाता है। उसको रखता है और उसके बाद लाने-ले जाने की व्यवस्था करता है उसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। अगर सावधानी की जरूरत है तो कस्टडी में रखा जाए ट्रैजरी में रखा जाए। 1992 की धारा में किया गया, लेकिन सबसे पहले जिस संस्था के द्वारा पेपरों का सारा रखरखाव किया जाता है, चाहे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, उनके रखरखाव के तरीके को बहुत सुन्दर बनाना पड़ेगा। इससे भी बढ़ कर जब इस प्रकार की थैप्ट और रोबरी में कोई मुलजिम या अपराधी पंकड़ा जाता है उसका किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन हो। इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी से कराना चाहिए। उसके बाद भी उसकी पैरवी करने के लिए माकूल तरह की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक अपराधी बचता रहेगा और आप राजस्थान में कोई अच्छा एग्जाम्पल के लिए इस कानून के तहत लोगों में भय पैदा करके लूट-पाट की रोकथाम करने के लिए उपस्थित नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरा तो इस विषय में इतना ही निवेदन है कि सारे जो भी आपके हैं पेपर बनाने के, रखने के, प्रोसीक्यूशन के, उन सब में सुधार किया जाए। तो मैं सोचता हूं कि यह जो कानून लाये हैं, उससे कुछ सुधार हो सकता है। अन्यथा इस विषय की जानकारी के लिए मेरा, सभापतिजी, निवेदन है कि कम से कम एक माह के लिए जनमत जानने के लिए इसको परिचालित किया जाए ताकि इसमें और भी कई प्रकार की कमियां अभी भी रह गयी हों वे आपके सामने आ सकें। मैं इतना ही कह कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, सदन में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001 पर चर्चा चल रही है....

श्री सभापति : आपको दूसरे विधेयक पर भी बोलना है इसलिए समय सीमा ठीक रखे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बोलूंगा मैं, साहब। आप चाहें तो 24 घंटे बुलवाएं, साहब।

श्री सभापति : हां, कह रहा हूं दूसरे विधेयक पर बोलना है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप 24 घंटे सदन चलाएं, 24 घंटे बोलूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सभापति : हां, बोलिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : निवेदन यह है कि पहले से विद्यमान 1992 में बने राजस्थान अधिनियम की धारा 27 की धारा-6 का संशोधन लाया जा रहा है। धारा 3 के उपबंधों में पहले से दो हजार रुपये का जुर्माना और सजा का प्रावधान है। दो हजार का जुर्माना और तीन साल की सजा, अब उसको आगे बढ़ा कर सजा देना चाहते हैं। मेरा निवेदन है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपने पांचवीं तक की परीक्षा के लिए तो कहा है कि किसी को फेल नहीं करें। उससे आगे आपने कहा है कि मिडल और सैकण्डरी के विषय के अध्यापक सीनियर हों या लैक्चरार हों, अगर उनके किसी के विषय के कम प्रतिशत अंक आये तो उसको पनिश्मेंट दिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी, उनका ट्रांसफर किया जाएगा। तो क्या वे नकल रुवाएंगे या नकल को बढ़ाएंगे। जहां तक पेपर की लूट की बात है, पेपर चोरी की बात है, आपके शासन में, माननीय सभापति महोदय, ये चर्चा कर रहे हैं बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री सभापति : हां, सुन रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : शिक्षा मंत्री महोदय, आपने जो नकल के बारे में कहा है, शुरूआत हुई है। श्रीमान्, पूर्व शिक्षा मंत्री बी. डी. कल्ला साहब के समय से पर्चों की लूट-पाट का यहां तक हुई, दुर्भाग्य है, कि पर्चों को थानों में रखना पड़ा कि अब पुलिस पर्चों का संरक्षण करे। बैंकों में रखना पड़ा। बैंक के मैनेजर पर्चों का संरक्षण करें। अब बी. डी. कल्ला साहब का हाल जो हुआ वह तो इकबाल का एक शेर जो आप नोट करें, वह तो इकबाल का एक शेर है सी. पी. जोशी, साहब।

"इकबाल तेरे इश्क ने सब खम दिये निकाल,

मुद्दत से आरजू थी सीधा करे कोई।"

ये टेढ़े बांके घूम रहे थे, कोई सीधा कर के दिखाए। बी.डी. कल्ला साहब तो सीधे हो गये, अब आप कब सीधे होंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा, जहां हम नकल की बात करें, जहां हम पर्चे की लूट-खसोट की बात करें वहां हम उस नैतिकता की बात न करें। हम बिना साक्षात्कार के ही सुपर बॉस हो जाए, प्रोफेसर हो जाए वहां हम नैतिकता, चरित्र की बात करें बड़े अधिकारी और माननीय विधायक ही नकल करते पकड़े जाए, उनकी खाल को बचाया जाए, उनके माल को बचाया जाए और उनके मुंह से निकली हुई राल को बचाया जाए। यह जान, माल और खाल जो बचाई गई,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

यह क्यों हुआ? यह जो नकल करने का आप प्रावधान लाये हैं मैं तो इसमें सदन के बाकी विधायकों से अलग विश्वास प्रकट करता हूं। आप जो संशोधन लाये हैं कि इसमें 5 वर्ष की आप सजा देंगे ....(व्यवधान) आपको मैं बधाई देता हूं कि जोशी जी यह प्रावधान लाये। इसके लिये मैं जनमत जानने के लिये नहीं कहूंगा। मेरा निवेदन है कि आपने जो 5 वर्ष की सजा के लिये कहा है, आपने जो कहा है कि 10-15 हजार का जुर्माना, एक लाख रुपये तक जा सकता है, आप यह सजा वास्तव में देंगे क्या? आप उनको सजा देंगे जो ट्यूशन पढ़ाते हैं। यह नकल ट्यूशन के कारण हो रही है। ये पर्चे ट्यूशन के कारण लूटे जा रहे हैं। आप ट्यूशन का तो विधेयक नहीं लाये। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप कृपया यह नोट करें, बड़ी गम्भीर बात है। आप अगर विधेयक लाना चाहते हैं तो पहले ट्यूशन का लाए। राजेन्द्र पारीक साहब। + + + सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लाए तो ट्यूशन पर लाए। अध्यापक पैसे के भूखे हैं, जो अध्ययन कराने वाले लैक्चरार हैं सैकण्ड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के अध्यापक हैं या महाविद्यालय के अध्यापक हैं, जो ट्यूशन पढ़ाते है वे मंथली हजारों-लाखों रुपये बच्चों से वसूल करते हैं। वे खुद नकल करवाते हैं। आप उस ट्यूशन को रोक पाएंगे क्या। प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज जो राजस्थान में खुलवाये हैं कितने घोटाले और घूस की बू आती है, यह तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आती है। बू आम जनता को आ रही है। उसमें एक कालेज है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन नाम लेना पड़ेगा उदाहरण के बतौर, गांधी मेडिकल कालेज। नाम तो महात्मा गांधी का रखा, महात्मा गांधीजी तो बड़े पवित्र आत्मा थे। सभापति महोदय, मैंने दो पंक्तियां बनाई हैं—

"वाह रे महात्मा गांधी,
खूब चली तेरी आंधी।
तुम तो रहे जिन्दगी भर लंगोट में।
लेकिन अब नजर आते हो
पांच सौ और हजार रुपये के नोट में।"

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गांधी का चित्र लगाकर लूटने वाले गांधी मेडिकल कालेज में 40 लाख रुपये तक फीस ली है, और मैं उसका उदाहरण दे सकता हूं। यहां बैठे हुए बड़े मंत्रियों ने सिफारिश की है और नेताओं ने सिफारिश की है लेकिन उसने नहीं लिया, पैसा लेकर एडमिशन किया। वह नकल रुकवा दोगे क्या आप। महाविद्यालयों में नकल रुकवा दोगे क्या। गांधीजी का नाम बदनाम करने वाले, एक पुनीत आत्मा का चित्र लगाकर होने वाले उन गांधी मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज में नकल रुकवा दोगे

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

क्या। आप नकल नहीं रुकवा सकते। शिक्षा मंत्रीजी, आप कृपा करके ट्यूशन पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिनियम लाए। शिक्षा मंत्रीजी, मैं बड़ी गम्भीर बात आपको निवेदन कर रहा हूं। आप वैसा ही रह रहे हैं जैसा रोडवेज में लिखा होता है, बीड़ी-सिगरेट पीना मना है। ड्राइवर तो बीड़ी शुरू करता है और कंडक्टर से लेकर सारी सवारी बीड़ी पीती है। इतना ही नहीं, उस पर और लिखा होता है, बिना टिकट और पाये जाने वाले को 500 रुपये जुर्माना और 3 महीने की सजा होगी। मैंने तो आज तक राजस्थान रोडवेज में नहीं देखा कि किसी एक सवारी को भी सजा हुई हो। आप ऐसी सजा देने का प्रावधान तो रख रहे हैं, आप सजा दे पाओगे क्या? मैं संदन में पहला सदस्य हूं जो आपको इन प्रावधानों में संशोधन करने के लिये स्वीकृति देता हूं कि आप लाए, लेकिन इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे क्या? वैसा ही इम्प्लीमेंट होगा जैसा रोडवेज में होता है। आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके इंटरेस्ट इसमें हो रहे हैं। आपके जो स्वार्थ है वे इसमें क्लैश हो रहे हैं। इसलिए मेरा, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, निवेदन है कि आप विधेयक लाये हैं....

श्री सभापति : अब विराजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, कोई महात्मा गांधी के नाम से लुटेरा बन रहा है और किसी ने महात्मा गांधी को मार ही दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उनको देवता कहा है। आपको देवता नहीं कहा, आपको देवता कहूंगा भी नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिए आप। ये सब बातें आ चुकी पहले।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आहूजा साहब, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन आपने फरमाया कि कोई सस्पैंड नहीं हुआ है, मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं आपको। यहां पर एक्स चेयरमैन बैठे हैं रोडवेज के, मेरी जानकारी के अनुसार मिस्टर कौरानी ने कम से कम 200-300 आदमियों का सस्पैंड किया है भ्रष्टाचार में।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वह अलग बात है, सवारी पकड़े जाने पर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पर पकड़े जाने पर ही अर्ज कर रहा हूं मैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पूछ लो इनको चेयर के थ्रू।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय भाटी साहब। + + + आप बात को समझे ही नहीं, मैंने क्या कहा। कौरानी साहब ने तो सस्पैंड किये है। कम से कम 8 हजार कंडक्टर्स। मैं कौरानी साहब से परिचित हूं,

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

आप कौरानी साहब की बात कह कर मेरी बात को न घुमाएं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह रोडवेज का मामला नहीं है, शिक्षा का है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने उदाहरण दिया है, साहब। दो मिनट और। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप इस विधेयक को लाना चाहते हैं तो मैं विधेयक के लिये आपको समर्थन दे रहा हूं लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिये आप किस एजेंसी को अपनाएंगे। वह अपनाएंगे पुलिस को। आलरेडी आई.पी.सी. की फौजदारी धाराएं बनी हुई हैं, आप अलग से 2-5-10 साल की सजा का जो प्रावधान ला रहे हैं तो क्या आप खुद मजिस्ट्रेट और पुलिस बन गये या आपका डी.ई.ओ. बन गया। या आपका लेक्चरार बन गया। या आपका वहां बैठा हुआ शिक्षा अधिकारी बन गया। जब पुलिस कार्यवाही कर रही है तो पहले कार्यवाही करते। उनको तो आप कार्यवाही करने दो। आप लाएं तो ट्यूशन की सजा का प्रावधान लाए। आप लाए तो मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज जो आपने खोले हैं, उनमें नकल रोकने का प्रावधान लाए। आप शिक्षा नीति में परिवर्तन करें कि शिक्षा का रिजल्ट देंगे वह तो दें, लेकिन नकल करते हुए बच्चा नहीं, नकल करते हुए जिस अध्यापक के कक्ष में पकड़ा गया वहां के प्रधानाचार्य और अध्यापक को सजा मिलेगी। यह संशोधन आप इस अधिनियम में लाइए। बाकी मैं आपको समर्थन दे रहा हूं कि आप ऐसा सख्त से सख्त कानून लाएं जिससे नकल रुक सके और पर्चों की लूट रुक सके। सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद और सदन ने सुना इसके लिये सारे सदन को धन्यवाद, भाटी साहब को छोड़कर।

श्री सभापति : माननीय श्री रामप्रताप जी। माननीय श्री हरिशचन्दजी। माननीय श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में नकल पर रोक लगाने के लिये सरकार विधेयक लाई है, मैं उसको जनमत जानने के लिये परिचालित करने की मांग करता हूं। जिस तरह से सरकार प्राइमरी शिक्षा 1200 रुपये वाले टीचर लगा रही हैं, आप यह आशा करते हैं कि 8वीं के बाद वह बच्चा बोर्ड की परीक्षा में पास भी हो जाएगा या नही। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि 5वीं तक के बच्चों को फेल नहीं करेंगे। तो वह निश्चित रूप से कमजोर रहकर आगे बढ़ेगा। और मास्टरों के लिए यह रखा गया है कि इतने परसेंटेज में पास नही होंगे तो आपका स्थानान्तरण कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से इस भय में मास्टर खुद मिलकर नकल करवायेंगे और आप कहते हैं कि नकल पर रोक लगवा दी जायेगी, क्या

(श्री केसाराम चौधरी)

रोक लगाओगे आप। आज दिन तक इसका कुछ असर हुआ है क्या। मैं तो आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि इसको जनमत जानने के लिये भेजा जाए और सख्ती से इसको कैसे लागू किया जाए, इसके लिये मेरा अनुरोध है कि इसको जनमत जानने के लिये भेजा जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण विश्नोई। माननीय श्री शिवराम सिंह कुशवाह। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, जो बिल सदन के विचारार्थ है, जिसको पायलट किया है प्रभारी मंत्रीजी ने, जो बिल हमें सर्कुलेट किया गया है उसमें श्री गुलाब सिंह शक्तावत जी प्रभारी मंत्री है। सभापति महोदय, यह वैधानिक आवश्यकता है कि जो मंत्री बिल को पायलट करेगा, जिसके नाम से बिल सर्कुलेट है, वही जवाब दे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में प्रभारी मंत्री के रूप में श्री शक्तावत साहब का नाम लिखा है तो उनसे ही जवाब दिलवायें जाए।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, पहले यह करेक्शन कर दिया गया है और हमने इंट्रोड्यूज कर दिया है। आपकी याददाश्त ठीक हो तो पहले गुलाब सिंहजी ने इंट्रोड्यूज किया था उसके बाद शिक्षा मंत्री के रूप में मैंने इसको इंट्रोड्यूज कर दिया था। शायद वह नाम देखकर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं।

श्री सांवरलाल : सर्कुलेट तो गुलाब सिंहजी के नाम से है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आपको यह तो स्वीकार करना चाहियें कि कहीं न कहीं, किसी न किसी स्तर पर खामी रही है, गलती रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह बिल माननीय शिक्षा मंत्रीजी द्वारा इंट्रोड्यूज हुआ है और वही इसको पायलट कर रहे हैं, वही इसका जवाब दे रहे हैं। इसमें कोई असंवैधानिक बात नहीं है। (व्यवधान) पहले यह सर्कुलेट हुआ था उस वक्त गुलाब सिंहजी का नाम था लेकिन यहां सदन में जो बिल इंट्रोड्यूज हुआ है वह माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने किया है, इसलिए इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि इन्होंने न केवल बिल पर अपने विचार व्यक्त किये, इस बिल की उपयोगिता के बारे में अपने विचार व्यक्त किये, बल्कि साथ में बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने इस अवसर का लाभ लेकर शिक्षा के जो अलग-अलग विभाग हैं, बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन, डी.पी.ई.पी. और अन्य

(श्री सी. पी. जोशी)

जो हमारी परियोजनाएं हैं उनके कार्यकलापों के संबंध में मेरा ध्यान आकर्षित किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले बिल के संबंध में अपनी बात कहूंगा और फिर बड़ी सादड़ी के माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन बातों पर आपने ध्यान आकर्षित किया है चाहे वे डी.पी.ई.पी. के सम्बन्ध में हों, चाहे बोर्ड आफ़ सैकण्डरी एजुकेशन के सम्बन्ध में हों, उन सब बातों के सम्बन्ध में सरकार कार्यवाही करेगी। जो भी इसमें ईमानदारी से काम करने की आपकी अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने की सरकार की कोशिश करेगी। इसमें न तो मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है और न आपका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। आप और हमारा सबका स्वार्थ है कि इन योजनाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए। इनमें जो कमियां और खामियां हैं, विभाग के अधिकारियों के कारण यदि लेप्सेज हो रहे हैं तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हम अविलम्ब कार्यवाही करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर से इस बारे में आपको सूचित भी करता रहूंगा, जिस बारे में आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, चाहे वह बुक परचेज के सम्बन्ध में आपने आकर्षित किया हो, चाहे दरी-पट्टी के सम्बन्ध में, चाहे अनक्वालिफाइड आदमी जो अलग-पोस्ट पर काम कर रहे हैं उन सबके सम्बन्ध में या बोर्ड के पेपर के सम्बन्ध में क्वालिटी ऑफ पेपर की बातें कहीं है, उन सब बातों के सम्बन्ध में मैं जानकारी लेकर आपको अवगत कराऊंगा। मंशा यही रहेगी कि कैसे हम इस व्यवस्था को ठीक ढंग से सुधारे और ये जो चीजें हैं इनका समाज में लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, बिल के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं, धारा 3,4 और 5 के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि धारा 3, 4 और 5 को अलग-अलग क्यों किया। मैं समझता हूं कि हमारी सारी डिबेट इस बात पर ज्यादा कंसंट्रेट कर गई, हम स्कूल के बच्चों की परीक्षा या विश्वविद्यालय के बच्चों की परीक्षा के सम्बन्ध में ही ज्यादा चर्चा करने लगे। हमने 92 के बिल में ही यह प्रोविजो कर दिया था कि हम पब्लिक एग्जामिनेशन को भी इसके साथ जोड़ेंगे, इसलिए इसका जो दायरा है वह विस्तृत है। उस दृष्टि से यह आवश्यक है कि हम धारा 3, 4 और 5 में डिफरेंशिएट करें। वह इसलिए भी आवश्यक है कि धारा 3-प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स मैं समझता हूं कि आप और हम सब सहमत होंगे कि यह धारा मेनली परटेन करती है स्टूडेंट से। जो स्टूडेंट परीक्षा दे रहा है, जिसकी एज अंडर है, जो इग्नोरेंट है उसके सम्बन्ध में धारा 3 परटेन कर रही है, धारा 4 और 5 परटेन कर रही है उस शिक्षक के सम्बन्ध में जिसने शिक्षा का उत्तरदायित्व लिया है। समाज उसको तनख्वाह दे रहा है, शिक्षक के रूप में वह काम कर रहा है। उसकी सूचनाओं के सम्बन्ध में यदि कोई अनफेयर मीन्स का काम हो जाता है और हजारों बच्चों पर उसका असर पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि धारा 3, 4 और

(श्री सी. पी. जोशी)

5 का डिस्टिंक्शन करना निश्चित तौर पर आवश्यक था। इसलिए जो माननीय सदस्यों ने व्यक्त किया है कि धारा 3, 4 और 5 में आपको अलग-अलग करने की आवश्यकता नहीं थी, धारा 3 में जो प्रोविजन थे वे धारा 4, 5 के साथ जुड़े थे, इसलिए अलग-अलग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं आप इस बात को एप्रिशिएट करेंगे कि स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय में टीचर्स जहां पर इनविजिलेशन का काम करते हैं, उसकी इन्टेसिटी अगर किसी एक्टीविटी में है तो वह स्टूडेंट से ज्यादा है। इसलिए स्टूडेंट के पनिश्मेंट में और उसके पनिश्मेंट के बीच में यदि हम ठीक ढंग से डिस्टिंक्शन नहीं कर सकेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी और हमारी जो मंशा है वह ठीक ढंग से लागू नही हो पाएगी। एक तो इसके पीछे मंशा यही है।

दूसरी मंशा यह है कि पब्लिक एग्जामिनेशन का सम्बन्ध है। आज का युग काम्पीटीटिव युग है, काम्पीटीटिव युग में हर विद्यार्थी चाहता है कि वह अपनी सफलता को अर्जित करें। सफलता को अर्जित करने में जो फेयर मीन्स या दूसरे मीन्स हैं उनके साथ भी अपने आपको जोड़ लेता है। इसलिए खास तौर से आवश्यकता है कि पब्लिक एग्जामिनेशन, चाहे पी.ई.टी. हो, पी.एम.टी. हो, चाहे और किसी के एग्जाम हों जिनको हम दायरे में लेकर आना चाहते हैं, उनमें जो इनविजिलेटर का काम करने वाला अधिकारी है उनकी सजा जो परीक्षा दे रहा है, उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए डेलिबरेटली विद कांशियस एफर्ट्स हमने धारा 3, 4 और 5 में डिस्टिंक्शन किया है। मैं समझाता हूं कि आप इस भावना को एप्रिशिएट करेंगे कि दोनों की धारा में कुछ न कुछ अन्तर होना चाहिए।

अभी इस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि धारा तीन के जो प्रोविजन हैं वे ही प्रोविजन 4 और 5 में बैटर रहते। अनअथोराइज्ड पोजीशन और डिस्पोजल ऑफ दी क्वेश्चन पेपर नम्बर चार है और पांचवां है प्रीवेंशन आफ लीकेज बाई परसंस इन्टरप्शन विद दी एग्जामिनेशन वर्क। अब एग्जामिनेशन वर्क में आर.पी.एस.सी के भी एग्जाम होते हैं, यू.पी.एस.सी. के भी एग्जाम होते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि टीचर ही इनविजिलेटर का काम करे। दूसरे व्यक्ति जो आर.ए.एस. लेवल के हैं, वे भी इनविजिलेटर का काम करते हैं। इसलिए इनविजिलेटर की भूमिका पब्लिक एग्जामिनेशन में अलग-अलग आदमी की है। एक आर.ए.एस. लेवल का आदमी यू.पी.एस.सी. के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करे और वह पेपर को लीक करने में कोलेबोरेट कर दे और उसकी सजा जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है उसके बराबर रखें तो मैं समझता हूं कि वह न्याय नहीं होगा। धारा तीन, चार और पांच में अन्तर करने के पीछे जो मंशा थी वह यही थी। धारा चार और पांच के सम्बन्ध में हमने जो अमेंडमेंट किया है उसमें लिखा है "Section 4 or section 5 shall be

(श्री सी. पी. जोशी)

punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years and with fine which may extend to ten thousand rupees." डिस्टिंक्शन के पीछे मंशा यही थी।

"माननीय सभापति महोदय, धारा 6(1) के सम्बन्ध में सभी आदमियों ने ....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय मंत्री महोदय, पिछले 9 साल में एक को भी 3 साल की सजा हुई है क्या? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, यह ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका सम्बन्ध जुडीशियरी से है। जुडीशियरी प्रोविजन क्या....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : फिर प्रावधान को बनाने का मतलब क्या है। जब एक को भी तीन साल में दण्डित नहीं करवा पाये तो आप 5 साल बढ़ाकर क्या कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : धारा 1947 से या 1952 से लगी है, वर्ष 2000 तक उसका कंविक्शन नहीं हुआ इसलिए धारा डिलीट कर दें यह तो कानून का प्रोविजन नहीं होता। यह अच्छा है कि कानून में जो प्रोविजो किया गया है वह मैटर एक्सपीडाइट और एक्सपीडाइट करके उसका निस्तारण होना चाहिए। लेकिन यह काम जुडीशियरी विभाग का है। कानून बनाने के सम्बन्ध में हम एनविसेज करते हैं, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। आपकी भावना है, मैं उसमें भी अपनी बात निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों ने यह भी ध्यान आकर्षित किया है कि खाली हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं, केस को फोलो नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि यह भी गम्भीर प्रश्न है। यदि कोई भी पेपर लीक हुआ है, किन्हीं कारणों से हुआ है और जो केस रजिस्टर हुए हैं, उनका फोलो-अप होना चाहिए। कुछ फोलो-अप की जानकारी मेरे पास है, मैं आपको सूचना दे रहा हूं। जिन केसेज में, सूचना मेरे पास नहीं है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि विभाग के अधिकारियों को निर्देश करूंगा कि समय-समय पर उनकी समीक्षा करते रहें और केस को लोजीकल कन्क्लूजन तक ले जाने के लिए विभाग की जितनी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। जिससे प्राइमा-फेसिया यह हो कि जिन लोगों के ऊपर यह आरोप लगता है कि उन्होंने कनाइवेंस की और पेपर को लीक कराकर बच्चों के साथ इतने बड़े वातावरण को खराब किया, उनको लोजीकल कन्क्लूजन के बतौर सजा मिले। इसके सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दूंगा।

कुछ केसेज मेरे पास हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि थाना आमेर में एक एफ.आई.आर. दर्ज हुई है 79-99, उसके अन्दर चन्द्रभान भाटिया

(श्री सी. पी. जोशी)

पुत्र श्री पनिराम एवं राकेश कुमार के खिलाफ चालान पेश हो गया है। थाना

(15.36 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बजाज नगर में जो केस रजिस्टर हुए हैं उनके अन्दर सीताराम, सतीश, प्रतापसिंह, राकेश, लोकेश, बुद्धिप्रकाश, उमाशंकर, विक्की मीणा, चेतराम इनके विरुद्ध चालान पेश हो गया है। थाना नाहरगढ़ में जो केस रजिस्टर हुआ है उसमें रामकरण मीणा, मनोज शर्मा, मानसिंह, अशोक कुमार, अमित खन्ना, राकेश अग्रवाल इनके खिलाफ चालान पेश हुआ है। जो बाजोरिया वाला केस खास तौर से निवेदन किया था उसमें निम्नलिखित लोगों के ऊपर चालान पेश हो गया है:— जितेन्द्र सिंह, विजय प्रताप सिंह, विजय मेहरवाल, अशोक कुमार बुद्धिप्रकाश, द्वारका प्रसाद, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजोरिया जयपुर, हनुमान सैनी कृष्णमुरारी, लोकेश शर्मा, जयकुमार, मानसिंह, मसूद अली खान, व्याख्याता सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल जयपुर, पंकज छीपा, राकेश शर्मा, सीताराम, सुरेश यादव, विक्रम। इन केसेज में मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है उस जानकारी के आधार पर इनके ऊपर चालान पेश हो गया है। जो सिस्टम है डैमोक्रेसी में, जुडीशियरी में उसके तहत इसको लोजीकल कन्क्लूज़न तक ले जाने के लिए मैं विभाग के अधिकारियों से बराबर इसकी मानिटरिंग कराने के निर्देश दूंगा जिससे ये केसेज लोजीकल कन्क्लूज़न तक जा सकें और जो जिम्मेदार व्यक्ति है....(व्यवधान) मैं आपकी बात सुन रहा था, आप बैठकर सुन सकते हैं। (व्यवधान) सीनियर आदमी हैं आप, सुन तो लो। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मैं थोड़ा इंटरवीन करना चाहूंगा, आपने कहा कि सजा देने का काम जुडीशियरी का है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : I will not interrupt you.

श्री हीरासिंह चौहान : आपने कहा है कि सजा देने का काम जुडीशियरी का है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : Hon'ble Dy. Speaker Sir, I think that I have heard everything. जवाब देने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आपने कहा कि सजा देने का काम जुडीशियरी का है, जब तक आप केस को एस्टेब्लिश नहीं करोगे जुडिशियरी के सामने कोई एवीडेंस ही नहीं आई तो कैसे सजा देंगे? आप केस को प्रोसीक्यूट ही सही ढंग से नहीं करते हो तो सजा कैसे मिलेगी? जुडिशियरी तो एक अलग आदमी है, जो बैठा हुआ है, न्याय करता है सजा देता है। जब आप एस्टेब्लिश ही नहीं करते हो केस को तो वह कैसे सजा देगा।

श्री केसाराम चौधरी : पांच-पांच साल विषय के अध्यापक ही नहीं है और आप

(श्री केसाराम चौधरी)

बच्चों के नकल करने की बात कह रहे हैं (व्यवधान) बच्चों को पढ़ाने वाला ही कोई नहीं है तो फिर वे नकल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आपने पांच साल से मास्टर लगाये हैं क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : नो।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरी बात सुनो तो सही। आप यूं ही नो कर रहे हो।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डश: विचार

खण्डशः विचार।

खण्ड संख्या 2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 को स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड एक—अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड एक—अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री सी. पी. जोशी, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि इसको पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बोलना चाहते हैं। बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, जरा यह क्लीयर करेंगे कि 6-ए में आपने जो अलग से प्रोविजन किया है उसमें एक्सटोर्शन, रॉबरी, ये दोनों दण्डनीय अपराध हैं। आपने भी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दण्डनीय माना है। इसमें आपको जानकारी है कि नहीं है, पता नहीं मुझे। इसमें ज्यादा से ज्यादा दस साल की सजा है। धारा 386 है आई.पी.सी. की उसमें दस साल की सजा है और रोबरी में भी 14 साल की सजा है। तो आप इधर तो इसको बड़ा सख्त बना रहे है लेकिन ऊपर जो मैक्सिमम है उसको कम कर रहे हैं।

आपका उद्देश्य यह है कि लोगों को जबरदस्त दण्ड मिलना चाहिए और 5 साल से कम तो मिले ही नहीं। ऊपर आलरेडी आई.पी.सी. में ये धाराएं है उनमें दण्ड है 10 साल की सजा। एक्सटोर्शन के लिये है "Shall be punished with imprisonment either for term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine." यह तो 386 है। और 492 है उसमें 10 साल और 14 साल की सजा का प्रोविजन है। एक तरफ तो आप यह कह रहे हो कि हम इसको बहुत मजबूत कर रहे हैं, 5 साल से कम सजा नहीं होगी। और जो मैक्सिमम सजा आलरेडी आई.पी.सी. में है उसको घटाकर 7 कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रेशनेल है, क्या लॉजिक है।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने 3 साल के बाद में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक पेश किया है। अब मेरी समझ में यह नहीं आता है कि जब आलरेडी कानून बना हुआ है और जो पहले घटनाएं होती थीं उसके बाद में घटनाओं में काफी अंकुश लगा है। या तो आप यह बताते हैं कि इन 3 साल के अन्दर काफी घटनाएं बढ़ गयीं इसलिये आपको इस अपराध की सजा के वर्ष ज्यादा बढ़ाने पड़े, जुर्माना ज्यादा पढ़ाना पड़ा। कोई भी कानून बने, उपाध्यक्ष महोदय, उसका कोई न कोई लॉजिक होना चाहिए। कई तरह की चर्चाएं यहां पर आयी हैं, कई केसेज पकड़े गये। कई आपके शिक्षक पकड़े गये। उसके बाद भी कोई इफैक्टिव कार्यवाही नहीं हुई। उसको अगर हम यह कह दें कि यह काम तो जुडीशियरी का है तो मेरी आपसे एक तो यह अपेक्षा है कि कम से कम कोई भी केस इन्वैस्टिगेट करें, वह इन्वेस्टिगेशन बिलकुल स्ट्रिक्ट हो। इस प्रकार की व्यवस्था अगर आप नहीं कर सकते हैं तो केवल कानून बनाने से भी कोई काम चलने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, नकल की रोकथाम तो अलग बात है, शिक्षा मंत्रीजी जब से आये हैं उसके बाद में इतने प्रयोग आपने कर दिये कि आज राजस्थान के बच्चों का भविष्य बिलकुल चौपट हो गया। आपकी स्वर्ण जयन्ती राजीव गांधी पाठशालाएं ले लो, आपने कम्प्यूटर खरीद लिये। पता नहीं किस प्रकार के आपने ये अनुभव किये। आपने समानीकरण के नाम से स्कूलों के अन्दर मास्टर रखे ही नहीं हैं। जहां पर जितने मास्टर थे, वे मास्टर नहीं हैं। अब प्राइमरी के अन्दर आपने कहा कि 2 मास्टर से ज्यादा नहीं होंगे। तो आखिर आप यह बताइये....

(श्री सांवरलाल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिल पर, बिल पर बोलें।

श्री सांवरलाल : यह बिल पर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अगर बेसिक जानकारी लड़के को नहीं होगी तो वह नकल करेगा। अगर आप बेसिक जानकारी किसी लड़के को नहीं दोगे तो.... (व्यवधान)....

श्री जगत सिंह दायमा : अब तो कुआं प्यासे के पास आ रहा है, कहां की बात कर रहे हो आप। (व्यवधान) कुआं प्यासे के पास आ रहा है....(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : पांचवीं तक पढ़ाने के लिये 2 मास्टर आप उपलब्ध कराएंगे और छठी में....(व्यवधान) आखिर आप नकल किस प्रकार रोकना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय। कम से कम आप तालीम तो ऐसी दीजिए जिससे बच्चा पढ़ सके ढंग से। (व्यवधान) पढ़ाने वालों की व्यवस्था हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (औसियां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर है, पाइंट आफ आर्डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता पधार गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे माध्यम से नहीं पधारे हैं, इनकी मर्जी से पधारे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, नहीं, मैं आपके माध्यम से अर्ज कर रहा हूं कि प्रतिपक्ष के नेता पधार गये हैं।

इतनी अच्छी डिबेट चल रही थी। बड़े अच्छे प्रस्ताव आये प्रतिपक्ष की तरफ से। कटारिया साहब बहुत अच्छे बोले। उत्तर का मंत्री महोदय जवाब देने वाले थे।

श्री उपाध्यक्ष : दे दिया उन्होंने।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं चेयर के माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता को अर्ज करना चाहता हूं कि अब इतनी सीरियस डिबेट हो रही है और गम्भीरता से हमारे शिक्षा मंत्रीजी उत्तर देना चाह रहे थे तो ऐसा माहौल उड़ाया कि उनको बैठना पड़ा मजबूरन। तो मेहरबानी करके या तो आप डिबेट कराओ मत और अगर डिबेट करानी है तो भैरोंसिंहजी साहब, आप अपना अनुभव इन लोगों को थोड़ा दें और हमारे मंत्री महोदय को सुनें। हम भी सीखें, यह मेरी अर्ज है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। यह पाइंट आफ आर्डर है। यह पाइंट आफ आर्डर है, क्या जवाब देना, बात ही नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ये जवाब दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : नहीं, जवाब नहीं दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बोले तो ये बोलेंगे ही बोलेंगे। (व्यवधान) आप बोल लिये इसलिये जवाब देंगे ही देंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, नहीं, इतनी मेहरबानी ये मेरे पर नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं कर सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह रहा था कि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है वरना मैं बोल भी लेता और आपकी इच्छा भी पूरी कर देता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्री सांवरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, आपका हो गया, बिराजिये, प्लीज।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, नकल की रोकथाम तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो पता नहीं कहां चले गये।

श्री सांवरलाल : अब घुमाना-फिराना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय। कोई भी कानून बनाते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कारण, तथ्य और लॉजिक तो होना चाहिए। किसलिये बना रहे हो, क्यों बना रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : कानून जिसके लिये बना उस पर बोलो ना आप।

श्री सांवरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि नकल करेंगे उनके लिये तो हम कानून बना रहे हैं। गत 2 साल से बोर्ड के पेपर की क्वालिटी आपने देखी होगी, हाथ में लेते हैं बच्चे तो पेपर फट जाते हैं। ऐसे पेपर क्यों बने? उसकी रोकथाम के लिये क्या व्यवस्था की? आपकी जानकारी में ये घपले आये कि नहीं आये? उपाध्यक्ष महोदय, सारी बातों पर चर्चा करनी पड़ेगी। आखिर आप कानून बनाते हो, किसके लिये बनाते हो?

एक कानून तो मैं यह बना दूं कि मैं तो साक्षात्कार में जाऊंगा नहीं, प्रोफेसर बन जाऊंगा, रीडर बन जाऊंगा और दूसरी तरफ लड़कों को कहूंगा कि आपको तो नकल भी नहीं करने दूंगा। आखिर बताइये, आप चाहते क्या हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी। बोल लिये, बिराजिये प्लीज। सांवर लालजी, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : नहीं, नहीं, लॉजिकली, आप बताइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, सीरियसली नॉन सीरियसली क्या होता है ....(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : क्या मेसेज देना चाहते हैं इस राजस्थान की जनता को कि हम बड़े आदमी हो गये? हमारे लिये कोई कानून नहीं है? हम चाहे जैसे प्रोफेसर बन सकते हैं, हम चाहे रीडर बन सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : कोई चीज नॉन सीरियस होती नहीं है, सब सीरियस है, बिराजें। बिराजें। माननीय अमरारामजी।

श्री सांवरलाल : क्योंकि दसवीं के विद्यार्थी अगर इधर से उधर देख लेंगे तो हम उनको सीधा जेल के अन्दर टिका देंगे। क्या इस प्रकार का कानून आप बनाना चाहते हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कानून का प्रावधान गुलाब चन्दजी कटारिया ने किया था वह पर्याप्त था। कोई व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री सांवरलाल : इनके बनने के बाद तो सारा सत्यानाश हुआ है। राजस्थान के बच्चों का सत्यानाश हुआ है। राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में करोड़ों रुपये लगा दिये। बोर्ड के आपके पेपर.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सब्जेक्ट से कोई लेना-देना नहीं है। आप पहले बहुत बोल चुके। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : आज कम्प्यूटर के अन्दर छह-छह सौ रुपये गरीबों ने दिये हैं....(व्यवधान) गरीबों के बच्चों.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी अवसर आ रहा है और बोल लेना अभी। है, मौका है अभी, आज ही मौका है, बिराजिये, अवसर आ रहा है, बिराजिये। अभी मौका मिलेगा, आपको बिराजिये। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : किस प्रकार के कानून ला रहे हो और कानून के बाद भी....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अब यह कानून तो आपका ठीक है। (व्यवधान) पर मेरा निवेदन यह है कि एक तो आप सुधारे कोई केस बनता है या पकड़ता है तो इन्वेस्टिगेशन की पक्की व्यवस्थाएं आप करवाइये। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती स्कूल एक बहुत ही बड़ा क्रान्तिकारी कदम है, उस कदम से तो गांव की जनता, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी, हां बोलिये, आप।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के जमाने में, राजा महाराजाओं के जमाने में जैसे प्रिविलेजेज होते थे.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्री रतनाराम चौधरी : जहां पढ़ने के उनके पास कोई साधन नहीं थे उनके बच्चे आज पढ़ रहे हैं स्वर्ण जयन्ती स्कूल में तो उनको सुविधाएं देनी चाहिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्री-बी.एड. के हाल ही अभी एग्जामिनेशन हुए बिलाड़ा के अन्दर जो लड़के प्री.बी.एड. के अन्दर नकल कर रहे थे, एक फर्स्ट क्लास लड़का था उसको यह सहन नहीं हुआ। वहां देख-रेख के लिए जो लगे हुए थे अध्यापक लोग वे नकलें करा रहे थे अंधाधुंध उस लड़के ने सुसाइड किया कि मैं फर्स्ट क्लास हूं लेकिन मैं आगे इसमें पास नहीं हो सकता, इतने नम्बर नहीं ला सकता कारण कि ये लोग नकलों से पास हो रहे हैं, मेरी मैरिट नहीं बनेगी। जो इस प्रकार प्री-बी.एड. में हुआ, है उसको आत्महत्या करनी पड़ी। आज जो भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं, आप सेंटर खोल देते हो अंधाधुंध राजी रखने के लिए परन्तु वहां पर कोई व्यवस्था नहीं होती है। चौहटन के लड़के-लड़कियां खिलावरपुर के अन्दर आकर परीक्षा देते हैं, वह कम से कम 200 किलोमीटर है। 200 और 250 किलोमीटर से लड़के आते हैं। उधर जोधपुर के लड़के फलौदी में जाकर एग्जाम दे रहे हैं और कोई व्यव्स्था नहीं। कोई हॉल नहीं, टेंटों के अन्दर व्यवस्था आपने कर रखी है। तो जहां साधन नहीं हों, पेपर रखने के लिए साधन नहीं हों, परीक्षा हॉल अच्छी तरह से नहीं हो वहां पर आप सेंटर मत खोलिए। आप यदि सेंटर खोलेंगे तो वहां नकले होंगी टेंट के अन्दर क्या है अध्यापकों के पास ऐसी व्यवस्था आप होम गार्ड के आदमी लगा दोगे। मेरा निवेदन एक तो यह है कि इसके लिए आप जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें।

बाकी यह जो आप एक्ट ला रहे हैं, सजा का जो आपने प्रावधान किया है वह तो अभी हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने बता दिया है कि आई.पी.सी. के अन्दर प्रावधान है दस साल तक का और आपने सात साल तक का और पांच साल तक कर दिया है। यह कहां तक उचित रहेगा। जब आप उलटा कम करने जा रहे हो तो आप आई.पी.सी. को ही ओवर रूल करना चाहते हो, जो आलरेडी एक्ट बना हुआ है। इस बारे में आप पुनर्विचार करे। आजकल खास तौर से ऐसे हो गया है कि दूसरा लड़का ही परीक्षा के अन्दर बैठता है। कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे अभी आर.ए.एस. के एग्जामिनेशन हुए, सारे पेपर बहुत-से लोगों के हाथ में लगे। उन्होंने टॉप कर दिया और जो दूसरे कितने ही इंटेलीजेंट थे वे पीछे रह गये। तो जहां पेपर बनते हैं वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी एजेंसी को आप पेपर दें....(व्यवधान) बजट की बात अलग है, बजट अलग हो गया। यह तो पेपर है, वहां इतना प्रिकोशन होता ही नही है। वहां तो आर.ए.एस. के अन्दर भी हो गया स्कूलों में अध्यापक जो पेपर बनाते हैं पहली बात तो उसका लड़का ही नहीं होना चाहिए। बहुत-से ऐसे लोगों को आप पेपर बनाने के लिए, छांटने के लिए दे रहे हैं जिनके बेटे-बेटियां सब परीक्षा में बैठते हैं।

(श्री अमराराम चौधरी)

वह क्या अपने बच्चों को पेपर नहीं बताएगा। उन बच्चों को पीछे रखेगा क्या। हमेशा आप इस बात को भी ध्यान में रखकर करें। वे अधिकांश लोग हैं क्या?

श्री अमीन खान : सब बेईमान हैं क्या?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : बेईमान हैं या नहीं, वह तो आपको पता ही है क्या होता है। वह आप सबको पता है। मेरा निवेदन यह है कि काम्पीटीशन के युग के अन्दर जो आपने सजा का प्रावधान किया है इससे डर तो लगेगा आलरेडी सजा दस साल थी। लेकिन खास तौर से जहां पेपर बनते हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता है। पेपर जब तक न पहुंचे, किसी लड़के को कापी न दें। दूसरा लड़का बैठा देते हैं। खुद वहां इनविजिलेटर वगैरह होते हैं वे खुद बताते हैं। कापी-किताबे वगैरह कोई कागज हॉल के अन्दर नहीं होना चाहिए। यह सावधानी रखनी पड़ेगी। इस प्रकार का वातावरण बन रहा है आजकल पास होने के बाद में भी आप नौकरी नहीं दोगे। जो एम.एससी., बी.एड. किये हुए हैं उनकी क्या हालत हो रही है? बेकार बैठे हैं वे लोग, क्या करेंगे? 1200 रुपये नकल कराएंगे, पैसे लेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, हकीकत तो यह है कि वे दो हजार, चार हजार, दस हजार पेपर आउट कराएंगे। यह होगा। उन्हें अपना एक धन्धा खोलना है, और क्या करना है। आज प्राइवेट स्कूल्स हैं, किसी को 2000, 2500 और 5000 से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। वे क्या करेंगे। ट्यूशन पढ़ाएंगे। हमारे साइंस के परीक्षक हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें सब मिले हुए होते हैं। इनके पास लिस्ट होती है जो ट्यूशन पढ़ाएंगे। हमारे साइंस परीक्षक हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, उसने सब मिले हुए होते हैं। इनकें पास लिस्ट होती है जो ट्यूशन करते हैं। मेरे पास में ये दस लड़कें ट्यूशन गये सालभर और एक हजार रुपये महीने का देते रहे, उनसे बात हो गई। और जो होशियार कितने ही हों, जिसने ट्यूशन नहीं किया 50 में से उसको मिलेंगे 30 और उसको मिलेंगे 40, उनको 49 भी मिल सकते हैं। इस प्रकार के शिक्षा विभाग के अन्दर जो गुरुजन हैं उन पर आप अंकुश रखें। और आपके समय में यह ट्यूशन की प्रथा कम नहीं होगी तो फिर कब होगी। आजकल के जो पढ़े हुए हैं इतनी ट्यूशन करने के बाद में, साइंस वाला तो ज्यादा पैसा दे रहा है, एम.एससी. करने के बाद बी.एड. करने के बाद। फिर घर वाले कहते हैं कि गांव का छोरा है, एस.एससी. कर ली फिर भी 1200 रुपये ला रहा है। वह फिर मरता क्या नहीं करेगा। वह पेपर ही आउट कराएगा। और क्यों नहीं कराएगा। यही बात कहता हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर दो-तीन महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री माननीय सी. पी. जोशी को एक इमेजिनेटिव आदमी हम मानकर चलते हैं वह लॉ के एक पैनल प्रोविजन को स्ट्रंजैंट बनाकर आना चाहते हैं। इसमें क्या मौलिकता, जोशीजी है इसमें आप क्या एचीव करना चाहते हैं, आपके इस एग्जामिनेशन से मिलता क्या है। एलडी.सीज. के एग्जामिनेशन को आर.पी.एस.सी. कंडक्ट करती है एंट्री के लिए दुनियाभर के काम्पीटीटिव एग्जामिनेशंस है, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं। मेडिकल में बिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रवेश नहीं होता है, इंजीनियरिंग में बिना उसके नहीं होता है। बैंक में नौकरी नहीं मिलती है। आप क्या इसमें एचीव करना चाहते हैं। अगर आप इस एग्जामिनेशन सिस्टम को एबोलिश भी कर दें तो क्या फर्क पड़ता है। टोटल इवैल्युएशन। आप कोई नई बात लेकर सदन के सामने आते, आप जैसा शिक्षाविद् तो बात समझ में आती। हम अपेक्षा करते थे कि हमको शिक्षा का इतना ज्ञान नहीं है, आप कोई नई बात लेकर आएंगे। मैं नहीं समझता, यह अब प्रैक्टिकल है क्या। जोशीजी, आप मौलिक रूप से अध्यापक हैं, आप मानते हैं यह प्रैक्टिकल है। बल्कि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अव्यावहारिक बात है। आप सजा ज्यादा रख दोगे उससे क्या होगा कितनी सजा कितने व्यापक स्तर पर। आज कितना अनमैनेजबल तो आपका स्टूडेंट का क्राउड है। इतना बड़ा भारी इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है आपके पास। अभी कोई एक सज्जन सुझाव दे रहे थे कि साहब, इसमें उप अधीक्षक है इसका इन्वेस्टिगेशन दे दिया जाए। प्रिवेंशन एट्रोसिटीज आन शिड्यूल्ड कॉस्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब एक्ट का जो इन्वेस्टिगेशन दे रखा है डीवाई.एस.पी. को माननीय सदस्य सब जानते हैं कि उसका क्यां हश्र होता है। इन्वेस्टिगेशन टाइम पर नहीं हो सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का न कोई मेरा विरोध करने का इरादा है, यह बिल तो पास होगा ही होगा, लेकिन मेरा मूल रूप से माननीय सी. पी. जोशीजी से यह अनुरोध है कि अगले सत्र में अभी दो साल बाकी हैं, हमेशा तो कोई कमी नहीं रहता लेकिन आप दो साल रहेंगे, ऐसा हम मानकर चलते हैं। दो साल में कुछ ऐसा कोई मैजर लेकर आएं जिससे फिर बाद में आपको याद करें। तो पहले बहुत स्टेट्स के अन्दर बने हुए पैनल प्रोविजंस हैं, उसमें आपने भी लगा दिया है। पहले का बना हुआ है, उसको आपने स्ट्रिंजेंट कर दिया। There is nothing to welcome about this legislation, Mr. Joshi, I may tell you. We expect somethig new, and something imaginative from you because we consider you as a minister with

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

imagination and initiative in time. Thank you.

(16.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगत सिंह दायमा।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सदन का ध्यान मैं ऐसी बात पर दिलाना चाहता हूं जो नियम तो नहीं है, पर मन भी नहीं मानता।

श्री उपाध्यक्ष : जो बिल से सम्बन्धित हो।

श्री जगत सिंह दायमा : यस सर, इसी से सम्बन्धित है। मन में सारे इस बात को मानें नहीं कि, दायमा, वास्तव में आपने अलग से ही एक थीम रखी है, बात रखी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो सिद्धान्तवादी हैं और बहुत अच्छे-अच्छे नियम बनाते हैं। कठोर सजा का प्रावधान रखते हैं कि नकल नहीं होनी चाहिए, सही तरह से नम्बर देने चाहिए। परन्तु इस राजस्थान की ठेकेदारी है क्या यह सारी चीज करने की। हम दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो लड़के 99 प्रतिशत, 98 प्रतिशत, 93 प्रतिशत, और 83 प्रतिशत नम्बर लेकर आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सोचना। हंसी और मजाक की बात नहीं है। जब यहां पावर एप्लाई करते हैं तो मैरिट बनती है और जब मैरिट बनती है तो वहां के लोगों को तो नौकरी मिल जाती है और हम नियम बना-बनाकर अपने छोरों को 33 प्रतिशत से ऊपर नम्बर देने ही नहीं देते। अगर यह गलत है तो उठाकर देख लीजिये। यहां का 33 प्रतिशत, 36 प्रतिशत लेकर जो लड़का यहां पर टैक्निकल एजुकेशन या मेडिकल में जाना चाहता है, नहीं होगा। परन्तु मान लीजिये, अगर वह कहीं से, कर्नाटक वगैरह से कोई एजुकेशन लेकर आ जाता है बनती है 88 प्रतिशत, 93 प्रतिशत और 98 प्रतिशत। बाहर के स्टेट के लड़के जब मैरिट बनती है तो मैरिट के हिसाब से उनको तो नौकरी मिल जाती है और हम अपने बच्चों को, टीचर्स को ऐसा कड़ा कर देते हैं कि चपरासी की चौकरी भी नहीं मिल सकती।

श्री रामनारायण चौधरी : तो नकल होनी चाहिए।

श्री जगत सिंह दायमा : नकल नहीं होनी चाहिए तो आपके बच्चों को नौकरी भी नहीं मिलेगी। यह और सुन लो आप। कहीं भी चले जाओ। मैं कह रहा हूं कि मेरा मन नहीं मानता कि मैं यह बात कहूं कि नकल होनी चाहिये। परन्तु, सर इतना जरूर होना चाहिये कि जब पेपर देकर जाते हैं, उनको सोचना चाहिये कि मैरिट कम से कम ऐसी बनाए कि जो लड़के यहां के आगे जाएं तो उनको नौकरी तो मिले। आपने कह दिया पांच साल की सजा, जो नकल करता पकड़ा जाएं, काहे को पांच साल की सजा। नकल करते पकड़ा गया, उसको दो बार एग्जाम मत देने दो, बात खतम हुई। काहे की सजा। पांच साल की सजा, छह साल की सजा, काहे की सजा है उसको दो बार एग्जाम में

(श्री जगत सिंह दायमा)

मत बैठाओं, एक बार एग्जाम में मत बैठाओं, यह कम सजा है क्या, इसलिए मैं तो यह सोचता हूं कि यह जो आप नियम और कानून बना रहे हो, ये सब बेकार की बातें हैं। जो पहले चल रहा था वह अच्छा है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य का आभार व्यक्त करता हूं। अभी विपक्ष के नेता ने भी मेरा ध्यान आकर्षित किया। आज अवसर नहीं है कि मैं इस बिल के सम्बन्ध में वे चर्चाएं करूं जो आप मुझसे आशा कर रहे हैं। जब पिछली बार हाउस में डिबेट हुई थी, जब पेपर आउट हुए थे तब हमने फैसला किया था कि हम ऐसा बिल लायेंगे। हाउस में डिबेट के आउटकम के बाद जो आश्वासन पूरा करना है उसके अन्तर्गत यह बिल आया है, बाकी मैं इस बात से सहमत हूं। क्योंकि जो मूल प्रश्न है, पहले तो मैं हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य की बात कह दूं, फिर मैं मूल प्रश्न पर आ जाऊंगा।

हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि धारा 392 के अन्दर आलरेडी प्रोविजन है फिर आप यह क्यों ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि विद्वान एडवोकेट हैं और मेरे से वरिष्ठ हैं, उसमें जो वर्ड लिखा हुआ है वह वर्ड लिखा हुआ है "मे" दस साल तक कर सकते हैं।

दस साल की जरूरी नहीं कि 392 में सजा मिले। वर्ड लिख रखा है "मे"। हमने जो प्रोविजन किया है उसमें वर्ड क्या है "शैल"। "शैल" का मतलब मिनिमम जो सजा है वह फिक्स कर दी है कि कम से कम सात साल की सजा ....shall not be less than five years. हमने एक स्पेसिफिक पीरियड मैंशन किया है वह आई.पी.सी. की धारा का कोंट्रावेंशन नहीं है। इसलिए आपने जो ध्यान आकर्षित किया, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक 389 (थ) और 384 एक्सट्रोर्शन के आई.पी.सी. में जो प्रोविजन हैं, उसमें भी तीन साल का प्रोविजन है। हमने जो प्रोविजन किया है, वह पांच साल का, सात साल का किया है। इसलिए हमारी जो मंशा है....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने 386 को कहा है।

श्री सी. पी. जोशी : 392 आपने कोट किया है। Should I read it.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, वह तो ठीक है। एक सैकण्ड.... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपने 392 कोट किया है जिसमें दस साल कह दिया। The word is 'may'. "Whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend...." 'Which may', it is not

(श्री सी. पी. जोशी)

mandatory that he will be given 10 years imsprisonment. He may be given 2 years 3 years, whatever.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड। अगर मान लीजिये, जज ने यह तय किया कि ऐसा जघन्य अपराध है जिसमें दस साल की सजा देनी चाहिए, ऐसा जघन्य अपराध होगा कि कोर्ट यह समझती है कि दस साल की सजा इसको जरूर मिलनी चाहिये तो फिर वह सात साल से ज्यादा नहीं रह सकेगा।

श्री सी. पी. जोशी : इसमें कहां तकलीफ है। The robbery of this kind is different from the robbery which we are anticipating.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, robbery is robbery.

श्री सी. पी. जोशी : नहीं, रोबरी में कहां है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : रोबरी मतलब, आपने अलग डिफाइन किया है क्या रोबरी ?

श्री सी. पी. जोशी : मान्यवर, आपने यह कहा था कि आई.पी.सी. के विरुद्ध है, I am saying that it is not against the provisions of I.P.C. आई.पी.सी. के जो प्रोविजो हैं....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, मैंने यह नहीं कहा, विरोध में है। मैंने कहा उसमें दस साल तक की सजा है, आप सात साल की लिमिट क्यों करना चाहते हैं? अगर मान लीजिये इतना जघन्य अपराध है और कोर्ट यह फील करती है कि इसको दस साल तक की सजा कम से कम मिलनी चाहिये तो आपका यह कानून दस साल से ज्यादा नहीं देने देगा। यह कहा है मैंने आपको। Why restrict the court.

श्री सी. पी. जोशी : I Admit उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं जैसा मैंने पहले कहा जब हम इमोशनली चार्ज होते हैं तब हम कुछ फैसला करवाते हैं। जब पिछली बार 1999 में पेपर लीक हुए, हम इमोशनली चार्ज थे। बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो, इसलिए हमने खुद ने फैसला किया हाउस में, कि हम ऐसे स्ट्रिंजेंट मेजर्स लाये, बिल लाये जिससे यह प्रेक्टिस रुके। इसके आउटकम में यह आज बिल आया है।

लेकिन मैं इस बात से जो विपक्ष के नेताजी ने कही, सहमत हूं, इसमें एक प्रोविजो है जिस प्रोविजो के आधार पर आप और हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। ये प्रोविजो है कि सैक्शन-तीन में हमने प्रोविजन कर दिया है कि जो पनिशमैंट होगा वह पनिशमैंट तीन साल से होगा। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में नौजवान पीढ़ी के बच्चों के सम्बन्ध में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। नकल करते हुए उसका जो इनविजिलेटर है उसने केस बना दिया, उसके कारण उसको यदि सजा मिल जाती है तीन

(श्री सी.पी.जोशी)

साल की तो, are we not putting him in a direction जहां आदमी क्राइम की तरफ अग्रसर हो? लॉ का प्रोविजन यह भी होना चाहिये कि हम लॉ को प्यूनिटिव बनाये या करैक्टिव बनायें। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में इस सदन को दुबारा चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं आज इस बिल को पास कर लें हम, साल-डेढ़ साल तक हम इसके डिटेरेंट इफैक्ट को देखना चाहते हैं क्योंकि स्टूडैंट्स का सवाल नहीं है। धारा चार और पांच में यह जो प्रैक्टिस ज्यादा हुई है उसमें टीचर हैं, एम्प्लाई हैं, अदर दैन हैं, उन आदमियों ने पेपर आउट करके इस सिस्टम को क्लच करने की कोशिश की है। अभी तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस बिल को हम पास करें क्योंकि यह हमारा पहले हाउस में कमिटमैंट था। लेकिन मैं आप सबकी भावनाओं के आधार पर कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर यह समय आ गया है जब हमें नये ढंग से इस बात को सोचना पड़ेगा, जब एग्जामिनेशन इर्रेलेवेंट हो गये। आज बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम, की डिग्री की कोई रेलेवेंस नहीं है। जैसे मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, हर जगह काम्पीटीशन एग्जाम उसके बाद देना पड़ता है। तो नये सिरे से हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम स्कूल के, कालेज के सिस्टम को रेलेवेंट रखें? एग्जामिनेशन के साथ में क्या उस पढ़ाई को लिंक रखें? पी.एम.टी., पी.ई.टी. के साथ क्या हम नये सिरे से सोचे कि जॉब की जो अपार्चुनिटी है उनके साथ सीधे चीजों के साथ लिंक करें? यह एक लार्जर डिबेट होनी चाहिये जिस डिबेट के आधार पर हम फैसला करेंगे तो मैं समझता हूं हमें नये सिरे से इस बारे में सोचने की आवश्यकता होगी। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि अपना हाउस का कमिटमैंट था, हम यह बिल लाये हैं, आप इस बिल को पास करें। फिर दुबारा हम आपके साथ बैठकर इस सम्बन्ध में चर्चा करेंगे कि इसको कैसे ठीक कर सकें जिससे बच्चा क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ इन्वाल्व नहीं हो। यह टेंडेंसी भी कब हो। कैसे इसे हम परीक्षाओं की सैंक्टिटी को मेनटेन कर सकें, इस सम्बन्ध में हम अलग-अलग शिक्षा के लोगों से मिलकर जुडिशियरी के आदमी से मिलकर एक काम्प्रीहेन्सिव बिल लाने की हम कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि सबकी भावना इसमें निहित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको पास किया जाये। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इसमें और राय लेकर इसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इफैक्टिव कर सकते हैं, प्यूनिटिव की जगह करैक्टिव कैसे कर सकते हैं, इस मैजर्स को इनकारपोरेट करने के सम्बन्ध में हम चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुपूरक अनुदान की मांगें-2002 पर मतदान।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या-7 निर्वाचन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-7 निर्वाचन सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,33,51,000 (पांच करोड़ तैंतीस लाख इक्वावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,17,000 (सैंतीस लाख सत्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-16 पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,00,95,000 (उन्नीस करोड़ पिचानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,000 (दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-22 क्षेत्र विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,00,00,000/- (दो करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,49,16,000 (एक करोड़ उनचास लाख सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

मांग स्वीकार की गयी

मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,25,00,000 (इक्यावन करोड़ पच्चीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,65,40,000 (चार करोड़ पैंसठ लाख चालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,000/- (आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री उपाध्यक्ष)

रुपये 2,52,89,22,000/- (दो अरब बावन करोड़ नवासी लाख बाइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-36 सहकारिता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,00,39,000/- (छह करोड़ उनतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-37 कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,01,25,000 (एक करोड़ एक लाख पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरू अनुदान की मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,45,60,000/- (पांच करोड़ पैंतालीस लाख साठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,33,000/- (तेरह लाख तैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-42 उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,15,000 (इकतीस लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-43 खनिज

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-46 सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,14,22,000/- (सोलह करोड़ चौदह लाख बाइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-48 विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47,50,10,000/- (सैंतालीस करोड़ पचास लाख दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

माननीय वित्त मंत्रीजी।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2001

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव करें।

विधेयक पर विचार

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

डा. किरोड़ी लाल। एक मिनट। पारित वाले पर बोलना आप।

श्री प्रद्युम्न सिंहजी, पारित करने का प्रस्ताव करें।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2001 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल, अब बोलो।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2001-2002 की अनुपूरक अनुदान की मांगें यहां पर पेश की गयी हैं और उसमें कई विभाग ऐसे हैं जिनको अंकित किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस जब सत्ता में आयी तो सत्ता में आने से पहले बड़े लुभावने नारे दिये और एक झूठ का पुलन्दा, यह बाइबल कांग्रेस की तरफ से तैयार की गयी। उसके आधार पर राजस्थान का मतदाता इनके झांसे में आ गया और झांसे का परिणाम यह हुआ कि प्रचण्ड बहुमत में आ गये। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रचण्ड बहुमत के चलते ये जनता की परवाह नहीं कर रहे हैं। इनको जनता की चिन्ता नहीं। प्रदेश की जनता परेशान है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर माननीय सदस्य इन सप्लीमैंटरी ग्रांट्स तक अपनी बात को कन्फाइन रखें तो बेहतर होगा। कौल एण्ड शकधर के अन्दर भी इस बात का उल्लेख है, मैं इसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। "If an Appropriation Bill is in pursuance of the Supplementary Grants in respect of an existing service, the discussion has to be confined to the items constituting the same and no discussion can be raised on the original grants nor the policy underlying it save in so far as it is necessary to explain or illustrate a particular item under discussion." मेरा आपसे निवेदन इतना है कि ये सप्लीमैंटरी ग्रांट्स जिन आइट्म्स के बारे में आयी हैं अगर उनके बारे में माननीय सदस्य कुछ जानकारी लेना चाहें तो ब्रीफली मैं जानकारी देने के लिए तैयार हूं। पालिसी इश्यू के ऊपर जब बजट के ऊपर चर्चा हुई थी, विस्तार से यहां पर चर्चा हुई थी और उस वक्त विस्तृत उत्तर दिया गया था। यह मेरा आपसे अनुरोध है, बेहतर होगा क्योंकि जो नये आइट्म्स यहां पर आएंगे....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : विराजो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, मैं तो एक बात नालेज में लाया हूं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने कौल एवं शकधर के रेफ्रेंस में यहां इस डिबेट को करटेल करने की मांग की है। आपको स्मरण होगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जब इस प्रश्न पर विचार हुआ, यह निर्णय लिया गया था कि....

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अलाउ कर रहे थे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप महान हो उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, यह बात डिस्कस हो चुकी थी। बात यह हुई है कि हमेशा यह परम्परा रही है कि आम बजट पर बोलते रहे हैं माननीय सदस्य। इसलिए इस चर्चा को सीमित किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप थे नहीं क्या उस दिन?

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सदन की गरिमा रखी। कांग्रेस वाले तो नहीं चाहते थे कि प्रदेश की जनता के साथ जो ज्यादती हो रही है उन मामलों को हम सदन में उठाएं, हम यहां पर + + + और राजस्थान की जनता को पता लगे कि ये क्या-क्या कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वित्त मंत्रीजी को आपत्ति है। ये लोक निर्माण विभाग की डिमाण्ड्स हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप राजस्थान भर में घूमते हैं, कोई एक सड़क ऐसी नहीं है कि जिसका गड्ढ़ा भरा हो। कोई एक भी सड़क इन तीन सालों में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ऐसी सैंक्शन नहीं की जो बनायी गयी हो। भला हो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो उन्होंने रुपये इस राजस्थान की सरकार को दे दिये और उससे सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्रों के विकास को तो इन्होंने पूरी तरह से ठप्प कर डाला। जनजाति विकास के नाम से विशेष कार्यक्रम चलाने की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रणाली लेकर आये, महाराष्ट्र प्रणाली पर आज तक अमल नहीं हुआ और जनजाति विकास के लोग ज्यों की त्यों खड़े हुए हैं। प्राकृतिक आपदा के मामले में आज सदन में बहस हुई थी, प्राकृतिक आपदा में जो अनियमितता और घपले हुए हैं वह सदन में उजागर हुआ है। खनिज का मामला आया था उसको सबजुडिस कहकर टाल दिया गया। पांच विवेकाधीन कोटे से मंत्रीजी ने अपने मनमाने तरीके से रिश्वत लेकर उन खानों का आबंटन कर दिया। विद्युत विभाग भी इसमें सम्मिलित है। हमने यहां पर चिल्ला-चिल्लाकर कहा था कि राजस्थान का किसान सड़कों पर है, राजस्थान का किसान परेशान है, राजस्थान के किसान को बिजली नहीं मिल रही, आप आठ घंटे बिजली तो दे दो। लेकिन आठ घंटे राजस्थान के किसान को बिजली नहीं मिल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की दरें इतनी बढ़ा दी गयीं कि आज उपभोक्ता एईएन. आफिस में जाकर बिजली कटवाने की लाइन में लगा हुआ है।

(16.24 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, यह जो झूठ का पुलिन्दा तैयार किया था इसमें इन्होंने लिखा है बलात्कार के मामले में फरार

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

डी.आई.जी. को गिरफ्तार करने में असफल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, आपको तो तीन साल हो गये। यह तो भला हो भैरोंसिंह शेखावत सरकार का कि जिसने महिला का अपहरण किया था, जो डी.आई.जी. ले गया था उसको सस्पैण्ड कर दिया आपके तो तीन साल निकल गये, उस डी.आई.जी. को आज तक यह निकम्मी सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकी। सभापति महोदय, कानून का राज नहीं, जंगल का राज चल रहा है। सभापति महोदय, नकारा राज है और इस नकारा राज पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज्यादा हुआ है, दहेज हत्याएं सबसे ज्यादा हुईं, आत्महत्याएं सबसे ज्यादा हुईं और महिलाओं की प्रताड़ना ज्यादा हुई। बलात्कार ही नहीं, गैंग रेप हुए, छेड़छाड़ की घटनाएं ज्यादा हुई, दिन-दहाड़े अपहरण हुए। हमारे सवाईमाधोपुर जिले में वजीरपुर थाने में तो दिन-दहाड़े एक महिला को उठाकर ले गये बड़ोली गांव है। गृह मंत्रीजी से लोकल मिलकर गये है। सत्तर साल की वृद्धा थी।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो जीरो आवर वाली कैसेट है।

डा. किरोड़ी लाल : सत्तर वर्षीय वृद्धा को 27 अक्टूबर, 2001 को उठाकर ले गये। पहले पैर काट डाले फिर हाथ काट डाले, फिर गरदन को काट डाला और उसके सारे जेवर ले गये। गांव से उठाकर ले गये और गांव में हाथ-पैर काट डाले। ऐसी ही घटना देवली में हुई और ऐसी ही घटना अब बांदीकुई में हुई है। सभापति महोदय, कानून का राज नहीं जंगल का राज चल रहा है। वैशाली नगर थाने की नाक के नीचे एक महिला की हत्या कर गये ए.के. 47 से। मानसरोवर में हमले हो रहे हैं। पैट्रोल पम्प लुट रहे हैं, राहगीर लुट रहे हैं। बेनीदास कोटावाला को जयपुर से अपहरण करके ले गये। इक्कीस दिन तक पुलिस रोती रही और बीस लाख रुपये देकर वह आया है।

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : सभापति महोदय, इसका फाइनेंस बिल से कोई लेना-देना नहीं है। क्या मतलब है? जीरो आवर के तरीके से पाइंट उठा रहे हैं जिसका फाइनेंस बिल से कोई लेना-देना नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : फिर तो आप बिल को समझा ही नहीं रहे हो। (व्यवधान) बिल की भावना ही नहीं समझ रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आप विराजों। ये कानून की बातें हैं, राजस्थान की रोडवेज नहीं है जिसका भट्टा आपने बैठा दिया। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : किस बात पर बहस हो रही है।

श्री केसाराम चौधरी : घाटा दिया रोडवेज को।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आपने तो रोडवेज का भट्टा बैठा दिया है। (व्यवधान) ऐसा सत्यानाश कर दिया है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : ये आपके समझ की बात नहीं है, बीच-बीच में खड़े मत होओ। (व्यवधान) ये क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, यह आपके समझ के बाहर की बातें हैं। आप तो चलने दो चल रहा है जो।

डा. किरोड़ी लाल : बीस लाख की फिरौती दी तब कोटावालाजी आये, पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रही। सभापति महोदय, पुलिस की ज्यादती और यातनाएं इतनी बढ़ गयी हैं कि शाहपुरा कस्बे के सेड़ का बास गांव में 26 जून, 2001 को पांच लोग पुलिस प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करके मर गये। इस सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। थानों में मौतें हो रही हैं और जेलों में हत्याएं हो रही हैं। सभापत्ति महोदय, सांगोद की 14 अक्टूबर, 2000 की घटना आपने सुनी होगी, एक कैदी चार कैदियों को मारकर जेल से फरार हो गया। यह काम इस सरकार के लिए डूब कर मर जाने का है। इनका किसी प्रकार का नियंत्रण अपराधियों पर है नहीं। अपराधी और पुलिसकर्मियों की सांठ-गांठ चिन्ता का विषय है। मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। दिन-दहाड़े चोरियां हो रही हैं करोड़ों की चोरी।

सभापति महोदय, मैं जहां पर एक मामले को रखना चाहूंगा। करौली जिले में एक बहुत बड़ा किला है तिमनगढ़ का करौली के थाना मांसलपुर से आठ-दस किलोमीटर दूरी पर तिमनगढ़ नाम का प्राचीन किला है इसमें एक विशाल मन्दिर है। इस भव्य किले का निर्माण 1100 ईस्वी में हुआ। करीब 203 बीघा जमीन में बना हुआ है। इसमें बेशकीमती अष्टधातु की मूर्तियों का भारी भण्डार है। भारत की अमूल्य सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर का प्रमाण यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण, मैं कहना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा, प्रद्युम्न सिंहजी, आपके जिले से तो लगा हुआ है, आपकी उपेक्षा के कारण अमूल्य धरोहर लुट रही है उजड़ रही है। तिमनगढ़ को दर्शनीय स्थल बनाने के बजाय तस्करों का खास केन्द्र बना डाला। यहां से चुरायी गयी मूर्तियां मथुरा जाती हैं, आगरा जाती हैं, दिल्ली, बम्बई और विदेशों तक जा रही हैं। कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस तथा प्रभावशाली नेताओं की तस्करों से सांठ-गांठ के कारण अमूल्य खजाना लुट रहा है। सभापति महोदय, इस खजाने में जैन, बौद्ध, हिन्दू धर्म की भारी तादाद में मूर्तियां हैं। तलहटी गांव के कहार जाति के लोगों को कुछ पैसे देकर मूर्ति को अभी कुछ दिन पहले निकलवाया था। खुदाई करवायी थी। आसपास के गांव कंचनपुरा, आलमपुरा, सरदारपुरा जो मांसलपुर में पड़ते हैं, जिला करौली में मसल पावर वाले लोग इन मूर्तियों को सौदागरों को बेचते हैं। अन्तरराष्ट्रीय मार्केट तक ये मूर्तियां पहुंचती हैं। पहली बार मार्च, 2000-2001 में पुलिस ने करीब दस करोड़ रुपये कीमत की 67 मूर्तियों को बरामद किया है। करीब दो करोड़ रुपये की अष्टधातु की एक मूर्ति को मार्च, 2001 में जिसे खोद कर निकाला गया था,

(डा. किरोड़ी लाल)

सत्ताधारी दल के नेता की दखल के कारण चोर पार करके ले गये। (व्यवधान) चोर पार करके ले गये। चोरों ने बताया, सभापति महोदय, जब पूछा लोगों ने कि मूर्ति कैसी थी, अखबार वालों ने पूछा, पब्लिक ने पूछा तो चोरों ने बताया कि सूर्य भगवान की मूर्ति है, 2.75 फीट ऊंची है, पचास किलोग्राम वजन की है। जगह-जगह मूर्ति में हीरे-जवाहरात जड़े हुए हैं। पैरों में नोकदार जूतियां हैं। दोनों भुजाओं की आगोश में आदि ब्रह्मा को छिपाये पांव में लक्ष्मी विराजे हुए ऐसी आकर्षक मूर्ति को सत्ताधारी दल के नेता के कारण पार कराया गया। इस आकर्षक मूर्ति एवं अन्य मूर्ति के सम्बन्ध में एफ.आई.आर. नम्बर 27/2000, 5.3.2001 थाना मासलपुर में दर्ज करायी गयी जिसमें 24 लोगों को नामदर्ज किया गया । इस मूर्ति को तलहटी के कहारों के हाथ खुदाई करवाकर सरदारपुरा थाना मासलपुर के भगवान सिंह, श्योदान सिंह, निरंजन एवं सकरघटा के अत्ता नवल सिंह उर्फ नब्बा ने निकलवायी जो एफ.आई.आर. में है। ये सारे नामजद हैं।

मूर्ति निकलने के बाद सभापति महोदय, कहारों से इन लोगों ने बारह लाख रुपये का सौदा किया कि यह मूर्ति हमें दे दों और ग्यारह हजार रुपये साई के दे दिये। मथुरा, आगरा और दिल्ली के सौदागर वहां पर आ गये। मूर्ति को देखने के लिए आये सौदागरों ने अकेली मूर्ति की कीमत दो करोड़ रुपये लगायी। मूर्ति चोर भगवान सिंह, श्योदान सिंह, नवल सिंह उर्फ नब्बा इन मूर्ति चोरों में इस मूर्ति को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। सभापति महोदय, इस झगड़े की भनक पुलिस को लगी और जैसे ही झगड़े की भलक लगी तो पुलिस वहां पर पहुंची। पर इस मूर्ति पर सत्ताधारी दल के एक प्रभावशाली नेता की गिद्ध दृष्टि पड़ गयी, उस गिद्ध दृष्टि के कारण उसने मूर्ति को पुलिस के हाथ लगने नहीं दिया और अपने कब्जे में करवा लिया। सत्ताधारी दल के प्रभावी नेता ने मूर्ति अपने कब्जे में ले ली। इस मूर्ति का सौदा हो जाने का पता जब मासलपुर पुलिस को लगा तो पुलिस ने 16 जून, 2001 को....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, भला हो अखबार वालों का जो पूरी की पूरी कटिंगों का एक चिट्ठा हाथ में दे दिया और आधा घंटा गला साफ करने का मौका मिल गया। फाइनेंस बिल पर इस तरह की बातें विनियोग विधेयक नम्बर-4 पर आप ऐसी चर्चा करो, जैसे किसी थाने की डायरी को उठा लायें हो पूरा पांच करोड़ की आबादी वाला राजस्थान है, वहां पर यदि दो-पांच जगह थानों में कोई बात हो गयी तो उसका इस बिल से क्या लेना-देना? (व्यवधान)

श्री के. सी. चौधरी : मूर्ति का विवरण तो ऐसे आ रहा है जैसे यह खुद ही लेकर आये हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मेरे को यह बात समझ में नहीं आ रही कि ट्रैजरी बैंच के माननीय सदस्यों को....

श्री राजेन्द्र पारीक : दिमाग से तो बोल नहीं रहे हो। समझ में तो तब आती जब दिमाग से बोलते। लिखा हुआ है, पढ़ना है इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या समझ में आता आपके?

डा. किरोड़ी लाल : ट्रैजरी बैंच के माननीय सदस्यों को और विशेषकर सीकर से आने वाले माननीय सदस्य को....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपका हाथ इस मूर्ति में नहीं हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं, आप उसमें नहीं हो और जो है...(व्यवधान)

माननीय सदस्य : गोडसे कौन है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये।

डा. किरोड़ी लाल : ट्रैजरी बैंच के माननीय सदस्यों और विशेषकर सीकर के माननीय सदस्य के पेट में दर्द हो रहा है। मैं डाक्टर हूं, ज्यादा दर्द हो तो मैं उसका इलाज कर दूं, लेकिन यह मूर्ति के मामले में....

डा. के. सी. चौधरी : कितने साल से आपने प्रैक्टिस नहीं की? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, सी. पी. जोशी साहब ने जो बिल रखा, यदि बिल उस वक्त पास हो गया होता तो ये सारी जो सजाएं निर्धारित की गयी थीं, श्रीमान् को भुगतनी पड़तीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए, बोलिये।

डा. किरोड़ी लाल : 16 जून, 2001 को गांव सरदारपुरा में करौली की पुलिस ने दबिश दी। सभापति महोदय, वहां पर पुलिस पिट गयी। महिलाओं ने, चोरों ने पुलिस थानेदार चावला को घेर लिया, चावला को पीटा, सिपाहियों को घायल कर डाला। पुलिस मूर्ति को बरामद नहीं कर सकी। चोर मूर्ति को वहां से नीमड़ी का पुरा गांव जो डांग में पड़ता है वहां पर ले गये। चोरों पर पुलिस ने शिकंजा तेज किया, पुलिस ने इनको पकड़ने की कोशिश की तो भगवान सिंह, श्योदान सिंह, निवासी सरदारपुर, थाना मासलपुर के लोग विधान सभा क्षेत्र महुवा में बौल ग्राम के निवासी फिरंगी गुर्जर एवं सत्ताधारी दल के प्रभावशाली नेता से मिले.... (व्यवधान) दो करोड़ रुपये की चोरी की मूर्ति की जानकारी दी सत्ताधारी दल के नेता को नेताजी ने पूरी दास्तान सुनी। सत्ताधारी दल के नेता ने कहा, मूर्ति को डांग से निकालिये और जहां पर रखी है वहां से लेकर मेरे सुपरविजन में ले आओ, मेरी निगाह में ले आओ मूर्ति वहां से चलकर महुवा विधान सभा क्षेत्र में बौल गांव में आ गयी जो सत्ताधारी दल के नेता के

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

गांव से मात्र चार किलोमीटर करौली की पुलिस ने....

डा. के. सी. चौधरी : इस तरह से सत्ताधारी राज्य के नहीं केन्द्र के थे। (व्यवधान) सत्ता दोनों जगह हैं, केन्द्र में भी सत्ताधारी नेता हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : चौधरी साहब, आप समझ रहे हो सब।

डा. किरोड़ी लाल : करौली की पुलिस ने सत्ताधारी दल के महुवा के प्रभावशाली नेता के रिश्तेदार फिरंगी गुर्जर के यहां दबिश डाली। गांव बौंल में दबिश डालकर उसको मासलपुर ले गये। जब मासलपुर पकड़कर ले गये तो 153 का प्रचण्ड बहुमत है, वह दन्नाने लगे। जब मासलपुर पकड़कर ले गये तो 153 का प्रचण्ड बहुमत है, वह दन्नाने लगे। एस.पी. को डांटा, थानेदार को डांटा और जिस आदमी के घर पर मूर्ति थी उसको छुड़वा दिया। मूर्ति बरामद नहीं हो सकी। मासलपुर से नेताजी ने फिरंगी गुर्जर को अपने पद और प्रभाव का उपयोग करके छुड़ा डाला। मूर्ति चोरी के इस मामले में लिप्त चोरों को महुवा के इस नेता ने आश्वस्त किया था कि चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, फाइल को सी.आई.डी. में डलवा दूंगा, सबके नाम हटवा दूंगा। मूर्ति पुलिस को मत दे देना, पुलिस को दे दिया तो गड़बड हो जाएगा। मैं कहूं जब ही बेचना। यह एस.पी., थानेदार है ना, जब तक मत बेचना। खतरनाक हैं, तुम्हे भी खा जाएंगे, मेरे को भी खा जाएंगे। इनको मैं हटवा दूंगा। सत्ताधारी दल के इस नेता का हिस्सा भी तय हो गया...

एक माननीय सदस्य : कितना?

डा. किरोड़ी लाल : बताऊंगा। सत्ताधारी दल के महुवा क्षेत्र के नेता....

श्री सभापति : यह आपने लिख रखा है क्या?

डा. किरोड़ी लाल : हां, हां, लिख रखा है, नहीं, दिमाग में बैठा हुआ है। मूर्ति चोर भगवान सिंह, श्योदान सिंह तथा फिरंगी गुर्जर को लेकर गृह मंत्रीजी के पास गये। गृह मंत्रीजी से मिले, एडीशनल डी.जी. (सी.आई.डी.) से मिले। एडीशनल डी.जी. (सी.आई.डी.) के वहां ये जो चोर थे श्योदान सिंह और भगवान सिंह, इन्होंने इस केस को ट्रांसफर करने की दरखास्त दी उसमें प्रभावशाली नेता साथ में थे उसके आधार पर वह फाइल यहां पर आ गयी और जब फाइल यहां पर आ गयी तो मामला ठण्डे बस्ते में चला गया। इस प्रकार सत्ताधारी दल के नेता ने चोरों की मदद की।

हिण्डौन में एक और सब इंस्पैक्टर है गुणवाल सिंह गुर्जर, जो पुलिस की सभी गतिविधियों की सूचना इस प्रभावशाली नेता को देता रहता था। सब जानकारी प्रभावशाली नेता को मिलती रहती थी। जब इस दो करोड़ की मूर्ति का मुख्य

(डा. किरोड़ी लाल)

अभियुक्त नवल सिंह उर्फ नब्बा जिसको अभी पांच-छह दिन पहले करौली पुलिस ने पकड़ा है, पहले गिरफ्तार हुआ था पता लगा, तब महुवा के सत्ताधारी दल के इस प्रभावी और पदधारी नेता से इस गणधारी नेता से आकर मिले और अपने साथ सिफारिश में किसे लाये? (व्यवधान) पदधारी, गणधारी, सत्ताधारी नेता के पास मिलने के लिए आये चोर।

एक माननीय सदस्य : नाम क्या है।

डा. किरोड़ी लाल : नवल सिंह उर्फ नब्बा। और इनके साथ किसको लाये? वहां बागथल एक गांव है, बागथल में नेताजी का लड़का ब्याहा है कुलदीप रामचरण के यहां। रामचरणजी आये, नेताजी के दूसरे ब्याई रसीलपुरा, दूसरे ब्याई भी आ गये। नब्बा उनको लेकर आया नब्बा ने नेताजी से घर पर कहा कि नेताजी, भगवान सिंह, श्योदान सिंह जो आपके पास आये हैं वे मूर्ति चोर हैं उनकी मदद मत करो। उन्होंने दो करोड़ की मूर्ति को पार किया है, इलाके में छिपा रखा है। आपको पता नहीं है मूर्ति चोरी की है। तो यह क्या कहते हैं? सभापति महोदय, वो भी चोर था, उसने कहा मेरे को भी बचाओ। इन नेताजी ने कहा कि तेरे को तो बचा दूंगा चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। मेरी नमोनारायण मीणा से बात हो गयी है, नमोनारायण से कहकर मैंने फाइल को सी.आई.डी. में डलवा लिया है, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। सत्ता का प्रचण्ड बहुमत था, इनका राज है इसलिये इनकी बात चल गयी।

नवल सिंह उर्फ नब्बा को जब यह बात पता लगी कि मेरा हिस्सा जो मूर्ति में था वह महुवा के नेता के नाम कर दिया है और नेताजी के कब्जे में मूर्ति जब आ गयी तो मूर्ति चोर नब्बा प्रेस और पब्लिक के सामने प्रस्तुत हुआ। पब्लिक के बीच में अपनी आप बीती सुनायी, रामकहानी सुनायी। प्रेस को कहा। पुलिस को भी यह बात पता लगी। सत्ताधारी दल के महुवा क्षेत्र के प्रभावी नेता का चोरों को पनाह देना, पुलिस को बचाना, मूर्ति को अपने सुपरविजन में रखना। नेताजी के तमगे से चोरों को तंग करने वाले पुलिस वालों को हटाने की बात कही तो वहां के मासलपुर के थानेदार चावला को हटा दिया। इस प्रभावशाली नेता के कारण करीब 3-4 महीने तक फाइल सी.आई.डी. में रही, जिसके कारण बरामदगी नहीं हो पायी। प्रयास तो यह किया गया कि मूर्ति ले जाए और दुबका दें लेकिन दाल नहीं गली। सी.आई.डी. ने भी अपनी जांच में यह अंकित किया गया है, सभापति महोदय, आपको हैरत होगी, आपको अफसोस होगा जानक कि महुवा के सत्ताधारी दल के प्रभावशाली नेता की दखलंदाजी के चलते और चोरों को पनाह देने एवं मूर्ति में साझेदारी होने के कारण इस चोरी में नेताजी के खास रिश्तेदार तथा

(डा. किरोड़ी लाल)

जाति भाई इनवाल्व होने के कारण दो करोड़ की बहुमूल्य मूर्ति को बरामद किया जाना मुश्किल काम है। यह कहकर जिला पुलिस को वह फाइल लौटा दी।

जिला पुलिस के पास अभी नवम्बर के महीने में फाइल गयी थी। सभापति महोदय, नवम्बर के महीने में फाइल पहुंची, पुलिस ने अपनी दबिश दुबारा लगायी। दबिश दुबारा लगायी तो 14.11.2000 को कपूर का पुरा पड़ता है उन नेताजी के इलाके में जो बवन और सवनपुर गांव के बीच में है, वहां से एक हंसराज को पकड़ा फिर करौली पुलिस ने 15.11.2000 की रात्रि को मूकापुर के भगवान सिंह को गांव बवन से पकड़ लिया। यहां नेताजी का ननिहाल है, वहां मामा हैं नेताजी के। ममेरे भाई हैं, वहां से पकड़ लिया। बवन गांव खेड़ला से मात्र चार किलोमीटर दूर है। पुलिस ने दो करोड़ की मूर्ति बरामद कर ली और मूर्ति जब बरामद हो गयी तो अभियुक्त सत्ताधारी दल के महुवा के प्रभावशाली नेता का मूर्ति प्रकरण में हाथ बता रहे हैं। जो दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, वे बता रहे हैं। सी.आई.डी. ने लिखा है और वह दोनों बता रहे हैं, लेकिन सत्ता के डर के कारण वहां की पुलिस भी उस प्रभावशाली नेता का नाम रिकार्ड में लिखने से डर रही है इसलिये वहां पर उनकी स्वीकारोक्ति होने के बाद भी 5 अगस्त, 2001 को वहां के इलाके के जो विधायक हैं जनार्दन सिंहजी गहलोत वह भी पधारे। वहां के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके सत्ता के किसी प्रभावशाली आदमी का इस मूर्ति चोरी में नाम आ रहा है तो उन्होंने कहा कि अगर उस नेता को यहां की पुलिस विश्वास में ले—गृह मंत्रीजी, यह गहलोत साहब ने कहा है जो आपकी पार्टी के संगठन के उपाध्यक्ष हैं, वहां पर कहा कि अगर उस नेताजी को पुलिस विश्वास में ले ले तो मूर्ति बरामद हो सकती है। यह स्वीकारोक्ति आपके कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और करौली के विधायक ने की है कि मूर्ति चोरी में उस नेता का हाथ है।

सभापति महोदय, बाढ़ खेत को खा रही है। अब आप अंदाजा लगा लो, जब प्रभावशाली नेता इस ढंग से अपराधों में इनवाल्व होने लग गये तो इस प्रदेश का क्या होगा? इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या होगा? सत्ताधारी दल के महुवा क्षेत्र के इस नेता ने मूर्ति चोरों को पूरा संरक्षण दिया है, बचाया है। मूर्ति को बरामद नहीं होने दिया, फाइल को सी.आई.डी में उठावाया, पुलिस को पिटवाया, थानेदार को हटवाया, मूर्ति को बरामद हाने से रुकवाया। मूर्ति को तस्कर और सौदागरों को बिकवाने की योजना बनाने की दृष्टि से अपने ननिहाल गांव बोण में इन रिश्तेदारों के यहां रखवाया। वह ऐसा नेता सरकारी मुख्य सचेतक श्री हरी सिंह महुवा है। यह अपराधी है,

(डा. किरोड़ी लाल)

यह चोर है और अपराधियों से मिला हुआ है। इन्होंने इन मूर्ति की चोरी करवायी है इसलिये मैं मांग करता हूं कि .....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : यह गलत है आपका कहना। वह बलराम कहां गया? वह मर्डर कहां गया? वह कहां गया? यह सरासर गलत आरोप कर रहे हैं। आप मिथ्या आरोप कर रहे हैं। आपको तो मालूम है मोटर साइकिल चोरी कहां पकड़ी गयी। किनके घरों पर मोटर साइकिलें निकलीं आपको तो पता है। आप भूल गये हैं क्या? आप चुप बैठे हैं। प्रतिपक्ष की दुहाई देते हैं और सारे अपराध करते जा रहे हो। हमारे दौसा जिले को बरबाद कर दिया। एक के बाद एक मोटर साइकिल आज घर पर रखो, पार नहीं पड़ती है। मालूम है कि मोटर साइकिल के जो चोर हैं उनको कौन पनाह दे रहा है। कौन कर रहा है संरक्षण, हर आदमी जानता है। राजस्थान का बच्चा-बच्चा जानता है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सत्ता में बैठे लोग चोरी और चोरी में लिप्त लोगों को संरक्षण दें और उनके ऊपर यह पुलिस....(व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये, आप बैठिये। बैठिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जो थाने में जाकर दलाली कर रहे हैं.... (व्यवधान) आप ही यह अपराधियों को संरक्षण देते हैं.... (व्यवधान) आप ही यह अपराधियों को सरक्षण देते हैं.... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : शासनकाल में चोरी और डकैतियां हो रही हैं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप क्या चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जोशीजी, इतना पाप तो मत करो, ब्राह्मण हो। ब्राह्मण हो, मूर्ति चोरी के मामले में भी सपोर्ट करो। (व्यवधान) ढंग की करो। (व्यवधान) आप तो ब्राह्मण हो + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमें तो मालूम है कि मूर्ति चोरी कौन कर रहा है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ब्राह्मण ही मूर्ति चोरी में सपोर्ट करेंगे, कहां की राजनीति करते हो आप? आप डूब मरने की बात... (व्यवधान) बात करते हो आप....

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप बात करते हो। क्या बात करते हो। आप लोग जो अत्याचार करता है, अनाचार करता है उसको संरक्षण देते हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + कुछ तो, ब्राह्मण हो। आप मूर्ति चोरी में संरक्षण....(व्यवधान) मूर्ति चोरी का क्लीयर हो जाने दो। ब्राह्मण होकर पाप कर रहे हो, आप अपराध कर रहे हो। आप ऐसा अपराध करके कहां जाओगे।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : साम्प्रदायिकता हर जगह भड़काना अच्छी बात नहीं है। आपने जो भी कहा उससे लगता है.... (व्यवधान) यह तो पूरा दौसा जिला भुगत रहा है। इन लोगों की....(व्यवधान)

श्री सभापति : बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य। माननीय किरोड़ी लालजी, बोलिये।

डा. किरोड़ी लाल : तो, माननीय सभापति महोदय, मैंने आपको यह बताया है, सदन का ध्यान आकर्षित किया है कि इसमें मूर्ति चोरी में सरकारी मुख्य सचेतक सह अभियुक्त हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इस मामले की सी.बी.आई. से जांच करायी जाये क्योंकि यहां रहते हुए यह जांच चली तो यह दबाव में आएंगे और दबाव में आने के कारण पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। मेरी खुली चुनौती है। मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं कि यह पूरी तरह से चोरी, चोरों को बचाने में लिप्त है। यह मेरा चार्ज है कि जब सरकार का मुख्य सचेतक चोरी में लिप्त हो जाए, चोरों के साथ साथ-गांठ कर ले तो इस प्रदेश का रखवाला कोई नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह पूर्णतया गलत है।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, चूंकि मेरा खुला नाम ले कर ढेर सारे आरोप लगाये गये है मैं इजाजत चाहूंगा आसन की, मेरे को कुछ इजाजत दी जाये।

श्री सभापति : बोलियें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं आसन से गुजारिश करता हूं कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से आज की कार्यवाही का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया गया।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

मुख्य सचेतक श्री हरिसिंह (महुवा) का स्पष्टीकरण

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मुझे राजस्थान के सुप्रसिद्ध कवि ताराप्रकाश जोशी जो सेवानिवृत आई.ए.एस. आफिसर भी हैं, उनके गीत की एक पंक्ति याद आ रही है। "मेरा बुरा चाहने वालों यह एहसान नहीं भूलूंगा।

तुमने मुझको कांटों वाले पथ पर
चलना सिखा दिया।"

जिनका अपना जीवन संदिग्ध रहा हो,
मैं समझता हूं मैंने ध्यानपूर्वक सुना है....

मदन दिलावरजी। बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य वैसे वर्चुअली भी देखा जाए, रेवेन्यू सर्कल अलग-अलग है, मेरे और इनके घर की दूरी मात्र डेढ़ किलोमीटर है। एक ही गांव से हैं हम

(श्री हरिसिंह)

दोनों और मार्च से अब तक एक ही गांव में रहता हूं। और मेरी संदिग्ध गतिविधियों का इनको पता मूर्ति बरामद हो जाने के बाद मिला। कभी चर्चा नहीं की। मेरे घर के इर्द-गिर्द इनके खास चहेते भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, मेरी दीवार से दीवार इनकी लगी हुई है।

सभापति महोदय, हरिसिंह का जीवन खुली किताब है। 22 साल से मेरे राजनीति में प्रतिद्वंदी रहे हैं, कभी पब्लिकली और विधान सभा में कभी मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा सके। हरिसिंह अपने विचारों से, हरिसिंह अपने कर्तव्य से, हरिसिंह अपने आचरण से, हरिसिंह अपने चरित्र से असंदिग्ध व्यक्ति रहा है। कभी इलाके के किसी व्यक्ति ने कोई उंगली उसके ऊपर नहीं उठायी। सभापति महोदय, हरिसिंह रिश्वत नहीं लेता, ट्रांसफर्स की राजनीति में नहीं फंसता। हरिसिंह ने यह निश्चित बात है कि एक सैनिक के घर में जन्म लिया है जिसने ईमानदारी से अपना जीवन जीया। ईमानदारी का पाठ पढ़ाकर मेरा बाप मुझे गया। मैंने कभी भी ना किसी के सामने हाथ आगे किया, ना पीछे किया। अगर भूख लगी तो परमात्मा के सामने झोली फैलायी होगा, किसी इन्सान के सामने नहीं फैलायी है।

सभापति महोदय, मैं शुक्रगुजार हूं मेरे भाई का, मेरा इनका ननिहाल एक ही गांव में है। बौल जहां की यह चर्चा कर रहे हैं, एक ही गांव में है। मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि आज करौली पुलिस की किस ढंग की कार्य प्रणाली है और किस ढंग का काम कर रही है, उस पर प्रकाश डालने के लिए आपने मुझे एक सुअवसर दिया। डा. किरोड़ी लालजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्होंने कई आरोप गढ़े मेरे ऊपर। मैं मूर्ति प्रकरण पर पीछे आऊंगा, पहले तो कोई महिलाओं से पिटवाया और वह आंदोलन किया, थानेदार की बदली करवायी, यह करवाया, वह करवाया।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य और सदन की जानकारी में, प्रतिपक्ष के नेता यहां बैठे हुए हैं, यह सही है कि मूर्ति प्रकरण की फाइल सी.आई.डी. को आयी। यह सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह सही है कि मैंने माननीय गृह मंत्रीजी को अुरोध किया था। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि सी.आई.डी. से यह जांच टाइम बाउंड प्रोग्राम के अन्तर्गत होनी चाहिए। आप निर्देशित करें सी.आई.डी. को कि बहुत शार्ट लिमिटेड पीरियड में यह जांच हो। मुझे यह जांच सी.आई.डी. को देने की इसलिए आवश्यकता पड़ी। माननीय प्रतिपक्ष के नेता जानते हैं, मांसलपुर थाने के सामने सरे-आम एक ब्राह्मण के लड़के ने एक गुर्जर के लड़के का मर्डर किया था, सरे-आम, दिन-दहाड़े। करौली के पुलिस अधीक्षक ने करौली के हंसराम और उसके साले को इनवाल्व किया। वे माननीय प्रतिपक्ष के नेता के पास भी रोये। अगर अपराध मैंने किया है सी.आई.डी. में उठाने के लिए, तो अपराध

(श्री हरिसिंह)

मैंने उस दिन भी किया था। उस दिन भी मैंने अनुरोध किया था माननीय गृह मंत्रीजी से कि यह मामला संदिग्ध है, हंसरामजी राजनेता हैं, आप इसकी जांच सी.आई.डी. (सी.बी.) से करवा लें। यह मैंने उस दिन भी कहा था। प्रतिपक्ष के नेता इस बात को जानते हैं। और उस दिन भी यह फाइल वहां वापस एस.पी. के पास चली गयी। प्रतिपक्ष के नेता इस बात को भी जानते हैं कि उसमें एस.पी. करौली ने हंसरामजी के खिलाफ 164 के 14 आदमियों के बयान पीट-पीटकर दर्ज करवाये। यह भी जानते हैं। और प्रतिपक्ष के नेता यह भी जानते हैं कि सरदार के पुरा में जब यह मूर्ति प्रकरण की फाइल सी.आई.डी. जांच कर रही थी बड़ी तेजी से, तब एस.पी. करौली ने मांसलपुर के थानेदार को वहां क्यों भेजा। जब उसके पास फाइल ही नहीं थी तफतीश के लिये तो वहां पुलिस क्यों गयी। वहां जाकर सोती हुई औरतों को छेड़ा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पुलिस ने।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पुलिस ने।

डा. किरोड़ी लाल : आपके राज में।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप कह रहे हैं। आपने आंदोलन किया है, आप सुनिये। ध्यानपूर्वक सुनिये, इसमें क्या बात है? मैंने ध्यानपूर्वक सुना है, आप सुनिये।

सभापति महोदय, पुलिस के ऊपर वारदात हुई, थानेदार का सर फूटा। थानेदार वापस जाता है और 5 औरतों को पेटीकोट और ब्लाउज में उठाकर ले आया। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। भारतीय जनता पार्टी के नामी-गिरामी नेताओं ने इस घटना के खिलाफ करौली में दो बार आंदोलन किया। थानेदार का ट्रांसफर मैंने नहीं करवाया, डा. किरोड़ी लालजी, थानेदार का ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन से वहां के नेताओं की मांग पर हुआ था। वह मैंने नहीं करवाया और ना ही उन औरतों को भड़काने की, पुलिस को पिटवाने की मेरी कहीं कोई साजिश इसमें है।

सभापति महोदय, मैं थोड़ा-सा इस प्रकरण पर प्रकाश डालना चाहूंगा, मेरे को आप इजाजत दे दें क्योंकि लम्बे सारे मेरे ऊपर आरोप लगाये गये हैं। सभापति महोदय, मांसलपुर के किले के पास दो गांव हैं, एक तलहटी है और दूसरा गांव है सरदार का पूरा। तलहटी में कहार जाति के लोग रहते हैं, सरदार के पुरा में गुर्जर रहते हैं। यह जो मूर्ति इस प्रकरण में आयी है, जिसके लिए आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यह तलहटी के कहारों ने खुदाई करके निकाली, यह सही है। यह भी सही है जो इन्होंने कहा है कि सरदार के पुरा के तीन गुर्जरों के लड़कों ने उस मूर्ति का सौदा भी किया। यह भी सही है। उनको एडवांस भी दे दिया बताया जो पुलिस रिकार्ड पर आया है। सभापति महोदय, तलहटी के उन कहारों ने उस मूर्ति को वहां के किले के पास देवी का मंदिर

(श्री हरिसिंह)

है, उस मंदिर में मुख्य मूर्ति के पीछे जाकर छुपाकर रख दिया। इस बात को सौदागरों ने चिन्हित किया। तलहटी गांव का एक कहार वहां एक संन्यासी रहता है, उसकी सेवा पूजा में जाता है। सरदार के पुरा के उन गुर्जरों ने उस मूर्ति को जो छुपा रखी थी कहारों ने, वहां से उठा लिया और उनको पैसा देने के लिए मना कर दिया, जो उनका सौदा हुआ था। यह मैंने सुना है। सभापति महोदय, उन्होंने नाम लगा दिया वह जो सेवा में कहार जाता है उसका। सरदार के पुरा का नब्बा, नवल सिंह, जिसका नाम ले रह हैं। उस कहार को उठाकर ले गये, उसकी पिटाई की। उसको 24 घंटे बंद करने के बाद में छोड़ा बाद में उसने मांसलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी और उसमें पांच आदमियों को उसने नामजद मुलजिम बनाया।

सभापति महोदय, मूर्ति चोरी, अपहरण का केस, 323 का केस, यहां से पहली एफ.आई.आर. दर्ज हुई और पुलिस को पता चला। पुलिस ने अपराधियों का पीछा किया, पुलिस अपराधियों को पकड़ा नहीं पायी। मांसलपुर के थानेदार ने मुकदमा नम्बर 27 जिसका यहां माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, वह दर्ज करवाया 25 आदमियों के खिलाफ और उसमें यह दर्ज करवाया एफ.आई.आर. में, वह एफआई.आर. मैंने भी पढ़ी है, कि पुलिस गश्त पर जा रही थी, ये 24-25 नामजद व्यक्ति अपने कंधों पर कुछ सामान रखकर जा रहे थे। पुलिस ने ललकारा तो यह जो कंधों पर सामान रखा था, उसको फैककर भाग गये और पुलिस उनको समेट लायी। उनमें कुछ टूटी-फूटी मूर्तियां वहां के किले के आसपास बहुत बिखरी पड़ी हैं। और पुलिस के पास साबुत मूर्तियां भी रहती हैं वे उन्होंने वहां रखीं। इसके बाद में पुलिस वहां लगातार दबिश देती रही एक मर्द औरत, एक बच्चा गांव में सरदार के पुरा में नहीं रहा, डेढ़ महीने तक बाहर घूमते रहे। बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो गयी। तब ये लोग मेरे पास आये कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो मैंने कहा कि मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं, मूर्ति वापस कर दो। कहा कि अभी तय नहीं कर पाये हैं कि मूर्ति किसके पास है। चोरी में से चोरी हुई है, हम तय नहीं कर पाये हैं कि किसके पास है। तो मैंने कहा कि आप यह मूर्ति वापस कर दो। यह दोनों फाइलों की तफतीश सी.आई.डी. (सी.बी.) से करवा लो, मैंने मंत्रीजी को निवेदन किया। मंत्रीजी ने फाइल सी.आई.डी. को दे दी, इस डायरेक्शन के साथ में कि जितनी जल्दी हो सके इसकी तफ्तीश की जाये और असली मुलजिम कौन हैं उनको चिन्हित किया जाए।

सभापति महोदय, यह बिलकुल सही कह रहे हैं, इनको नमोनारायणजी से बहुत गुरेज है, इनके भाई के खिलाफ चुनाव

(श्री हरिसिंह)

लड़कर आये हैं। सभापति महोदय, यह सच्चाई है, मैं उस सच्चाई को उजागर करता हूं। मैंने नमोनारायणजी को यह कहा था कि मैं अपने सद्प्रयासों से वह पुलिस का बहुत ऊंचा अधिकारी है, कि मैं अपने सद्प्रयासों से यह मूर्ति बरामद कराने की पेशकश करूंगा, कोशिश करूंगा। अगर यह कोई व्यक्ति कहता है तो वह किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त हो नहीं सकता है। यह मेरा गुड इन्टेंशन था। मैं भी जानता था कि यह मूर्ति बरामद होनी चाहिए। यह बहुमूल्य धरोहर है, यह राष्ट्रीय धरोहर है, यह देश की धरोहर है, इसका किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति सौदा नहीं करे। यह मैंने अनको अनुरोध भी किया था। जब फाइल तफ्तीश हो गई तो नमोनारायणजी ने मुझे फिर कहा कि आपने प्रयास किया।

सभापति महोदय, मैंने चोरी की जो मूर्ति निकलवाई थी, ये सही कह रहे हैं,

(17.00 बजे)

यह फिरंगी उनका ससुर है और बौंगांव का निवासी है। मैंने फिरंगी को बुलाया और मैंने कहा कि तेरे दामाद और तेरे दूसरे दामाद और तेरी बेटी के चचिया ससुर का लड़का है, इनके नाम आ रहे हैं, तुम जाओ इनको समझाओ और मूर्ति वापस करवाओ। फिरंगी गया। मेरे पास भी लेकर आया। मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन उनको कोई मोटी रकम का लोभ था। सभापति महोदय, मेरी बात नहीं मानी तो मैंने तुरंत वहां से आकर नमोनारायणजी को टेलीफोन किया कि, नमोनारायणजी, आपके अपराधी चिन्हित हो चुके हैं, आप तुरन्त फाइल करौली एस.पी. को भेज दीजिए। इसमें अपराधी 25 नहीं हैं, अपराधी घट करके सी.आई.डी. ने जांच कर ली, इसमें मात्र तीन आदमी हैं या चार आदमी हैं, उनको तुरन्त गिरफ्तार करवाइए। सभापति महोदय, फाइल करौली चली गई। यह सही कि मांसलपुर की पुलिस फिरंगी को उठा कर ले गई थी और यह भी सही है कि मांसलपुर में फिरंगी को चार दिन रखा। यह भी सही है मैंने उस समय एडीशनल एस.पी. को यह पूछा था कि, एडीशनल एस.पी. साहब, चार दिन के इन्टेरोगेशन के बाद क्या फिरंगी अपराधी है? उन्होंने कहा कि अपराधी नहीं है। अपराधी नहीं है तो बेकसूरवार को आपने क्यों बैठा रखा है?

सभापति महोदय, जो प्रकरण पुलिस ने वहां बनाकर दिया है और जो आपके फीड किया है, यह भी एक झूठ का पुलिन्दा है। सभापति महोदय, आपके अपराधी चिन्हित हो गए और नब्बा पुलिस की कस्टडी में रहा। नब्बा पुलिस से मिलता रहा। उनमें आपस में झगड़ा हो गया मूर्ति के बंटवारे पर। नब्बा पुलिस का मुखबिर बन गया। सभापति महोदय, जब फिर भगवान सिंह गोबर्द्धन की परिक्रमा देने के लिए दीपावली से एक दिन पहले गया तो, किरोड़ी लालजी, वह कोई हमारा ही

(श्री हरिसिंह)

बन्दा था जिसने पुलिस को यह सूचना दी थी कि भगवान सिंह अपराधी गोवर्द्धन की परिक्रमा देने गया है, उसको तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाए। हरिसिंह मूर्ति चोर नहीं है, मूर्ति पकड़वाने वाला व्यक्ति है। यह झूठा और तथ्यहीन आरोप है। वहां गोवर्द्धन की परिक्रमा से भगवान सिंह को पकड़ कर लाये, भगवान सिंह को बंद किया। वह भगवान सिंह अगर किसी प्रकार की हरिसिंह के खिलाफ बयानबाजी करता है, मुझे माला पहनाएगा। जिसने गिरफ्तार करवाया है, मेरी प्रशंसा करेगा।

लेकिन यहां इसने फिर, इसको पुलिस ने टिवस्ट दिया। यह सही है कि मूर्ति कपूरा के पुरा में थी। भगवान सिंह ने कहा कि कपूरा के पुरा में अमुक जगह मूर्ति रखी हुई है। पुलिस वहां गई, 6 जीप। आप गांव में थे, श्रीमान् आप अखबार से, आपको गांव में, वह कपूरा का पुरा भी आपसे तीन किलोमीटर दूर है लेकिन आप जो अखबार के आधार पर बोल रहे हैं, आप सच्चाई गांव में पता करते है। आप मेरे गांव में पता करते, आप बौंली में पता करते तो कुछ मजा आता।

सभापति महोदय, वह मूर्ति वहां थी, पुलिस वाले छह वहां गये। उसके एक बड़े भाई हंसा को पकड़ कर ले गयी लेकिन हंसा नहीं, असली मूर्ति कब्जे में थी जिन्सी के, जिन्सी वहां से भाग गया। वहां दो सिपाही छोड़ गये पुलिस वाले, उन दो सिपाहियों को झांसा देकर और उस मूर्ति को अपने कब्जे में करके भाग गया। सभापति महोदय, गोवर्द्धन के दिन मेरे पास कुछ लोग आये, मैं नाम नहीं जानता, दो-तीन, कि साहब, मूर्ति फलां के पास है, मूर्ति बरामद हो सकती है। यह कपूरा वाले के पास मूर्ति है। मैंने कहा कि भैया आप ऐसा करो, एस.पी. साहब को बुला लो और यह मूर्ति उनको वापस लौटा दो। सभापति महोदय, मेरे कहने पर सलेमपुर के मौजिज लोगों ने एस.पी. को यह विश्वास दिलाया कि हम आपको मूर्ति दे रहे हैं। एस.पी. ने सौदेबाजी की। उन्होंने कहा कि मूर्ति दे दो, 411 का अपराधी नहीं बनाऊंगा। मैं जिन्सी को और यह मूर्ति फिरंगी के कुए में जाकर रस्सी से लटका कर बांध दो।

श्री सभापति : अब कहां पर वह मूर्ति ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : मूर्ति तो पुलिस के पास आ गई, गांव वालों ने दे दी।

श्री सभापति : पुलिस के पास है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पुलिस के पास है, गांव वालों ने दे दी। मूर्ति गांव वालों ने दे दी। किरोड़ी लालजी, मूर्ति बरामद करवाने में हरिसिंह के सद्प्रयास रहे हैं। हरिसिंह की मूर्ति चोरी में कोई भागीदारी में न कोई चोर मैंने कभी कोई मोटर

(श्री हरिसिंह)

साइकिल चोरों को नहीं, पनपाया, किरोड़ी लालजी।

डा. किरोड़ी लाल : आपने पनपाया है। मेरे गांव के लोगों को आपने छुड़वाया है जो चोर थे। जीपों के चोर थे, मोटर साइकिलों के चोर थे। सारे चोर आपके पास जाते हैं, आप उनको छुड़वाते हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं बोला नहीं, आप बोलते रहे। आप कहने की जब क्षमता रखते हैं तो सुनने की क्षमता भी रखिए। सभापति महोदय, अब मैं आपको एक बात कह दूं कि एस.पी. को मेरे से क्या नाराजगी है। सभापति महोदय, करौली का एस.पी. मेरे से खुन्नस खाए हुए बैठा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कब से?

श्री हरिसिंह (महुवा) : जब से मैंने हंसराम की फाइल उठवाने की कोशिश की। जब से मैंने हंसराम की फाइल सी.आई.डी. को देने की कोशिश की, उस मिति से मेरे से खुन्नस खाए बैठा था। सभापति महोदय, उसके बाद में मैंने मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिखा इस एस.पी. के खिलाफ। यह पत्र है 15 जुलाई, 2000 का। सभापति महोदय, मैंने अपने पत्र में यह इंगित किया था कि जनक सिंह नाम का डकैत, गुर्जर का बेटा, यह खुंडरी गांव का रहने वाला है। इसका खुंडरी गांव जो मांसलपुर थाने में है, गांव वालों ने इसको पकड़ कर, पकड़ कर, मैं बता रहा हूं, यह तथ्य है, उसको पकड़ कर एस.पी. को सुपुर्द कर दिया 1.7.2000 को। यह जनक सिंह पुलिस की क्रस्टडी में था। एस.पी. ने करौली-दौसा संस्करण में एक इश्तिहार निकाला कि इस डकैत को जो पकड़वाएगा, मदद करेगा, एक हजार रुपए का इनाम है। जबकि वह उसकी कस्टडी में बैठा था। एक झूठी मुठभेड़ दिखाई गई, नाटक बनाया गया और उसकी गिरफ्तारी मासलपुर थाने के अन्तर्गत दिखाई गई।

सभापति महोदय, यही नहीं, एक दूसरा जगदीश नाम का डकैत, मैंने हंसरामजी से कहा कि हर गुर्जर चोर नहीं है, हर गुर्जर डकैत नहीं है, हंसरामजी। करौली, मैंने सालिगरामजी से बात की। करौली तहसील, नादौती तहसील, हिण्डौन तहसील, टोडाभीम तहसील, महुवा तहसील, ये वे तहसीलें हैं कि यहां गुर्जर, कोई ऐसा घर नहीं है, सभापति महोदय, आपके जिले की तरह, जहां एक घर से दो और, तीन बेटे आर्मी में देश की रक्षा नहीं कर रहे हों। गुर्जर चोर नहीं हैं, देश की हिफाजत करने वाले रक्षक हैं। एक-एक घर में से, मेरी तीन पीढ़ी आर्मी में रही हैं, और देश की रक्षा करती रही हैं। मेरा बाप भी फौज में था। सभापति महोदय, अगर किसी प्रकार का जातिगत आधार पर कोई कलंक लगता है, एक समाज का बेटा होने के नाते मैं भी यह चाहता हूं कि हमारे समाज में अगर कोई गलत तत्व हैं तो उनको पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाए, उनको सही लाइन पर लाया जाए। मैंने सालिगरामजी से

(श्री हरिसिंह)

अनुरोध किया कि इस जगदीश को आप पुलिस के हवाले करो। सालिगरामजी ने जगदीश नाम के डकैत को एस.पी. करौली को, एडीशनल एस.पी. को सुपुर्द कर दिया। सभापति महोदय, 15 दिन उनकी कस्टडी में रहा उससे पहले मैं मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी लिख चुका था कि अब फिर नाटक होगा। यह फिर इश्तिहार निकालेगा फिर मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी लिख चुका था कि अब फिर उससे पहले मैं इनाम घोषित करेगा। डकैत इसके कब्जे में बैठा हुआ है। समझाइश से आया है, सालिगरामजी की समझाइश से आया है, यह मैंने कहा। वह नाटक फिर हुआ, फिर दोहराया गया और उसी प्रकार से वह झंझट पैदा हुआ।

सभापति महोदय, एक तीसरा और जगदीश जारेला का वह भी डकैत था। मण्डराइल थाने में उसको बंद कर दिया, मण्डराइल थाने में वह वांटेड था। सभापति महोदय, वह हाथ में नहीं आया तो उसके गांव से 10 मर्द और पांच औरतों को वहां थाने में बैठा दिया था। सभापति महोदय, मैंने पेशकश की कि निरपराधी लोग हैं, एक डकैत को पकड़वाने के लिए गांव के लोगों को क्यों सजा दी जाए? सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता जानते हैं, रामस्वरूप डकैत ने एक सुनार के लड़के का अपहरण किया था। आप मुख्य मंत्री थे, खण्डार के गुर्जरों को पुलिस ने 45 आदमी बैठा दिये थे, आठ गुर्जरियों को बैठा दिया था। मैं आपके पास भी गया था, निरपराधी आदमियों को छुड़वाइए आपने मेरी मानी थी और उनको छुड़वाया था।

सभापति महोदय, मैं कानून का विद्यार्थी हूं और कानून में यह पढ़ कर आया हूं, अगर एक निरपराधी को बचाने के लिए 10 गुनहगारों को छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए लेकिन निरपराधी नहीं फंसना चाहिए। यह कानून का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पर मैं अमल करता रहा हूं। निरपराधी को नहीं फंसने दें, इसी बात के लिए मैंने फाइल सी.आई.डी. को पहुंचाई थी। आदमी 25 नहीं हैं, 3 मूर्ति चोर हैं। मूर्ति बरामद हो चुकी हैं। सभापति महोदय, ये जैसा आरोप लगा रहे हैं, तीन महीने मूर्ति अगर मेरी कस्टडी में रहती तो मैं उसका सौदा नहीं कर लेता। अगर मेरा सौदागर होता तो पुलिस की मदद नहीं कर देता। सभापति महोदय, मेरी आतंरिक इच्छा यह रही है कि मेरी जाति के बेटों पर जो कलंक लगा हुआ है, वे सही रास्ते पर आएं। समाज की मूल धारा में चलें, राष्ट्रीय धारा में सम्मिलित हों, उनको अपराधी नहीं बनाना चाहता। अपराधी बनाने का अगर कोई काम करता है तो वह किरोड़ी लाल करता है, हरिसिंह नहीं करता।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि आपके गांव में डाक्टर साहब मर्डर हुआ, एक जाटव को आपके गांव में आपके कुटुम्ब के एक आदमी ने मार दिया।

डा. किरोड़ी लाल : कोई मर्डर नहीं हुआ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मर्डर हुआ। आपने उसमें राजीनामा करवाया और एफ.आर. लगवाई। यह काम मेरा नहीं है। अगर नहीं हुआ तो ईमानदारी से कह दो।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वह हत्या करने वाला फिर गंगाजी क्यों नहवाया अगर नहीं था तो। आपने 70 हजार रुपए उस जाटव को मुआवजे के तय किये। (व्यवधान) आप बिराजिये, आप बिराजिये। आप पीछे जवाब दे देना, आप बिराजिये।

70 हजार रुपए मुआवजे के तय करवाए थे, 35 हजार रुपए उस जाटव को मिल गये और 35 हजार रुपए आज तक डाक्टर साहब, आपकी जेब में हैं। मैं यह आरोप लगा रहा हूं। आपने उसको नहीं दिये।

सभापति महोदय, बड़ागांव, मेरे गांव से बिलकुल सटा हुआ है। उसके पास में ही है जलालपुर। जलालपुर का एक लड़का भगवान सिंह। सभापति महोदय भगवान सिंह। सभापति महोदय, भगवान सिंह मेरा रिश्तेदार। बड़े गांव से मांगकर जीप ले गया बड़ेगांव में उसकी ननिहाल थी, अपने मामा की जीप मांग कर ले गया और उसमें शराब के पाउच रख कर लाया। सलेमपुर की पुलिस ने 413 पाउच बरामद किये। वे मेरे पास आये, बचाओ। आप अपराधी हो, शराब की तस्करी करते हो, उसमें लिप्त हो, मैं नहीं बचाऊंगा। मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज हुए। डा. साहब, वे जयपुर आपके पास आये, आप एस.पी. के पास गये, आपने फाइल तलब करायी और दौसा एस.पी. से आपने यह नोट करवाया कि भगवान सिंह को केस से निकाल दीजिए, केस सिर्फ एक ड्राइवर के पीछे बनाया जाए। यह आपका काम है, मेरा काम नहीं। सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं....

श्री मदन दिलावर : कौन-कौन चोर है, पूरा पता है आपको। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : जगजाहिर है, सभापति महोदय। सिकराय तहसील के घूंमना गांव के तहसीलदार की हत्या हुई और, सभापति महोदय, हत्या करने वाला कौन था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता।

श्री सभापति : आपका स्पष्टीकरण पूरा हो गया, चीफ व्हिप साहब।

डा. किरोड़ी लाल : कब हुई हत्या। हत्या कब हुई?

श्री हरिसिंह (महुवा) : हुड़ला का सरपंच....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हत्या कब हुई।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वह कभी भी हुई हो।

डा. किरोड़ी लाल : कब हुई हत्या।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हत्या हुई।

डा. किरोड़ी लाल : हत्यारा गिरफ्तार हुआ। (व्यवधान) उसमें डी.एस.पी. ....(व्यवधान) का हाथ था।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उसमें 14 साल की सजा हो गई। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हत्यारा कौन था।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके घर बैठा हुआ है हत्यारा, गिरफ्तार नहीं, हुआ। 14 साल की सजा हो गई और हत्यारे को छुपाए बैठे हो।

डा. किरोड़ी लाल : + + +(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके घर पर कत्ल हुआ है, यह मेरा आरोप है। आज भी आपके घर पर हत्यारा बैठा हुआ है 14 साल की सजा हो गई। (व्यवधान) फरार है यह। हरिसिंह कभी अपराधियों को नहीं बचाता, हरिसिंह मोटर साइकिलों की चोरी नहीं करवाता, हरिसिंह जीपों की चोरी नहीं करवाता। हरिसिंह गुर्जरों के लड़कों को सही लाइन पर लाता है, रोजगार मिलता है तो रोजगार दिलाता है। हरिसिंह ने आपकी तरह मीणाओं के पढ़े लिखे लड़कों को मोटर साइकिल चोर नहीं बनाया। जीप चोर नही बनाया, मैं समाज से मिला हुआ आदमी हूं। जितनी की है गद्दारी समाज से, आपने की है।(व्यवधान)।

सभापति महोदय, मेरे पर जो आरोप लगाये हैं वे बेबुनियाद हैं, तथ्यहीन हैं। मैं निवेदन करता हूं प्रतिपक्ष के नेता को, जो आरोप लगाये हैं उन आरोपों की प्रति इनको दे दीजिए और इनको आसन की तरफ से मैं अनुरोध कर रहा हूं, मेरे पूरे तथ्यों की ये जानकारी ले लें, अगर लेशमात्र मैं इस मूर्ति चोरी में कहीं पाया जाऊं, सभापति महोदय, मैं ईमानदारी से कहता हूं, ईश्वर को हाजिर-नाजिर करके कि मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे जाऊंगा। धन्यवाद, जयहिन्द।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय....

श्री सभापति : माननीय डा. रामप्रताप।

डा. किरोड़ी लाल : मैं कुछ क्लीयर करना चाहूं, क्योंकि मेरे पर आरोप लगाये हैं।

श्री सभापति : आपका क्या है।

डा. किरोड़ी लाल : मेरे पर आरोप हैं। (व्यवधान) यह क्या बात है?

श्री संयम लोढ़ा : + + + (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, इनको रोको। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : चोरों के हिमायती हैं ये। (व्यवधान) इनको रोको।

श्री संयम लोढ़ा : बिना मतलब की बात कहकर क्यों समय खराब कर रहे हो? (व्यवधान) यह कोई पुलिस की डिमाण्ड पर चर्चा हो रही है क्या?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को बोलने दिजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय किरोड़ी लालजी। (व्यवधान)

डा किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : आपने बहुत कह दिया, अब क्या कहेंगे?

श्री किरोड़ी लाल : मैं यह बात कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : बहुत कह दिया आपने।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय मुख्य सचेतक जो बोल रहे थे....(व्यवधान)

श्री सभापति : आपने बहुत कह दिया।

डा. किरोड़ी लाल : मुझे आरोपित किया है, इसलिये मैं बोलूंगा।

श्री सभापति : आपने उनका ले दिया और उन्होंने आपका ले दिया। बराबर हो गया। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं नहीं कह रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल : मेरे पास प्रमाण है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पूरे क्षेत्र की जनता कह रही है। पूरा मीणा समाज कर रहा है (व्यवधान) मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। बच्चा-बच्चा जानता है। (व्यवधान) मैं प्रमाण के आधार पर कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि बहस का स्तर गिराए नहीं आपस में आरोप-प्रत्यारोप लगाकर। आपने उन पर आरोप लगाये, उन्होंने उत्तर दे दिया। अब क्या है? (व्यवधान) अब आप बहस के स्तर को गिराएं नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, सभापति महोदय, मैं बात का उत्तर तो दूं?

श्री सभापति : चार्जेज आपने लगाये, उन्होंने उत्तर दे दिया।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, बहस के स्तर को नहीं गिरा रहा। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री सभापति : गिरा रहे हैं। अब आप आपस में उलझ रहे हैं। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन लगाये हैं आपने।

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय सभापतिजी, यह बहस एप्रोप्रिएशन बिल पर हो रही है और पता नहीं बहस को कहां लिये जा रहे हैं। आखिर यह सदन का समय है, इसको वेस्ट नहीं किया जाए। (व्यवधान) विचारार्थ जो हमारे सामने मसले हैं उन पर विचार किया जाए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, आरोप लगाये, इन्होंने जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाये, अब इनको जवाब देने दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : क्या जवाब दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सारे डकैतों और चोरों का, करौली का, सबका आपको पता है। (व्यवधान) आपको सबके खाते पता हैं। तो आप बोलने दीजिए इनको।

श्री धर्मपाल चौधरी : अब एक-एक लिस्ट गिना दी इन्होंने सारे सरगनाओं की। (व्यवधान)

श्री सभापति : आदरणीय किरोड़ी लालजी.... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, एक बात तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जो बात मैंने कही....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, अब क्या कहना चाहेंगे ?

डा. किरोड़ी लाल : उन सारी की सारी बातों को मुख्य सचेतकजी ने स्वीकार किया। इससे तो आप मान ही जाते हो कि जब सब बातों को माननीय मुख्य सचेतकजी ने स्वीकार किया है तो यह निश्चित रूप से उन अपराधियों से मिले हुए हैं। मैंने कभी यह बात नहीं कही कि गुर्जर जाति के लोग अपराधी हैं। मैंने यह नाम यहां भाषण में नहीं लिया। मैंने यह कहा, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मैं यह सवाल करना चाहता हूं, जब वहां की पुलिस सक्रिय थी, वहां कि पुलिस मूर्ति के नजदीक पहुंच गयी थी, बौंली मूर्ति को बरामद करने की स्थिति में पहुंच गयी थी तो ऐसे समय पर जब मूर्ति बरामद हो रही थी तो फाइल को सी.आई.डी. में कैसे हटवाया, एक सवाल ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, इसका कोई अंत है क्यों ?

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, जो इन्होंने बात कही है किसी मर्डर केस.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : ये जांच कर लेंगे। मैंने प्रतिपक्ष के नेता को कह दिया.... (व्यवधान) मैंने कह दिया जांच कर लेंगे। इस्तीफा देने को तैयार हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम अहारी : जांच के लिए कह दिया, इसके बाद क्या बचता है ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज, बिराजिए आप। (व्यवधान) एक मिनट, बिराजिए। देखिए, माननीय सभासदों, आपने नोटिस दिया.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ऐसा बरताव करें और माननीय सभासदों।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कुछ नियमों का खयाल रखें। आवश्यक नहीं कि हर बात में आप खड़े हो जायें। नियमानुसार आपने आरोप लगाया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सीकर में भी पागलखाना खुलवा देते हैं।

श्री सभापति : नियमानुसार आपने आरोप लगाया। नियमानुसार माननीय चीफ व्हिप ने उत्तर दिया। बहस काफी हो गई। देखिए, इसमें नियम 273 का आपने उपयोग किया है। नियम 273 के अंत में

(श्री सभापति)

"परंतु अध्यक्ष किसी भी समय, किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिसिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सदन की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई हित सिद्ध नहीं होता। यह जो आपस में आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं इसमें कोई हित सिद्ध नहीं होता है और सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मैं आपकी बहस को यहीं समाप्त करता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, सभापति महोदय, बहस को समाप्त न करें। (व्यवधान) मेरे पास प्रमाण हैं। मैं प्रमाण पेश करूंगा।

श्री सभापति : नहीं, नहीं काहे के प्रमाण हैं।

श्री किरोड़ी लाल : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रमाण पेश करूंगा।

श्री सभापति : बिराजिए आप। बिराजिए आप।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरे पास प्रमाण हैं। (व्यवधान) मेरे पास कैसेट है, अपराधियों को सरक्षण देने का कैसेट है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इनको जवाब देने दो। क्यों नहीं देंगे जवाब? उन्होंने जो आरोप लगाये हैं जवाब क्यों नहीं देंगे? (व्यवधान) इन्होंने आरोप लगाये हैं, स्पष्टीकरण तो दे ही सकते हैं। क्यों नहीं देंगे?

श्री राजेन्द्र पारीक : यहां कोई सदन में पेश करने की चीज है क्या। (व्यवधान) प्रस्तुत करने दो प्रमाणों को।

श्री सभापति : आप, राजेन्द्र सिंहजी, क्या कहना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं सभापति महोदय.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजो। बोलिये आप, क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, अभी माननीय किरोड़ी लालजी मीणा ने अपनी बात कही, मुख्य सचेतक साहब ने उसके जवाब में कुछ बात कही, मुख्य सचेतक साहब ने उसके जवाब में कुछ बात कही। उन्होंने अपनी बात कहते-कहते इन पर स्पेसिफिक चार्जेज लगाये। अब इन पर स्पेसिफिक चार्जेज लगा दिये तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इनको भी उन चार्जेज के खिलाफ अपना स्पष्टीकरण देने का मौका तो दें। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप यह बताइए। (व्यवधान) बिराजिए, बिराजिए। आप बिराजिए, किरोड़ी लालजी। आप राजेन्द्र सिंहजी, यह बताइए कि ये और चार्ज लगा देंगे, फिर वे समय मांगेंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : फिर लगाऊंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : इसमें क्या हित सिद्ध होगा? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मैं जो कह रहा हूं....(व्यवधान) मेरी बात सुनें।

श्री सभापति : मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य से बात कर रहा हूं, आप बिराजिए। आप पार्टी के चीफ व्हिप हैं। आपके नेता भी विराजे हुए हैं। नियमों के तहत 273 के नोटिस में इन्होंने आरोप लगा दिये, उत्तर दे दिया। अब और नयी बहस छेड़ रहे हैं। मैंने आपको नियम पढ़कर सुना दिया। इसमें कोई हित सिद्ध नहीं हो रहा है। कोई ऐसी स्थिति हो....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। हम आरोप-प्रत्यारोप के दौर को प्रारम्भ नहीं करना चाहते, पर इन्होंने नोटिस देकर सदन के सामने कुछ तथ्यों को रखा है। अब अपना स्पष्टीकरण देते-देते माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने यहां तक इन पर आरोप लगा दिया कि ये चोरी करवाते हैं, चीप चोरी करवाते हैं, मर्डर कराते हैं, मोटर साइकिल चोरी कराते हैं। तो मैं समझता हूं.... (व्यवधान) मैं समझता हूं एक बार इनको अपनी बात कह लेने दीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : यह है एक प्रमाण। (व्यवधान) आपके प्रमाण का पुलिंदा यह रहा। आप तो गिरफ्तार होने चाहिए। (व्यवधान) हथकड़ी लगेगी, कोई नहीं बचा सकता। (व्यवधान) अपराधी हैं ये। (व्यवधान) गिरफ्तार करना चाहिए इनको। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं पूरी ईमानदारी से जीवन जी रहा हूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : डकैतों का, हत्यारों का आपको पता है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं आज भी छप्पर के घर में रहता हूं। (व्यवधान) ईमानदारी से जीवन जी रहा हूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : डकैतों के सरदार हैं ये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, इनको दो मिनट बोलने का मौका दे दो। बात खतम हो गई। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : दोषियों को गिरफ्तार करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो मिनट बोलने का मौका दें।

श्री सभापति : दो के बजाय मैं 5 दूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक बार व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री सभापति : आप भी इनको प्रतिबंधित कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, ठीक है।

श्री सभापति : कि यह काउंटर एलीगेशन अब नहीं लगाएंगे, नये एलीगेशन नहीं लगाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है, सभापति महोदय, यह अपना स्पष्टीकरण देंगे।

श्री सभापति : जब यह लगाएंगे तो फिर यह लगाएंगे और इसका कोई अन्त नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये काउंटर एलीगेशन नहीं लगाएंगे। सभापति महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चम्बल के धौलपुर के बीहड़ों के डकैतों की पूरी लिस्ट है माननीय महुवा के पास। वह लिस्ट कहां से आई? (व्यवधान) हमको पता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। जब आसन ने यह व्यवस्था दे दी कि माननीय किरोड़ी लालजी ने जो कुछ भी कहा उसके उत्तर में माननीय महुवा साहब ने जो कुछ भी कह दिया और उसकी आसन ने अपने नियमों का हवाला देते हुए यह सुनिश्चित कर दिया कि इस तरह की सारहीन बातों पर दुबारा सदन में चर्चा नहीं की जाए। आसन अपनी व्यवस्था को बदलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन ने पुनः व्यवस्था दे दी, आसन अपनी व्यवस्था कभी नहीं बदल सकता।

श्री राजेन्द्र पारीक : सदन में एक बार व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन अपनी व्यवस्था कभी नहीं बदल सकता।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आसन को चैलेंज नही कर सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने जो यह बात कही है उससे मेरी सहमति है, लेकिन मुझे आप लोगों की राय से, आप लोगों के सहयोग से सदन को चलाना है, जब तक कि यह मेरे पास है। इसलिए मैंने यह उचित समझा है कि दो मिनट उन्होंने मांगे हैं कि वह अपना स्पष्टीकरण देंगे और कोई काउंटर एलीगेशन नहीं लगाएंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : वह तो, माननीय सभापति महोदय, यह सुनिश्चित करें कि वह उस तरह के कोई भी आरोप-प्रत्यारोप यहां पर नहीं लगाएंगे। यदि इस तरह के आरोप लगाएं तो यह रिकार्ड नहीं किया जाए। कृपया आप सुनिश्चित करें इस बात को।

श्री सभापति : ऐसे आरोप लगाएंगे तो मैं उनको निकाल दूंगा प्रोसीडिंग से।

श्री राजेन्द्र पारीक : ठीक है।

श्री सभापति : आपके ऊपर कोई ऐसे आरोप नहीं लगाये हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, मेरे पास यह फाइल है, 18 एफ.आई.आर. हैं, मैं एक-एक को पढ़कर सुनाऊंगा, आप उस ढंग से यह रीओपन नहीं करें।

श्री सभापति : यह कमिटेड है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं पढ़कर सुनाऊंगा फिर।

श्री सभापति : यह कमिटेड है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि यह फाइल लेकर आये हैं और फाइल में वे मुकदमे हैं जो मैंने गरीबों की लड़ाई लड़ी। पुलिस ने गोली चलाई है, पुलिस ने लाठियां चलाई हैं, बहन-बेटियों की इज्जत लूटी है, मैंने सीमेंट फैक्ट्री का आन्दोलन चलाया है, मजदूर और किसान के लिए आन्दोलन चलाने के अगर मुकदमा लग गये तो मैं अपराधी नहीं हूं। मैं एम.एल.ए. था, जनता के हित के लिए जो भी आन्दोलन की जरूरत पड़ी, कहीं महिला का उत्पीड़न हुआ, किसी गरीब का हुआ, किसी किसान का हुआ, किसी मजदूर का हुआ तो एड़ी से चोटी तक, सभापति महोदय, मेरा कोई ऐसा शरीर नहीं है जहां पर पुलिस ने लाठियां नहीं मारी हों। मैंने जनहित में लाठियां खाई हैं और मुकदमे लगाये हैं। चोरी और अपराध में किसी प्रकार का एक भी मुकदमा अगर मुख्य सचेतकजी प्रमाणित कर दें तो भी एम.एल.ए. का पद छोड़कर चला जाऊंगा। किसी प्रकार की चोरी नहीं की।

सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, इन्होंने एक हवाला दिया था मर्डर केस का। मर्डर केस का हवाला दिया वह मर्डर केस हमारे राज में हुआ। वह बी.एस.पी. का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। आज भी बी.एस.पी. का कार्यकर्ता है और उसे गिरफ्तार किया, 302 में चलान हुआ, कोर्ट ने उसकी सजा बोल दी। तब मैं उसमें आड़े कहां आ रहा हूं? कोर्ट ने सजा बोल दी तो पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया कि एक हत्या का मुकदमा मेरे गांव में हुआ। हत्या का मुकदमा मेरे गांव में हुआ तो राज तो आपका है, आप गिरफ्तार करवा देते। उस हत्या के मामले में किसी प्रकार की कोई पहल नहीं हुई हरिसिंहजी, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे सार्वजनिक जीवन में अगर एक भी पैसे का आप लांछन लगा दो तो मैं राजनीति से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। मैं किसी प्रकार के अपराध में नहीं हूं। सभापति महोदय, मेरे गांव में चोर पकड़े गये....

श्री सभापति : धन्यवाद।

डा. किरोड़ी लाल : मोटर साइकिल के चोर पकड़े गये, जीप के चोर पकड़े गये। जब मैंने पुलिस एस.पी. दासा को कहा कि इनको गिरफ्तार करो तब ये एस.पी. के पास वहां पर जा धमके, इनका बेटा थाना टोडाभीम में जा धमाका और उन सब अपराधियों को छुड़ा लाया। सभापति महोदय, मैं इन अपराध में कहीं नहीं हूं, मैं तो एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं तो एक बात आपसे कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : जो मासलपुर में अपराधी गिरफ्तार किया है नवल सिंह उर्फ नब्बा मूर्ति के मामले में गिरफ्तार है उसका टेप रिकार्ड है ये, यह टेप रेकार्ड मैं सदन में रखना चाहूंगा आपकी इजाजत से। इसलिए रखना चाहूंगा कि टेप में पूरे प्रमाण हैं कि हरिसिंह ने अपराधियों को बचाया है, उसने मूर्तियों को बरामद नहीं होने दिया। दूसरी चीज की मांग और करूंगा। सभापति महोदय, वह मांग यह है कि उस फाइल में पुलिस ने यह लिखा है कि हरिसिंह इस मामले में इंवाल्व है इसलिए दो करोड़ की मूर्ति बरामद नहीं हो सकती। उस फाइल को गृह मंत्रीजी, यहां पर मंगवाओ, उस फाइल को पढ़ो। उस फाइल में प्रमाणित हुआ है कि ये अपराधी हैं और....

श्री सभापति : बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : इस टेप रिकार्ड में यह प्रमाणित हुआ है कि हरि सिंहजी की सहायता से दो करोड़ की चोरी हुई है और इसमें पूरे प्रमाण हैं। (व्यवधान) अपराधियों के प्रमाण हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : सदन के पटल पर नहीं रखी जाए। (व्यवधान) नहीं रखी जाएगी। (व्यवधान) बिराजिये, डा. रामप्रताप। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, मैं दो मिनट लूंगा। अभी विधान सभा में इस प्रकार का प्रकरण आया है जिसमें मूर्ति चोरी के मामले के प्रसंग में कुछ बातें कहीं गयी हैं। माननीय सदस्य हरिसिंहजी ने जो बात कहीं और किरोड़ी लालजी ने जो बात कहीं, जहां तक मूर्ति प्रकरण का सम्बन्ध है ज्यादा विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास इस सैंस में नहीं है कि मूर्ति चोरी हुई।

श्री सभापति : बरामद हो गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किन अपराधियों के पास मूर्ति पकड़ी गयी, मुकदमे को ट्रांसफर कराया, मुकदमा वापस ले गये, ये सब कुछ बातें, यही आरोप थे और ये आरोप क़रीब-करीब उन्होंने स्वीकार किये। लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर भी काफी लांछन लगाये। मैं यह चाहूंगा, गृह मंत्रीजी, इस प्रकार के मामले में या इस प्रकार के गम्भीर विषय पर केवल विधान सभा में चर्चा हो जाए, उससे किसी को संतोष नहीं होगा, लेकिन यह गलत मैसेज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाएगा। जहां पुलिस भी दोषी हो, अन्य लोग भी दोषी हों, उस मामले की तफतीश सी.बी.आई. से कराइये। यह मूर्तियों का प्रकरण आज का नहीं है, बीसों वर्षों से चल रहा है। एक-दो बार पहले भी मूर्तियां बरामद हुई थीं, लगातार वहां से चोरी हो रही उन मूर्तियों को रोकने की व्यवस्था कैसे हो और साथ ही इस सारे मामले की जांच अगर आप सी.बी.आई. से करा लें तो असलियत अपने आप सामने आ जायेगी। सी.बी.आई. से नहीं कराते हैं तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि यह मैसेज गलत जाएगा। एस.पी. के खिलाफ भी शिकायत है कि इस तरह से व्यवहार किया, यह किया, यह नहीं किया। लड़कियों को नंगी पकड़ कर लाये, सब कुछ किया। एक अपराधी को पकड़कर उसको थाने में रखा और बाद में उसको गिरफ्तार दिखाया। ये सब इस तरह की चीजें हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जिस चीज के बारे में सी.बी.आई. से जांच कराने की आवश्यकता नहीं हो। यदि आप वास्वत में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कराना चाहते हैं तो आप मैं समझता हूं कोई संकोच नहीं करेंगे इस मामले की सी.बी.आई. से जांच करवाने में। मैं हरिसिंहजी का इस बात के लिए एहसानमंद हूं कि उन्होंने कहा कि मैं जांच करूंगा, लेकिन यह इतना काम्प्लीकेटेड मैटर है कि मेरे से कोई जांच होगी उसका मैसेज वह नहीं जाएगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : एक सैकण्ड, मैं आपको, नेता महोदय, याद दिलाना चाह रहा हूं....

श्री सभापति : चीफ व्हिप साहब, इनको समाप्त कर लेने दो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, मैं कोई बीच में नहीं बोलूंगा, वह कह देंगे।

श्री सभापति : बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, प्लीज़।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे ज्यादा लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना, मैं गृह मंत्रीजी पर इस बात को छोड़ता हूं, गृह मंत्रीजी आप यह मानकर चलिये कि विधान सभा में इस प्रकार की चर्चा हुई है, इस चर्चा का कोई न कोई अन्त होना चाहिए। अन्त केवल भाषण देने की सीमा का नहीं होना चाहिए, इस सारे मामले के परिणाम क्या हैं उसका अन्त होना चाहिए और अन्त करने की व्यवस्था एक ही है कि इस मामले को बिना संकोच के आप सी.बी.आई. को दे दें। आपका भी नाम आया, ये कह रहे थे गृह मंत्रीजी से मिला, मुख्य मंत्रीजी से मिला। यह भी कह रहे थे कि उन्होंने केस ट्रांसफर किया, यह किया। हरिसिंहजी अगर एक बात कह दें तो बहुत स्पष्टीकरण हो जाए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : मेरा ही नहीं, आपका भी आया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मेरा नाम आया है, मेरा नाम आपकी तरह से नहीं आया है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जिस तरह से मेरा आया उसी रूप में आपका भी आया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह सी.आई.डी. क्यों बनी हुई है ? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह सी.आई.डी. ट्रांसफर की बात तो आपके साथ भी जुड़ी हुई है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : जब लोकल पुलिस से लोग संतुष्ट नहीं होते तो सी.आई.डी. को जांच आप भी देते रहे हैं 8 साल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, दी है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यहां भी देते रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं एक मिनट में खतम कर रहा हूं। आपकी जिस तरह की इस मूर्ति के बारे में जानकारी है और जो आपने बताया है और मैं भरोसा कर लूं कि आपने जो जानकारी दी है वह सही है तो वह जानकारी आपने पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन को लिखकर दी है क्या ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : किसको ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कहां ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जो आज आपने बताया है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह तो साफ हो गया है, सी.आई.डी. से जांच करा ली और जांच में मुल्जिम चिन्हित हो गये तो जरूरत कहां पड़ी देने की ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, मेरी सुन लीजिए, एक मिनट। आपने कहारों की बस्ती से लेकर कौन है, क्या नहीं है, किस तरह से मूर्तियां चोरी होती हैं, किस तरह से बिकती हैं और इस प्रकरण में किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, आप तो एक जानकारी कर दीजिए,

फिर बाद में मैं नहीं बोलूंगा कि आपने यह सारी जानकारी लिखित रूप से पुलिस को दी है क्या ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : पुलिस ने मुझे दी है, सी.आई.डी. वालों ने कि यह पूरा घटना क्रम इस ढंग से हुआ है। मेरी बात ही....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो पुलिस को नहीं दी न ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं दी। मैंने सिर्फ यह कहा है, जो मैं पूरी बात स्पष्ट कर चुका हूं कि मूर्ति चोरी एक प्रकरण और 25 आदमियों के खिलाफ बनाया गया वह दूसरा प्रकरण है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सब सही है। मैं तो केवल दूसरे प्रकरण की....

श्री हरिसिंह (महुवा) : मुझे सिर्फ एक निवेदन करना है। मैं सिर्फ आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं कि रामस्वरूप डकैत ने एक सुनार के लड़के को पकड़ा, आप चीफ मिनिस्टर थे, मैं आपके पास हाजिर हुआ। आपने मेरे से कहा कि, हरिसिंहजी, यह डकैत गुर्जर है, आप इससे मिलो और समझाइश से यह लड़का छुड़वा दो। मैं चला जाता वहां, अपराधी हो जाता मैंने जब भी किया है, जो भी किया है, समझाइश के लिए किया है। इस प्रकार के भ्रामक तथ्य यहां जो पेश किये गये हैं इससे निश्चित रूप से मेरी प्रतिष्ठा, मेरी गरिमा, मेरी इंटग्रिटी, सब को चोट पहुंची है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, एक मिनट....

श्री सभापति : इस बहस को नेता महोदय ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, आपने अच्छा कन्क्लूजन दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो मिनट ठहर जाइयें, मैं बैठ रहा हूं। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर कोई आंच आए, इस पक्ष में नही हूं। आप पर कोई अप्रमाणित आरोप लगाये जाएं, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। आपने जवाब में किरोड़ी लालजी पर आरोप लगा दिये, वे छोड़ दीजिये, इन्होंने अपनी सफाई दे दी। लेकिन मैं एक बात का जवाब चाहता हूं कि सारे प्रकरण में आपने इन्होंने जो आरोप लगाये, लगभग सब स्वीकार किये हैं। दूसरी लैंग्वेज में स्वीकार किये हैं, दूसरे आधार पर स्वीकार किये हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैंने फैक्ट्स स्वीकार किये हैं। फैक्ट्स स्वीकार किये है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही फैक्ट्स की बात मैं कह रहा हूं। आपने ये फैक्ट्स गृह मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी और डी.जी. को बताये हैं क्या? लिखकर दिये हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कहां?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन तीनों को।

श्री हरिसिंह (महुवा) : डी.जी. के पास तो चली गई न फाइल। उनकी एप्लीकेशन आई हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फाइल चली गई।

श्री हरिसिंह (महुवा) : जो लोग आरोपित थे उनकी एप्लीकेशंस आई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लो आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेरा निवेदन सुन लो। जो आरोप आये उनकी जांच के लिए उनकी एप्लीकेशंस आई। उनकी एप्लीकेशंस लेकर मैंने, अब इन्होंने नमोनारायणजी को आरोपित कर दिया कि मैं नमोनारायण जी से मिला अपराधियों को लेकर। कभी नहीं मिला। अब इनका कोई अर्थ है इन बातों का....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इसीलिए कह रहा हूं। हरिसिंहजी, आप नाराज नहीं हो, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस मामले की जड़ से लेकर....

श्री हरिसिंह (महुवा) : सब से बढ़िया बात यह है कि आप परेशान न हों, यह

(श्री हरिसिंह)

जांच आप ले लें। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आप यह जांच ले लें। आप पर भरोसा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप काहे को तो सी.आई.डी. और सी.बी.आई. को मेरे सबसे बड़े डी.जी. सी.बी.आई. के, सब कुछ आप हैं। आप ले लें, जांच कर लें और मेरा इस्तीफा एडवांस में अपनी जेब में रख लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, कोई एडवांस में रखना नहीं है। सभापति महोदय, मेरा यह दुर्भाग्य है कि तीन वर्षों में....

श्री सभापति : आपका तो सौभाग्य है, वह विश्वास कर रहे हैं। दुर्भाग्य नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दुर्भाग्य है। कई बार माननीय सदस्यों ने यह कहा है....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक आप पर विश्वास करके जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, आप घबरा क्यों रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं घबरा नहीं रहा हूं। मेरी सुन लीजिये। यह माननीय सदस्यों का जो विश्वास है उस विश्वास को मैं जीवित रखना चाहता हूं। जिस तरह कल शिक्षा मंत्री....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यही भरोसा रखकर उन्होंने यह प्रस्ताव किया है। यही भरोसा रखकर उन्होंने कहा है कि आप राजनीति से ऊपर उठकर ठीक ढंग से प्रकरण को देखेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सही है, लेकिन आप जानते हैं कि वे कांग्रेस पार्टी के हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं। मैं अगर थोड़ा-सा भी इनके पक्ष में लिखूंगा या किरोड़ी लालजी के खिलाफ लिखूंगा और इनके विरोध में लिखूंगा और नहीं लिखूंगा तो यह निश्चित रूप से बात आयेगी कि इसमें पार्टी-बाजी आ गई। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मुझे भरोसा है। आप मेरे पक्ष में लिखो, भरोसा कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय नेता महोदय, निवेदन यह है कि आप इन दोनों को....(व्यवधान) ही बता देना चुपचाप ही।

श्री हरिसिंह (महुवा) : भरोसा कर रहा हूं और अपना राजनीति जीवन दाव पर लगा रहा हूं। आप पर भरोसा कर रहा हूं, मैं भरोसा कर रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : आप तो भरोसा कर रहे हो लेकिन ये फंस जाएंगे न। अगर आपके पक्ष में करते हैं तो बी.जे.पी. नाराज और आपके खिलाफ करते हैं तो आप नाराज। तो ये क्यों ऐसे टंटे में पड़ेंगे? और यही सी.बी.आई. आप छोड़ दीजिये श्रीमान्। आप अपनी पुलिस को इनकाम्पीटैंट समझते हैं आपने स्वयं ने फरमाया था, हमने एक बार 1997 में आपसे यह निवेदन किया कि यह मामला ऐसा है कि सी.बी.आई. को दे दीजिये, आपने श्रीमुख से फरमाया, क्यों अपनी पुलिस कोई इनकाम्पीटैंट है? क्या हमारे अधिकारी इतने अच्छे नहीं हैं? फिर उसी प्रकार से हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि वह की वह पुलिस हैं वे के वे अधिकारी हैं, जांच करवा लीजिये इनसे सी.बी.आई. को जाने दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। सभापति महोदय, माननीय खेतसिंहजी तो सोकर उठ कर आये हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि इस हाउस में क्या हुआ है। कोई मालूम ही नहीं कि हाउस में क्या हुआ है। अगर शायद हरिसिंहजी का भाषण ये सुन लेते तो इस प्रकार की बात नहीं आती। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैंने इनसे एक सीधा सवाल पूछा था, इस सारे मामले का क्रक्स इसमें है कि जो कुछ इनके पास में जानकारी थी, एम.एल.ए. के नाते धर्म था, चीफ व्हिप के नाते धर्म था, कानून के अंतर्गत धर्म था कि इस अपराध की जानकारी यह पुलिस को देते। इन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी या नहीं दी, एक छोटा-सा प्रश्न है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कह रहा हूं कि मैंने डी.जी. को कहा है। सी.आई.डी. के एडिशनल डी.जी. को कहा है। मैंने कहा है मूर्ति इनके पास है, मैंने कहा है आप चिन्हित करवाइये। अपराधियों में आपस में झगड़ा, आप चिन्हित करवाइये कि किसके पास है। सी.आई.डी. ने जांच कर ली, अपराधी चिन्हित हो गये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये। आपने डी.जी. को कहा तो उस समय कहा जब फाइल ट्रांसफर करवाने की बात आई थी। फाइल ट्रांसफर करवाने की जब बात आई तब आपने डी.जी. को लेकिन फाइल ट्रांसफर करने के पहले आपने डी.जी. को नहीं कहा, आपने गृह मंत्रीजी को नहीं कहा, आपने मुख्य मंत्रीजी को नहीं कहा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : क्यों कहूं? (व्यवधान) बिना तफतीश किये, पुलिस ने जांच किये मैं कैसे कर दूं? तफतीश में जो फैक्ट्स आएंगे वे हैं। मैं कैसे कहूं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। अब खेतसिंहजी, आपको बता दूं, इस मामले में एस.पी. के खिलाफ बहुत शिकायतें इस सदन में आई हैं। एस.पी. ने इन्वेस्टिगेशन की है, मामला सी.आई.डी. में भी गयी है, सी.आई.डी. से वापस वहां एस.पी. के पास पहुंचा है और एस.पी. के हाथ से वह बरामद हुई है इसलिए सारा मामला इतना पेचीदा है। इसमें 1-2 मैम्बर की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, आप यह मत समझे कि हरिसिंहजी और किरोड़ी लालजी की प्रतिष्ठा का सवाल है, यह पूरी विधान सभा की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यह मामला इतना गम्भीर है कि इस गम्भीर मामले में अगर गृह मंत्रीजी वास्तव में इनको निर्दोष साबित करना चाहते हैं और इनके साथ अन्याय नहीं करना चाहते हैं तो इस मामले को सी.बी.आई. को दे दें, सारा मामला अपने आप हो जाएगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : निर्दोष हूं। कोई किरोड़ी लालजी के कहने से अपराधी नहीं हूं, निर्दोष हूं मैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, यह तो दोषी हैं ही नहीं, मैं क्यों साबित कराने की कोशिश करूं कि निर्दोष हैं। कोई दोषी हो, किसी के खिलाफ कोई चार्जेज हों तो मैं जांच करा कर निर्दोष साबित करूं।

(17.37 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए आवश्यक है कि आप इनको दोषी नहीं मानते इसीलिए मामला सी.बी.आई. को देने की आवश्यकता है। यह है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जैसा कि अभी संसदीय कार्य मंत्रीजी ने आपसे निवेदन किया है, स्वयं आपके शब्दों को उन्होंने रिपीट किया है कि सी.बी.आई. में कोई विलायत से पुलिस नहीं आती। आपके शब्द को शायद सही ढंग से प्रस्तुत करूं तो आपने इसी हाउस में कहा था और यह विश्वास व्यक्त किया था कि राजस्थान पुलिस सी.बी.आई. से ज्यादा काम्पीटेंट है। आज के दिन फिर कहना चाहता हूं कि वही आफिसर जो सी.बी.आई. में काम करके 10 साल तक आया है, वह राजस्थान में है और हमारी पुलिस काम्पीटेंट है। इसलिए सी.बी.आई. को देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये करेंगे वही करेंगे क्या आप?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सी.बी.आई. का काम्पीटेंट है या नहीं लेकिन मैं यह बात....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हम तो इनसे अच्छा कर रहे हैं और अच्छा किया है। मूर्ति को बरामद किया है। अगर हरिसिंहजी का प्रभाव होता तो शायद मूर्ति बरामद नहीं होती। यह कहना बिलकुल निरर्थक है। इसमें मूर्ति बरामद कर ली गई है, कोई पक्ष की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। एक मिनट। यह विनियोग बिल पर बहस हो रही है कि होम डिपार्टमेंट की बहस हो रही है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : गृह विभाग की तो मांग ही नहीं है। गृह चल पड़ा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : .... व्यवस्था दे दी आसन से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप होम डिपार्टमेंट पर बहस कर रहे हो कि विनियोग बिल पर बहस कर रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एप्रोप्रिएशन बिल क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : एप्रोप्रिएशन बिल पर यह होम डिपार्टमेंट कहां से आ गया? कोई फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी हो तो.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : Approriation Bill relating to supplementary grants.

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : और सप्लीमेंटरी में होम की कोई डिमाण्ड ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल क्या....

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो पहले माननीय सदस्य बोले हैं, 6-7 और बोलने हैं। अगर ऐसे चलेगा तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समय लगेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : अब तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको पढ़ा हुआ मान लो और पीछा छुड़ाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, मैं हरिसिंहजी से बात नहीं करता, कि आप इस मामले की, गृह मंत्रीजी, इनके चक्कर में न पड़े....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं तो आपके चक्कर में भी नहीं हूं, इनके चक्कर में भी नही हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे चक्कर में तो पड़े हुए हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। मैं यह कह रहा हूं, इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में न हरिसिंहजी का पीछा छूटेगा, न किरोड़ी लालजी का पीछा छूटेगा इस मामले की जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक लोगों को किसी प्रकार का विश्वास नहीं होगा। अब आपने तो अपना विश्वास एक मिनट में ही खो दिया कि मैं इनको दोषी नहीं मानता। अब क्या पुलिस जांच कराएंगे? जब आप यहां हाउस में खुद खड़े होकर कह रहे हो कि ये दोषी नहीं हैं तो आप क्या जांच करोगे?....

आपने प्रमाण पत्र दे दिया, अब आपकी पुलिस आपके नीचे चाहे आई.जी. को लगाओ, चाहे डी.जी. को लगाओ वे क्या करेंगे? मैं अगर आज किरोड़ी लालजी को दे दूं कि यह बिलकुल सही है तो मैं क्या जांच करूंगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे मामले की जांच सी.बी.आई. से करा दें। आप डरते क्यों हैं? इसका एक लाभ होगा कि मूर्ति चोरी का प्रकरण मैं समझता हूं हरिसिंहजी भी. मेरा समर्थन देंगे, यह आज से नहीं चल रहा है, करोड़ों रुपयों की मूर्तियां यहां से चली गई। इन मूर्तियों के मामले के अन्दर हम सब लोगों ने ईमानदारी से कोशिश की है कि इस प्रकरण को रोका जाए। तिमनगढ़ में मूर्तियां किस तरह से निकालते हैं, मैंने तो अभी-अभी भारत सरकार से बात की है कि इसकी खुदाई करवाकर जितनी मूर्तियां एक बार निकाल लें, वह राजस्थान के म्यूजियम में रख दो। ये सारी बातें एक साथ आ जाएगी इसलिए आप इसमें संकोच नहीं करें। जैसे उन्होंने कहा है वह निर्दोष हैं, आपने दोनों को प्रमाण पत्र दे दिया। लेकिन जनता जिसने सुना है,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जो पढ़ेगा इसको, वह कभी भी विश्वास नहीं करेगा कि दोनों के साथ किसी प्रकार का न्याय हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखें। इस मामले को आप सी.बी.आई. को दे दीजिये। देने के बाद में आपको कोई डर नहीं। कोई डर नहीं। आपने कह दिया, प्रमाण पत्र दे दिया है, इनको तो कोई डर नहीं है। अब दोष है तो किरोड़ी लालजी का है। अब उस स्थिति में मैं तो अपने सदस्य के लिए कहता हूं वह भी आप सी.बी.आई. से जांच करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय नेता प्रतिपक्ष के मुख्य मंत्रित्व काल में डाक्टर किरोड़ी लाल पर किस तरह के कितने कितने मुकदमे बने हैं, अब हरिसिंहजी का नाम लेकर मीणा साहब आपको फंसाना चाह रहे हैं, आप तो इस चक्कर में पड़ो ही मत।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये। बिराजिये, बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : बलात्कार किया है, उनके मुकदमे हैं। मैंने बलात्कारियों से बचाया है एक महिला को।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर रामप्रताप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आप गलत परम्परा डाल रहे हो, गलत कर रहे हो।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2001

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड पर बोलने के लिए आपने मुझे इजाजत दी है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, आज भादरा से आने वाले माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में कृषि मंत्रीजी ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के भादरा क्षेत्र में 91 से 92 प्रतिशत नरमा और कपास की फसल तबाह हुई। उसमें कई सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद भी दिया कि सिंचाई शुल्क माफ कर दिया और यह भी कहा गया कि यह पहली बार हुआ है 50 साल में। उपाध्यक्ष महोदय, यह उन्होंने सही कहा है कि 50 साल में पहली दफा हुआ है, लेकिन शायद वे यह कहना भूल गये कि 50 साल में जैसे ये तीन साल गुजरे हैं शायद कभी नहीं गुजरे होंगे। 90 प्रतिशत का मतलब है 100 प्रतिशत फसल तबाह हो गई। इसके लिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पिछले साल पानी की कमी की वजह से राजस्थान सरकार सिंचाई विभाग ने एक आदेश निकाला, चीफ इंजीनियर (नोर्थ) हनुमानगढ़ को मैं दो-तीन लाइन पढ़ता हूं,

(श्री रामप्रताप)

"जलदाय विभाग की सिफारिश पर इन डिग्गियों को पानी दिया जाए परन्तु यह पानी अगर सिंचाई या अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। ऐसे ही पानी देने की सूचना जिला प्रशासन को भी दे दी जाए। यह व्यवस्था जुलाई तक के लिए होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 23 अप्रैल से लेकर जुलाई के अंत तक, साढ़े तीन महीने तक जहां नहरों से पानी पीने की डिग्गियों को मिला और उस बीच में अगर किसी किसान ने इस्तेमाल किया तो उसके खिलाफ एफ.आई.आर. लाज करवाई गई। साढ़े तीन महीने जब राज्य सरकार के सिंचाई विभाग ने एक बूंद पानी सिंचाई के लिए नहीं दिया तो आबियाना लेने का इनको कोई अधिकार नहीं है। केवल एक अकेले नरमा और कपास पर सिंचाई शुल्क माफ नहीं करना चाहिए, बल्कि जितनी भी जिंस बोई गई है उन सब पर इनको कोई हक नहीं है कि ये सिंचाई शुल्क ले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि खुद कृषि मंत्रीजी ने इस बात को माना है कि नरमा और कपास की फसल तबाह हो गई। कुछ दूसरे माननीय सदस्य भी कह रहे थे अलवर से और दूसरी जगहों से आने वालों ने भी बताया कि इस तरह से फसल तबाह हो गई। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बार-बार इस सदन में दिखाया जाता है और उसके बारे में तरह-तरह की चर्चा की जाती है, उसको अन्यथा नहीं लेते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ लिखा गया है उस घोषणा पत्र में वह उस पार्टी का नीतिगत फैसला होता है। उसको नीतिगत फैसला मानते हुए जब, उपाध्यक्ष महोदय, फसल फेल हो गई 90 से 100 प्रतिशत तक, तो आबियाना माफ करना अकेले काफी नहीं होगा। आपके घोषणा पत्र के अनुसार, आपके नीतिगत फैसले के अनुसार किसान को आपको मुआवजा देना चाहिए। यह कहकर पीछा छुड़ाना काफी नहीं कि हमने केन्द्र सरकार को लिख दिया है। क्योंकि 1998 के अन्दर आपने भी लिखकर दिया था कृषि मंत्रीजी यहां नहीं है, मैं उनसे जानकारी चाहूंगा, 1998 में हमने लिखकर दिया तो शायद उनकी जानकारी में होगा कि अक्टूबर-नवम्बर में चुनाव आ गये थे, उसके बाद में आपने सत्ता सम्भाली। सत्ता सम्भालने के बाद में आपका दायित्व था कि उस केस को सेंटर से आप फोलोअप करते। यह भी बता देना चाहता हूं कि उस समय में जो फसल खराब हुई थी, वह 90 से 100 प्रतिशत तक नहीं थी।

श्री सोहन नायक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर साहब की जानकारी में यह भी बता दूं, 1998 के अन्दर तत्कालीन सरकार ने वहां किसानों पर लाठी मारी थी मुआवजे के बदले में।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लेना ना।

श्री रामप्रताप : तो मैं कौनसा इनाम दे रहा हूं उनको? मैंने कब कहा है अच्छा काम किया है?

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि नरमा और कपास की फसल फेल हुई, 3000 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रति बीघा तक किसानों ने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया। आज उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। कृषि मंत्रीजी अगर यह बता दें कि हरी लट जिसके प्रकोप से फसल तबाह हुई है, उसका कारण क्या था, वह क्यों नहीं खतम हुई तो कम से कम वहां के किसानों को संतुष्टि तो होगी। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर इंटीग्रेटेड पैस्ट मैनेजमेंट के लिए आठ लेबोरेटरी हैं, उनमें से एक हनुमानगढ़ में हैं जो सन् 1996 में स्थापित की गई थी। 22 लाख रुपये की लागत से स्थापित की गई थी नौ लाख रुपये के उसमें उपकरण थे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा की सालाना उसमें सवा लाख से डेढ़ लाख रुपये का बजट दिया जाता है और अधिकारियों के नाम पर उसमें सिर्फ एक या दो चपरासी कार्यरत हैं। पूरे राजस्थान में आठ हैं। जयपुर, अजमेर, बूंदी, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ टाउन में आठ आपकी प्रयोगशाला कार्यरत हैं, उनमें से एक हनुमानगढ़ टाउन में है जो कि सबसे ज्यादा इस पैस्ट से प्रभावित है। वहां पर मात्र एक या दो चपरासी बैठे हुए हैं और सवा लाख से डेढ़ लाख रुपये आप उसको बजट दे रहे हैं। पूरे उपकरण से सुसज्जित लेबोरेटरी है। उसकी वजह से अगर इस पैस्ट का मैनेजमेंट हो जाता तो शायद पेस्टिसाइड वालों की पेस्टिसाइड नहीं बिकती और किसानों की फसल इस तरह से बरबाद नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है, निश्चित तौर पर आपके अधिकारियों को जानकारी होगी, कि उनके द्वारा इसका कोई इलाज नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बाजरे के प्रोक्योरमेंट के बारे में चर्चा आई। मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा, सदन का बहुत लम्बा समय एक दूसरे मामले में चला गया। माननीय खेतसिंहजी साहब यहां पर नहीं बिराजे हुए हैं, बाजरे के ऊपर जब चर्चा चल रही थी इस सदन में, उपाध्यक्ष महोदय, तो मुझे इस बात का अफसोस रहा कि राजस्थान के अन्दर तीन साल के बाद बरसात की वजह से बाजरा पैदा हुआ था और सदन में उसकी चर्चा चल रही थी, शायद आपने इस बात को नोट किया कि नहीं किया, यह मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि जो नोडल डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट को इस काम को सम्भालना चाहिये था, शायद पूरी सरकार को भी इस चीज का ज्ञान नहीं है, यहां पर कोआपरेटिव मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, मूल रूप से यह कार्य खाद्य विभाग का है जिसको इसको टाई-अप करना चाहिए।

(श्री रामप्रताप)

चाहे केन्द्र सरकार से बात करें और चाहे राज्य सरकार यहां पर एफ.सी.आई. के अधिकारी बैठे हैं, उनसे बात करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेंटर्स खोले जाते हैं और सेंटर्स के साथ फूड विभाग के अधिकारी साथ में बैठते है। वे सेंटर्स चिन्हित करते हैं कि इस जगह पर हमें जरूरत है, यहां पर सेन्टर्स खोले जाएं। आपने सेंटर्स खोल दिये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर, वहां 100 किलोमीटर दूर नोहर में बाजरा पैदा होता है तो किसान क्या वहां ले जाएगा बाजरे को? आज खेतसिंहजी यहां पर नहीं हैं, खाद्य मंत्रीजी यहां पर बिराजे हुए हैं, इस सदन के अन्दर सत्ता पक्ष के सदस्यों का जो रवैया था, निश्चित रूप से उनके अन्दर से परेशानी थी। विशेष रूप से सीकर से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे थे, उनके अन्दर एक भावना थी, उन्हें तकलीफ थी कि किसानों का बाजरा नहीं बिक रहा है। इसका कारण था डिस्कलरेशन और फोरेन मैटर्स की वजह से नहीं लिया जा रहा था, क्वालिटी के अन्दर पास नहीं किया जा रहा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं आपके जब यहां बीच में अड़चन आ रही थी परचेज में तो आपने उसमें रिलैक्सेशन देने के लिए केन्द्र सरकार को या एफ.सी.आई. को आपने या खेतसिंहजी ने कब पत्र लिखा कि इसमें हमको रिलैक्सेशन दिया जाए? बड़े शर्म की बात है कि आज दो महीने बाद में आपको बाजरा मिलेगा वहां पर।

बाजरे के साथ-साथ जौ के बारे में भी चर्चा हुई थी। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी यह कहा था कि उसको जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि बजट सत्र में मैंने स्वयं इसको दो दफा उठाया था।....

अप्रैल की 20 तारीख को और 30 अप्रैल को। उसके बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां पत्र पढ़ कर सुनाया था केन्द्र सरकार का और कहा था कि हम जल्दी ही जौ की खरीद शुरू करेंगे। उस 30 अप्रैल के बाद में 18-19 मई को जाकर आपने जौ की खरीद शुरू की थी। दावे के साथ कहता हूं कि यह जुडिशियल इन्क्वायरी का मैटर इसलिये है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि कम से कम हनुमानगढ़ में अगर आप जांच करेंगे तो दिन में तो जौ का एक दाना नहीं बिका, रात को निश्चित तौर पर बिका होगा। जब रात को बिका तो उसकी क्वालिटी की जो प्रोब्लम आ रही है, उपाध्यक्ष महोदय, लोगों ने रात के अंधेरे में जौ की बजाय आपको जोई तौल कर दी थी। जोई एक किस्म का हरा चारा होता है, वह तौल कर आपको दिया था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जौ नहीं रहा तो जेई बना दी।

श्री रामप्रताप : हां, जेई। जेई तौल कर आपको दी थी। उस स्थिति में उसको

(श्री रामप्रताप)

क्वालिटी कंट्रोल में किस तरीके से पास किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने यहां पर आरोप लगाया था, मैं निश्चित तौर पर यह दावे के साथ कह रहा हूं, अगर कोई इस बात का जवाब देना चाहे मेरी जानकारी के हिसाब से जब बाजरे पर चर्चा होनी थी तो पहले दिन आप लोगों ने बैठ कर निश्चित तौर पर अपनी रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा कि पंजाब को 1500 करोड़ रुपये दे दिये। केन्द्र सरकार ने पंजाब को खैरात में नहीं दिये थे, 80 लाख मीट्रिक टन चावल, मोती जैसे चावल उन्होंने बेचे थे, उसका पैसा दिया था। 1500 करोड़ नहीं, अगर दिया था तो साढ़े तीन सौ करोड़ के करीब दिया था केन्द्र सरकार ने, जो चावल उनका खराब हो गया था यह मुद्दा इस सदन में नहीं, सदन के बाहर जरूर आया था। जब पंजाब का मुख्य मंत्री केन्द्र में जाकर प्रधान मंत्री से बात कर सकता है, पत्र लिख सकता है, उसको पैसा मिल गया। तो क्या राजस्थान का मुख्य मंत्री पत्र नहीं लिख सकता कि हमारे यहां भी चावल खराब हुआ। खैर, यह मुद्दा सदन में आना ही नहीं चाहिए था। 1500 करोड़ रुपये देने के बाद में आज एक करोड़ टन के करीब वहां पर पैदा होगी तो उसके दाम तो देने पड़ेंगे। आपके भी यहां पर पैडी परचेज होती है, व्हीट परचेज होता है, एफ.सी.आई. आपको पैसा देती है। वह केन्द्र सरकार का पैसा है। उपाध्यक्ष महोदय, 1500 करोड़ रुपये उनको दिये, उन्होंने कंज्यूम किये, माल खरीदा। आपको सिर्फ 53 करोड़ रुपये दिये गये थे जौ के लिए, आपने 35 करोड़ रुपये का जौ खरीदा। और किसी किसान का नहीं खरीदा आपने, जितना 60 हजार टन जौ आपने खरीदा वह व्यापारी वर्ग का या दूसरी स्टेट के लोगों का खरीदा था। इसलिए यह जुडिशियल इन्क्वायरी का मैटर है, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मैंने सदन में कई दफा चर्चा की है, मेरे यहां पर घग्घर नदी है, उस नदी के पेटे को लेकर पिछले ढाई महीने से वहां का काश्तकार आंदोलनरत है। उसका पेटा 6 बीघा रखा गया है। एक किनारे से लेकर हैड रींच से लेकर टेल रीच तक पूरा 6 बीघा रखना, रास्ते में पानी इवेपोरेट भी होता है, कंज्यूम भी होता है। एक साइड से दूसरी साइड में सवा सौ किलोमीटर के फासले पर उसको छह बीघा रखना, चाहे वह किसी के राज में हुआ हो, न्यायसंगत नहीं था। इसके लिए वहां का किसान लगातार आंदोलन कर रहा है। पिछले बजट सत्र के अन्दर माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार किया था कि यह छह बीघा की बजाय तीन बीघा होना चाहिए मेरी जैसी जानकारी है उसके हिसाब से उनकी मंशा है तीन बीघा करने की, लेकिन विभाग के अधिकारी बार-बार इस बात की उनको चेतावनी देते हैं कि मामला हाई कोर्ट में गया, कन्टैम्प्ट लगा था इसलिए अपन इसको नहीं हिलाएंगे। मेरी यह मान्यता है कि राज्य सरकार जो उसने

(श्री रामप्रताप)

नोटिफिकेशन जारी किया था उसको विथड्रा करके अगर पुनर्विचार करे तो यह किसानों के हित कि बात होगी और बहुमूल्य जमीन हमको मिलेगी। इसलिए राज्य सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में थोड़ा-सा निवेदन और करना चाहूंगा। गंगानगर में एक पैट्रोल पम्प का आबंटन हुआ है, उसकी जमीन कृषि उपज मण्डी की जमीन है। कृषि उपज मण्डी की जमीन में से अगर किसी सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई चीज दी जाए। शिक्षा के लिए, अस्पताल के लिए, तब तो एक वाजिब बात लगती है मेरी जानकारी के हिसाब से उसका मूल्य दो करोड़ रुपये के बराबर बताया, आज की तारीख में फाइल राज्य सरकार के मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट के पास पड़ी है और उसका दस प्रतिशत या इस किस्म का रेट लगाया जा रहा है। वित्त मंत्रीजी, यह आपको घाटा होगा, अगर मैं सही हूं तो दो करोड़ रुपये की चीज दस-पन्द्रह लाख में चली जाएगी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाए।

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया गया।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2001

श्री रामप्रताप : राज्य सरकार को नुकसान होगा ही साथ में कृषि उपज मण्डी के अन्दर किसान अपनी जिंस लेकर आता है, काटन प्रोड्यूसिंग एरिया है, अगर वहां पर पैट्रोल पम्प जैसी चीज आप लगवाओगे तो निश्चित तौर पर बहुत ही घातक होगा। इसलिए अगर ऐसा किया जा रहा है, जैसी मेरी जानकारी है, तो फिर आप ध्यान देकर उसको रुकवाने का प्रयास करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, पंचायती राज मंत्रीजी यहां पर नहीं बैठे हुए हैं, मैं उनका कांफी मान और सम्मान करता हूं, दो साल पूर्व पंचायतों के चुनाव हुए थे, पंचायत समिति सांचौर में दो ग्राम पंचायतें हैं— एक का नाम है सांकड और दूसरी का लालजी की डूंगरी। बड़े शर्म की बात हैं दो साल बीतने के बावजूद भी चुने हुए जन प्रतिनिधियों को, जो सरपंच हैं उनको आज तक चार्ज नहीं दिया गया है। इस किस्म की सरकार में जो अपने आपको प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार

(श्री रामप्रताप)

कहती है, दो-दो साल तक चुने हुए प्रतिनिधियों को चार्ज नहीं देना बड़े शर्म की बात है। (व्यवधान) अब एम.एल.ए. नहीं लेने दे तो वह तो उनकी सत्ता की बात है, सरकार को इसको देखना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपालजी चौधरी। हैं ही नहीं वह तो। श्री ज्ञानदेवजी आप बोलेंगे

श्री परसादी लाल : आप तो कविता बोल दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अब वह कविता, छंद नहीं सुना रहा हूं, प्रेम से कहानियां सुना रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंटरी बिल पर आज सदन में जो चर्चा हो रही है, मेरा ऐसा निवेदन है कि राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार आई है बहुत चर्चा हो चुकी कि इन्होंने क्या वायदे किये थे, क्या आश्वासन दिये थे और क्या घोषणा पत्र जारी किया था। लेकिन घोषणा पत्र के विपरीत इतनी गड़बड़ और घोटाले सारे विभागों में हुए हैं, शिक्षा से शुरू करें तो स्कूल क्रमोन्नत नहीं, कोई प्राइमरी नहीं, मिडल नहीं, सैकण्डरी नहीं। अगर कहीं कुछ हुआ है तो पक्षपात हुआ है और हमारे विपक्षी विधायकों के क्षेत्र में कोई स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुआ। पंचायत समिति विद्यालयों की हालत तो बहुत ही खराब है। राजीव गांधी स्कूलों की हालत यह है कि जो मिनिमम बेज 60 रुपये 64 रुपये और 68 रुपये है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड का, ब्लू कालर लेबर का, वह ब्लू कालर मजदूर का पैसा भी उनको नहीं दिया जा रहा। और पक्षपात इतना कि मैं एक गांव का नाम नोट करा रहा हूं, माननीय मंत्री महोदया नोट करें, पंचायती राज मंत्रीजी नहीं हैं, शिक्षा मंत्रीजी नहीं हैं, एक गांव है चौमा मेरे क्षेत्र में, वहां पर कहा गया कि उस वार्ड का पैराटीचर लगेगा, परन्तु उस वार्ड का पैराटीचर नहीं लगा। उस गांव का पैराटीचर नहीं लगा और वहां पर जो प्रधानाध्यापक है उसने बिलकुल जबरदस्ती दबाव देकर अपनी बेटी का सलैक्शन वहां करवा लिया। ऐसी धांधलियां भी हमारे यहां हुई हैं। हम सप्लीमेंटरी बिल के हिसाब से आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं कुछ विभागों को लेकिन महाविद्यालयों की हालत इससे खराब है। कई बार माननीय मंत्री महोदय को लिखकर दे चुके हैं, डाइरेक्टर को लिखकर दे चुके हैं, सैक्रेटरी महोदय को लिखकर दे चुके हैं परन्तु वहां अध्यापकों की लैक्चरर्स की पूर्ति नहीं है। आठ-आठ लैक्चरर्स के स्थान रिक्त हैं पिछले तीन वर्ष से। यही स्थिति अन्य विद्यालयों की भी है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए सप्लीमेंटरी बिल लाया गया है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से आप अगर बता दें, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक ग्राम भी डामर लगा क्या? एक किलोमीटर भी आपके पैसे से कोई सड़क बनी क्या? सारी केन्द्र सरकार की मदद से चलने

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

वाली योजनाओं से हमारे वित्त सचिव महोदय और वित्त मंत्री महोदय दौड़ कर जाते हैं दिल्ली कि हमको एडिशनल पैसा दिया जाए क्योंकि हमारे बजट में पैसा नहीं है। यह समाचार-पत्रों में आता है, यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, सड़कें तो नहीं बनी, तीन-तीन, चार-चार फीट गड्ढे हैं उनकी मरम्मत भी नहीं हुई। मरम्मत के नाम पर अब लिस्टें ली जा रही हैं। वह भी मुझे जैसी जानकारी मिली है, वित्त विभाग को नाबार्ड से पैसा मिला है उसमें 60-70 या 80 किलोमीटर एक-एक विधायक के क्षेत्र में बनेंगी। ऐसी सड़कों की दुर्गति है।

सिंचाई विभाग की ओर से 10 से 40 प्रतिशत तक टैक्स बढ़ा दिया गया, लेकिन सिंचाई विभाग की दरें बढ़ाने के बाद में भी पानी के सिस्टम की कोई व्यवस्था है क्या? पंजाब से पानी नहीं आ रहा, हरियाणा से पानी नहीं आ रहा, अब उसमें फेल कौन है? फेल हैं हम खुद, स्वयं मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री महोदय। अगर वहां से पानी नहीं आ रहा, आपकी असफलता इसमें जाहिर होती है। हमारे माननीय भैरोंसिंह शेखावत साहब जब मुख्य मंत्री थे, चाहे केन्द्र सरकार में देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, चाहे इन्द्र कुमार गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे और

(18.00 बजे)

चाहे नरसिंह राव थे, उनसे कैसे भी सम्पर्क करके, पंजाब हरियाणा के मुख्य मंत्रियों से सम्पर्क करके सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होती थी। वह चीज आज हमारे सामने नदारद है।

उद्योग नीति में स्थिति क्या है? उद्योग नीति में उद्योग मंत्रीजी ने घोषणा की तभी मैंने कहा था एकल खिड़की अच्छा नाटक हुआ। एकल खिड़की में तो तरीका आ गया, आप कह रहे हो सिंगल विंडों, सिंगल विंडों में हो या भडों-टिंडो में होने वाला कुछ नहीं है। आज वही स्थिति है। इस एकल खिडकी से उद्योग लगेंगे, एक ही खिड़की से हाथ डाला और उद्योग का लाइसेंस भी, मान्यता भी, उद्योग का प्रोडक्शन भी, रा मटीरियल भी सब कुछ एक ही खिड़की से मिल जाएगा तो सिंगल विंडो, भिंडी हो या टिंडो उसमें होने वाला कुछ नहीं है। आज यूकोरी ने बताया है कि 61 हजार लघु उद्योग राजस्थान में बंद हैं। हैवी इण्डस्टरी में राजस्थान के जयपुर केन्द्र पर जयपुर मेटल्स की क्या दुर्दशा की है माननीय उद्योग मंत्री जी ने आप वित्त मंत्रीजी जरा नोट करें। आपके यहां से पैसा गया है। शर्म की बात है हाई कोर्ट ने आदेश किया आपके वित्त विभाग को, उद्योग विभाग को। एक महीने का पैसा जयपुर मैटल्स को दिया गया हाई कोर्ट के आदेश के बाद वरना आप तो मानने वाले नहीं। पहले के हाई कोर्ट के आदेशों को तो आप खा गये। जयपुर मैटल्स बंद है, माडर्न सिंटेक्स बंद है, अलवर का माडर्न सूटिंग्स बंद है, मोदी एल्कलीज बंद है। जयपुर सिंटेक्स बंद है

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बहरोड़ का, सिटीजन सिल्क मिल्स बांसवाड़ा में बंद हैं। आप देखेंगे, जो हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेज हैं उनमें से आपने 90 प्रतिशत उपक्रमों की हालत खराब कर दी। आपने जी.एम. बना कर बैठा रखा है, गंगानगर शुगर मिल्स के आफिस में मिस्टर कोई माथुर मैट्रिक पास है और आई.ए.एस. और आर.ए.एस. के ऊपर जी.एम. की पोस्ट सम्भाल कर बैठे हैं। ऐसी स्थिति आपने अपने राज में की है। आप इसके बारे में भी विचार करें कि आखिर उद्योग में किस ढंग से आप चाहते हैं।

उद्योगों के साथ ट्रेड यूनियन का जो क्षेत्र है वह तो आपने बरबाद ही कर दिया। माननीय श्रम मंत्री तो बहुत उम्र के

(18.01 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

हैं उनको क्या कहें, लेकिन श्रम राज्य मंत्री हैं श्री हरिसिंहजी साहब हमारे कुम्हेर के। आप, श्रम मंत्री महोदय, नोट करें आपके यहां इस समय किसी भी उद्योग में मेरा दावा है और विधान सभा में मैं अधिकृत रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी उद्योग में 1926 के ट्रेड यूनियन एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है। 1948 के फैक्टरी एक्ट का उल्लंघन है। 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन है। यानि कि मजदूरों की हत्या करना, मजदूरों को ठेके पर काम कराना, उनको बंधुआ मजदूर बना कर काम कराना, यह आपकी स्थिति बन गयी है।

ई. एस. आई. से जो उनको मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड होती हैं, ई.एस.आई. की लोकल कमेटी राजस्थान सरकार बनाती थी, अब भी बनाती है लेकिन लोकल कमेटी का पहले तो गठन नहीं है और गठन है तो उसकी मीटिंग नहीं। आज कहीं भी लोकल कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही है। यह एक शर्म की बात है 53 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। अब वो पैसा कहां गया? उनकी सैंक्शन कहा गयी वित्त मंत्री महोदय, जो लोकल कमेटियों के नाम पर खर्चा है, अब उसकी कोई मीटिंग नहीं होती है, उसके बारे में आप विचार करें। ई.एस.आई. के अलावा, ई.एस.आई. की लोकल कमेटियों के अलावा हास्पिटल्स हैं, वैसे तो हास्पिटल सारों की हालत खराब है। चिकित्सा मंत्री महोदय राजेन्द्र जी चौधरी बातों में लगे हैं, चिकित्सा मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं? कि कौन-सा अस्पताल है जहां पूरे बैड हैं। कौन-सा अस्पताल है राजस्थान में जहां पूरी दवाइयां है? मेरे यहा आज ही विधान सभा का क्वेश्चन था, क्यों आते-आते क्वेश्चन रूका क्योंकि पहले दो क्वेश्चन में समय लग गया। और 8 डाक्टरों के पद खाली हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ के पद खाली हैं, ए.एन.एम. के पद खाली हैं, कम्पाउण्डर के खाली हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में यही स्थिति राजस्थान की है ई.एस.आई. का अस्पताल है भिवाड़ी में....

श्री राजेन्द्र चौधरी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राज्य मंत्री) : रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपके पास में उत्तर आया है और उसमें जो आप कह रहे हैं कि 8 डाक्टर के पद खाली हैं, आप असत्य बयान कर रहे हैं। उसमें संख्या एक जे. एस. गायनी का पद खाली है और दो मेडिकल आफिसर के खाली हैं, यही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : महिला चिकित्सक का पद खाली है। 8 डाक्टर का मैं जो हवाला दे रहा हूं यह ई.एस.आई. का दे रहा हूं। ई.एस.आई. का भिवाड़ी हास्पिटल है उसके बारे में भी आप बता दें। 8 डाक्टर होने चाहिए, मात्र एक डॉक्टर है ई.एस.आई. हास्पिटल भिवाड़ी में। आप इसका पता लगवा लें अपने सैक्रेटरी महोदय और विभाग से कि यह गलत है कि सही है।

अस्पतालों की स्थिति कितनी खराब है। दवाइयां मिलती नहीं हैं। बी.पी.एल. कार्ड का नाटक मुख्य मंत्री सहायता कोष, मुख्यमंत्री से बी.पी.एल. लोगों को ये सुविधा मिलेगी ये सुविधा मिलेगी, धक्का देकर डाक्टर बाहर कर देते हैं। कम्पाउण्डर सुनते नहीं, दवाइयां मिलती नहीं। एक्स-रे होते नहीं। एक्स-रे मशीन खराब पड़ी है। सवाई मानसिंह अस्पताल में ही मशीन खराब पडी हो तो बाकी जगह व्यवस्था क्या सम्भलेगी? आज ही मैं हास्पिटल होकर आया हूं, हमारे यहां का बी.पी.एल. के पेशेंट भर्ती है एम.एम.एस. बांगड़ में उसने बताया की साहब, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं और कार्ड के बारे में हमारे से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह स्थिति आपके मेडिकल की है।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 15 प्रतिशत रोड टैक्स बढ़ा दिया। जगह जगह आर.टी.ओ. खड़े हैं। जगह-जगह रोड इंस्पैक्टर खड़े हैं। जगह-जगह डी.टी.ओ. खड़े है। आर.टी.ओ. के इंस्पैक्टर खड़े है और पकड़-धकड़ चल रही है। इंस्पैक्टर राज गुंडाई राज चला दिया आर.टी.ओ. आफिस से इतनी लाखों-करोड़ों की वसूली के बाद भी रोड़ पर पैसा लगा नहीं तो पैसा गया कहा? पैसे का क्या हिसाब है, वित्त मंत्री महोदय, अपने जवाब में जरूर आप बताएं ऐसा गुण्डा राज पुलिस ने मचाया। एक तरफ आर.टी.ओ. के इंस्पैक्टर गाडियां पकड़ें दूसरी तरफ पुलिस गाड़ियां पकड़े। दो-दो सौ गाड़ियां तीन-तीन सौ गाड़ियां एक-एक तहसील में, विधान सभा क्षेत्र में पकड़ी जा रही हैं। आज तक पुलिस का कभी गुण्डा राज ऐसा नहीं हुआ। सैल्स टैक्स के ऊपर आफिसर लूटे उसके अलावा सेल्स टैक्स के आफिसर ट्रक को पकड़े, तीन लाख सत्ताइस हजार कहे और फिर 27 हजार में छोड़ दें। इसका सबूत हैं मेरे पास आप लेना चाहे तो मैं आपको लिखित में बाद में दे दूंगा। इसकी जांच कराएं।

आप देखे अखबार उठा कर मैं इसको ज्यादा लम्बा नहीं लेना चाहता। अखबार उठा कर आप देखे पढ़ते हुए शर्म आती है एक समाचार पत्र के प्रमुख पृष्ठ पर। अगर हमारे यहां लोकल अखबार में 20 समाचार हैं तो 18 समाचार हत्या, लूट,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बलात्कार, अपहरण के इसके अलावा मेवात क्षेत्र है मेरे वहां पर, आप देखेंगे तो नकली सोने का परसों ही केस दर्ज हुआ है। 5 ईंटें नकली सोने की जो पीतल की थीं, वह बेचते हुए दो पकड़े गये मेवात क्षेत्र के लोग। नकली हथियार पकड़े जाएं दो फैक्ट्रियां मैंने पकड़वायी है। मैं अधिकृत रूप से बोल रहा हूं नकली हथियार और नकली हथियारों के अलावा सिंथेटिक दूध। हमारे यहां सहकारी डेयरी के ट्रक आवें उनमें 12-14 हजार लीटर जो होता है 12 हजार लीटर में 4 हजार लीटर दूध असली निकाल लिया जाए और सिंथेटिक दूध उसमें मिला दिया जाए। और दिल्ली में पकड़ा जाए। अलवर की कोआपरेटिव डेयरी में आप पता करें। मैं आपको अधिकृत रूप से जानकारी दे रहा हूं कोआपरेटिव डेयरी में पांच-पांच हजार लीटर सिंथेटिक दूध आता है जिसका नकली खोया बनता है, जिसका नकली मावा बनता है, अलवर का कलाकंद बनता है। उसमें मिलावट होकर लूट की जाती है। आपको ताज्जुब होगा, आपका राज़ आने के बाद क्या हुआ। आपका करोड़ों रुपया इस बात पर खर्च हो रहा है। अभी बड़ोदामेव में गौकशी हुई अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में गौ हत्या हुई मेरे क्षेत्र में। बड़ोदामेव में गौकशी हुई और गौकशी हुई तो जनता इतनी भड़की। गौकशी करने वाले को पकड़ा और छोड़ दिया और इतना जबरदस्त दंगा हुआ कि उस पुलिस चौकी में लगभग 20 क्विंटल पत्थर जनता ने फेंके। 20 क्विंटल पत्थर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन और वक्ता के बीच में से नहीं आए आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गलती हो गयी, साहब।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, 20 क्विंटल पत्थर। एडिशनल एस. पी. को पत्थर लगे, डी.वाई.एस.पी. को पत्थर लगे, वहां के थानेदार को और चौकी को लगे। लोगों ने जिप्सी और जीपों को आग लगा दी क्यों? आप क्यों साम्प्रदायिक दंगे करके खून-खराबा कराना चाहते हैं? आप प्रदेश को क्यों इस खून से रंगना चाहते हैं? माननीय वित्त मंत्री महोदय, आप पुलिस विभाग के लिए जरूर बजट लें, आप सारे विभागों के लिए सप्लीमैंटरी बजट जरूर लें, लेकिन, आप व्यवस्था क्या कर रहे हैं? लाखों-करोड़ों रुपये आपने ब्यावर के दंगे में खर्च करवायें। आपने केकड़ी में खर्च करवाये। आपने पंडेर में खर्च करवाये। भीलवाड़ा-अजमेर में खर्च करवाये। आज जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगे आपके आने के बाद आपके ही राज में क्यों हो रहे हैं। सभापति महोदय, दंगे आपके ही राज में क्यों हो रहे हैं? लूट-खसोट, अपहरण, हत्या, लूट और बलात्कार नकली हथियार इतना ही नहीं, आर.डी. एक्स. की ट्रक जिसका डा. किरोड़ी लाल ने भी जिक्र किया अलवर का रजिस्टर्ड ट्रक है। आर.डी.एक्स. पकड़ा गया बनास कांठा में, वो ट्रक है। यहां बिन लादेन के चेले घूम रहे हैं, यहां बिन लादेन के चेलों को

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

छुड़वा रहे हैं। उनके लिए फोन जाते हैं इतना ही नहीं, दो वैश्याओं के अड्डे और कांग्रेस का पूर्व सचेतक और नेता ट्रक के नीचे कुचले जाए रेड लाइट एरिया से आते हुए एक मंत्री महोदय के घर पर किराये पर मकान में वहा वैश्याओं का अड्डा पकड़ा जाए।

डा के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य, ब्यावर का आप जिक्र कर रहे है, ब्यावर में तो आपके पार्षद् पुलिस ने पकड़ लिये हैं। बी.जे.पी. के सिटिंग पार्षद डी.डी. राठौड़ को दंगों में पुलिस ने पकड़ा ब्यावर में। अब आप सोच लें, दंगे कौन कराता है।

श्री हीरासिंह चौहान : दंगे तो आप कर रहे हैं। दंगे से क्या मतलब है? क्या दंगा करवाया है? मैं भी वहां पर था, क्या दंगा करवाया है? आपराधिक घटना थी क्या?

डा. के. सी. चौधरी : ब्यावर में दंगा हुआ था, आपको पता है क्यों हुआ था?

श्री हीरासिंह चौहान : अपराधिक घटना है क्या वो?

डा. के. सी. चौधरी : नहीं, नहीं, दंगे की बात हो रही है।

श्री हीरासिंह चौहान : कोई दंगा नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दिलावर साहब, आप बैठें मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : दंगे की बात करनी है तो मुझसे करो न।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि ब्यावर में दंगे हुए और उन्होंने कहा कि पार्षद् पकड़े गये। पार्षदो को फंसी पर चढ़ाना चाहिए ऐसे आदमियों को जो दंगे करवाते हैं, चाहे वह बी.जे.पी. के हो, चाहे कांगेस के हों।

श्री हीरासिंह चौहान : ठीक है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : जिस दिन दंगे हुए थे उस दिन तो ये सो रहे थे, इनको पता ही नहीं है।

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बस दो मिनट, साहब।

आपके शासन में आप कितना बड़ा आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। आप राजनीतिक, सामाजिक दृष्टि से जनता की आंखों में कितना गिर गये हैं कि एक आपका सचेतक और कांग्रेस के बांदीकुई के पूर्व विधायक + + + ट्रकों के नीचे कुचला गया। आपका एक कैबिनेट मंत्री के दिये हुए किराये के मकान पर वैश्याओं का अड्डा पकड़ा गया। आपके कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के घर पर वैश्याओं का अड्डा पकड़ा गया। लेकिन आप पक्षपात करते हैं। पक्षपात कैसे करते हैं कि कांग्रेस का किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष जो हरिसिंह महुवा की जाति का ही है, उसको तो गिरफ्तार कर लिया क्योंकि आपके घर पर अड्डा चल रहा था लेकिन एक मंत्री जो + + + उसको आज

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

सज़ा नहीं देंगे। कहेंगे कि गलतफहमी में मकान किराये पर दे दिया। आप इस बारे में नोट कर रखें। कितना बड़ा नुकसान आपने किसानों का किया है, वह मैं आगे ला रहा हूं। थोड़े विषय आपको समझ में आ जाएंगे। आपको इशारा ही बहुत है, आप पढ़े-लिखे लोग हैं।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिये गंगानगर, हनुमानगढ़ का पेस्टिसाइड नकली। उसी मंत्री के जिसके घर से वैश्याओं का अड्डा पकड़ा गया, पेस्टिसाइड नकली, खाद नकली, बीज नकली। मेरे मेवात क्षेत्र में खाद नकली, बीज नकली। पहले जो 30 ग्राम एसिड केमिकल डालते थे कपास पर नरमा पर, 30 ग्राम की बजाय डेढ़ सौ ग्राम केमिकल डाल दिया, पेस्टिसाइड डाल दिया लेकिन उस डेढ़ सौ ग्राम का भी असर नहीं हुआ। माननीय वित्त मंत्री महोदय, आप क्या चाहते है किसानों को बरबाद करके? फिर उनको मुआवज़ा नहीं दिया। गंगानगर, हनुमानगढ़ वालों का आप पर दबाव ज्यादा बना, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं। उनको थोड़ा-बहुत मुआवजा दिया होगा। लेकिन अलवर में किसानों ने क्या आपकी भैंस के लठ्ठ मार दिया? सीधी देहात की भाषा में। किसान भैंस पालता है। हम धरना ही नहीं देंगे, हम तो विधान सभा में भी कहेंगे और वहां भी धरना देंगे। किसानों का और जमींदारों का इतना बडा नुकसान कर दिया। मेरे क्षेत्र में कपास बोई जाती है, नरमा, काटन, खैरथल में बोई जाती है, किशनगढ़ में बोई जाती है, हजारों लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान हो गया, उसकी कोई पूर्ति नहीं हैं। उसकी आप, वित्त मंत्रीजी जांच कराएं। जो + + + उसी ने ही वहां पर कृषि विभाग के अधिकारियों को कह कर नकली खाद नकली बीज और नकली पेस्टिसाइड बंटवाया। कृषि अधिकारियों से मेरी बात हुई, वे बोले हमको कहा जाता है कि इसी देशी कम्पनी का, यहां की झोटवाड़ा की V.K.I. की कम्पनियां, उद्योग हैं उनका ही पेस्टिसाइड लिया जाए और उनकी ही खाद ली जाए। ऐसी नकली कम्पनियों का खाद, बीज और पेस्टिसाइड बिकवाना चाहते हैं। आखिर आप राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं? राजस्थान को बरबाद करके छोड़ दिया है। आप बरबाद करके छोड़ेंगे सम्भालेंगे तो हम तो आबाद करेंगे कृपा कर के मेरा आपको निवेदन है कि एप्रोप्रिएशन बिल पर मैंने तथ्यों सहित बात रखी है, आप उस पर विचार करें। राजस्थान को और बरबाद न करें। कर्मचारियों को किया, विद्यार्थियों को किया, व्यापारियों को किया, जमींदारों को किया और खुद को भी बरबाद किया। आपकी स्थिति ऐसी बनेगी, आपने जो कहा हजारों का घाटा छोड़ गये हमने तो परिसम्पत्तियां बनाई, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाई माननीय भैरोंसिंहजी ने आपने क्या बनवाया? झुंझुनूं, रेत का टीला। आपने बनाये केन्द्र का पैसा चुरा कर राजीव गांधी स्कूल। आपके आंगन बाड़ी का जो खाना-पीना पंजीरी है वह आपके सरपंच के गाय-बैल और भैंस खा रही हैं। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : माननीय सदस्य, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? चुराये कहां है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप मेरे को लैटर भेजते हैं जिला परिषद् से, आंगनबाड़ी केन्द्र का पैसा तो आ गया है, बकाया 22 हजार रुपये एम.एल.ए. कोटे से दें। मुझे लैटर भेजते हैं कि केन्द्र का पैसा अलवर जिले में एस.टी., एस.सी. के लिये लैट्रिन बाथरूम के लिये आ गया है। आपके एम.एल.ए. लैटर भैजते हैं। केन्द्र का अंश तो आ गया है, यह जिला परिषद् का लैटर है, मुख्य मंत्रीजी का लैटर है, जकियाजी का लैटर है और जकिया इनाम साहब हमें लैटर भेजती हैं। एक साल में नहीं, तीन महीने में 6 सी.डी.पी.ओ. बदले जाते हैं। क्या गड़बड़ है यह? यह क्या बू आ रही है घोटाले की इसमें? क्या गड़बड़ है, माननीय मंत्री महोदय, इसकी आप जांच करवाइए। आंगनबाड़ी की पंजीरी तो सरपंचों की गाय, बैल और भैंस खा जाएं और आप आंगनबाड़ी में बिल्डिंग में एम.एल.ए. कोटे का पैसा लगाना चाहते हैं। आपके मुख्य मंत्रीजी के पत्र के अनुसार, वित्त मंत्री के पत्र के अनुसार, जिला परिषद् के पत्र के अनुसार, आंगनबाड़ी के मंत्री के पत्र के अनुसार, आपके मंत्रियों के पत्र के अनुसार और पेस्टिसाइड के नकली बीज बेचने वालों के अनुसार अगर हम लोग पैसा लगा दें तो एम.एल.ए. कोटा तो चूर्ण हो गया और बाकी आप सब पूर्ण हो गये। हम पूर्ण होना चाहते हैं, आपको चूर्ण करना चाहते हैं। इसलिए माननीय वित्त मंत्री महोदय, मेरा आपको निवेदन है कि + + + को आप पार्टी से निकालो, सरकार से निकालो। आप उनके खिलाफ पेस्टिसाइड की जांच बैठाओ और उनके खिलाफ खाद-बीज की जांच बैठाओ। यह मेरा आरोप है, आप इस आरोप की जांच करवाइए। आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय पर जो लांछन लगाये गये हैं उनको कार्यवाही से निकाला जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वह कुछ कह रहे हैं आप बिराजो।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री तैयब हुसैन, कृषि मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री तैयब हुसैन (कृषि मंत्री) : चेयरमैन साहब, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की तो आदत पड़ गई है गलत तरीके की बातें करने का गलत इल्जाम लगाना, बेमतलब की बात करना। जो भी इस तरह की बातें कही गई हैं....(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, आप जांच बैठाओ।

श्री तैयब हुसैन : बेबुनियाद और गलत बातें कहने की इन्हें आदत पड़ गई है, यह इनकी आदत में शामिल हो गया है। कोई इसका मसला नहीं, इस तरह के गलत इल्जामात लगाना बहुत गलत है आगस्ट हाउस में इस तरह की गलत बात करना बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वैश्याओं का अड्डा किन के मकान में पकड़ा गया? किनका मकान है वह?

श्री तैयब हुसैन : मैंने बताया कि हमने मकान किराये पर दे दिया था, हमारा उससे क्या लेना-देना है? (व्यवधान) असल में माननीय सदस्य को तो आदत पड़ गई है और गैर जिम्मेदारी की बात करने की। ये सारे बिलकुल गलत इल्जामात हैं, बेबुनियाद बात है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : .... (व्यवधान) आप कह रहे हो कि हमारी आदत पड़ गई है.... (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : कृषि के क्षेत्र में दवाइयों के बारे में जो कहा, आप अपना शासनकाल देखिए और इन तीन सालों में देखिए कि कृषि के मसले में कितना सुधार हुआ है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हमारी आदत पड़ गई है और + + +

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, आवश्यक नहीं है कि आप हमेशा ही बोलें। आप बिराजे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, वह आरोप लगा रहे हैं कि इनकी आदत पड़ गई है।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, जो बातें रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचारों में कही है मैं समझता हूं कई बातें असंसदीय हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक भी शब्द असंसदीय नहीं है।

श्री महेश जोशी : जो आरोप माननीय मंत्री महोदय के खिलाफ लगाये गये हैं उनको एक्सपंज किया जाना चाहिये और इस तरह की परम्परा को रोका जाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय उप मुख्य सचेतक महोदय, इन आरोपों को देखकर मैं अपने आप कर दूंगा। (व्यवधान) उन्होंने आरोपों का स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभी तो मैंने यह पोल नहीं खोली कि आर.ए.एस. अफसर को खड़े होकर हाथों से पिटवाया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभी तो इस बारे में बात करेंगे, तीन दिन विधान सभा और है, महेश जोशी साहब। आपने जो आर.ए.एस. अफसर को सस्पेंड करवाया है, पिटवाया है और आई.ए.एस. अफसरों को जो पिटवा रहे हो, अभी तो यह लाएंगे।

श्री तैयब हुसैन : गलत बातें करने की आपको आदत है।

श्री महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों में एक काम्पीटीशन चल रहा है।

श्री सभापति : माननीय उप मुख्य सचेतक महोदय, मैंने इस बात को कह दिया हैं।

श्री महेश जोशी : माननीय मदन दिलावरजी ज्यादा बोल सकते हैं या ज्ञानदेव आहूजाजी, इन दोनों में काम्पीटीशन चल रहा है कि कौन आगे निकल सके। मदन दिलावरजी, आपकी कुर्सी खतरे में है। ज्ञानदेव आहूजाजी आपसे आगे निकलने की कोशिश में है और आजकल राजेन्द्र राठौड़जी उनके साथ हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप जिस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हो वह नहीं चल सकता। ज्ञानदेव आहूजाजी मेरे बड़े भाई के समान हैं।

श्री महेश जोशी : मैं षड्यंत्र वाली बात नहीं कर रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : विषय पर बोलो, आप मुख्य सचेतक हो। विषय पर बोलो, आप यह कहकर बच नहीं सकते। बचो मत, विषय पर बोलो।

श्री महेश जोशी : मैं विषय पर ही बोल रहा हूं, भटक नहीं रहा हूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने तथ्य रखे हैं, मैंने असली बात रखी है और असली बात कड़वी लगती है तो लगे। मैंने तथ्य रखे हैं। आप विषयान्तर मत होइए, विषय से भटको मत।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिए, आसन पैरों पर है। माननीय सांवरलालजी।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2001

श्री सांवरलाल (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, पता नहीं उप सचेतक महोदय को क्या चिंता हो रही है। आपके तो कोई काम्पीटीशन नहीं है। आपके माथे पर तो माननीय मुख्य मंत्रीजी का हाथ है, हमारे सबकी चिंता आप क्यों कर रहे हो? क्यों सदन का समय जाया कर रहे हो?

सभापति महोदय, यह एक परम्परा बन गई है कि सदन में बजट पेश करो और बजट के बाद जब भी सैशन हो, अनुपूरक अनुदान की मांगों के लिये आ जाओ। प्रथम संकलन लिखा हुआ है इसमें, इसमें क्यों अधिकारी समय नष्ट करें? सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि बजट भी बहुत सोच-समझ कर बनाया जाना चाहिये। जो बजट बनाते हैं उस बजट के परव्यू में कार्य सम्पन्न होना चाहिये, यह प्रयास

(श्री सांवरलाल)

सरकार का होना चाहिये। आज अगर किसी कर्मचारी को 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है तो वह अपना साल भर का बजट बनाता है, हर महीने का बजट बनाता है और वह कोशिश यही करता है, कि इस 10,000 रुपये के अन्दर अन्दर उसके सारे खर्चे, सारा कामकाज सारी व्यवस्थाएं हो जाए। विशेष परिस्थितियां अगर आ जाती है तब उसको कर्जा लेने की या और किसी की आवश्यकता पड़ती है।

माननीय सभापतिजी, मेरे समझ में यह नहीं आ रहा है कि इस राजस्थान सरकार को अनुपूरक अनुदान मांगें रखने की ज़रूरत कहां पड़ती रही है। आज विकास के नाम पर राजस्थान में कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है। सरकारी कर्मचारी कहीं भर्ती नहीं हो रहे हैं। फिर ये विभागों के खर्चे किस हिसाब से हो रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं? सिंचाई मंत्री महोदया, कोई तालाब-आलाब टूट गया तो एक रुपया देकर कोई तालाब ठीक नहीं कराया। यह बड़ी चिन्ता की बात है। पता नहीं किस हिसाब से अधिकारी हर बार इनके पास ले आते हैं। मंत्री महोदय, आप बड़े काम्पीटेंट हैं, मैं आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि अगली बार आप वित्त मंत्री रहे और बजट पेश करें तो इस त्रुटि को सुधारें। बार-बार इस प्रकार लाने की जरूरत नहीं पड़े, इस पर डिस्कशन करें।

माननीय सभापति महोदय, यह कहने की आवश्यकता नहीं है, यह घोषणा पत्र जारी करने के बाद तीन साल तो इनको राज में हो गये। 153 सीटों का प्रचण्ड बहुमत आया। ये राज में आये और इनकी कार्यप्रणाली देखी। बाद में आपने हर चुनाव को देख लिया होगा, एक दौसा के उप-चुनाव को आप छोड़ दीजिए जिसमें किसान नेता राजेश जी पायलट की जगह श्रीमती रमा पायलेट जीती हैं। जनतंत्र में जनता के बीच में अगर हम यह वायदा करके जाएं और उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो ये घोड़े-गाड़ी लेकर गये थे, अभी टोंक को चुनाव हुआ था। फलाने मंत्रीजी आ रहे हैं, फंलाने ये आ रहे हैं, उस गांव में ये प्रभावित कर देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन मंत्रियों के पास पोदीना नहीं है, ये कुछ करने वाले नहीं हैं। तीन साल में कुछ नहीं किया। जनता इनको देखकर भाग जाती है कि कौन आ गया, कैसा आदमी आ गया, जिसने आज तक हमारी परवाह नहीं की। माननीय सभापति महोदय, बड़ी चिंता की बात है। सरकार कहती है कि हमने बहुत जनता की भलाई का काम किये हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : आप तो बहिष्कार करते हो। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : यह बहिष्कार आपको ही करना पड़ेगा। आपके अलावा बहुत ब्राह्मण हैं मुहूर्त निकालने के लिए, काम चलाने के लिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, कांग्रेस का इसमें बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि प्रतिपक्ष में बैठे हुए हर माननीय सदस्य के पास में कांग्रेस का.... घोषणा पत्र.... जैसे कोई काम्पोज की गोली खाकर सोते हैं वैसे जेब में से निकाल-निकाल कर....

श्री सांवरलाल : माननीय सभापति महोदय, एक ही घोषणा पत्र है। (व्यवधान) एक ही घोषणा पत्र है। इससे हम सब सदस्य काम चला लेते हैं। (व्यवधान) यह एक ही घोषणा पत्र है। जिससे सारे काम चला रहे हैं और इससे आपको गंगाजी पहुंचा देंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उस बात का तो पता नहीं लेकिन माननीय सभापति महोदय, जब ये धारीवाल जी ने यह कहा कि मैंने कोई भी प्रोफेसर ऐसा नहीं देखा जिसके सर पर साफा हो। उस दिन से साफा हटा दिया क्योंकि प्रोफेसर सांवरलाल कहलाना ज्यादा जरूरी है बजाय साफा रखने के। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : धारीवाल जी और आप जैसे लोगों की कमी इस दुनिया में नहीं है। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद इस देश के सबसे बड़े आदमी हुए थे, वे साफा पहनते थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, इनसे कहिए कि साफा तो रखें। (व्यवधान) आप तो साफा पहनने के बाद ही प्रोफेसर-से लगते हो। आप पहनना शुरू कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री सांवरलाल : माननीय सभापति महोदय, इनको मालूम नहीं है, मैं 12 तारीक को साफा पहनकर ही इन्टरव्यू देने गया। इनकी तरह नहीं कि चोर दरवाजे से कानून बना लिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बात-बात के अन्दर बता रहे हैं....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, साफा उस समय देश के राष्ट्रपति जी बांधते थे। राजेन्द्र प्रसाद जी भी साफा बांधते थे। साफे की तो बहुत बड़ी क़दर है। हर कोई साफा थोड़े ही बांध सकता है। आज सदन में देख लीजिए, साफे वाले तो अलग ही दिख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रामस्वरूपजी को पहली बार....(व्यवधान) रामस्वरूपजी, आपको पहली बार, सपोर्ट कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : किसान के बेटे हो, यह तो सांस्कृतिक धरोहर है। लेकिन हमारे माननीय रामस्वरूप जी है, वे इसलिये बांधते हैं क्योंकि (व्यवधान) इनको डाक्टर की सलाह है कि जब नसें फड़फड़ाने लगे तो इसको बांधकर रखो। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : सभापति महोदय, इनको बोलिए, यह बीच-बीच में क्या कर रह हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : वह तो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बांधते थे, आप नसें फड़फड़ाने को रोकने के लिए बांधते हो, इसमें यह फर्क है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : साफा तो किसान की पहचान है। मैं किसान का बेटा हूं, यह इस बात की पहचान है। यह साफा टोडाभीम की, नादौती की जनता ने बंधाया है। यह आपका साफा नहीं है, यह उनकी मेहरबानी है। (व्यवधान) नहीं है, यह उनकी मेहरबानी है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, राजेन्द्रजी पारीक को आश्वस्त कर दीजिए कि सीकर में भी पागलखाना खोल दिया जाएगा।

श्री सांवरलाल : माननीय सभापति महोदय, जब से यह सरकार आई है, शिक्षा की हालत बहुत खराब हो रही है। समानीकरण के नाम पर राजस्थान के गांवों की स्कूलों में इन्होंने सारे पद समाप्त कर दिए। प्राचार्य के पद खाली, उप-प्राचार्य के पद खाली, जो विषय के अध्यापक हैं उनके पद खाली। पढ़ाने-लिखाने की कोई व्यवस्था नहीं हैं। मोटी से मोटी इनको कह दो, हमने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली हैं, ये भी हमारे गांव के बच्चों को डुबाने के लिए। (व्यवधान)

मैंने सवाल किया था कि कहीं आपने शहरों के अन्दर भी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली हैं तो इनका जवाब था कि हमने खोली हैं झुग्गी झोपड़ियों में, कच्ची बस्तियों में, जहां पर गांव के लोग-बाग आकर मजबूरी में मजदूरी करते हैं, जीवनयापन करते हैं और रहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक भूगोल के अध्यापकजी पढ़ा रहे थे। कांग्रेस के लोग-बाग जानते हों कि भूगोल क्या होता है। नदी, नाले, पहाड़ सब उसमें पढ़ाये जाते हैं। वह अध्यापकजी पढ़ा रहे थे कि यह हिमालय पर्वत है, यहां से गंगा नदी निकलती है और अरब सागर में जा गिरती है। इंसपैक्टर बाहर खड़ा था उसने कहा, मास्टर साहब, ऐसे कैसे गिरा रहे हो, नदी तो सही जगह पटको। तो उन्होंने कहा कि इस तनख्वाह में तो यहीं जाएगी। आप तनख्वाह बढ़ा दो तो इसको बंगाल की खाड़ी में डाल दूंगा। 1200 रुपये की तनख्वाह प्राप्त करने वाले राजीव गांधी के जो मास्टर है, हमारे गांव के बच्चों को कहां डलवाना चाहे रहे हैं, गांव के बच्चों के प्रति राजस्थान की सरकार किस प्रकार का व्यवहार कराना चाह रही है तो जो सबसे बुरी हालत हुई है वह हमारे किसानों की हुई है।

ऊर्जा मंत्रीजी यहां बैठे हैं, अगर एक-एक पैसा यूनिट में बढ़ता तो यह आंदोलन खड़ा कर देते, पता नहीं मुख्य मंत्रीजी ने क्यों उलझा दिया। बालूरामजी शहीद हुए तो इनके जमाने में हुए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप जिस विषय पर बोल रहे थे, उसी पर रखिए। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : सभापति महोदय, अब यह बिजली का घोषणा पत्र है, इन्होंने कहा कि उस जमाने में हम 5 खम्भे फ्री देते थे वह हम फ्री देंगे। हम 36 पैसे, 37 पैसे

(श्री सांवरलाल)

यूनिट बिजली दे देंगे। कल आपने कहा था कि मैं 94 पैसे यूनिट दे रहा हूं तो मैंने एक सवाल किया था कि एक दिसम्बर, 1998 को क्या रेट थी, हमें यह बता दीजिए। आज किसान की हालत यह है कि इधर-उधर से कर्जा लेकर ट्यूबवैल बना ले, कुआं बना ले, थोड़ा-सा पानी हो जाए, बिजली नहीं देवें या तीन-चार घंटे देवें, फिर भी कनेक्शन लेना चाहे तो उसको आप कनेक्शन देने की स्थिति में नहीं हैं। चारों तरफ से हालत खराब है। कृषि मंत्रीजी बड़े फक्र से कह रहे थे कि हमने तीन साल से हालत सुधार दी? पता नहीं क्या सुधार दी। आपके जमाने में अरण्डी का नकली बीज दिया। आप असली बीज पैदा कीजिए। नागौर जिले के काश्तकारों को आपकी जानकारी में शायद आया होगा, मैंने चिट्ठी भी लिखी, बाद में रिपोर्ट आई कि जो बीज दिया गया था वह ही नकली था। तो यह बीज अब असली सर्टिफाई कैसे होगा? मंत्री महोदय आप बता दीजिए कि उन किसानों की क्या गलती है? उन किसानों को तो आपके विभाग के अधिकारियों ने जो बीज दिया उसे अपने खेत में प्रमाप स्तर की बीज तैयार करने में उन्होंने सारे प्रयास किये, उसके बाद वह बीज रिजेक्ट हो गया। उन किसानों को जो अरण्डी का बीज आप खरा दे नहीं रहे हो उनको लाखों रुपये का आपने नुकसान पहुंचा दिया और आप कह रहे हो कि तरक्की कर ली। क्या तरक्की कर ली, हमें समझ में नहीं आता।

गंगानगर में कपास की फसल नष्ट हो गई, अजमेर जिले के अन्दर मूंग की फसल नष्ट हो गई। लट लग गई। अब आपके जमाने में कीटनाशक ही ऐसे मिल रहे हैं कि जानवर तो मरते नहीं है, लट मरती नहीं हैं और जो दवा छिड़कने जा रहे हैं वे सीधे अस्पताल में जा रहे हैं, कब्रिस्तान में जा रहे हैं। आपने ऐसे कई उदाहरण सुने होंगे। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन (कृषि मंत्री) : अजमेर जिले का सवाल है, आज माननीय सदस्य का सवाल था, आज ही जवाब दिया है, अगर उसमें आपको कोई संतुष्टि नहीं है तो आप डिस्कस कर लीजिए। इस तरह से जहां से भी कोई शिकायत अरण्डी की या कोई और आए, उसकी हम जांच कराने को हमेशा तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : माननीय मंत्री महोदय, आपके जवाब से हम इसलिए संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि जवाब तो आपके अधिकारी तैयार करते हैं। अपन वस्तु-स्थिति की पूरी जानकारी लेने की कोशिश नहीं करते। मैं निवेदन कर रहा हूं कि कई लोग तो मर गये और सैकड़ों आदमी बेहोश होकर अस्पतालों में पहुंचे हैं और लटें मरी नहीं। 90 प्रतिशत मूंग की फसल नष्ट हो गई, किसानों की हालत बहुत खराब है। आपके इस घोषणा पत्र में लिखा है कि इनको हम प्राकृतिक आपदा से मुआवजा देंगे, ये लटें

(श्री सांवरलाल)

भी, तो प्राकृतिक आपदा हैं, ये कोई आपने तो पैदा करके छोड़ी नहीं। आपने छोड़ी हों तो हमको बता दीजिए। आपने कहा कि हमने भारत सरकार को लिख दिया, आपने भारत सरकार को क्या लिख दिया? प्राकृतिक आपदा कोष तो आपके यहां पर बना हुआ है। आपने तो अपने घोषणा पत्र में और लिखा था कि राज में आने के बाद अकाल, बाढ़, अनावृष्टि, तूफान जैसे प्राकृतिक प्रकोप से निपटने हेतु राहत कोष की स्थापना की जाएगी। अब स्थापना करना तो छोड़ों, जो स्थापित है, उसमें भी जो पैसा है उसका तो सदुपयोग कर लीजिए।

मैंने पहले वित्त मंत्री जी को कहा था की आपने गत वर्ष 130 करोड़ रुपये बचाकर राजीव गांधी पाठशालाओं के निर्माण के लिए खर्च किए, जो पैसा खर्च करना चाहिए था वह नहीं किया। नहीं किया तो इनकी कंडीशन के हिसाब से वह राज्य के बजट में आ गया, राज्य के खाते में आ गया। खाते में आते ही फटाफट राजीवजी का नाम लेकर पांच साल तो अपनी बंसी बजाते रहो।

राजीवजी का नाम चलता रहेगा, सोनियाजी प्रसन्न होती रहेंगी चाहे राजस्थान के किसान मरें, चाहे बरबाद हो जाएं। तो आज आप भारत-सरकार को क्यों लिख रहे हैं?

श्री तैयब हुसैन : भारत सरकार में, माननीय सदस्य, हमने ही नहीं लिखा है। जब सन् 1997 में कपास की एक फसल बरबाद हुई थी तो प्रतिपक्ष के नेता, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने भी भारत सरकार को लिखा था।

श्री सांवरलाल : उन्होंने लिखा था, यह सही है।

श्री तैयब हुसैन : उस वक्त भी लिखा गया था। कोई नयी बात नहीं है। उसमें जो भी है, भारत सरकार सारे हिन्दुस्तान की है। भारत सरकार जो भेदभाव कर रही है, किसी स्टेट में दे और किसी स्टेट में नहीं दे....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमें खुशी है कि भैरोंसिंहजी का अनुसरण कर रहे हैं। (व्यवधान) हमें खुशी है कि माननीय भैरोंसिंह जी का अनुसरण कर रहे हैं। अनुयायी बन रहे हैं, माननीय भैरोंसिंहजी के।

श्री तैयब हुसैन : हमने जो कहा है, तय है उतना ....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इनको आवश्यकता नहीं है आपके सपोर्ट की। ये प्रोफेसर हैं और खुद सक्षम हैं।

श्री सांवरलाल : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन 3 सालों के अन्दर भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदा कोष में अंशदान के अलावा राजस्थान को अपने राष्ट्रीय, प्राकृतिक आपदा कोष से चाहे प्रधानमंत्री सहायता कोष से, चाहे रेल ले जाओ, चारा पानी के लिये, लाखों टन,...(व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : फाइनेंस मिनिस्टर साहब आपको बता देंगे सारा।

श्री सांवरलाल : ऐसा है कि हम आपकी सारी बातें सुन लेंगे। पर मेरी तो सुन लें आप। यह आपसे सम्बन्धित बात नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, ये बैठे-बैठे मंत्रीजी क्यों बोल रहे हैं, यह बताइये आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं अपना दायित्व जानता हूं, क्या करना है?

श्री सांवरलाल : माननीय सभापति महोदय, लाखों टन गेहूं, चावल दिया फ्री में। चारा लाओ, रेलगाड़ी फ्री कर दी। पानी के लिये टेंकर फ्री कर दिये। गांवों के अन्दर अगर आप पानी पहुंचाते हैं तो पहली बार भारत सरकार ने कहा, अब डीजल के पैसे रिइम्बर्समैंट कर लीजिए। माननीय सभापति महोदय, 5 साल तक मैं भी मंत्री रहा, मैं दावे से कह सकता हूं कभी भी भारत सरकार ने एडिशनल इतनी सहायता नहीं दी जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस राजस्थान सरकार को दी है। इसलिये ये बार-बार खावें और गुर्रावें, यह अपने को शोभा नहीं देता है। माननीय सभापति महोदय एहसानमंद होना चाहिए हमको भारत सरकार के प्रति कि हमको जब-जब जरूरत पड़ी है भारत सरकार ने सहायता की है। अब सहायता करने वालों की भी उल्टी बातचीत करें तो, माननीय सभापति महोदय, फिर मामला ठीक नहीं लगता है। अगर हम भी फिर पैरवी करें, हमारे नेता महोदय पैरवी करें तो उनको भी फिर सुनना पड़ता है कि आपके मुख्य मंत्री बार-बार जाएं और यह कह देते हैं कि सहायता नहीं मिल रही है, फलाना नहीं मिल रहा है। जबकि सबसे ज्यादा मिल रहा है। आज प्रधानमंत्रीजी की वजह से सड़कें बन रही हैं।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : उनकी वजह से बन रही हैं। वह तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना हैं, उसमें आपका क्या लेना-देना है। वाह-भाई-वाह।

श्री सांवरलाल : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक चीज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। घोषणा पत्र में लिखा है, सड़कों की खराब हालत के कारण प्रदेश में दुर्घटनाओं की संख्या में निरन्तर बढ़ोतरी हुई है। सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी बिराजमान नहीं हैं, वित्त मंत्रीजी हैं, आप बता दीजिए, 3 साल में कितने पैसे ठीक कराने के अन्दर खर्च किये? माननीय सभापति महोदय, बहुत बुरी हालत है। अभी टोंक चुनाव के अन्दर मुख्य मंत्रीजी गये थे तब बड़ी मुश्किल से पता नहीं कहां से मिट्टी डालकर थोड़ा बहुत ठीक किया। उसमें भी मुख्य मंत्रीजी को रात्रि को रैस्ट सरवाड़ में ही करना पड़ा कि इधर-उधर जाओ तो सड़कें ठीक नहीं। अब आप बताइये घोषणा पत्र में लिख रहे हैं, जैसे आपके राज में आने के बाद जादू हो जाएगा और आप क्या-क्या ठीक कर

(श्री सांवरलाल)

देंगे। आप बताइये, आज तक सड़क ठीक नहीं की एक भी।

माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने तो पहला काम ही यह किया है। राज में आने के बाद एक ही काम किया है कि इर्रिगेशन टैंक....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि विनियोग विधेयक पर बोले और घोषणा पत्र की तो आप चिन्ता ....(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिराजिये, मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : यह घोषणा पत्र का नहीं है, माननीय सदस्य महोदय।

श्री सभापति : एक मिनट, इस घोषणा पत्र की आप ज्यादा चिन्ता नहीं करें। आप बहुत ज्यादा इस पुस्तकों को उठाते हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि असर आ जाए।

श्री सांवरलाल : मुझे बड़ी खुशी है, माननीय सभापति महोदय....(व्यवधान).... नहीं मुझे इस बात की खुशी है कि आप को अभी से इस घोषणा पत्र को देखकर आपत्ति होने लग गयी, आपको मालूम पड़ गया।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई मंत्रीजी विराजमान हैं, इन्होंने आने के बाद पहला काम यही किया कि 10 साल से 15 साल से जो सिचांई के पैसे वसूल नहीं हुए, हम वसूल करेंगे। अब यहां अकाल पड़ा तालाब में पानी हुआ कि नहीं हुआ, आदेश जारी कर दिया। जो तालाब छोटे थे, छोटे तालाब इर्रिगेशन नहीं रखेंगे। सारे के सारे पंचायतों को सम्भला दिये। अभी कहीं छिटपुट बरसात हुई उस बरसात से तालाब टूट गये। एक तालाब को भी ठीक कराने की व्यवस्था अगर इस राजस्थान सरकार ने की है तो आप जो कहो वह मैं करने के लिये तैयार हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, किसानों ने अपने पैसे खर्च किये तब उन तालाबों में थोड़ा पानी बाद में रुका। अभी भारत सरकार ....(व्यवधान) हमने तो कर्जा भी माफ कर दिया, असल भी माफ कर दिया, सारी व्यवस्था कर दी। आप लोगों ने क्या किया?

श्री नाथूराम अहारी : वह कर्जा आपने दिया था क्या?

श्री सांवरलाल : सभापति महोदय, सही बातों को सुनें और सम्बन्धित मंत्री जवाब दें।

श्री सभापति : आप जारी रखें।

श्री सांवरलाल : अब सारे मंत्री बनना चाहते हैं। पर मुख्य मंत्रीजी की परेशानी है कि किस-किस को शपथ दिलावें।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पशुपालन मंत्रीजी यहां बैठे हैं। अब जिला पास-पास में आपका लगता है। हमारे जमाने में जो औषधालय, जो सेंटर खोला, वहां पर आप स्टाफ नहीं दे पा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। फिर काहे के लिये आप पड़ौसी हो। राज्य सरकार की चिन्ता नहीं हो तो कम से कम पड़ौसियों

(श्री सांवरलाल)

का धर्म तो निभाओ। इनका महकमा तो ठीक चलाओ। आज राजस्थान की जनता के पास खेती के बाद में प्रशुपालन है। सभापति महोदय, आप भी जानते हैं, चाहे टोंक जिला हो, चाहे अजमेर जिला हो, किसान खेती के बाद में सबसे ज्यादा निर्भर है तो पशुपालन के ऊपर निर्भर है। पशुओं के इलाज के लिये हमारी सरकार के टाइम में जो सेंटर, सब सेंटर, औषधालय खुले, वहां पर आप स्टाफ की व्यवस्था नहीं कर पाये। (व्यवधान) उस समय तो खोल कर चले गये हम।

आज चारा अनुदान की, सभापति महोदय, अजमेर जिले की एक साल, दो साल से सब्सिडी बाकी है। यहां पर मंत्री महोदय से जो पिछला बजट सैंक्शन था, मैंने बात उठाई। उन्होंने कहा नहीं, बिलकुल सही है, हम आपकी इस सब्सिडी का भुगतान करवा देंगे। उसके बाद मंत्री जाकर पटेल मैदान में सभा कर आये, खेतसिंहजी, प्रभारी मंत्री कि मैं जा रहा हूं, जयपुर जाते ही मुख्य मंत्रीजी से बात कर चारे की सब्सिडी का पेमेंट कर दूंगा। आज ढाई साल हो गये हमें। उन किसानों की क्या हालत हो रही होगी? माननीय वित्त मंत्रीजी, फाइल आप भी देख लीजिए उसकी। सुबह मुख्य मंत्रीजी के सामने भी निवेदन किया था। यह कोई राजनीतिक बात नहीं है। और आपकी पार्टी के लोगों ने तो बहुत प्रदर्शन किया है उसके लिये कि हमारे को भुगतान करो। आपके इन लोगों ने तो हड्डियां तक ले जाकर कलेक्टरी के ऊपर डाली। हमने तो यह काम भी नहीं किया। यह वास्तविक समस्या है। चारा आया, बाहर से आया, और अजमेर जिले का, आज तक उस सब्सिडी का भुगतान नहीं हुआ आज हमारे किसान बड़े परेशान है।

सभापति महोदय, बूढ़ों को, विधवाओं को जो पेंशन मिलती थी वह पेंशन आपने बंद कर दी। सामाजिक सुरक्षा के सैकड़ों फार्म पंचायत समितियों में पैंडिंग हैं। जहां पर बी.जे.पी. के प्रधान हैं वहां पर अप स्टाफ नहीं लगाना चाहते हैं। बदनामी तो सरकार की होगी, हमारी थोड़ी ही होगी।

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : जो पात्र थे उनको, पात्रों को तो दी जा रही है, जो पात्र नहीं थे उनको नहीं दी जा रही है। यह मैंने पिछली विधान सभा में भी बताया था। 196 करोड़ रुपये का बजट है।

श्री मदन दिलावर : आपके इसमें क्या छपा हुआ है....(व्यवधान) यह तो बताओ आप।

श्री जीतमल खांट : आपने तो समाज कल्याण विभाग का पूरा-पूरा भट्टा बैठा दिया, आप तो कुछ कहने के लायक नहीं है। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : 196 करोड़ रुपये का बजट है। (व्यवधान) आपके वक्त में तो केवल 22 करोड़ रुपये खर्च होते थे। कहां 23 करोड़ रुपये और कहा 196 करोड़ रुपये। (व्यवधान) दो लाख 20 हजार से ज्यादा आपने कभी नहीं दिये, आज की तारीख में हम लोग.... (व्यवधान) ....6 लाख 12 हजार रुपये तक दे रहे थे।

श्री सांवरलाल : सभापति महोदय, हर बात का जवाब आप अभी नहीं दें। व्यवस्था कर दें। हम तो यही चाहते हैं। जवाब से पेट नहीं भरता, जवाब से पेट भरता तो आपके....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करके बोलें और समाप्त करें जल्दी।

श्री सांवरलाल : बस, जल्दी। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि बातों से पेट नहीं भरता है, जवाब से पेट नहीं भरेगा। अगर इससे पेट भरता और इससे ही वोट मिलता तो आपके मुख्य मंत्रीजी और मंत्रियों के रोज अखबारों में फोटों आ रहे हैं। पता नहीं कितना पैसा उसमें आपने खर्च कर दिया होगा। पर कोई गरीब आदमी कहे कि मेरा तालाब टूट गया तो उसको ठीक आपने नहीं करवाया। एक बार आपका घोषणा पत्र और दिखा दूं, आपको, जरा घबराना मत, अभी 2 साल हैं, बेरोजगारों के लिये इसमें क्या लिखा है आपने कितनी नौकरी दे दी आपने? कम से कम हमारे जमाने में यह तो नहीं किया था कि घर भेज रहे थे। आप तो नौजवान हैं उनको भी नौकरी नहीं दे रहे हो। उनके मां-बाप नौकरी कर रहे थे, किसी न किसी बहाने से उनको भी रवाना करके घर में भेज रहे हो। आपने बहुत बड़ा अन्याय किया, माननीय सभापति महोदय। अब बेरोजगार समझ गये, आपकी नीयत क्या है? कर्मचारी समझ गये। आपने कहा कर्मचारियों को, हमने यह कर दिया। आपको पता नहीं था, + + + कर्मचारियों ने। आज एक कर्मचारी आपकी पैरवी करने वाला नहीं है। सबके खिलाफ आपने काम किया है। माननीय सभापति महोदय, इसलिये मेरे दो निवेदन हैं। एक तो जैसे आप चल रहे हो, इस नीति को छोड़ना नहीं है आपको। इसी के अनुसार चलते रहो, डेढ़-दो साल का समय निकाल लो। और दूसरा, मंत्री महोदय, बार-बार इस प्रकार से पहला संकलन, दूसरा संकलन तीसरा, संकलन, अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है, इसको आप बंद करिये। आप बजटिंग सिस्टम को इस प्रकार का बनाए कि जो बजटेड एक्सपेंडीचर है उस एक्सपेंडीचर से ज्यादा खर्च नहीं हो। वह खर्चा होता है तो उसका कारण आप बताइये। आपने कोई भर्ती नहीं की। आपने कोई सड़क बनाई नहीं, आपने किसी प्रकार का कोई सुधार का काम नहीं किया और फिर यह अनुदान की अनुपूरक मांगें। फिर बाद में बजट आएगा उस टाइम फिर ले जाएंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में भी थोड़ा विचार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र राठौड़।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, सदन में अनुपूरक मांग के विनियोग विधेयक संख्या-4 पर चर्चा हो रही है। अनुपूरक मांगों को पारित कराना सरकार की संवैधानिक मजबूरी भी है। इन मांगों के माध्यम से वित्त मंत्रीजी जो प्रस्ताव लेकर आये हैं, 414 करोड़ रुपये की राशि कंसोलिडेटेड फण्ड से खर्च करने की अनुमति सदन से चाहते हैं। अनुपूरक मांगें पारित हो जाएंगी, प्रचण्ड बहुमत है। सभापति महोदय, विनियोग विधेयक और अनुपूरक मांगें ज्यों ही पारित हो जाएंगी, त्यों ही मूल बजट प्रस्ताव का हिस्सा बन जाएंगी। मूल बजट प्रस्ताव, वित्त मंत्रीजी, वह प्रस्ताव है जिसको लीक करने के आरोप में आपके विभाग के तीन लो पैड कर्मचारी आज जेल के सीखचों के पीछे हैं। आपकी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आई.पी.सी की धारा लीक करने के बाद 409, 120,(बी) और आफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत उनको गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी और उनका न्यायालय में चालाना होना यह बात सिद्ध करता है। आपने इस सदन में एक बात कही थी कि बजट प्रस्ताव लीक नहीं हुए थे, यह तो प्रेस को दिये जाने वाला एक कागज लीक हुआ था। जब बजट प्रस्ताव लीक हो गये और उनके आरोपियों को आपने आरोपित करके उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया तो, वित्त मंत्रीजी, आपकी सारी बातें झूठी सिद्ध हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी सदन में विराज रहे हैं ये वित्त मंत्रीजी इस हिन्दुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास के पहले वित्त मंत्री होंगे जिन्होंने अपने व्यावसायिक मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इस पवित्र सदन में बजट प्रस्ताव आये उससे पहले लीक कर दिये। वित्त मंत्रीजी, इतिहास कभी इस चीज को माफ नहीं करेगा।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, अभी मुझ से पहले भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य एक बात कह रहे थे कि आप 414 करोड़ की इतनी बड़ी राशि का अनुपूरक मांगों के रूप में पारित करने का प्रस्ताव लेकर आये, एप्रोप्रिएशंन के अन्दर यह राशि आप मांग रहे हैं। आपने कभी सोचा कि जो बजट अनुमान आपने लगाये थे उन बजट अनुमानों के बाद रिवाइज्ड अनुमान और उसमें एप्रोप्रिएशन के नाम पर पहला संकलन आप लेकर आये हैं, अगर आपकी रफ्तार यही रही तो मायना क्या रह जाएगा बजट अनुमान का। मायना बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी चीजों पर निश्चित तौर पर आपको देखना चाहिए कि आपके बजटिंग सिस्टम में कहां खामी है।

वित्त मंत्रीजी, आप शासन में आये और शासन में आते ही, मैं उस घोषणा-पत्र का जिक्र नहीं करूंगा जिसका मुझसे पहले कई माननीय सदस्य कर चुके हैं परन्तु आपने एक श्वेत-पत्र जारी किया और श्वेत-पत्र

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जारी करते हुए, सभापति महोदय, इन्होंने यह कहा कि हम राज्य की जनता को राज्य की वित्तीय और आर्थिक स्थिति की तथ्यात्मक जानकारी देना चाहते हैं। ताकि नई सरकार के प्रयत्नों में जनता भागीदार बने। श्वेत-पत्र के माध्यम से आपने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के आठ वर्ष के शासन में हमने प्रदेश को कर्जे के भंवर में फंसा दिया। हमने प्रति व्यक्ति पर कर्ज-भार बढ़ा दिया। सबसे बड़ा गुनाह इस श्वेत-पत्र के माध्यम से हमारे पर यह मंडा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का वित्त पोषण हमारे सार्वजनिक ऋण, अल्प बचत और जन लेखा निधियों से किया। राजस्व घाटा बढ़ा दिया और राज्य को हाई फिस्कल स्ट्रैस की स्टेज में लाकर खड़ा कर दिया। वित्त मंत्रीजी, राजस्थान के अन्दर जब से आप शासन में आये हैं, आपके मुख्य मंत्रीजी ने एक तोता-रटंत लगाई है कि पिछली सरकार खजाना खाली कर गई है इसलिये विकास का कोई काम नहीं हो सकता। आपने इस श्वेत-पत्र में यह कहा कि मार्च, 1990 में जो कर्जा और देनदारियां 6127 करोड़ थीं वे 31 मार्च, 1999 में 23840 करोड़ रुपये हो गई। प्रति वर्ष कर्ज पर ब्याज की अदायगी जो 1990 में 437 करोड़ थी, वह बढ़कर 2217 करोड़ हो गई। अब आपने कौनसा तीर मार लिया? आपने बड़े-बड़े भाषण दिये, श्वेत-पत्र के माध्यम से भी दिये और आप से पहले वाले वित्त मंत्रीजी ने भी यह कहा कि कर्ज लेकर विकास करना यह अवधारणा ठीक नहीं है। हालांकि जब चिन्तन शिविर में दो दिन तक मौज-मस्ती कर रहे थे, उसमें मुख्य मंत्रीजी के जो बयान आये, उन्होंने कहा कि अब कर्जा लेकर विकास करना कोई गुनाह नहीं है।

अब आपने क्या किया? आपने जो बजट प्रस्तुत किया, बजट एट ए ग्लांस में मैंने देखा है। 31 मार्च, 2000 के अन्दर आपने एक वर्ष में कर्जा लिया 5856 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2001 में आपने कर्जा लिया 4097 करोड़ रुपये इस बार बजट अनुमान में आपने कर्जे का जो अनुमान लगाया है वह है 5070 करोड़ रुपये। अब इस कुल कर्जे को अगर हम देखें तो यह कर्जा 39 हजार करोड़ की सीमा को पार कर रहा है और प्रति वर्ष ब्याज पर अदायगी है 3980 करोड़ रुपये। आपने वार्षिक योजना तो बनाई है इस बार 4515 करोड़ रुपये की और वित्त मंत्रीजी, आप जो कर्जा ले रहे हैं वह कर्जा ले रहे हैं आप 5070 करोड़, मतलब जितनी वार्षिक योजना है उससे ज्यादा का कर्जा आप ले रहे हो। प्रति वर्ष ब्याज की अदायगी 3980 करोड़। सभापति महोदय राजस्थान की सरकार प्रतिदिन 11 करोड़ रुपये और एक महीने में 330 करोड़ रुपये तो जो कर्जा इन्होंने लिया है उसके ब्याज की अदायगी पर दे रही है। आपने बड़ा भाषण दिया, आपने कहा कि हमने प्रति व्यक्ति कर्ज भार बढ़ा दिया। अब आपने कौनसा तीर मारा है, 1999-2000 में कर्जभार था 5323 रुपये प्रति व्यक्ति, वह आज बढ़कर हो गया 8834. वित्त मंत्रीजी,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अगर ये सारी चीजें देखें तो यह सिद्ध करती है कि राजस्थान को कर्ज में डुबाने का वास्तविक काम आपने किया।

अभी भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे कि हमने कर्जा लिया, हालांकि आपने आंकड़े जो प्रस्तुत किये, गलत प्रस्तुत किये। भारतीय जनता पार्टी के टोटल कार्यकाल में 17936 करोड़ रुपये का कर्जा लिया गया, सभापति महोदय, और इन्होंने इन तीन वर्षों में 15025 करोड़ रुपये का कर्जा ले लिया। हमने कर्जा लिया तो हमने परिसम्पत्तियों का सृजन किया। आपने कर्जा लेकर क्या किया, यह आप अपना उत्तर दें जब बताएं। आपने कर्जा लेते वक्त यह कभी सोचा नहीं कि जो आप कर्जा ले रहे हो, विश्व बैंक से आप जो करार करके आ रहे हो, उसका इम्पैक्ट किस पर आएगा, उसका प्रभाव गरीब व्यक्ति पर कितना पड़ेगा। आपने विद्युत सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व बैंक से 18 करोड़ डालर कर्जा लेने का एम.ओ.यू. किया। 850 करोड़ रुपये। कई दिनों से झुनझुना बजा रहे हो। माननीय सभापति महोदय, आप तो भुक्तभोजी हो, यह आपकी लोकप्रियता थी उनियारा में। टोंक के अन्दर मात्र उनियारा में आपके विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस थोड़ी-सी आगे रही, वरना बिजली के माध्यम से, बिजली की दर बढ़ाकर इन्होंने जो किसान के साथ अन्याय किया, गरीब के साथ अन्याय किया, मजदूर के साथ अन्याय किया वह....(व्यवधान)

श्री सभापति : आपने जो बात कही है वह बकौल आपके प्रयासों से है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 850 करोड़ रुपये में से अब तक इनको 70 करोड़ रुपये मिले हैं, लेकिन एम.ओ.यू. पर किन किन शर्तों पर आपने कर्जा लिया। जिन शर्तों पर इन्होंने कर्जा लिया, पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आप प्रति वर्ष विद्युत कम्पनियों की 10 परसेंट विद्युत दर बढ़ाएंगे। सभापति महोदय, कह रहे थे कि नियामक आयोग बन गया। विद्युत कम्पनियां अपने नियामक आयोग के समक्ष अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करेंगी। इनकी मजबूरी है, क्योंकि जिस करार पर इन्होंने हस्ताक्षर किये हैं उसमें इन्होंने कहा कि 10 परसेंट प्रति वर्ष बिजली की दर बढ़ाएंगे। आप यह करार करके आये हैं कि किसान को दी जाने वाली बिजली, उसकी वास्तविक लागत का कम से कम 50 परसेंट वसूल करेंगे। ऊर्जा मंत्रीजी आज सुबह बोल रहे थे और कह रहे थे कि वास्तविक लागत तीन रुपये और साढ़े तीन रुपये के बीच में है। जो क्रय करते हैं, जो बिजली पर प्रति यूनिट खर्चा आता है वह है तीन रुपये और साढ़े तीन रुपयें, सभापति महोदय, यह मजबूरी है। अभी चर्चा हो रही थी, 94 पैसे प्रति यूनिट बिजली आज किसान को दी जा रही है। 37 पैसे प्रति यूनिट बिजली देने का वायदा करके ये लोग सरकार में आये, सत्ता में आये हैं। और 94 पैसे ले रहे हैं। परन्तु इनकी मजबूरी है, इनको एक रुपये 75 पैसे यूनिट किसान से बिजली का वसूल करना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पड़ेगा क्योंकि ये करार करके आये हैं विश्व बैंक के साथ। इसके साथ ही, सभापति महोदय, इन्होंने यह भी करार किया है कि विद्युत कम्पनियों का संचालन वाणिज्यिक आधार पर होगा, अर्थात् कामर्शियल बेसिस पर होगा। अगर कामर्शियल बेसिस पर कोई अपनी दुकान चलाएगा तो अपनी लाभ-हानि पहले देखेगा। इन्होंने यह भी कहा है कि 2003 तक सारी विद्युत कम्पनियों का निजीकरण कर देंगे, फ्लैट रेट और मिनिमम चार्जेज को समाप्त कर देंगे, सभी उपभोक्ताओं के नये मीटर लगा देंगे और मीटर से सबको जोड़ देंगे।

इन शर्तों के आधार पर आप कर्जा लेकर आये। आपको कर्जा मिलना था 850 करोड़ रुपये और मिला आपको 70 करोड़ रुपये। परन्तु आपने उन 850 करोड़ रुपये को लेने के लिए राजस्थान के उपभोक्ताओं पर 1200 करोड़ रुपये की दर बढ़ाई है। सभापति महोदय, दो बार बिजली की दर बढ़ाकर राजस्थान की गरीब जनता की जेब से 1200 करोड़ रुपये वसूल करने का काम आपने किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि इन्होंने सिंचाई प्रणाली को दुरूस्त करने के लिये विश्व बैंक से यह करार किया कि 700 करोड़ रुपये इनको उधार दे। हालांकि इनको पैसा तो एक नहीं मिला परन्तु करार की पहली शर्त के अनुसार इन्होंने सिंचाई शुल्क को दुगुना कर दिया।

इसके अलावा, सभापति महोदय, बड़ी चर्चा चल रही है कई दिनों से एशियन डवलपमेंट बैंक छह बड़े शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिये 1560 करोड़ रुपये कर्जा लेने की। कई दिनों से झुनझुना बजा रहे हैं। पहली किस्त आयी है और पहली किस्त सारी की सारी कंसल्टेन्सी में चली गयी। और उसमें भी इन्होंने शर्त क्या की है? ये शर्त करके आये हैं कि छह शहरों में मार्च, 2002 तक पेयजल की दरों को युक्तिसंगत करेंगे, यानि बढ़ाएंगे। युक्तिसंगत तो तभी करेंगे। इन्होंने कहा, सीवरेज टैक्स को बढ़ाएंगे, भूमि कर को बढ़ाएंगे। स्ट्रीट लाइट पर रोशनी कर लगाएंगे। सभापति महोदय हमने कर्जा लिया था 17 हजार करोड़ का, पर इन शर्तों पर कभी नहीं लिया।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय और वित्त मंत्रीजी, मैं चाहूंगा कि जो बात मैं उठा रहा हूं आप जवाब दें या नहीं दें, आप विद्वान व्यक्ति हो, परन्तु आपके जेहन में यह बात तो आनी चाहिये कि इस सदन में इस बात की चर्चा हुई थी कि आपने कर्जा लेने के लिये राजस्थान के किसान के हित को नहीं देखा, राजस्थान के आम उपभोक्ता के हित को नहीं देखा, राजस्थान के गरीब के हित को नहीं देखा।

अभी यहां गरीबी उन्मूलन की बात चली थी, डी.पी.ई.पी. योजना की। बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कई प्रश्न चिन्ह् लगाये। सभापति महोदय, इस योजना में 410 करोड़ का कर्जा लेने का करार इन्होंने किया है। किसी की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गरीबी मिटेगी या नहीं मिटेगी, पर इसके अन्दर कंसल्टेन्सी के नाम पर कुछ अपने चहेतों की गरीबी इस सरकार के उच्च पदों पर बैठे मंत्री लोग दूर करने का काम जरूर करेंगे।

शिक्षा का उन्नयन करने के नाम पर आपने कर्जा लेने का बात कही। कर्जा आपको मिला नहीं, बच्चों की फीस आपने पांच गुना बढ़ा दी और तो और आर्थिक सुधार के नाम पर केन्द्रीय सरकार से एम.ओ.यू. इन्होंने 1998 में किया था, एम.ओ.यू. करके आये थे हम तीन प्रतिशत जो सरकारी नौकरी में पद हैं, उनको समाप्त करेंगे। मेरा आरोप है सरकार पर इन्होंने बेरोजगारों से वायदा किया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 60 साल की सेवा-निवृत्ति की आयु को कम करके 58 साल करेंगे, उनसे जितने भी पद रिक्त होंगे, उन रिक्तियों पर हम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, इन्होंने इन तीन वर्षों में 80 हजार पदों को समाप्त कर दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दो मिनट।

मैं निवेदन करना चाह रहा था, पहला बजट प्रस्तुत किया चन्दनमल जी ने, उन्होंने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि राज्य में ऋण लेने व प्रतिभूति जारी करने की सीमा निर्धारित की जाएगी। आपने कर दी सीमा निर्धारित? राजस्व घाटे को संसाधन जुटाकर अधिशेष में बदला जाएगा। अब आपने यह कहा वित्त मंत्रीजी, कि तीन वर्ष में राजस्व घाटे को आप शून्य कर देंगे। फिस्कल कंसोलिडेशन का काम करेंगे। आज राजस्व घाटा आपका शून्य हो रहा है? 3044 करोड़ के राजस्व घाटे का एस्टीमेट आपने किया है।

इसके अलावा सभापति महोदय, अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि चाहे चुनाव घोषणा पत्र हो, चाहे उनकी दूसरी घोषणाएं हों, बजट की घोषणा और महामहिम राज्यपाल महोदय, के श्रीमुख से करायी गयी घोषणा हो, तीन सालों में, तीन बजटों में, सभापति महोदय आप कहो तो कुछ ऐसी घोषणाएं मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिनको लगातार करते आ रहे हैं लेकिन करने को कुछ नहीं है। + + + का राज है, वित्त मंत्रीजी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बजट में आपने क्या यह घोषणा दो बार नहीं की कि हम छह हजार कच्ची बस्तियों को पानी देंगे? 1230 करोड़ रुपये पेयजल पर खर्च करेंगे और झुंझुनुं से आने वाली माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने यह कहा है, सुमित्रा सिंहजी, कि 24 हजार किलोमीटर सड़क को दुरुस्त करवाएंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह तो आपने ठीक कहा है। लेकिन यह + + + का नहीं, अशोक भाई का राज है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और, वित्त मंत्रीजी, आपने अपने बजट के अन्दर यह कहा कि बजट का 67 प्रतिशत आप सड़क पर व्यय करेंगे, सड़क के दुरुस्तीकरण के लिए। कितना पैसा व्यय कर दिया इस एप्रोप्रिएशन के अन्दर? आप बताएं तो सही।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विनियोग विधेयक पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय विनियोग विधेयक पारित होने तक बढ़ाया जाए।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था। यह सिर्फ + + + करने का काम कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय बढ़ा तो दिया, पर आप अपने समय का ध्यान रखना।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2001

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : हां, मैं मेरे समय का ध्यान रखूंगा। इस सरकार की न तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में की गयी घोषणाओं को पूरा करने की मंशा है, न बजट की घोषणाओं पर इनका विश्वास है। और इस बाइबल की तो बात ही क्या करें? सभापति महोदय, इस बाइबल के आधार पर जो प्रचण्ड बहुमत लेकर आ गये, यही बाइबल अब ऐसा बाण बनेगा कि इनके सबके सीने छेद करेगा। सभापति महोदय, यह बाइबल जिसकी चर्चा करते हैं कि वह प्रतिपक्ष के लोगों हाथ में है, यह प्रतिपक्ष के लोगों के हाथ में नहीं, आज गांव-गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अभी बात चली थी अकाल की। इसके अन्दर बहुत बड़ी राशि आपने अकाल से सम्बन्धित ली है और आपने यह कहा कि सम्वत् 2055 में आपने 435 करोड़ रुपये खर्च किये, 2056 में आपने 565 करोड़ खर्च किये। आप यह तो बताएं, वित्त मंत्रीजी, कि दसवें वित्त आयोग की सिफारिश पर आपको कितनी राशि केन्द्रीय सरकार ने सी.आर.एफ. में दी, कितनी राशि आपको एन.सी.आर.एफ. में दी, कितना पैसा आपके पास सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम का ऐसा है जो आपने दूसरी योजना

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में मिलाकर इस अकाल के समय में खर्च किया। बात कहनी आसान है। केन्द्रीय सरकार पर दोषारोपण करना आसान है। सभापति महोदय, इस राजस्थान में छोटा-मोटा अगर कहीं विकास आपको नजर आता है, चाहे वह प्रधानमंत्री सड़क योजना हो प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो या प्रधानमंत्री स्वर्ण जयन्ती योजना हो, यह केन्द्रीय सरकार की मेहरबानी है। वरना जब से यह सरकार आयी है, गांवों के अन्दर विकास के कार्य ठप्प हो गये। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता जिनकी चर्चाएं इस सदन में होती रहती हैं।

शिक्षा मंत्रीजी बिराज रहे हैं। शिक्षा की जो हालत बना दी, सभापति महोदय, जब सरकार में बैठे लोगों का मन्तव्य एक हो जाएगा कि हमें किसी तरह दिल्ली में बैठी हमारी सोनिया गांधी को खुश करना है, राजीव गांधी के नाम पर मिशन बनाने से वह खुश होती हैं, राजीव गांधी के नाम पर टास्क फोर्स बनाने से वह खुश होती हैं, इंदिरा गांधी की प्रतिमा विश्वविद्यालय के द्वार पर पुलिस के संगीन पहरे के अन्दर चन्द लोगों के साथ लगाने से वह खुश होती हैं, तो शिक्षा मंत्रीजी, मैं समझता हूं कि एक-दो को खुश कर सकते हैं, पर राजस्थान की जनता सारी चीज देख रही है।

मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, वित्त मंत्रीजी, एक चीज के लिये निवेदन करूंगा। अब अगला वर्ष दसवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है। दसवीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक चलेगी। इस योजना में योजना आयोग ने आपको एप्रोच पत्र भेजा है। एप्रोच पत्र के साथ उन्होंने आपकी प्राथमिकता क्या होगी, उसके बारे में भी आपसे जानकारी चाही है। पंचवर्षीय योजना विकास का मेरुदण्ड है और जिस तरह समाचार पत्रों में बात आ रही है, समाचार पत्रों में यह चीज आ रही है, वित्त मंत्रीजी का वक्तव्य आ रहा है कि हम दसवीं पंचवर्षीय योजना नवीं पंचवर्षीय योजना से छोटी बनाएंगे। आप करना क्या चाहते हो? राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हो? 27,650 करोड़ की नवीं पंचवर्षीय योजना को आपने 19,700 करोड़ में समेटकर छोड़ दिया। योजनागत विकास में आपका विश्वास भी नहीं है। आपको याद होगा 1952 से 1997 का समय, सात पंचवर्षीय योजना, दो वार्षिक योजना, इस कार्यकाल में शासन आपके हाथ रहा। आपने 934 करोड़ रुपये खर्च किये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भाजपा के शासनकाल में आठवीं पंचवर्षीय योजना बनी। 11,500 करोड़ रुपये की और, सभापति महोदय, खर्चे किये 11,865 करोड़ रुपये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इलेवंथ फाइनेंस कमीशन जो प्रोफेसर खुसरो के नेतृत्व में बना, उसमें हमें कुल केन्द्रीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार से जो सहायता मिलती है वह 10,819 रुपये से बढ़कर 23,588 करोड़ हो गयी। केन्द्रीय सरकार सहायता देने में कोई कमी नहीं कर रही, परन्तु आप राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं? आपने हम पर आरोप लगाया था कि हमने राजस्थान को कर्जे में डुबो दिया। आपने हम पर यह आरोप लगाया था कि हमने राजस्थान को हाई फिस्कल स्टेस में लाकर खड़ा कर दिया। आपने हम पर आरोप लगाया था कि हमने प्रति व्यक्ति कर्ज को बढ़ा दिया आज आपने राजस्थान के साथ क्या किया है?

वित्त मंत्रीजी, इतनी बड़ी राशि आप एप्रोप्रिएशन के माध्यम से पास करवाना चाहते हैं। आपका बजट पर विश्वास इसलिए नहीं है कि आपको बजट की गरिमा से कोई लेना देना नहीं है, बजट की पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है। आप पहले वित्त मंत्री हो जिन्होंने इस बजट की पवित्रता के साथ मखौल किया है। इसलिए, वित्त मंत्रीजी, समय की रफ्तार को पहचाने कर और समय की रफ्तार को पहचान कर आप सारी बात करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

अन्त में मैं एक छोटी-सी बात और निवेदन करना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी, राजनैतिक बदले लेने का काम, इस स्वभाव को भी बदलो। आप पुराने सदस्य हो। कल बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कंचनपुरा के एक पंजाब सिंह पुत्र नेकसिंह, उसको बिना कोई कारण से पुलिस के थानेदार ने पीटा। उसकी गुदा में पैट्रोल डाल दिया। उसके खिलाफ कोई मुक़दमा नहीं था। वह मामला सदन में उठाया और आज अभी मुझे बता रहे थे सदन में यह मामला उठा नहीं, वित्त मंत्रीजी, आपने टेलीफोन खड़खड़ा दिया कि इसकी तबीयत ठीक कर दो।

(19.00 बजे)

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं। यह जो आरोप लगाया गया है, न मुझे केस के बारे में मालूम, न मुझे कोई जानकारी है। यह मैं बिलकुल सत्यनिष्ठा से इस सदन में बयान कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे आप पर विश्वास है पर, वित्त मंत्रीजी, आप उस जिले के रहने वाले हैं, उस जिले के प्रमुख राजनेताओं में से आप रहे हैं, यह कहां की बात है कि सदन में कोई सदस्य अपनी बात कहे, थानेदार पर इस्तगासा कोई सदस्य कर दे और थानेदार दोबारा उसके पीछे पड़ कर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब मंत्रीजी ने अपना स्पष्टीकरण स्पष्ट कर दिया तो उसको दोबारा रिपीट करने के कोई मतलब नहीं है। अब आप समाप्त करें तो ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसीलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था, सभापति महोदय, कि राजस्थान की सरकार, यह मौजूदा सरकार, यह निरंकुश सरकार, यह किसान विरोधी सरकार, व्यापारी विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, इसका विकास से कोई सरोकार नहीं है। इस सरकार ने राजस्थान को वित्तीय रूप से जर्जर कर दिया। यह सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार बन गयी है। इसलिए समय रहते देखो वरना बारूद के ढेर पर बैठे हो, वित्त मंत्रीजी, बारुद के विस्फोट में बचोगे नहीं। इतना ही मुझे निवेदन करना है। सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मदन दिलावर। समय का ध्यान रखें।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : बिलकुल। सभापति महोदय, मैं बहुत गम्भीरता से अपनी बात कहना चाहता हूं। आप स्वयं जानते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 5,64,83,112 है और जब 1998 का विधान सभा का चुनाव हुआ था तब मतदाताओं की संख्या 3,01,32,000 थी और उस समय कांग्रेस ने 200 में से 153 सीटें जीत कर रिकार्ड तोड़े थे। उसके बाद तेरहवीं लोक सभा का चुनाव कर 1999 में हुआ तब भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 16 सीटें प्राप्त हुई और कांग्रेस को 74,75,888 मत प्राप्त हुए। (व्यवधान) शांति से सुन लें। उसके आधार पर यदि गणना की जाती है, जिस प्रकार से निरन्तर ह्रास होता है लोकप्रियता में, जब सत्ता में रहते हैं, तो आज की तारीख में कांग्रेस के मतदाता लगभग 60 लाख हो जाते हैं। (व्यवधान) हां, विनियोग बिल पर बोल रहा हूं। मेरे को शांति से सुनिये।

श्री हीरालाल विश्नोई : आपके 8 साल में क्या हुआ?

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि तहलका प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में लगभग सवा छह करोड़ हस्ताक्षर करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिये, उसमें 94 लाख हस्ताक्षर राजस्थान से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पहुंचे हैं।

(19.03 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अब मुझे हैरत है इस बात पर कि जहां 60 लाख समर्थक कांग्रेस के इस राजस्थान में हों....

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या है?

श्री मदन दिलावर : मैं विनियोग बिल पर बोल रहा हूं। यह एक फ्राड का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : यह हस्ताक्षर विनियोग बिल पर कहा? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हां, यह एक फ्राड का मामला है। वहां पर फ्राड हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विषय उठा रहे हैं यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : विनियोग बिल से क्या लेना-देना इसका।

श्री हीरालाल विश्नोई : इस बात का औचित्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अगर विनियोग बिल पर बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं तो बिराजो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं विनियोग बिल पर बोल रहा हूं, श्रीमान्, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपतिजी को इस प्रकार फर्जी हस्ताक्षर करके लगभग 94 लाख फर्जी हस्ताक्षर करके....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल विश्नोई : इससे विनियोग बिल का क्या लेना-देना है? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह राजस्थान का अपमान है, भारत की जनता का अपमान है कि इस प्रकार के फर्जी हस्ताक्षर करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दे.... (व्यवधान)....

श्री छोगाराम बाकोलिया : राज के कोष को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप क्या विनियोग के बारे में बोल रहे हो?

श्री मदन दिलावर : इसमें अपराध बनता है, श्रीमान् ये फर्जी हस्ताक्षर करके देने से ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री छोगाराम बाकोलिया : कोई फर्जी हस्ताक्षर नहीं हैं। (व्यवधान) बिलकुल सही हस्ताक्षर हो कर ज्ञापन दिया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप एम.एल.ए. बन कर आ गये यहां पर ....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अपराध बनता है, श्रीमान्। मैं यह भी कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री मदन दिलावर : और, श्रीमान् मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के इस अभियान का उद्देश्य केन्द्र की सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा कर अस्थिर करने का था।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो उदार बनें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। नहीं, अनेसेसरी लिमिट.....(व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमें संरक्षण कौन देता है? आपके बिना कोई है ही नहीं। आप उदार बनें, उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम वक्ता है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, संरक्षण, वाजिब संरक्षण....(व्यवधान). एक घंटा पहले आपने होम डिपार्टमेंट की बहस करा ली, राष्ट्रपतिजी पर चले गये। विनियोग बिल का कोई लेना-देना नहीं इससे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट में अपनी बात खतम करेंगे।

श्री छोगाराम बाकोलिया : सारे, जितने भी बोले, सभी अपोजीशन के माननीय सदस्यों ने बोला है....(व्यवधान) इस डिबेट में भाग लिया है अभी तक केवल मात्र विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप रेलेवेंट बात करें तो ....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या रेलेवेंट है? कोई रेलेवेंट नहीं है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : इसलिए ऐसा कोई कह नहीं सकता, चार्जेज नहीं लगा सकते सरकार के ऊपर कि मौका नहीं दिया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट भले ही दे दूं लेकिन विनियोग बिल पर बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां।

श्री उपाध्यक्ष : राष्ट्रपतिजी के दस्तखतों से क्या लेना-देना इसमें?

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं अलाउ करूंगा मैं।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री संजीव बेनीवाल : इनको सीधा विनियोग बिल पर बुलवाओ। (व्यवधान) यह न जाने कहां की बात को कहां आ करके बोल रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह सदन का कीमती समय खराब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट बिराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अभी माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ आधा घंटा बोले, किसी ने टोका क्या इनको। कोई रेलेवेंट बात करो, कोई इसकी बात करों तो सब सुनने को तैयार हैं।

श्री मदन दिलावर : हां, विनियोग बिल पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : राष्ट्रपतिजी को फर्जी दस्तखतों से इसका क्या लेना-देना?

श्री मदन दिलावर : विनियोग बिल की ही बात कर रहा हूं।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : एक घंटा तो पहले इन्होंने ले लिया। विनियोग बिल पर आप स्टडी करके आओ। अगर समझते हो तो स्टडी करके आओ, फिर बोलो। इस पर बोलना आसान नहीं है।

श्री मदन दिलावर : मैं विनियोग बिल पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो तो देखें।

श्री मदन दिलावर : कि कोई भी यदि मेरा फर्जी हस्ताक्षर बनाता है तो अपराध की श्रेणी में आता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। आप बोलो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : फर्जी हस्ताक्षरों का इस विनियोग बिल से क्या लेना-देना?

श्री मदन दिलावर : अब मैं यह जानना चाह रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आप बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर जो सम्मानीय सदस्यों ने यहां पर चर्चा में भाग लिया...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, यह मामला यह है कि राजस्थान में जिस प्रकार से आर.एफ.सी. ने लोन दिया उद्योगों को.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वो बोलना ही नहीं चाहते, सिवाय दस्तखतों के बात ही नहीं कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : विनियोग बिल पर बोल रहा हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दूसरा विषय है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी, बोलिये।

(आसन द्वारा हाथ के संकेत से अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनको बिठाइये, साहब, मैं बोलूंगा कैसे?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, मैं पास करा दूंगा न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं बोलूंगा, जवाब दूंगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री छोगाराम बाकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह जबरदस्ती बोल रहे हैं। इनको थोड़ा-सा कहें, यह कोई जबरदस्ती थोड़े ही है।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप नेता महोदय, माननीय कटारिया साहब।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपने नाम पुकार लिया माननीय वित्त मंत्रीजी का (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका एक्सपंज करो, साहब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप एक्सपंज जब तक नहीं करेंगे तब तक यह मानेंगे नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : हां, पाइंट आफ आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि जब बजट स्पीच होती है तब तो वित्त मंत्रीजी पानी का गिलास रखते हैं पास में क्योंकि बहुत लम्बी स्पीच होती है, पी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सदन में पानी मंगा कर पीना नियमों के विरुद्ध है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आसन से परमिशन के बाद। आसन ने इजाजत दी है।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, कोई परमिशन नहीं ली।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, डा. किरोड़ी लालजी के तकलीफ है, यह भी मांगते हैं तो पानी पीने की इजाजत देते हैं हम। तो थोड़ा बहुत मानवीय दृष्टिकोण रखिये। इसमें क्या बात है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : सुमित्राजी, कमाल है आपका, हद है। परमिशन से....

एक माननीय सदस्य : फिर खड़े हो गये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह गलत है। (व्यवधान) ये गलत परम्पराएं सदन में डाली जा रही हैं। यह गलत परम्परा है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई विशेष परिस्थितियां, ऐसी होती हैं तो उसमें क्या बात है? मैं आपसे सहमत हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने प्रतिपक्ष के नेता महोदय को कभी रोका।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गलत परम्पराएं डाली जा रही हैं चाहे वो पीयें चाहे वो पीयें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी बात से सहमत हूं हंडरेड परसेंट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : परम्परा गलत है, बाहर जाकर पीओ।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, आप राष्ट्रपतिजी की बात तो बोलने देंगे नहीं, अब मैं बात करता हूं जो आप सुनना चाहते हैं। बारां में लगभग चौदह लोगों को डकैत उठाकर ले गये दो महीने पहले। (व्यवधान) 14 लोगों का अपहरण किया। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है। यह नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो मंत्रीजी।

(आसन द्वारा हाथ के संकेत से अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक के ऊपर सदन में....

श्री मदन दिलावर : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : विनियोग विधेयक पर बोलना ही नहीं आता।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इनको एक घंटा दे दिया तो इनको और सही....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह कह रहा हूं कि आप विनियोग बिल पर बोलें, वे तो डकैत पर आ गये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : आप आधा घंटे तक बोले आपको टोका किसी ने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे ऊपर कृपा है, हुकुम, आपकी। इनके ऊपर भी थोड़ी कृपा तो करो।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कृपा का सवाल नहीं है। मैं तो था ही नहीं। I was not on the Chair.

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप रेलेवेंट बोल रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : कोई रेलेवेंट बोलता है तो कोई रोकता थोड़ी ही है।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इर्रेलेवेंट बात है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पांच मिनट। आप जैसे व्यक्ति आसन पर विराजे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : पुलिस की डिमाण्ड है, सर।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं, माननीय सदस्य में जानता हूं कि पुलिस की डिमाण्ड है लेकिन आप बहुत बोल चुके हैं पुलिस पर, और कितना बोलना चाहते हैं आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक लोहमहर्षक घटना है, उपाध्यक्ष महोदय, आप पूरी घटना सुनेंगे तो आपकी आंखों में अश्रु की धारा चल जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे आसूं निकालना इतना आसान नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : ओह। आसूं की धारा। फालतू बात।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे नहीं कह रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि शाहाबाद के क्षेत्र में चौदह लोगों को डकैत उठाकर ले गये। मजदूर लोग भेड़ चराने वाले जो मारवाड़ से उधर भेड़ चराने के लिए जाते हैं। हमने पुलिस को कहा कि इनको पकड़िए, उनको डकैत ले जा रहे हैं। फिरौती देकर लोग छूटकर आ रहे हैं, दो-दो लाख रुपये देकर आ रहे हैं, इनको पकड़िए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैं नाम नहीं बताऊंगा अधिकारी का, पुलिस ने मेरे को कहा कि दिलावरजी, आप किससे पकड़वाना चाहते हो, मेरी गाड़ी में पैट्रोल नहीं। मेरी गाड़ी के धक्का लगवाता हूं, मेरी गाड़ी के लिए पैट्रोल डीजल देते नहीं, मेरे पास फोर्स है नहीं

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

इतने नामी गिरामी डकैतों को जहां घना जंगल कई किलोमीटर दूर डकैत मैंने जब डी.जी. साहब से बात की, मैंने जब वहां जाकर चक्का जाम किया, पूरा इलाका मेरे साथ हो गया, तब जाकर यहां से फोर्स भेजी, गाड़ी भेजी और सब कुछ किया। मैंने जब कहा कि यदि आपने डकैतों को नहीं पकड़ा तो मदन दिलावर सैकड़ों लोगों के साथ जंगल में जा-जाकर डकैतों को पकड़ेगा। 26 तारीख तक डकैतों को नहीं पकड़ा गया, श्रीमान्। मजबूर होकर मुझे खतरा मोल लेकर अस्सी लोगों के साथ 25 हथियार लेकर 40 किलोमीटर जंगल में जाना पड़ा। 40 किलोमीटर जंगल में गया उसके बाद डकैतों का पता नहीं चला। पर मैं जानना चाहता हूं, मैं कोई डींग नहीं हांक रहा हूं, मेरे में कोई हिम्मत भी नहीं है कि मैं डकैतों का सामना कर सकता हूं। लेकिन वहां की जनता की हिम्मत और सहयोग के कारण से मैं गया और मुझे बहुत खुशी है कि उसके बाद न तो डकैत किसी का अपहरण करता है, न डकैत किसी की चर्चा करता है। आज वहां डकैत नहीं हैं लेकिन जहां तक नेताओं का संरक्षण रहा वहां, तब तक डकैत लूटपाट करते रहे।

यही नहीं, श्रीमान् कोटा में केशवपुरा एक इलाका है, वहां एक घास भैरूजी की बहुत बड़ी प्रतिमा पांच क्विंटल के लगभग की होगी, घास भैरूजी बहुत बड़े थे किसी के कोई दैवीय प्रकोप या प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है तो उससे निपटने के लिए जनता उसको गांव के चारों तरफ घुमाती है। जब लोग ऐसी तैयारी कर रहे थे कि कुछ लोग वहां आये। एक मस्जिद वहां थी, वे वहां का दरवाजा खोलना चाहते थे। वहां के नेताओं से मिलकर उन्होंने कहा कि दरवाजा खोल लो। उन्होंने कहा ठीक है, पुलिस से कह देते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, गम्भीरता से सुनना, मैंने कभी जिन्दगी में नहीं सुना कि इस प्रकार के काम भी पुलिस करवाती होगी। दीवाली के दिन रात को दो बजे दो जिप्सियां आती हैं, पतिया और सब्बल साथ में लाती हैं और वे उस घास भैरूजी को जिप्सी में डालकर सात किलोमीटर दूर धर्मपुरा बांध के पास फेंक कर आते हैं। जब सुबह वहां के लोगों ने देखा, आक्रोश पैदा हो गया कि हम घास भैरूजी की पूजा कर रहे थे, घास भैरूजी कहा चले गये। तो, श्रीमान्, जब पुलिस पर दबाव बना, सात बजे लोगों ने जाकर कहा कि यदि हमारे घास भैरूजी नहीं लाये तो गड़बड़ हो सकती है, शांति भंग हो सकती है तो वहां के एस.पी. महोदय ने पुलिस अधिकारियों से बुलाकर बात की और कहा कि क्या बात है। जब बार-बार प्रेशर बना, जनता सारी आक्रोशित हो गयी, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है तो उन्होंने कहा कि सुबह नौ बजे तक घास भैरूजी आ जाएंगे। जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था वह घास भैरूजी का समर्थित था, उसको रात को साढ़े तीन बजे उठाया....

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : अब बन्द करो, साहब इनको। (व्यवधान) अब बैठा दो, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मदन दिलावर : सीधा उठा और कहा कि कहां है, वहां ले गये, घास भैरूजी उठाकर ले गये। (व्यवधान) घास भैरूजी उठाकर लाये। दुर्भाग्य से जहां से घास भैरूजी उठा रहे थे वहां पुलिस की टोपी छूट गयी, पूरी जनता ने देखा। आसपास के लोगों से पूछा कि यह क्या माजरा है। वहां के एक भील है जो उस क्षेत्र के पटेल हैं, उन्होंने बताया कि अस्सी साल से घास भैरूजी को मैं यहां देख रहा हूं। मैंने मोहल्ले वालों से बात की, उन्होंने कहा कि रात को दो जिप्सी आयी थीं पुलिस की, पुलिस वाले थे और कुछ यू.आई.टी. के लोग थे, वे घास भैरूजी की मूर्ति को लाद कर ले गये हैं।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : क्या लेना-देना है इससे विनियोग विधेयक का?

श्री मदन दिलावर : इतना भड़काने का काम, श्रीमान्, मैंने पहली बार देखा है। राजस्थान सरकार में बैठे हुए लोग हिन्दुओं की भावनाओं का, भगवान का अपमान करने के लिए ऐसा षड़यंत्र कर सकते हैं। ऐसे निकम्मे लोगों को....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह होली गा रहे हैं या दीवाली। ये क्या बोल रहे हैं? रेलेवेंसी भी तो कोई चीज होती है आखिर। हाउस है, हाउस का कीमती समय है, इरेलेवेंट बात कर रहे हैं, आप इनको रोकिए। ये इरेलेवेंट बोल रहे हैं। कोई प्रासंगिकता नहीं।

श्री मदन दिलावर : हां, रेलेवेंट है। पुलिस से सम्बन्धित बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बोल रहे हैं? आप बिराजें।

श्री मदन दिलावर : राष्ट्रपति महोदय को राजग की सरकार को बदनाम करने के षड्यंत्र के तहत जो ज्ञापन दिया उस ज्ञापन पर फर्जी हस्ताक्षर ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात आ गयी। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित हो ही नहीं रहा है।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, आप शुरू करो। हो गया इनका।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री संजीव बेनीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिए। सुन लिया।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, बिराजिए। मंत्रीजी, आप शुरू करो न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे लम्बा बोलना है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, इनका रिकार्ड नहीं करिए। (व्यवधान) रिकार्ड नहीं हो रहा। बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इससे और ज्यादा देर हो रही है।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने चार दफा यह बात कह दी है।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में जैसा दिवेदन किया था, सर्वप्रथम तो मैं प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उनका आभार जताता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनका आभार व्यक्त करो।

एक माननीय सदस्य : इनका तो अंकित नहीं हुआ इसलिए नहीं होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ज्ञानदेवजी, कृपा करो जरा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह बता दो खाली कि इनके पिताजी के दस्तखत....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था, आज यहां पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई और जितने इम्पार्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं करीब-करीब उन सबके बारे में सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैंने निवेदन किया था अगर सप्लीमैंटरी डिमाण्ड से रिलेटेड मैटर्स रेज किये जाते तो मैं उनको भली प्रकार से जवाब दे सकता था क्योंकि उस विषय के ऊपर मेरी तैयारी थी। मैंने

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आसन से निवेदन किया लेकिन आसन ने अपना निर्णय सुनाया, शिरोधार्य। इसलिए मेरे लिए सभी पाइंट्स जो यहां उठाये गये हैं, जो अलग-अलग मंत्रालयों से रिलेटेड हैं, सबके ऊपर मेरा जवाब देना सम्भव नहीं है क्योंकि कन्सर्न डिपार्टमेंट से इन्फार्मेशन गैदर करना इतने शार्ट पीरियड के अन्दर काफी कठिन कार्य था। लेकिन कुछ मोटी बातें जो मैंने नोट की यहां पर, जिनके बारे में थोड़ी बहुत सरकारी जानकारी मुझको है और कुछ वित्त विभाग से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार यहां व्यक्त किये, उनके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर ला एण्ड आर्डर, अकाल, बाजरा, जौ, किराया, सिंचाई विभाग, पी.डब्ल्यू.डी., बेरोजगारी, पेंशन, सी.आर.एफ., एन.सी.आर., राजीव गांधी पाठशाला, बजट लीक नाइन्थ प्लान, आपने कर्टेल किया, विभिन्न विषयों के ऊपर यहां पर....

श्री राजेन्द्र पारीक : दिलावर साहब के पिताजी का अंगूठा ....

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह रिकार्ड नहीं हुआ है इसलिए उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : रिकार्ड तो वैसे भी नहीं होगा, वह तो चिपका था वहां पर....

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ला एण्ड आर्डर के बारे में माननीय किरोड़ीलाल जी ने कोई बात कही, उस विषय में तो मैं जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन कुल मिलाकर पिछले बजट सत्र के दौरान गृह विभाग की जब मांगों के ऊपर चर्चा हुई थी उस वक्त भी गृह मंत्रीजी ने अपना उत्तर दिया था और उन्होंने यह चीज बताने की चेष्टा की थी, जो मुझे याद है, कि क्राइम के मामले में मेजर हैड्स के अन्दर जिसमें कि हीनियस क्राइम या सीरियस क्राइम आते हैं, उनकी संख्या गिरी है। अव्य खाली यह तो है ही नहीं, हमेशा हर राज्य के अन्दर हर साल क्राइम कमिट होते आये हैं, वर्क आउट भी होते हैं, लेकिन खाली स्ट्रे इंसीडेंस के आधार पर इक्का-दुक्का इंसीडेंस यहां पर आप कोट करके यह दर्शाने की चेष्टा करें कि इस राज के अन्दर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गयी है, इसको मैं कतई उचित नहीं मानता।

एक बात यहां पर कही गयी कि साम्प्रदायिकता की घटनाएं इस राज के अन्दर बढ़ी हैं, मैं उस विषय के ऊपर लम्बी बहस में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं पूछता हूं, आपके राज में क्यों नहीं होती थीं? आप ही के लोग कराते हैं। आप ही के लोग कराते हैं और आप ही के लोग रोकते हैं, यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। छोटी-छोटी बातों को तूल देते हैं।

श्री मदन दिलावर : आप असामाजिक तत्वों को प्रोटेक्शन देते हैं इसलिए उनके भाव बढ़ते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह कांग्रेस की पुरानी नीति है, कोई सौ साल पुरानी नीति है।

श्री मदन दिलावर : अन्तरराष्ट्रीय लोगों को प्रोत्साहन देना कांग्रेस की पुरानी नीति है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम धर्मनिरपेक्षता में बिलीव करते हैं सैक्युलरिज्म में हमारा विश्वास है। यह कांग्रेस की पुरानी नीति है, मैं उसको यहां दोहराना चाहता हूं। हमारा सैक्युलरिज्म में विश्वास है, धर्मनिरपेक्षता के अन्दर विश्वास है। आप किसी से नफरत कर सकते हैं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं माफी चाहूंगा. (व्यवधान) मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर इन्होंने कह दिया कि साम्प्रदायिक दंगे हम लोग करवाते हैं हमारे राज में क्यों नहीं होते? क्या आधार है आपके पास? इस तरह की बात कर रहे हैं, आप जिम्मेवार आदमी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की राजधानी में 97 हजार गणधारी स्वयं सेवक आये थे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक घंटा बोले हो।

डा. किरोड़ी लाल : एक पत्ता भी नहीं हिला, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी। अनुशासन में सारा कार्यक्रम हुआ। तो इन्होंने चार्ज कैसे लगा दिया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यही तो कह रहे हैं वो, और क्या कह रहे हैं? (व्यवधान) आप जो यह कह रहे हो वही तो....

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारी बात बहुत धैर्यपूर्वक सुनी....

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीमा में बोले वित्त मंत्रीजी। आपका पता है क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप बैठो ना।

श्री मदन दिलावर : आपको पता है क्या बांग्लादेशियों को संरक्षण देकर जयपुर की धरती पर दंगे भड़काने का काम कौन करता है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह गौ हत्या हम करवाते हैं क्या? (व्यवधान) आर.डी. एक्स. के ट्रक कहां से आ रहे हैं, यह बताइये....(व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय की मौजूदगी में इस प्रकार की अनर्गल बातें प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कर रहे हैं, मेरा आग्रह है आपके जरिये माननीय प्रतिपक्ष के नेता....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह गौ हत्या हम करवाते हैं क्या? (व्यवधान) आर.डी.एक्स के ट्रक जहां पकड़े गये हैं, वो कौन कांग्रेस के मैम्बर हैं और एक आई.एस.आई. का एजेंट है....

आई.एस.आई. का एक पौता यह मोहम्मद कासिम कांग्रेस का पदाधिकारी है, वह हमारा बी.जे.पी. का है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बीच में शोर मचा करके अगर आप बात को दबाना चाहते हैं, वह अनुचित है, मुनासिब नहीं है। यह डैमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। (व्यवधान)

(आसन द्वारा हाथ के संकेत से अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप हैल्दी पावरफुल डिबेट चाहते हैं तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जिनका सामाजिक ....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : आर्थिक विषयों पर चर्चा कर लें, क्यों इन पर जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा तो आपने की, उसका जवाब तो देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या जवाब देंगे, इनको पता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इनको पता नहीं है तो किसको पता होगा। जवाब तो यही देंगे ना

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब जिसने भी कहा है, यहां आयी है। लिखा है मैंने। किरोड़ी लालजी ने यह बात कहीं, मैंने लिखा है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, जो पाइंट यहां रेज नहीं किया गया है। मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं आप प्रोसीडिंग निकालकर देख लेना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ईमानदारी से कह रहे हैं तो एक जवाब दे दीजिए। आपने इस हाउस में कहा कि पिछली गवर्नमैंट जब मैं मुख्य मंत्री था, उस समय दंगे नहीं हुए, अब दंगे हो रहे हैं। वह हमने दंगे बंद किये, अब हम करवा रहे हैं। बता दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, हां, आपकी पार्टी के लोग, यह तो सर्वविदित है। सर्वविदित है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह : सर्वविदित है यह बात....(व्यवधान) कौन नहीं जानता इस बात को? सारा हिन्दुस्तान जानता है इस बात को....(व्यवधान) बाबरी मस्जिद को किसने तोड़ा, कौन नहीं जानता हिन्दुस्तान के अन्दर....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री हीरालाल विश्नोई : ×××

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : यह बजरंग दल को हत्यारा कौन कह रहा है? (व्यवधान) कौन बांट रहा है? (व्यवधान) यह कौन कह रहा है फोटुएं? (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : ×××

श्री हीरालाल विश्नाई : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ××××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह बंदूकें कौन दे रहा हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। प्लीज बिराजिये। (व्यवधान) जितना आपकी.... (व्यवधान) बोल गये फिर क्या है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री हीरालाल विश्नोई : ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप रिकार्ड निकाल कर देख लो....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : हम वही बोले जो आपको अच्छा लगेगा। हम वही बोले जो आपको अच्छा लगे ....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूं। इस विषय में अब आगे नहीं बोलूंगा। एक रेफरेंस मैंने दिया था....(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बिराजिये प्लीज....(व्यवधान) एक मिनट, माननीय सदस्य, बिराजिये (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्यों ने अकाल के बारे में....(व्यवधान) ताकि अकाल के बारे में ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये मंत्रीजी को सुनना नहीं चाहते हैं, हमारे पास भी बहुत बड़ा परिवार है....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो यह सम्भव नहीं है। (व्यवधान) सुनिये आप ....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

डा. के. सी. चौधरी : ×××

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर आग्रह के बाद....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बिराजिये आप। माननीय सदस्य, बैठिये। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ना.... (व्यवधान) आप प्लीज बिराजिये.... (व्यवधान) आप बोल लेना बाद में

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

....(व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिये। आप एक मिनट बिराजिये। अगर सदन की यही मंशा है कि आप तो सब बोल लो और मंत्रीजी का जवाब नहीं सुने तो यह कतई हैल्दी डैमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, मंत्रीजी से यह उम्मीद करते हैं क्या....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं तो आप उनको बोलने ही नहीं देना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी मर्जी आए.... (व्यवधान) आप बोल रहे थे तो कौन रोक रहा था? आप बोल ले मर्जी आए जो, ऐसा नहीं चल सकता है....(व्यवधान) बिलकुल नहीं, चल सकता है। आर्डर, आर्डर। आप उनको सुनिये। उसके बाद में then I will allow; आपको अलाउ करूंगा क्वेश्चन के लिये। लेकिन यह नहीं हो सकता, आप आधा घंटे तक बोलो, वे चुपचाप सुनते रहे और यह बोले जब आप बोलने नहीं दो। यह हो ऐसा नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान) प्लीज अब आपसे निवेदन करता हूं मंत्रीजी का जवाब सुनिये। बिराजिये, बिराजिये.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

डा. के. सी. चौधरी : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब तो यह है फिर कोई डिबेट चल ही नहीं सकती है। यह कैसे चलेगा? (व्यवधान) आप बोलोगे ये शुरू कर देंगे, आपको बोलने ही नहीं देंगे। अपोजिशन को हम इतना एडजैस्ट करते हैं....(व्यवधान) यह नहीं चल सकता है। यह नहीं हो सकता कि आप बोल लें और गवर्नमेंट बिना रिप्लाई के यहां से चली जाए। यह नहीं चल सकता।

गवर्नमेंट की रिप्लाई सुननी पड़ेगी, आप बैठिये ....(व्यवधान) ऐसा थोड़े ही हो सकता है कि आप बोल लिये और गवर्नमेंट बिना रिप्लाई के चली जाए....(व्यवधान) यह नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की रिप्लाई सुननी पड़ेगी, उसके बाद आप कोई क्वेश्चन करेंगे। I will allow. यह आपका अधिकार है, आप क्वेश्चन करके जवाब मांगेंगे मंत्रीजी से.... (व्यवधान) लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि आप चार घंटे तक बोल लिये और आधा घंटा मंत्रीजी का भी होने दो....(व्यवधान) यह कौनसा प्रोसेस होगा....(व्यवधान) नहीं, यह नहीं चल सकता। यह कतई नहीं चल सकता। मंत्रीजी, बोलिये....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

डा. के. सी. चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह कैसे हो सकता है? आप बोलते जाओ, सुनते जाएं हम, यह नहीं हो सकता है। यह कैसे हो सकता है? (व्यवधान) चार घंटे तक आपको सुना है....(व्यवधान) यह जरूरी नहीं कि जो बात.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : वे जो कहेंगे वह आप नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री हीरालाल विश्नोई : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री हीरालाल विश्नोई : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : जब आप बोलेंगे तो कोई आपको बोलने नहीं देगा। ऐसे थोड़े ही काम चलेगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : चार घंटे तक उन्होंने सुना है और आप उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते ....(व्यवधान) .... यह कौनसी ....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें, माननीय सदस्य....(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बात को....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हाउस को नहीं चलने देंगे तो इसके परिणाम जो होंगे तो उसको आप देख लेना ....(व्यवधान)

I cannot cooperate you.

श्री हीरालाल विश्नोई : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : और इनको सुनना नहीं चाहते हैं, ऐसा कैसे चलेगा....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यह सब बात कह चुके हैं....(व्यवधान) माननीय सदस्य। मंत्रीजी, आप बोले.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री हीरालाल विश्नोई : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें। माननीय सदस्य आप बिराजें। (व्यवधान) मंत्रीजी जो कहें उससे आप सहमत हों, यह जरूरी है क्या....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, आप बोले.... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप भी वही बात ....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री हीरालाल विश्नोई : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप। पाइंट आफ आर्डर क्या है?....(व्यवधान) मंत्रीजी बोल रहे हैं, क्या पाइंट आफ आर्डर है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : बात कह रहा हूं अपनी ....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, जब भी कोई मंत्री की तरफ से रिप्लाई दिया जाता है तब ये सारे मिलकर षड्यंत्रपूर्वक इस तरह का वातावरण बनाते हैं। उससे पहले तीन-चार घंटे लगातार इस सदन में बहस होती है।

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइंट आफ आर्डर है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : एक भी माननीय सदस्य उनको टोका-टोकी नहीं करता। उनकी पूरी बात सारा सदन सुनता है। उनके द्वारा लगाये गये सारे आरोप तो हाउस के रिकार्ड में आते हैं और मंत्री अपनी तरफ से कोई रिप्लाई दें या गवर्नमेंट उस पर आगे रिप्लाई देना चाहती है वह हाउस में नहीं आने देते हैं। अन्त में क्या होता, जब उनका हल्ला-गुल्ला ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी तरफ से व्यवस्था होती है कि आप नहीं सुनना

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

चाहते, ठीक है, छोड़ो बिल पास करवाया और उन्होंने जो कुछ भी सरकार पर आरोप लगा दिये, उनके सारे के सारे आरोप हाउस के रिकार्ड पर आ जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की व्यवस्था बंद होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप निश्चित रहिये, आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : वरना हालत यह होगी कि जब कभी कोई उधर से बोलेगा तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग नहीं बोलने देंगे। सत्ता पक्ष के बोलेंगे तो उधर के नहीं बोलने देंगे। उससे कहीं न कहीं तो....

श्री उपाध्यक्ष : What is your point of order ?

श्री राजेन्द्र पारीक : अनुशासन होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा पाइंट आफ आर्डर यही है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्री राजेन्द्र पारीक : कि जब सरकार अपनी कोई बात कहना चाहे तो उस पर अपनी व्यवस्था आप दें....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें पाइंट आफ आर्डर क्या ? मैं कह रहा हूं ना यह तो....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप कह क्या रहे हो ? जो व्यक्ति इस हाउस में बैठा हुआ 302 का अपराधी है, 1998 में उसका.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य वह स्थिति आएगी तो ऐसा.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज.... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बैठे ना.... (व्यवधान) आप खड़े हो....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें....(व्यवधान) माननीय जोशीजी.... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठें। (व्यवधान) मैं किसी भी कीमत पर गवर्नमेंट को अनरिप्लाइड यहां से नहीं जाने दूंगा। गवर्नमेंट रिप्लाई करेगी। जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना है तो हाउस में नहीं....(व्यवधान) चार घंटे बात सुनी है, गवर्नमेंट की रिप्लाई आपको सुननी पड़ेगी। It will come on record and then only the House will be adjourned.

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी टैन्थ फाइनेंस कमीशन के.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आ रहा हूं यहां ....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आप.... (व्यवधान) सब अखबारों में आ जाएगा, मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजो।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : समझाए ना उनको .... (व्यवधान) आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात यह दर्शाने की चेष्टा की गयी कि टैन्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन के तहत या इलेवन्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन के तहत जो पैसा राज्य सरकार को उसके हिस्से का मिलता है, वह कोई राज्यों पर भारत सरकार एहसान करती है या खैरात देती है। इस बात को मैं बहुत साफ करना चाहता हूं, संविधान के अन्दर स्पष्ट प्रावधान है कि हर पांचवें साल वित्त कमीशन, फाइनेंस कमीशन अपाइंट होगा. जो राज्यों के हिस्सों का पुनर्निर्धारण करेगा भारत

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सरकार के राजस्व के अन्दर से। उसका मूल कारण यह है कि राज्यों की राजस्व आय कम है और राज्यों के ऊपर खर्चों का दायित्व भारत सरकार के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। उसके तहत होता है। लेकिन यह भ्रम फैलाने की चेष्टा की जाती है कि भारत सरकार राज्य सरकारों को कोई एहसान के रूप में पैसा दे रही है। सारे हिन्दुस्तान के सूबों को एक फार्मूले के तहत धन का आबंटन किया जाता है।

इसी प्रकार से यहां पर बार-बार यह बात कही जाती है कि भारत सरकार ने पैसा दिया, भारत सरकार ने पैसा दिया। भारत सरकार के पैसे से काम कर रहे हैं। भारत सरकार के पैसे से फलां काम हो रहा है, भारत सरकार के पैसे से फलां काम हो रहा है। एक भ्रम राज्य की जनता में फैलाने की कोशिश की जाती है क्योंकि दिल्ली में बी.जे.पी. की सरकार है, हमारी सरकार दे रही है। राजस्थान के अन्दर सारे विकास के कार्य दिल्ली की सरकार की खैरात से पैसे से राजस्थान की सरकार कर रही है। एक भ्रम फैलाने की जनता के अन्दर चेष्टा की जाती है। इस बात को भी मैं साफ कराना चाहता हूं, हमारे कानून के मुताबिक होगा, आखिर फैडरल स्ट्रक्चर है। फैडरल स्ट्रक्चर चरमरा जाएगा अगर राज्यों को उनका ड्यू हिस्सा नहीं दिया जाएगा। यह हमारा अधिकार है, एक अधिकार के तहत हमको मिलता है। कांग्रेस के जमाने के अन्दर भी फाइनेंस कमीशन अपाइंट हुए थे, बड़े पुराने अनुभवी लोग उसके अध्यक्ष थे। कई गैर कांग्रेसी सरकारें भी कहीं थीं उनको भी पैसा दिया जाता था। वह कोई एहसान नहीं था। उनका हक है, लैजिटिमेट राइट है। लैजिटिमेट राइट के तहत जो पैसा दिया जाएगा तो मेरा आपसे निवेदन है, इस बात को भी बहुत साफ तरीके से सब स्वीकार करें कि उसी तहत सी.आर.एफ. के अन्दर हमको पैसा मिला। मैं एन.सी.आर.एफ. के पैसे की बात मान सकता हूं लेकिन मेरा उसमें भी कहना है कि एन.सी.आर.एफ. में राज्य ने तीन अकाल लगातार फेस किए हैं। पहले साल में उसको एक करोड़ रुपये दिये थे, उसके बाद 85 करोड़ रुपये दिये और राहत मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, उसके बाद शायद 102 करोड़ रुपये उन्होंने दिये। मेरा आपसे निवेदन यह है कि एन. सी. आर. एफ. में जब हम तुलना दूसरे राज्यों से करते हैं, जब हम राजस्थान की तुलना आंध्र से करें, उड़ीसा से करें, गुजरात से करें, मैं वहां की त्रासदी को कम नहीं कहता, मेरा आकलन कोई कम नहीं है, सहानुभूति मेरी कम नहीं है लेकिन जब ऐसा आभास होता है कि जो राज्य तीन साल से लगातार अकाल की चपेट में था, सूखे की इसने मार सही, जहां पीने के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पानी की कमी, चारे का अभाव, मनुष्य बेहाल, हमारे संग भारत सरकार ने न्याय नहीं किया एन.सी.आर.एफ. का पैसा देते समय।

मैं इस बात को यहीं छोड़ना चाहता हूं क्योंकि अकाल के बारे में बहुत चर्चा हुई। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने अपनी सामर्थ्य से अधिक पैसा अकाल राहत कार्यों में खर्च किया। (व्यवधान) आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा फिगर्स। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमने पैसा खर्च किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। यह बात आप सही नहीं कह रहे हैं। आपको तीन वर्ष के लिए अकाल में 16 हजार....

श्री प्रद्युम्न सिंह : 16 हजार....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 16 हजार....

श्री प्रद्युम्न सिंह : 16 हजार कहां से आ गया, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1663 करोड़ रुपये आपको मिले हैं और आपने खर्च किया 14 सौ करोड़ रुपये 200 करोड़ रुपये आपको बचत हुई है। आप यह क्या कह रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से बहुत सम्मानपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, मैं अपनी बात को फिगर्स देकर निवेदन करना चाहता हूं कि इन्सेप्शन से हम चलेंगे, जब से शुरू हुआ है आपके पास जो फिगर हैं, मेरी समझ में कहीं न कहीं आपको जो फिगर्स प्राप्त हुए हैं, वह सूचना सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिलकुल सही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ए.जी. एक्चुअल से ऊपर कोई चीज नहीं है। ए.जी. के आडिटेड फिगर्स हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह कैसे कहते हैं कि राजस्थान सरकार ने बड़ी कठिन समस्या का समाधान अपने रिसोर्सेज से किया है। ये सारे रिसोर्सेज हैं ही नहीं आपके। एक-एक गिनती कराऊं आपको। प्राकृतिक आपदा राहत कोष से आपको 1042 करोड़ रुपये मिले, देख लो आप। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से आपको 238 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री सहायता कोष आपको 78 करोड़ रुपये....

श्री प्रद्युम्न सिंह : 238 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा कोष....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राष्ट्रीय आपदा कोष तीन वर्ष का....

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, हां, मुझे मालूम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एन.सी.आर.एफ. ....

श्री प्रद्युम्न सिंह : 238 करोड़ रुपये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 238 करोड़ रुपये, जोड़ लो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 20 करोड़, 85 करोड़, 102 करोड़....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, यह नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके ये आंकड़े ही गलत हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : ये आंकड़े थोड़ा भ्रम पैदा कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये भ्रम पैदा नहीं कर रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक मिनट में मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, पहले वर्ष में केवल 21 करोड़ रुपये एन. सी. आर. एफ. में भारत सरकार ने हमको दिये थे। एक्चुअल जो 21 करोड़ रुपये दिए...

श्री उपाध्यक्ष : दो गलती से छप गया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दूसरे फेमिन में केवल 102 करोड़ रुपये दिये और तीसरे फेमिन में 85 करोड़ रुपये दिये। कुल भारत सरकार ने दिए। इसके अलावा उन्होंने पांच लाख मीट्रिक टन....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही फिगर्स मैं देना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप इन सबका जोड़ लगा लें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक मिनट, जोड़ लगा रहा हूं, मैंने जोड़ लगाया नहीं। आप जोड़ लगा लीजिए, मैंने जोड़ लगा रखा है। (व्यवधान) एक मिनट, मेरी बात को पूरी सुन लीजिए, फिर जोड़ में आपको बता देता हूं। मेरी मैथेमेटिक्स कमजोर है तो आप महाजन है, जल्दी समझा दीजिए। मैं बताता हूं। इसके अलावा भारत सरकार ने पांच लाख दस मीट्रिक टन गेहूं दिया टोटल है। जो भारत सरकार से हमको मिला है गेहूं और सारी चीजों को मिलाकर, सी. आर. एफ. का पैसा तो हमारा पैसा है, चाहे अकाल पड़े या नहीं पड़े....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह होगा, यह मैं नहीं कहता, यह नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : चाहे किसी राज्य में अकाल पड़े या नहीं पड़े, यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि पैसा तो सी.आर.एफ. का मिलेगा, उसमें आपका क्या

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

है? उसमें भारत सरकार का क्या एहसान है? उसमें भारत सरकार का कोई एहसान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बात नहीं है, बात यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने रिसोर्सेज से पैसा खर्च किया अपने रिसोर्सेज से पैसा खर्च किया....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह तो हमको मिलता रहेगा, फेमिन पड़े या नही पड़े, आप इसमें इसको कैसे जोड़ सकते हैं केवल 102 करोड़ रुपये और 21 करोड़ रुपये और 85 करोड़ रुपये दिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, विवाद इस बात का है कि आप कह रहे हैं कि हमने अपने संसाधनों से पैसा खर्च किया है....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, यही बता रहा हूं....(व्यवधान) हिसाब लिख लीजिए। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, हमने खर्च किया है कुल मिलाकर 1435 करोड़ रुपये, सम्वत् 2000 का आंकड़ा मेरे पास है मौजूद, वह मैं आपको बता रहा हूं कि सम्वत् 2057 का इसमें सी. आर. एफ. में 307 करोड़ रुपये का हमारा हिस्सा है। आपने 85 करोड़ रुपये दिए। इसके अलावा हमने जो पैसा खर्च कि, आर.आई.डी.एफ. सिक्स का हमने जो लोन लिया उसके तहत पैसा खर्च किया। हमने पी. एस. पी. स्टेट प्लान से 103 करोड़ रुपए दिये। ई. एफ. सी. का हमने 110 फाइनेंस कमीशन का हमें जो पैसा मिला वह हमारा पैसा था, वह 45.98 करोड़ रुपये। स्कूल बिल्डिंग का पैसा था वह हमारा पैसा था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपकी गांठ का क्या था?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप सुनिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी गांठ का क्या था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह राज्य का अधिकार है, अकाल पड़ता है कि नहीं पड़ता, राज्य को मिलता। कटारियाजी, इसका आप अध्ययन कर लीजिए, जिन राज्यों में अकाल नहीं पड़ा, उन राज्यों को भी यह पैसा मिला है। इसलिए कोई एहसान नहीं किया भारत सरकार ने हम पर....

श्री हीरालाल विश्नोई : आपकी सरकार थी, आपको तब भी मिलता था। वह भी अधिकार था राज्य सरकार का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक पैसा खर्च नहीं किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने प्लान की बात बहुत जोर से कही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको मिक्स-अप कर रहे हो। आप यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि जो लैजिटिमेट पैसा है, राजस्थान सरकार को मिलता है भारत सरकार से चाहे, आपके अकाल पड़ता कि नहीं पड़ता, वह पैसा मिलता। वह पैसा मिलता वह भी इसमें आप जोड़ कर बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं है।

श्री हीरालाल विश्नोई : भ्रम फैलाना है और क्या करना है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। इसमें स्थिति स्पष्ट कर दूं। मुझे यह बताइये कि सी.आर.एफ. का पैसा कब आप अपने कंसोलिडेटेड फण्ड में ले सकते हैं। सी.आर.एफ का पैसा कंसोलिडेटेड फण्ड में कितने वर्ष के बाद ले सकते हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसका?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सी.आर.एफ. का।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्यों? आप मेरा इम्तहान ले रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इम्तहान नहीं ले रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं नहीं, आप इम्तहान ले रहे हो मेरा, तो आप सुन लीजिए...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे का।

श्री प्रद्युम्न सिंह : टैंथ फाइनेंस कमीशन ने, जिस फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल समाप्त होगा, वह पैसा आटोमेटिकली प्लान मनी हो जाएगा। आप इम्तहान ले रहे हो शायद मेरा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बस। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अगर आप खर्च नहीं करोगे तो प्लान में चला जाएगा, राज्य की इनकम हो जाएगी, यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त है।

श्री राजेन्द्र पारीक : तो आप हैडमास्टर हैं।

श्री रामस्वरूप : वित्त मंत्रीजी, परीक्षा में पास हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

(20.00 बजे)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर नाइंथ प्लान की चर्चा बहुत दफा आदरणीय कटारियाजी और सुरानाजी ने बहुत विस्तार से की थी। मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आज फिर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उस मामले को छेड़ दिया। मेरा ऐसा मानना है कि एक ही बात को बार-बार कहते रहने से चाहे वह बात सही और गलत हो, लोगों के अंदर एक अवधारणा बनेगी, लोगों में एक विश्वास होगा कि बड़ा भारी गजब कर दिया। पुरानी सरकार कोई विकास की गंगा बहा रही थी, इतना बड़ा प्लान बनाया और उसके बाद इस सरकार ने सारे प्लान को तहस-नहस कर दिया, विकास के सारे कार्यों को रोक दिया। आज भी एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर यही की यही बात हो रही थी कि हमने बड़े-बड़े निर्माण कार्य कराये। अब पता नहीं कौनसे निर्माण कार्य कराये? अकाल के अंदर इनके वक्त में पक्के कार्य कितने हुए और हमारे वक्त में कितने हुए तिगुने-चौगुने का फर्क है। आपके पास नम्बर है उसमें तिगुने, चौगुने का फर्क है जो पक्के काम कराये गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर नाइंथ प्लान की बात की गई। यह बात सही है कि एट्थ प्लान था शायद ग्यारह हजार करोड़ का....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 11,500 का।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 11 हजार कुछ का था। दूसरा प्लान इन्होंने बनाया शायद 27 हजार करोड़ का। प्रतिपक्ष के सम्माननीय नेता महोदय, पिछले वक्त अस्वस्थ होने के कारण उस दिन यहां सदन में नहीं थे जब इसके ऊपर चर्चा हुई थी। यह बात सही है कि एट्थ प्लान की सफलता को देखते हुए एकदम साढ़े ग्यारह हजार करोड़ से 27,500 करोड़ का प्लान इन्होंने बना दिया, लेकिन जो इन्होंने अवधारणा की थी, मैं उस बात को फिर दोहराना चाहता हूं, संसाधनों की, वह पूरी नहीं हुई। मैं आपको तीन-चार मिसाल देना चाहता हूं कि 27,600 करोड़ का जो प्लान था, 11,500 से बढ़कर 27 हजार का हुआ। वह अगर आप देखेंगे, वे फिगर मेरे पास इस समय नहीं हैं, मैंने हिन्दुस्तान के सारे सूबों के उस वक्त आंकड़े दिये थे, करीब-करीब हर प्रांतीय सरकार ने अपने नाइन्थ प्लान के साइज को एट्थ प्लान के मुकाबले में मुझे अच्छी तरह याद है, इस सदन के अंदर मैंने कहा था कि हंड्रेड परसेंट से लेकर टू हंड्रेड परसेंट तक का इजाफा उससे ऊपर तक का इजाफा किया था। वह फिगर मेरे पास नहीं हैं इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता सकूंगा। उस वक्त मैंने सदन में बताया था, माननीय कटारियाजी को शायद याद होगा। लेकिन जो इन्होंने कैलकुलेट किये थे रिसोर्सेज वो प्रैक्टिकल नहीं थे। या यों कहिए कि पे-कमीशन की रिपोर्ट तब तक आ चुकी थी। पे-कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो राज्य सरकार के ऊपर तनख्वाह का और पेंशन का भार पड़ने वाला था उसको इन्होंने उस समय कैलकुलेट नहीं किया था। और वह फर्क आया सिर्फ तनख्वाह

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

का 1200 करोड़ रुपये साल का। पांच साल का 6 हजार करोड़ रुपये हो गया।

इसी तरीके से आपने जो चर्चा चलायी थी कि 29 परसेंट के हिसाब से स्टेट को डिवोल्यूशन होगा सेंट्रल टैक्सेज के अंदर, वह नहीं हुआ। उससे भी 950 करोड़ रुपये का भार पड़ा। भार क्या, कमी आयी उससे। इसी प्रकार से आपने एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट की कल्पना की थी कि एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट के अंदर हमको 5,778 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि एक्चुअल में 1300 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पिछले तीन वर्षों में कितना आया, यह बता दो?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको अभी निवेदन कर रहा हूं। इसी प्रकार से आपने कहा था कि सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम जितनी हैं वह राज्यों को ट्रांसफर कर दी जाएं। सभी राज्यों की मांग थी। इस एंटिसिपेशन के अंदर, इस उम्मीद के अंदर कि केन्द्र सरकार सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम्स राज्यों को ट्रांसफर करेगी तो प्लान का हिस्सा बन जाएगा। आज जो सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम्स का रुपया आता है वह प्लान के हिस्से का पार्ट नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमको अंशदान होता है उसके अंदर वह प्लान का हिस्सा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी जो अवधारणा थी, आपकी जो स्थिति थी, आपने जो आकलन किया था वह आकलन आपका सही नहीं था। आपके आकलन के हिसाब से वह योजना जो 27000 करोड़ की आपने बनायी थी, वह 15 हजार करोड़ से ऊपर जा ही नहीं सकती थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपकी सरकार थी इसलिए। नहीं तो योजना 27 हजार करोड़ की थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारी सरकार की नीति तो कभी थी ही नहीं, वह तो आप हमेशा यही कहेंगे। मैंने कोई कार्य आपके पेटे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमने कमिटमैंट किया था ए.आर.एम. का 3,286 करोड़ का। यह बता दें, ए.आर.एम. पूरा नहीं हुआ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : चलिए, वह भी बता देता हूं, वह भी आपका मिथक खतम हो जाता है। प्रिय सदस्यों ने यह बात कहीं है, अर्थात् संसाधन जो कि 2,623 करोड़ रुपये अनुमानित किये गये थे, 2623 करोड़ रुपये आपने अनुमानित किये थे, ये मेरे फिगर्स हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ए.आर.एम. के।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, ए.आर.एम. के। इस सरकार ने कहा था कि हम पूरी इस पंचवर्षीय योजना कार्यकाल के अंदर 2,636 करोड़ रुपये के टैक्सेज लगाएंगे या अन्य संसाधनों के जरिये हम 2,636 करोड़ रुपये एकत्र करेंगे। आप इसको स्वीकार करते हैं ना।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप कहते हैं वो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, आप स्वीकार करते हो ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे यह याद नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब क्यों याद आएगा। फिर जवाब देकर क्या करूंगा? मैं जवाब देकर क्या करूंगा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे यह याद है..(व्यवधान) मैं बता दूं मुझे यह याद नहीं है 2,600 करोड़ का था। मुझे याद है कि 3,200 करोड़ रुपये का हमने कमिटमैंट किया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसका मतलब आपने यह कहा था, पांच साल में आप राजस्थान की जनता के ऊपर 3,200 करोड़ रुपये का टैक्स लगाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टैक्स का सवाल नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं, मैं इस बात को..(व्यवधान) क्योंकि आपकी हर बात क्वैरी होती है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फोरेन एड भी शामिल है इसमें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी हर बात क्वैरी होती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे बताइए, मैंने अगर 3,200 करोड़ रुपये का कमिटमैंट किया था, आपने कोई मेहरबानी कर दी क्या? आपने राजस्थान में अब तक ए.आर.एम. की दृष्टि से 4,500 करोड़ के टैक्स लगा दिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वही तो मैं कह रहा हूं कि हम थोड़ा-सा आपसे आगे बढ़ गये। तो आप मुझे पूछ क्यों रहे थे? आपका मतलब क्या था। मेरे मुंह से आप कहलवाना चाहते थे कि आपने अपने संसाधन कितने जुटाये। जब आप खुद 3,200 करोड़ रुपये की बात स्वीकार कर रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कह रहा हूं ना मैं तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : और उसके मुकाबले आप कहते हैं हमने 4,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : टैक्स लगाये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ए.आर.एम. की बात कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने टैक्स लगाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ए.आर.एम. का मतलब ही टैक्स है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्री जी, ए.आर.एम. का मतलब कोई उसमें टैक्स रवेन्यू कंपानेंट नहीं है, नान टैक्स रेवेन्यू भी उसका एक कंपानेंट है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां। टैक्स बढ़ा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नान टैक्स रेवेन्यू नहीं है। (व्यवधान) हमारी परिकल्पना नान टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की थी और आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं वही आ रहा हूं, एक मिनट, तशरीफ रखिये, राजेन्द्र जी। टैक्स नान टैक्स, सर्विस सेक्टर्स हैं, वाटर चार्जेज हैं, अन्य सर्विस चार्जेज हैं। (व्यवधान) एक बार सुन लें। देखिये, यों मत करिए। तो दोनों से मिलाकर हुए। यूं ही नहीं मान लिया मैंने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां कहां मान लिया आपने?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी बात मान रहा हूं ना? मैं मना कब कर रहा हूं?

श्री भैरोंसिह शेखावत : माफ करना, नान टैक्स रेवेन्यू में ट्रांसपोर्ट आपका घाटे में चल रहा है। आर.एस.आर.टी.सी. मेरे वक्त में लाभ में चल रहा था, इस समय घाटे में चल रहा है। आर.एस.एम.एम. ज्यादा मुनाफा था, वह मुनाफा कम हो गया। जितने भी स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, जो नोन टैक्स रेवेन्यू के मद में थे, वे सब घाटे में चले गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आर.एस.एम.एम. की स्थिति इतनी नहीं है। आपके वक्त में शायद आठ साल कभी आपके वक्त में रोडवेज प्राफिट में नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो जिस समय मैंने छोड़ा, उस वक्त का बता दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसका मतलब है, माननीय प्रतिपक्ष के सम्माननीय नेता महोदय, मुझे मालूम है। मेरे कहने का मतलब है कि एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो इन्होंने एंटिसिपेट किये थे उससे ज्यादा करने के बावजूद भी नाइंथ प्लान पूरा नहीं हो सका।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ज्यादा टैक्स लगाकर किया है। टैक्स लगाकर किये हैं। कोई स्टेट एंटरप्राइजेज इनके तीन वर्षों में लाभ में नहीं आयी जो मैं लाभ में छोड़ कर गया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : यह अंताक्षरी का पीरियड चल रहा है क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह बात मैंने आपसे कही, यहां पर बेरोजगारों को लेकर एक भ्रम फैलाने की चेष्टा की गई कि राजस्थान में सरकार के आने के बाद किसी भी नौजवान व्यक्ति को रोजगार, बेरोजगार को रोजगार इस सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया। यहां इस बात को बहुत जोर-शोर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

से बार-बार कहा गया है। बार-बार इस बात को कहा गया है यहां पर। मैं आपके माध्यम से सदन को, राजस्थान की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर रैगुलर और एडहाक बेसिस, दो तरह के रोजगार हमने उपलब्ध कराये। रैगुलर बेसिस के ऊपर करीब 21 हजार लोगों को, 100-200 का फर्क हो सकता है...?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजीव गांधी स्वर्ण ज्यन्ती वालों को निकाल दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुनिए। रैगुलर वर्ड यूज कर रहा हूं। रैगुलर पे स्केल के अन्दर... (व्यवधान) मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको सुनने की चेष्टा कीजिए आप।

श्री मदन दिलावर : अदालत ने डण्डा मारा है तब किये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रैगुलर पे स्केल के अन्दर। मैंने उन 25 हजार राजीव गांधी पाठशालाओं का कभी जिक्र ही नहीं किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह रैगुलर की जो 21 हजार संख्या बता रहे हैं, एक सूची दे दें कि वास्तव में रैगुलर पे स्केल नम्बर एक से लेकर ऊपर तक में कितने लोग हैं। यह 21 हजार का जो आंकड़ा बता रहे हैं यह सही नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको तीन दिन में दे दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक प्रश्न के उत्तर के अन्दर यह सूचना....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह आपके पास होता तो मेरा प्रश्न स्थगित नहीं करते। मैंने यही प्रश्न आपसे पूछा था और इसी सदन में पूछा था कि पे स्केल एक से लेकर ऊपर तक में आपने कितने लोगों को अपाइंट किया। आपने उस प्रश्न को स्थगित किया और प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको उसका पार्ट पढ़कर सुना देता हूं। यह श्री मदन दिलावर का प्रश्न था, सूचना माह मार्च-अप्रैल, 2001 तक जो संकलित की गई थी, इतने सारे डिपार्टमेंट से छोटी-छोटी सूचना लेनी होती है, उसकी भाषा आप सुन लेंगे तो आप स्वयं एप्रिशिएट करेंगे। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 1 जनवरी, 1999 के पश्चात् सरकार ने कुल 21,959 कर्मचारियों व अधिकारियों को नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्ति दी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह तो हमने मांगी नहीं आपसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, आप तो यह बात दो कि सेवानिवृत्ति आयु को आपने कम किया उससे कितनी जगह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खाली हुई? 1998 के नवम्बर माह में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आर्थिक सुधारों के नाम पर जो एम.ओ.यू. दस्तखत करके आये उसमें आप क्या कमिट करके आये, यह बता दो?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम कमिट करके आये। हम कमिट करके आये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, कमिट करके आये, वह बता दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी एक बात तो पूरी कर लेने दीजिए जो मैं निवेदन कर रहा हूं। आपने जो भ्रम की स्थिति इस प्रदेश की जनता के अन्दर फैलाने की चेष्टा की है, आपने जनता में जो भ्रम फैलाया है उसको इस सदन के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं। 22 हजार रैगुलर लोगों को तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने आने के बाद नियुक्ति दी है, इस बात को मैं फिर दोहराता हूं। जो यह कहा गया कि एक नौजवान को नौकरी नहीं दी जा रही है, बेरोजगारी बढ़ाये जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार की क्या स्थिति है? जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर उन्होंने तनख्वाहों का रिवीजन किया, पे स्केल्स का उसमें कहा था कि आप अगले सालों के अन्दर तीन प्रतिशत की दर से कर्मचारियों की संख्या को कम करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको पैसा लेना था न?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुनें तो सही, श्रीमान् जी, आप क्यों घबरा रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिए किया कि पैसा लेना था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमको लेना था लेकिन हमने यह भी कहा उनसे, अभी प्लानिंग कमीशन की जब बैठक हुई तो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष ने, मैं भी उस बैठक में था, कि आप अपने एस्टेब्लिशमेंट को कम कीजिए, मैंने उनसे एक बात कही। मुख्य मंत्रीजी भी मौजूद थे, मैंने कहा, माननीय उपाध्यक्षजी, क्या यह सम्भव है? पुलिस के अन्दर, अस्पतालों को और स्कूलों को हम क्या रन कर सकेंगे? खाली रखें? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो आवश्यक अध्यापक थे, सब की हमने स्वीकृति दे दी है, भर्ती का प्रोसेस चालू है। भर्ती का प्रोसेस चालू हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शीघ्र भर्ती होकर जो स्कूलों के अन्दर कमियां हैं उनकी पूर्ति की जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यह तो नियमित थी, इसके अलावा 26 हजार

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

राजीव गांधी पाठशालाओं के अन्दर.... (व्यवधान) अब आप सुन लें। देखिये, यों न करें। ये राजीव गांधी पाठशालाएं तो इनकी आंख की किरकिरी बन गयी, इतनी बड़ी तकलीफ हो गई। उन ढाणियों के अन्दर चाहे आप उनको बंधुआ मजदूर कहिये, वे हैप्पी हैं। आम जनता की यह धारणा है, आम जनता का जो आकलन है वह इस बात को....

श्री मदन दिलावर : जुलूस बनाकर आप लोगों ने लाठियां मारी थीं। अभी बाड़मेर में जुलूस बनाकर आपने उनके ऊपर लाठियां बरसाई थीं।

डा. के. सी. चौधरी : आपकी समझ से बाहर हैं ये सारी बातें, मदन दिलावरजी, समझ के बाहर हो गई अब सारी बातें।

श्री मदन दिलावर : अब शक्ल देख लो आइनें में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये राजीव गांधी पाठशालाएं प्रतिपक्ष के आंख की किरकिरी बनी हैं। इनको जब मौका लगता है, ठीक है, इनिशियल स्टेज के अन्दर कुछ कम क्वालिफाइड लड़के जब ढाणियों में, स्कूल खोलने की बात थी, उसी गांव में खोलने की बात थी तब कुछ संख्या में कुछ हजार-दो हजार दसवीं या आठवीं लग गये, लेकिन हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद... (व्यवधान) हां, कह रहे हैं हम। उसको स्वीकार करते हैं, हकीकत तो है, असत्य कहां है? हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद हमने क्वालिफाइड लोग लगाये जो एस.टी.सी. थे या बी.एड. थे। उसके बाद सोच आया कि इन लड़कों को... (व्यवधान) सुनिये, आप सुनोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का प्रयोग गुजरात के अन्दर हुआ जहां इनकी सरकार है। इसी प्रकार का प्रयोग मध्य प्रदेश के अन्दर हुआ, आन्ध्र प्रदेश के अन्दर हुआ, कई प्रांतों ने किया। क्योंकि सारे राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इस प्रकार का प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस प्रयोग को सही माना और जो उनकी रिट याचिकाएं थीं तनख्वाहों के मामले में, उनको स्वीकार नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब मिनिमम वेजेज से भी कम दे रहे हैं न?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, वह बात ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आस्पैक्ट को क्यों नहीं देखा? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं देखा इस आस्पैक्ट को? आप देख रहे हैं, आप तो चाहते हैं कि इस सरकार के ऊपर खर्चे का बोझ इतना बढ़ जाए कि यह सरकार जल्दी से डूब जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो अपने आप ही डूब जाएगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी स्ट्रेटेजी यह है। यह तो वक्त बताएगा। यह तो वक्त बताएगा कि क्या होगा।

श्री मदन दिलावर : मंत्री महोदय, आप यह चाहते हैं कि उनके बच्चे भूखे मर जाएं, 1200 रुपये में काम करने वालों के।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने उसके बाद तय किया है कि एक साल पूरा होने के बाद राजीव गांधी पाठशालाओं के अध्यापकों को दो सौ रुपये साल की तरक्की दी जाएगी और पांच साल पूरे होने के उपरान्त इनको पक्का करने की दिशा में स्क्रीनिंग करके इनको पक्का किया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चुनावी साल है न?

श्री प्रद्युम्न सिंह : पांच साल में अभी बहुत समय बाकी है। श्रीमान् जी, चुनाव के दो साल बाकी हैं, आप चुनावों से यह बात जोड़ रहे हैं।

मैं यह बात भी कहना चाहूंगा, आप किसी से पूछ लीजिए अकेले के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आम फीड बैक जो हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इनके कार्य से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। वे यह कहते हैं कि ये बैटर पढ़ा रहे हैं उन लोगों से। उन लोगों से बैटर पढ़ा रहे हैं जो इतनी बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी तनख्वाएं ले रहे हैं। तो राजीव गांधी पाठशालाओं के बारे में तो एक बात मैं यह कहूंगा।

यहां पर कहा गया कि ओल्ड एज पेंशन के फार्म खारिज कर दिये गये, नहीं दिये गये।

श्री मदन दिलावर : नहीं दिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी बात तो सुनें, इतना अकुला क्यों रहे हैं? आप बहुत जल्दी अकुला जाते हैं क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। सच हमेशा कड़वा होता है और आप उसको सुनना नहीं चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह सरकार आई थी, 1998 के बजट के अन्दर कुल 22 करोड़ रुपये का प्रावधान था ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सोशियल सैक्टर के अन्दर। इस साल के बजट के अन्दर औसत संख्या 2 लाख से भी नीचे थी, एक लाख 57 हजार के आसपास थी और सौ रुपये मिलते थे। उस पेंशन को हमने डबल किया और आज की तारीख में 6 लाख 18 हजार लोग...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, इसमें नेशनल ओल्ड एज पेंशन की कितनी राशि है, वह भी बता दो?

श्री प्रद्युम्न सिंह : कुल 75 रुपये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह भी सम्मिलित करके बता रहे हो? आप तो बात कह रहे हैं, वह भी सम्मिलित करके बता रहे है? 75 रुपये केन्द्रीय राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है, उसको भी सम्मिलित करके कह रहे हो न?

श्री बनवारी लाल बैरवा : 1 लाख 49 हजार है, साहब, वह। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : कुल 75 रुपये और सीलिंग बांध दी है उनकी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सामाजिक सुरक्षा योजना केवल छापने के लिए छापा है, जिनका 20 साल से बड़ा बेटा होगा उसको पेंशन दी नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, हमारा नियम है, नहीं देंगे।

श्री मदन दिलावर : उनको दी नहीं, क्यों इस प्रकार का व्यवहार किया? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमने नियम बनाया है, सोच समझकर ही बनाया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक सितम्बर, 2001 को सामाजिक सुरक्षा योजना नाम कि किताब में इन्होंने छापा कि हम 20 साल से जिनका बड़ा बेटा है और वह 65 साल से ऊपर है, उसको भी पेंशन देंगे। लेकिन मुकर गये वहां जाकर और अब कह रहे हैं कि नहीं देंगे। फिर वह किताब क्यों छापी थी? फिर उसके बाद में लाखों रुपया क्यों खर्च किया आप लोगों ने। जनता का पैसा मुफ्त का आता है? आपका फोटो छापने के लिए जनता का पैसा है? फालतू जितना प्रचार किया था, कुप्रचार किया था सारा।

श्री बनवारी लाल बैरवा : 196 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आपके वक्त में केवल मात्र 22 करोड़ रुपया था, जो अब 1.96 करोड़ रुपया हो गया।

श्री मदन दिलावर : मैं और नहीं जानता, मैं यह जानता हूं, आपने देने का वायदा किया था नहीं किया नहीं किया था? और फिर आपने मना किया या नहीं किया? क्यों किया? (व्यवधान) एक सितम्बर, 2001 को माननीय मुख्य मंत्रीजी के हस्ताक्षर से सामाजिक सुरक्षा योजना नाम की जो किताब निकाली उसमें लिखा कि 20 साल से जिनका बड़ा बेटा है उनको भी पेंशन देंगे। यहां से टेलीफोन कर दिये गये कि उनकी पेंशन नहीं होगी। यह धोखा नहीं है जनता के साथ? इधर तो आपने स्वीकार किया कि पेंशन देंगे, उधर आप फील्ड में जाकर टेलीफोन पर कहते हैं कि पेंशन नहीं देंगे, राजस्थान की जनता बेवकूफ है? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी को नहीं बोलने देंगे, माननीय सदस्य को आप कंट्रोल करें। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब को तकलीफ यह है, मैं बार-बार कहता हूं, जो सीकर से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि हम भी अपनी बात कह लें। आपने भी बहुत कृपापूर्वक जो आसन से व्यवस्था दी कि सरकार का उत्तर सुनना पड़ेगा, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि आपने सरकारी पक्ष की बातों को ध्यान में रखा। नहीं कई दिन से यह हो रहा था कि जब भी मंत्री बोलने खड़ा हो, तो शोर करो, बात को मत कहने दो। यह परम्परा डल गई थी यहां पर।

श्री संयम लोढ़ा : फासिस्ट लोग हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : फासिस्ट तो मैं नहीं कहूंगा। मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, प्रतिपक्ष के नेता, मैं तो उनको लोकतंत्र का स्तम्भ मानता हूं। खुद आपने अपने भाषण में कहा था उस दिन जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय आये थे, विधान सभा के आपके योगदान के बारे में आपने संक्षिप्त चर्चा की थी। यह मुनासिब नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम आपकी बात धैर्यपूर्वक सुनते हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने हमारे मंत्रियों पर व्यक्तिगत आरोप लगा दिये। कृषि मंत्रीजी पर लगा दिया। बिना नोटिस दिये यहां पर लगा दिया। वे तो यहां पर थे....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नाम नहीं लिया किसी का।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसलिए उन्होंने अपना उत्तर कह दिया कि नहीं है। बाकी व्यक्तिगत आरोप के लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा, आपको कन्सर्न मिनिस्टर को नोटिस देना पड़ेगा, मेयर को इनफोर्मेशन देनी पड़ेगी। आप तो यों कह दें और दूसरा अपनी बात कहना चाहे तो शोर-शराबे में बात नहीं सुनें। क्योंकि लंग पावर में तो मदन दिलावर से इस सदन में कोई जीत नहीं सकता। श्री मदन दिलावर से लंग पावर में तो मेरे जैसे पचास, मैं तो आपके नतमस्तक हूं, लंग पावर में आप बहुत स्ट्रांग हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रामस्वरूप जी हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : रामस्वरूप जी पर तो असर हो गया। माननीय अध्यक्ष ने कुछ कह दिया तो उन्होंने उनकी बात को गम्भीरता से लेते हुए उनकी बात स्वीकार कर ली। लेकिन कुछ लोग + + + हैं उन पर असर ही नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कों के बारे में सबको मालूम है। सड़कों की स्थिति

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जो थी, जब हमने व्हाइट पेपर पब्लिश किया था उस वक्त भी सड़कों की हालत बहुत खराब थी। हां, मैं कहता हूं कि नहीं सुधरी। लेकिन हमने प्रयास किये हैं। हमने लोन लिया है, हमने 600 करोड़ की योजना बनाई और 24 हजार किलोमीटर सड़कों को दो वर्ष में हम निश्चित रूप से सही करेंगे। यह हमने कहा है। हमने एक बात और कही है कि जो हमारी नहरें हैं, जो हमारे पुराने बांध हैं उनके रख-रखाव के लिए हमने वर्ल्ड बैंक से, हमारे अधिकारी गये थे, एग्रीमेंट करके आये हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले दो साल में तीन साल में सड़कों की दशा, हमारे नहरों और बांधों की दशा में निश्चित रूप से सुधार होगा। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2001 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2001 पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.22 बजे बुधवार; 21 नवम्बर, 2001 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-137 का विवरण)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पवस) जयपुर

क्रमांक : जे.पी.डी./मुअ/पवस/ अनु-6/फा-1001/प्रे.2500 दिनांक :31.10.01

अधीक्षण अभियन्ता (जनवृ/जजिवृ/पवस)

जयपुर डिस्काम

विषय : कृषि उपभोक्ताओं के रबी फसल की बुवांई हेतु ब्लाक्स में सप्लाई बाबत।

1. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सभी उपभोक्ताओं को रबी फसल की बुवाई हेतु उपलब्धता के अनुसार बिना व्यवधान के विद्युत उपलब्ध कराने हेतु निम्न तीन ब्लाक्स में विद्युत आपूर्ति की जावेगी :

प्रथम ब्लाक	21.00 बजे से 4.00 बजे तक
द्वितीय ब्लाक	4.00 बजे से 11.00 बजे तक
तृतीय ब्लाक	11.00 बजे से 18.00 बजे तक
सिंगल फेज, लाइटिंग लोड	18.00 बजे से 22.00 बजे तक

2. विद्युत की उपलब्धता एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता अपने क्षेत्र में उपरोक्त ब्लाक्स के क्रियान्वयन में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं।

3. यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि कृषि कार्य हेतु कम से कम प्रतिदिन 6 घंटे आवश्यक रूप से विद्युत उपलब्ध करायी जाए। ब्लाक बनाते समय यह ध्यान रखा जाये कि कृषि उपभोक्ता का 50 प्रतिशत लोड रात के समय में ही जाये एवं 25 प्रतिशत लोड दिन के प्रति ब्लाक में हो। इस प्रकार रात्रि के ब्लाक को रोटेशन में लाने के लिये उसी ब्लाक को दिन में प्रातः तथा सायंकाल आधा-आधा तथा दिन के दोनों ब्लाक में रात्रि में एक साथ दिये जाये।

4. अधीक्षण अभियन्ता सभी 33/11 के.वी. सब स्टेशनों पर एक लाग बुक उपलब्ध करवा कर ब्लाकों में की गई विद्युत सप्लाई का रिकार्ड रखने की व्यवस्था करें। इस लाग बुक का प्रारूप संलग्न है।

5. इस लाग बुक का समय-समय पर अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता निरीक्षण करें। विजिलेन्स के अभियन्तागणों को भी निर्देश दें कि जब भी वे उस क्षेत्र में चेकिंग कर जावें तो लाग बुक का अवलोकन करके उच्चाधिकारियों को कमियों से अवगत करावें।

6. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एस.डी.ओ. कमेटी में भी अन्य विषयों के अतिरिक्त कृषि कार्यों के लिये दी गई बिजली के विषय में आवश्यक रूप से चर्चा की जावे तथा जिन स्थानों पर विद्युत वितरण में व्यवधान के कारण कानून व व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती हो, उनका विशेष ध्यान रखा जावे। राज्य सरकार के उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि साथ में संलग्न है।

7. रबी की फसल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति के लिये आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं मानीटरिंग हेतु प्रत्येक वृत स्तर के अतिरिक्त एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष जिनका दूरभाष नं. 0141/201481 अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 24 घंटे कार्यरत रहेगा।

8. सिंगल फेज के दौरान जिन क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ता केपेसिटर लगाकर कुएं की मोटर चलाते हैं, उस क्षेत्र के फीडर को चिन्हित कर सतर्कता शाखा की सहायता से जांच अभियान चलाया जाना चाहिये एवं जो उपभोक्ता अवैध रूप से केपेसिटर लगाकर मोटर चलाते हुए पाये जाएं उनके विरुद्ध त्वरित कार्यवाही होनी चाहिये। इस कार्य के लिये आवश्यकतानुसार स्थानीय प्रशासन की सहायता भी ली जानी चाहिये। इस विषय में अध्यक्ष महोदय के पत्र संख्या-1531 दिनांक 30.10.2001 की प्रति संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

ह०/-

(एस. के. विश्नोई)

मुख्य अभियन्ता (प व स)

प्रपत्र-अ

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

अजमेर विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत आने वाले 10 जिलों में कृषि कार्यों के लिये विद्युत आपूर्ति का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	कृषि कार्य हेतु उनके ब्लाक सप्लाई का समय	
1.	अजमेर	प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे दोपहर 12 बजे से सायं 6 बजे तक	
2.	भीलवाड़ा	रात्रि 12 बजे से प्रातः 6 बजे प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे दोपहर 12 बजे से सायं 6 बजे	
3.	नागौर	नागौर, कुचामन व भैरूंदा क्षेत्र रात्रि 10 बजे से प्रातः 4 बजे प्रातः 4 बजे से सुबह 10 बजे तक सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे	मेड़ता क्षेत्र प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे दोपहर 12 बजे से सायं 6 बजे रात्रि 10 बजे से अगले दिन प्रातः 4 बजे तक
4.	उदयपुर	सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे दोपहर 12 बजे से सायं 6 बजे तक	
5.	राजसमन्द	प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक दोपहर 12 बजे से सायं 6 बजे तक	
6.	चित्तौड़गढ़	रात्रि 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक प्रातः 4 बजे से सुबह 10 बजे तक सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक	
7.	बांसवाड़ा	प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक दोपहर 12 बजे से सायं 6 बजे तक	
8.	डूंगरपुर	प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक दोपहर 12 बजे से सायं 6 बजे तक	
9.	झुंझुंनूं	रात्रि 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक प्रातः 4 बजे से सुबह 10 बजे तक सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक	
10.	सीकर	रात्रि 9 बजे से प्रातः 3 बजे तक प्रातः 3 बजे से सुबह 9 बजे तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक	

ह०/-

Fax No. 201389 CE (osm) JAIPUR

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

जोधपुर विद्युत वितरण निगम क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि हेतु दी जा रही विद्युत का ब्लाक प्रोग्राम सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	सामान्यतः विद्युत आपूर्ति करने का समय/ब्लाक			
		पहला ब्लाक	दूसरा ब्लाक	तीसरा ब्लाक	टू फेज विद्युत आपूर्ति
1.	जोधपुर	रात्रि 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक	सवेरे 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक	दोपहर 12 बजे से सायंकाल 7 बजे तक	सायं 7 बजे से रात्रि 10 बजे
2.	जालौर	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
3.	पाली	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
4.	सिरोही	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
5.	बाड़मेर	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
6.	जैसलमेर	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
7.	बीकानेर	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
8.	चूरू व पं.सं. लाडनूं	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
9.	हनुमानगढ़	उपरोक्तानुसार	सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक	—	उपरोक्तानुसार
10.	श्रीगंगानगर	रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक	सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक	—	उपरोक्तानुसार

उपरोक्त सभी जिलों में कृषि उपभोक्ताओं को उपलब्धता के आधार पर एवं तकनीकी व्यवधान को छोड़कर 6 से 7 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है, तथा शहरी क्षेत्र एवं पांच हजार से अधिक की आबादी वाले क्षेत्रों में उपलब्धता के आधार पर (तकनीकी व्यवधान को छोड़कर) 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

ह०/-
अधीक्षण अभियता (पी.पी.एण्ड एम.)
जोधपुर डिस्काम, जोधपुर

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के चिकित्सालयों में रिक्त पद

140. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में कुल कितने चिकित्साकर्मी के किस-किस श्रेणियों के पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में चिकित्साकर्मी के रिक्त पदों का पदवार विवरण निम्नप्रकार है :—

क्र.सं.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ विशेष (स्त्रीरोग)	1
2.	चिकित्सा अधिकारी	2
3.	वाहन चालक	4
4.	सैक्टर सुपरवाइजर	6
5.	बी.एच.एस. (फीमेल)	1
6.	मलेरिया निरीक्षक	1
7.	बहुउद्देशीय कार्यकर्ता	9

(2) जी, हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) के रिक्त पद को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मलेरिया निरीक्षक, सेक्टर सुपरवाईजर, ब्लाक हैल्थ सुपरवाइजर (फीमेल) के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर बहुउद्देशीय कार्यकर्ता एवं वाहन चालक के रिक्त पदों को राज्य सरकार से नवीन नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध में शिथिलता प्राप्त होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में रिक्त पद

141. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सी.डी.पी.ओ. कार्यालय सिवाना एवं सिणधरी में विभिन्न श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त स्वीकृत पदों में से कुल कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री गोपाराम मेघवाल)

(2) उक्त क्षेत्र में उक्त पद पर किस स्तर के अधिकारी को लगाया जाता है? क्या विभिन्न पदों पर विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के कोई सेवा नियम/मानदण्ड बनाये गये हैं? यदि हां, तो उक्त संबंधी विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अन्तर्गत CDPO कार्यालय सिवाना व सिणधरी में स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराये गए अधिशेष कर्मचारियों तथा अनुकम्पा नियुक्ति द्वारा रिक्त पदों को भरा जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा नवीन नियुक्ति हेतु स्वीकृति नहीं दी गई है।

(2) राजपत्रित/अराजपत्रित/मंत्रालयिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को लगाया जाता है। अधिकारी/कर्मचारियों के सेवा नियम व मानदण्ड बनाये गये हैं जो परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

जिला बाड़मेर, की परियोजना सिवाना एवं सिणधरी में स्वीकृत के विरुद्ध कार्यरत/रिक्त पदों की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5
बाल विकास परियोजना अधिकारी				
1.	सिवाना	1	1	—
2.	सिणधरी	1	—	1
सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी				
1.	सिवाना	—	—	—
2.	सिणधरी	2	—	2
महिला पर्यवेक्षक				
1.	सिवाना	6	5	1
2.	सिणधरी	10	5	5
क. लेखाकार				
1.	सिवाना	1	1	—
2.	सिणधरी	1	—	1

1	2	3	4	5
वरिष्ठ लिपिक				
1.	सिवाना	1	1	—
2.	सिणधरी	1	—	1
कनिष्ठ लिपिक				
1.	सिवाना	1	1	—
2.	सिणधरी	3	3	—
वाहन चालक				
1.	सिवाना	1	1	—
2.	सिणधरी	2	2	—
च.श्रे.कर्मचारी				
1.	सिवाना	1	1	—
2.	सिणधरी	3	2	1

परिशिष्ट "ब"

अनुसूची-I (राज्य सेवा के पद)

क्र.सं.	पद नाम	भर्ती के स्रोत और सीधी भर्ती	उनका प्रतिशत पदोन्नति	सीधी भर्ती के लिए अर्हता और अनुभव	पदोन्ति पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उप निदेशक/कार्यक्रम अधिकारी	–	50%	–	सहायक परियोजना अधिकारी (डी डब्ल्यू सी आर ए)/बाल विकास परियोजना अधिकारी	स्तम्भ सं. 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	50% पद वरिष्ठ वेतनमान वाले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भरे जायेंगे।
2.	सहायक परियोजना अधिकारी (डी डब्ल्यू सी आर ए)/बाल विकास परियोजना अधिकारी	50%	50%	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1962 में यथाविहित	बाल विकास परियोजना अधिकारी	स्तम्भ सं. 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	

अनुसूची-II ग्रुप-1 (अधीनस्थ सेवा में के पद)

क्र.सं.	पद नाम	भर्ती के स्रोत और सीधी भर्ती	उनका प्रतिशत पदोन्नति	सीधी भर्ती के लिए अर्हता और अनुभव	पदोन्ति पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी	50%	50%	ग्रुप-1 राजस्थान राज्य एवं अधिनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1962 में यथा विहित	90% वरिष्ठ पर्यवेक्षक (महिला/पुरुष) में से 10% मुख्य सेविका में से	राजस्थान राज्य एवं भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक और स्तम्भ सं. 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	
2.	वरिष्ठ पर्यवेक्षक/(महिला/पुरुष)	—	100%	—	पर्यवेक्षक (महिला/पुरुष)	स्तम्भ सं. 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	मुख्य सेविका	25%	75%	सीधे ही भर्ती हुए विद्यमान प्रवेता सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे।	ग्राम सेविका	स्तम्भ सं. 6 में उल्लिखत पद पर 5 वर्ष का अनुभव	सीधे ही भर्ती हुए विद्यमान प्रवेताओं में से सीधी भर्ती ऐसे समस्त व्यक्तियों की नियुक्ति होने तक की जायेगी और तत्पश्चात् मुख्य सेविका का पद 100% पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
4.	पर्यवेक्षक	100% (75% खुली प्रतियोगिता के अभ्यर्थियों से और 25% आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं से)		खुली प्रतियोगिता के अभ्यर्थियों के लिए भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में डिग्री आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक सैकण्डरी या पुरानी स्कीम के अधीन हायर सैकण्डरी और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष पूर्ण किया हुआ होना चाहिए।			
5.	ग्राम सेविका	100% (50% खुली प्रतियोगिता के अभ्यर्थियों से और 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/ साथिनों से)		खुली प्रतियोगिता के अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्या प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन हायर सैकण्डरी या 10+2 स्कीम के अधीन सीनियर सैकण्डरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/ साथियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन हायर सैकण्डरी या 10+2 स्कीम के अन्तर्गत सीनियर सैकण्डरी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/साथियों के रूप में 5 वर्ष पूरा किया हुआ होना चाहिए।			

1	2	3	4	5	6	7	8
				ग्रुप-II			
1.	पोषाहार विज्ञ	100%	–	भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से खाद्य एवं पोषण में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री और समाज कल्याण/बाल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने का, उनका पर्यवेक्षण और मोनीटरिंग करने का 2 वर्ष का अनुभव।		पद, स्तम्भ सं. 5 में यथाविहित अर्हता रखने वाले विभाग के और अन्य विभागों के व्यक्तियों को जो पोषाहार विज्ञ के समान वेतनमान में कार्य कर रहे हैं प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा।	
2.	स्वास्थ्य अनुदेशक	100%	–	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से नर्सिंग में स्नातकोत्तर डिग्री या बी.एस.सी. डिग्री और चिकित्सालय स्वास्थ्य केयर प्रशासन/स्वास्थ्य शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। 2. समाज कल्याण/बाल विकास/जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, उनका पर्यवेक्षक तथा मानीटरिंग करने का 2 वर्ष का अनुभव।		पद, स्तम्भ 5 में यथा विहित अर्हता रखने वाले विभाग के और अन्य विभागों के व्यक्तियों की, जो स्वास्थ्य अनुदेशक के समान वेतनमान में कार्य कर रहे हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा।	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	पूर्व विद्यालय अनुदेशक	100%		भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम.एड./एस.एस.सी. (बाल विकास) एस.ए. (मनोविज्ञान) और समाज कल्याण/बाल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, उनके पर्यवेक्षण और मानीटरिंग का दो वर्ष का अनुभव।	—		पद-स्तम्भ सं. 5 में यथाविहित अर्हता रखने वाले विभाग के और अन्य विभागों के ऐसे व्यक्तियों को, जो पूर्व-विद्यालय अनुदेशक के समान वेतनमान में कार्य कर रहे हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा।

[संख्या एफ 1(4) डी.ओ.पी./ए.11/88]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
सूरजमल केड़वाल
उप शासन सचिव

विधान सभा क्षेत्र संगरिया के विद्यालयों में रिक्त पद

142. श्री के.सी. विश्नोई (संगरिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? क्या उक्त सभी पदों पर अध्यापकगण कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो कितने-कितने पद रिक्त हैं और रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) राज्य में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/व्याख्याता के पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक किस वर्ष तक की हो चुकी है? क्या सरकार शेष वर्षों की पदोन्नति समिति की बैठक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में 26 माध्यमिक तथा 08 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है। व्याख्याताओं के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। वरिष्ठ अध्यापक के पदों की नियुक्ति पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है। माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णयानुसार नियुक्ति की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा चयनित अध्यापक उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) प्रधानाचार्य तथा प्रधानाध्यापक (मावि) के रिक्त पदों हेतु वर्ष 2000-2001 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाई जा चुकी है।

व्याख्याता के पद की वर्ष 1999-2000 की डी.पी.सी. की बैठक आयोजित करवाई जा चुकी है। शेष वर्षों की डी.पी.सी. करवाये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। साथ ही रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु गैस्ट फैकल्टी योजना की व्यवस्था की जा चुकी है।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद			रिक्त पद		
		I	II	III	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राउमावि., मालारामपुरा	08	06	01	01	—	—
2.	राउमावि. नुकेरा	05	06	06	01	01	02
3.	राउमावि. संगरिया	27	09	03	05	01	03
4.	राउमावि. सार्दुलशहर	21	06	—	03	01	—
5.	बउमावि. सार्दुलशहर	07	06	04	02	01	00
6.	बउमावि. लालगढ़ जाटान	04	05	05	—	—	—
7.	बउमावि. हाकमाबाद	04	06	02	—	—	
8.	बउमावि. मालगढ़ जाटान	13	06	05	—	—	—
9.	रामावि., ढाबा	—	06	05	—	01	—
10.	रामावि., हरिपुरा	—	06	03	—	—	
11.	रामावि., संतपुरा	—	04	03	—	—	—
12.	रामावि., बोलावाली	06	06	05	01	01	
13.	रामावि., मारजंड सिखान	—	06	02	—	—	
14.	रामावि., किशपुरा उत्तरादा	—	04	04	—	—	
15.	रामावि., किकरवाली	—	06	01	—	—	—
16.	रामावि., नाथवाणा	—	06	01	—	—	—
17.	रामावि., नगराना	—	06	01	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	रा.मा.वि., रासूवाला	—	06	02	—	01	01
19.	रा.मा.वि., आ.शाहपीनी	—	06	02	—	01	01
20.	रा.मा.वि., संगरिया	—	06	05	—	01	01
21.	रा.मा.वि., पिलावाली	—	06	03	—	—	01
22.	रा.मा.वि., लाघवाला	—	06	01	—	—	—
23.	रा.मा.वि., मोखण्डधारी	—	06	01	—	—	—
24.	रा.मा.वि., पणीवाली पाटान	—	06	03	—	—	01
25.	रा.मा.वि., मणीवाली	—	06	04	—	01	03
26.	रा.मा.वि., कालयासिया	—	06	02	—	—	—
27.	रा.मा.वि., ताबड़ावाली	—	06	01	—	—	—
28.	रा.मा.वि., सरदारपुरा जीवन	—	05	01	—	—	—
29.	रा.मा.वि., खाटसजवार	—	05	03	—	—	01
30.	रा.मा.वि., चैरू वाला	—	04	—	—	—	
31.	रा.मा.वि., अलीपुरा	—	04	04	—	—	—
32.	रा.मा.वि., निवासी	—	03	—	—	—	—
33.	रा.मा.वि., हिरनावाली	—	03	—	—	—	—
34.	रा.मा.वि., चक महाराज का	—	06	01	—	—	—

प्रश्न सं. 143

(स्थगित)

खण्ड बारां के स्टोर में डामर के खाली ड्रमों में कमी

144. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1998 से जून, 2001 तक खण्ड बारां के स्टोर में डामर के भरे कितने ड्रम कब-कब आये ?

(2) उक्त अवधि में स्टोर से कितने-कितने डामर के ड्रम कब-कब, किस-किस कार्य के लिये आबंटित हुए व कितने डामर के ड्रम खर्च हुए ?

(3) उक्त अवधि में स्टोर में डामर के खाली ड्रम कब-कब, कहां-कहां से आए और कितने ड्रम स्टोर में शेष हैं ? क्या शेष ड्रम स्टोर में पूरे हैं ? यदि नहीं, तो कहां-कहां किसके आदेश से कितने-कितने ड्रम किस-किस कार्य पर लगे हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1998 से जून, 2001 तक खण्ड बारां के स्टोर में 9119 के भरे हुए ड्रम आए। सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में स्टोर में विभिन्न कार्यों पर आबंटित व खर्च हुए डामर के ड्रमों का विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में डामर के खाली ड्रमों की प्रापति का विवरण परिशिष्ट "ग-1" व "ग-2" में संलग्न है।

डामर के भरे हुए ड्रम 267 (पहले के 117 को मिलाते हुए) एवं कार्यों पर आबंटित ड्रमों में से 259 ड्रम स्टोर में उपलब्ध है जो पूरे हैं।

डामर के खाली ड्रमों में से 722 ड्रम विभिन्न उपयोग में लिये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "घ" पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र नोहर में विद्युत तंत्र के बिना विद्युतीकरण

145. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर के कौन-कौन से 15 गांवों को कई वर्षों से कागजों में विद्युतीकृत घोषित किया है, जब कि वहां विद्युत तंत्र ही नहीं है ?

(2) क्या सरकार उक्त गांवों में विद्युत तंत्र स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में 22 गांव ऐसे हैं जो विद्युतीकृत घोषित हैं परन्तु वहां विद्युत तंत्र स्थापित नहीं है। ग्रामों की सूची परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) इन गांवों में मांग पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विद्युत तंत्र स्थापित किया जावेगा।

परिशिष्ट "अ"

नोहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे विद्युतीकृत घोषित गांव जहां विद्युत तंत्र नहीं हैं

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या 1991	विद्युतीकरण की तिथि	लम्बित आवेदन पत्र
1.	मालिया	1/15/36	1362	31.12.90	—
2.	डूमासर	35	334	30.5.93	—
3.	मेघसिंहपुरा	37	234	28.2.79	स्व विद्युतीकृत
4.	भंगुली	222	719	31.1.94	40 घरेलू के
5.	13 जी.जी.एम.	154	गैर आबाद	31.3.95	20 घरेलू के
6.	10 जी.जी.एम.	153	गैर आबाद	31.3.95	—
7.	3 आर.एम.जी.	159	9	31.3.95	—
8.	12 बारानी	126	गैर आबाद	31.3.95	—
9.	6 आर.एम.जी.	158	5	31.3.95	—
10.	1 जे.एस.एन.	57	47	31.3.95	—
11.	7 जे.एस.एन.	65	26	31.3.95	—
12.	8 जे.एस.एन.	64	17	31.3.95	—
13.	23 डी.पी.एन.	163	314	28.2.80	—
14.	धांधूसर	1/14/281	1452	28.2.91	43 घरेलू के
15.	शेखचूलिया	291	763	31.1.94	29 घरेलू के
16.	रेखरेखासर	295	129	31.1.97	—
17.	ढाणी माहेला	309	908	31.8.92	स्व विद्युतीकृत
18.	ढाणी लेघान	310	720	30.4.92	स्व विद्युतीकृत
19.	प्रेमपुरा	311	605	30.4.92	स्व विद्युतीकृत
20.	हमीददेसर	274	695	31.7.96	—
21.	रामको	247	1324	31.3.97	—
22.	10 के.एम.	175	88	31.3.95	1 कृषि कने.

पर्यटन निगम में वितरित पुरस्कार

146. श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में पर्यटन निगम द्वारा किन व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया ?

(2) क्या उक्त संबंध में निगम में कोई प्रावधान है? उक्त से निगम को कितनी हानि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निगम ने (गत दो वर्ष) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में किसी भी व्यक्ति को कोई पुरस्कार नहीं दिया।

(2) जी, नहीं।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा व सलूम्बर में फड़कों से फसल की खराबी

147. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सराड़ा एवं सलूम्बर में फड़कों की वजह से खरीब की फसल लगभग नष्ट हो गई है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत खराबा हुआ एवं अनुमानतः कितनी राशि का नुकसान किसानों को उठाना पड़ा? क्या प्रशासन ने समय पर पूरी तैयारी के साथ बचाव के उपाय चालू कर दिये थे? यदि हां, तो क्या-क्या और नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा व सलूम्बर में फड़कों के बचाव हेतु कितनी दवाई उपलब्ध कराई थी तथा कितने अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी पर लगा रखे थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। जिला कलक्टर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार इन 2 तहसीलों में कुल 43930 हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बुवाई हुई थी, जिसमें कुल फड़का प्रभावित क्षेत्र 10.8 प्रतिशत था एवं 2.8 प्रतिशत क्षेत्र में ही नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक रहा। प्रशासन ने समय पर कीट नियंत्रण उपाय चालू कर दिये थे। दिनांक 21.07.2001 से 24.09.2001 तक प्रभावित फसल को फड़का कीट से बचाने के लिये अन्य स्थानों से अतिरिक्त अधिकारी/कर्मचारी लगाकर, कृषक गोष्ठियां/रात्रि गोष्ठियां आयोजित कर, तकनीकी पम्फलेट्स का वितरण कर, प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्तियां जारी कर तथा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क कर कीट नियंत्रण की जानकारी दी गई। प्रभावित क्षेत्र में 4 मोबाइल तकनीकी दलों ने भ्रमण कर लाइट ट्रेप, आग जलाकर, टायर जलाकर तथा कीटनाशक रसायन का प्रयोग कर कीट नियंत्रण करने का प्रचार-प्रसार किया जिसके आशातीत परिणाम मिले। कीट प्रभावित क्षेत्र में 394 हैक्टेयर में 9850 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत डस्ट, 50 प्रतिशत

(कृषि मंत्री)

अनुदान पर वितरण कर 1,182 कृषकों को लाभान्वित कर कीट नियंत्रण कराया। सलूम्बर एवं सराड़ा पंचायत समिति में कुल 2,742 हैक्टेयर क्षेत्र में फड़का कीट का नियंत्रण कार्य कराया।

(2) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा व सलूम्बर में फसल को फड़कों से बचाने के लिये कीटनाशक विक्रेताओं के पास मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत डस्ट, 80,750 किलोग्राम एवं मोनोक्रोटोफास 1,040 लीटर हैक्टेयर क्षेत्र में 9,850 किलोग्राम मिथाईल पैराथियोन डस्ट 2 प्रतिशत, 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरण किया गया। पंचायत समिति, सराड़ा व सलूम्बर के क्षेत्र में फड़का कीट नियंत्रण हेतु स्थानीय 1 अधिकारी एवं 37 कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में 7 अधिकारियों एवं 14 कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई थी।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

148. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में चिकित्सा अधिकारियों एवं नर्स/कम्पाउण्डरों के कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद भर्ती करते समय तहसील मुख्यालय गोगुन्दा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भी ध्यान रखेगी? क्या उक्त केन्द्र में तीन चिकित्सा अधिकारियों एवं नर्स का पद रिक्त है? यदि हां, तो कब तक पूर्ति की जावेगी और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा अधिकारियों एवं नर्सिंग स्टाफ के चिकित्सा संस्थानवार रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ति अवधि सहित परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के रिक्त पद को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। एल.एच.वी. के रिक्त पद को नियमानुसार चयन की आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात् ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। नर्स श्रेणी द्वितीय एवं प्रसाविका के रिक्त पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(3) जी, हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोगुन्दा में कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) का एक पद एवं नर्स श्रेणी द्वितीय के तीन पद रिक्त है। प्रश्न के भाग 2 के अनुसार कार्यवाही कर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-क

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सा अधिकारियों एवं नर्सिंग स्टाफ के चिकित्सा संस्थानवार मय रिक्ती दिनांक सहित रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती अवधि
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोगुन्दा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	6/2001
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	3	7.10.2000 2.8.2000 4/94
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सायरा	नर्स श्रेणी-द्वितीय	1	7/2000
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पदराड़ा	नर्स श्रेणी-द्वितीय	1	5/2000
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विकरनी	एल.एच.वी.	1	4/97
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेकरियाल	नर्स श्रेणी-द्वितीय	2	4/95, 2/2001
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालवोकाचोरा	नर्स श्रेणी-द्वितीय	2	12/95, 5/98
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माण्डवा	नर्स श्रेणी-द्वितीय	2	3.7.01, 11/2000
8.	उच्चीकृत उप केन्द्र, मोरबल	नर्स श्रेणी-द्वितीय	1	9/98
9.	उपकेन्द्र, सुजाबतों का गुडा	प्रसाविका	1	7/2001
10.	उप केन्द्र, काछवा	प्रसाविका	1	7/2001
11.	उप केन्द्र, सामोली	प्रसाविका	1	4/98
12.	उप केन्द्र, मेरपुर	प्रसाविका	1	7/2000
13.	उप केन्द्र, मेवाड़ों का मठ	प्रसाविका	1	11/99

ग्रामीण विकास अभिकरण, कोटा में आशुलिपिक की नियम विरुद्ध नियुक्ति

149. श्री राम गोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1997 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कोटा में आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो उक्त पद पर किस व्यक्ति की नियुक्ति की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित होने के बावजूद भी विभाग के द्वारा सामान्य वर्ग के व्यक्ति को नियुक्ति दी गई? क्या उक्त नियुक्ति नियम विरुद्ध है?

(3) क्या सरकार नियम विरुद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त करने का विचार रखती है? क्या सरकार उक्त नियुक्ति में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 28.03.1997 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोटा में अमित शर्मा की आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति की गई है।

(2) जी, हां। आशुलिपिक के पद के बैक लाग को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से भरने के लिये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोटा द्वारा पत्र दिनांक 13.6.1996 एवं 10.10.1996 के जरिये राज्य के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में योग्यताधारी एवं इच्छुक वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लिपिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। इसके साथ अभिकरण के पत्र दिनांक 2.7.1996 के द्वारा उक्त पद के लिये निर्धारित अहर्तता रखने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु नामों की सूची नियोजन कार्यालय, कोटा से मंगवाई गई थी। समाज कल्याण विभाग कोटा से पत्र दिनांक 19.11.1996 के द्वारा भी पंजीकृत अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की सूची मंगवाई गई थी। जिसके परिपेक्ष्य में कोटा नियोजन कार्यालय से 20 एवं समाज कल्याण कार्यालय, कोटा से 3 अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई थी। स्टेनों गति परीक्षा में कुल 14 अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जाति के केवल 3 सदस्यों ने गति परीक्षा में भाग लिया, किन्तु इनके परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने के कारण सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को योग्यता सूची के अनुसार नियुक्ति दी गई है, जिससे कोई अनियमितता नहीं की गई है।

(3) जी, नहीं। नियुक्ति अनियमितता नहीं अपनाई गई है।

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में वृद्धावस्था पेंशन लम्बित प्रकरणों का निस्तारण

150. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में वृद्धावस्था व विधवा पेंशन कुछ व्यक्तियों की रुकी हुई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के कई योग्य व्यक्ति पेंशन से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में कैम्प लगाकर पेंशन बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी संख्या में वृद्धावस्था व विधवा पेंशन मिल रही है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। श्रीगंगानगर में कोषालय स्तर पर स्थाई रूप से किसी की पेंशन रूकी हुई नहीं है।

(2) पेंशन हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात् पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था विधवा पेंशन दी जाती है। वर्तमान में सभी जिलों में प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान उक्त पेंशन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर, उनकी जांच कर, पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की जा रही है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र (तहसील-गंगानगर) में वृद्धावस्था पेंशन में 3400 व विधवा पेंशन में 1047 पेंशनरों को पेंशन दी जा रही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्राप्त राशि का उपयोग

151. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत सड़कें बनाने के लिये गत वर्ष एक सौ तीन करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो उक्त राशि किस तारीख को विभाग को प्राप्त हुई और उसको कब तक खर्च किया गया? भारत सरकार के स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से किस-किस जिले की कौन-कौन सी सड़कों के लिये कितनी-कितनी राशि आबंटित की जिसमें से दिनांक 31 मार्च तक कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त राशि में से ऐसी सड़कों पर भी राशि व्यय की जो सड़कें इससे पूर्व दूसरी योजनाओं में बन रही

(श्री हरजीराम बुरड़क)

थी ? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कें किस-किस योजना में बन रही थी ?

(4) क्या उक्त सम्पूर्ण राशि दिनांक 31 मार्च, 2001 तक व्यय हो गई ? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो क्यों और बची हुई राशि का क्या हुआ ?

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुल राशि 140.09 करोड़ रुपये प्राप्त हुये थे। उक्त राशि भारत सरकार के पत्र 6 फरवरी, 2001, 12 मार्च एवं 27 मार्च, 2001 के द्वारा राजस्थान सरकार को प्राप्त हुई। इसके उपरान्त राज्य सरकार के वित्त विभाग के पत्र दिनांक 31.3.2001 द्वारा 93.15 करोड़ एवं पत्र दिनांक 7.5.2001 द्वारा 46.94 करोड़ राशि विभाग को प्राप्त हुई। परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिलेवार सड़कों की आबंटित राशि एवं 31 मार्च तक व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। जो सड़कें पूर्व में अन्य योजनाओं में बन रही थी उनका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है (बी.एम.एस.पी.) के अपूर्ण कार्य जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत हुये उन कार्यों को छोड़कर।

(4) जी, नहीं। कार्यादेश फरवरी, 2001 व इसके पश्चात् दिये गये और मार्च, 2001 से ही प्रारम्भ हो पाये। बची हुई राशि सम्बन्धित जिलों के बैंक खातों में जमा है तथा इन कार्यों पर प्रगति के अनुसार खर्च की जा रही है क्योंकि उक्त राशि का आबंटन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ खतम नहीं होगा एवं अगले वित्तीय वर्ष में भी उपयोग में नहीं ली जा सकती है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ग्रामों का विद्युतीकरण

152. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के कितने गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? सूची मय नाम के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र के जनजाति बहुल गांवों के लिये ट्रायबल कमिश्नर से भी कोई राशि प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कितनी और क्या उक्त राशि व्यय नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त विद्युत विहीन गांवों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनगणना पुस्तिका 1991 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के अन्तर्गत गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

(2) उक्त क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु अनुसूचित जनजाति कमिश्नर से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है, केवल अनुसूचित जनजाति बस्तियों के लिए राशि प्राप्त हुई है, जिसका विवरण व उपयोग का विवरण निम्नप्रकार है :—

वर्ष	बस्ती का नाम	प्राप्त राशि	कार्य प्रगति
1997-1998	पीपलोत	71500 रुपये	विद्युतीकरण कर दिया गया है
1999-2000	पादड़ी	1.17 लाख रुपये	उपरोक्त
नवम्बर, 2001	मालवा, कला जेबेला	1.62 लाख रुपये	विद्युतीकरण करना शेष है

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम व होटल निगम के वार्षिक लेखों में विलम्ब

153. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं होटल निगम के किस वर्ष तक के वार्षिक लेखे पूर्ण हो गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों के वार्षिक लेखे कब-कब किस-किस वर्ष के कब तैयार हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में किस-किस वर्ष के वार्षिक लेखे तैयार किये जाने शेष है और समय पर वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किये जाने के क्या कारण हैं तथा विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 1999-2000 तक पूर्ण हो गये हैं एवं राजस्थान स्टेट होटल्स निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1999-2000 तक के वार्षिक लेखे पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2000-2001 के लेखा का वैधानिक अंकेक्षण कार्य चल रहा है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के गत तीन वर्षों के वार्षिक लेखे निम्नांकित तिथियों में पूर्ण किये गये थे—

1997-98	(11.12.1998)
1998-99	(09.03.2001)
1999-00	(10.08.2001)

राजस्थान स्टेट होटल्स निगम लिमिटेड, के गत तीन वर्षों के वार्षिक लेखे निम्न तिथियों में तैयार हुए—

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

लेखों का वर्ष

1998-99	(08.2.2000)
1999-2000	(15.09.2000)
2000-2001	(वैधानिक अंकेक्षण कार्य प्रगति पर है)

(3) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के वर्तमान में वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखों का कार्य अन्तिम चरण में है। वैधानिक अंकेक्षण बकाया है। वाषिक लेखों को प्रस्तुत करने में विलम्ब का कारण, निगम में जनवरी, 1999 से 18 जनवरी, 2000 तक संचालन मण्डल विद्यमान नहीं होना रहा। अतः निगम के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखे संचालन नहीं होना रहा, इन कारणों से निगमों के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखे संचालक मण्डल के अभाव में समय पर अनुमोदित नहीं कराये जा सके। अतः वार्षिक लेखों को तैयार करने के निगमों के स्तर पर किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

राजस्थान स्टेट होटल्स निगम लिमिटेड के वर्तमान में वर्ष 2000-2001 के लेखों का कार्य अन्तिम चरण में है। अतः किसी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जिला अजमेर में मूंग की फसल में खराबी

154. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इस वर्ष जिला, अजमेर में मूंग की फसल में कीड़े/लट लगने से फसल नष्ट हुई है? यदि हां, तो किस-किस किसान की कितनी-कितनी?

(2) क्या दवाइयां/कीटनाशक भी नियंत्रण में बेअसर रही? यदि हां, तो कौन जिम्मेदार है और नहीं, तो किस आधार पर?

(3) क्या सरकार उक्त किसानों को क्षतिपूर्ति/सहायता/मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या कीटनाशक प्रभाव स्तर के नहीं थे? उक्त प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं?

उत्तर

(1) जी, नहीं। इस वर्ष जिला, अजमेर में मूंग की 61,145 हैक्टेयर क्षेत्र में काश्त हुई थी। माह जुलाई व अगस्त के प्रथम सप्ताह में 1710 हैक्टेयर में हाकमोथ का प्रकोप हुआ था जिसे कीटनाशक रसायनों के प्रयोग से शत-प्रतिशत नियंत्रण कर लिया गया था। अगस्त के द्वितीय सप्ताह में 5250 हैक्टेयर में हेलियोथिस कीट का प्रकोप हुआ। जिसमें 70-80 प्रतिशत क्षेत्र में प्रभावशाली नियंत्रण रहा। शेष क्षेत्र में फसल में कीट के कारण मात्र 5-7 प्रतिशत नुकसान रहा।

(कृषि मंत्री)

(2) जी, नहीं। माह जुलाई एवं अगस्त के प्रथम सप्ताह में पंचायत समिति क्षेत्र, अराई, श्रीनगर, भिनाय व केकड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में 1,710 हैक्टेयर क्षेत्र में हाकमोथ का प्रकोप हुआ था। उसमें कीटनाशक रसायनों के प्रयोग से कीट का शत प्रतिशत नियंत्रण हुआ है। अगस्त के द्वितीय सप्ताह में पंचायत समिति, भिनाय क्षेत्र में लगभग 5,250 हैक्टेयर क्षेत्र में मूंग की फसल में हेलियोथिस कीट का प्रयोग हुआ था तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में कीट नियंत्रण कार्य कराया गया था जो 70-80 प्रतिशत तक प्रभावशाली रहा है। जिन क्षेत्रों में कीटनाशी रसायन के छिड़काव के तुरन्त बाद वर्षा हो गई थी वहां कीटनाशक घुलने से नियंत्रण कार्य पूर्ण प्रभावी नहीं रहा।

(3) जी, नहीं। जिला कलक्टर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुल 61,145 है. में से 6960 हैक्टेयर कीट प्रभावित क्षेत्र में 10 प्रतिशत से कम नुकसान हुआ है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर शहर के चिकित्सालयों में पदों की समाप्ति

155. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1998 तक जयपुर शहर में कितने चिकित्सालय थे? उक्त में स्वीकृत पदवार विवरण की स्थिति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999 से 30 सितम्बर, 2001 तक उक्त में से कितने स्वीकृत पदों को समाप्त किया गया? उक्त पद समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार ने चिकित्सालयों में पद स्वीकृत करने की कोई नीति निर्धारित कर रखी है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1998 तक जयपुर शहर में स्थित चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों का पदवार विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 1999 से 30 सितम्बर, 2001 तक उक्त स्वीकृत पदों में से समाप्त किये गये पदों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित चिकित्सा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करने हेतु समानीकरण योजनान्तर्गत उक्त पदों को समाप्त कर इन पदों का सृजन अन्य चिकित्सा संस्थानों में किया गया। निदेशालय द्वारा संचालित चिकित्सालयों का स्टाफिंग पैटर्न परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र धोद (सीकर) के विद्यालयों के रिक्त पद

156. श्री अमराराम (धोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में अध्यापकों के कितने पद कब से रिक्त हैं? विद्यालय वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त रिक्त पदों से विद्यार्थियों को हो रहे नुकसान की भरपाई कैसे हो पायेगी?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धोद में संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) द्वितीय श्रेणा के पद पदोन्नति प्रक्रिया से अध्यापक उपलब्ध होने तथा तृतीय श्रेणी के पद नियुक्तियों से प्रतिबन्ध हटने पर भरे जा सकेंगे।

(3) शिक्षण व्यवस्था के लिए जिन विद्यालयों में सभी पद भरे हुए हैं अथवा मानदण्ड से अधिक कार्यरत हैं, उन विद्यालयों से अध्यापक हटाकर अध्यापकों की कमी वाले विद्यालयों में लगा दिये गये हैं। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम दो तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम पांच (5) अध्यापकों की व्यवस्था कर दी गयी है।

परिशिष्ट "क"

घोद विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पद संख्या	पद कब से रिक्त है
1	2	3	4
शिक्षा विभाग (अ) -II ग्रेड			
1.	राउप्रावि., अनोखू	01	अक्टूबर, 2001 से
2.	राउप्रावि., सुरखों	01	अगस्त, 2001 से
3.	राउप्रावि., गूनाठू	01	मार्च, 2000 से
4.	राउप्रावि., रोवद बड़ी (बालिका)	01	सितम्बर, 2001 से
5.	राउप्रावि., भोराणा	01	अप्रैल, 99 से
6.	राउप्रावि., भगतपुरा	01	अप्रैल, 99 से
7.	राउप्रावि., मंगरासी	01	अगस्त, 2001 से
8.	राउप्रावि., सेसम	01	जुलाई, 2001 से
9.	राउप्रावि., बा. बानूड़ा	01	अप्रैल, 99 से
10.	राउप्रावि., नं. 1 लोसल	01	अक्टूबर, 2000 से
		10	
III-ग्रेड			
1.	राउप्रावि., खूदर्दो	01	जुलाई, 2001 से
2.	राउप्रावि., गूनाठू	01	मार्च, 2000 से
3.	राउप्रावि., जांचास	02	सितम्बर, 2001 से
4.	राउप्रावि., तासरबड़ी	01	अप्रैल, 2001 से
5.	राउप्रावि., नेतड़वास	01	जुलाई, 2001 से
6.	राउप्रावि., पुराछोटी	01	अक्टूबर, 2001 से

1	2	3	4
7.	राउप्रावि., पेवा	01	जुलाई, 2001 से
8.	राउप्रावि., श्यामपुरा	01	जुलाई, 2001 से
9.	राउप्रावि., लोसल छोटी	02	मार्च, 2001 से
10.	राउप्रावि., बालिका, सांवलोदापुरोहितान	02	अक्टूबर, 2001 से
11.	राउप्रावि., टटणवा	01	अक्टूबर, 2001 से
12.	राउप्रावि., भोमा	02	जुलाई, 2001 से
13.	राउप्रावि., भोराणा	01	अक्टूबर, 2001 से
14.	राउप्रावि., भगतपुरा	02	मई, 2001से
15.	राउप्रावि., राजपुरा	02	जुलाई, 2001 से
16.	राउप्रावि., मंगरोसी	02	अगस्त, 2001 से
17.	राउप्रावि., सामी	01	मई, 2001 से
18.	राउप्रावि., सेसम	01	जुलाई, 2001 से
19.	राउप्रावि., नं. 1 लोसल	03	अप्रेल, 2001 से
20.	राउप्रावि., हरिपुरा, लोसल (राप्रावि.)	02	अप्रैल, 2001 से
21.	राउप्रावि., बासड़ा, लोसल (राप्रावि.)	01	अप्रैल, 2001 से
22.	राउप्रावि., अहाता, ऐरिया, लोसल (राप्रावि)	01	अप्रैल, 2000 से
23.	राउप्रावि., बालिका, लोसल (राप्रावि.)	01	अप्रैल, 2000 से
24.	राउप्रावि., बा. उर्दू, लोसल (राप्रावि.)	01	अप्रैल, 2000 से
	योग	35	

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पद संख्या	पद कब से रिक्त है
1	2	3	4
III-ग्रेड शा.शि.			
1.	राउप्रावि., थोरासी	01	अक्टूबर, 2001 से
2.	राउप्रावि., भोमा	01	अक्टूबर, 2001 से
3.	राउप्रावि., मंगरासी		अप्रैल, 2001 से
	योग	03	
पंचायत राज (ब)			
1.	राप्रावि., चोड़ासरा	01	जुलाई, 2001 से

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के छात्रावास भवन की मरम्मत

157. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में संचालित छात्रावासों में से किन-किन छात्रावासों में भवन मरम्मत की जरूरत है ?

(2) उक्त छात्रावासों में भवन मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बालक छात्रावास, कन्या छात्रावास, बांसवाड़ा तथा राजकीय बालक छात्रावास, लोहारिया, बोरी बजवाना तथा राजकीय कन्या छात्रावास, गढ़ी में भवन मरम्मत की आवश्यकता है।

(2) विभाग को राजकीय छात्रावास, बजवाना एवं कन्या छात्रावास, गढ़ी के भवन मरम्मत हेतु राशि प्राप्त हो चुकी है। तथा शेष हेतु सरकार द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर मरम्मत का कार्य कराये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

सड़क संधारण परियोजना अन्तर्गत सड़कों का नवीनीकरण

158. श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सड़क संधारण परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 एवं 2002-2003 में चौबीस

(श्री मांगीलाल डांगा)

हजार किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य किया जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रति वर्ष बारह हजार किलोमीटर संधारण कार्य में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में साठ किलोमीटर सड़कों पर संधारण कार्य करवाया जायेगा?

(3) क्या वर्ष 2001-2002 में बारह हजार किलोमीटर सड़कों पर संधारण कार्य करवाने के लिये स्वीकृति प्रदान कर दी है? यदि हां, तो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रवार संधारण की जाने वाली सड़कों का नाम मय दूरी किलोमीटर एवं व्यय होने वाली राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त सड़क संधारण कार्य कब से शुरू करके कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) सड़क उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत लगभग तुलनात्मक लम्बाई 24000 किमी. लम्बाई में सड़क उन्नयन व सुदृढ़ीकरण कार्य करवाया जावेगा।

(2) जी, हां सामान्यतः।

(3) जी, हां विवरण संलग्न है।

(4) उक्त सड़क उन्नयन व सुदृढ़ीकरण कार्य वित्तीय वर्ष 2001-2002 में शुरू करके वर्ष 2002-2003 तक पूर्ण करने की योजना है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-159

(स्थगित)

शाही रेलगाड़ी हेतु रेल्वे व पर्यटन निगम में अनुबन्ध

160. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 08 सितम्बर, 2001 को शाही रेलगाड़ी (पैलेस आन व्हील) पर सी.बी.आई. ने छापा मारा था? यदि हां, तो कितने यात्री बिना टिकिट यात्रा करते पकड़े गये तथा इससे कितना आर्थिक नुकसान हुआ?

(2) उक्त छापे में बिना टिकट मीडिया, सरकारी नौकर, प्राइवेट पर्सनल तथा कैम्प ट्यूर के लिये आमंत्रित किन-किन व्यक्तियों को पकड़ा गया? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि शाही गाड़ी के लिये रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के बीच करार (अनुबन्ध) होता है? उक्त करार कब हुआ? उक्त करार की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त अनुबन्ध नहीं होने से अब तक रेलवे विभाग का कितना बकाया पर्यटन निगम पर बनता है?

(डा. किरोड़ी लाल)

(4) वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम पूर्व अनुबन्ध के अनुसार कितने यात्रियों को मुफ्त यात्रा करवाने के लिये अधिकृत है?

(5) क्या यह सही है कि पर्यटन मंत्री ने उक्त घटना की विभागीय जांच के आदेश दिये थे? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम आये? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार दोषी राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष/अधिकारीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां दिनांक 08 सितम्बर, 2001 को पैलेस आन व्हील्स का सी.बी.आई. ने निरीक्षण किया था। कोई भी यात्री बिना टिकट यात्रा करते नहीं पकड़ा गया। पैलेस आन व्हील्स पर सभी यात्री टिकट धारक राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा आमंत्रित अतिथि थे अथवा ड्यूटी पर कार्यरत अधिकारी थे।

(2) इस प्रकार के आमंत्रित अतिथियों की सूची अनुलग्नक "अ" पर संलग्न है।

(3) जी, हां शाही रेलगाड़ी के लिए भारतीय रेलवे तथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम के मध्य अनुबन्ध के आधार पर ही पैलेस आन व्हील्स चलाई जा रही है। यह अनुबन्ध सन् 1982 (अनुलग्नक-"ब"), 1985 (अनुलग्नक "स"), 1992 में किये गये (अनुलग्नक "द"), 1994 (अनुलग्नक "य") में मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टेंडिंग (MOU) पर हस्ताक्षर हुए थे। अनुबन्ध पर हस्ताक्षर होने शेष है। अनुबन्ध नहीं होने से यह कहना सम्भव नहीं है कि रेलवे विभाग को कितना बकाया पर्यटन विकास निगम का बनता है। वर्तमान में 50-50 प्रतिशत हिस्सा राशि के अनुसार भुगतान किया जा रहा है।

(4) अनुबन्ध में मुफ्त यात्रा करने के बारे में कोई जिक्र नहीं है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के संचालक मण्डल के निर्णयानुसार प्रति यात्रा मीडिया के अतिरिक्त 2 व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा करने हेतु आमंत्रित कर सकते हैं। यह सीमा केवल सामान्य यात्रा के लिए है एवं प्रारम्भिक यात्रा हेतु ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

(5) जी, नहीं। पर्यटन मंत्री ने जांच कराने के आदेश हेतु विचार करने को कहा था। आदेश नहीं दिये थे। जांच सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है।

(6) वर्तमान में उक्त प्रकरण की जांच सी.बी.आई. में विचाराधीन है एवं जांच के परिणामों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा क्रय सामग्री में अनियमितता

161. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1998 से सितम्बर, 2001 तक राज्य में परिवार कल्याण में कौन-कौन अधिकारी, उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित रहे? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारियों द्वारा वर्ष 1998 से सितम्बर, 2001 तक किन-किन फर्मों से कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की दवाइयां, उपकरण, काटनगाज, बैंडेड क्रय की है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त फर्मों से उक्त सामग्री क्रय की वह सामग्री फर्म स्वयं बनाती है अथवा अन्य फर्म या डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से क्रय की है? क्या उक्त खरीद नियमित/अनियमित हुई?

(4) उक्त अधिकारियों द्वारा जो सामग्री क्रय की गई क्या वह राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त अधिकारियों द्वारा किन-किन वाहनों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की तथा क्या वे वाहन वर्तमान में आफरोड है?

(6) उक्त क्रय सामग्री में अभी तक किन-किन फर्मों का भुगतान बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार उक्त फर्मों को भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1998 से सितम्बर, 2001 तक पदस्थापित उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) की जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) फर्मों से क्रय की गई सामग्री का विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(3) फर्मों से क्रय की गई सामग्री स्वयं बनाने अथवा अन्य फर्म या डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से क्रय करने तथा क्रय के नियमित/अनियमितता के सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध है।

(4) राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप सामग्री क्रय की गई है।

(5) अधिकारियों द्वारा वाहनों पर व्यय की गई राशि एवं वाहनों के आफ रोड/आनरोड रहने सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(6) फर्मों से क्रय की गई सामग्री के बकाया भुगतान की सूचना परिशिष्ट "ङ" पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(7) जी, हां। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम महाराजपुरा (नागौर) में आयोजित प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को असुविधा

162. **श्री हरीशचन्द कुमावत** (नावां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर की 28वीं नावां कुचामन खण्ड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन अगस्त, 2001 में ग्राम महाराजपुरा में हुआ? क्या उक्त में कुल 72 टीमों के 1050 खिलाड़ियों ने भाग लिया? यदि हां, तो इन 72 टीमों ने किस-किस विद्यालय से किस-किस प्रतियोगिता में भाग लिया तथा प्रत्येक टीम में कितने-कितने छात्र/छात्राएं थी? उक्त टीमों के प्रमुख व भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं की सूची मय संख्या के नाम के सदन की मेज पर रखें। उक्त टीमें महाराजपुरा में इस प्रतियोगिता हेतु किस तारीख से किस तारीख तक रही?

(2) क्या यह भी सही है कि महाराजपुरा में आयोजित उक्त खेलकूद प्रतियोगिता में सम्पूर्ण खिलाड़ियों के लिये पूर्ण समयावधि के लिये भोजन व्यवस्था, वहां की प्रधान तथा उनके परिवार द्वारा की गई और ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ने इसके लिये विभाग की तरफ से आभार व्यक्त किया है?

(3) उक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं के लिये सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित है? उक्त प्रतियोगिताओं में टीमों के आने-जाने व ठहराव के लिये संस्था अथवा शिक्षा विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है और इस प्रतियोगिता में यह राशि किस-किस टीम प्रभारी को कितनी-कितनी उपलब्ध कराई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त खेलकूद प्रतियोगिता जिसका आयोजन स्थल राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय महाराजपुरा था इस प्रतियोगिता के लिये जन सहयोग के रूप में दानदाताओं द्वारा लाखों रुपये एकत्रित किये गये? क्या इसके लिये रसीद जारी की गई? उक्त प्रतियोगिताओं में कुल कितनी राशि जरिये रसीद के एकत्रित की गई? उक्त राशि को किस कोष में जमा कराया गया व इस राशि से प्रतियोगिता पर कितना-कितना खर्च किस-किस प्रयोजनार्थ हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इस प्रकार जनता से राशि एकत्रित करने के लिये विभाग ने किसी व्यक्ति को अधिकृत किया था? यदि हां, तो किसे और नहीं, तो उक्त राशि अनधिकृत रूप से किस आधार पर एकत्रित

(श्री हरीश चन्द कुमावत)

की गई? क्या इस राशि के उपयोग के सम्बन्ध में जांच कराने का कोई प्रावधान है?

(6) क्या सरकार उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त प्रतियोगिता में 72 टीमों के 1020 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भाग लेने वाली टीमों, टीम प्रमुख तथा खिलाड़ियों द्वारा किस-किस खेल में भाग लिया है का ब्यौरा परिशिष्ट "क" संलग्न है। प्रतियोगिता में टीमें दिनांक 26.8.01 की सायंकाल से 29.08.01 तक रही।

(2) जी, हां।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में 14 वर्ष तक के छात्र/छात्राएं भाग ले सकते हैं। उक्त प्रतियोगिताओं में छात्र/छात्राओं के आने-जाने का किराया व प्रतियोगिता स्थल पर ठहराव अवधि का 35/- रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से देय है। उपरोक्तानुसार राशि प्रतियोगियों को दी जाती है।

(4) इस प्रतियोगिता हेतु महाराजपुरा के ग्रामवासियों ने अपने स्तर पर एक समिति "विद्यालय ग्राम विकास समिति महाराजपुरा" का गठन किया। समिति ने ही अपने स्तर पर चंदा एकत्रित किया। एकत्रित चंदा राशि एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(5) जी, नहीं। ग्रामवासियों के स्वयं के निर्णयानुसार राशि एकत्रित की गई।

(6) जी, नहीं। उक्त प्रकरण में विभाग को शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जांच करवाई जा सकेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सड़क मरम्मत हेतु आबंटित राशि का उपयोग

163. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1999 से वर्ष 2001-2002 के बजट में सड़क मरम्मत हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क मरम्मत हेतु रखे गये बजट का उपयोग कितना-कितना हुआ? विवरण जिलानुसार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने सड़क मरम्मत की घोषणा प्रत्येक वर्ष की परिपालना नहीं हो पाई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्षवार आबंटन निम्नप्रकार है :—

वर्ष	आबंटन मरम्मत मद
1999-2000	10348.60 लाख
2000-2001	11326.18 लाख
2001-2002	7982.50 लाख

(2) जिलावार व्यय का विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(3) जी, नहीं। वर्षवार आबंटित बजट के उपरान्त उपलब्ध राशि के अनुसार सड़क मरम्मत कार्य करवाये गये हैं।

परिशिष्ट "अ"

सड़क मरम्मत हेतु जिलेवार व्यय का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	व्यय (लाखों में)		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002 (माह सितम्बर)
1	2	3	4	5
1.	जयपुर	1092.28	1213.50	409.22
2.	सीकर	257.1	239.37	52.93
3.	झुंझुनूं	363.92	232.91	75.34
4.	अलवर	384.00	348.32	72.32
5.	दौसा	151.05	218.15	37.76
6.	टौंक	140.76	178.36	40.12
7.	भरतपुर	290.93	351.69	80.81
8.	धौलपुर	182.52	249.36	63.01
9.	अजमेर	309.23	348.86	104.09
10.	नागौर	405.93	373.37	79.05
11.	भीलवाड़ा	337.33	255.45	104.32
12.	जोधपुर	562.34	470.19	120.36

1	2	3	4	5
13.	बाड़मेर	416.28	365.16	67.96
14.	जैसलमेर	115.12	124.46	42.29
15.	पाली	319.92	299.03	69.12
16.	सिरोही	115.24	113.43	41.47
17.	जालौर	269.75	273.66	43.79
18.	बीकानेर	293.82	367.58	57.64
19.	चूरू	369.67	311.50	90.27
20.	गंगानगर	147.57	138.44	39.73
21.	हनुमानगढ़	365.27	271.70	78.36
22.	कोटा	256.20	335.79	97.85
23.	बारां	179.73	257.13	58.05
24.	बूंदी	156.80	214.04	73.13
25.	झालावाड़	105.14	169.35	69.78
26.	सवाईमाधोपुर	152.97	179.09	77.40
27.	करौली	195.79	233.23	117.76
28.	उदयपुर	484.44	487.01	173.15
29.	राजसमन्द	145.36	156.83	50.12
30.	चित्तौड़गढ़	246.70	287.82	58.58
31.	बांसवाड़ा	220.06	201.97	74.28
32.	डूंगरपुर	257.72	370.91	166.88
	योग	**9290.94**	**9637.66**	**2786.44**

प्रश्न संख्या-164

(स्थगित)

चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैथून (कोटा) को आहरण वितरण का अधिकार

165. श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कितने हैं? क्या उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आहरण वितरण एवं कार्यालाध्यक्ष की शक्तियां प्रदत्त की गई है?

(2) क्या राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैथून (कोटा) के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को वित्तीय शक्तियां प्रदत्त की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी को अब कब तक स्वतंत्र वित्तीय शक्तियां प्रदान की जावेगी?

उत्तर

(1) जिला कोटा में 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। उक्त सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आहरण वितरण अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की गई है।

(2) जी, हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद

166. श्री भाणजी भाई (दानपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं तथा कितने पद नवसृजित किये जाने हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 34 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। कोई भी पद रिक्त नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नये पद सृजन नहीं किये जा रहे हैं।

(2) कोई पद रिक्त नहीं है।

कनिष्ठ अभियंताओं की पदोन्नति में असमानता

167. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग के सेवा नियमों में पदोन्नति के लिए

(श्री जीतमल खांट)

स्थाइकरण अनिवार्य शर्त है? यदि हां, तो वर्ष 1996-97 में सहायक अभियंता (विद्युत) में पदोन्नति करते समय स्थाई कनिष्ठ अभियंता उपलब्ध होते हुये अस्थाई कनिष्ठ अभियंताओं को पदोन्नति क्यों दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग में वर्ष 1996-97 में सहायक अभियंता (सिविल) की पदोन्नति पूर्णतया वरियता के आधार पर की गई? यदि हां, तो एक ही विभाग में (सिविल एवं विद्युत) की पदोन्नति में दोहरे मानदण्ड क्यों अपनाये गये? उक्त के लिये कौन कर्मचारी जिम्मेवार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97 में सहायक अभियंता (विद्युत) की पदोन्नति को माननीय न्यायालय ने नियम विरुद्ध कार्यवाही करार देते हुये स्थाई कनिष्ठ अभियंता पदोन्नत कर न्यायालय को सूचित करने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो क्या आदेश की पालना कर ली गई? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सामान्यतः 1 परन्तु स्थाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने पर नियमित रूप से चयनित कर्मचारियों में से भी पदोन्नति की जा सकती है।

तत्कालीन विभागीय पदोन्नति समिति ने निर्णय लिया कि तदर्थ (आर. एण्ड आर) पदोन्नति के लिये तीन पद वरिष्ठता कम योग्यता से एवं दो पद योग्यता के आधार पर भरे जायेंगे। योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर स्थाई कनिष्ठ अभियंता उपलब्ध नहीं होने के कारण नियमित चयनित कनिष्ठ अभियंताओं का योग्यता के आधार पर चयन किया गया है।

(2) सहायक अभियंताओं (सिविल) की अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति पूर्णतया वरिष्ठता के आधार पर किये जाने का प्रावधान है।

कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता (सिविल) एवं (विद्युत) के पदों पर पदोन्नति (मुख्य सूची) वरिष्ठता एवं योग्यता तथा योग्यता के आधार पर की गई है परन्तु तदर्थ आधार पर सहायक अभियंता (सिविल) वरिष्ठता के आधार पर ही लिये गये हैं।

तत्कालीन विभागीय पदोन्नति, समिति की सिफारिश के आधार पर ही पदोन्नतियां प्रदान की गई है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी, हां। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर ने अपील संख्या-941/99 में दिनांक 27.3.2001 को निर्णय दिया है कि प्रार्थी अपीलार्थी श्री चन्द्रभान सिंह पदोन्नति के योग्य पाया जाता है तो उसे सहायक अभियंता (विद्युत) के पद पर तदर्थ रूप से वर्ष 1996-97 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत करने का निर्देश दिया है। परन्तु पदोन्नति करने के बाद न्यायालय को सूचित करने के आदेश प्रदान नहीं किया है। विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्वालोकन बैठक बुलाये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

(4) जी, नहीं। चूंकि पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा आधार पर प्रदान की गई है।

डी.एस.आर. टोर प्राइवेट लिमिटेड, भिवाड़ी (अलवर) का विद्युत कनेक्शन

168. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

डी.एस.आर. टोर प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी (अलवर) को विद्युत कनेक्शन कब जारी किया गया? उक्त ने कब विद्युत कनेक्शन के लिए प्रार्थना-पत्र दिया? आवेदन पत्र की नकल एवं विद्युत विभाग द्वारा जारी कनेक्शन से संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

भिवाड़ी (अलवर) स्थित डी.एस.आर. टोर प्राइवेट लिमिटेड ने विद्युत कनेक्शन हेतु दिनांक 8.1.1998 को आवेदन किया था तथा दिनांक 25.7.1998 को उसे कनेक्शन जारी कर दिया गया। वर्तमान में कनेक्शन का खाता नम्बर एच.टी.-575 है। कनेक्शन के आवेदन पत्र, जारी मांग-पत्र, कनेक्शन आर्डर व अन्य दस्तावेज की प्रतियां परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को देय चिकित्सा सुविधा में धनाभाव

169. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने मुफ्त चिकित्सा/दवा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बी.पी.एल. कार्ड वितरित किये हैं? यदि हां, तो प्रदेश में जुलाई, 2001 तक कितने कार्ड जिलावार वितरित किये हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र व जिला मुख्यालय स्थित अस्पतालों में कार्डधारी को मुफ्त दवा/चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां,

(श्री देवीसिंह भाटी)

तो आदेश की प्रति केन्द्रवार स्वीकृत राशि वर्ष 2000-2001 के लिए प्रदेश में कुल राशि प्रावधान की विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रायः सभी ग्राम, तहसील मुख्यालय के विभिन्न केन्द्रों पर धनाभाव के कारण जिला मुख्यालय केन्द्रों पर मरीज को रैफर कर दिया जाता है। यदि नहीं, तो स्वास्थ्य केन्द्रवार विभाग मूल वार्षिक दवाई वितरण का कितना बजट प्रावधान करती है व बी.पी.एल. कार्डधारी के लिए कितना बजट देती है? जिला बीकानेर के स्वास्थ्य केन्द्रवार आबंटित राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मेडिकेअर रिलीफ कार्ड (बी.पी.एल. कार्ड) वितरित किए गये है।

राज्य में जुलाई, 2001 तक 23,46,659 मेडिकेयर रिलीफ कार्ड (बी.पी.एल. कार्ड) वितरित किए गये है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। प्रदेश के चिकित्सालयों में मेडिकेयर रिलीफ कार्डधारी परिवारों को मुफ्त दवा/चिकित्सा उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। प्रदेश में औषधियों के वित्तीय वर्ष 2000-2001 के प्रावधान विवरण सूची परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(3) जी, नहीं। गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को ही रैफर किया जाता है। प्रति केन्द्रवार औषधियों का मानदण्ड निम्निलिखित है :—

प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 35,000 रुपये प्रति वर्ष अस्पताल (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) सहित 4800 रुपये प्रति वर्ष प्रति बेड। ओ.पी.डी. प्रतिरोधी 5 रुपये प्रति दिन चिकित्सा केन्द्रों पर उपलब्ध दवाओं में से पहले बी.पी.एल. कार्डधारियों को दवा दी जाती है। इसके अलावा मेडिकेअर रिलीफ सोसायटी की आय का 25 प्रतिशत भाग भी उक्त मरीजो की दवाइयों पर व्यय किया जाता है।

जिला बीकानेर के स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आबंटित औषधि बजट विवरण परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

राज्य में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति जिन्हें मेडिकेयर रिलीफ (बी.पी.एल.) कार्ड वितरित किये गये

क्र.सं.	जिले का नाम	बी.पी.एल. परिवार जिन्हें कार्ड वितरित किये
1	2	3
1.	अजमेर	68,631
2.	अलवर	82,911
3.	बांसवाड़ा	1,70,813
4.	बारां	49,783
5.	बाड़मेर	85,000
6.	भरतपुर	53,559
7.	भीलवाड़ा	1,10,698
8.	बीकानेर	60,927
9.	बूंदी	1,47,670
10.	चित्तौड़गढ़	1,39,984
11.	चूरू	81,768
12.	दौसा	41,163
13.	धौलपुर	36,053
14.	डूंगरपुर	1,33,129
15.	गंगानगर	45,989
16.	हनुमानगढ़	49,923
17.	जयपुर	1,36,633
18.	जैसलमेर	20,240

1	2	3
19.	जालौर	66,688
20.	झालावाड़	59,140
21.	झुंझुंनूं	33,176
22.	जौधपुर	42,722
23.	करौली	66,945
24.	कोटा	48,663
25.	नागौर	64,221
26.	पाली	68,556
27.	राजसमन्द	57,961
28.	सवाइमाधोपुर	58,010
29.	सीकर	35,210
30.	सिरोही	38,538
31.	टोंक	65,048
32.	उदयपुर	2,26,908
	योग	**23,46,659**

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प-13(6) चिस्वा/2/99 जयपुर, दिनांक 2.6.99

समस्त सम्भागीय आयुक्त

समस्त जिला कलक्टर,

....

परिपत्र

विषय : गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मेडिकेयर रिलीफ कार्ड का वितरण।

1. राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, गरीब व्यक्तियों में स्वास्थ्य के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने तथा पात्र व चिन्हित व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगरीय व ग्रामीण परिवार जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, को मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी कार्डस वितरित किये जाते हैं।

2. प्रत्येक जिले में उपलब्ध गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नगरीय व ग्रामीण परिवारों की संख्या के आधार पर मेडिकेयर रिलीफ कार्डस राज्य सरकार द्वारा मुद्रित करवाये जाकर शीघ्र ही उपलब्ध करवा दिये जाएंगे। मेडिकेयर रिलीफ कार्ड का प्रारूप परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

3. ये मेडिकेयर रिलीफ कार्डस जुलाई, 1999 के अन्त तक प्रत्येक पात्र परिवार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों के इन पहचान-पत्रों को सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा चयनित परिवारों की नवीनतम सूचियों के आधार पर तैयार कर विकास अधिकारी के हस्ताक्षर के पश्चात् सम्बन्धित ग्राम पंचायत को प्रेषित किये जाएंगे। सरपंच ग्राम पंचायत इन कार्डों पर हस्ताक्षर कर सम्बन्धित परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान इन पहचान-पत्रों पर लगवाएंगे। इन कार्डों का वितरण ग्राम पंचायतों में सम्बन्धित व्यक्तियों को किया जायेगा। जबकि शहरी क्षेत्रों में यह कार्य नगरपालिकाओं/नगर परिषद्/नगर निगमों में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जाएगा। जिले में मेडिकेयर

रिलीफ कार्डस के वितरण के लिए जिला कलक्टर पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे एवं जिला कलक्टर जिले में कार्डस वितरण के लिए प्रत्येक पंचायत समिति/नगर पालिका क्षेत्र के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेंगे। प्रत्येक वार्ड/पंचायत के लिए कार्ड को तैयार करने एवं वितरण के लिए ग्राम पंचायत के सचिव एवं नगरपालिका के कर्मचारियों को नियुक्त किया जाये एवं उनकी ट्रेनिंग का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करवा लिया जावें।

4. सभी पहचान-पत्रों पर नम्बर व कोड अंकित होगा ताकि इनका दुरुपयोग नहीं हो सके। जिला कलक्टर कोड व नम्बर सम्बन्धी निर्णय अपने स्तर पर लेकर उचित निर्देश विकास अधिकारियों को कृपया जारी कर दें।

5. मेडिकेयर रिलीफ कार्ड धारक व्यक्ति, परिवार एवं इनके सदस्यों जिनके नाम कार्ड में अंकित हैं को राजकीय चिकित्सा सुविधा जिसमें दवाएं, नैदानिक तथा जांच तथा बहिरंग व अन्तर्वासी विभाग में उपलब्ध सुविधाएं सम्मिलित होंगी, उपलब्ध करवायी जाएगी। इसके लिए निःशुल्क सेवाओं पर होने वाला समस्त व्यय सम्बन्धित राजकीय चिकित्सालय द्वारा वहन किया जाएगा।

6. प्रत्येक चिकित्सा संस्थान जहां मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी कार्यरत है, सोसायटी की आय का 25 प्रतिशत मेडिकेयर रिलीफ कार्डधारकों को सेवा उपलब्ध कराने पर व्यय करेगा। जिला कलक्टर इसे सुनिश्चित करेंगे।

7. मेडिकेयर रिलीफ कार्डधारकों को असाध्य रोगों के निदान व उपचार सम्बन्धित चिकित्सक की उचित अभिशंसा पर "मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष" से सहायता उपलब्ध रहेगी।

8. योजना के संचालन व क्रियान्विति हेतु जिलों को परिशिष्ट "ख" के अनुसार राशि का आबंटन किया जा रहा है।

9. इस कार्य को 31 जुलाई, 1999 तक अनिवार्य रूप से सम्पन्न किया जाना है। कृपया इसी अनुरूप योजना लागू करते हुए आपके जिले की प्रगति की सूचना निम्नहस्ताक्षरकर्ता को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में भिजवाने का कष्ट करें।

हॅ०/-

(रामलुभाया)

शासन सचिव,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

परिशिष्ट "स"

वित्तीय वर्ष 2000-2001 हेतु भैषज एवं औषधियों का बजट प्रावधान की सूचना

(रुपये लाखों में)

		गैर योजना	योजना	सीएसएस	योग
(ए)	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा नियंत्रण				
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1121.87	835.55	333.00	2290.42
	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विकास	5.00	–	–	5.00
	योग : ए	**1126.87**	**835.55**	**333.00**	**2295.42**
(ब)	परिवार कल्याण	**15.00**	**92.50**	**115.22**	**222.72**
(सी)	शिक्षण चिकित्सालय	1236.95	19.93	8.00	1264.88
	मेडिकल कालेज	35.25	15.00	–	50.25
	मोबाइल सर्जिकल यूनिट	33.80	3.00	–	36.80
	ई.एस.आई. अस्पताल	360.00	1.50	10.75	372.25
	आयुर्वेद एवं अन्य विधि	42.10	34.01	–	76.11
	योग : सी	**1708.10**	**73.44**	**18.75**	**1800.29**
	महायोग :	**2849.97**	**1001.49**	**466.97**	**4318.43**

परिशिष्ट "द"

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में राज्य सरकार द्वारा बीकानेर जिले को भैषज एवं औषधियों का बजट निम्नानुसार आवंटित किया गया

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को :

डी.ए.पी. (एन.पी.)	3,00,000
पी.एच.सी. (एन.पी.)	1,44,000
सी.ए.डी.	51,000
पी.एच.सी. (पी)	1,41,000
सी.एच.सी. (पी)	2,00,000
प्राकृतिक आपदा	27,000
आई मोबाइल	27,000
	8,90,000
मेडिकल कालेज बीकानेर एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों का औषधि बजट	1,43,40,000
कुल	**1,52,30,000**

जिला परिषद् करौली में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापक

170. श्री अशोक (खण्डार) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद्, करौली में वर्तमान में अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है? यदि हां, तो कब से तथा कौन-कौन? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सचिव, पंचायती राज विभाग ने जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अध्यापकों एवं ग्राम सेवकों को तत्कांल उनके मूल पदस्थापन स्थान पर लौटा कर/कार्यमुक्त कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में भिजवाने के निर्देश दिये थे? क्या उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना हुई? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त निर्देशों की अवहेलना के लिए कौन अधिकारी दोषी है? क्या सरकार दोषी अधिकारी के

(श्री अशोक)

विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापकों की अध्यापन हेतु आवश्यकता नहीं है जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर रखा हुआ है? यदि हां, तो अब इन्हें कब तक इनके मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। जिला परिषद्, करौली द्वारा पालना की जा चुकी है।

(3) जिला परिषद्, करौली में अब कोई अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 पर क्षतिग्रस्त बरैठा पुल

171. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 पर बरैठा पुल वर्ष 1999 से 2001 तक कितनी बार कब-कब क्षतिग्रस्त हुआ?

(2) उक्त क्षतिग्रस्त पुल कितनी अवधि में ठीक करवाया गया तथा कब पुनः यातायात सुचारू रूप से चालू करवाया गया?

(3) अब कब तक उक्त क्षतिग्रस्त पुल ठीक हो जायेगा और कब तक यातायात पुनः सुचारू रूप से चल सकेगा?

(4) क्या यह सही है कि उक्त क्षतिग्रस्त पुल काफी लम्बे समय से क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो क्यों और सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

(5) बाड़ी उप खण्ड में वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में कितनी राशि नयी सड़कों के निर्माण व सड़क मरम्मत हेतु स्वीकृत की गई? उक्त में से कितनी राशि अक्टूबर, 2001 तक व्यय की गई और कितने किलोमीटर नयी सड़क बनाई गई व कितने किलोमीटर सड़क की मरम्मत की गई?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 पर किमी. 30/830 में स्थित बरैठा पुल वर्ष 1999 से 2001 तक तीन बार क्रमशः वर्ष 1999 में दिनांक 11.10.99 को वर्ष 2000 में दिनांक 24.9.2000 को एवं वर्ष 2001 में दिनांक 9.10.2001 को क्षतिग्रस्त हुआ।

(2 व 3) उक्त क्षतिग्रस्त पुल वर्ष 1999 में एक माह 6 दिन में, वर्ष 2000 में 2 माह 7 दिन में ठीक करवाकर यातायात सुचारू रूप से चालू करवाया गया। वर्ष 2001 में दिनांक 9.10.2001 को पुल क्षतिग्रस्त हुआ। जिसकी आंशिक मरम्मत कर दिनांक 3.11.2001 को पुल

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की आधी चौड़ाई में यातायात शुरू किया गया। शेष मरम्मत कर दिनांक 13.11.2001 से सुचारू रूप से यातायात चालू कर दिया गया है।

(4) जी, हां। क्योंकि उक्त पुल लगभग 80 वर्ष पुराना होने के कारण इसका क्षरण होता जा रहा है। आगरा-धौलपुर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के उत्तर-दक्षिण कोरीडोर का हिस्सा है तथा इस सड़क को चार लेन करने का कार्य भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। यह पुल उसी के बीच में आता है जिसका पुनर्निर्माण भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ही करवाया जाना प्रस्तावित है जो कि भारत सरकार का उपक्रम है एवं उस पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है।

(5) बाड़ी उप खण्ड में वर्ष 1999-2000 में नयी सड़कों के निर्माण हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है तथा वर्ष 2000-2001 में नयी तीन सड़कों (12.95 कि.मी. लम्बाई) की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राशि 116.80 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई। जिसमें से 11.66 लाख रुपये माह 10/2001 तक व्यय किया गया है एवं कार्य प्रगति पर है।

बाड़ी उप खण्ड में सड़क मरम्मत हेतु वर्ष 1999-2000 में 107.80 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें से 65.00 लाख रुपये व्यय कर 30.00 किमी. सड़कों की मरम्मत कराई गई एवं 2000-2001 में सड़क मरम्मत हेतु 73.50 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें से 72.33 लाख रुपये का व्यय 35 कि.मी. सड़कों की मरम्मत कराई गई।

इलैक्ट्रोनिक मीटरों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

172. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम की स्थापना के पश्चात् विद्युत दरों की विभिन्न श्रेणियों में कितनी बढ़ोतरी की गई तथा इससे विद्युत निगम को कितना राजस्व अधिक प्राप्त हुआ तथा विश्व बैंक से विभिन्न विद्युत कम्पनियों की स्थापना के पश्चात् कितना ऋण लिया जाना प्रस्तावित था एवं कितना ऋण प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में राज्य की विभिन्न विद्युत कम्पनियों में चोरी व छीजत का कितना प्रतिशत रहा उससे विद्युत निगमों को कितनी राशि का नुकसान हुआ तथा विद्युत व छीजत से हुई हानि को पूरा करने की सरकार की क्या योजना है?

(3) राज्य में पुराने मीटरों के स्थान पर विभिन्न विद्युत कम्पनियों द्वारा कितने इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाने की योजना है?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मीटर बदलने पर कितनी राशि व्यय होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नये इलैक्ट्रोनिक मीटर के तेज चलने की शिकायत विभिन्न विद्युत कम्पनियों को उपभोक्ता व विभिन्न प्रतिनिधियों से प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार ने शिकायत के निवारण हेतु क्या-क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी, हां। अजमेर, जयपुर, जोधपुर विद्युत वितरण निगमों की स्थापना के पश्चात् 1 अप्रैल, 2001 से विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई दरें प्रपत्र "अ" पर संलग्न है। इससे वर्ष 2001-2002 में अजमेर निगम को 250 करोड़, जोधपुर को 194.04 एवं जयपुर निगम को 247 करोड़ रुपये का राजस्व अधिक प्राप्त होने का अनुमान है। विश्व बैंक से प्राप्त होने वाला ऋण का विवरण निम्नप्रकार है :—

निगम का नाम	प्रस्तावित	प्राप्त ऋण
अजमेर	240.01 करोड़	10.50 करोड़
जोधपुर	264.02 करोड़	10.50 करोड़
जयपुर	201.63 करोड़	10.50 करोड़

(2) वर्ष 1999-2000 में एकीकृत मण्डल में पारेषण एवं वितरण हानियां 38.55 प्रतिशत थी। वर्ष 2000-2001 में अजमेर, जोधपुर एवं जयपुर निगमों के चोरी व छीजत का विवरण निम्नप्रकार है :—

1. अजमेर निगम — 34.74 प्रतिशत
2. जोधपुर निगम — 37.36 प्रतिशत
3. जयपुर निगम — 38.79 प्रतिशत

विद्युत चोरी रोकने के लिए मीटर चैकिंग करना, सील लगाना तथा विजिलेंस चैकिंग बढ़ाना मुख्य कार्य है। छीजत रोकने के लिए नये 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाकर टी. एण्ड डी. लासेस कम करने की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त कार्य द्वारा हानि को कम किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 11 के.वी. फीडरों पर मीटर लगा कर चोरी व छीजत का पता लगा कर उनको कम करने के प्रयास किये जावेंगे।

(3) जी, हां। नये कनेक्शनों व खराब मीटरों की जगह पर इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाने की योजना है। इसमें इन कार्यों के लिए बजट प्रावधानों के अनुसार खर्च किया जावेगा। प्रत्येक विद्युत वितरण निगम द्वारा वित्तीय संसाधनों के अनुसार राशि खर्च की जावेगी।

(4) जी, हां। इलैक्ट्रोनिक मीटरों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है। इस बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा रही है तथा शिविर लगाकर भी मीटरों की उपभोक्ताओं के सामने जांच की गई है। अधिकांश मामलों में शिकायत सही नहीं पायी गई है। खराब पाये गये मीटर बदले गये हैं।

CATEGORYWISE TARIFF BEFORE AND AFTER THE FORMATION OF DISCOM

S.No.	CATEGORY	BEFORE FORMATION OF COMPANY				AFTER FORMATION OF COMPANY (wef 1.4.2001)	
		Fixed service charge Rs./Month/ Conn	METER RENT Rs/Meter/ Mon	ENERGY CHARGE Paise/ Unit	FUEL SURCH-ARGE Paise/ Unit	FIXED CHARGES*	ENERGY # CHARGES Paise/Unit
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DOMESTIC SERVICE						
	(Rural & Urban)						
(i)	First 50 Units/Month	15	15 (Single Ph)	155	–	Rs. 50/Connection/Month	170
(ii)	Above 50 Units/Month	30	30 (Poly Ph)	220	–	Rs. 75/Connection/Month	275
2.	NON DOMESTIC SERVICE						
(I)	LT Supply						
(a)	SCL upto 5 KW						
(i)	First 100 Units/Month	25 (Upto 200 U/mon)	15 (Single Ph)	264	146	Rs. 80/Connection/Month	450
(ii)	Above 100 Units/Month	45(Above 200 U/Mon)	30 (Poly Ph)	304	146	Rs. 120/Connection/Month	490

1	2	3	4	5	6	7	8
(b)	**SCL above 5KM**						
(i)	First 100 Units/Month	25(Upto 200 U/Mon)	15 (Single Ph)	264	146	Rs. 40/KW of SCL	490
(ii)	Above 100 Units/Month	45(Above 200 U/Mon)	30 (Poly Ph)	304	146		
			40(CT Meter)				
(II)	HT Supply						
(i)	First 100 Units/Month	750	600(LT Metering)	264	146	Rs. 60/KVA of BD	490
(ii)	Above 100 Units/Month	750	800 (HTMetering)	304	146		
3.	**PUBLIC STREET LIGHTING**						
(i)	In Panchayats/Municipal areas having population	–	15(Single Ph)	154	146	Rs 30/Point	300
	below 1-Lakh	–	30(Poly Ph)				
(ii)	In Municipal areas having population of 1-Lakh and above		40(CT Meter)	184	146	Rs. 45/Point	330

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	**AGRICULTURE**						
(I)	**Merered Supply**						
(i)	General	15	30	70	—	Rs. 45/Connection/Month	90
(ii)	Agriculture connections in Farm Houses	15	30	220	—	Rs. 45/Connection/Month	275
(iii)	All others not covered under (i) & (ii) above including Nursery (till conversion), Urban area wells, 24 hours supply areas and Poultry farms	15	30	110/140	—	Rs. 45/Connection/Month	165
(II)	**Flat Rate Supply**						
	(In Rs. Per HP/Month)						
(i)	General and Special General Category	15	—	Rs. 60/HP/Mon	—	Rs. 15/Connection/Month	85

1	2	3	4	5	6	7	8
(ii)	Special Scheme - Fodder scheme	15	–	Rs. 120/HP/Mon	–	Rs. 15/Connection/Month	145
(iii)	All others not covered under (i) & (ii) above, Urban area wells and 24 hours supply areas	15	–	Rs 95/HP/Mon	–	Rs. 15/Connection/Month	175
5.	**SMALL INDUSTRY**	35	15(Single Ph) 30(Poly Ph)	203	146	Rs. 30/HP/Month	344
6.	**MEDIUM INDUSTRY**	50(LT) 750(HT)	600(LT Metering) 800(HT Metering)	236	146	Rs.45/HP/Month or	372
7.	**BULK SUPPLY FOR MIXED LOAD**					Rs. 75/KVA/Month of BD	
(i)	Residential Colony (Per dwelling house)	35(LT)	600(LT Metering)	236	146	Rs. 67.5/Connection/Month	247.5

1	2	3	4	5	6	7	8
(ii)	Other than Residential Colony	35(LT)	600(LT Metering)	236	146	Rs. 45/HP/Month or	372
		750(HT)	800(HT Metering)			Rs. 75/KVA/Month of BD	
8.	**LARGE INDUSTRY**	750 (Upto 33KV)	800	259	146	Rs. 90/KVA/Month of BD	401
		1500 (Above 33 KV)					

NOTES

* Includes element of meter rent

Includes element of fuel surcharge

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति

173. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के कितने-कितने पद रिक्त हैं? संख्या विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित सूचना के आधार पर 3085 व्याख्याताओं तथा 3414 वरिष्ठ अध्यापक (द्वितीय श्रेणी) के पद रिक्त हैं। जिनका जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थनाएं प्रस्तुत की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। साथ ही रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु गैस्ट फैकल्टी योजना के तहत व्याख्याताओं को मानदेय पर लगाने की व्यवस्था की जा चुकी है। वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की नियुक्ति पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई हुई है, माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार नियुक्ति की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	जिले का नाम	व्याख्याता	वरिष्ठ अध्यापक
1	2	3	4
1.	अजमेर	90	127
2.	भीलवाड़ा	78	192
3.	नागौर	229	255
4.	टोंक	103	70
5.	जोधपुर	127	159
6.	पाली	97	66
7.	सिरोही	47	50
8.	जालौर	90	112
9.	बाड़मेर	133	141
10.	जैलसमेर	44	52
11.	कोटा	54	36
12.	बारां	58	40
13.	बूंदी	36	45
14.	झालावाड़	78	53
15.	सवाईमाधोपुर	50	48
16.	करौली	45	55
17.	जयपुर	163	194
18.	अलवर	216	220
19.	भरतपुर	97	109
20.	सीकर	182	181
21.	धौलपुर	21	24
22.	दौसा	57	19

1	2	3	4
23.	बांसवाड़ा	95	73
24.	चित्तौड़गढ़	123	138
25.	डूंगरपुर	82	41
26.	राजसमन्द	71	104
27.	उदयपुर	111	167
28.	बीकानेर	81	123
29.	झुंझुनूं	127	150
30.	गंगानगर	95	74
31.	हनुमानगढ़	90	99
32.	चूरू	115	187
	योग	**3085**	**3414**

विधान सभा क्षेत्र करौली की सड़कों हेतु अतिरिक्त राशि

174. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र करौली में राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण हेतु राशि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी व किस-किस सड़क निर्माण हेतु?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र हेतु आबंटित राशि पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की सड़कों के निर्माण हेतु और पर्याप्त राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी और कब तक?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों को शहरी सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम को एवं कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सड़क निर्माण हेतु आबंटित राशि की सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) जी, हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उक्त विधान सभा क्षेत्र में जिन सड़कों के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है एवं नाबार्ड अन्तर्गत कार्य के लिये राशि पर्याप्त है।

प्रपत्र "अ"

करौली विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	आवंटित राशि (लाखों में)
(अ)	**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2000-2001)**	
1.	सायपुर रघुवंशी से मोहनपुर	11.13
2.	करौली कैलादेवी सड़क से गुडाकर	66.81
3.	कुडगांव मेंमरदा सड़क से गोपालगढ़	48.56
4.	सम्पर्क सड़क गुगरदा गेरई सड़क	37.81
5.	सम्पर्क सड़क बिचफुरी	42.29
6.	सम्पर्क सड़क डूंडापुरा	46.39
7.	सम्पर्क सड़क रामपुरा	16.08
8.	सम्पर्क सड़क मंडाखेड़ा	40.14
9.	सम्पर्क सड़क सीलोती	41.83
10.	सम्पर्क सड़क मांच	16.07
11.	सम्पर्क सड़क राजपुर	31.02
12.	सम्पर्क सड़क खूबनगर	60.52
13.	सम्पर्क सड़क डांडा	80.43
14.	सम्पर्क सड़क कंचनपुर	45.54
	योग	**: 584.62 लाख रुपये**
(ब)	**बी.एम.एस.पी. योजना (2000-2001)**	
1.	एप्रोचेस आफ बरखेड़ा ब्रिज करौली हिण्डौन सड़क	87.43
(स)	**न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम नाबार्ड (2000-2001)**	
1.	सम्पर्क सड़क नारायना	1.65
	योग	**: 673.70 लाख रुपये**

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-269 का विवरण)

परिशिष्ट-I

वर्ष 1994-95 में सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र हरमाड़ा तहसील आमेर में फव्वारा संयंत्रों पर अनुदान

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	जाति	गांव	ग्राम पंचायत	देय अनुदान राशि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री छोटू, विरदा पुत्र नारायण	मीणा	माचेड़ा	हरमाड़ा	7000/-
2.	श्री धन्ना, रामरतन, बजी, नारायण पुत्र पांच	मीणा	माचेड़ा	हरमाड़ा	7000/-
3.	श्री छोटीलाल पुत्र महादेव	माली	चोडा	हरमाड़ा	5000/-
4.	श्री पांचूराम/सुखा	माली	चोडा	हरमाड़ा	5000/-
5.	श्री धन्ना/सुखा	माली	चोडा	हरमाड़ा	5000/-
6.	श्री नाथू/सूक्का	माली	चोडा	हरमाड़ा	5000/-
7.	श्री संग्राम सिंह/मुकन्दसिंह	राजपूत	बदनपुरा	खेरासामवास	5000/-
8.	श्री महादेव/भूराराम	गूजर	भूरथल	भूरथल	5000/-
9.	श्री रामलाल/जगन्नाथ	सैनी	लूनियावास	सेवापुरा	5000/-
10.	श्री श्योनारायण/तीझाराम	जाट	चौक्तावाला	लोराश्ययाम	5000/-
11.	श्री बीकाराम/मगला	जाट	चोरावाला	लोराश्ययाम	5000/-
12.	श्री कृष्ण/किरोड़ीलाल	शर्मा	मूडडाता	मूण्डाता	5000/-
13.	श्री हरीनारायण/गोरूराम	यादव	सुमरामपुरा	खोरातीसल	5000/-
14.	श्री मोती/भूराराम	हरब्रा.	चौरा	चौरा	5000/-
15.	श्री राजेन्द्र सिंह/मानसिंह	राजपूत	रिसानी	भूरथल	5000/-
16.	श्रीमती आनन्द कंवर पत्नी श्री मानसिंह मनोहर	राजपूत	रिसानी	भूरथल	5000/-

1	2	3	4	5	6
			वर्ष 1995-96		
1.	श्री सीताराम/रामनिवास	गुजर	भूरथल	भूरथल	4500/-
2.	श्री राकेश, प्रवीण, मित्रपाल पुत्र कल्याण सहाय	वर्मा	खोराबिसन	खोराबिसन	7000/-
3.	श्री बंशीराम/कजोड़	जाट	दौलतपुरा	दौलतपुरा	8500/-
4.	श्री नाथूलाल/लादूराम	मीणा	दौलतपुरा	दौलतपुरा	6375/-
5.	श्रीमती दाखादेवी पत्नी सूरजमल	ब्राह्मण	दौलतपुरा	दौलतपुरा	12750/-
6.	श्री दिनेश कुमार/सूरजमल	ब्राह्मण	दौलतपुरा	दौलतपुरा	12750/-
7.	श्री महेश कुमार/सूरजमल	ब्राह्मण	दौलतपुरा	दौलतपुरा	12750/-
8.	श्री बजरंग सिंह/भंवर सिंह	राजपूत	चेतावाला	खोराश्यामदाव	8500/-
9.	श्रीमती गुल्लीदेवी/कैलाशनारायण	जाट	नांगलपुरोहित	नांगलपुरोहित	12750/-
10.	श्रीमती सीता/महेन्द्र	जाट	बढ़ारना	हरमाड़ा	10400/-
11.	श्री भूराराम/नारायण	गूजर	माचेड़ा	हरमाड़ा	8850/-
12.	श्री छीतर/नारायण	गूजर	माचेड़ा	हरमाड़ा	8850/-
13.	श्री नारायण/सुखादेव	माली	माचेड़ा	हरमाड़ा	10500/-
14.	श्री लादूराम/छोटूराम	मीणा	दौलतपुरा	दौलतपुरा	15750/-
15.	श्री हरिदास/दयारामदास	जाट	मुण्डौता	मुण्डौता	13600/-
16.	श्री छोटूराम/भूराराम	जाट	मुण्डौता	मुण्डौता	13600/-
17.	श्री कल्याणसहाय/धन्नाराम	जाट	हरचन्दपुरा	रोजड़ा	12600/-
18.	श्री ग्यारसीलाल/धन्नाराम	ब्राह्मण	नीदड़	नीदड़	10500/-

1	2	3	4	5	6
19.	श्री छीतरमल/विजयलाल	ब्राह्मण	नीदड़	नीदड़	10500/-
20.	श्री प्रभू/धन्नाराम	ब्राह्मण	नीदड़	नीदड़	10500/-
21.	श्री घासी/धन्नाराम	ब्राह्मण	नीदड़	नीदड़	10500/-
22.	श्री विश्वम्भरदयाल/सूरजमल	ब्राह्मण	नीदड़	नीदड़	8500/-
23.	श्री नारायण/वीरमा	जाट	महेशवासकल	महेशवासकल	13600/-
24.	श्री मीरसिंह/सांवलराम श्रीमती कमलेश/मीरसिंह	जाट	माचेड़ा	हरमाड़ा	105000/-
25.	श्री प्रतापसिंह/सावतराम श्रीमती गीता/प्रताप सिंह	जाट	माचेड़ा	हरमाड़ा	105000/-
26.	श्री पूरणमल/भूराराम	शर्मा	माचेड़ा	हरमाड़ा	8500/-
27.	श्री साबूराम/चौथूराम	कुम्हार	रिसानी	भूरथल	105000/-
28.	श्री कल्याण सिंह/अखौसिंह	राजपूत	हरचन्दपुरा	रोजड़ा	10374/-
29.	श्री लक्ष्मीचन्द जी गग्गड/ सदासुखजैन	जैन	नांगलपुरोहित	नांगलपुरोहित	5300/-
30.	श्री जौहरीलाल/भूराराम श्रीमती शांति/चुन्नीलाल	खटीक	नीदड़	नीदड़	20400/-
31.	श्री रामेश्वर, हनुमान, सावन्ता, पितरान देवाराम	मीणा	नीदड़	नीदड़	15750/-
32.	श्री भंवरलाल/प्रतापाराम	यादव	खोराविसल	खोराविसल	12750/-
33.	श्री नानूराम/प्रतापाराम	यादव	खोराविसल	खोराविसल	12750/-
34.	श्री महादेव/गणेश	मीणा	आंकेड़ा	अखेपुरा	20400/-

1	2	3	4	5	6
35.	श्री नानूलाल/महादेव	मीणा	शेश्यावास	अखेपुरा	20400/-
36.	श्री कैलाशचन्द/रूरानाथ श्रीमती ज्याना बेवा मधुनाथ	मीणा	शेश्यावास	अखेपुरा	20400/-
37.	श्री भूराराम/सुखदेव	मीणा	किशनगढ़	अखेपुरा	20400/-

वर्ष 1996-97

1.	श्री शैलेन्द्र सिंह/कैलाशनाराण	जाट	नांगलपुरो.	नांगलपुरो.	8500/-
2.	श्री लालाराम/डूंगाराम	जाट	नांगलसिरस	नांगलसिरस	10500/-
3.	श्रीमती तारा देवी/सुवालाल	माली	नांगलपुरो.	नांगलपुरो.	8850/-
4.	श्री कमला/पूरणमल	शर्मा	माचेड़ा	हरमाड़ा	12750/-
5.	श्री सीतादेवी/के.जी.धाबाई	गूर्जर	जलोई	रोजवा	20400/-
6.	श्री रामलाल/मांगू	बागड़ा	बगवाड़ा	गिवाड़ा	10500/-
7.	श्रीमती कुकन्द कुमारी/अमरसिंह	राजपूत	रानारामपुरा	भूरथल	20400/-
8.	श्री भूरा/चन्दाराम	ब्राह्मण	किशनपुरा	खेरावीथल	3500/-
9.	श्री जगन्नाथ/गुल्ला एवं भैरू/लक्ष्मण	मीणा	भीवपुरा	बगवाड़ा	20400/-
10.	श्री जगदीश, गोपाल, रामरखा रूप बाबूलाल कैलाश, नाथूराम	ब्राह्मण	नीदड़	नीदड़	8250/-
11.	श्री नन्दराम, प्रभूदयाल, वृद्धिचन्द, सेणूराम/लक्ष्मी नारायण	कुमावत	रोजवा	रोजवा	13600/-
12.	श्रीमती रूड़ीदेवी एवं सांवरमल नानूराम, श्रीनारायण, नाथूराम पुत्र कानाराम	माली	माचेड़ा	हरमाड़ा	10500/-
13.	श्री श्यामलाल/डाकूराम	कुमावत	रोजदा	रोजदा	5000/-

1	2	3	4	5	6
14.	श्री डालेराम/गैदाराम	कुमावत	रोजदा	रोजदा	8500/-
15.	श्री पुष्पेन्द्र सुराणा/विमलचन्द	जैन	रानावास	नांगलसिरस	10500/-
16.	श्री घीसाराम/गोपीनाथ	महाजन	रोजदा	रोजदा	10500/-
17.	श्री घीसा/भैरू	रैगर	जैतपुरा	रोजदा	5000/-
18.	श्री नन्दाराम/देवाराम	जाट	जैतपुरा	रोजदा	16000/-
19.	श्री प्रताप/धन्ना	बलाई	रोजदा	रोजदा	8850/-
20.	श्री जुगल/सोहन लाल	रैगर	रोजदा	रोजदा	20400/-
21.	श्री चौथू/प्रभात	जाट	दौलतपुरा	दौलतपुरा	13600/-
22.	श्री गोरधन, भागचन्द/रामकुमार	रैगर	रेगढ़ा	रोजगढ़ा	20400/-
23.	श्री खेतसिंह/प्रेमसिंह	राजपूत	रेगढ़ा	रोजदा	10000/-
24.	श्री गणपत/गुजली	ब्राह्मण	खोरावीसल	खोरावीसल	5000/-
25.	श्री जगमाल/रामकुमार	अहीर	चकरोजदा	रोजदा	24900/-
26.	श्री भगवती/रामपाल	शर्मा	माचेड़ा	हरमाड़ा	12750/-
27.	श्री हनुमानसहाय/झूथाराम	मीणा	मोटूकावास	नांगलपुरो.	20400/-

वर्ष 1997-98

1.	श्री हनुमान सहाय/गोपीराम	जाट	चोटावाला	खेराश्यामवास	6700/-
2.	श्री शंकरलाल, किशनलाल/गणेश	राणा	चोटावाला	खेराश्यामवास	6700/-
3.	श्रीमती केशरी देवी/उदाराम	गूर्जर	मूण्डोता	मुण्डोता	10000/-
4.	श्री नारायणी देवी/चौथू	मीणा	छमरकावास	नांगलपुरो.	1000/-
5.	श्री नारायण, श्रवण, गंगाराम, सानी पुत्र श्री मंगला	जाट	सेरावतपुरा	मुण्डोता	6700/-

1	2	3	4	5	6
6.	श्री भूरा/नानू	जाट	सेरावतपुरा	मूण्डोता	6700/-
7.	श्री झूथ/मांगू	जाट	सेरावतपुरा	मूण्डोता	6700/-
8.	श्री भैरू/रूडा	जाट	मुण्डोता	मूण्डोता	6700/-
9.	श्रीमती जमुना/लादूराम	गूर्जर	मूण्डोता	मूण्डोता	10000/-
10.	श्रीमती नोखा/मोहरूराम	जाट	नांगलसिरस	नांगलसिरस	10000/-
11.	श्री प्रभात/नानगराम	नायक	भोडूकावास	नांगलसिरस	10000/-
12.	श्री छोगाराम/रामकरण तेजाराम/ लालचन्द/रामबक्स	जाट	राजावास	नानगसिरव	6700/-
13.	श्री गगल्या/देवीसहाय	बागडा	खोरावीसल	खोरावीसल	6700/-
14.	श्री गोपाल/काना जाट	जाट	मोदकावास	नागलपुरो.	6700/-
15.	श्री भूराराम, वोदूराम, मूलाराम पुत्र चौथूराम	माली	चेगवाला	खेराश्यामवास	6700/-
16.	श्री नाथूराम/रामनारायण	मीणा	चेगवाला	खेराश्यामवास	10000/-
17.	श्री विरयाराम/प्रभूलाल धन्नाराम/प्रभूराम	जाट	चेगवाला	खेराश्यामेवास	5900/-
18.	श्री सीताराम, गोपाल, हनुमान, बाबूलाल/गंगाराम	बागड़ा	खोरावीसल	खेरावीसल	10000/-
19.	श्री मानसिंह/सवाईसिंह	राजपूत	रोजदा	रोजदा	3500/-
20.	श्री रामदयाल, रामस्वरूप/नारायण	जाट	मुण्डोता	मुण्डोता	6700/-
21.	श्रीमती भूरी/शिवनारायण झूमरी/ धन्नाराम प्रभाती/रामजीलाल	जाट	जेतपुरा	रोजड़ा	10000/-
22.	श्री नानूराम, नारायण, हेमाराम पुत्र हीरालाल	जाट	शेरावतपुरा	मुण्डोता	6700/-

1	2	3	4	5	6
23.	श्री मागीराम/गोमाराम	जाट	रोजदा	रोजदा	3500/-
24.	श्री लक्ष्मीनारायण/चिन्तनराम	ब्राह्मण	बेनाड़	नांगलसिस	6700/-
25.	श्री रामसहाय/लक्ष्मीनारायण	ब्राह्मण	दौलतपुरा	दौलतपुरा	6700/-
26.	श्री जसवन्त सिंह/ गोपाल सिंह/रघुनाथ सिंह	राजूपत	रोजद	रोजद	6700/-
27.	श्री सुयाना/सुखाजाट	जाट	मुण्डोता	मुण्डोता	6700/-
28.	श्रीमती जमनादेवी/गोपीनाथ	ब्राह्मण	रोजदा	खोरावीसल	10000/-
29.	श्री गंगाराम/मोसफ जाट	जाट	नांगलसिरस	नांगलसिरस	6700/-
30.	श्री सूढा/दुबा	ब्राह्मण	खोरावीसल	खोरावीसल	6700/-
		वर्ष 1998-99			
1.	श्री हरिसिंह/छोटूसिंह	राजपूत	रोजदा	रोजदा	7000/-
2.	श्री भीकराम/उदाराम	जाट	सरदारपुरा	रोजदा	7000/-
3.	श्री सेवाराम/लादूराम	जाट	सरदारपुरा	रोजदा	7000/-
4.	श्री बनवारीलाल/हनुमान सहाय	ब्राह्मण	सरचंदपुरा	भदपुरा	7000/-
5.	श्री छोटूलाल/भूराराम	कौर	जैतपुरा	भदपुरा	7000/-
6.	श्री जगदीश/रूदाराम	अहीर	जैतपुरा	भदपुरा	6700/-
7.	श्री छाजू/भूराराम	मीणा	दौलतपुरा	दौलतपुरा	10000/-
8.	श्री कानाराम, लालचन्द/ भैरूराम योगी	योगी	रोजदा	रोजदा	6700/-
9.	श्री रामनाथ/राजेश	मीणा	नांगलपुरो.	नांगल	10000/-
10.	श्री कैलाश/रामगोपाल	शर्मा	मोडूकावास	नांगल	6700/-
11.	श्री भोलाराम/छुआराम	जाट	शेरावासपुरा	मुण्होता	6700/-

1	2	3	4	5	6
12.	श्री हनुमान/रामपाल श्रीमती छोटा/हनुमान	जाट	शेरावासपुरा	मण्हौता	6700/-
13.	श्री भंवरलाल/लक्ष्मीनारायण/छोटू	रैवारी	जलोई	रोजदा	6700/-
14.	श्री बिरदीराम/पांचूराम	मीणा	मोठूकावास	नांगल	10000/-
15.	श्री रामसहाय, रामकुमार, मोहनलाल	जाट	सानाकावास	नांगल	7000
16.	श्री कासू/गोपी	जाट	महेशयास	रोजदा	6700/-
17.	श्री रामगोपाल/छीतरमल	जाट	महेशवास	रोजदा	6700/-
18.	श्री करणसिंह/बहादुरसिंह	अहीर	मुण्डोता	मुण्डोता	6700/-
19.	श्री गंगाराम/श्योराम	रैगर	नीदड़	नीदड़	10000/-
20.	श्री रामसहाय, छीतर, मांगीलाल, प्रभाती	मीणा	छैतावाला	खोराश्यानवास	10000/-
21.	श्री रणतीता, रमेश, भनूता	मीणा	नांगलसिरल	नांगलसिरल	10000/-
22.	श्रीमती बन्द्री/छोटूराम श्री रामजीवन, प्रभाती भगवान, छोटू, धापु, गुलाब, संतोष/छोटूराम	जाट	शेरावतपुरा	मुण्डोता	6700/-
23.	श्री श्योजीराम/गंगाराम	अहीर	मुण्डोता	मुण्डोता	6700/-
24.	श्री सुपा/रूपनारायण	ब्राह्मण	मुण्डोता	मुण्डोता	6700/-
25.	श्री रूपाराम, रामदेव/भूरा	जाट	शेरावतपुरा	मुण्डोता	6700/-

वर्ष 1999-2000

1.	श्री जगदीश प्रसाद/भूराराम	बागड़ा	दौलतपुरा	दौलतपुरा	2833/-
2.	श्री रामलाल/भूराराम	बागड़ा	दौलतपुरा	दौलतपुरा	2833/-
3.	श्री सूरजमल/भूराराम	बागड़ा	दौलतपुरा	दौलतपुरा	2833/-
4.	श्री बंशीधर/नाथूराम	रैगर	दौलतपुरा	दौलतपुरा	8897/-
5.	श्री चिरंजी/नाथूराम	रैगर	दौलतपुरा	दौलतपुरा	8857/-

1	2	3	4	5	6
6.	श्री रामजीलाल, भीमसैन, हनुमान, सुखदेव	मीणा	नीदड़	नीदड़	7745/-
7.	श्रीमती रामप्यारी/सुखदेव	मीणा	नीदड़	नीदड़	7745/-
8.	श्री हरदेव/राजेश	गुर्जर	मुण्डोता	मुण्डोता	5232/-
9.	श्री मांगीराम/भगताराम	जाट	शेरावतपुरा	मुण्डोता	5232/-
10.	श्री देवीलाल/जगन्नाथ	बागड़ा	सुवारामपुरा	खोरावीसल	2033/-
11.	श्री हनुमानसहाय/लच्छूराम	बागड़ा	खोरावीसल	खोरावीसल	5785/-
12.	श्री नाथू/श्योनाथ	मीणा	रोजदा	रोजदा	8820/-
13.	श्रीमती फलावती/रतनलाल	ब्राह्मण	मुण्डोता	मुण्डोता	4250/-
14.	श्री लालू/गोपाल/विरदा	जाट	सरदारपुरा	रोजदा	5880/-
15.	श्री अर्जुन, कन्हैया/हनुमान	जाट	सरदारपुरा	रोजदा	5880/-
16.	श्री बजरंग सिंह/सवाई सिंह	राजपूत	रोजदा	रोजदा	5880/-
17.	श्री श्रीमती झुमरी देवी/नारायण	जाट	सरतारपुरा	रोजदा	5880/-
18.	श्री बन्नेसिंह/अखैसिंह	राजपूत	जैतपुरा	रोजदा	5897/-
19.	श्री नानूराम/भगवान सहाय	बागड़ा	हलदत्तपुरा	खोरावीसल	5823/-
20.	श्री नाथू/सुरजा	खटीक	सरदारपुरा	रोजदा	8820/-
21.	श्री दुवताराम/सुरताराम	खटीक	सरदारपुरा	रोजदा	8820/-
22.	श्री तुलसा/गल्लाराम	खटीक	सरदारपुरा	रोजदा	8820/-
23.	श्री डालचन्द/छाकटूराम	रैगर	खोरावीसल	खोरावीसल	4250/-
24.	श्री हरेलाराम/रेखाराम	जाट	शेरावतपुरा	मुण्डोता	5897/-
25.	श्री हनुमान/नारायण	जाट	सिण्डोलाई	रोजदा	5896/-
26.	श्री किशना/झाथा	बलाई	शेरावतपुरा	मुण्डोता	2833/-
27.	श्री महादेव/घोमल	बागड़ा	बगवाड़ा	बगवाड़ा	5912/-

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-270 की सूची) परिशिष्ट "क"

नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जिलेवार सूचना

जिले का नाम	नर्स श्रेणी द्वितीय		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	
	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5
अजमेर	572	95	423	—
भीलवाड़ा	364	37	512	04
नागौर	342	116	669	124
टोंक	149	28	202	04
बीकानेर	418	50	260	13
श्रीगंगानगर	221	42	428	20
हनुमानगढ़	154	21	293	15
रतनगढ़	308	124	430	03
कोटा	279	08	215	06
बूंदी	142	04	226	—
झालावाड़	165	23	200	24
बारां	167	22	255	15
करौली	108	3	260	34
सवाईमाधोपुर	103	—	245	17
उदयपुर	598	122	650	20
डूंगरपुर	186	11	355	—
राजसमन्द	185	88	258	21
बांसवाड़ा	242	22	413	—

1	2	3	4	5
चित्तौड़गढ़	279	39	457	08
जोधपुर	834	61	609	—
पाली	299	16	517	14
जालौर	195	13	381	42
सिरोही	135	27	222	08
बाड़मेर	267	08	495	77
जैसलमेर	075	17	150	11
जयपुर	1690	—	670	—
अलवर	376	—	540	—
भरतपुर	221	—	433	—
झुंझुंनूं	270	60	459	—
सीकर	332	—	445	23
दौसा	140	—	260	60
धौलपुर	107	—	203	06
	1057		**567**	

नोट : उपरोक्त रिक्तियों के अलावा 568 नर्स द्वितीय एवं 919 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा के आधार पर नियुक्ति पर कार्यरत है।

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-35 के भाग एक की सूची)

VACANCY LIST OF DOCTOR'S IN RURAL AREAS

S. No.	Dist. Code	Place	HQ	Instt	Sub	Hos-post	SPL	Doctor Name
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	AJMER	SAVAR	RURAL	CHC		JS	MED	VACANT
2.	AJMER	KADERA	RURAL	PHC		MO		VACANT
3.	AJMER	JAMOLA	RURAL	PHC		MO		VACANT
4.	AJMER	TIHARI	RURAL	PHC		MO		VACANT
5.	AJMER	BADLI	RURAL	PHC		MO		VACANT
6.	AJMER	KADERA	RURAL	PHC		SMO		VACANT
7.	ALR	BHIWARI	RURAL	ESI	MINHO	JS	GYNAE	VACANT
8.	ALR	AKBARPUR	RURAL	PHC		MO		VACANT
9.	ALR	MUNDANVADAK	RURAL	PHC		MO		VACANT
10.	ALR	MAJRI KALAN	RURAL	PHC		MO	FW	VACANT
11.	ALR	BHIWADI	RURAL	CHC		MO		VACANT
12.	ALR	TAHLA	RURAL	PHC		SMO		VACANT
13.	BARAN	GHATAGHATI	RURAL	PHC		MO		VACANT
14.	BARAN	PACHEL KALAN	RURAL	PHC		MO		VACANT
15.	BHL	PANDER	RURAL	CHC		JS	SUR	VACANT
16.	BHL	KACHHOLA	RURAL	CHC		JS	SUR	VACANT
17.	BHL	KACHHOLA	RURAL	CHC		JS	GYNAE	VACANT
18.	BHL	SAKARGARH	RURAL	PHC	MCWC	MO	F	VACANT
19.	BHL	BARUNDANI	RURAL	PHC	MCWC	MO		VACANT
20.	BHL	BARUNDANI	RURAL	PHC		MO	F	VACANT

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	BHL	MAHUWA	RURAL	PHC		MO		VACANT
22.	BHL	JALINDRI	RURAL	PHC		MO		VACANT
23.	BHL	LAKHOLA	RURAL	PHC		MO		VACANT
24.	BHL	AAMLI	RURAL	PHC		MO		VACANT
25.	BHL	NANDRAI	RURAL	PHC		MO		VACANT
26.	BHL	KOSITHAL	RURAL	PHC		MO		VACANT
27.	BHL	RAILA	RURAL	PHC		SMO		VACANT
28.	BHL	KOSITHAL	RURAL	PHC		SMO		VACANT
29.	BMR	DHORIMANNA	RURAL	CHC		JS	SUR	VACANT
30.	BMR	PATODI	RURAL	PHC		MO		VACANT
31.	BMR	BAKHASAR	RURAL	PHC		MO		VACANT
32.	BMR	RAKHI	RURAL	PHC		MO		VACANT
33.	BMR	BHUNIA	RURAL	PHC		MO		VACANT
34.	BMR	BHADKHA	RURAL	PHC		MO		VACANT
35.	BMR	DHORIMANNA	RURAL	CHC		MO		VACANT
36.	BMR	BHKARPURA	RURAL	PHC		MO		VACANT
37.	BMR	GUNGA	RURAL	PHC		SMO		VACANT
38.	BNS	SAREDIBARI	RURAL	CHC		JS	MED	VACANT
39.	BNS	GANODA	RURAL	CHC		JS	MED	VACANT
40.	BNS	PARTAPUR	RURAL	CHC		JS	SUR	VACANT
41.	BNS	TALWAR	RURAL	CHC		JS	MED	VACANT
42.	BNS	JOLANA	RURAL	PHC		MO		VACANT
43.	BNS	CHHOTISARVAN	RURAL	CHC		MO		VACANT
44.	BNS	CHHINCHHA	RURAL	PHC		SMO		VACANT
45.	BNS	PARTAPUR	RURAL	CHC		SMO		VACANT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	BNS	CHHOTISARVAN	RURAL	CHC		SMO		VACANT
47.	BTP	KORER	RURAL	PHC		MO		VACANT
48.	BTP	JANUTHAR	RURAL	PHC		MO		VACANT
49.	BTP	SUNDRAWALI	RURAL	PHC		MO		VACANT
50.	BTP	RAFH	RURAL	PHC		MO		VACANT
51.	BTP	JURERA	RURAL	PHC		MO		VACANT
52.	BTP	PAHARSAR	RURAL	PHC		MO		VACANT
53.	BTP	BAHNERA	RURAL	PHC		MO		VACANT
54.	BUNDI	BADANA-YAGAON	RURAL	PHC		MO		VACANT
55.	BUNDI	BADAKHERA	RURAL	PHC		MO		VACANT
56.	BUNDI	KHATKAD	RURAL	PHC		MO		VACANT
57.	BUNDI	DAHIKHEDA	RURAL	PHC		MO		VACANT
58.	BUNDI	LAMBAKHOH	RURAL	PHC	MCWC	MO	F	VACANT
59.	BUNDI	ARNETHA	RURAL	PHC		MO		VACANT
60.	CHT	MANDPHIA	RURAL	CHC		JS	SUR	VACANT
61.	CHT	ACHHANERA	RURAL	PHC		MO		VACANT
62.	CHT	NANDWAI	RURAL	PHC	MCWC	MO	F	VACANT
63.	CHT	BOHEDA	RURAL	PHC	PHC		MO	VACANT
64.	CHT	AMBAMATA	RURAL	PHC	MCWC	MO	F	VACANT
65.	CHT	RAITA	RURAL	PHC		MO		VACANT
66.	CHT	BARAVARDA	RURAL	PHC		MO		VACANT
67.	CHT	DALOT	RURAL	PHC	MCWC	MO	F	VACANT
68.	CHT	GHATIAWALI	RURAL	PHC		MO		VACANT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69.	CHT	SINGAPUR	RURAL	PHC		MO		VACANT
70.	CHT	MANDPHIA	RURAL	CHC		MO		VACANT
71.	CHT	CHIKARDA	RURAL	PHC		SMO		VACANT
72.	CHT	BARAVARDA	RURAL	PHC		SMO		VACANT
73.	CHT	DALOT	RURAL	PHC		SMO		VACANT
74.	CHT	SAWA	RURAL	PHC		SMO		VACANT
75.	CHT	MANDPHIA	RURAL	CHC		SMO		VACANT
75.	CHURU	SANKHU	RURAL	CHC		JS	MED	VACANT
77.	CHURU	SANDWA	RURAL	CHC		JS	SUR	VACANT
78.	CHURU	BAY	RURAL	PHC		MO		VACANT
79.	CHURU	BHADASAR	RURAL	PHC		MO		VACANT
80.	CHURU	GHANGHU	RURAL	PHC		MO		VACANT
81.	CHURU	GHANGHU	RURAL	PHC	MCWC	MO	F	VACANT
82.	CHURU	JODI	RURAL	PHC		MO		VACANT
83.	CHURU	SADUBARI	RURAL	PHC		MO		VACANT
84.	CHURU	BHAISALI	RURAL	PHC		MO		VACANT
85.	CHURU	BINASAR	RURAL	PHC		MO		VACANT
86.	CHURU	PULASAR	RURAL	PHC		MO		VACANT
87.	CHURU	JASRASAR	RURAL	PHC		MO		VACANT
88.	CHURU	GADSISAR	RURAL	PHC		MO		VACANT
89	CHURU	PAHADSAR	RURAL	PHC		MO		VACANT
90.	CHURU	SEHNALI	RURAL	PHC		MO		VACANT
91.	CHURU	SEHLA	RURAL	PHC		MO		VACANT
92.	CHURU	SANKHU	RURAL	CHC		SMO		VACANT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93.	CHURU	PULASAR	RURAL	PHC		SMO		VACANT
94.	CHURU	SAHWA	RURAL	PHC		SMO		VACANT
95.	CHURU	PADIHARA	RURAL	PHC		SMO		VACANT
96.	DHL	VIPARPUR	RURAL	PHC		MO		VACANT
97.	DHL	JASUPURA	RURAL	PHC		MO		VACANT
98.	DHL	PANCHGAON	RURAL	PHC		MO		VACANT
99.	DHL	SARANIKHERA	RURAL	PHC		MO		VACANT
100.	DHL	TASIMO	RURAL	PHC		MO		VACANT
101.	DHL	BASAINAVAB	RURAL	PHC		SMO		VACANT
102.	DNG	PUNJPUR	RURAL	CHC		JS	SUR	VACANT
103.	DNG	BICHHIWAR	RURAL	CHC		JS	MED	VACANT
104.	DNG	SABALA	RURAL	PHC		MO		VACANT
105.	DSA	PAPARDA	RURAL	CHC		JS	MED	VACANT
106.	DSA	PAPARDA	RURAL	CHC		MO		VACANT
107.	DSA	SAITHAL	RURAL	PHC		MO		VACANT
108.	DSA	MANDAVARI	RURAL	PHC		MO		VACANT
109.	DSA	PAVTA	RURAL	PHC		MO		VACANT
110.	HNG	KALLANA	RURAL	PHC		MO		VACANT
111.	HNG	JAISANA	RURAL	PHC		MO		VACANT
112.	HNG	BARAMSAR	RURAL	PHC		MO		VACANT
113.	HNG	GANDHIBARI	RURAL	PHC		MO		VACANT
114.	HNG	DHANSIA	RURAL	PHC		MO		VACANT
115.	HNG	GOGAMERI	RURAL	PHC		MO		VACANT
116.	HNG	MALSISAR	RURAL	PHC		MO		VACANT
117.	HNG	MANDARPURA	RURAL	PHC		MO		VACANT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118.	HNG	MEGHANA	RURAL	PHC		MO		VACANT
119.	HNG	GADRA	RURAL	PHC		MO		VACANT
120.	JDP	DHUNDADA	RURAL	CHC		JS	SUR	VACANT
121.	JDP	TENA	RURAL	PHC		MO		VACANT
122.	JDP	SAMRAU	RURAL	PHC		MO		VACANT
123.	JDP	MATHANIA	RURAL	CHC	MCWC	MO	F	VACANT
124.	JDP	DHUNADA	RURAL	CHC		MO		VACANT
125.	JDP	CHOMU	RURAL	PHC		MO	FW	VACANT
126.	JDP	LOHAVAT	RURAL	PHC		MO		VACANT
127.	JDP	BORUNDA	RURAL	PHC		SMO		VACANT
128.	JHWR	THANAWAD	RURAL	PHC		MO		VACANT
129.	JHWR	RATLAI	RURAL	PHC		MO		VACANT
130.	JJN	MANDRELA	RURAL	CHC		JS	SUR	VACANT
131.	JJN	PARASRAMPURA	RURAL	PHC		MO		VACANT
132.	JJN	JASRAPUR	RURAL	PHC		MO		VACANT
133.	JJN	SULTANA	RURAL	CHC		SMO		VACANT
134.	JLR	JASVANTPURA	RURAL	CHC		JS	MED	VACANT
135.	JLR	JASVANTPURA	RURAL	CHC		JS	SUR	VACANT
136.	JLR	BADGAON	RURAL	PHC		JS	MED	VACANT
137.	JLR	BADGAON	RURAL	PHC		JS	SUR	VACANT
138.	JLR	PATHEDI	RURAL	PHC		MO		VACANT
139.	JLR	GUDABALOTAN	RURAL	PHC		MO		VACANT
140.	JLR	BADGAON	RURAL	PHC		MO		VACANT
141.	JPR	RADAWAS	RURAL	PHC		MO		VACANT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142.	JPR	KHEJROLI	RURAL	PHC		MO		VACANT
143.	JPR	PRAGPURA	RURAL	PHC		MO		VACANT
144.	JPR	DHANOTA	RURAL	PHC		MO		VACANT
145.	JPR	KALYANPURA	RURAL	PHC		MO		VACANT
146.	JPR	BHONAWAS	RURAL	PHC	MCWC	MO		VACANT
147.	JPR	VAGAWAS	RURAL	PHC		MO		VACANT
148.	JPR	AMARSAR	RURAL	CHC		MO		VACANT
149.	JPR	VATIKA	RURAL	PHC		SMO		VACANT
150.	JPR	BICHUN	RURAL	PHC		SMO		VACANT
151.	JSMR	LATHI	RURAL	PHC		MO		VACANT
152.	JSMR	KHUHADI	RURAL	PHC		MO		VACANT
153.	KOTA	MODAK	RURAL	CHC		JS	SUR	VACANT
154.	KRL	BONL	RURAL	PHC		MO		VACANT
155.	NGR	GOTAN	RURAL	PHC		JS	GAYNAE	VACANT
156.	NGR	AALNIAWAS	RURAL	PHC		MO		VACANT
157.	NGR	DODU	RURAL	PHC		SMO		VACANT
158.	PALI	GAGDINAGAR	RURAL	CHC		JS	MED	VACANT
159.	PALI	JOJAWAR	RURAL	PHC	MCWC	MO	F	VACANT
160.	PALI	SEWARI	RURAL	PHC		MO		VACANT
161.	PALI	LAMBIA-KHAIRWA	RURAL	PHC		MO		VACANT
162.	PALI	ANANDPURKALU	RURAL	PHC	MCWC	MO	F	VACANT
163.	PALI	KOGELAO	RURAL	PHC		MO		VACANT
164.	PALI	PIPLIKALAN	RURAL	PHC		MO		VACANT
165.	PALI	NEEMAJ	RURAL	CHC		SMO		VACANT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166.	RSMD	LAMBODI	RURAL	PHC		MO	SMO	VACANT
167.	RSMD	KOTHARIA	RURAL	PHC	MCWC	MO	F	VACANT
168.	RSMD	TAL	RURAL	PHC		MO		VACANT
169.	RSMD	KUWATHAL	RURAL	PHC	MCWC	MO	F	VACANT
170.	RSMD	KANKROLI	RURAL	PHC		MO		VACANT
171.	RSMD	KELWARA	RURAL	PHC		MO		VACANT
172.	RSMD	DELWARA	RURAL	CHC		MO		VACANT
173.	RSMD	RICHHED	RURAL	CHC		MO		VACANT
174.	RSMD	DELWARA	RURAL	PHC		SMO		VACANT
175.	RSMD	KANKROLI	RURAL	CHC	DISP	SMO		VACANT
176.	SAW	MINAKALOTA	RURAL	ESI		MO		VACANT
177.	SAW	SIWAD	RURAL	PHC		MO		VACANT
178.	SAW	SIWAD	RURAL	PHC	MCWC	MO	F	VACANT
179.	SAW	SURWAL	RURAL	PHC		MO		VACANT
180.	SAW	KUNDERA	RURAL	PHC		MO		VACANT
181.	SGN	DUNGARSPUR	RURAL	PHC		MO		VACANT
182.	SGN	MANJUWAS	RURAL	PHC		MO		VACANT
183.	SGN	DHANUR	RURAL	PHC		MO		VACANT
184.	SGN	SARDARGARH	RURAL	PHC		MO		VACANT
185.	SGN	KONEY	RURAL	PHC		MO		VACANT
186.	SGN	GHUMADWALI	RURAL		SMO			VACANT
187.	SGN	SHIVPUR	RURAL	PHC		SMO		VACANT
188.	SKR	HATHI DHKBAS	RURAL	PHC		MO		VACANT
189.	SKR	THOI	RURAL	PHC		MO		VACANT
190.	SKR	KANWAT	RURAL	PHC	MCWC	MO	F	VACANT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
191.	SKR	GADOTA	RURAL	PHC		MO		VACANT
192.	SKR	DIVRALA	RURAL	PHC		MO		VACANT
193.	SKR	BESWA	RURAL	PHC		MO		VACANT
194.	SKR	BESWA	RURAL	PHC		MO	F	VACANT
195.	SKR	FATEHPURA	RURAL	PHC		MO		VACANT
196.	SKR	MANGLUNA	RURAL	PHC		MO		VACANT
197.	SKR	PATAN	RURAL	CHC		MO		VACANT
198.	SKR	KUDAN	RURAL	CHC		MO	FW	VACANT
199.	SKR	GUHALA	RURAL	CHC		MO		VACANT
200.	SKR	REWASATIRATH	RURAL	PHC	MCWC	MO	F	VACANT
201.	SKR	TAJSAR	RURAL	PHC		SMO		VACANT
202.	SRH	DELDAR	RURAL	PHC		MO		VACANT
203.	SRH	SARUPGANJ	RURAL	PHC	MCWC	MO	F	VACANT
204.	TONK	BAGDI	RURAL	PHC		MO		VACANT
205.	TONK	AANWA	RURAL	PHC		MO		VACANT
206.	TONK	SITAPURA	RURAL	PHC		MO		VACANT
207.	TONK	TORDI	RURAL	PHC		MO		VACANT
208.	UDP	BADGAON	RURAL	CHC	CHC	JS	MED	VACANT
209.	UDP	JHADOLSARADA	RURAL	CHC		JS	SUR	VACANT
210.	UDP	MAMERKOTADA	RURAL	PHC		MO		VACANT
211.	UDP	JHADOLSARADA	RURAL	CHC		MO		VACANT
212.	UDP	MOHD FALASIA	RURAL	PHC		MO		VACANT
213.	UDP	JHADOLSARADA	RURAL	CHC		SMO		VACANT
214.	UDP	RISHABHDEV	RURAL	CHC		SMO		VACANT

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-272 की प्रति)

SCHEDULE-I

S. No.	Name of post	Method of recruitment with Percentage	Qualification for direct recruiument	Post from which promotion is to be made	Minimum Qualification & experience for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jamadar	100% by promotion	—	(1) Peon (2) Cycle-Peon (3) Orderly (4) Waterman (5) Chowkidar (6) Farrash (7) Sweeper (8) Equivalent posts sanctioned for office work in lowest Scale.	5 years experience on the post mentioned in Colum No. 5	—

1	2	3	4	5	6	7
2.	Daftary/Record Lifter	100% by promotion	–	(1) Peon (2) Cycle-Peon (3) Orderly (4) Waterman (5) Chowkidar (6) Farrash (7) Laboratory Servant (8) Equivalent posts sanctioned for office	5 years experience in Book-Binding/ability in Book Binding for Book Binder & for Book Lifter working knowledge of Hindi and numericals.	Practical test may be taken for Book Binding.
3.	Laboratory Boy.	50% by promotion & 50% by direct recruitmant.	8th passed from a recognised School.	Laboratory Servant	5 years experience on the post mentioned in Column No. 5	–

1	2	3	4	5	6	7
4.	(1) Peon (2) Cycle-Peon (3) Orderly (4) Waterman (5) Chowkidar (6) Farrash (7) Laboratory Servant (8) Sweeper (9) Equivalent posts Sanctioned for office work in lowest scale	100% by direct recruitment	Vth passed from a recognised School.			

Explanation : Equivalent costs sanctioned for office work in the lowest scale will include posts sanctioned in the scale of pay identical to the scale of pay sanctioned for the post of Peon and will not include posts sanctioned for field job, or factories or workshop or for which a separate line of promotion is provided e.g. Helpers, Mates, Insect-Collectors, Laboratory Boy etc.

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-273 की प्रति)

श्री गणेश पुत्र श्रवण जाट निवासी बिहारीपुरा तहसील दूदू (जयपुर) का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागी (जयपुर) में किये गये आपरेशन प्रकरण की जांच-जांच प्रतिवेदन

माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय एवं निदेशक (एड्स) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 15.10.2001 को फागी एवं बिहारीपुरा जाकर प्रकरण की जांच की गई।

दिनांक 14.10.2001 को दैनिक समाचार पत्र "राजस्थान पत्रिका" में प्रकाशित समाचार के अनुसार पंचायत समिति दूदू के बिहारीपुरा गांव का 22 वर्षीय युवक गणेश जाट राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक की लापरवाही से गलत आपरेशन का शिकार होकर 4 माह से खाट पर पड़ा कराह रहा है। उसके शौच का रास्ता बन्द हो गया एवं आपरेशन के बाद लगे टांकों के कारण भोजन बाहर आने लगा है।

विज्ञप्ति के अनुसार गणेश ने बताया कि गत 9 जून दोपहर बाद पेट में दर्द होने पर उसे चौरू, राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया। यहां के चिकित्सकों ने इलाज करने से मना कर दिया। इस पर फागी के राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक ओम प्रकाश शर्मा के आवास पद दिखाया गया तो उन्होंने आपरेशन करने की बात कही तथा एक हजार पांच सौ रुपये फीस के तय किए। उन्होंने चिकित्सालय में आपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान उसकी दूसरी आंत कट गई। इससे डाक्टर घबरा गया। चार घंटे के प्रयास के बाद भी आंत सही नहीं हो पाई तो एक अन्य चिकित्सक गोपाल काटेडा को बुलाया गया। फिर भी सफलता नहीं मिली तो अस्पताल में भर्ती कर तीन दिन का उपचार का प्रयास किया गया लेकिन सही नहीं होने पर चिकित्सक शर्मा छुट्टी लेकर चले गये तथा जयपुर से फोन पर चिकित्सकों ने उसे जयपुर रैफर करने को कह दिया। जब डाक्टर शर्मा 8-10 दिन तक नहीं आये तो गणेश के पिता श्रवण ने उसे जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में भर्ती कराया, वह वहां 20-25 दिन रहा। अन्त में गलत आंत कट जाने की बात कह कर चिकित्सक ने उपचार के लिये मना कर दिया और छुट्टी दे दी। गणेश का आरोप है कि इसी दौरान फागी के चिकित्सक ओ.पी.शर्मा ने एस.एम.एस. पहुंचकर चिकित्सकों से सांठ-गांठ कर उसकी पर्चियां, भर्ती टिकट, डिस्चार्ज टिकट भी गणेश को नहीं देने दिए तथा उसे घर भेज दिया। ठीक होने की आशा में परिजनों ने इसके बाद दूदू के राजकीय चिकित्सालय में 8-10 दिन उसका उपचार कराया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला।

उक्त प्रकरण की जांच के क्रम में निम्नांकित के बयान दर्ज किये गये :—

1. डा. ओमप्रकाश शर्मा, क.वि. (सर्जरी) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागी।
2. श्री हनुमान एवं रामदेव जाट मरीज के परिजन निवासी बिहारीपुरा।
3. डा. उपेन्द्र शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागी।
4. डा. गोपाल चौधरी, चि.अ. CHC, फागी।

डा. ओमप्रकाश शर्मा ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक 9.6.01 को प्रातः मुझे श्री गणेश पुत्र श्री श्रवण निवासी बिहारीपुरा को दिखाया जिसको अपेंडिक्स निदान कर भर्ती किया एवं निदान को कनफर्म करने हेतु जरूरी जांचें करवाई एवं पुष्टि होने पर वार्ड में भर्ती करवाकर उपचार शुरू किया एवं मरीज के नजदीकी रिश्तेदार श्री रामदेव चौधरी की सहमति लेने के पश्चात् डा. उपेन्द्र शर्मा को साथ लेकर उक्त बीमार "अण्डर स्पीनल एनेस्थेसिया में आपरेशन किया। आपरेशन के पश्चात् बीमार की हालत बिलकुल ठीक थी। दिनांक 14.06.01 तक उक्त बीमार को मैंने देखा व उपचार किया उस दौरान उसके सभी पैरामीटर्स ठीक थे उसकी जनरल कंडीशन ठीक थी। दिनांक 15.06.01 को मैं छुट्टी चला गया। दि. 16.06.2001 को मरीज की कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर रैफर कर दिया।

डा. शर्मा से पूछने पर उन्होंने अपने बयान में बताया है कि एसी अपेंडिक्स का निदान होने के कारण 24 घंटे के अन्दर आपरेशन होना जरूरी था और ऐसा ही आग्रह मरीज के रिश्तेदारों ने किया था कि दवा से फायदा नहीं है अतः आपरेशन कर दीजिये। आपरेशन थियेटर में आपरेशन से पहले मरीज की जांच वगैरह भी की गई थी। उसकी पैशाब की नली वगैरह भी डाली गई थी जिसके कारण आपरेशन में समय लगा। मरीज से जो सामान चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं था वे एक ही बार मंगाये गये और मैंने मरीज के परिजनों से कोई फीस नहीं ली। मरीज के परिजनों से मैंने कहा था कि मरीज को साथ लेकर सवाई मानसिंह चिकित्सालय में सर्जरी के विभागाध्यक्ष व प्रोफेसर को दिखा कर दुबारा भर्ती करवा देते हैं। मैं साथ चलूंगा परन्तु उन्होंने इंकार कर दिया और कहा कि हम इसका इलाज भण्डारी अस्पताल, जयपुर में ही करवायेंगे हमें सिर्फ पैसा चाहिये। (बयान संलग्न है)

मरीज के परिजनों एवं कुछ ग्रामवासियों ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक 09.06.01 को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां पर कुछ जांचें की गई और डा. शर्मा ने अपेंडिक्स बताया और आपरेशन के लिये कहा। हमने कहा कि अभी तो इनका इलाज करो एवं एक दो दिन बाद जयपुर आपरेशन करायेंगे। लेकिन डा. साहब ने कहा कि इसकी नस फट सकती है इसलिये इसका आपरेशन यहीं करूंगा। मरीज को शाम 4 बजे थियेटर में ले जाया गया एवं 7.30 बजे

बाहर निकाला और आपरेशन का पूरा सामान दो बार मंगाया गया। डा. साहब को 1500/- रुपये दिनांक 11.06.01 को मरीज के बड़े भाई बालूराम एवं महावीरजी मेडिकल वाले ने दिये। इसके बाद डाक्टर साहब छुट्टी चले गये। गांव के अन्य नागरिकों ने कहा कि आपरेशन के पश्चात् डा. साहब से मिलने पर उन्होंने कहा कि मैंने इसका आपरेशन गलत नहीं किया है और मेरे हिसाब से कोई गलती भी नहीं की है। पेट खोलने के बाद पता लगा कि इसकी आंतें भी गली हुई है और मेरे रेकार्ड के मुताबिक मैंने कोई गलती नहीं की और अगर हो गई तो आप इसका केस कर दीजिये। सरकार अपने आप केस लड़ लेगी मेरा तो कुछ बिगड़ नहीं सकता। (बयान संलग्न है)

डा. उपेन्द्र शर्मा ने अपने बयान में कहा है कि मरीज के एसी अपेंडिक्स निदान होने पर रायल्स ट्यूब (नाक से नली) डालकर उपचार शुरू किया और दोपहर बाद अन्डर स्पीनल एनेस्थेसिया में डा. ओ.पी. शर्मा ने आपरेशन किया। "ग्रिड आयरन इनसीशन से एब्डोमन खोलने पर अपेंडिक्स व Cecum नहीं मिले तो RT Poramedin Incision लगाकर पेट देखा Cecum को woend में निकाला जो कि बहुत डिस्टेन्ड थी एवं उसके ऊपर 2-3 Blesh Patches a Impending gamanan के लग रहे थे cecum के चारों ओर Adhesion भी थे जिनको काटा गया Appendix Inflammed था Mero appendix काटा गया। Pense Stig Suture लगाकर appendectomy की गई। Cecum के Impending gangrenous को Pensestig suture लगाकर invigorate किया गया। Cecum अपने स्थान पर रखकर ड्रेन डाली गई और Abdomn layer में बंद कर दिया गया।

दिनांक 9.6.01 से 14.6.01 तक डा. ओ.पी. शर्मा के साथ मैंने भी बीमार को इनडोर में सम्भाला व देखा। उस दौरान बीमार की जनरल कंडीशन बिलकुल ठीक थी एवं उसके सभी पैरामीटर्स नोरमल थे। दि. 15.06.01 को डा. ओ.पी. शर्मा के अवकाश पर चले जाने के बाद उनके निर्देशानुसार मैंने बीमार को सम्भाला एवं उपचार चालू रखा। दि. 16.06.01 को मरीज के पेट में अचानक ज्यादा तकलीफ होने पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर आवश्यक उपचार हेतु रैफर कर दिया। (संलग्न बयान)

डा. गोपाल चौधरी, चिकित्सा अधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में अवगत कराया है कि दिनांक 09.06.01 को मरीज, श्री गणेश पुत्र श्रवण जाट निवासी बिहारीपुरा को एसी अपेंडिसीटिज डाइग्नोसिस करे अपेंडिसक्टोमी आपरेशन के लिये फागी चिकित्सालय में प्रातः भर्ती किया गया। आपरेशन कब चालू हुआ एवं कितनी देर चला मुझे नहीं मालूम। सायं 6 बजे डा. ओ.पी.

शर्मा द्वारा मुझे चश्रे. कर्मचारी के द्वारा आपरेशन थियेटर में बुलाया गया। मैं जब आपरेशन थियेटर में गया तो देखा कि मरीज गणेश टेबल पर लेटा हुआ था। डा. ओ.पी. शर्मा आपरेशन कर रहे थे एवं डा. उपेन्द्र शर्मा एवं दो मेल नर्स श्री ओ.पी. हरित एवं श्री गजेन्द्र सिंह उनको आपरेशन में असिस्ट करवा रहे थे। मरीज का पेट दो जगह से खुला हुआ था। डा. ओ.पी. शर्मा ने मुझसे कहा कि इसकी अपेंडिक्स पैलविक पोजीशन में चिपकी हुई थी एवं सिकम (Cecam) फूला हुआ था इसलिये दूसरा चीरा जो बड़ा था लगाया गया था। अन्दर के सभी Adhesions हटा दिये गये हैं एवं Appendicectomy कर दी है। ये सभी बातें बताकर मरीज़ के बारे में राय जाननी चाही। मैंने कहा कि मैं तो आब्स्ट एवं गायनी में एम.एस. हूं। आप जनरल सर्जन है, मरीज के बारे में आप मुझसे बेहतर जानकारी रखते हैं आप जो उचित समझे वही कीजिये। यह कह कर मैं वापस आउटडोर में आकर मरीज देखने लगा था। बाद में 3 दिन तक डा. ओ.पी. शर्मा मरीज की स्वयं पोस्ट आपरेटिव देखभाल करी एवं बाद में छुट्टी लेकर जयपुर चले गये। डा. ओ.पी. शर्मा टेलीफोन पर ही अपने सहायक डा. उपेन्द्र शर्मा को मरीज के इलाज के बारे में दिशा निर्देश देते रहते थे। दिनांक 15.06.01 को मरीज की तबीयत ज्यादा खराब हुई, उसे तेज बुखार, पेट दर्द एवं Abd. Distention हुआ। इस कारण उसके परिजन एवं डा. उपेन्द्र शर्मा घबरा गये एवं डा. ओ.पी. शर्मा के टेलीफोन पर उपलब्ध नहीं होने के कारण डा. उपेन्द्र शर्मा एवं मरीज के परिजनों ने मुझसे मरीज को देखने का आग्रह किया। मैंने मरीज की हालत को देख कर एक्सरे Abdomn एवं खून की जांच करवाने को कहा। एक्सरे में gnst. Obstruction के Sign (Multiple Fluid levels) एवं septecemia के लक्षण पाये जाने पर एवं मरीज की गम्भीर हालत को देखते हुये मरीज के परिजनों को मरीज गणेश को जयपुर ले जाने की सलाह दी। बाद में डा. उपेन्द्र शर्मा ने मरीज को छुट्टी का कार्ड देकर सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर रैफर कर दिया। (बयान संलग्न)

मरीज को सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में दिनांक 16.06.01 को भर्ती सर्जिकल यूनिट-2, साउथ विंग फर्स्ट वार्ड में भर्ती किया गया एवं डा. जिन्दल के द्वारा इनका इलाज किया गया। ये दिनांक 16.06.01 से 7.07.01 तक सवाई मानसिंह चिकित्सालय में भर्ती रहा (रेकार्ड की छाया प्रतियां संलग्न) और उसे 2 माह बाद आने के लिये कहा गया। इस बीच मरीज का यहां आपरेशन भी किया गया था।

दिनांक 15.10.2001 को मरीज के गांव जाकर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में इलाज करवाने के लिये मरीज को लाकर भर्ती कराया गया। उस दिन डा. जे.एम. मेहता की सर्जिकल यूनिट का आउटडोर का दिन था इसलिये इनकी यूनिट/वार्ड में भर्ती कराया गया

अगले दिन दिनांक 16.10.01 का मध्यान्ह 1 बजे चिकित्सक की सलाह के विपरीत मरीज अस्पताल छोड़कर चला गया। (भर्ती एवं डिस्चार्ज टिकट की छाया प्रतियां संलग्न है)

इसके अतिरिक्त फागी से भी मरीज से सम्बन्धित रेकार्ड की छाया प्रतियां ली गई एवं अन्य रेकार्ड एकत्रित किया गया।

उपरोक्त बयानों एवं रेकार्ड के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो अव्यवस्था मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागी में देखी एवं जो राय वहां की जनता की डा. ओ.पी. शर्मा की सेवाओं के बारे में सुनने को मिली और जैसा कि शिकायतकर्ता ने बताया, से यह स्पष्ट सिद्ध नहीं हो रहा है कि डा. ओ.पी. शर्मा यहां काफी लम्बे समय से कार्यरत हैं व बार-बार इनकी शिकायतें होती रहती है और आम जनता में भी डा. शर्मा का लालची होना लगता है जो सरकार के लिये व सरकारी नौकरी में रहते हुये डा. के लिये भी शोभायमान नहीं है। उपरोक्त मरीज के लिये व एक दो अन्य जैसे श्री श्रवण पुत्र लादूराम निवासी माधोराजपुरा एवं श्रीमती सरूपी पत्नी श्री देवाराम गुर्जर निवासी निमेड़ा के समय भी डा. ओ.पी. शर्मा छुट्टी लेकर चले गये जबकि मरीज सीरियस हालत में थे जबकि डाक्टर का दायित्व बनता है, विशेषकर सर्जन का कि जब तक मरीज सही होकर घर नहीं चला जाता है तब तक किसी दूसरे चिकित्सक के भरोसे छोड़कर जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। माह जून, 2001 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागी से 21 मरीज चिकित्सक की सलाह के विरुद्ध अस्पताल छोड़ कर चले गये जो चिकित्सालय की अव्यवस्था दर्शाता है।

मेरी राय में डा. ओ.पी. शर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागी से हटाना उचित रहेगा जिससे वहां की क्षेत्रीय जनता का गुस्सा/नाराजगी शांत हो सके और वहां किसी दूसरे कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) को यहां लगाकर उचित व्यवस्था की जा सके।

संलग्न :

ह०/-
संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
जयपुर जोन, जयपुर

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-276 की सूची) परिशिष्ट "क"

राजकीय चिकित्सालय, हनुमानगढ़ टाउन में कैम्प की निश्चित तारीख को किये गये आपरेशन की संख्या

क्र.सं.	कैम्प की दिनांक	केसों की संख्या
1	2	3
1.	20.1.1999	20
2.	20.2.1999	62
3.	20.3.1999	17
4.	20.4.1999	17
5.	20.5.1999	101
6.	20.6.1999	29
7.	20.7.1999	26
8.	20.8.1999	27
9.	20.9.1999	22
10.	20.10.1999	5
11.	20.11.1999	15
12.	20.12.1999	34
13.	20.1.2000	15
14.	20.2.2000	55
15.	20.3.2000	—
16.	20.4.2000	14
17.	20.5.2000	84
18.	20.6.2000	66
19.	20.7.2000	35

1	2	3
20.	20.8.2000	33
21.	20.9.2000	23
22.	20.10.2000	6
23.	20.11.2000	32
24.	20.12.2000	42
25.	20.1.2001	24
26.	20.2.2001	56
27.	20.3.2001	40
28.	20.4.2001	20
29.	20.5.2001	80
30.	20.6.2001	42
31.	20.7.2001	40
32.	20.8.2001	30
33.	20.9.2001	13
34.	20.10.2001	—
	कुल	**1125**

परिशिष्ट "ख"

क्र.सं.	आपरेशन करने की दिनांक	नसबन्दी केसों की संख्या	क्र.सं.	आपरेशन करने की दिनांक	नसबन्दी केसों की संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	1.1.99	3	22.	17.3.99	2
2.	4.1.99	2	23.	20.3.99	1
3.	5.1.99	1	24.	23.3.99	1
4.	6.1.99	2	25.	30.3.99	4
5.	9.1.99	1	26.	31.3.99	2
6.	11.1.99	2	27.	2.4.99	3
7.	1.2.99	3	28.	12.4.99	1
8.	4.2.99	1	29.	15.4.99	1
9.	6.2.99	1	30.	16.4.99	2
10.	10.2.99	1	31.	20.4.99	1
11.	15.2.99	6	32.	21.4.99	2
12.	16.2.99	3	33.	23.4.99	2
13.	20.2.99	1	34.	24.4.99	1
14.	24.2.99	1	35.	26.4.99	2
15.	26.2.99	2	36.	30.4.99	1
16.	1.3.99	1	37.	1.5.99	1
17.	3.3.99	1	38.	3.5.99	1
18.	5.3.99	3	39.	6.5.99	2
19.	8.3.99	1	40.	7.5.99	1
20.	12.3.99	4	41.	10.5.99	5
21.	16.3.99	9	42.	12.5.99	2

1	2	3
43.	13.5.99	1
44.	14.5.99	1
45.	15.5.99	1
46.	17.5.99	1
47.	22.5.99	1
48.	23.5.99	3
49.	24.5.99	6
50.	25.5.99	3
51.	28.5.99	7
52.	29.5.99	2
53.	31.5.99	4
54.	1.6.99	4
55.	2.6.99	2
56.	3.6.99	3
57.	4.6.99	1
58.	5.6.99	2
59.	7.6.99	5
60.	8.6.99	2
61.	10.6.99	4
62.	12.6.99	2
63.	17.6.99	4
64.	19.6.99	2
65.	21.6.99	1

1	2	3
66.	22.6.99	3
67.	25.6.99	1
68.	26.6.99	1
69.	29.6.99	2
70.	1.7.99	2
71.	2.7.99	1
72.	5.7.99	2
73.	7.7.99	2
74.	9.7.99	2
75.	14.7.99	3
76.	17.7.99	1
77.	19.7.99	1
78.	22.7.99	3
79.	23.7.99	3
80.	26.7.99	4
81.	28.7.99	2
82.	30.7.99	1
83.	3.8.99	3
84.	4.8.99	1
85.	6.8.99	1
86.	7.8.99	1
87.	10.8.99	1
88.	11.8.99	2

1	2	3
89.	13.8.99	1
90.	14.8.99	1
91.	23.8.99	1
92.	1.9.99	1
93.	2.9.99	3
94.	7.9.99	1
95.	10.9.99	1
96.	14.9.99	1
97.	16.9.99	2
98.	28.9.99	2
99.	5.10.99	1
100.	6.10.99	1
101.	9.10.99	1
102.	11.10.99	1
103.	13.10.99	1
104.	23.10.99	1
105.	1.11.99	1
106.	2.11.99	1
107.	10.11.99	1
108.	12.11.99	1
109.	16.11.99	1
110.	8.12.99	1
111.	11.12.99	1
112.	13.12.99	1
113.	16.12.99	1
114.	27.12.99	1
115.	28.12.99	3
116.	31.12.99	1
117.	4.1.2000	2
118.	6.1.2000	1
119.	14.1.2000	2
120.	18.1.2000	1
121.	19.1.2000	3
122.	28.1.2000	1
123.	31.1.2000	1
124.	10.2.2000	1
125.	12.2.2000	2
126.	15.2.2000	4
127.	18.2.2000	1
128.	19.2.2000	1
129.	21.2.2000	1
130.	22.2.2000	5
131.	26.2.2000	2
132.	29.2.2000	4
133.	1.3.2000	1
134.	2.3.2000	3

1	2	3	1	2	3
135.	3.3.2000	2	158.	17.5.2000	2
136.	6.3.2000	2	159.	22.5.2000	4
137.	7.3.2000	1	160.	24.5.2000	1
138.	8.3.2000	1	161.	25.5.2000	3
139.	10.3.2000	2	162.	26.5.2000	2
140.	11.3.2000	1	163.	27.5.2000	4
141.	14.3.2000	2	164.	30.5.2000	2
142.	21.3.2000	3	165.	31.5.2000	1
143.	24.3.2000	3	166.	1.6.2000	4
144.	25.3.2000	2	167.	2.6.2000	3
145.	30.3.2000	2	168.	3.6.2000	2
146.	4.4.2000	1	169.	7.6.2000	4
147.	11.4.2000	1	170.	8.6.2000	7
148.	17.4.2000	1	171.	9.6.2000	2
149.	19.4.2000	1	172.	10.6.2000	1
150.	1.5.2000	2	173.	12.6.2000	3
151.	2.5.2000	1	174.	13.6.2000	2
152.	3.5.2000	1	175.	16.6.2000	2
153.	4.5.2000	1	176.	17.6.2000	1
154.	8.5.2000	1	177.	19.6.2000	2
155.	9.5.2000	2	178.	21.6.2000	2
156.	12.5.2000	2	179.	22.6.2000	1
157.	16.5.2000	1	180.	23.6.2000	1

1	2	3	1	2	3
181.	24.6.2000	1	201.	31.8.2000	1
182.	26.6.2000	1	202.	4.9.2000	2
183.	27.6.2000	1	203.	21.9.2000	1
184.	29.6.2000	1	204.	22.9.2000	1
185.	6.7.2000	2	205.	8.10.2000	1
186.	7.7.2000	1	206.	13.10.2000	1
187.	14.7.2000	1	207.	16.10.2000	2
188.	25.7.2000	1	208.	19.10.2000	1
189.	1.8.2000	1	209.	28.10.2000	1
190.	4.8.2000	1	210.	31.10.2000	3
191.	5.8.2000	3	211.	9.11.2000	2
192.	10.8.2000	1	212.	10.11.2000	1
193.	11.8.2000	1	213.	22.11.2000	2
194.	16.8.2000	1	214.	24.11.2000	1
195.	21.8.2000	1	215.	27.11.2000	1
196.	22.8.2000	1	216.	28.11.2000	2
197.	24.8.2000	1	217.	29.11.2000	1
198.	25.8.2000	1	218.	30.11.2000	1
199.	26.8.2000	1	219.	6.12.2000	1
200.	29.8.2000	1	220.	9.12.2000	9

1	2	3	1	2	3
221.	14.12.2000	1	241.	31.3.2001	3
222.	18.12.2000	1	242.	10.4.2001	2
223.	21.12.2000	1	243.	2.5.2001	1
224.	22.12.2000	1	244.	9.5.2001	1
225.	8.1.2001	1	245.	14.5.2001	3
226.	10.1.2001	1	246.	18.5.2001	1
227.	19.1.2001	2	247.	31.5.2001	2
228.	22.1.2001	2	248.	24.5.2001	1
229.	2.2.2001	1	249.	25.5.2001	1
230.	3.2.2001	2	250.	28.5.2001	4
231.	5.2.2001	2	251.	31.5.2001	1
232.	6.2.2001	1	252.	1.6.2001	1
233.	10.2.2001	1	253.	4.6.2001	4
234.	23.2.2001	1	254.	6.6.2001	3
235.	27.2.2001	1	255.	7.6.2001	1
236.	1.3.2001	2	256.	8.6.2001	1
237.	5.3.2001	2	257.	11.6.2001	1
238.	7.3.2001	1	258.	12.6.2001	2
239.	13.3.2001	1	259.	15.6.2001	3
240.	14.3.2001	1	260.	18.6.2001	1

1	2	3	1	2	3
261.	19.6.2001	1	272.	7.8.2001	1
262.	25.6.2001	3	273.	20.8.2001	2
263.	29.6.2001	1	274.	23.8.2001	1
264.	30.6.2001	1	275.	28.8.2001	1
265.	7.7.2001	1	276.	29.8.2001	1
266.	11.7.2001	1	277.	4.9.2001	1
267.	24.7.2001	1	278.	11.9.2001	1
268.	25.7.2001	6	279.	24.9.2001	1
269.	28.7.2001	2	280.	10.10.2001	1
270.	30.7.2001	1	281.	22.10.2001	3
271.	6.8.2001	1			

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-280 का विवरण) परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के चिकित्सा केन्द्रवार आउटडोर, इनडोर की सूचना

चिकित्सा संस्थान	वर्ष 1999		वर्ष 2000		वर्ष 2001	
	आउटडोर	इनडोर	आउटडोर	इनडोर	आउटडोर	इनडोर
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बस्सी	46668	1254	52453	2301	49280	3613
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटखावदा	35554	16	35766	20	43059	607
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसखो	14910	284	14658	357	19021	—
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोजवाड़ी	3956	—	2394	—	1864	—
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तुगां	17553	29	18205	10	12929	8
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़वा	3950	—	2550	—	10432	19

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का जनवरी 2001 से नवम्बर 2001 में किए गए भ्रमण/निरीक्षण का विवरण

अधिकारी का पद	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण स्थान
उप मुख्य चिकित्सा, स्वास्थ्य अधिकारी (पूर्व) जयपुर	3.1.2001	बस्सी
	3.2.2001	बस्सी, बड़वा, बांसखो,
	24.2.2001	जाटवाड़ा, दूदली
	3.3.2001	बस्सी
	15.3.2001	बस्सी
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (दक्षिण) जयपुर	15.3.2001	कोटखावदा
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (पूर्व)	3.4.2001	बस्सी
	17.4.2001	बस्सी
	3.5.2001	बस्सी
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (दक्षिण)	9.5.2001	कोटखावदा
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (पूर्व)	15.5.2001	बस्सी
	19.5.2001	बांसखो, बड़वा जटवाड़ा
संयुक्त निदेशक (जोन)	29.5.2001	बस्सी
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (पूर्व)	7.6.2001	बस्सी
	14.6.2001	बांसखो, दूदली, जटवाड़ा
	3.7.2001	बस्सी
	12.7.2001	बस्सी
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (दक्षिण)	13.7.2001	कोटखावदा
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (पूर्व)	27.7.2001	बस्सी
	23.8.2001	कानोता, बस्सी, देवगांव, मोहनपुरा
संयुक्त निदेशक (जोन)	11.9.2001	बस्सी विधान सभा क्षेत्र
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (पूर्व)	5.10.2001	बांसखो
	9.10.2001	कूंथाडाखुर्द
	18.10.2001	जटवाड़ा७
	3.11.2001	बस्सी

परिशिष्ट "स"

वर्ष 1999 से सितम्बर, 2001 तक की अवधि में चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं

1. कोटखावदा के चिकित्सक के विरुद्ध जिला परिषद् के सदस्य के नाम से शोषण की शिकायत प्राप्त हुई जांच जारी है।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसखो के चिकित्सक के विरुद्ध दिनांक 10.7.2001 को प्राप्त शिकायत की जांच की जो गुमनाम पाई जाने से कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही।

3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़वा के चिकित्सक के मुख्यालय पर नहीं रहने की शिकायत पर जिलाधीश महोदय दिनांक 27.8.2001 को चिकित्सक को निलम्बित कर दिया। जांच प्रक्रियाधीन है।

4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बस्सी के चिकित्सकों के विरुद्ध कलक्टर जयपुर के माध्यम से दिनांक 10.10.2001 को प्राप्त शिकायत का निराकरण कर दिया गया है।

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-284 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

वर्ष 2001-2002 में बनायी जाने वाली सड़कों का विवरण

(अ) वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत सड़कें

क्र. सं.	पंचायत समिति	कार्य का नाम जहां से	गांव जिसको जोड़ना है	लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	मूण्डवा	कि.मी. 32 आफ एस.एच.-39	बूनारावाला (1676)	8.00	52.00
2.	मूण्डवा	कि.मी. 46 आफ एव.एच.-39	भाटनोखा (1528)	7.00	45.50
3.	मूण्डवा	देहरू	लालाप (1693)	4.00	33.50
			उप योग	**19.00**	**130.80**
1.	परबतसर	कि.मी. 4 बादु-बागोठ सड़क	चितवा (1188)	6.00	46.55
			उप योग	**6.00**	**46.55**
1.	डीडवाना	कि.मी. 150 आफ एस.एच.-18 (थेबादी)	दासाना खुर्द (1005)	6.00	50.00
2.	डीडवाना	भाडालिया	नोसर (1132)	1.00	12.00
			उप योग	**7.00**	**62.00**
1.	नागौर	कारनू	धोल्याधर (1139)	12.00	78.00
2.	नागौर	चिल्लो एन.एच.-89 कि.मी. 203	बूकरान सोटा (1265)	4.00	26.00
3.	नागौर	चिनार	सादोकान (1313)	10.00	65.00
			उप योग	**26.00**	**169.00**
1.	लाडनूं	कि.मी. 17/0 डीडवाना-मीटरी सड़क	खिवांज (1229)	2.00	16.76
			उप योग	**2.00**	**16.76**
			योग	**60.00**	**425.11**

1	2	3	4	5	6
(ब) वर्ष 2001-2002 में स्वीकृत सड़कें					
1.	कुचामन सिटी	कि.मी. 13 आफ एस.एच.-8ए खुड रामगढ़ सड़क	मांजी की ढाणी	3.25	42.60
2.	कुचामन सिटी	कि.मी. 10 आफ कुचामन सिटी राजिलिया सड़क एट भांवता	हरिपुरा	4.75	58.80
3.	कुचामन सिटी	कि.मी. 390/750 आफ एस.एच.-2 सांभर नागौर-फलौदी	पालरी	2.50	37.70
			उप योग	**10.50**	**139.10**
1.	मकराना	कि.मी. 14 आफ बोरावड़ बेसरोली सड़क	धान्धोली	5.50	61.00
2.	मकराना	कि.मी. 441 आफ एस.एच.-2 सांभर-नागौर-फलौदी	गोठारी	5.60	67.00
3.	मकराना	कि.मी. 144 आफ एस.एच.-2ए	सूंथाली	5.00	47.00
4.	मकराना	कि.मी. 146 आफ एस.एच.-2ए	चांदिया	7.00	68.00
5.	मकराना	वीआर-354 कि.मी. 6	नावद	2.00	25.00
			उप योग	**25.10**	**268.00**
1.	मूण्डवा	618 आफ एस.एच.-2	डूजासर	4.00	47.20
			उप योग	**4.00**	**47.20**
1.	परबतसर	कि.मी. 180/525 एस.एच.-21	मेहगांव	7.00	84.40
2.	परबतसर	कि.मी. 377 आफ एस.एच.-2	खाखारकी	13.00	325.00
			उप योग	**20.00**	**409.40**
1.	डीडवाना	वीआर 124 कि.मी. 133	कानवाई	4.00	44.25
2.	डीडवाना	कि.मी. 12 मौलासर तोशिना सड़क	दासाना कलां	5.00	53.00
			उप योग	**9.00**	**97.25**
1.	डेगाना	कि.मी. 5/0 एट जालसू खुर्द	जालसू कलां	3.00	30.00
			उप योग	**3.00**	**30.00**

1	2	3	4	5	6
1.	जायल	कि.मी. 128 आफ एन.एच.-65	तालनियाउ	5.00	53.60
2.	जायल	कि.मी. 9 आफ जायल सिन्याला रोटू सड़क	आडसिंगा	6.50	68.60
3.	जायल	कि.मी. 2 आफ ए/आर अडवाद	लग्यार	3.00	33.60
4.	जायल	कि.मी. 21 आफ कुचेरा कासनाउ तमाउ सड़क	मातासुख	3.00	33.60
5.	जायल	कि.मी. 6 आफ भवाला, गैलोली, कासनाउ	मुण्डी	4.80	51.60
6.	जायल	कि.मी. 25 आफ गोट, रोल, मूण्डवा	नाराधना	4.00	43.60
7.	जायल	कि.मी. 7 आफ ए/आर टू पिण्डिया	उबासी	1.25	16.10
			उप योग	**27.55**	**300.70**
1.	नागौर	कि.मी. 8 आफ बारानी भादवासी सड़क	पिलानवासी	1.50	15.00
2.	नागौर	कि.मी. 3 आफ गुडा रालधानु सड़क	पोतालिया माजरा	4.00	41.50
3.	नागौर	कि.मी. 10 आफ अलय कलां सड़क	डेरवा	5.00	52.00
			उप योग	**10.50**	**108.50**
1.	लाडनूं	वीआर 124 कि.मी. 23	हुसैनपुरा	4.00	53.00
			उप योग	**4.00**	**53.00**
			योग	**113.65**	**1453.15**

परिशिष्ट "ब"

अगले वर्ष में बनायी जाने वाली सड़कों की योजना के लिये जिला ग्रामीण सड़क प्लान बनाया गया है, इसमें डामर की सड़क से 500 मीटर व उससे अधिक की दूरी पर बिना जुड़े हुये ऐसे गांव जिनकी 2001 की अनुमानित जनसंख्या 1000 व उससे अधिक है, को शामिल किया गया है। 1991 की जनगणना के आधार पर राज्य के सभी गांवों की जनसंख्या की सूचना उपलब्ध है। 2001 की जनगणना से तहसील की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या भी उपलब्ध है, अतः प्रत्येक तहसील में दोनों जनगणनाओं के मध्य हुई वृद्धि दर की गणना की गई और उस तहसील के प्रत्येक गांव की 1991 की जनसंख्या को उक्त वृद्धि दर से बढ़ाते हुये 2001 की अनुमानित जनसंख्या की गणना की गई है।

उक्त प्लान में 839.44 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि से प्रदेश के 1870 गांवों को डामर की सड़क से जोड़ने की योजना बनायी गई है इसमें गांवों की जनसंख्या के आधार पर पूरे प्लान को 4 फेज में बांटा गया है जिसका विवरण निम्नप्रकार है :

क्र.सं.	फेज	जनसंख्या	कुल गांव	सड़कों की लम्बाई	अनुमानित राशि (करोड़ में)
1.	फेज-1	1386 व अधिक जनसंख्या के गांव	471	1622.31	
2.	फेज-2	1175 से अधिक व 1385 तक के गांव	522	1984.96	
3.	फेज-3	1075 से अधिक व 1175 तक के गांव	439	1476.11	
4.	फेज-4	1000 से अधिक व 1175 तक के गांव	438	1509.33	
		योग	**1870**	**6592.71**	

उक्त प्लान के प्रथम फेज में से 51.48 करोड़ रुपये के राशि के कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हैं।

नागौर जिले के 107 गांवों को डामर सड़क से जोड़ने के लिये 418.40 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बनाने का इस योजना में प्रावधान है जिसकी अनुमानित लागत 4849.62 लाख रुपये है।

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-285 की प्रति) परिशिष्ट "क"

Government of Rajasthan
Public Works Department

No.F.1(8)P:W/2000/ Dated : 7.11.2001

The Chief Engineer & Additional Secretary to Govt.

Public Works Department

Rajasthan, Jaipur

Sub. : Transfer Policy for PWD Officers

Dear Sir,

In modification/supersession of this office letter of even number dated 16.1.2001, the following transfer policy is hereby issued for the Public Works Department.

1. Any Officer of the rank of Assistant Engineer and above who has been in one district/revenue division for five years out of the last seven years must go out of the revenue division. This provision would not apply to the following categories :

   (a) Additional Chief Engineer and above are exempted.

   (b) In case an officer wants to remain in same district for office posting can be agreed to in exceptional cases. However, four years in office case in the same district would be considered equivalent to two years outside, thereby enabling him for further posting.

   (c) Officers due to retire within one year are exempted.

2.1 The policy for outside revenue division would be made applicable first for Superintending Engineers and Executive Engineers. In case of Assistant Engineer, it would be in next

phase. A Junior Engineer who has been in one district for seven years out of the last ten years ust go out of the district.

2.2 Junior Engineer against whom eigher :

(a) disciplinary proceedings are continuing, or

(b) ACD cases are going on, or

(c) have been punished with minor/major penalty during the last seven years.

will be psoted out of the revenue division.

2.3 In case of Junior Engineers, when absolutely unavoidable, a few officers can be in Head Office Jaipur, against equal number of vacant posts of Assistant Engineers in H.O. only.

3.1 Assistant Engineers would be posted on the office job till they qualify the prescribed departmetal examination.

3.2 The Assistant Engineers who are promoted on review and revision basis will be posted as Assistant Engineer attached with the Division/Leave and Training post or in office jobs.

In case the number of Junior Engineers working in the field, falls short of sanctioned posts/sections, such Assistant Engineers can be assigned to look after the works of the vacant sections. In such cases, the Assistant Engineers may preferably be given the job of section, located at the same Head quarter as of himself.

4. Officers posted in office for last three years would be given preference for field posting.

5. Officers would be continued at the posted place for a minimum of two years, unless something adverse against the officer comes to the notice or if officer concemed desires so. Officers on promotion/demotion can also be shifted before two years. The criterion of moving out officers with five years out

of last seven years in a district, (and 7 out of 10 years for Junior Engineers) supercedes this.

6. Officers against whom CCA proceedings are pending would not be given field poting. Officers who have been punished recently within last seven years (at par with the criteria considered during DPC) need also to be outside the field.

7. Every officer (except Additional Chief Engineers) on promotion, would be given an office posting at least for a year. Any officers who remains posted in an office posting for consecutive three years before promotion, may be given a field posting, as an exception to this.

8. Officers of ther level of Assistant. Engineers, Executive Engineers poted for consecutive seven years in the field must be given office posting. In case less number of office posts are available, the officer who would have remained maximum in field, should be posted out first.

9. Reckoning date for calculation of years must be the calender year i.e. 1st January to 31st December, henceforth.

   To illustrate : An officer who remains for more than 5 years out of last 7 years (1.1.95 to 31.12.2001) in a district, must be shifted out, in 2002.

   However, in case of the 7 years above; if he has spent 2 years/4 years in an office posting, that would be considered as 1 year/2 years of outside-district posting.

10. In special circumstances, Government may relax the above guidelines.

Sd./-
(GAJANAND)
Dy. Secretary to Government

परिशिष्ट "ख"

स्थानान्तरण नीति के तहत स्थानान्तरण नहीं किये गये कनिष्ठ अभियंता (सिविल) की सूची

क्र.सं.	कनिष्ठ अभियंता का नाम	जिले का नाम जहां पदस्थापित है
1.	श्री पी.एल. गुप्ता (विकलांग)	जयपुर
2.	श्री बृजमोहन तीलवानियां	जयपुर
3.	श्री शरद कुमार सैनी	जयपुर
4.	श्री जे. वोहरा	जोधपुर
5.	श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी	जोधपुर
6.	श्री आर.पी. शर्मा	जयपुर

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-288 की प्रति)

परिशिष्ट "अ"

डा. किरोड़ी लाल
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भा.ज. अनु.ज.जा.मोर्चा
प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा राजस्थान
पूर्व सांसद (लोक सभा)
विधायक - बामनवास (स.मा.)

3/80, एस.एफ.एस., अग्रवाल फार्म,
सुभाष चन्द्र बोस मार्ग, मानसरोवर,
जयपुर, राजस्थान
फोन : 0141-395007

क्रमांक.............. दिनांक 14.6.2001

मा. श्रीमान् हरेन्द्र मिर्धाजी,
मंत्री,
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज., जयपुर।

विषय : राज्य सड़क संधारण परियोजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सड़कों पर संधारण कार्य करवाये जाने बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि उक्त सम्बन्ध में हमें बताया गया है कि प्रति विधान सभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 50 कि.मी. सड़क पर संधारण कार्य करवाया जाना है। जिसमें सवाईमाधोपुर की प्रभारी मंत्री मा. श्रीमती बीना काक ने एक सूची मांगी थी, जिसे उचित समय में मा. प्रभारी मंत्री महोदया (जिला-स.मा.) द्वारा आपको भिजवा दिया गया था। उनकी प्राथमिकता में मेरे द्वारा आंशिक संशोधन किया गया था, जो भी प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा आपको भिजवा दी गई है।

अतः राज्य सड़क संधारण परियोजना के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र बामनवास में मरम्मत हेतु सड़कों की प्राथमिकता वर्ष 2001-2002 के लिये निम्नानुसार है—

1. मोरा सागर-लालसोट रोड कि.मी. 0/0 से 3/0 लम्बाई 3 कि.मी. लागत 10.20 लाख रुपये 10/0 से 10/0 लम्बाई 9 कि.मी. लागत 27 लाख रुपये कुल लम्बाई 12 किमी.।
2. भाड़ोती-गंगापुर-हिण्डौन-बयाना रोड किमी. 13/0 से 26/0 (स्टे. हाई-24) लम्बाई 13 कि.मी. लागत 44.20 लाख रुपये।

3. जस्टाना-बौली-निवाई रोड 0/0 से 2/0 एवं 2/0 से 15/0 लम्बाई 15 कि.मी. लागत 49.40 लाख रुपये।

4. बौंली से खिरनी रोड 6 किमी. लागत 18 लाख रुपये 5/4 कि.मी. 0/0 से 2/0.

5. पीपलदा-मित्रपुरा-दतवास रोड 0/0 से 24/0 लम्बाई 4 कि.मी. लागत 12 लाख रुपये।

अतः इस प्रकार वर्ष 2001-2002 के लिये उपर्युक्त 50 कि.मी. दूरी की सड़कों को संधारण हेतु स्वीकृत करने का श्रम करें।

सादर।

ह०/-
(डा. किरोड़ी लाल)

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-295 का विवरण) परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र भादरा के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में
प्रधानाचार्य/अध्यापकों/कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूचना

क्र.सं.	नाम विद्यालय	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है
1	2	3	4	5
1.	राउमावि डाबड़ी			
2.	राउमावि गांधीबाड़ी			
		व्या. (अंग्रेजी)	1	1.7.2001 से
3.	राउमावि अजीतपुरा			
		व्या. हिन्दी	1	2.7.2001 से
		व्या. राज. विज्ञान	1	1.7.2001 से
		क. लि.		
		सहा. कर्म.	1	9/2001 से
4.	राउमावि छानीबड़ी			
		व्या. जीव विज्ञान	1	7/97से
		व्या. भौतिक विज्ञान	1	31.8.2001 से
		प्रयोगशाला सेवक	2	7/97 से
5.	राउमावि निनाण	प्रधानाचार्य	1	7.11.97 से
		अध्यापक-III	2	1/01, 8/01
		प्रयो. सेवक	1	7/95 से
6.	राउमावि कलाना	प्रधानाचार्य	1	10/97 से
		व्या. राज.	1	7/001
		व.अ.	1	20.7.2001
		अध्यापक	1	6/2001 से
		पु.अ.-II	1	6/2001 से

1	2	3	4	5
7.	राउमावि उतरादाबास			
		कलि.	1	12/2000 से
		जमादार	1	9/2001 से
		चश्रे.क.	1	10/2000 से
8.	राउमावि भादरा			7/2001 से
		व्या. चित्रकला	1	9/97 से
		व्या. हिन्दी	1	7/2001 से
		अध्यापक-III	1	12/000
9.	राउमावि रासलाना			
		व्या. हिन्दी	1	1997 से
		व्या. अंग्रेजी	1	1997 से
		व. अ. अंग्रेजी	1	8.8.2001 से
		अध्यापक-III	1	21.11.2000 से
		सहायक कर्म.	2	3/2001 से
		पु.अ.-II	1	7/97 से
10.	राउमावि नेठराना			
		व्या. राज. विज्ञान	1	1997-98 से
		व्या. अर्थशास्त्र	1	1997-98 से
		पु.अ.-II	1	1997-98 से
		व.अ. (सामान्य)	1	9/99 से
		अध्यापक-III	2	
		सहा. कर्म.	1	
11.	राबाउमावि भादरा			
		व्या. हिन्दी	1	10/98 से
		व्या. इतिहास	1	6.1.90 से

1	2	3	4	5
		कार्यालय सहायक	1	2/2001 से
		पु.अ.-II	1	3/95 से
		अध्यापक-III	7	5/97, 1/98, 8/0, 1/01 तीन-12/00
12.	राउमावि मुंशरी	अध्यापक-III	3	7/2000, 7/01
		सहा. कर्म.	1	11/000 से
13.	रामावि बिरान	प्रधानाध्यापक	1	क्रमोन्नति 99-00 से
		व.अ.सामान्य	1	99-2000 से
		व.अ.अंग्रेजी	1	11/2001 से
		अध्यापक	1	8/2001 से
		शा.शि.-III	1	99-01 से
		व.लि.	1	99-00 से
14.	रामावि महराना	प्रधानाध्यापक	1	6/2001 से
		व.अ. (सामान्य)	2	3/2001, 8/01 से
		अध्यापक-III	1	नव सृजित पद
15.	रामावि सागड़ा	प्रधानाध्यापक	1	99-2000 से
		व.अ. (अंग्रेजी)	1	99-2000 से
		अध्यापक	1	99 से 2000 तक
		व.लि.	1	99 से 2000 तक
16.	रामावि शेरड़ा	प्रधानाध्यापक	1	7/2001 से
		अध्यापक	1	12/2000 से
		क.लि.	1	7/2000 से
17.	रामावि जोगीवाला	अध्यापक	1	13.12.2000 से
		शा.शि.	1	7/2001 से

1	2	3	4	5
18.	रामावि झांसल	—	—	—
19.	रामावि मुंदड़ियाबड़ा	प्रधानाध्यापक	1	क्रमोन्नति 99-2के से
		व.अ. (सामा)	1	7/2001 से
		शा.शि.	1	7/2001 से
		व.लि.	1	99-2000 से
20.	रामावि भानगढ़	प्रधानाध्यापक	1	10/01 से
		व.अ. (सामान्य)	2	7/01, 8/01 से
		व.अ. (संस्कृत)	1	8/01
		व.अ. (गणित)	1	8/2001 से
		व.लि.	1	7/96 से
		सहा.कर्म.	2	10/2000 से
21.	रामावि डूंगराना	—	—	—
22.	रामावि करणपुरा	—	—	—
23.	रामावि घेऊ	व.अ. (सामान्य)	1	3/01 से
		अध्यापक	5	वीस 4/98 से एक-7/01 से
24.	रामावि अनूपशहर	व.अ. (सामान्य)	1	1/2001 से
		सहा.कर्म.	1	1/2000 से
25.	रामावि जगासरीबड़ी	प्रधानाध्यापक	1	क्रमोन्नति 4/2001 से
		व.अ. (अंग्रेजी)		10/01 से
		शा.शि.		4/2001 से
		व.लि.	1	4/2001 से
		सहा.कर्म.	1	4/2001 से
26.	रामावि किराड़ाबड़ा	प्रधानाध्यापक	1	7/2001 से
		अध्यापक	1	7/2001 से

1	2	3	4	5
27.	रामावि गदरा	व.अ(सामान्य)	2	7/2001 से
		कलि.	1	12/97 से
		वलि.	1	29.01.2001 से
		सहा.कर्म.	1	7.9.2001 से
28.	रामावि श्योराटाड़ा	प्रधानाध्यापक	1	क्रमोन्नति 2000-01 से
		व.अ. (अंग्रेजी)	1	4/2001 से
		शा.शि.	1	2000-01 से
		कलि.	1	2000-01 से
		सहा.कर्म.	1	2000-01 से
29.	रामावि मलसीसर	—	—	—
30.	रामावि श्योरावाड़ा	प्रधानाध्यापक	1	क्रमोन्नति 2000-01 से
		व.अ. अंग्रेजी	1	क्रमोन्नति 2000-01 से
		शा.शि.	1	7/2001 से
		वलि.	1	2000-2001 से
31.	रामावि भिरानी	अध्यापक	1	7/2001 से
32.	रामावि छानीबड़ी	कलि.	1	7/2001 से

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-298 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

नागौर जिले के अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं की शिकायतों का उपखण्डवार विवरण

(जनवरी, 2001 से अगस्त 2001)

नागौर खण्ड

		कृषि	अन्य
1.	नागौर (शहर)	—	—
2.	नागौर (ग्रामीण)	38	1215
3.	मूण्डवां (पवस)	1516	1405
4.	खींवसर (पवस)	245	187
	योग	**1799**	**2807**

मकराना खण्ड

		कृषि	अन्य
1.	मकराना (शहर)	13	15
2.	मकराना (ग्रामीण)	17	22
3.	कुचामन (पवस)	23	37
4.	नावां (पवस)	107	13
5.	परवतसर (पवस)	57	31
	योग	**217**	**118**

मेड़ता खण्ड

		कृषि	अन्य
1.	मेड़ता (शहर)	9	14
2.	मेड़ता (ग्रामीण)	5	18
3.	डेगाना	20	13
4.	रियांबड़ी	9	12
	योग	**43**	**57**

डीडवाना खण्ड

		कृषि	अन्य
1.	डीडवाना (पवस)	0	0
2.	मोलासर (पवस)	0	0
3.	जायल (पवस)	34	36
	योग	**34**	**36**

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-300 का विवरण)

पाली वृत अधीन जिला पाली में खण्डवार/श्रेणीवार अनधिकृत उपयोग (चोरी) के पकड़े गये मामले तथा उनसे वसूली की गई दण्डनीय विवरण निम्न हैं

(19.7.2000 से 18.7.2000 तक) निगम गठन पश्चात्

क्र. सं.	खण्ड का नाम	चोरी के मामले			कुल राशि का निर्धारण			वसूल की गई राशि		
		कृषि	उद्योग	अन्य	कृषि	उद्योग	अन्य	कृषि	उद्योग	अन्य
1.	पाली	2	2	294	0.27	0.68	11.23	0.27	0.68	11.00
2.	फालना	22	3	115	1.93	0.35	4.25	1.79	0.35	4.03
3.	सोजत	26	9	170	3.14	1.92	5.40	3.14	1.16	4.46
	योग	50	14	579	5.34	2.95	28.88	5.20	2.19	19.52
	कुल मामले	643		कुल राशि निर्धारण			29.17 लाख	वसूल की गई राशि 25.91 लाख (कुल)		

(19.7.99 से 18.7.2003 तक) निगम पठन से पूर्व

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कृषि	उद्योग	अन्य	कृषि	उद्योग	अन्य	कृषि	उद्योग	अन्य
1.	पाली	1	1	283	0.09	0.1	5.79	0.09	0.1	5.79
2.	फालना	44	7	32	4.47	1.01	1.05	4.47	1.01	1.05
3.	सोजन	28	2	90	2.59	0.48	2.65	2.55	0.31	2.57
	योग	73	40	405	7.15	1.59	9.49	7.11	1.42	9.41
	कुल योग	469	कुल राशि निर्धारण 18.23 लाख वसूल की गई राशि 17.94 (कुललाख)							

ह०/-

प्रावै.हा.अधीक्षण अभियंता (पवस)

जोधपुर डिस्काम, पाली

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-303 का विवरण)

अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.
(अजमेर)

परिशिष्ट "अ"

झुंझुनूं वृत में विभिन्न सहायक अभियंता कार्यालयों में वर्तमान में कार्यरत एवं स्वीकृत पदों का विवरण

	सहायक अभियंता कार्यालय का नाम	सहा. अभि.		कनिष्ठ अभि.		मंत्रालयिक		चतुर्थ श्रेणी		तकनीकी	
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
1.	चिड़ावा	1	1	3	2	15	9	4	3	223	123
2.	पिलानी	1	1	3	2	15	10	3	5	229	98
3.	सुल्ताना	1	1	2	2	14	8	4	2	93	53
4.	सूरजगढ़	1	1	2	2	13	11	4	1	104	63
5.	झुंझुनूं (शहर)	1	1	2	2	12	9	5	4	87	62
6.	बग्गड़	1	1	3	2	11	10	3	2	92	82
7.	मलसीसर	1	1	2	2	14	8	2	2	40	24
8.	मडावा	1	1	2	2	12	8	2	2	82	62
9.	बागतू (ग्रामीण)	1	1	3	2	11	10	4	4	71	61
10.	बिसाऊ	1	1	2	1	9	8	2	1	30	30
11.	गुढ़ागौड़जी	1	1	3	2	15	10	4	4	91	81
12.	मुकंदगढ़	1	1	3	2	16	12	5	3	77	77
13.	नवलगढ़	1	1	4	3	15	12	5	6	195	131
14.	उदयपुरवाटी	1	1	3	2	13	12	4	4	108	106
15.	खेतड़ी टाउन	1	1	3	2	15	9	2	4	117	121
16.	खेतड़ी नगर	1	1	3	2	15	8	4	3	61	59
17.	बुहाना	1	1	3	2	14	12	3	1	44	42
	योग	**17**	**17**	**44**	**34**	**229**	**166**	**60**	**51**	**1746**	**1277**

ह०/-

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-304 का विवरण)

विद्युत वितरण निगमों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की श्रेणीवार मण्डल के विभाजन से पहले और विभाजन के पश्चात् बकाया का विवरण

(अंक लाखों में)

विवरण	घरेलू	अघरेलू	लघु उद्योग	मध्यम उद्योग	वृहत उद्योग	कृषि मीटर श्रेणी	कृषि फ्लैट रेट श्रेणी	कृषि पोल्ट्री	कृषि नर्सरी	रोड लाइट	मिक्स लोड	ट्रैक्सन रेलवे	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जयपुर विद्युत वितरण निगम													
विभाजन से पूर्व	9030.51	3010.25	2282.83	1219.63	16700.54	1097.20	1892.52	4.02	255.72	2240.41	153.22	472.24	38359.09
विभाजन के पश्चात्	10150.87	2838.93	2387.94	788.64	15719.22	1239.12	2309.83	4.48	299.87	3523.14	163.02	284.04	39709.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड													
विभाजन से पूर्व	5754.32	1946.80	1957.01	1161.72	2095.43	1239.44	2378.30	34.60	287.70	—	—	—	16855.32
विभाजन के पश्चात्	5542.32	1640.39	1899.28	708.94	2314.94	1275.45	2796.07	38.51	331.00	—	—	—	16546.89
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड													
विभाजन से पूर्व	3485.01	1452.94	776.91	553.05	960.40	—	1082.59	—	—	—	—	—	8310.90
विभाजन के पश्चात्	3214.14	1253.21	732.51	435.94	749.98	—	1224.88	—	—	—	—	—	7610.66

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-305 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

कृषि कनेक्शन शिफ्टिंग जो लम्बित हैं, की सूची

क्र.सं.	आवेदक का नाम	गांव का नाम	आवेदन तिथि
1	2	3	4
1.	श्री धन्नालाल/रामनाथ शर्मा	नया गांव	7.11.98
2.	श्री सूरजनारायण/रामगोपाल शर्मा	नया गांव	7.11.98
3.	श्री लक्ष्मीनारायण/श्योनाथ	रामपुरावास चावडियां	28.1.99
4.	श्री जंसी, रामचन्द्र, रामपाल, किशना माली	बांसखो	30.10.99
5.	श्री अर्जुन, शंकर, रामनाथ, रामकंवार	राजपुरापातलवास	21.8.99
6.	श्री कल्याण लालाराम शर्मा	हिंगोनियां	2.11.99
7.	श्री रामनारायण, ओंकार जाट	जाटान	20.11.99
8.	श्री नाथू/मूल्या	भावसरईश्वरवाला	4.12.99
9.	श्री लालाराम/काना/गोपाल	भीडियावाला	8.12.99
10.	श्री लालाराम, भौंरीलाल	हिंगोनियां	2.11.99
11.	श्री श्योजीराम/रामनाथ जाट	जाटान	18.1.2000
12.	श्री लादू/श्योनन्दा	तिलपट्टी	3.2.2000
13.	श्री रघुनाथ/जमनालाल	फालयावास	17.4.2000
14.	श्री भौरया/ग्यारसा/गणेश	झर	10.1.2000
15.	श्री केसरलाल/शिवनाथ जाट	जटवाड़ा	2.5.2000
16.	श्री सूरजमल/ग्यारसीलाल शर्मा	रोहिताशपुरा	29.8.2000
17.	श्री रामचन्द्र/प्रभु/कल्याण जाट	मदनपुरा	4.10.2000
18.	श्री भूराराम, विज्याराम मीना	भटैसरी	3.11.2000
19.	श्री रामस्वरूप/रामनाथ	खीखांवाला	17.6.2000
20.	श्री रामसहाय/कल्याण, जंसी, पांचू	लालपुरा (पाटन)	24.10.2000
21.	श्री प्रताप/चौथू मीना	देवापुरा	4.12.2000
22.	श्री लादू, शिवनारायण, कैलाश	तिलपट्टी	7.12.2000

1	2	3	4
23.	श्री भोमाराम/हनुमान सहाय/रामनाथ	खौखावाला	6.12.2000
24.	श्री जीता/धोकली	झर	10.12.99
25.	श्री बालू/घासी/कल्याण	गढ़	14.6.2001
26.	श्री नाथू, मूल्या, पांचू मीना	उगावास	7.7.2001
27.	श्री रामजीलाल, जैसा शर्मा	लालपुरा (पाटन)	18.7.2001
28.	श्री जसराज, शिवदयाल सिंह	अणतपुरा	20.8.2001
29.	श्री देवीनारायण/मोती, रामू	राजपुरापातलवास	31.8.2001
30.	श्री लक्ष्मीनारायण, जगन्नाथ बागड़ा	कानड़वास	23.7.2001
31.	श्री लालचन्द/रमेशचन्द/सीताराम	कानड़वास	19.9.2001
32.	श्री भीवाराम, महादेव/भौरीलाल	भुडथल	19.10.2001

परिशिष्ट "क"

घरेलू कनेक्शन शिफ्टिंग जो लम्बित हैं, की सूची

क्र.सं.	आवेदक का नाम	गांव का नाम	आवेदन की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री रामजीलाल/भौरीलाल	दूधली	18.9.01
2.	श्री रामकिशन/भगवान सहाय मीना	खौरी	15.11.2000
3.	श्री जोधराज/मेदाराम मीना	झर	21.11.2000
4.	श्री हजारीलाल/रामनाथ मीना	टोडाभाटा	13.12.2000
5.	श्री सम्पत सिंह/भंवर सिंह	टोडाभाटा	21.5.01
6.	श्री प्रभुदयाल/सूरजमल शर्मा	तूंगा	16.1.01
7.	श्री राम मीना/भौरी लाल मीना	बस्सी	17.3.01
8.	श्री रामजीलाल/मूलचन्द माली	बस्सी	10.4.01
9.	श्री शिवसहाय/पूरणमल	जटवाड़ी	14.5.01
10.	श्री देवाराम/मान कोली	टेकचन्दपुरा	6.6.01
11.	श्री रामदेव, माधो जाट/लक्ष्मण जाट	दामोदरपुरा	29.6.01

परिशिष्ट "ब"

कृषि कनेक्शन मांग-पत्र जमा जिनकी अभी लाइन नहीं खिंची है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	ग्राम	मांग-पत्र जमा दिनांक	श्रेणी	डिम्ड कनेक्शन हां/नहीं
1	2	3	4	5	6
1.	श्री प्रताप/भूरा बैरवा	केशुपुरा	2.11.99	कृषिएससी	
2.	श्री बाबूलाल, मूलचन्द बैरवा	केशुपरा	2.11.99	कृषिएससी	
3.	श्री लाल भौरया बैरवा	गिरधारीपुरा	26.11.99	कृषिएससी	
4.	श्री शंकरलाल, किशना बैरवा	झिंझा	20.11.99	कृषिएससी	
5.	श्री बालूराम, बाबूलाल, लक्ष्मण भैरू	झिंझा	21.1.2000	कृषिएससी	
6.	श्री नारायण, रामसहाय, मूलचन्द	बैनाड़ा	28.8.98	कृषिएससी	
7.	श्री लक्ष्मीनारायण, हरदेव/किशना गुर्जर	बैनाड़ा	18.1.01	कृषि सामान्य	हां
8.	श्री मूलचन्द/चन्दा गुर्जर	बैनाड़ा	20.10.97	नर्सरी	हां
9.	श्री हनुमान/नारायण/रेवड़ कालू	बैनाड़ा	22.11.00	चोरी	
10.	श्री नारायण/रेवड़ कालूराम किशना	बैनाड़ा	22.11.00	चोरी	
11.	श्री महादेव/चुन्नीलाल बैरवा	भूड़ला	22.3.00	कृषि एससी	
12.	श्री नानगराम/बिरदीचन्द शर्मा	भूड़ला	13.10.00	कृषिचारा	हां
13.	श्री रामजीलाल, सीताराम रामपाल	भटेरी	30.6.00	कृषिएससी	हां
14.	श्री रामजीलाल/जोधा शर्मा	भटेरी	19.10.00	चारा	हां
15.	श्री बिरदीचन्द/महादेव शर्मा	कुथाड़ाखुर्द	25.8.98	सामान्य	
16.	श्री अखेराम, रामकिशन/सूजाराम	बस्सी	11.8.98		
17.	श्री मंगलाराम/रामसहाय शर्मा	बस्सी	4.12.95	ओटीपी	
18.	श्री रघुनाथ, रामचन्द्र मीना	बस्सी	20.10.00	नर्सरी	

1	2	3	4	5	6
19.	श्री शंकर नरसी बाबू झूंथा	बस्सी	11.10.99	नर्सरी	
20.	श्री सूज्या रामसहाय गोविन्दा मीना	बस्सी	18.9.99	नर्सरी	
21.	श्री आशवसहाय/छोटू शर्मा	बस्सी	29.11.00	चारा	हां
22.	श्री रेवड़, छीतर गुर्जर	खेड़लावास	28.4.90	ओटीपी	
23.	श्री प्रताप, श्योनाथ	कानेटी	15.6.96	सामान्य	
24.	श्री छीतर, कल्या वगैरह	कानेटी	15.6.96	सामान्य	
25.	श्री प्रभुलाल/रघुनाथ मीणा	दयारामपुरा	30.6.01	सामान्य	
26.	श्री रामू, मांग्या मीना	दयारामपुरा	8.8.01	सामान्य	
27.	श्री नारायण, रामस्वरूप, सीताराम	दयारामपुरा	22.11.00	चोरी	
28.	श्री रामस्वरूप/रामदयाल शर्मा	सुजानपुरा	23.7.01	सामान्य	
29.	श्री भौरया, कालू मीना	गढ़	15.4.00	सामान्य	
30.	श्री मन्ना/नेहनू माली	गढ़	15.4.00	सामान्य	हां
31.	श्री देवा/नाथू	गढ़	24.8.00	सामान्य	हां
32.	श्री गोविन्दा/रामेश्वर	गढ़	21.8.95	ओटीपी	हां
33.	श्री सीताराम, रमेश, गणपत	गढ़	5.10.99	नर्सरी	हां
34.	श्री रेवड़, जगन्नाथ, पूरया/मूल्या	जटवाड़ा	13.8.98	सामान्य	हां
35.	श्री किशना, रामप्रताप, मानसिंह गुल्ला	जटवाड़ा	18.9.99	नर्सरी	हां
36.	श्री घांसी, जगन्नाथ, कुलदीप	जटवाड़ा	18.9.99	नर्सरी	हां
37.	श्री रामफूल, रामेश्वर, श्रीमती विद्यादेवी	जटवाड़ा	20.11.00	चोरी	हां
38.	श्री चौथ्या, गंगाधर मीना	बड़वा	30.6.00	सामान्य	
39.	श्री नानगराम, रामनाथ	सिन्दोली	7.3.95	एकपोल	
40.	श्री रघुवीर सिंह/भूपाल सिंह	सिन्दोली	15.9.95	एकपोल	

1	2	3	4	5	6
41.	श्री लीला, छोटू/वांवता मीना	दणाऊकलां	21.1.95	एक पोल	
42.	श्री कन्हैयालाल/महादेव शर्मा	दणाऊखुर्द	22.8.96	एक पोल	हां
43.	श्री कल्याण, मांगीलाल शर्मा	दणाऊखुर्द	23.12.96	नर्सरी	हां
44.	श्री राधेश्याम/भौरीलाल शर्मा	दणाऊकलां	16.11.00	चोरी	हां
45.	श्योनारायण/मूलचन्द श्योबक्स	धीगड़काबास	6.3.95		
46.	श्री ग्यारसा/गैंदीलाल शर्मा	रोजवाड़ी	25.7.95	ओटीपी	हां
47.	श्री रामकिशोर/महादेव	रोजवाड़ी	2.9.95	नर्सरी	हां
48.	श्री राधेश्याम/शंकरलाल शर्मा	रोजवाड़ी	3.12.96	नर्सरी	हां
49.	श्री चिरंजीलाल, रामप्रसाद/हरध्यान	रोजवाड़ी	5.2.97	नर्सरी	हां
50.	श्री काना, छोटूराम मीना	रामसिंहपुरा	4.8.95	ओटीपी	
51.	श्री कल्याणसहाय, धन्ना, भौलाराम	कंवरपुरा	17.8.95	ओटीपी	हां
52.	श्री नेहनू, धन्ना	काशीपुरा	16.8.95	ओटीपी	हां
53.	श्री गोपाल, नाथू शर्मा	अणतपुरा	13.9.95	ओटीपी	हां
54.	श्री लालू, पांचू	अणतपुरा	20.9.95	ओटीपी	हां
55.	श्री रामजीलाल, सीताराम शर्मा	अणतपुरा	13.9.95	ओटीपी	हां
56.	श्री नाथू, मल्या बलाई	बांसखो	12.6.96	कृषिएससी	
57.	श्री सडू, श्योबक्स, छोटू रामपाल	बांसखो	10.12.97	नर्सरी	
58.	श्री छीतर, श्रवण चन्द	लालगढ़	11.9.95	ओटीसी	
59.	श्री भगवान, धन्ना, उन्डा, भौला	लालगढ़	3.1.97	नर्सरी	हां
60.	श्री जगदीश/रेवड़मल शर्मा	बांसखो	11.10.95	ओटीपी	
61.	श्री मूल्या/घासी/भोला	कैलयावाला	28.11.95	ओटीपी	
62.	श्री भगवानसहाय/कैलाश	बोरई	29.9.95	ओटीपी	हां
63.	श्री मंगला, सीताराम, लालाराम	रतनपुरा	21.9.95	ओटीपी	हां
64.	श्री जगदीश/श्रीनारायण मीणा	रतनपुरा	4.12.00	चारा-I	

1	2	3	4	5	6
65.	श्री रतनलाल, रामकंवार, रामनाथ	रतनपुरा	27.12.00	कृषि स्पेशल	
66.	श्री गंगासहाय, गेंदीलाल, गणेश	किशनपुरा (क)	15.6.95	ओटीपी	
67.	श्री रामकिशोर/जगन्नाथ	किशनपुरा (क)	6.10.97	नर्सरी	हां
68.	श्री हनुमान सहाय/श्री मांगीलाल	किशनपुरा (क)	15.6.95	ओटीपी	
69.	श्री लक्ष्मीनारायण/श्री नारायण	किशनपुरा (क)	29.1.01	चोरी	हां
70.	श्री गोविन्दा/नारायण शर्मा	किशनपुरा (क)	30.11.00	चोरी	हां
71.	श्री काना, खुबा मीना	देवापुरा	8.12.95	ओटीपी	हां
72.	श्री लक्ष्मीनारायण, फूलचन्द/बाबू	देवापुरा	10.1.96	ओटीपी	हां
73.	श्री भगवान सहाय/कालू	देवापुरा	4.10.99	नर्सरी	
74.	श्री बद्रीनारायण/छोटू खाती	कचोलियां	6.7.94	एक पोल	
75.	श्री जगदीश, रामकिशोर, गुलाब बंशी	कचोलियां	6.7.94	नर्सरी	
76.	श्री राम कल्याण/नेहसू जाट	कचोलियां	28.11.99	नर्सरी	
77.	श्री सीताराम/जगदीश, नाथूलाल	कचोलियां	15.11.99	नर्सरी	
78.	श्री घासी, अर्जुन, गोरधन, भगवान	पाटन	29.10.96	नर्सरी	
79.	श्री हरिनारायण, किशनलाल शर्मा	जीतावाला	28.12.99	चोरी	हां,
80.	श्री भगवानसहाय, रामानन्द शर्मा	जीतावाला	28.12.99	चोरी	हां
81.	श्री जगदीश, भौरीलाल, रामजीलाल	टेकचंदपुरा	5.10.96	नर्सरी	
82.	श्री प्रभु, चौथू, खण्डया मीना	चतरपुरा	24.12.96	नर्सरी	
83.	श्री महादेव, लक्ष्मण मीना	उगावास	7.7.99	नर्सरी	
84.	श्री कार्य अधीक्षक आरएसएससी	पडासोली	23.6.97	नर्सरी	
85.	श्री कार्य अधीक्षक आरएसएससी	पडासोली	21.3.98	नर्सरी	
86.	श्री जगदीश भौरीलाल, नारायण मीना	पडासोली	6.10.99	नर्सरी	

1	2	3	4	5	6	
87.	श्री ग्यारसा, गोगा, सुखा मीना	रामपुरावास देवगांव		31.12.99	नर्सरी	—
88.	श्री मोती, सुखी, रामसहाय गुर्जर	श्री रामपुरा	15.11.99	नर्सरी	हां	—
89.	श्री भैरूराम/भौरीलाल जाट	पालावाला	13.9.99	नर्सरी	हां	
90.	श्री भौरीलाल, श्रवण, भैरू/ सीताराम	जाटान, पिलिया	13.2.98	नर्सरी	हां	
91.	श्री लक्ष्मण सिंह/प्रभुसिंह	पिलिया	5.10.99	नर्सरी	हां	
92.	श्री रणजीता/हुक्मा मीना	गोकुलपुरा	14.8.97	नर्सरी	हां	
93.	श्री गोविन्दनारायण/ जगन्नाथ श्री नारायण	तिलपट्टी	6.10.98	नर्सरी	हां	
94.	श्री देवीनारायण/मोती/ रामू लक्ष्मीना.	राजपुरा पातलवास	25.5.99	नर्सरी	हां	
95.	श्री जगदीश, नाथू, रामसहाय शर्मा	पातलवास	15.11.99	नर्सरी		
96.	श्री कजोड़/भैरूराम शर्मा	पातलवास	1.11.99	नर्सरी	हां	
97.	श्री नाथू, पूनीराम, चौखला मीना	खौरी	22.11.97	नर्सरी		
98.	श्रीमती गेंदीदेवी/प्रेमकुमार	तूंगा	30.6.99	नर्सरी	हां	
99.	श्री प्रभात/भूरा मीना	रामसिंहपुरा	29.9.99	नर्सरी		
100.	श्री कल्याण/गोविन्द शर्मा	हाथीपुरा	5.10.99	नर्सरी		
101.	श्री हरिनारायण/ईश्वर शर्मा	हाथीपुरा	30.12.99	नर्सरी		
102.	श्री भौरीलाल, मांगीलाल, नारायण	दूदावाला	20.10.99	नर्सरी		
103.	श्री छीतर/भौरीलाल मीना	मोरंडी	31.12.99	नर्सरी		
104.	श्री गोपाल, प्रभात	मोरंडी	31.12.99	नर्सरी		
105.	श्री बंसी देवी, नारायण, सूज्या/भोला	जगदीशपुरा	15.11.99	नर्सरी		
106.	श्री रामसहाय, बिज्या	जगदीशपुरा	15.11.99	नर्सरी		
107.	श्री रामसहाय/रतना	राजपुराउत्ता,	28.9.99	नर्सरी		
108.	श्री रामदेव/सांवता कल्याण/महादेव	श्यामपुरा	29.9.99	नर्सरी		
109.	श्री सियानन्द/रामचन्द्र	बिराजपुरा	13.12.99	नर्सरी		
110.	श्री बद्री, कालू, श्रवण, नेहनू	घासीपुरा	31.12.99	नर्सरी		

1	2	3	4	5	6
111.	श्री गोविन्द/गंगा/भगवान	सियाकाबास	29.9.99	नर्सरी	
112.	श्री शिवान, सुन्दरलाल	विमलपुरा	14.10.99	नर्सरी	
113.	श्री रामसहाय/रामस्वरूप/कैलाश	बल्लूपुरा	27.9.99	नर्सरी	
114.	श्री अमरेश कुमार/बिहारी लाल	श्यामपुरा	5.10.99	नर्सरी	
115.	श्री माधो/मांगीलाल	कल्याणपुरा	—	नर्सरी	हां
116.	श्री रामनाथ/सुखी/मीना	मूंडली	13.12.00	चारा-I	हां
117.	श्री रामकिशोर/प्रताप शर्मा	प्रेमपुरा	19.10.99	चारा	हां
118.	श्री मुन्ना, रामपाल, श्योनाथ	अचलपुरा	15.11.00	चोरी	हां
119.	श्री रामनारायण/गोविन्दा शर्मा	मा.खेड़ी	14.11.00	चोरी	हां
120.	श्रीमती गुलाब देवी/ग्यारसीलाल	मा.खेड़ी	4.12.00	चोरी	हां
121.	श्री हनुमान सहाय/लादूराम	मा.खेड़ी	2.11.00	चोरी	हां
122.	श्री हरसहाय/भौरया	मा.खेड़ी	22.11.00	स्पेशल	हां
123.	श्री लालाराम/बालूराम शर्मा	खौखावाला	14.11.00	चोरी	हां
124.	श्री भौमाराम/पांचूराम शर्मा	खौखावाला	2.11.00	चोरी	हां
125.	श्री जगदीश, लादू, रामेश्वर, प्रभु	माधोगढ़	22.11.00	चोरी	
126.	श्री लक्ष्मीनारायण, मूलचन्द शर्मा	चरणगढ़	6.11.00	चोरी	
127.	श्री छीतर, मानसा, अर्जुन	निमोरा	25.11.00	चोरी	
128.	श्री रणजीता/गणेश मीना	झर	22.11.00	स्पेशल	कोर्ट केस

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-306 की सूची) परिशिष्ट "अ"

मीटर खरीदे जाने वाली कम्पनियों की सूची

क्र.सं.	कम्पनी का नाम
1	2
जोधपुर डिस्काम	
1.	मै. एरोन मीटर प्रा.लि., चण्डीगढ़
2.	मै. एलीमर इलैक्ट्रिक्स प्रा.लि., दिल्ली
3.	मै. एलीमर इन्टरनेशनल, नई दिल्ली
4.	मै. जीनस ओवरसीज इलैक्ट्रोनिक्स, जयपुर
5.	मै. प्रीसीजन मीटर प्रा.लि., दिल्ली
6.	मै. टी.टी.एल.लि., दिल्ली
7.	मै. इलैक्ट्रोन एनर्जी इक्विपमेंट प्रा.लि., नोएडा
8.	मै. एल एण्ड टी, जयपुर
9.	मै. एच.पी.एल. सोकम प्रा.लि., नई दिल्ली
10.	मै. हेमटेक इलैक्ट्रोनिक्स, बैंगलोर
11.	मै. सेमी कन्डक्टर काम्प्लैक्स लि., बैंगलोर
12.	मै. राज इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट, जयपुर
अजमेर डिस्काम	
1.	मै. जीनस
2.	मै. एच.पी.एल. सोकोमेक
3.	मै. एलीमर इलैक्ट्रोनिक्स
4.	मै. आरई.आइ.एल.
5.	मै. एलीमर इन्टरनेशनल
6.	मै. बी.एच.ई.एल.
7.	मै. इलैक्ट्रो इंजीनियर
8.	मै. नाम टेक

1	2
जयपुर डिस्काम	
1.	मै. एरोन मीटर प्रा.लि., चण्डीगढ़
2.	मै. एलीमर इलैक्ट्रिकल्स प्रा. लि., दिल्ली
3.	मै. एलीमर इन्टरनेशनल, नई दिल्ली
4.	मै. जीनस ओवरसीज इलैक्ट्रोनिक्स, जयपुर
5.	मै. प्रीसीजन मीटर प्रा.लि., दिल्ली
6.	मै. टी.टी.एल.लि., दिल्ली
7.	मै. इलैक्ट्रोन एनर्जी इक्विपमेंट प्रा.लि., नाएडा
8.	मै. एल एण्ड टी, जयपुर
9.	मै. एच.पी.एल. सोकम प्रा.लि., नई दिल्ली
10.	मै. हेमटेक इलैक्ट्रोनिक्स, बैंगलौर
11.	मै. सेमी कंडक्टर काम्प्लैक्स लि., बैंगलोर
12.	मै. बी.एच.ई.एल.
13.	मै. नाम टेक
14.	मै. आर.ई.आई.एल.

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-308 की प्रति)

परिशिष्ट "अ"
प्रपत्र-1

राजस्थान सरकार

कार्यालय ऊर्जा, उद्योग, राजकीय एवं सैनिक कल्याण मंत्री

क्रमांक : निस/उसैकमं/2001/1129 जयपुर, दिनांक : 11.6.2001

अधीक्षण अभियन्ता (प.व.स.)
जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
सवाईमाधोपुर।

विषय : ग्राम नागर हेड़ा में 33 के.वी., जी.एस.एस. के निर्माण के क्रम में।

महोदय,

डा. किरोड़ी लाल मीणा, माननीय विधायक बामनवास द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय को उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रस्तुत पत्र मूल ही इसके साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। इस संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि उक्त सब-स्टेशन दिनांक 1.2.2000 को स्वीकृत हो चुका है, इसका निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करावें, की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को सूचित करें ताकि माननीय मंत्री महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा सके।

भवदीय,
ह०/-
(जे. के. मोर)
प्रावैधिक सहायक, ऊर्जा मंत्री

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-311 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

जयपुर की आवासीय कालोनियों में विद्युत खम्भों/लाइन शिफ्टिंग के संबंध में प्राप्त शिकायतों का विवरण (विगत दो वर्षों में प्राप्त)

क्र.सं.	शिकायतकर्ता/उपभोक्ता का नाम	शिकायत का विवरण	शिकायत की दिनांक	शिकायत निवारण दि.	विशेष
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जगदीश नारायण, रजनी विहार	मकान के ऊपर से लाइन हटाने के बाबत	5.4.2000	30.9.2000	
2.	श्री एल.के बोस, हीरापुरा कालोनी	मकान के ऊपर से लाइन हटाने के बावत	6.5.2000	23.9.2000	
3.	डा. मदन लाल, जगदम्बा नगर	मकान के ऊपर से लाइन हटाने के बाबत	6.6.2000	18.9.2000	
4.	प्रधानाचार्य, असरपुरा स्कूल	स्कूल के ऊपर से लाइन हटाने बाबत	7.7.2000	5.10.2000	
5.	श्रीमती उषा सारस्वती, रजनी विहार	मकान के ऊपर से लाइट न हटाने बाबत	7.7.2000	17.10.2000	
6.	श्रीमती अंजना नारानी भांकरोटा	मकान के ऊपर से लाइट न हटाने बाबत	10.7.2000	13.11.2000	
7.	श्री महिपाल सिंह, जगदम्बा कालोनी	मकान के ऊपर से लाइट न हटाने बाबत	11.7.2000	23.11.2000	
8.	श्रीमती रतन कंवर, अमर नगर	मकान के ऊपर से लाइट न हटाने बाबत	19.9.2000	25.11.2000	
9.	श्री राधेश्याम शर्मा, पार्श्वनगर कालोनी	मकान के ऊपर से लाइट न हटाने बाबत	4.10.2000	2.12.2000	

1	2	3	4	5	6
10.	श्री इन्द्र सिंह, मालू	मकान के ऊपर से लाइट न हटाने बाबत	12.12.2000	10.9.2001	
11.	श्री बजरंग लाल शर्मा, चित्रकूट	मकान के ऊपर से लाइट न हटाने बाबत	30.12.2000	6.7.2001	
12.	श्री रामेश्वर लाल चन्दा लाल, जगदम्बानगर	मकान के ऊपर से लाइट न हटाने बाबत	6.1.2001	3.7.2001	
13.	श्रीमती उर्मिला/राधाकृष्ण दीपविहार	मकान के ऊपर से लाइट न हटाने बाबत	16.3.2001	3.8.2001	
14.	श्री उमा खत्री, आफिसर्स कैम्पस	मकान के ऊपर से लाइट न हटाने बाबत	23.3.2001	3.10.2001	
15.	श्री छोटूराम/घासी राम कस्तूरबानगर	मकान के ऊपर से लाइट न हटाने बाबत	20.9.2001	4.10.2001	
16.	श्री गांधी बाल निकेतन विद्याधर नगर	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	13.4.99	30.4.1999	
17.	श्री भगवती कन्या पाठशाला विद्याधर नगर	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	27.5.99	27.5.2001	
18.	श्री हजारी लाल, विद्याधर नगर	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	27.5.99	27.5.2001	
19.	श्री हितेष, विद्याधर नगर	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	8.6.99	10.6.1999	
20.	श्री मोतीलाल, विद्याधर नगर	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	11.6.99	12.9.1999	

1	2	3	4	5	6
21.	श्री गिर्राज प्रसाद, विद्याधर नगर	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	12.8.1999	12.8.1999	
22.	श्री किशन चन्द, विद्याधर नगर	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	4.9.1999	4.9.1999	
23.	श्री आर.पी.शर्मा, विद्याधर नगर	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	22.9.1999	22.9.1999	
24.	श्री राकेश, विद्याधर नगर	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	12.10.1999	12.10.1999	
25.	श्री महेश, विद्याधर नगर	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	11.10.1999	25.10.1999	
26.	श्री स्याल सिंह, विद्याधर नगर	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	10.11.1999	20.11.1999	
27.	श्री कृष्ण कुमार, विद्याधर नगर	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	27.11.1999	27.11.1999	
28.	श्री अख्तर बानौ	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	10.1.2000	10.1.2000	
29.	श्री गोकुल सिंह	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	15.1.2000	1.2.2000	
30.	श्री शांति देवी	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	3.6.2000	3.6.2000	
31.	श्री सुरेन्द्र कुमार	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	10.6.2000	10.6.2000	
32.	श्री बलबीर सिंह	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	13.7.2000	13.7.2000	
33.	श्री हरीश माली	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	21.5.2000	22.5.2000	

1	2	3	4	5	6
34.	श्री सुरेश	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	30.8.2000	30.8.2000	
35.	श्री मनोज कुमार	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	3.9.2000	8.9.2001	
36.	श्री महेश	खम्भा शिफ्ट करने बाबत	6.10.2000	6.10.2000	
37.	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, विद्याधर नगर	खम्भा शिफ्ट करवाने बाबत	10.5.2001	26.5.2001	
38.	श्री मंजू देवी, विद्याधर नगर	खम्भा शिफ्ट करवाने बाबत	31.5.2001	1.6.2001	
39.	श्री बालाजी शिक्षा समिति, मुरलीपुरा	खम्भा शिफ्ट करवाने बाबत	8.10.2001	8.10.2001	
40.	श्री योगेन्द्र, मुरलीपुरा	खम्भा शिफ्ट करवाने बाबत	16.10.2001	20.10.2001	
41.	श्री प्रकाश चन्द्र, मुरलीपुरा	खम्भा शिफ्ट करवाने बाबत	25.10.2001	25.10.2001	
42.	श्रीमती बिन्दु मनु बिहार, मुरलीपुरा	खम्भा शिफ्ट करवाने बाबत	3.11.2001	3.11.2001	
43.	श्री यशपाल, मुरलीपुरा	खम्भा शिफ्ट करवाने बाबत	6.11.2001	6.11.2001	

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या-315 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग विकास निगम

लाभार्थी का नाम पता	तहसील	योजना का नाम	इकाई	राष्ट्रीय ऋण राशि	स्वयं का अंशदान	मार्जन मनी	अनुदान	वितरण तिथि	कारोबार का स्थान	वि.विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सुखदेव सिंह पुत्र हनुमान राम चक 4 बी.एल.डी.	श्री विजय नगर	एनबी.सीएफडी. सी.	टैन्ट हाउस	85000	15000	—	—	27.6.01	4 बी.एल. डी.सी.	टैन्ट हाउस 4 बीएलडीसी में चालू है।
अमीर चन्द्र पुत्र दौलाराम वार्ड नं. 17 सादूलशहर	सादूलशहर	एनबीसी एफडीसी	ढाबा/ रेस्टोरेंट	68000	12000	—	—	26.6.01	संगरिया रोड़ सादूलशहर	वर्तमान में चालू नहीं
रणजीत पुत्र काशीराम 15 एसडीपी	सादूलशहर	एनबीसी एफडीसी	ऊंट गाड़ी	17000	3000	—	—	7.8.01	15 एसडी.पी.	15 एसडी.पी. में ऊंटगाड़ी चलती है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास निगम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सुमेर सिंह पुत्र जोरासिंह कावि आजीनर मटीली राठान	श्रीगंगानगर	एनएससी एफडीसी	डले मीटर बाईडिंग	70000	5000	9000	6000	28.8.01	भटीली राठान	भौतिक सत्यापन होना बाकी है
			राष्ट्रीय अल्प संख्यक विकास निगम (तत्काल)							
बाबू खां पुत्र अजीज मोहम्मद 17ए नगौरी कालोनी, 3 ई छोटी श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	एनएम एफ.डी.सी.	किरायाना	47500	2500	—	—	10.5.01	अशोकनगर बी श्री गंगानगर	कार्य चालू नहीं
रमजान अली पुत्र नजीर हुसैन वार्ड नं. 10 उदाराम चौक पु. आ. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	एनएम एफ.डी.सी.	लकड़ी की टाल	33250	1750	—	—	10.5.01	एक ब्लाक मस्जिद के पास गंगानगर	मस्जिद के पास टाल चालू है
मुमताज बेगम पत्नि मोहम्मद मोईन वार्ड नं. 45 श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	एनएम एफ.डी.सी.	रेडीमेड वस्त्र	42500	7500	—	—	24.8.01	वार्ड नं. 45 श्री गंगानगर	घर पर दुकान चालू है

राष्ट्रीय विकलांग विकास निगम

क्रसं.	लाभार्थी का नाम व पता	तहसील	योजना का नाम	इकाई	राष्ट्रीय ऋण राशि	वितरण तिथि	कारोबार का स्थान	विशेष विवरण
1.	जनरैल सिंह पुत्र बूड सिंह 89 जी बी	अनूपगढ़	एन.एच.एफ.डी.सी.	दुग्ध डेयरी	35000	27.6.2001	89 जी.बी.	
2.	श्रीमती मनाक्षी पत्नी विजय कुमार रिडमलसर	पदमपुर	एन.एच.एफ.डी.सी.	रेडीमेड वस्त्र	50000	27.6.2001	रिडमलसर	
3.	मोहनलाल पुत्र चेतराम वर्मा 56 एलएनबी	पदमपुर	एन.एच.एफ.डी.सी.	एसटीडी पीसीओ	45000	28.8.2001	56 एल.एन.पी	इन ऋणों का वितरण गत चार माह में किया गया है जिनका भौतिक सत्यापन होना शेष है।
4.	सरला सोनी पत्नी नवरंग लाल वार्ड नं. 13 विजयनगर	विजयनगर	एन.एच.एफ.डी.सी.	ज्वैलरी	50000	6.8.2001	विजयनगर	
5.	जाकीर हुसैन पुत्र हकनिवास सरदारगढ़	सूरतगढ़	एन.एच.एफ.डी.सी.	दुग्ध डेयरी	35000	24.8.2001	सरदारगढ़	
6.	संटी पुत्र सुन्दरलाल वार्ड नं. 17 सादूलशहर	सादूलशहर	एन.एच.एफ.डी.सी.	पेटिंग	25000	25.7.2001	सादूलशहर	
7.	गुरचरण सिंह पुत्र मघर सिंह गांव 28 एमएल	रायसिंहपुर	एन.एच.एफ.डी.सी.	किरायाना	50000	24.8.2001	28 एम एल	
8.	राजेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्रजीत गांव 19 पीएस	रायसिंहनगर	एन.एच.एफ.डी.सी.	किरायाना	50000	17.9.2001	19 पी एस	

परिशिष्ट "ब"

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली के आर्थिक सहयोग से विभिन्न योजनाओं का संचालन हेतु मापदण्ड/पात्रता

1. आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिये।
2. परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय गरीबी की रेखा से दुगुनी सीमा।
3. आवेदक पर किसी बैंक/सहकारी संस्था या राज्य सरकार का मियादी ऋण बकाया नहीं हो।
4. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो एवं आवेदन क्षेत्र का रहने वाला हो।
5. तकनीकी संसाधन - कार्य संचालन हेतु आवेदक के पास पर्याप्त अनुभव, स्थल एवं अनुज्ञा पत्र (व्यावसायिक लाइसेंस) होना चाहिये।
6. आवेदक के पास पूर्व में आवेदित प्रवृत्ति का संसाधन नहीं होना चाहिये।
7. आवेदक को ऋण की गारंटी के रूप में दो शासकीय कर्मचारियों की गारंटी उपलब्ध करवानी होगी।
8. आवेदक को ऋण स्वीकृति समय के पश्चात् लगायी गयी सभी शर्तों का पालन करना होगा।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद के आर्थिक सहयोग से विभिन्न योजनाओं का संचालन हेतु मापदण्ड/पात्रता

1. आवेदक जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हो आवेदन कर सकता है।
2. आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो।
3. आवेदक की वार्षिक आय : शहरी क्षेत्र के लिए — 42412/- रु. प्रति वर्ष
   ग्रामीण क्षेत्र के लिए — 31952/- रु. प्रति वर्ष
4. आवेदक की संबंधित शैक्षिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यता और अनुभव।
5. आवेदक की जिस जिले में योजना का कार्यान्वयन होना है उस जिले के निवासी होने का प्रमाण पत्र।
6. आवेदक किसी ऋण दात्री संस्था का ऋणी नहीं होना चाहिये।

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या-318 की प्रति)

परिशिष्ट 'क'

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर (राज.)

जांच प्रतिवेदन

जांचकर्ता अधिकारी का नाम	:	श्री सोमदत्त मित्तल, जिशिअप्राशि., अलवर
शिकायतकर्ता	:	1. राज. शिक्षक संघ (प्रगतिशील) दि. 21.7.01
		2. राज. शिक्षक संघ (सियाराम) दि. 10.9.01

शिकायत : ब्लाक प्राशिक्षा अधिकारी, उमरैण के आदेश सं. 60 दिनांक 30.5.01 के अनुसार 06 शिक्षकों प्र.अ. के स्थानान्तरण आदेश अन्तर पंचायत समिति जारी किये गये जो नियम विरुद्ध हैं।

उपरोक्त आदेश के बाबत आपको मैंने पूर्व में भी लिखित एवं मौखिक कई बार कह दिया है लेकिन अभी तक उपरोक्त आदेश निरस्त नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त आदेश को दिनांक 25.7.01 तक निरस्त कर आदेश की प्रति निम्न हस्ताक्षरकर्ता को देने की अनुकम्पा करें।

तथ्य : ब्लाक प्रा. शिक्षा अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। दिनांक 11.8.01 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्थानान्तरण नियम विरुद्ध नहीं पाये गये। तथ्यात्मक प्रतिवेदन के सत्यापन हेतु दिनांक 7.11.01 को रिकार्ड मांगा गया एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट की जांच की गई। जांच करने पर निम्न बिन्दू सामने आये।

1. पचांयत समिति में ग्राम पंचायत स्तर पर 30 उप्रावि. आदर्श विद्यालयों के रूप में चयनित किये गये जबकि पंचायत समिति के विद्यालयों में कुल कार्यरत प्र.अ. मात्र 26 थे। अतः इस प्रकार 04 पद रिक्त बचते थे जिनकी पूर्ति दूसरी पंचायत समिति के प्र.अ. से प्राप्त दो आवेदन पत्रों से चयन समिति के अनुमोदन एवं प्रशासन एवं स्थापना समिति के अनुमोदन से चयन का पदस्थापन आदेश क्रमांक 60 दिनांक 30.5.01 के द्वारा की गई इनका चयन निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक-शिविरा/प्राशि/फा-शैक्षिक अनुभाग/2001/3623 दिनांक 28.04.01 के द्वारा किया गया तथा श्रीमान् निदेशक महोदय के आदेश क्रमांक-शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्थापन/एफ-2/721/2001 दिनांक 8.5.2001 के अनुसार प्रशासन एवं स्थापना समिति के अनुमोदन एवं प्र.अ. के चयन के मानदण्ड की बिन्दू संख्या-4 के अनुसार इनका चयन एवं पदस्थापन वैध है।

2. इस पंचायत समिति के 30 आदर्श विद्यालयों के लिये 18 विज्ञान अध्यापक पंचायत समिति में कार्यरत थे तथा दो आवेदन पंचायत समिति से बाहर के अध्यापकों के प्राप्त हुए जिनका चयन श्रीमान् निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 28.04.01 तथा पदस्थापन एवं चयन दिनांक 8.5.2001 के बिन्दू संख्या-5 के अनुसार वैध है।

3. इसी प्रकार गणित के पंचायत समिति के कुल 15 अध्यापक उपलब्ध थे जबकि आवश्यकता 30 की थी दो आवेदन बाहर की पंचायत समिति से प्राप्त हुए जिनका चयन विधिवत गठित चयन समिति द्वारा किया गया जो श्रीमान् निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 8-05-2001 के बिन्दू संख्या-5 के अनुसार वैध है।

जांच के उपरान्त यह पाया गया कि चयन एवं स्थानान्तरण निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया है। सभी चयन श्रीमान् निदेशक महोदय प्रा. शिक्षा के आदेश दिनांक 28.04.01 के द्वारा गठित समिति द्वारा किये गये एवं पदस्थापन श्रीमान् निदेशक के आदेश दिनांक 8.5.2001 के अनुसार किये गये। इसलिये शिकायत सही नहीं है।

ह०/-
(सोमदत्त मित्तल)
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर।

परिशिष्ट-23

(अतारांकित प्रश्न संख्या-327 का विवरण)

क्र.सं.	अध्यापक का नाम	पदस्थापन स्थान	जहां पर कार्य कर रहे हैं	कब से कब तक प्रति. पर रहे	प्रतिनियुक्त अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	खावदा	बीईईओ, सपोटरा	6/95 से 6/01	बीडीओ सपो.
2.	श्री नन्दकिशोर महावर	खावदा	बीईईओ सपोटरा	8/98 से 2/01	बीडीओ सपो.
3.	श्री रामकिशोर शर्मा	बाजना	बीईईओ सपोटरा	8/01 से 1/01	श्री किशनपाल
4.	श्री प्यारेलाल अग्रवाल	गढ़ी का गांव	बीईईओ सपोटरा	8/01 से 1/01	श्री किशनपाल
5.	श्री परमानन्द शर्मा	झारोडा	बीईईओ सपोटरा	8/01 से 1/01	श्री किशनपाल
6.	श्री जगदीश प्रसाद मीणा	चौरधाणा	बीईईओ सपोटरा	7/01 से 10/01	कैलाशचन्द गुप्ता
7.	श्री पुरुषोत्तम लाल गुप्ता	कावटी	बीईईओ सपोटरा	7/01 से 1/01	कैलाशचन्द गुप्ता
8.	श्री सीताराम गुप्ता	कमोमरी	बीईईओ सपोटरा	9/01 से 11/01	श्री किशनपाल
9.	श्री गिर्राजप्रसाद गुर्जर	रावतपुरा	बीईईओ सपोटरा	7/01 से 11/01	श्री किशनपाल
10.	श्री दिनेशचन्द्र शर्मा	सलावद	बीईईओ नादौती	7/01 से 10/01	मुरारीलाल गुप्ता
11.	श्री उमेश कुमार शर्मा	कैमरी	बीईईओ नादौती	7/01 से 10/01	मुरारीलाल गुप्ता
12.	श्री वेदप्रकाश गुर्जर	मुहाना	साक्षरता	7/01 से 10/01	मुरारीलाल गुप्ता
13.	श्री चांदराम वर्मा	रायसना	साक्षरता	7/01 से 10/01	मुरारीलाल गुप्ता
14.	श्री गजानन्द शर्मा	भीकमपुरा	बीईईओ करौली	7/01 से 11/01	विजयकुमार शर्मा बीईईओ करौली
15.	श्री सियाराम गुर्जर	बसई	पं.सं. करौली	5/98 से 11/01	"
16.	श्री सुरेन्द्र रोनवाल	महू	पं.स. करौली	1/99 से 05/99	"
17.	श्री अभयकुमार शर्मा	डफलपुर	पं.स. करौली	11/99 से 7/01	"
18.	श्री बाबूलाल व्यास	महू	पं.स. करौली	11/99 से 7/01	"
19.	श्री रमेशचन्द्र शर्मा	बलुआपुरा	पं.स. करौली	—	"

1	2	3	4	5	6
20.	श्री शिवकुमार माथुर	नं6 करौली	जिला करौली	12/97 से 7/01	जिशिअ करौली
21.	श्री विष्णुचन्द शर्मा	कोडर	जिशिअ करौली	12/97 से 11/99	जिशिअ करौली
22.	श्री गोपाल शर्मा	फतहपुर	जिशिअ करौली	12/97 से 3/99	जिशिअ करौली
23.	श्री समयसिंह गुर्जर	चैनपुर	जिशिअ करौली	11/97 से 4/99	जिशिअ करौली
24.	श्री बालकृष्ण गुप्ता	मकनपुर	जिशिअ करौली	2/3/98 से 11/3/98	जिशिअ करौली
25.	श्री श्योपाल लाल	जोडली	जिशिअ करौली	4/98 से 10/01	जिशिअ करौली
26.	श्री केदारलाल शा.शि.	जहांगीरपुर	जिशिअ करौली	4/98 से 9/99	जिशिअ करौली
27.	श्री मिश्रीलाल वर्मा	नं8 करौली	जिशिअ करौली	6/98 से 6/99	जिशिअ करौली
28.	श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा	नं8 करौली	जिशिअ करौली	6/98 से 7/99	जिशिअ करौली
29.	श्री रामेश्वर जाटव	नं8 करौली	जिशिअ करौली	—	जिशिअ करौली
30.	श्री पूरणचन्द गुप्ता	रानीपुरा	जिशिअ करौली	1/6/98 से 24/6/98	जिशिअ करौली
31.	श्री आशीषकान्त	गढ़मण्डौरा	जिशिअ करौली	6/99 से 9/99	जिशिअ करौली
32.	श्री रमेशचन्द्र शर्मा	अरोरा	जिशिअ करौली	7/00 से 8/01	जिशिअ करौली
33.	श्री दाउदयाल गुप्ता	धनीरामपुरा	जिशिअ करौली	7/01 से 5/01	जिशिअ करौली
34.	श्री शिवकुमार गुप्ता	भोलूपुरा	जिशिअ करौली	2/01 से 30/01	जिशिअ करौली
35.	श्री गिरधारी लाल	दरगमां	जिशिअ करौली	1/9/01 से 30/9/01	जिशिअ करौली
36.	श्री अभयकुमार शर्मा	डफलपुर	जिशिअ करौली	7/01 से 10/01	जिशिअ करौली
37.	श्री विजयकुमार गुप्ता	गैरई	जिशिअ करौली	9/01 से 10/01	जिशिअ करौली
38.	श्री सीताराम शर्मा	गुनेसरी	जिशिअ करौली	9/01 से 10/01	जिशिअ करौली
39.	श्री महेशकुमार शर्मा	तुलसीपुरा	जिशिअ करौली	9/01 से 10/01	जिशिअ करौली
40.	श्री रामबाबू शर्मा	करवाई	जिशिअ करौली	9/01 से 10/01	जिशिअ करौली
41.	श्री अशोक कुमार शर्मा	भांकूरी	जिशिअ करौली	3/10/01 से 30/10/01	जिशिअ करौली

1	2	3	4	5	6
42.	श्री नवीनकुमार गुप्ता	पीतूपुरा	जिशिअ करौली	5/99 से 10/00	जिशिअ करौली
43.	श्री मदनलाल यादव	बरगमा	पं.स.-हिण्डौन	1/99 से 10/01	बीडीओ हिण्डौन
44.	श्री दिनेश जैन		बीडीओ हि.	1/99 से 10/00	बीडीओ हिण्डौन
45.	श्री पारसमल जैन	एकालासी	बीडीओ हि.	1/7/99 से 24/07/99	बीडीओ हिण्डौन
46.	श्री धरमचन्द जैन	पटोंगदा	बीडीओ हि.	8/01 से 10/01	बीडीओ हिण्डौन
47.	श्री सतीश कुमार पाठक	केराकापुरा	बीडीओ हि.	04/01 से 10/01	बीडीओ हिण्डौन
48.	श्री भरतलाल शर्मा	गच्छीकापुरा	बीडीओ हि.	7/01 से 10/01	बीडीओ हिण्डौन
49.	श्री श्यामबिहारी	बाजना	बीडीओ हि.	7/00 से 5/01	बीडीओ हिण्डौन
50.	श्री गोविन्दराम गुप्ता	खेड़ा	बीडीओ	5/01 से 7/01	बीडीओ हिण्डौन
51.	श्री प्रवीणकुमार वशिष्ठ	रेवाड़ी	बीडीओ	9/00 से 9/01	बीडीओ हिण्डौन
52.	श्री राजेन्द्र कुमार जैन	चंदोला	बीडीओ	9/00 से 09/01	बीडीओ हिण्डौन
53.	श्री कान्ती चन्द शर्मा	नागललाट	बीईईओ टोडाभीम	7/00 से 07/01	अनारसिंह दनगस
54.	श्री अशोक कुमार जैन	जगदीशपुरा	बीईईओ टोडाभीम	7/00 से 07/01	अनारसिंह दनगस
55.	श्री संतोष खण्डेलवाल	देवलेन	बीडीओ टो.	6/98 से 10/01	बीडीओ टोडाभीम
56.	श्री नवीन कुमार गुप्ता	पीतूपुरा	जिला परिषद्	10 (97 से 9/01)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
57.	श्री रामसिंह	पं.सं. करौली	जिला परिषद्	10(97 से 9/01)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
58.	श्री अशोक कुमार शर्मा	सपोटरा	जिला परिषद्	10(97 से 9/01)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
59.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	माविपरीता	जिला परिषद्	10(97 से 9/01)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
60.	श्रीमती रामदुलारी	पं.स. करौली	जिला परिषद्	10(97 से 9/01)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

परिशिष्ट-24

(अतारांकित प्रश्न संख्या-330 की सूची) परिशिष्ट "अ"

परियोजना घाटोल

1.	हरिजन बस्ती (घाटोल)	22.	बडीपडाल
2.	छतरीपाड़ा	23.	नाथुखेड़ी
3.	पड़ोसी गोवर्धन	24.	मकनपुरा
4.	बन्दूजी का गढ़ा	25.	डागल
5.	डूंगर	26.	मोटागावा
6.	नागनसेल	27.	मोटावा-III
7.	सींगपुरा	28.	चान्दुका बेला
8.	गनोडा	29.	कसनपुरा
9.	खाकरीया गाढ़ा	30.	चेकला
10.	बामनपाडा	31.	पादर
11.	खूमेरा	32.	नागनसेल
12.	हाथडी	33.	सवाकापाडा
13.	कालीका पाडा	34.	सपाकापाडा-II
14.	चिरावाला गढ़ा	35.	बेलूवूडा
15.	कराणा	36.	टामरिया
16.	कानेजी का गढ़ा	37.	मडी मान्दली
17.	बढ़ाना	38.	वीरपुरा
18.	दोलत सिंह का गढ़ा	39.	सांगोली
19.	काचरी का पाडा	40.	ओडवाडा
20.	जेदला	41.	मिथासा
21.	नागदेला		

गणेशपुरा

42. गणेशपुरा आदि किराया भवन एवं पंचायत भवन में संचालित है।

पीपलखूंट

1. सिंदडी महुड़ी (निर्माणाधीन)
2. गोवाई
3. करवा (जीर्णशीर्ण)
4. खोरापाड़ा (निर्माणाधीन)
5. जरबाया (निर्माणाधीन)
6. नीलपाड़ा (निर्माणाधीन)
7. लेवापाड़ा (अपूर्ण)
8. माण्डली
9. हरो-II
10. पिपलदा (निर्माणाधीन)
11. बडलीखेड़ा (निर्माणाधीन)
12. राहनिया
13. माण्डली
14. टामटिया

परिशिष्ट-25

(अतारांकित प्रश्न संख्या-331 की सूची)

Annexure-1

(A) SCHEMES UNDER SCA

S.No.	SCHEME/DEPARTMENT
1	2
1.	**AGRICULTURE & ALLIED**
1.	**Crop Husbandry**
i.	Distribution of bullock drawn implements
ii.	Dist. of PP equipments (Spayer/duster)
iii.	Gypsum distribution.
iv.	Agriculture training for Kathodi
v.	HYV seed distribution for Kathodi
vi.	input distribution programme for Urab Crop for Kathodi
2.	**HORTICULTURE Through BAIF**
i.	Tribal horticulture Jana_Utthan development programme through farming system approach
3.	**Sericulture Programme & Mushroom Programme**
4.	**Animal Husbandry**
i.	Running of BAIF Centres
5.	**RTADCF**
A	**FISHERIES**
i.	Subsidy for purchase of nets & boats
ii.	Training & Community Centre
iii.	Subsidy for Fish seed purchase
iv.	Organisation of Fish Cooperatives
v.	Subsidy for fisheries conservation
6.	**COOPERATION**
i.	Subsidy on purchase of Share of LAMPs by ST
ii.	Reimbursement of exhibition exp.

1	2
iii.	Training grant for RTADCF
iv.	Reimbursement of MFP royalty
v.	Reimbursement of MFP overhead charges
II	**IRRIGATION**
i.	Deepening of wells by blasting
ii.	Maintenance of closed Lift Irrig. Scheme
iii.	Supply of individual Diesel pump sets/Electric pump sets
iv.	Const of Anicut/Watershed
III	**POWER**
i.	Electrification of Tribal Basti
ii.	Energisation of agri. wells
iii.	Assistance for Kutir Jyoti connection
IV	**Social & Community**
1	**EDUCATION**
A	**Running of Ashram Hostels**
i.	Running of Ashram Hostels
ii.	Books for Ashram Students
iii.	Provision for games and sports
iv.	Hostels inspection
v.	Running of Eklavaya Khel Chhatrawas
vi.	Equipment & utensils for hostels
vii.	Computer awareness in Kasturba A. Hostel
B.	**Renovation, replacemnet of matresses etc. & modernisation of Hostels-Token Money**
C	**Incentive to tribal students**
i.	Provision of Rent for tribal Chhatragrahs
ii.	Economic help to tribal girls for higher education
iii.	Talented boys scholarship to 1st Class students

Annexure-1

(A) SCHEMES UNDER SCA

S.No.	SCHEME/DEPARTMENT
1	2

2. **T.R.I. Schemes**
   - i. Evaluation studies
   - ii. Financial assistance to ST candidates for coaching for PMT/PET/IIT/Civil service competitive exam through reputed institute
3. **FLOUROSIS & T.B. CONTROL**
   - i. T.B. control project
   - ii. Flourosis Control
   - iii. Women Development
4. **TRAINING TO TRIBAL FOR EMPLOYMENT**
   - i. Stockmen training centre (A.H.)
   - ii. General Nursing Training (Medical)
   - iii. Ayurved Compounders training course
   - iv. Food & Craft Training
   - v. Special B.Ed. Units
   - vi. Physical education teachers training units (B.P.Ed.)
   - vii. Training to ST students in computer through APTECH
   - viii. Craftsmen Training
     - a. Running of I.T.I.s

V. **General Services**
   - a. S.F.D.C.
   - b. Article 275(1)
   - c. Core Budget

GRAND TOTAL

(B) SCHEMES UNDER ARTICLE 265(1)

S.No.	SCHEME/DEPARTMENT
1.	Water Supply Scheme
2.	Installation of Hand Pump
3.	Minor Irrigation Scheme
4.	Construction of Additional Rooms
5.	Construction of School Building
6.	Construction of Anicut
7.	Electrification of Basties
8.	Construction of latrines
9.	Residential School
10.	Plantation around Udaipur

(C) SCHEMES UNDER STATE PLAN

S.No.	SCHEME/DEPARTMENT
1.	Constrution of C.D. Works
2.	Constrution of A. Roads
3.	Constrution of Anicut
4.	Constrution of Minor Irrigation Schemes
5.	Constrution of ongoing Minor Irrigation Schemes
6.	Constrution of Residential School
7.	Maintenance of Ashram Hostels
8.	Horticulture through BAIF
9.	Survey and Evaluation
10.	Animal Husbandry Camp
11.	Ayurvedic Camp
12.	Ashram Hostels (MADA)
13.	General Nursing Training
14.	I.T.I.
15.	Sericulture

परिशिष्ट-26

(अतारांकित प्रश्न संख्या-332 का विवरण)   परिशिष्ट "अ"

राज्य में जनजाति उप योजना क्षेत्र की जनसंख्या का पंचायत समितिवार विवरण

क्र.सं.	जिला		नाम पंचायत समिति	कुल जनसंख्या 1991 जनगणना	जनजाति जनसंख्या 1991 जनगणना
1	2		3	4	5
1.	बांसवाड़ा	1.	आनन्दपुरी	84905	78827
		2.	बागीदौरा	137270	105402
		3.	गढ़ी	197876	106143
		4.	घाटोल	175991	136522
		5.	कुशलगढ़	101900	96428
		6.	पीपलखूंट	110617	103360
		7.	सज्जनगढ़	103172	91733
		8.	तलवाड़ा	167896	123663
			नगर		
			बांसवाड़ा	66632	5653
			कुशलगढ़	9341	1319
			योग	**1155600**	**849050**
2.	डूंगरपुर	1.	आसपुर	146507	71056
		2.	बिच्छीवाड़ा	180805	150269
		3.	डूंगरपुर	133212	110702
		4.	सागवाड़ा	160585	148349
		5.	सीमलवाड़ा	195519	86746
			नगर		
			डूंगरपुर	35681	3454
			सागवाड़ा	22240	5229
			योग	**874549**	**575805**

1	2	3	4	5
3. उदयपुर	1.	धरियावद	164836	126520
	2.	झाड़ौल	147044	104744
	3.	कोटड़ा	130449	116263
	4.	सलूम्बर	161630	86602
	5.	सराड़ा	185497	105116
	6.	खैरवाड़ा	206494	155125
	7.	गिर्वा	118563	82410
		नगर		
		सलूम्बर	13981	250
		योग	**1128494**	**777030**
4. चित्तौड़गढ़	1.	अरनौद	91408	58949
	2.	प्रतापगढ़	159206	84615
		नगर		
		प्रतापगढ़	29443	1528
		योग	**280057**	**145092**
5. सिरोही	1.	आबूरोड	80611	54734
		महायोग	**3519311**	**2401711**

परिशिष्ट-27

(अतारांकित प्रश्न संख्या-333 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

पंचायत समिति विभाग

क्र.सं.	कार्य का नाम	योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि लाखों में	बकाया राशि लाखों में	कब से बकाया है	मूल्यांकन नहीं होने कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सामुदायिक भवन काचरियां	टीएफसी	00.01	1.25	0.75	0.50	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
2.	ट्यूबवैल निर्माण खेड़ी	—	00.01	1.00	0.60	0.40	21.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
3.	रामबैरी बड़ा तालाब को गहरा कराना	टीएफसी	00.01	0.50	0.30	0.20	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
4.	सामुदायिक भवन टाटोली	टीएफसी	00.01	1.25	0.75	0.50	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
5.	सीमेंट सड़क बेनीप्रसाद के मकान से बाजार तक टाटोटी	टीएफसी	00.01	0.30	—	0.30	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	सामुदायिक भवन गणेशपुरा	टीएफसी	00.01	1.25	0.60	0.65	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
7.	एक कमरा बरामदा शौचालय चारदीवारी राबाउप्रावि टाटोटी	एमएलए फण्ड	00.01	1.65	0.65	1.00	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
8.	पंचायत भवन गोयला	जेजीएसवाईयोजना	00.01	1.00	—	1.00	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
9.	पनघट गेट नाला बांदनवाड़ा	टीएफसी	00.01	0.25	0.10	0.15	15.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
10.	जाट मौहल्ला नाली बांदनवाड़ा	टीएफसी	00.01	0.20	0.15	0.5	15.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
11.	रेदास मौहल्ला में नाली खरंजा बांदनवाड़ा	टीएफसी	00.01	0.20	0.10	0.10	15.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
12.	खेली कोठा निर्माण कार्य बगवाई	टीएफसी	00.01	0.15	0.08	0.07	15.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	निलकंठ महादेव कुआं बांदनवाड़ा	राग्रा.पे.मिशन	00.01	0.39	—	0.39	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
14.	जाटन बस्ती कुआं बांदनवाड़ा	राग्रा.पे.मिशन	00.01	0.45	—	0.45	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
15.	सार्व. कुआं सूरजपुरा	राग्रा.पे.मिशन	00.01	0.50	—	0.50	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
16.	सार्व. कुआं राजपुरा	राग्रा.पे. मिशन	00.01	0.50	—	0.50	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
17.	सामु. वन देवनारायण कुम्हारियां	टीएफसी	00.01	1.25	1.00	0.25	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
18.	सीमेंट सड़क कुरथल	टीएफसी	00.01	1.00	0.96	0.04	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
19.	वार्ड नम्बर-8 खरंजा निर्माण कुरथल	जेजीएसवाई	00.01	1.00	0.50	0.50	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
20.	सार्व. कुप भीलो का गुदलिया	रा.गा.पे.मि.	00.01	0.50	—	0.50	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	कमरा बरामदा प्रा.शा. कल्याणपुरा	टीएफसी	00.1	0.70	0.50	0.20	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
22.	कबूतर घर गुढ़ाखुर्द	जेजीएसवाई	00.1	1.50	0.75	0.75	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
23.	नाली निर्माण गुढ़ा खुर्द	जेजीएसवाई	00.1	0.20	0.11	0.09	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
24.	सामु. भवन चारदीवारी बासन बाबा के गुढ़ा खुर्द	टीएफसी	00.1	2.00	—	2.00	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
25.	प्रावि. कमरा बरामदा गुढ़ाखुर्द	ईएएस	00.1	1.25	—	1.25	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
26.	सार्व.कूप खेड़ी	ग्रा.पे.मि.	00.1	0.50	—	0.50	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
27.	सार्वजनिक कूप कालबेलियां अमरपुरा	राग्रापेमिशन	00.1	0.47	—	0.47	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
28.	सार्व. कुप. मूण्डियाखेड़ा	राग्रापेमिशन	00.1	0.50	—	0.50	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	सार्व. कूप माताजी का खेड़ा	रागगापेमिशन	00.01	0.50	—	0.50	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
30.	सार्व. कूप नाड़ी	रा.गा.पे.मि.	000.01	0.21	—	0.21	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
31.	सार्व. कूप लाचड़ा देवलियां कलां	रा.ग्रा.पे.मि.	000.01	0.50	—	0.50	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण
32.	सीमेंट सड़क देवलियांकला	टीएफसी	00.01	2.00	1.20	00.80	31.3.2001	मूल्यांकन नहीं होने के कारण (सरपंच द्वारा पूर्व मूल्यांकन चाहने के कारण)

ह०/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला अधिकारी अजमेर

परिशिष्ट "क"

पंचायत समिति अराई

क्र.सं.	कार्य का नाम	योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि लाखों में	बकाया राशि लाखों में	कब से बकाया है	भुगतान नहीं होने का कारण
1.	सार्व. कुआं खटीक मौहल्ला	अकाल	00.01	0.40	0.13	0.27	31.3.2001	भुगतान की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त
2.	शाला मरम्मत कार्य आकोड़ियां	टीएफसी	00.01	0.20	0.16	0.04	31.3.2001	ग्रा. पंचायत से बिल विलम्ब से प्राप्त होने के कारण
3.	सार्व. कप बैरवा मौहल्ला गुजरवाड़ा	रा.गा.पे.मि.	00.01	0.50	—	0.50	31.3.2001	" "
4.	भैरूजी के स्थान के पास हैण्डपम्प कासीर	टीएफसी	00.01	0.25	0.10	0.15	31.3.2001	" "
5.	बटसर मौहल्ले में हैण्डपम्प कासीर	टीएफसी	00.01	0.25	0.10	0.15	31.3.2001	" "
6.	खेली कोठा एवं पाइप लाईन डालना बैरवा मौहल्ला सरवर	टीएफसी	00.01	1.75	0.70	0.95	31.3.2001	" "

ग्राम पंचायत से बिल विलम्ब से प्राप्त होने के कारण एवं कार्य 1.65 लाख रुपये से ही पूर्ण होने से कुल व्यय राशि 1.65 लाख रुपये ही हुआ।

ह०/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, अजमेर

परिशिष्ट-28

(अतारांकित प्रश्न संख्या-336 की सूची)

परिशिष्ट-1

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

बिन्दू सं. 1

(अ) राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक

कुल संख्या	अनु. जाति	अनु.जनजाति	पिछड़ा वर्ग
674	6	2	56

(ब) राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी (अशैक्षणिक)

कुल संख्या	अनु. जाति	अनु.जनजाति	पिछड़ा वर्ग
2105	149	149	336

परिशिष्ट-2

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

बिन्दू सं. 2

(अ) राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक

कुल सं.	अनु.जा.	प्रतिशत	अ.ज.जा.	प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग	प्रतिशत
674	6	1%	2	0.3%	56	8.3%

(ब) राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारीगण

कुल सं.	अनु.जा.	प्रतिशत	अ.ज.जा.	प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग	प्रतिशत
27	1	3.8%	—	—	—	—